# राज्य निर्वाचन आयोग
# उत्तराखण्ड

## सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 (1) (ख) के अन्तर्गत मैनुअल

(मैनुअल बिन्दु–1 से 17)

(दिनांक 31 मार्च, 2020 तक अद्यतन)

## ''निर्वाचन भवन'' ग्राम लाडपुर, मसूरी बाईपास (रिंग रोड़), देहरादून

# विषय सूची


| क्र0 सं0 | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | मैनुअल–1 (अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य) | 1— 15 |
| 2. | मैनुअल–2 (अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य) | 16-17 |
| 3. | मैनुअल–3 (विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं) | 18-20 |
| 4. | मैनुअल–4 (अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान) | 21 |
| 5. | मैनुअल–5 (अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम,अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख) | 22-234 |
| 6. | मैनुअल–6 (ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण) | 235-306 |
| 7. | मैनुअल–7 (किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है) | 307 |
| 8. | मैनुअल–8 (ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण) | 308 |
| 9. | मैनुअल–9 (अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका) | 309-312 |
| 10. | मैनुअल–10 (अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो) | 313-314 |
| 11. | मैनुअल–11 (सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट) | 315-364 |
| | मैनुअल–12 (सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है) | 365 |
| 13. | मैनुअल–13 (अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां) | 366 |
| 14. | मैनुअल–14 (किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों) | 367 |
| 15 | मैनुअल–15 (सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं) | 368 |
| 16. | मैनुअल–16 (लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां) | 369 |
| 17. | मैनुअल–17 (ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए) | 370 |

# मैनुअल–1

## (राज्य निर्वाचन आयोग की विशिष्टयां–कृत्य और कर्तव्य)

**विशिष्टियां:–** संविधान में किये गये 73वे व 74वे संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों व नागर स्थानीय निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। उक्त संस्थाओं के स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन कराये जाने हेतु भारत का संविधान के 'अनुच्छेद–243ट में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्राविधान है। पंचायतों एवं नागर निकायों के लिये कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयुक्त में निहित है जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्ते और पदावधि **(परिशिष्ट संख्या–1)** राज्यपाल द्वारा अवधारित होंगी। परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा। जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चन्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तो में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध किये जाने पर राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारीवृन्द उपलब्ध कराये जाएंगे, जितने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गये कृत्यों के लिए आवश्यक हों। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड की स्थापना **दिनांक 30 जुलाई, 2001** को की गयी।

## माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल

| क्र. सं. | नाम | अवधि | | शासन की अधिसूचना संख्या व दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| | | कब से | कब तक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री दुर्गेश जोशी (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त) | 30.06.2001 | 16.01.2005 | संख्या–287/व.एवं.ग्रा.वि.पं.राज शाखा/2001 दिनांक 30.06.2001 |
| 2. | श्री आर.के. वर्मा (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त) | 16.01.2005 | 03.04.2008 | संख्या–61–पं0/XII/05/2004–05 दिनांक 15.01.2005 |
| 3. | श्री बिपिन चन्द्र चंदोला (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त) | 04.04.2008 | 17.09.2010 | संख्या–169/XII/08/92(01)08 दिनांक 03.04.2008 |
| 4. | श्री हरिश्चन्द्र जोशी (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त) | 18.09.2010 | 15.08.2013 | संख्या–718 (ii)XII/10–92(01)08टी0सी0–1 दिनांक 16.09.2010 |
| 5. | श्री सुबर्द्धन (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त) | 04.09.2013 | 18.06.2018 | संख्या–2136/XII/13(06) दिनांक 04.09.2013 |
| 6. | श्री चन्द्रशेखर भट्ट (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त) | 11.07.2018 | कार्यरत | संख्या–913/XII(1)/2018/84(06)/2013 दिनांक 09.07.2018 |

(2)

उत्तरांचल शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग
संख्या–558–(10)/पं0ग्रा0अभि0अ0/2002
देहरादून : दिनांक 02 नवम्बर, 2002

## अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अन्तर्गत उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूल तथा उपांतर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो;

चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1994 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू हैं;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन, 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1994 की उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगा:–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1994 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1994 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 कहलायेगा।
2. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा। (2) उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1994 में जहां–जहां शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

संजीव चोपड़ा,
सचिव

(3)

संख्याः 558–(10)/पंचायतीराज अनुभाग/2002 दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
3. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की हरिद्वार को इस आशय से कि उक्त को गजट में प्रकाशित कर इसकी 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र जोशी,
अपर सचिव

# उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1994

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित संविधान के अनुच्छे 243–ट द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश में पंचायत राज और स्थानीय निकाय के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

## अध्याय एक
## प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएं**– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से हैं,

(ख) 'आयुक्त' का तात्पर्य आयोग के आयुक्त से हैं,

(ग) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) से हैं,

(घ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से हैं,

(ड) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से हैं,

## अध्याय दो
## नियुक्ति

3. **आयुक्त की नियुक्ति**– आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी:

परन्तु आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, यदि वह पहले से सरकारी सेवा में हैं, तब तक आयुक्त का पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसने उस सेवा से त्याग पत्र न दे दिया हो या सेवा निवृत्त न हो गया हो जिसमें वह सेवारत था।

4. **पदावधि**– आयुक्त पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु किसी आयुक्त द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वह अपना पद धारण नहीं करेगा।

5. **अर्हताए और पात्रता**– किसी व्यक्ति को आयुक्त के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि वह केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव या उससे उच्च स्तर का कोई अधिकारी हो उसने जिला मजिस्ट्रेट या मण्डल आयुक्त का पद अवश्यक धृत किया हो और सचिवालय में कोई ज्येष्ठ प्रशासकीय पद धृत किया हो।

## अध्याय तीन
## वेतन भत्ते

6. **वेतन और भत्ते**– (1) आयुक्त के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसके पैतृक विभाग में अनुमन्य वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

(2) कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो और उसे आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाय तो उसे यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह या तो पेंशन की कुल धनराशि ऋण अन्तिम आहरित वेतन के सिद्धांत पर अपना वेतन और भत्ते या 8000 रूपये प्रतिमास वेतन और भत्ते, जो अनुमन्य हो, आहरित करें।

(3) आयुक्त को किराया मुक्त आवास की सुविधा होगी और यदि ऐसा आवास उपलब्ध न हो तो वह सरकार द्वारा अपने समूह 'क' के कर्मचारियों के संबंध में समय–समय पर निर्धारित दरों मकान किराया भत्ते का हकदार होगा:

परंतु किराया मुक्त आवास की सुविधान तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक आयुक्त इस रूप में अपना पद धारण करेंगे और ऐसे पद पर न रह जाने के एक मास की अवधि के भीतर यह आवास को खाली करने के लिए बाध्य होगा।

## अध्याय चार
## प्रकीर्ण

7. **अवकाश**–आयुक्त ऐसे समस्त अवकाश के हकदार होंगे जो सरकार के समूह 'क' के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य हैं।

8. **पेंशन**–आयुक्त के अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर लेने पर अपने पैतृक विभाग में लागू नियमों या विनियमों के अधीन उसे अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ का हक होगा।

9. **चिकित्सा सुविधाएं**–आयुक्त को ऐसी चिकित्सा सुविधा का हक होगा जो सरकार के समूह 'क' के कर्मचारियों को अनुमन्य हैं।

10. **अन्य विषयों का विनियमन**–ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों आयुक्त राज्य के कार्य–कलाप के संबंध में सेवारत समूह 'क' के सरकारी सेवकों पर सामान्यतया तत्समय लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

# उत्तराखण्ड शासन

संख्या 665 / XII / 2012 / 92 (06) / 2005

प्रेषक,

अरुण कुमार डौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

पंचायती राज अनुभाग — देहरादून दिनांक 15 जून, 2012

विषय– राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड का स्वीकृत ढाँचे का पुनर्गठन

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–ट के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन कराने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 245पं0 / ग्रा0वि0आ0शा0 एवं पंचायतीराज / 2001 दिनांक 30 जुलाई, 2001 तथा शासनादेश संख्या 352 पं0 / ग0ग्रा0वि0आ0शा0 / 2001 दिनांक 06 नवम्बर, 2001 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग में सफल कार्य संचालन हेतु मुख्यालय में कार्य की अधिकता एवं त्रिस्तरीय पंचायतों तथा नगर स्थानीय निकायों व जिला योजना समितियों के सामान्य निर्वाचन / उप निर्वाचन आदि कार्य कराये जाने के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग के ढाँचे को पुनर्गठित करने एवं उत्तराखण्ड सचिवालय के समकक्ष पदों के समान पदनाम परिवर्तित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के विभागीय ढाँचे में निम्नांकित पदों के सृजन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड (मुख्यालय) की पुनर्गठन संरचना

| क्र0 सं0 | पदनाम | वेतनमान रु0 | स्वीकृत पदों की संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | राज्य निर्वाचन आयुक्त | 80,000 नियत | 01 | — |
| 2. | सचिव | 37400–67000+8900 | 01 | — |
| 3. | उपायुक्त | 37400–67000+8900 | 01 | — |
| 4. | संयुक्त सचिव | 37400–67000+8700 | 01 | — |
| 5. | उप सचिव | 15600–39100+7600 | 01 | राज्य सरकार के समान विभागों के कार्मिक से प्रतिनियुक्ति पर भरा जायेगा |
| 6. | उप सचिव (लेखा) | 15600–39100+7600 | 01 | वित्त लेखा संवर्ग से भरा जायेगा |
| 7. | अनु सचिव | 15600–39100+6600 | 01 | अनुभाग अधिकारी से पदोन्नति द्वारा |
| 8. | सहायक आयुक्त | 15600–39100+5400 | 02 | 01 पद पदोन्नति से एवं 01 पद प्रतिनियुक्ति द्वारा |
| 9. | अनुभाग अधिकारी | 9300–34800+4800 | 03 | — |
| 10. | निजी सचिव | 9300–34800+4800 | 02 | — |
| 11. | समीक्षा अधिकारी | 9300–34800+4800 | 06 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | समीक्षा अधिकारी (लेखा) | 9300–34800+4800 | 01 | — |
| 13. | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | 9300–34800+4200 | 01 | वाह्य स्रोत से |
| 14. | वैयक्तिक सहायक / अपर निजी सचिव | 9300–34800+4600 | 03 | — |
| 15. | सहायक समीक्षा अधिकारी | 9300–34800+4200 | 03 | — |
| 16. | टंकक / डाटा इन्ट्री आपरेटर | 5200–20200+1900 | 04 | — |
| 17. | वाहन चालक | 5200–20200+1900 | 02 | वाह्य स्रोत से |
| 18. | अर्दली / चपरासी / चौकीदार / स्वच्छक | 5200–20200+1800 | 10 | वाह्य स्रोत से |
| 19. | स्वच्छक | 5200–20200+1800 | 01 | वाह्य स्रोत से |
| | योग | | 45 | |

2. उपरोक्त तालिका के क्रमांक–8 पर उल्लिखित सहायक आयुक्त के पदों में से 01 पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा तथा 01 पद सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–06–राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय आदि) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 601 / (NP)/XXVII–4 / 2010, दिनांक 13 जून, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

आज्ञा से,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 28–7–2012, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी०एस०यू० (आर०ई०) 66 निर्वाचन / 579–1–9–2012–100 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग–1
संख्या– /XII/2013/92(06)/2005,टीसी–1/2013
देहरादूनः दिनांक 10 अक्टूबर,2013

कार्यालय–आदेश

शासनादेश संख्या–685/XII/2012/92(06)/2005, दिनांक 15 जून,2012 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की स्वीकृत ढाँचे का पुनर्गठन किया गया था, के क्रमांक–3 पर उल्लिखित उपायुक्त, वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड वेतन रू0 8900 पे बैण्ड–4 पर सम्यक विचारोपरान्त इस प्रतिबन्ध के साथ संशोधित किया जा रहा है कि, उपायुक्त पद वेतन बैण्ड–3, वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रूपये 7600, सहायक आयुक्त के पद से निर्धारित प्रकियानुसार पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

2– यह आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत लागू रहेगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–879/(NP) XXVII–4/2010, दिनांक 01–10–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या–2337/XII/2013/92(06)/2005,टीसी–1/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, सचिव महामहिम श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड को राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ।
3. महालेखाकार, ओबराय भवन माजरा रोड देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ।
6. प्रमुख सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जे0एल0शर्मा)
अनु सचिव

(9)

संख्या :– 605 /IV(1)/2013–26 (NV)/2012

प्रेषक,

एम0एच0खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 3 अक्टूबर, 2013

विषयः राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन जनपद स्तर पर सृजित पदों को स्थाई किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः–775/9–1–96–25 ई/94 दिनांक 05 फरवरी, 1996 के अनुक्रम में अपने पत्र संख्याः–801/रा.नि.आ.–1/05/2001 दिनांक 27 जून, 2013 के सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 1996 के माध्यम से पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के समय–समय पर होने वाले निर्वाचन कार्य हेतु प्रत्येक जनपद में अस्थाई रूप से निम्नानुसार पदों का सृजन किया गयाः–

| क्रम संख्या | पदनाम | स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या | स्वीकृत वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 1 | 9300–34800+4200 |
| 2. | वरिष्ठ सहायक | 2 | 5200–20200+2800 |
| 3. | कनिष्ठ सहायक | 2 | 5200–20200+2000 |
| 4. | चपरासी/चौकीदार | 2 | 5200–20200+1800 |

2:– उक्त क्रम में तद्समय से आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त पदों की निरन्तरता अवधि समय–समय पर शासन द्वारा बढ़ाई गई है। क्योंकि प्रश्नगत कार्य स्थाई प्रकार का है तथा संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार भविष्य में भी पंचायतों एवं स्थानीय निकायों का चुनाव निरन्तर चलता रहेगा। वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–118/XXVII(7)/2008 दिनांक 31 अगस्त, 2006 में प्रशासकीय विभाग को स्थाईकरण के अधिकार दिये गये हैं।

3:– अतः उपरोक्तानुसार पदों की आवश्यकता के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न तालिका के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन जनपद स्तर पर सृजित प्रति जनपद 07 विभिन्न पदों (अर्थात कुल 91 पदों) को स्थाई घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4:– उक्त के अतिरिक्त सूच्य है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 के अनुसार ₹ 1800/– ग्रेड पे

PERMANENT 201-13 BHATT

पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः ही समाप्त होते जाएंगे अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिये सम्प्रति उपलब्ध रु 1800/– ग्रेड पे का एकमात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर नियमित भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी। समूह 'घ' के कार्य यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाएंगे।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एम0एच0खान)
प्रमुख सचिव।

संख्या :– /IV(1)/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उपसचिव।

PERMANENT 201-13 BHATT

## संलग्नक

शासनादेश संख्याः- 605/IV(1)/2013-26(NV)/2002 दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के अधीन जनपद स्तर पर स्थायी किये गये पदों का विवरणः-

| क्रम संख्या | पदनाम | स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या | स्वीकृत वेतनमान | शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप से सृजित हुआ था | शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्व स्वीकृत किया गया था | अभ्युक्ति यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 13 | 9300-34800+4200 | शासनादेश संख्या-775/9-1-96-25-ई/94 दिनांक 05 फरवरी, 1996 | शासनादेश संख्या 603/IV (1) 2013-26 (नि0वि0) /02 दिनांक 22 मार्च, 2013 | |
| 2. | वरिष्ठ सहायक | 26 | 5200-20200+2800 | | | |
| 3. | कनिष्ठ सहायक | 26 | 5200-20200+2000 | | | |
| 4. | चपरासी/चौकीदार | 26 | 5200-20200+1800 | | | |

नोट- उपरोक्त पद समस्त 13 जनपदों में सृजित/स्वीकृत अस्थाई पदों का है अतः जनपद का विवरण निम्नानुसार हैः-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | - | 01 पद (प्रति जनपद) |
| 2. | वरिष्ठ लिपिक | - | 02 पद (प्रति जनपद) |
| 3. | कनिष्ठ लिपिक | - | 02 पद (प्रति जनपद) |
| 4. | चपरासी/चौकीदार | - | 02 पद (प्रति जनपद) |
| | योग | - | 07 पद (प्रति जनपद) |

(एम0एम0खान)
प्रमुख सचिव,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग-3
संख्या-236/एम. एम./33-3-1995
लखनऊ: दिनांक 14 फरवरी, 1995

संलग्नक-1

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल त्रिस्तरीय पंचायतों के अतिरिक्त कार्य करने के निमित्त जिला पंचायत राज अधिकारी जो पदेन सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं के कार्यालय में प्रति जनपद एक कनिष्ठ लिपिक और एक चपरासी/चौकीदार के पद की स्वीकृति देते हैं और इस निमित्त निम्नलिखित अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित संख्या तथा वेतन क्रम में शारदा सहायक कमाण्ड के सरप्लस स्टाफ के समायोजन द्वारा नियुक्ति की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 1995 तक के लिये सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| क्र0सं0 | पद नाम | वेतनमान | पदों की संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कनिष्ठ लिपिक | 950-20-1150-दो0रो0-25-1500 | 65 | प्रत्येक जनपद में एक कनिष्ठ लिपिक और एक चपरासी/ चौकीदार तैनात किया जायेगा। |
| 2. | चपरासी/चौकीदार | 750-12-870-दो0रो0-14-940 | 65 | |

2- अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि शारदा सहायक समादेश क्षेत्र परियोजना में पर्याप्त सरप्लस स्टाफ है अतएव श्री राज्यपाल आदेश देते हैं कि उपरि सृजित पदों को शारदा सहायक परियोजना के सरप्लस स्टाफ से भरा जाय और इस प्रयोजनार्थ शारदा सहायक समा0 क्षेत्र परियोजना से कनिष्ठ लिपिक के 65 पद तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 65 पदों को पद सहित स्थानान्तरित किया जाता है।

3- उक्त पदों में से क्रमांक 1 पर उल्लिखित पद पर उ0प्र0 पंचायत अधीनस्थ लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1979 की व्यवस्थायें लागू होंगी।

4- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महँगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

2/-

5- उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-राज्य निर्वाचन आयोग" के अन्तर्गत सुसंगत प्रत्येक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-109 दिनांक 13.2.95 में सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

ह0
(देवेन्द्र स्वरूप)
अनु सचिव।

संख्या-230एम.एम.(1)/33-3-1995, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2)7 सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिला अधिकारी, उ0प्र0।
(4) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0, लखनऊ।
(6) समस्त उप निदेशक (पंचायत), उ0प्र0।
(7) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
(8) आयुक्त एवं प्रशासक शारदा सहायक समादेश क्षेत्र परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) सचिव, क्षेत्रीय विकास।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

ह0
(देवेन्द्र स्वरूप)
अनु सचिव।

(14)

संख्या– 3513/33–3–99–14 रा0नि0आ0/99

प्रेषक,

राजकुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2– निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 17 अगस्त, 1999

विषयः– शारदा सहायक कमाण्ड एरिया के सरप्लस 65 लिपिक तथा 65 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–230एम0एम0/33–3–1995, दिनांक 14 फरवरी, 1995 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा प्रदेश के 65 जनपदों हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य के लिए सृजित 65 कनिष्ठ लिपिक तथा 65 चपरासी/चौकीदार के पदों पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग का रहेगा तथा इन पदों पर निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा ।

2– इस सम्बंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 फरवरी, 1995 में, अतिरिक्त प्रस्तर–3 में दी गई व्यवस्था को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझे जायेंगे ।

भवदीय,

ह0
राजकुमार
विशेष सचिव ।

2. **कृत्य और कर्तव्यः–**

### 1. राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड मुख्यालय

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड का मुख्यालय, देहरादून में स्थापित है, जिसका कार्यालय "निर्वाचन भवन" ग्राम लाडपुर, मसूरी बाईपास (रिंग रोड़), देहरादून में स्थित है।

भारत का संविधान 73 वें तथा 74 वें संशोधन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं नागर स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावलियों को तैयार कराने तथा उक्त संस्थाओं के पदाधिकारियों के समस्त निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का संवैधानिक उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत तथा स्थानीय निकाय) में निहित हैं।

निर्वाचक नामावली किसी भी निर्वाचन की आधार शिला होती है, यह नामावली जितनी परिपूर्ण सही तथा दोष रहित होगी उतनी ही निष्पक्ष, स्वतंत्र तथा शान्तिपूर्ण निर्वाचन की अपेक्षा की जा सकती है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद–243–'ट' तथा तद्अनुसरण में लागू किये गये उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम–1947, उत्तर–प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम–1961, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 तथा उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखंड राज्य में यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित) में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग में त्रिस्तरीय पंचायत/नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के तैयार करवाये जाने एवं सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का संवैधानिक दायित्व निर्वहन करते हुए 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर स्थानीय निकायों के समस्त निर्वाचनों का संचालन किया जा रहा है।

### 2. पंचास्थानि चुनावालय, जनपद स्तर

राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के नियत्रणाधीन राज्य के प्रत्येक जनपद में एक पंचास्थानि चुनावालय स्थापित किया गया है। जिसका मुख्य कार्य आयोग से प्राप्त निर्देशों एवं आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्य (विस्तृत एवं संक्षिप्त पुनरीक्षण), निर्वाचन/उप निर्वाचन सम्पन्न कराना हैं। इसके अतिरिक्त पंचास्थानि चुनावालय में कार्यरत् कार्मिकों के स्थापना सम्बन्धी समस्त कार्यो का भी सम्पादन किया जाता है। जनपद स्तर पर कार्य करने के लिए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत तथा स्थानीय निकाय) के निर्देशन में यह कार्य सम्पन्न होता है। जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी नामित किया जाता है। जिला कार्यालय इन अधिकारियों के निर्देशन व नियंत्रण में उक्त कार्य सम्पन्न कराते हैं।

# मैनुअल–2

## अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

**राज्य निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन तंत्रः–** संविधान का अनुच्छेद 243–'ट' के अनुसार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर स्थानीय निकायों के और जिला योजना समिति अधिनियम–2007 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिला योजना समितियों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। अतः इन निर्वाचनों को स्वंतत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से सम्पादित कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यालय एवं जिला स्तर पर पंचास्थानि चुनावालय हेतु विभिन्न पद सृजित किये गये है। सृजित पदों पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्यों का विवरण निम्नवत हैः–

### राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यालय

| क्र.सं. | पदनाम | शक्तियां और कर्तव्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त | त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर स्थानीय निकायों और जिला योजना समितियों के समस्त निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण। |
| 2. | सचिव | पद रिक्त |
| 3. | संयुक्त सचिव | पद रिक्त |
| 4. | उप सचिव (लेखा) | 1. वित्त नियंत्रण का अधिकार तथा लेखा अनुभाग की पत्रावलियों पर मंतव्य।<br>2. राज्य निर्वाचन आयोग हेतु वार्षिक बजट तैयार कराना एवं प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित कराना। |
| 5. | उप सचिव | 1. अधिष्ठान/लेखा/निर्वाचन से संबंधित समस्त पत्रावलियों का परीक्षण कर निस्तारण कराना।<br>2. कार्य निस्तारण हेतु आयोग में अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्गदर्शन/सुझाव देना।<br>3. मा. राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश पर आयोग के महत्वपूर्ण कार्यो को निस्तारित कराना।<br>4. राज्य निर्वाचन आयोग के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार से प्राप्त बजट की धनराशि का आहरण एवं वितरण करना।<br>5.सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के अपीलीय अधिकारी के दायित्व का निर्वहन। |
| 6. | उपायुक्त | 1. अनुभाग–2 पंचायत निर्वाचन एवं अनुभाग–3 नागर निकाय निर्वाचन तथा जिला योजना समितियों के निर्वाचन से संबंधित पत्रावलियों पर मन्तव्य प्रदान कर उच्च स्तर से निस्तारण कराना।<br>2. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुभाग–2 पंचायत निर्वाचन एवं अनुभाग–3 नागर निकाय निर्वाचन तथा जिला योजना समितियों के निर्वाचन से संबंधित न्यायालय प्रकरणों का निस्तारण कराना।<br>3. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन/नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन तथा जिला योजना समितियों के निर्वाचन से सम्बन्धित जिज्ञासाओं एवं शिकायतों का निस्तारण करना तथा व्यवस्था एवं प्रबंधकीय कार्यों पर मन्तव्य प्रकट करना। |
| 7. | अनु सचिव | 1. पद रिक्त |

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड़ के नियंत्रणाधीन जिला स्तर पर पंचास्थानि चुनावालयों से संबंधित कार्यो/दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नानुसार पद सृजित किये गये है:-

## जिला स्तरीय पंचास्थानि चुनावालय

| क्र.सं. | पदनाम | शक्तियां और कर्तव्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | निर्वाचन, अधिष्ठान तथा लेखा संबंधी कार्यो को सम्पन्न कराने तथा पत्रावलियों/सूचनाओं को उच्चाधिकारियों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत/प्रेषित करना, जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी के नियंत्रण में निर्वाचन कार्यों का सम्पादन करना। |
| 2. | वरिष्ठ सहायक | जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय तथा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण में कार्यो का निर्वहन। |
| 3. | कनिष्ठ सहायक | —तदैव— |
| 4. | चतुर्थ श्रेणी/अनुसेवक | अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशानुसार कार्य किया जाना। |

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड द्वारा **त्रिस्तरीय पंचायतों/नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन** में विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु जनपदों में निम्नानुसार अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन कार्य सम्पादन हेतु **पदाभिहीत (डिजिग्नेटेड)** किया गया है:-

1. **जिलाधिकारी**– जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) ।
2. **मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी**–प्रभारी अधिकारी, (पंचास्थानि चुनावालय) ।
3. **मुख्य विकास अधिकारी**– उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)।
4. **अपर जिलाधिकारी**– उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय)।

# मैनुअल–3

## विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं–

भारत का संविधान के 73वे व 74वे संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों व नागर स्थानीय निकायों को न केवल संवैधानिक ईकाई बनाया गया है। बल्कि प्रत्येक 05 वर्ष में इनके निर्वाचन अनिवार्य कर दिये गये हैं। उक्त संशोधन के फलस्वरूप भारत का संविधान के अनुच्छेद–243ट के अधीन पंचायतों व नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। उक्त कार्यो के निर्वहन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रक्रिया, पर्यवेक्षण/उत्तरदायित्व का माध्यम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

**(अ) पंचायत निर्वाचनः–**

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी; **अपर जिलाधिकारी अथवा जिन जनपदों में अपर जिलाधिकारी का पद सृजित नहीं है अथवा पद रिक्त होने की दशा में उन जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी।**
2. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी; **उपं जिलाधिकारी/आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण तहसीलदार को नियुक्त कर सकते हैं।**
3. विकासखण्ड में पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यों हेतु नोडल अधिकारी–**खण्ड विकास अधिकारी।**
4. अपीलीय अधिकारी– **जिलाधिकारी।**
5. राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतो के सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत एवं ग्राम प्रधान के पदों पर निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया है। निर्वाचन से संबंधित विभिन्न कर्तव्यों, दायित्वों के निर्वहन के लिए जिला स्तर, तहसील स्तर तथा विकास खण्ड स्तर के जिन अधिकारियों को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है उनका विवरण निम्नवत् है:–

| क्र. सं. | स्तर | निर्वाचन अधिकारी | सहायक निर्वाचन अधिकारी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | जिला पंचायतों के लिए | जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी। | जिला स्तरीय अधिकारी/डिप्टी कलेक्टर तथा खण्ड विकास अधिकारी या इनके ऊपर के अधिकारी। |
| 2. | क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के लिए | डिप्टी कलेक्टर, जिला बन्दोबस्त अधिकारी, जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी तथा जिला मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उप सम्भागीय अधिकारी अन्य जिला स्तर के अधिकारी। | नायब तहसीलदार, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक खण्ड विकास अधिकारी, अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, मनोरंजन कर निरीक्षक, उद्यान निरीक्षक या इसके स्तर के अन्य अधिकारी। |

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/उप प्रमुख एवं ग्राम पंचायत के उप प्रधान के पद पर निर्वाचन हेतु पदाभिहित किये गये निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी का विवरण निम्नवत् है:–

| क्र. सं. | निर्वाचित किये जाने वाले पदाधिकारी | निर्वाचन अधिकारी | सहायक निर्वाचन अधिकारी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | जिला पंचायत अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष | जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/ जिलाधिकारी | जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, अपर जिलाधिकारी, उप संचालन चकबंदी, मुख्य राजस्व अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला स्तर के राजपत्रित अधिकारी। |
| 2. | क्षेत्र पंचायत, प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख | जिलाधिकारी | जिले के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी को छोड़कर) |
| 3. | ग्राम पंचायत, उप प्रधान | सहायक खण्ड विकास अधिकारी, चकबंदीकर्ता, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा उनके स्तर के जिले में कार्यरत अन्य अधिकारी। | लेखपाल, पटवारी, ग्राम्य विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, संग्रह अमीन तथा उनके स्तर के जिले में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारीगण। |

(ब) **नागर निकाय निर्वाचन:–**

1. **अपर जिलाधिकारी**– जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
2. **उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट**–निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी।
3. **तहसीलदार**।–सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी।
4. **नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण से संबंधित समस्त कार्य हेतु अपर मुख्य नगर अधिकारी/उप नगर अधिकारी, नगर निगम तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत**– नोडल अधिकारी।
5. जिला **मजिस्ट्रेट**–अपीलीय अधिकारी।

**5.**

| क्र. सं. | निकाय/पद | निर्वाचन अधिकारी | सहायक निर्वाचन अधिकारी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | नगर निगम के नगर प्रमुख/उप नगर प्रमुख | जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट | राज्य सरकार का श्रेणी–1 का अधिकारी |
| 2. | नगर निगमों के सभासद | राज्य सरकार का श्रेणी–1 का अधिकारी | राज्य सरकार का श्रेणी–2 का अधिकारी |
| 3. | नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा सदस्य | अपर जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का श्रेणी–1 या श्रेणी–2 का राजपत्रित अधिकारी | राज्य सरकार का श्रेणी–2 का अधिकारी अथवा अधीनस्थ सेवा के अधिकारी। |

| क्र. सं. | स्तर | जोनल मजिस्ट्रेट | सेक्टर मजिस्ट्रेट |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | नगर निगम | अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट | जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी। |
| 2. | नगर पालिका परिषद | जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी। | जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी। |
| 3 | नगर पंचायत | जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी। | जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी। |

संविधान की धारा 243 ट (3) के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यकतानुसार कार्मिक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

# मैनुअल–4

## कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान–

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न कार्य सम्बन्धित अधिनियमों/नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सम्पन्न किये जाते हैं:–

1. निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण (पंचायतों एवं नागर स्थानीय निकायों का)
2. त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन एवं उप निर्वाचन।
3. नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन एवं उप निर्वाचन।
4. जिला योजना समिति के सामान्य निर्वाचन एवं उप निर्वाचन।

उक्त से संबंधित नियमावलियां **मैनुअल–5** में दी गयी हैं।

# उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित)

| ग्राम पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन | | |
|---|---|---|
| ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता | 8. | (1) किसी ग्राम पंचायत का प्रधान, उप–प्रधान, सदस्य नियुक्त होने के लिये कोई व्यक्ति अनर्ह होगा, यदि –<br>(क) वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह घोषित किया गया हो;<br>परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति ने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो वह इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष की आयु से न्यून है,<br>(ख) वह ग्राम पंचायत का वैतनिक सदस्य है।<br>(ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम, के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, सहकारी समिति के सचिव एवं वेतन भोगी कर्मचारी तथा राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी भी सम्मिलित होगें।<br>(घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया है।<br>(ङ) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाये, ग्राम पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा है।<br>(च) किसी नगर निकाय का सदस्य है।<br>(छ) वह अनुत्मोचित दिवालिया है।<br>(ज) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है।<br>(झ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया है।<br>(ञ) उसे ऐसोसियेशन सप्लाइज (टेम्परेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया है।<br>(ट) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया है। |

(ठ) उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया है।

(ड) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है।

(ढ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण मूल अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है।

(ण) उसे इस अधिनियम की धारा 138 के अधीन पद से हटा दिया गया है, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो, या ऐसी न्यूनतम अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत नही हो गई है;

परन्तु यह कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर उपधारा (5) के अधीन अनर्हता नही रह जायेगी;

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट उपधाराओं के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकेगी।

(त) यदि किसी महिला प्रधान, उप प्रधान, एवं सदस्य के स्थान पर उसका पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एवं कार्यों का निर्वहन करे व उस पर दोष सिद्ध हो जाय, तो वह महिला तथा महिला के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता एवं कार्य निवर्हन करने वाला व्यक्ति, दोनों ही आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु अनर्ह होंगे।

(थ) वह किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो:

परन्तु सामान्य श्रेणी महिला तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी के मामले में न्यूनतम मिडिल/आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण न हो:

(द) उसकी दो से अधिक जीवित संतान है।

(ध) उसका किसी सरकारी/पंचायतीराज विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है।

(न) उसने सरकारी धन का गबन किया हो या उसके विरूद्ध सरकारी धन की वसूली चल रही हो या उस पर शासकीय धन का बकाया हो।

(प) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, धारा 8क, धारा 9, धारा 9क एवं धारा 10 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता हो।

**(2) भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता:–** इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निर्वाचन–विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के तारीख से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रधान, अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो ग्राम पंचायत दे सकती हो या उसके

अधिकार में नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकेगी।

(3) **शौचालय न होने पर अनर्हता**– (क) यदि कोई व्यक्ति मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उल्लिखित अपराधों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अनर्ह होगा।

(ख) सम्बंधित पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिवास करने वाले जिन व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नही है, वे पंचायत चुनाव के उम्मदवारी हेतु अनर्ह समझे जायेंगे।

(4) **सदस्यता का न रह जाना**:– (क) यदि किसी सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाय अथवा उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का सम्पूर्ण वार्ड किसी नगर निकाय में सम्मिलित हो गया हो तो ग्राम पंचायत का कोई सदस्य/प्रधान/उप–प्रधान ऐसे पंचायत का सदस्य नहीं रह जायेगा, भले ही सम्बन्धित सदस्य की प्रविष्टि अन्य निर्वाचक नामावली में अंकित हो;

(ख) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) अधीन ग्राम पंचायत का सदस्य नही रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह ग्राम पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, बना नही रहेगा।

(5) **अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय**– यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी है या नहीं तो ऐसे प्रश्न को निर्णयार्थ विहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अन्तिम होगा;

परन्तु यह कि यदि कोई अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है, जो हटाना प्राधिकृत करती है तो ऐसे व्यक्ति का नाम उस ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली से, जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण काट दिया गया हो, तत्काल फिर से रख दिया जाएगा,

(6) **अभिलेख आदि देने में चूक करने की अनर्हता एवं दण्ड**– (क) प्रत्येक कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में कार्यकाल पूर्ण करने पर पंचायत के सभी अभिलेख, धनराशि या अन्य सम्पत्ति को तत्काल अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने में चूक करेगा तो यह कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(ख) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ऐसी धनराशि नियत प्राधिकारी द्वारा एतदर्थ जारी किए गए प्रमाण–पत्र पर भू–राजस्व की बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(ग) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अवसान से पूर्व किसी पद पर रहा हो, उत्तराधिकारी अथवा नियत प्राधिकारी से अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के फलस्वरूप वह किसी आगामी पंचायत निर्वाचन में प्रतिभाग करने के लिए अर्ह नहीं होगा।

(7) **पंचायतों में एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध**– कोई व्यक्ति

| | | |
|---|---|---|
| | | न तो ग्राम पंचायत में एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन में उम्मीदवार हो सकेगा, और न ही ग्राम पंचायत में एक से अधिक पद धारण कर सकेगा।<br>**(8) एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रेत्तर रोक**– (1) कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या सदस्य का पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह–<br>(क) संसद का या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है, या<br>(ख) किसी क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य है, या<br>(ग) किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या<br>(घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रबन्ध कमेटी का सदस्य है, या<br>(ड.) किसी शहरी स्थानीय निकाय का नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख या<br>सभासद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या<br>(च) किसी छावनी परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है।<br>(2) कोई व्यक्ति, यदि बाद में उप धारा (1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित होता है, तो वह ऐसी अनुवर्ती निर्वाचन के दिनांक से यथास्थिति ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या सदस्य के पद पर नहीं रह जायेगा और तदुपरान्त यथास्थिति, ऐसे प्रधान, उप प्रधान या सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति मानी जायेगी। |
| **प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली** | 9. | "(1)" ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमो के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाएगी।<br>(क) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार जनपद में निर्वाचक नामावलियों के तैयार किए जाने पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण और उनसे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।<br>(ख) निर्वाचन नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जायेगी, जैसे नियत की जाय।<br>(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रीति से निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होगी।<br>(3) उपधारा (4),(5),(6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 (अट्ठारह) वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में साधारणतया (मामूली तौर से) |

| | | |
|---|---|---|
| | | निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा;<br><br>स्पष्टीकरण–<br><br>(i) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण से कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास–गृह पर स्वामित्व या कब्जा है यह नहीं समझ लिया जाएगा कि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है।<br><br>(ii) अपने साधारणतया (मामूली तौर से) निवास स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह नही समझा जाएगा कि वह वहाँ का साधारणतया (मामूली तौर से) निवासी नहीं रहा।<br><br>(iii) संसद या राज्य के विधान मण्डल के सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का साधारणतया (मामूली तौर से) निवासी होने से परिविरत नही समझा जाएगा।<br><br>(iv) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का साधारणतया (मामूली तौर से) निवासी समझा जाये या न समझा जाये, किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें नियत किया जाये, विचार किया जायेगा।<br><br>(v) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति, साधारणतया (मामूली तौर से) कहाँ का निवासी है, तो ऐसे प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जाएगा।<br><br>(4) कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अनर्ह होगा, यदि वह–<br><br>(क) भारत का नागरिक नहीं है, या<br><br>(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, अथवा<br><br>(ग) निर्वाचन संबंधी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिये तत्समय अनर्ह है।<br><br>(5) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (4) के अधीन अनर्ह हो जाए, उसका नाम उस ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली से तत्काल हटा दिया जाएगा जिसमें वह अंकित है:<br><br>परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो, उस नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जायेगा यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है।<br><br>(6) कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही |

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा।

(7) कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार तब तक नहीं होगा यदि उसका नाम किसी नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत या छावनी परिषद से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो और जब तक कि वह यह प्रदर्शित नहीं करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से हटा दिया गया है।

(8) जहाँ राज्य निर्वाचन आयोग को दिये गये किसी आवेदन–पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या परिवर्द्धित या निष्कासित की जानी चाहिए अथवा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ा जायेगा जो रजिस्ट्रीकरण का हकदार हो, वहाँ वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन, किसी का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा:

परन्तु यह कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने से पूर्व, नही किया जाएगा;

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(9) राज्य निर्वाचन आयोग, यदि सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकेगा,

परन्तु यह की अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जैसी कि वह कोई ऐसा निर्देश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक कि उस प्रकार निर्देशित विशेष पुनरीक्षण पूर्ण न हो जाए।

(10) जहाँ तक कि इस अधिनियम या नियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, वहां राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा निर्वाचक नामावली से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात–

(क) इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली के प्रवृत्त होने की तारीख और उसके प्रवर्तन की अवधि:

(ख) निर्वाचक नामावली में सम्बद्ध निर्वाचक के आवेदन–पत्र पर किसी वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि:

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों की शुद्धि:

(घ) निर्वाचक नामावली में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना–

(i) जिसका नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो किन्तु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो, या जिसका नाम किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में त्रुटि से सम्मिलित किया गया हो, या

(ii) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो:–

(ङ) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा और उनका परिरक्षण:

(च) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन–पत्र पर देय फीस:

(छ) निर्वाचक नामावलियों तैयार और प्रकाशित करने से सम्बन्धित सामान्यतया सभी विषय:

(11) उपर्युक्त उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी राज्य निर्वाचन आयोग, किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजनों हेतु, तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकेगा, जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र से हो:

परन्तु यह कि ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए नाम–निर्देशन के अन्तिम तारीख के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नही किया जायेगा।

(12) किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता नहीं होगी–

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार है या नहीं: या

(ख) निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन की गई किसी कार्रवाही या इस निमित्त नियुक्त किये गये किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय की वैधता पर आपत्ति करना।

(13) मत देने इत्यादि का अधिकार–इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, उस ग्राम पंचायत में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन, नाम–निर्देशन या नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र होगा;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो किसी ग्राम पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा।

| | | |
|---|---|---|
| ग्राम पंचायत का प्रधान और उप प्रधान | 10. | ग्राम पंचायत का एक प्रधान और एक उप प्रधान होगा जो क्रमशः उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन आदि ऐसे होंगे जैसे विहित किया जाये। |
| प्रधान का निर्वाचन | 10–ख | (1) ग्राम पंचायत का प्रधान, किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा, अपने में से, निर्वाचित किया जायेगा।<br>(2) यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में, प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से कम सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं तो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, या तो–<br>(i) प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या<br>(ii) प्रशासक नियुक्त कर सकता है।<br>(3) प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छः मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि वह राज्य सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा।<br>(4) उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति पर, ऐसी नियुक्ति के पूर्व ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य के रूप में चुने गये व्यक्ति, यदि कोई हो, ऐसे प्रधान या यथास्थिति सदस्य नहीं रह जायेंगे और ग्राम पंचायत, इसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किये जायेगा।<br>(5) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रशासनिक समिति या प्रशासक सम्यक् रूप में संघटित ग्राम पंचायत समझी जायेगी :<br>परन्तु यह कि उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् यदि किसी समय राज्य सरकार का वह समाधान हो जाय कि ग्राम पंचायत के सम्यक् रूप से संघटित किये जाने में कोई कठिनाई नहीं है, राज्य सरकार, इस बात के होते हुए भी कि, जिस अवधि के लिए प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त किया गया था समाप्त नहीं हुई है, राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायत संघटित करने के लिये निर्वाचन कराने का निर्देश दे सकती है।<br>(6) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रधान की पदावधि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी। |
| उप प्रधान का निर्वाचन और उसका कार्यकाल | 10–ग | (1) उप प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से ऐसी रीति में निर्वाचित किया जाएगा जो नियत की जाय :<br>परन्तु यह कि यदि ग्राम पंचायत तदर्थ नियमों द्वारा या उसके अधीन नियत समय के भीतर उप प्रधान को इस प्रकार निर्वाचित करने में चूक करे तो नियत अधिकारी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को उप प्रधान के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ समझा जाएगा।<br>(2) उप प्रधान का कार्यकाल, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नामनिर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा, और जब तक कि उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाए, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।<br>(3) उप प्रधान को हटाने के सम्बन्ध में धारा 18 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों |

| | | |
|---|---|---|
| | | सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे प्रधान को हटाने के सम्बध में लागू होते है। |
| **निर्वाचन की पद्धति** | 13. | किसी ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान तथा सदस्य के पद के लिए निर्वाचन मतपत्र अथवा ई.वी.एम. द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से होगा:<br>परन्तु यह कि पंचायतों को इस धारा में उल्लिखित पद धारियों का निर्विरोध निर्वाचन करने से निवारित नहीं किया जाएगा। |
| **ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि** | 14. | (1) ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य के निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य स्तर पर गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।<br>(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधान, उप प्रधान तथा सदस्य के पद हेतु संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगें।<br>(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान तथा सदस्य के सामान्य निर्वाचन या उप–निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत कर सकेगी। |
| **क्षेत्र पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन** | | |
| **क्षेत्र पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता** | 53. | (1) कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए अनर्ह होगा, यदि –<br>**(क)** वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो;<br>परन्तु यह कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।<br>**(ख)** वह ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का वैतनिक सेवक हो;<br>**(ग)** वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम, के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, सहकारी समिति के सचिव एवं वेतन भोगी कर्मचारी तथा राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी भी सम्मिलित है;<br>**(घ)** वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो;<br>**(ङ.)** उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाये, क्षेत्र पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह क्षेत्र पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो;<br>**(च)** किसी नगर निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो,<br>**(छ)** वह अनुत्मोचित दिवालिया हो; |

(ज) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(झ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो।

(ञ) उसे ऐसोसियेशन सप्लाइज (टेम्परेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो।

(ट) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो।

(ठ) उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

(ड) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

(ढ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण मूल अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

(ण) उसे धारा 138 के अधीन पद से हटा दिया गया हो, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो, या ऐसी न्यूनतर अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत न हो गई हो;

परन्तु यह कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर खण्ड (ड.) के अधीन अनर्हता न रह जायेगी;

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट किन्हीं भी खण्डों के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकेगी।

(त) यदि किसी क्षेत्र पंचायत की महिला सदस्य/प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख के स्थान पर उसका पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार क्षेत्र पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एवं कार्यों का निर्वहन करे व उस पर दोष सिद्ध हो जाय, तो वह महिला तथा महिला के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता एवं कार्य निवर्हन करने वाला व्यक्ति, दोनों ही अगले त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु अनर्ह होंगे।

(थ) वह किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो:

परन्तु यह कि सामान्य श्रेणी महिला तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी के मामले में न्यूनतम मिडिल/ आठवीं कक्षा उत्तीर्ण न हो:

(द) उसकी दो से अधिक जीवित संतान है।

(ध) उसका किसी सरकारी/पंचायतीराज विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है।

(न) उसने सरकारी धन का गबन किया गया हो या सरकारी धन की वसूली चल रही हो या शासकीय धन का बकाया हो।

(प) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, धारा 8क, धारा 9, धारा 9क एवं

धारा 10 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता हो।

**(2) भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता**:– इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन–विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के तारीख से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में क्षेत्र पंचायत प्रमुख अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो क्षेत्र पंचायत दे सकती हो या उसके अधिकार में नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकेगा।

**(3) शौचालय न होने पर अनर्हता– (क)**यदि कोई व्यक्ति मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उल्लिखित अपराधों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अनर्ह होगा।

**(ख)** सम्बंधित पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिवास करने वाले जिन व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नही है वे पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हेतु अनर्ह समझे जायेंगे।

**(4) सदस्यता का न रह जाना**:– **(एक)** क्षेत्र पंचायत का कोई सदस्य उस पंचायत का सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाय अथवा उसका सम्पूर्ण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र किसी नगर निकाय में सम्मिलित हो गया हो, भले ही सम्बन्धित सदस्य की प्रविष्टि अन्य निर्वाचक नामावली में अंकित हो;

**(दो)** यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन क्षेत्र पंचायत का सदस्य न रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह क्षेत्र पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, नही रहेगा।

**(5) अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय–** यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो उस प्रश्न को निर्णयार्थ विहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अन्तिम होगा;

परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण उस क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली से हटा दिया गया हो तो उस निर्वाचक नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जाएगा। यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है, जो हटाना प्राधिकृत करती है।

**(6) पंचायतों में एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध**– कोई व्यक्ति एक साथ क्षेत्र पंचायत के एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं हो सकेगा, और न ही क्षेत्र पंचायत में एक साथ दो पद धारण कर सकेगा।

**(7) एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रेत्तर रोक**– (1) कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य का पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह–

| | | |
|---|---|---|
| | | (क) संसद का या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है, या<br>(ख) किसी ग्राम पंचायत का प्रधान, उप प्रधान या सदस्य, है, या<br>(ग) किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या<br>(घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या<br>(ड.) किसी शहरी स्थानीय निकाय का नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख या सभासद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या<br>(च) किसी छावनी परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रबन्ध कमेटी का सदस्य है।<br>(2) कोई व्यक्ति, यदि बाद में उप धारा (1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित होता है, तो वह ऐसी अनुवर्ती निर्वाचन के दिनांक से यथास्थिति क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य के पद पर नहीं रह जायेगा और तदुपरान्त यथास्थिति, ऐसे प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति मानी जायेगी। |
| **प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली** | **54.** | (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी।<br>(2) क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अधीन तैयार की गयी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी जितने क्षेत्र पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है और किसी क्षेत्र पंचायत के ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली को पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा:<br>परन्तु यह कि क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अंतिम दिनांक के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा।<br>(3) अधिनियम की विभिन्न धाराओं द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो उस क्षेत्र पंचायत में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा:<br>परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा। |
| **क्षेत्र पंचायत का प्रमुख , ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख एवं** | **55.** | (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही एक प्रमुख और एक ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुनेंगे।<br>(2) क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के किसी पद के रिक्त होते हुए भी प्रमुख और उप प्रमुख के पद के लिए चुनाव किया जा सकेगा;<br>परन्तु यह कि प्रमुख, उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत का चुनाव क्षेत्र पंचायत के |

| | | |
|---|---|---|
| सदस्य का निर्वाचन | | निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही इस अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप निर्वाचन की विहित रीति से किया जायेगा;<br>परन्तु यह और कि प्रमुख व उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए भी उपधारा (2) के उपबन्ध समान रूप से प्रभावी होंगे। |
| निर्वाचन की पद्धति | 58. | क्षेत्र पंचायत के किसी सदस्य के पद के लिए निर्वाचन मतपत्र अथवा ई.वी.एम. द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से होगा।<br>परन्तु यह कि पंचायतें इस धारा में उल्लिखित पदधारियों का निर्विरोध निर्वाचन करने से निवारित नही किया जायेगा। |
| क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि | 59. | (1) क्षेत्र पंचायत के क्रमशः प्रमुख, उप प्रमुख तथा सदस्य के निर्वाचन संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।<br>(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त, प्रमुख, उप प्रमुख तथा सदस्य के पद पर संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।<br>(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र पंचायत के क्रमशः प्रमुख, उप प्रमुख तथा सदस्य के सामान्य निर्वाचन या उप–निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत करेगी।<br>(4) उक्त प्रयोजन हेतु राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जायेगा। |
| | | **जिला पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन** |
| जिला पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता | 90. | (1) कोई व्यक्ति किसी जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के लिए अनर्ह होगा, यदि–<br>(क) वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो;<br>परन्तु यह कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।<br>(ख) वह ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का वैतनिक सेवक हो;<br>(ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम, के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, सहकारी समिति के सचिव एवं वेतन भोगी कर्मचारी तथा राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी भी सम्मिलित है;<br>(घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो;<br>(ङ) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाये जिला पंचायत का कोई |

कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह जिला पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो;

(च) किसी नगर निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो,

(छ) वह अनुत्मोचित दिवालिया हो;

(ज) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(झ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो;

(ञ) उसे ऐसोसियेशन सप्लाइज (टेम्परेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो;

(ट) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो;

(ठ) उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(ड) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

(ढ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण मूल अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

(ण) उसे पद से हटा दिया गया हो, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो, या ऐसी न्यूनतम अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत न हो गई हो;

परन्तु यह कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर खण्ड (ड.) के अधीन अनर्हता न रह जायेगी;

परन्तु यह और कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं भी खण्डों के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकेगी।

(त) यदि किसी जिला पंचायत की महिला अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के स्थान पर उसका पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार जिला पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एवं कार्यों का निर्वहन करे व उस पर दोष सिद्ध हो जाय, तो वह महिला तथा महिला के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता एवं कार्य निवर्हन करने वाला व्यक्ति, दोनों ही अगले जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु अनर्ह होंगे।

(थ) वह किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो:

परन्तु यह कि सामान्य श्रेणी की महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति प्रत्याशी के मामले में न्यूनतम मिडिल/आठवीं उत्तीर्ण न हो;

(द) उसकी दो से अधिक जीवित संतान है।

(ध) उसका किसी सरकारी/पंचायतीराज विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है।

(न) उसने सरकारी धन का गबन किया हो या उसके विरूद्ध सरकारी धन की वसूली चल रही हो या उस पर शासकीय धन का बकाया हो।

(प) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, धारा 8क, धारा 9, धारा 9क एवं धारा 10 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता हो।

**(2) भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता:–** इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन–विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के तारीख से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो जिला पंचायत दे सकती हो या उसके अधिकार में नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकेगी।

**(3) शौचालय न होने पर अनर्हता–** (क)यदि कोई व्यक्ति मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उल्लिखित अपराधों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अनर्ह होगा।

(ख) सम्बंधित पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिवास करने वाले जिन व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नही है वे पंचायत चुनाव के उम्मदवारी हेतु अनर्ह समझे जायेंगे।

**(4) सदस्यता का न रह जाना:–**

(क) जिला पंचायत का कोई सदस्य उस पंचायत का सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाय अथवा सम्पूर्ण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र नगर निकाय में सम्मिलित हो गया हो, भले ही सम्बन्धित सदस्य की प्रविष्टि अन्य निर्वाचक नामावली में अंकित हो;

(ख) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) के अधीन जिला पंचायत का सदस्य न रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह जिला पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, बना नही रहेगा।

**(5) अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय–** यदि यह प्रश्न उठे कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो उस प्रश्न को निर्णयार्थ विहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अन्तिम होगा;

परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण उस जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो, उस निर्वाचक नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जाएगा, यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है, जो हटाना प्राधिकृत करती है।

**(6) पंचायतों में एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध–** कोई व्यक्ति

| | | |
|---|---|---|
| | | एक साथ जिला पंचायत के एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं हो सकेगा, और न ही जिला पंचायत में एक साथ दो पद धारण कर सकेगा।<br>**(7) एक साथ दो पद धारण करने पर अयेत्तर रोक–** (1) कोई व्यक्ति जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह–<br>(क) संसद का या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है, या<br>(ख) किसी ग्राम पंचायत का प्रधान, उप प्रधान या सदस्य है, या<br>(ग) किसी क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य है, या<br>(घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रबन्ध कमेटी का सदस्य है, या<br>(ड.) किसी शहरी स्थानीय निकाय का नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख या सभासद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या<br>(च) किसी छावनी परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है।<br>(2) कोई व्यक्ति, यदि बाद में उप धारा (1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित होता है, तो वह ऐसी अनुवर्ती निर्वाचन के दिनांक से यथास्थिति जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद पर नहीं रह जायेगा और तदुपरान्त यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति मानी जायेगी। |
| **प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जिला पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली** | 91. | (1) प्रत्येक जिला पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी।<br>(2) जिला पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली, क्षेत्र पंचायत या क्षेत्रों पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी जितने जिला पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है और किसी जिला पंचायत के ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा:<br>परन्तु यह कि जिला पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अंतिम दिनांक के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा।<br>(3) अधिनियम की विभिन्न धाराओं द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी (जिला पंचायत के किसी) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, (उस जिला पंचायत) में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा:<br>परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो किसी जिला पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा। |

| | | |
|---|---|---|
| जिला पंचायत का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सदस्य का निर्वाचन | 92. | (1) प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा।<br>(2) जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के किसी पद के रिक्ति के होते हुए भी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव किया जा सकेगा। |
| निर्वाचन की पद्धति | 95. | जिला पंचायत के किसी सदस्य के पद के लिए निर्वाचन मतपत्र अथवा ई.वी.एम. द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से होगा:<br>परन्तु यह कि पंचायत को इस धारा में उल्लिखित पद धारियों का निर्विरोध निर्वाचन करने से निवारित नही किया जायेगा। |
| जिला पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि | 96. | (1) जिला पंचायत के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के निर्वाचन संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।<br>(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के पद पर संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।<br>(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी जिला पंचायत के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के सामान्य निर्वाचन या उप–निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत करेगी।<br>(4) उक्त प्रयोजन हेतु राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जायेगा। |
| निर्वाचन कराने से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध | 131. | (1) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट जिले मे पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।<br>(2)जिले में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार के सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्थान का प्रबन्धाधिकरण जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, उसे अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में या सहायक निर्वाचन, निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करायेगा जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो।<br>(3) इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से और उपर्युक्त संस्थाओं से, प्रबन्धाधिकरण से उपधारा (2) में अभिर्दिष्ट किसी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकता है जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो और वे ऐसे प्रत्येक अधियाचना का पालन करेंगे।<br>(4)यदि उपधारा (2) या उपधारा (3) के अभिदिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था का कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाय तो वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।<br>**(क)** (1) यदि कोई व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू होती हो, पदीय कर्तव्य भंग |

करने में युक्ति युक्त कारण बिना किसी कार्य का दोषी हो तो उसे अर्थ दण्ड किया जा सकेगा जो 250 रू० (रूपये दो सौ पचास) तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(3) उपर्युक्त किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत न की जा सकेगी।

(4) जिन व्यक्तियों पर यह धारा लागू होती है वे निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जो नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने या किसी निर्वाचन में मतों को अभिलिखित या उनकी गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त की जाए और इस धारा के प्रयोजनार्थ पद 'पदीय कर्तव्य' का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा, किन्तु इसके अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किये गये कर्तव्यारोपण से अन्यथा आरोपित कर्तव्य नहीं है।

**(ख)** (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट या राज्य निर्वाचन आयोग को यह प्रतीत हो कि जिले के या राज्य के भीतर इस अधिनियम के अधीन होने वाले किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में :–

(एक) इस प्रयोजन के लिए कि उसका मतदान स्थल के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतदान पेटियों के रखने के लिए उपयोग किया जाये, किसी परिसर की आवश्यकता है या होना संभाव्य है, अथवा

(दो) किसी मतदान स्थल से या मतदान स्थल को निर्वाचन सामग्री के परिवहन के प्रयोजन के लिए या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी यान, जलयान या जीव जन्तु की आवश्यकता है या होनी संभाव्य है तो वह ऐसे परिसर या यथास्थिति ऐसे वाहन को अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जैसे कि अधिग्रहण के सम्बन्ध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु यह कि ऐसा कोई वाहन जिसे उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए विधि पूर्ण उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिग्रहित न किया जायेगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाये।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को सम्बोधित लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा जिसके बाबत जिला मजिस्ट्रेट तथा राज्य निर्वाचन आयोग यह समझता है कि वह उस सम्पत्ति का भी स्वामी है यह उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश की उस पर तामील जिसे वह सम्बोधित है, विहित रीति से की जायेगी।

(3) जब कभी कोई सम्पत्ति उपधारा (ख) के अधीन अधिग्रहीत की जाये तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि से आगे विस्तृत न होगी जिसके लिए

ऐसी सम्पत्ति उक्त उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है।

(4) इस धारा में –

(क) परिसर से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग जिसमें झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है।

(ख) वाहन से अभिप्राय किसी ऐसे वाहन से अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से चालित हो या नही।

(ग) जहाँ धारा 130(ख) के अनुसरण में जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग किसी परिसर का अधिग्रहण करे, तब हितबद्ध व्यक्ति को प्रतिकर दिया जायेगा जिसकी धनराशि का निर्धारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा, अर्थात –

(एक) परिसर के लिये देय किराया या यदि कोई ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिये देय किराया;

(दो) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के फलस्वरूप अपने कारोबार या निवास के स्थान को बदलने के लिये विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुसंगिक युक्तियुक्त व्यय, यदि कोई हो;

परन्तु यह कि जहाँ कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे निर्धारित प्रतिकर की धनराशि से व्यथित होते हुये जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाय, वहाँ देय प्रतिकर की धनराशि ऐसी होगी जैसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करें;

परन्तु यह और कि इसके अतिरिक्त जहाँ प्रतिकर पाने के हक विषयक में प्रतिकर की धनराशि के बटवारे से सम्बन्धित कोई विवाद है, वहाँ निर्धारण के लिये इस निमित नियुक्त मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

(तीन) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग कोई वाहन धारा 130(ख) के अनुसरण में अधिग्रहित करें तब उसके स्वामी को प्रतिकर दिया जायेगा जिसकी धनराशि का अवधारण इस धारा में व्यवस्थित रीति से व नियुक्त मध्यस्थ के द्वारा जैसी भी स्थिति हो अवधारित किया जायेगा;

परन्तु यह कि "हितबद्ध व्यक्ति" से उस व्यक्ति से है, जो धारा 130(ख) के अधीन अधिग्रहित परिसर या वाहन पर अधिग्रहण के अव्यवहित पूर्व कब्जा रखता था अन्यथा परिसर या वाहन का स्वामी या अवक्रय करार के आधार पर कब्जाधारी अभिप्रेरित है।

(घ) जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग किसी सम्पत्ति को धारा 130 (ख) के अधीन अधिग्रहित करने की या धारा 130 (ग) के अधीन देय प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति के आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सम्पत्ति अपने कब्जे की ऐसी जानकारी जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे प्राधिकारी को देय जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाय।

(ङ) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी परिसर या वाहन के

| | | |
|---|---|---|
| | | सम्बन्ध में धारा 130(घ) के अधीन आदेश किया जाय और किया जाये तो किस रीति से किया जाए या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे वाहन का निरीक्षण कर सकेगा।<br><br>**(च)** जो कोई व्यक्ति किसी अधिगृहित परिसर या वाहन पर धारा 130(घ) के अधीन किये गये किसी आदेश को उल्लंघन कर परिसर या वाहन का कब्जा किए रहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी उस परिसर या वाहन में से संक्षेपतः बेदखल कर सकेगा। ऐसा सशक्त कोई अधिकारी ऐसी किसी स्त्री को, जो लोक समक्ष नही आती, युक्तियुक्त चेतावनी और हट जाने के लिए सुविधा देकर किसी भवन के किसी ताले या चटखनी को हटा या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा।<br><br>**(छ)** (1) जबकि धारा 130(घ) के अधीन अधिगृहित कोई परिसर या वाहन अधिग्रहण से नियुक्त किए जाने हो, उनका कब्जा उस व्यक्ति को जिससे उनके अधिग्रहित किए जाने के समय कब्जा लिया गया था, या कोई ऐसा व्यक्ति नही था, उस व्यक्ति को, जिसके विषय में जिला मजिस्ट्रेट या यह समझता है, कि वह वह ऐसे परिसर का स्वामी है परिदत्त किया जाएगा, और कब्जे का ऐसा परिदान जिला मजिस्ट्रेट को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे परिदान के विषय में हैं, पूर्णतः उन्मोचित कर देगा, किन्तु उससे परिसर या वाहन के बावत ऐसे किन्ही अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के विरूद्ध, जिसे परिसर या वाहन पर कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है, विधि की सम्यक, प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिए हकदार हो।<br><br>(2) जहाँ कि वह व्यक्ति, जिसे 130(घ) के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर या वाहन का कब्जा उपधारा (3) के अधीन दिया जाना है, पाया नही जा सकता या जिसका सरलता से अभिनिश्चय नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदान प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट यह घोषणा करने वाली सूचना, कि ऐसे परिसर या वाहन अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिए गए हैं ऐसे परिसर या वाहन के किसी सहज दृश्य भाग में लगवायेगा और सूचना को शासकीय राजपत्र प्रकाशित करवायेगा।<br><br>(3) जबकि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गयी हो तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर या वाहन ऐसे अधिग्रहण के अध्यधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख को और न रहने की स्थिति में उनके विषय में यह समझा जायेगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर दिये गये हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है, और जिला मजिस्ट्रेट उस तारीख के पश्चात् किसी कालावधि के लिए ऐसे परिसर या वाहन के सम्बन्ध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए दायित्वाधीन न होगा।<br><br>**(ज)** (1) अध्यक्ष के रूप में अथवा पंचायत के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी ऐसे आवेदन पत्र द्वारा जो ऐसे प्राधिकारी को ऐसे |

समय के भीतर और ऐसी रीति से जो नियत की जाए, इन आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की जाए;

परन्तु यह कि निर्वाचन इस कारण स्वतंत्र निर्वाचन नहीं इसमें रिश्वत अथवा अनुसूचित प्रभाव डालने का भ्रष्ट आचरण व्यापक रूप से व्याप्त था, अथवा

(दो) निर्वाचन के परिणाम पर –

(एक) किसी नाम निर्देशन पत्र की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा

(दो)इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन करने में घोर उपेक्षा किए जाने का सारवान प्रभाव पड़ा है।

(2)इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित रिश्वत या अनुचित प्रभाव डालने के भ्रष्ट आचरण समझे जायेंगे।

(एक) रिश्वत, अर्थात –

(क) किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन में खड़े न होने के लिए प्रेरित करने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरित करने के उददेश्य से या किसी व्यक्ति को इस बात के लिए कि –

(एक) किसी निर्वाचन को इस बात के लिए कि उसने मतदान किया या वह मतदान करने से विरत रहा।

(दो) किसी निर्वाचक को मत देने या मत न देने के लिए अथवा अपने पक्ष में मत देने के लिए पुरस्कार स्वरूप दिया जाए।

(क) पुरस्कार स्वरूप उम्मीदवार द्वारा या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, कोई उपहार या पारितोषण अर्पण का प्रस्ताव करना या वचन देना।

(ख) अनुचित प्रभाव अर्थात निर्वाचन सम्बन्धी किसी अधिकार के निर्बाध प्रयोग में उम्मीदवार की ओर से या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का किया गया प्रयत्न;

परन्तु यह कि इस खण्ड के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति जो उसमें निर्दिष्ट हो और जो –

(1) किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या किसी व्यक्ति को, जिससे उमीदवार या निर्वाचक हितबद्ध हो, किसी प्रकार भी क्षति पहुंचाने की धमकी, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और जाति अथवा समुदाय से बहिष्कार या निष्कासन भी है, देता है, या

(2) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है, या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी प्रकोप या आध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र हो जायेगा या बना दिया जायेगा, उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचक के

निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार के निर्बाध प्रयोग में इस खण्ड के अर्थ में हस्तक्षेप कर रहा है।

(3) उपधारा (ख) के अधीन कोई आवेदन पत्र किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें ऐसे ब्यौरे होंगे जो विहित किये जायें;

परन्तु यह कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जो, चाहे ऐसा नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो, निर्वाचन में उम्मीदवार समझा जायेगा।

(4)उस प्राधिकारी को जिसे उपधारा 1 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय –

(एक)आवेदन पत्र की सुनवाई करने और ऐसी सुनवाई में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के विषय में;

(दो) निर्वाचन को रद्द करने या निर्वाचक को अमान्य घोषित करने या आवेदन को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करने या किसी अन्य राहत जो राहत आवेदक को प्रदान की जाए, के विषय में ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियत किये जाये।

(5) उपधारा (1)(ख) के अधीन नियत की जाने वाली शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र की सुनवाई करने और उसे निस्तारित करने के लिए नियमों में व्यवस्था की जा सकती है।

(6) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई पक्ष आदेश के तारीख से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर जिला न्यायाधीश को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है, अर्थात –

(क) विहित प्राधिकारी इस प्रकार निहित अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है।

(ख) विहित प्राधिकारी ने अपनी आधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है।

(ग) विहित प्राधिकारी ने अपनी आधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से कार्य किया है।

(7) जिला न्यायाधीश आवेदन पत्र का निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश या अपर सिविल न्याायाधीश को निस्तारण के लिए सौंप सकता है और किसी ऐसे अधिकारी से वापस मंगा सकता है या किसे ऐसे अन्य अधिकारी को अन्तरित कर सकता है।

(8) उपधारा (6)(क) में उल्लिखित पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी नियत की जाय, और वह विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि, उसमें संशोधन या उसे विखण्डित कर सकता है या मामले को पुनः सुनवाई के लिए विहित प्राधिकारी को प्रति प्रेषित कर सकता है और उस पर विनिश्चय होने तक ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जैसा उसे न्याय संगत और सुविधाजनक

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रतीत होगा।<br>(9) इस धारा के अधीन दिया गया पुनरीक्षण प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय और, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए विहित प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा।<br>**(ट)** (1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के धारा 10 क, 11 क एवं भाग–7 के अध्याय–1 की धारा 123 एवं अध्याय 3 की धारा 125, 125क 126, 127, 127 क, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 134क, 135, 135 क, 135 ग और 136, के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों :–<br>(क) किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में आया हुआ निर्देश इस अधिनियम के अधीन किए गए निवार्चन का निर्देश हो;<br>(ख) शब्द "निर्वाचन क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्य का निर्वाचन" रख दिए गए हों।<br>(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 (क) की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में शब्द "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" के स्थान पर शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिए गए हों।<br>(घ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 एवं 136 में शब्द "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द "उत्तरखंण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2016 के द्वारा या अधीन" रख दिए गए हों।<br>(2) शब्द "निर्वाचन क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख तथा जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन" रख दिए गए हों।<br>(3) इस अधिनियम के अधीन कराये जाने वाले निर्वाचनों के सम्बन्ध में जहां कहीं इस अधिनियम एवं नियमावली में निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नही रखी गयी है वहां–वहां राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं को यथा आवश्यकतानुसार प्रयुक्त किया जा सकेगा।<br>**(ठ)** (1) प्रत्येक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में निर्दिष्ट किसी पद पर चुना गया हो। पद पर आसीन होने से पूर्व ऐसे प्राधिकारी के समक्ष जिसे नियत किया जाय नियत प्रपत्र में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।<br>(2) किसी ऐसे सदस्य के सम्बन्ध में जो पूर्वोक्त शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और हस्ताक्षर करने से इनकार करें, यह समझा जायेगा कि उसने पद को तत्क्षण रिक्त कर दिया है। |

(५८)

# उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994[1]

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 25 सन् 1947) की धारा 9 की उपधारा (2) और धारा 110 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश गांव सभा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आज्ञा, 1978 का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हो :

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषायें**–जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों, इस नियमावली में,–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 से है,

(ख) "सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस रूप में एक या अधिक पंचायत क्षेत्र के लिये नियुक्त व्यक्ति से है,

(ग) "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य नियम 3 के अधीन इस रूप में पदाभिहीत या नाम निर्दिष्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से है,

(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र से है;

(ङ) "नामावली" का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली से है

**3. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**–(1) प्रत्येक जिले में हर एक नामावली, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जायेगी जो राज्य सरकार का वह अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहीत (drsignate) या नाम निर्दिष्ट करें।

**4. नामावली का प्रारूप और भाषा**–नामावली देवनागरी लिपि में हिन्दी में तैयार की जायेगी।

**5. नामावलियों का तैयार किया जाना**–(1) प्रथम नामावली इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली तैयार करने के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकता है जहां तक इसका सम्बन्ध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है।

(3) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपनी मुहर लगायेगा।

**6. निवास गृहों के अध्यासियों द्वारा सूचना देगा**–सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली तैयार या पुनरीक्षित करने के लिये किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के किसी निवास गृह के किसी अध्यासी से आवश्यक सूचना मांग सकेगा और इस पर प्रत्येक ऐसा अध्यासी अपनी क्षमता की सीमा के अनुसार सूचना देगा।

**7. कतिपय रजिस्ट्ररों तक पहुंच**–नामावली तैयार या पुनरीक्षित करने के लिये या नामावली के संबंध में किसी दावे या आपत्ति का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिये सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस निमित्त नियोजित किसी व्यक्ति की पहुँच किसी जन्म और मृत्यु के रजिस्टर तक और किसी शिक्षण संस्था के प्रवेश रजिस्टर तक होगी और ऐसे रजिस्टर के प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उक्त अधिकारी या व्यक्ति को ऐसी सूचना और उक्त रजिस्टर से ऐस उद्धरण दे जिसकी वह अपेक्षा करें

**8. नामावली के आलेख्य का प्रकाश**–(1) जैसे ही किसी ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की नामावली तैयार हो जाय उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजा जायेगा जो उनके आलेख्य को खण्ड विकास कार्यालय में उनकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करके और प्रपत्र 1 में नोटिस प्रदर्शित करके प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डुग्गी पिटवाकर या किसी ध्वनि प्रवर्धक द्वारा या किसी अन्य सुविधाजनक रीति से इस तथ्य को प्रसारित कर पायेगा पंचायत क्षेत्र में नामावली प्रकाशित हो गयी है और उपनियम (1) में उल्लिखित कार्यालय पर कार्यालय समय के दौरान उसका निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकता है

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रति, प्रकाशन के दिनांक से 3 दिन की अवधि के लिए कार्यालय समय के दौरान निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

**9. ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए दावे**–कोई व्यक्ति–

(क) जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु यह उसमें रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्ह है, या

(ख) जिसका नाम गल्ती से ग्राम पंचायत के किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित कर लिया गया है, या

(ग) जिसका नाम नामावली में से किसी अनर्हता के कारण काट दिया गया था किन्तु जो वह दावा करता है कि उसकी अनर्हता अब दूर हो गयी है,

नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रपत्र 2 में आवेदन कर सकता है

**10. नामावली में प्रविष्टियों पर आपत्तियां**–कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में प्रविष्ट है, और जिसे–

(क) अपने से सम्बन्धित ऐसी प्रविष्टि के किसी विवरण पर आपत्ति है और उसे ठीक कराना चाहता है, वह प्रपत्र 3 में,

(ख) नामावली में किसी अन्य व्यक्ति के नाम को सम्मिलित किए जाने पर, इस आधार पर आपत्ति है कि वह व्यक्ति ऐसी नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्ह नहीं है या निरर्हित हो गया है, यह प्रपत्र 4 में,

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यथास्थिति, विवरण ठीक कराने के लिए या नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकता है

**11. दावा और आपत्ति करने के लिए अवधि**–नियम 9 या नियम 10 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन नियम 8 के अधीन प्ररूप में आलेख्य प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर दिया जायेगा।

**12. दावा और आपत्ति संबंधी विवरण**–(1) नियम 9 या नियम 10 के अधीन प्रत्येक आवेदन, आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा भी सत्यापित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसके संबंध में आवेदन दिया गया है और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदन में वे आधार, जिन पर प्रविष्टि को, यथास्थिति सम्मिलित करने, सुधारने या निकालने की मांग की गयी है और ऐसी प्रविष्टि के अपेक्षित पूर्व विवरण भी सुसंगत प्रपत्र में दिये जायेंगे

(3) प्रपत्र 4 में आवेदन दो प्रतियों में होगा, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी, जिसके नाम को निकालने की मांग की गयी है

**13. सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रक्रिया**–सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रपत्र 5 में, दो प्रतियों में सूची रखेगा, जिन्हें वह नियम 9 और 10 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र, जैसे ही वह नियम 12 के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किया जाय प्रविष्टि करेगा और अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर ऐसी सूची की एक प्रति प्रदर्शित करेगा।

**14. कतिपया दावों और आपत्तियों का अस्वीकृत किया जाना**–नियम 9 व नियम 10 के अधीन कोई आवेदन–पत्र जो इस नियमावली में विहीत अवधि के भीतर या विहित प्रपत्र में या रीति से दाखिल न किया गया हो, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

**15. नोटिस और उसकी तामीली**–(1) उन मामलों के सिवाय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति की ग्राह्यता से प्रथम दृष्टतया संतुष्ट हो, नियम 9 या नियम 10 के अधीन प्रत्येक आवेदक या आवेदन प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्त्ता पर और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति की गयी है, प्रपत्र 6 में एक नोटिस तामील की जायेगी, जिसमें वह स्थान और समय विनिर्दिष्ट होगा, जहां और जब आवेदन पत्र की सुनवाई की जायेगी और उसे या उसके अभिकर्त्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो, उपस्थित होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करके के संबंध में आपत्ति की गयी है, नोटिस के साथ आवेदन–पत्र की एक प्रति भी दी जायेगी।

(3) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन जारी की गयी नोटिस व्यक्तिगत रूप में तामील की जायेगी और व्यक्ति रूप से तामील न हो सकने पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर संबंधित व्यक्ति के निवास स्थान या अन्तिम ज्ञात पते पर उसकी एक प्रति चस्पा कर तामील की जायेगी।

**16. दोव और आपत्तियों की जांच**–(1) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे सभी आवेदन–पत्रों की, जिसके संबंध में नियम 15 के अधीन नोटिस दी गयी है, संक्षिप्त जांच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा।

(2) सुनवाई में वह व्यक्ति, जिसे नोटिस तामील की गई थी, और कोई अन्य व्यक्ति जो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसकी सहायता कर सकता है, उपस्थित होने और सुने जाने का हकदार होगा।

(3) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विवेकानुसार–

(क) किसी व्यक्ति को, जिसे ऐसी नोटिस जारी की गयी है, अपने समक्ष स्वयं उपस्थिति होने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य शपथ पर दिया जाय, और इस प्रयोजन के लिये शपथ दिला सकेगा।

**17. असावधानी के कारण छूटे हुए नामों को सम्मिलित करना**–यदि नियम 19 के अधीन नामावली के अन्तिम प्रकाशन के पूर्व, यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रतीत हो कि असावधानी के कारण किसी निर्वाचक का नाम नामावली से अंकित होने से रह गया हो तो वह ऐसे नाम को नामावली में सम्मिलित कर सकता है

**18. मृत निर्वाचकों और उन व्यक्तियों के जो मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया हो या नहीं हो, नामों का निकाला जाना**– यदि नामावली तैयार करने के दौरान सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रतीत हो कि असावधानी या त्रुटि या अन्यथा किसी कारण से मृत व्यक्तियों या उन व्यक्तियों के नाम, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गये हो या नहीं हो, नामावली में सम्मिलित कर लिये गये हो और इस नियम के अधीन उपचारक कार्यवाही की जानी चाहिए तो वह–

(क) ऐसे व्यक्तियों के नाम और अन्य विवरणों की एक सूची तैयार करेगा;

(ख) अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर, उस समय और स्थान की सूचना के साथ, जहां नामावली से ऐसे नामों को निकाले जाने पर विचार किया जायेगा, सूची की एक प्रति प्रदर्शित करेगा और सूची और सूचना को ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित भी करेगा जिसे वह उचित समझे; और

(ग) किन्हीं मौखिक और लिखित आपत्तियों पर जो प्रस्तुत किये जायें विचार करने के पश्चात् विनिश्चय करेगा कि उन नामों में से सभी या कुछ नामों को नामावली से निकाल दिया जाना चाहिए:

परन्तु इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में इस आधार पर, कि वह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या नहीं, कोई कार्यवाही करने से पूर्व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस व्यक्ति को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने का प्रत्येक प्रयास करेगा कि उसके संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही क्यों न की जाय।

**19. नामावली का अन्तिम प्रकाशन**–(1) तत्पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियम 15, 16, 17 और 18 के अधीन संशोधनों की सूची के साथ नामावली की एक प्रति तैयार करेगा और निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखेगा और अपने कार्यालय में प्रपत्र 7 में सूचना प्रदर्शित करके नामावली प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर संशोधनों की सूची के साथ पठित नामावली प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली होगी।

(3) जहां नामावली (जिसे इस उपनियम में आगे मूल नामावली कहा गया है) उपनियम (2) के अधीन संशोधनों की सूची के साथ पठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली हो जाती है वहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन रहते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए संशोधन सूची की प्रविष्टियां और उनसे विवरण के अनुसार मूल नामावली के सुसंगत भागों में प्रविष्टियों को यथास्थिति, सम्मिलित, संशोधित या निष्कासित करके मूल नामावली में ही संशोधन सूची की प्रविष्टियों को समाविष्ट कर सकता है, किन्तु ऐसा करने के दौरान संशोधन सूची में आये हुए किसी निर्वाचक के नाम, विवरण में कोई हेर–फेर नहीं किया जायेगा।

**20. त्रुटियों को शुद्ध करना**–राज्य निर्वाचन आयोग के किसी आदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि को शुद्ध करने या निर्वाचक नामावली में दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तथ्यानुसार प्रविष्टियों को सुधारा या निकाला जायेगा।

**21. नामावलियों का पुनरीक्षण**–किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (9) के अधीन या तो विस्तृत रूप से या सरकारी तौर पर अंशतः विस्तृत रूप से और अंशतः सरकारी तौर पर, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दे, पुनरीक्षित की जायेगी।

(2) जहां किसी वर्ष में नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण किया जाना हो, वहां वह नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 20 तक ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हो।

(3) जब किसी वर्ष में नामावली को सरसरी तौर पर पुनरीक्षित किया जाना हो तो तब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर जो सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भागों के संशोधनों की सूची तैयार करायेगा और संशोधनों की सूची के साथ नामावली का आलेख्य प्रकाशित करेगा और नियम 7 से 20 तक के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हो।

(4) जहां किसी समय उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के आलेख्य के या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के और उपर्युक्त उपनियम (2) या उपनियम (3) के साथ पठित नियम 19 के अधीन उनके अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय, तत्समय प्रवृत्त नामावली में अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निदेश दिया जाय, वहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन नामों को पुनरीक्षित नामावली में सम्मिलित करवायेगा जब तक कि उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने पर कोई विधिमान्य आपत्ति न हों

**[21–क. दावा और आपत्तियों पर विनिश्चय के आदेशों के विरूद्ध अपील**–(1) नियम 16, 18 या 21 के अधीन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगः

प्रतिबन्ध यह है कि अपील उस स्थिति में नहीं होगी जहां अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय–वस्तु है, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसका अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये अधिकार का लाभ नहीं उठाया है

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील–

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी,

(ख) विनिश्चय के दिनांक से तीन दिन की अवधि के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी,

(ग) जिस आज्ञा के विरूद्ध अपील की गई है उसकी प्रति और एक रुपये के शुल्क के साथ होगी जो–

[1] न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में, या

[2] राज्य सरकार के नाम में किसी सरकारी खजाने या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करके और ज्ञापन के साथ उसकी रसीद संलग्न करे, या

[3] ऐसी अन्य रीति से, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दें

(3) इस नियम के अधीन अपील प्रस्तुत करने मात्र का यह प्रभाव न होगा कि नियम 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कोई कार्यवाही रोक दी जाये या स्थगित कर दी जायें

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु यदि वह सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विश्चिय को प्रतिवर्तित या संशोधित करता है, वहां वह अपील में विनिश्चय के दिनांक से ही प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियम के अधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करायेगा जो इस पैरा के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चयों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों,

**22. राज्य निर्वाचन आयोग का पर्यवेक्षण और नियंत्रण**–(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेगा।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन रहते हुए, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और नियम 3 के अधीन नियोजित अन्य व्यक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेंगे

**23. नामावलियों आदि की अभिरक्षा और परिरक्षण**–(1) इस नियमावली के अधीन समस्त आवेदन–पत्र और उन पर अभिलिखित विनिश्चय को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या उसका निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर नामावली के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गई नामावली के प्रभावी होने तक, जो भी पहले हो, रखा जायेगा।

(2) ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित नामावली की एक सम्पूर्ण प्रति उस सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी जिससे ऐसी नामावली संबंधित हों यह प्रति समय–समय पर नामावली में किये गये संशोधनों के अनुसार संशोधित की जायेगी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी फीस के भुगतान पर, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय उपनियम (1) एवं (2) में निर्दिष्ट निर्वाचन पत्रों के निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(4) नामावली की मुद्रित प्रतियां ऐसे मूल्य पर जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, जनता को उस समय तक बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जायेगी जब तक कि अगली नामावली का प्रकाशन न हो जाय।

(5) किसी ग्राम पंचायत की नामावली का प्रकाशन होने पर नई नामावली के प्रकाशन से ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली संबंधित खण्ड विकास अधिकारी अभिलेखों के साथ उतने वर्ष तक जब तक के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, रखी जायेगी।

---

# उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999[1]

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9 की उपधारा (10) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित आदेश बनाते हो :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999 कहे जायेंगे

(2) यह आदेश उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत निर्वाचनों के सम्बन्ध में लागू होगा।

(3) यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

**2. परिभाषायें**–इस आदेश में,

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 से है;

(ख) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 से है;

(ग) "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य नियमावली के नियम 3 के अधीन इस रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से है;

(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र से है;

(ङ) "नामावली" का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली से है;

(च) "विनिर्दिष्ट अवधि" का तात्पर्य नामावली के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् तथा निर्वाचन के लिए नोटिस जारी होने के पूर्व तक की अवधि से है

**3. नामावली में रजिस्ट्रीकरण**–विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक के रूप में नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रीकरण चाहता है तो वह प्रपत्र–2 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जो नियमावली के नियम 15 या 16 में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है तो उस व्यक्ति का निर्वाचक के रूप में पंजीकरण किया जाएगा। परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा।

**4. नामावली से नाम हटाया जाना**–विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि कोई व्यक्ति नामावली में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए प्रपत्र–4 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जो अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के अर्ह या हकदार नहीं है, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियमावली के नियम 15 या 16 में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेंगे और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम नामावली से हटा दिया जाएगा:

परन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं हटाया जाएगा:

परन्तु यह कि यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन अनर्ह है तो उसका नाम तुरन्त हटा दिया जाएगा।

**5. नामावली की प्रविष्टि को शुद्ध करना**–विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नामावली की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए कोई व्यक्ति प्रपत्र–3 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जो नियमावली के नियम 15 या 16 में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण

में सम्बिन्धित प्रविष्टि शुद्ध की जाएगी। परन्तु ऐसी कोई भी प्रविष्टि ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व शुद्ध नहीं किया जाएगी।

6. **नामावली में छूटे नाम सम्मिलित किया जाना**–विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि शिकायत या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि नामावली में बहुत से निर्वाचकों के नाम छूट गये हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग या जिला मजिस्ट्रेट के निदेश पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे निर्वाचकों के नाम नामावली में सम्मिलित करने के संबंध में स्थलीय जांच करेगा और निर्वाचकों का नाम अपनी जांच रिपोर्ट और संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है तो ऐसे निर्वाचकों का नाम नामावली में सम्मिलित किया जायेगा:

परन्तु ऐसा कोई भी नाम ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

7. **नामावली में रजिस्ट्रीकरण, नाम हटाये जाने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए आवेदन शुल्क**– विनिर्दिष्ट अवधि में नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने या हटाये जाने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए दिये जाने वाले आवेदन–पत्र पर एक रूपये प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क देय होगा। शुल्क प्राप्ति की रसीद जारी की जाएगी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त शुल्क का ब्यौरा एक पंजिका में रखेगा और प्रतिदिन प्राप्त हुए शुल्क की धनराशि अगले दिन राज्य निर्वाचन आयोग के लेखा शीर्षक "0515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायत राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां–02 –स्थानीय निकायों के निर्वाचन से प्राप्तियां" में अनिवार्य रूप से जमा की जाएगी।

8. **नामावली में सम्मिलित किए गये और हटाए गये नामों और शुद्ध की गई प्रविष्टियों की सूची**– नामावली में सम्मिलित किये गये नामों, हटाए गए नामों और शुद्ध की गई प्रविष्टियों की एक सूची तैयार की जायेगी, जो मूल नामावली के साथ संलग्न कर दी जायेगी। यह सूची सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट पर तुरन्त प्रदर्शित की जायेगी और इस सूची की किसी प्रविष्टि के हटाए गए नामों के सम्बन्ध में अपील की जा सकेगी और ऐसी अपील के सम्बन्ध में नियमावली के नियम 21–क के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे

9. **नामावली में लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंध त्रुटियों को शुद्ध करना**–विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय एवं मुद्रण संबंधी त्रुटि को शुद्ध करने या नामावली में दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तद्नुसार प्रविष्टियों को सुधारा या निकाला जाएगा जिसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट और राज्य निर्वाचन आयोग को दी जायेगी:

परन्तु ऐसा कोई भी प्रविष्टि को ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व सुधारा या निकाला नहीं जाएगा।

---

(2)

# मैनुअल–5

# नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

## उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली, 1994[1]

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 25 सन् 1947) की धारा 110 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

### अध्याय–एक
### प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप–प्रधानों का निर्वाचन नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

### अध्याय–दो

**2. परिभाषायें**–ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन जब तक विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस अध्याय में,–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 से है;

(ख) "निर्वाचन क्षेत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है;

(ग) "निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार" का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से हैं, जिसका नाम नियम 19 के अधीन तैयार की गयी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में, सम्मिलित है;

(घ) "निर्वाचन" का तात्पर्य ग्राम पंचायत में स्थान भरने के लिए निर्वाचन से है;

(ङ) "निर्वाचन विवरण" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी से है

(च) "मतदाता" का तात्पर्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे सदस्य से है जिसे मत देने का अधिकार हो;

(छ) "पंचायत निरीक्षक" के अन्तर्गत सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) भी है;

(ज) "मतदान विवरणी" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतदान विवरणी से है;

(झ) "स्थान" का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए किसी क्षेत्र को आवंटित स्थान से है है; और

(ञ) "प्रतीक" का तात्पर्य नियम 12 के अधीन तैयार की गयी सूची में सम्मिलित किसी प्रतीक से है

**3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और जिला मजिस्ट्रेट**–(1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अपेक्षित, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और उनको प्रकाशित करने और निर्वाचन के संचालन से सम्बन्धित सभीकृत्य सम्पादित करेंगे।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

**4. निर्वाचन अधिकारी**–(1) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए, ग्राम पंचायत में कोई स्थान या स्थानों को भरने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) नियुक्त करेगा जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि एक पंचायत क्षेत्र से अधिक के लिए उसी व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने से जिला मजिस्ट्रेट को इस नियम की कोई बात निवारित नहीं करेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी इस अध्याय के अधीन अपेक्षित कृत्य करेगा और किसी भी निर्वाचन में उसका यह सामान्य कर्त्तव्य होगा कि यह वे सब कार्य और बातें करें जो अधिनियम और नियमावली द्वारा उपबन्धित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हों।

(3) उपनियम (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य निर्वाचन आयोग, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि इस नियमावली के अधीन निर्वाचन अधिकारी को ऐसी शक्तियां, कर्त्तव्य और, जो उसके द्वारा सामान्य अनुदेशों में विनिर्दिष्ट किये जायें, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए मतदान स्थल पर मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जायेगी या निर्वहन की जायेगी।

**5. सहायक निर्वाचन अधिकारी**–(1) जिला मजिस्ट्रेट किसी भी निर्वाचन अधिकारी को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है

(2) प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों को सम्पादित करने के लिए सक्षम होगा।

(3) जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो इस अध्याय में निर्वाचन अधिकारी के प्रति निर्देश में उस किसी कृत्य को सम्पादित करने वाले सहायक निर्वाचन अधिकारी भी सम्मिलित है, जिस कृत्य के सम्पादन के लिए वह इस नियम के अधीन प्राधिकृत हो।

**6. मतदान स्थल**–निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान स्थल विनिर्दिष्ट करेगा।

**7. मतदान अध्यक्ष**–(1) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए एक मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) नियुक्त करेगा और उसी व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है

(2) मतदान अध्यक्ष उन कृत्यों को करेगा, जो कि इस अध्याय के अधीन उसके द्वारा किये जाने अपेक्षित हैं और उसका यह सामान्य कर्त्तव्य होगा कि वह मतदान स्थल पर व्यवस्था बनाये रखे और यह देखें कि मतदान सुचारू रूप से हों

(3) यदि मतदान अध्यक्ष, मतदान स्थल से अनुपस्थित होने के लिए विवश हो तो उसके कृत्यों का सम्पादन ऐसा मतदान अधिकारी करेगा जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए पूर्व प्राधिकृत हों

(4) इस अध्याय में मतदान अध्यक्ष के प्रति निर्देश, जब तक कि प्रसंग में कोई बात अन्यथा अपेक्षित न हो, ऐसा व्यक्ति सम्मिलित समझा जाएगा जो कि मतदान अध्यक्ष के ऐसे कृत्य का सम्पादन कर रहा हो, जो वह उपनियम(2) या नियम 8 के अधीन करने के लिए प्राधिकृत है

**8. मतदान अधिकारी**–(1) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए उतने मतदान अधिकारी (पोलिंग आफिसर) या अधिकारियों को, जितना कि वह मतदान अध्यक्ष के कार्याकृ में सहायता करने या ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए, जो कि इस अध्याय में दिये गये कार्याकृ के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा।

(2) यदि मतदान अधिकारी, मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो मतदान अध्यक्ष उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से निर्वाचन या निर्वाचन के सम्बन्ध में नियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, जो मतदान स्थल पर उपस्थित है, अनुपस्थित पूर्वतर अधिकारी के दौरान में मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है, और ऐसी किसी नियुक्ति की दशा में निर्वाचन अधिकारी को तद्नुसार सूचना देगा।

**9. निर्वाचन अभिकर्त्ता**–निर्वाचन का उम्मीदवार लिखित में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचक को अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता (इलेक्शन एजेन्ट) नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति की सूचना निर्वाचन अधिकारी को दी जायेगी।

**10. मतदान अभिकर्त्ता**–(1) निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता, ग्राम पंचायत के निर्वाचकों में से किसी एक अन्य व्यक्ति को मतदान स्थल पर ऐसे उम्मीदवार के मतदान अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्ति लिखित में एक पत्र द्वारा की जायेगी, जिसे निर्वाचन प्रारम्भ होने के पहले मतदान अध्यक्ष को दिया जाएगा।

[1][**11. नाम निर्देशन पत्रों की छपाई और उनका मूल्य**–राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये किसी निर्देश के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट नाम निर्देशन पत्रों की छपाई और उम्मीदवारों को उनकी पूर्ति की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र का मूल्य ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पचास रुपये से अनधिक तथा प्रधान के रूप में निर्वाचन के लिए एक सौ रूपये से अनधिक इतना होगा जितना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया जाय।,

**12. प्रतीकों की सूची**–राज्य निर्वाचन आयोग, अधिसूचना द्वारा उन प्रतीकों को जिन्हें निर्वाचनों में उम्मीदवार चुन सकेंगे, और उन निर्बन्धनों को, जिनके अधीन उनका चुनाव होगा, विनिर्दिष्ट करेगा।

**13. सदस्यों का निर्वाचन**–अधिनियम की धारा 12 के अधीन निर्वाचन इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार होंगे

**14. निर्वाचन की सूचना और दिनांक का निर्धारण**–(1) जब कभी सामान्य चुनाव किया जाना हो, जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, किसी ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, ऐसे दिनांक से पहले जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने की अपेक्षा कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले की सभी ग्राम पंचायतों या ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक ही सूचना जारी करने से निवारित नहीं करेगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाँए–

(क) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान और समय;

(ख) नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने का दिनांक, समय और स्थान;

(ग) उम्मीदवारों से नाम वापस लेने का दिनांक, स्थान और समय और

(घ) दिनांक जब और समय जिसके बीच मतदान, यदि आवश्यक हो, होगा, भी निश्चित करेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी ऐसे दिनांक, स्थान और समय की जो कि उपनियम (1) व (2) के अधीन नियत किये जांय सार्वजनिक घोषणा ऐसी रीति में करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट नियत करें

(4) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (3) के अधीन घोषणा में नियम 6 में दिये मतदान स्थान को भी निर्धारित करेगा।

**15. नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना**–(1) कोई व्यक्ति जो किसी निर्वाचन के लिए नाम निर्देशित होना चाहता हो, स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचन अधिकारी को ऐसे दिनांक, स्थान और समय पर जो नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन नियत किये हों, एक नाम निर्देशन पत्र, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होगा, प्रस्तुत करेगा।

(2) जब कोई उम्मीदवार ऐसे स्थान पर अपना चुनाव कराना चाहता हो जो अनुसूचित जन जातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गो के लिए सुरक्षित हो तो नाम निर्देशन पत्र के साथ उसके इस बात को एक प्रख्यापन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह यथास्थिति अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है और विशिष्ट जनजाति या जाति जिसका वह है, विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) कोई नाम निर्देशन पत्र जो उस दिनांक पर जो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत किया गया हो, नियत समय समाप्त होने से पहले प्रस्तुत न किया जाय, निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) इन नियमों में दी गयी किसी बात से कोई उम्मीदवार इसके लिये बाध्य न होगा कि वह एक ही निर्वाचन क्षेत्र में वह नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्देशित न किया जायें

(5) यदि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक पर उस समय से पहले जो कि इस सम्बन्ध में नियत किया गया हो कोई भी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत न किया जाये तो निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

**16. नाम निर्देशन पत्रों की सूचना**–निर्वाचन अधिकारी नियम 15 के अधीन नाम निर्देशन पत्रों के प्राप्त होने के पश्चात ऐसे व्यक्तियों को जो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करें उस दिनांक, समय और स्थान की सूचना देगा, जिस पर नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जायेगी और नाम निर्देशन पत्रों पर क्रम–संख्या लिखेगा और उस पर इस प्रमाण के हस्ताक्षर करेगा कि उक्त नाम निर्देशन पत्र उसको किस दिनांक और समय पर प्राप्त हुए और वह प्राप्त हुए नाम निर्देशन पत्रो की एक सूची तैयार करेगा और नाम निर्देशित किये हुए व्यक्तियों के नामों की घोषणा करेगा।

**17. नाम निर्देशन पत्रों की जॉच**–(1) उस दिनांक, समय और स्थान पर जो कि नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने के लिए नियत किये गये हों निर्वाचन अधिकारी ऐसे नाम निर्देशन पत्रों की जांच करेगा जो नियम 15 के उप नियम (3) के अधीन पहले से ही अस्वीकृत न किये गये हों। यह जांच ऐसे उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति में, यदि कोई हो, की जायेगी और उनको नाम निर्देशन पत्रों की जॉच करने की सुविधा दी जायेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी किसी नाम निर्देशन पत्र को निम्नलिखित एक या अधिक आधारों पर अस्वीकृत कर सकता है–

(क) उम्मीदवार स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के निमित अधिनियम के अधीन अनर्हित हो,

(ख) उम्मीदवार अधिनियम की धारा 5–क के अधीन स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के निमित अनर्हित हो,

(ग) नियम 15 के किसी उपबन्ध का पालन नहीं किया गया है, या

(घ) उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक का हस्ताक्षर ठीक नहीं है अथवा वह कपट द्वारा कराया गया है

निर्वाचन अधिकारी किसी नाम निर्देशन पत्र को किसी तकनीकी दोष के अथवा ऐसी अन्य भूल के कारण जो सारवान न हो, अस्वीकृत न करेगा और किसी ऐसे दोष या भूल को दूर करने के लिये नाम निर्देशन पत्र में किसी प्रविष्टि को ठीक करने की अनुज्ञा दे सकता है

(3) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसको स्वीकार या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में अपना निर्णय लिखेगा और यदि नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किया गया हो तो वह उस पर अस्वीकार करने के कारण को संक्षिप्त रूप में लिखेगा।

(4) नाम निर्देशन पत्रों की जांच समाप्त होने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगा जिनका नाम निर्देशन उसने स्वीकार कर लिया हो और इस प्रकार स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची हिन्दी वर्णमालानुक्रम में तैयार करेगा जिसमें वे ब्यौरे दिये जायेंगे जो उनके नाम निर्देशन पत्रों में दिया गया हों

(5) यदि समस्त नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार कर दिये गए हों तो निर्वाचन अधिकारी इस बात की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

**18. उम्मीदवारी से नाम वापस लेना**–कोई उम्मीदवार लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और यह निर्वाचन अधिकारी को उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा नियम 14 के अधीन नाम वापसी के लिये नियत दिनांक और समय के बीच दी जायेगी। एक बार दी गई नोटिस वापस नहीं ली जा सकती और वह अन्तिम होगी।

**19. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आबंटन**–(1) नियम 14 के अधीन उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिये नियत दिनांक की समाप्ति के ठीक पश्चात् निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में निर्वाचन लड़ने वालों के नाम वर्णमालानुक्रम में उसी प्रकार दिये जायेंगे जैसे वे उनके नाम निर्देशन पत्रों में दिये गये हों। वर्णमालानुक्रम का अवधारण उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के अनुसार किया जायेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के साथ–साथ निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस
निमित जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए अलग–अलग प्रतीक आवंटित करेगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को कोई प्रतीक आवंटित किया जाना अंतिम होगा, सिवाय उस दशा में जब यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित जारी किये गये किन्हीं निदेशों से असंगत हों और उस दशा में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीति से संशोधित कर सकता है जैसा यह उचित समझे

(5) प्रत्येक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता को उम्मीदवार को आवंटित किये गये प्रतीकों की सूचना तुरन्त दी जायेगी और उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका एक नमूना दिया जायेगा।

**20. निर्विरोध निर्वाचन**–(1) जहां नियम 19 के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाला केवल एक उम्मीदवार है, तो वह ऐसे उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी इस नियम के अधीन निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के नामों की और उन स्थानों के प्रकार (आरक्षित हो या अनारक्षित) जिन पर वे निर्वाचित हुए हो और आरक्षित या अनारक्षित प्रकार के बिना भी स्थानों की संख्या का जिला मजिस्ट्रेट को रपट करेगा।

**21. सविरोध निर्वाचन**–जहां नियम 19 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाये कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है तो वह ऐसी रीति से, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूची को तुरन्त प्रकाशित करेगा और यह घोषणा भी करेगा कि मतदान इस निमित निर्धारित दिनांक को और स्थान पर और समय के दौरान होगा।

**22. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु**–यदि किसी उम्मीदवार की जिसका नाम निर्देशन पत्र नियम 17 के अधीन जांच पर वैध पाया जाय और जिसने नियम 18 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस न लिया हो, मृत्यु हो जाय और निर्वाचन अधिकारी को उसकी मृत्यु की सूचना मतदान आरम्भ होने से पहले प्राप्त हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार की मृत्यु के सम्बन्ध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान रद्द कर देगा और निर्वाचन की सभी कार्यवाहियां हर प्रकार से उसी तरह नये सिरे से आरम्भ की जायेंगी मानों कोई नया निर्वाचन किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका नाम निर्देशन मतदान को रद्द किये जाने के समय वैध रहा हो पुनः नाम निर्देशन आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने की नोटिस मतदान रद्द किये जाने से पूर्व दिया हो, मतदान के इस प्रकार रद्द किये जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिये उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किये जाने के निमित्त पात्र न होगा।

**23. मतदान स्थल में प्रवेश**–(1) मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल में निर्वाचकों के प्रवेश को विनयमित करेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर रखेगा–

(क) मतदान अधिकारी,

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता और उसका मतदान अभिकर्त्ता,

(ग) पुलिस अधिकारी और कर्त्तव्यरूढ़ अन्य लोकसेवक,

(घ) निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा,

(ङ) अन्धे या अशक्त निर्वाचक के, जो सहायता के बिना चल–फिर न सकते हों, साथ का व्यक्ति, और

(च) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदान अध्यक्ष मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये समय–समय पर आने दें।

(2) मतदान अध्यक्ष नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन निश्चित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश न करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि सभी निर्वाचकों को जो मतदान केन्द्र के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व, उपस्थित हों, अपना मत अभिलिखित करने का हक होगा।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक का उपनियम (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रयोजनों के लिए मतदान स्थल बन्द किए जाने के पूर्व वहां पर उपस्थित समझा जाय या नहीं तो मतदान अध्यक्ष के निर्णय के लिये अभिदिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

**24. मतदान की प्रक्रिया**–इस अध्याय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतदान पत्र पर चिह्न लगा कर मतदान देने की रीति का अनुसरण किया जायेगा और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (PROXY) की रीति से स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**25. मत पत्र**–(1) प्रत्येक मत पत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसी डिजाइन का होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जायें

(2) किसी निर्वाचक को मत पत्र जारी करने के पूर्व उस पर ऐसे सुभेदक चिह्न की मुहर लगाई जा सकेगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें

**26. मत–पेटियां**–(1) प्रत्येक मत पेटी ऐसी डिजाइन और रंग की होगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(2) यह इस प्रकार से बनायी जायेगी कि मतदान के समय उसमें मत पत्र डाला जा सके किन्तु तत्पश्चात् मत पेटी को खोले बिना या मुहर को तोड़े बिना निकाला न जा सकें

(3) प्रत्येक मत पेटी या उसके किसी संघटक भाग अथवा उससे सम्बद्ध किसी चीज पर ऐसी अन्य सुभेदक चिह्न भी लगाया जाएगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें

**27. मतदान की सूचना**–मतदान का स्थान और मतदान केन्द्र के बाहर और भीतर प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित किया जायेगा :

(क) मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट करती हुई एक सूचना जिसके निर्वाचकों को यथास्थिति मतदान स्थान या मतदान केन्द्र पर मत देना हो, और

(ख) नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रतिलिपि।

**28. मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था**–मतदान स्थल पर उतनी संख्या में मतदान कोष्ठ (कम्पार्टमेंट) होंगे जिसमें निर्वाचक अपने मत, अन्य व्यक्तियों की दृष्टि से बचाकर, अभिलिखित कर सके जैसा निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझें

**29. मतदान स्थल पर मतपत्र और अन्य सामग्रियों का उपलब्ध कराया जाना**–निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल पर निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा :

(क) उतनी मतपेटियां जितनी आवश्यक हों,

(ख) पर्याप्त संख्या में मतपत्रों और उस निर्वाचन क्षेत्र के, जहां के निर्वाचक मतदान स्थल पर मत देने के हकदार हों, मतदान क्षेत्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां, और

(ग) अन्य उपकरण और उपसाधन जो मतदान कराने के लिए अपेक्षित हों।

**30. मतदान के लिए मतपेटियों की तैयारी**–(1) मतदान अध्यक्ष, मतदान आरम्भ होने के ठीक पूर्व निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों और उनके अभिकर्त्ताओं को जो ऐसे स्थल पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयुक्त की जाने वाले प्रत्येक मतपेटी का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा और उनको यह दिखलायेगा कि वे खाली हो।

(2) तत्पश्चात् उपर्युक्त व्यक्तियों की उपस्थिति में मतपेटी बन्द कर दी जायेगी और जहां मतपेटियों की सुरक्षा के लिए कागज की मुहर का प्रयोग करना आवश्यक हो वहां मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के लिए कागज की मोहर पर अपना हस्ताक्षर करेगा और उस पर ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर लेगा या उनकी मुहरें लगवाएगा, जो उपस्थित हों और जो उन्हें लगाने के इच्छुक हों।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष ऐसे हस्ताक्षरित या मुहर लगाए हुए कागज की मुहर को मत पेटी में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में लगावेगा और तत्पश्चात् उम्मीदवारों या उनके अभिकर्त्ताओं के सामने, जो उपस्थित हों ऐसी रीति से प्रत्येक मतपेटी को सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा और मुहर लगायेगा किउसमें मतपत्र डालने के लिये छिद्र खुला रहें।

(4) जहां मतपेटियों की सुरक्षा के लिए कागज की मुहरों का प्रयोग आवश्यक न हो, वहां मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी को ऐसी रीति से सुरक्षित और मुहरबंद करेगा कि मतपत्रों को डालने के लिये छिद्र खुला रहे और उम्मीदवारों या उनके अभिकर्त्ताओं को, जो कि उपस्थित हों, यदि वे इच्छुक हों, अपनी मुहरें लगाने की अनुमति देगा।

**31. मतपत्रों को डालने के लिए मतपेटी को रखा जाना**—मतपत्रों को डालने के लिए प्रत्येक मतपेटी को मतदान अध्यक्ष, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके अभिकर्त्ताओं के सामने रखा जायेगा।

**32. निर्वाचकों की पहचान**—(1) मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल पर ऐसे व्यक्तियों को जैसा उपयुक्त समझकर निर्वाचकों की पहचान करने में मदद करने या मतदान कराने में अपनी अन्यथा सहायता के करने के लिए सेवायोजित कर सकता है

(2) जैसे ही कोई निर्वाचक मतदान स्थल में प्रवेश करे वैसे ही मतदान अध्यक्ष या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृति मतदान अधिकारी निर्वाचक का नाम तथा अन्य ब्योरों की जांच निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि से करेगा और तब निर्वाचक की क्रम–संख्या, नाम और अन्य ब्योरे पुकारेगा।

(3) कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका अभिकर्त्ता निर्वाचक विशेष होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की पहचान पर आपत्ति कर सकता है और जहां ऐसी आपत्ति की जाय, तो मतदान अध्यक्ष उस आपत्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए आपत्तिकर्त्ता से वह अपेक्षा करेगा कि अपनी आपत्ति के प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करे और आपत्तिकृत व्यक्ति भी अपनी पहचान के प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करें।

(4) यदि ऐसी जांच के पश्चात् मतदान अध्यक्ष की यह राय हो कि आपत्ति सिद्ध नहीं हुई है तो वह आपत्तिकृत व्यक्ति को मत देने की अनुमति देगा।

(5) मतपत्र प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निश्चित करने के लिए मतदान अध्यक्ष निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि की केवल लिपिकीय या छपाई सम्बन्धी त्रुटियों की अनवेक्षा (overlook) करेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका यह समाधान हो जाय कि उक्त प्रविष्टि ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित है।

**33. निर्वाचकों को मतपत्र जारी करना**—(1) किसी मतदाता की पहचान हो जाने के पश्चात् उसे एक मतपत्र जारी कर दिया जायेगा।

(2) किसी निर्वाचक को मतपत्र जारी करते समय मतदान अध्यक्ष ऐसी रीति से, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे, उसकी क्रम–संख्या, उस प्रयोजन के लिए अलग रखी गई निर्वाचक नामावली की प्रति में जिसे इस नियमावली में एतदपश्चात् "निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति" निर्दिष्ट किया गया है, निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा।

**34. मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखने और मतदान की प्रक्रिया**—(1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे इस नियमावली के नियम 33 के या किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मतपत्र दिया गया हो, केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिनपश्चात् दी गई मतदान की प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) निर्वाचक मतपत्र प्राप्त होने पर तत्काल–

(क) मतदान कोष्ठ में से एक में जायेगा;

(ख) उस उम्मीदवार के प्रतीक पर या उसके निकट जिसके लिये वह मतदान करना चाहता हो, उस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण से मतपत्र में चिह्न बनायेगा;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ देगा कि उसका मत छिप जाय;

(घ) यदि अपेक्षा की जाय तो मतपत्र पर किया गया सुभेदक चिह्न मतदान अध्यक्ष को दिखायेगा;

(ङ) मुड़े मतपत्र को मतपेटी में डालेगा; और

(च) मतदान स्थल से बाहर चला जायेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक असम्यक विलम्ब के बिना मत देगा।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक हो तब किसी अन्य निर्वाचक को इसमें प्रवेश न करने दिया जायेगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र जारी कर दिया गया हो, मतदान अध्यक्ष द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी, उपनियम (2) में दी गई प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो मतदान अध्यक्ष या मतदान अधिकारी अध्यक्ष के निर्देशाधीन उसे दिये गये मतपत्र को, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, उससे वापस ले लेगा।

(6) मतपत्र वापस ले लिये जाने के पश्चात् मतदान अध्यक्ष उसके पृष्ठ भाग पर शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित करेगा और इन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सभी मतपत्र, जिन पर शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित हो, एक पृथक् लिफाफे में रखे जायेंगे जिसके ऊपर शब्द "(मतपत्र मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन)" लिखा होगा।

(8) किसी ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए ऐसा निर्वाचक जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस लिया गया है, जिम्मेदार हो, यदि मतपत्र पर कोई मत अभिलिखित किया गया हो तो उसकी गणना नहीं की जायेगी।

**35. अन्धे या अशक्त निर्वाचकों द्वारा मतों का अभिलेख**—(1) यदि मतदान अध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि कोई निर्वाचक अन्धेपन या अशक्तता के कारण मतपत्र के प्रतीकों का बिना सहायता के पहचानने या उन पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अध्यक्ष निर्वाचक को उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र मोड़ने जिससे मत छिप जाय और उसे मत पेटी में डालने के लिए अपने साथ एक साथी, जो अठ्ठारह वर्ष से कम न हो मतदान कोष्ठक में ले जाने की अनुमति देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व उस व्यक्ति से इस बात की घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को गोपनीय रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है

(2) मतदान अध्यक्ष इस नियम के अधीन सभी मामलों का एक अभिलेख निहित प्रपत्र में रखेगा।

(3) किसी मतदान केन्द्र पर मतदान अध्यक्ष किसी निर्वाचक द्वारा इस प्रकार को अनुरोध किये जाने पर उसे मतों को अभिलिखित करने के लिए मत पत्र के साथ दिये गये अनुदेशों को स्पष्ट करेगा।

**36. किसी निर्वाचक द्वारा मतपत्रों का लौटाया जाना**—(1) यदि कोई निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का निश्चय करे तो उसे मतदान अध्यक्ष को लौटा देगा।

(2) प्रत्येक ऐसे मत पत्र पर शब्द "रद्द किया गया, लौटाया गया" अंकित किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा और मतदान अध्यक्ष ऐसे सभी मतपत्रों का एक अभिलेख रखेगा।

(3) यदि किसी निर्वाचक ने असावधानी के कारण अपने मतपत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया है कि उस मतपत्र के रूप में सुविधापूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो उसके मतदान अध्यक्ष को मतपत्र लौटाने पर और असावधानी के बारे में उसका समाधान कर देने पर, दूसरा मतपत्र दिया जा सकता है और इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर मतदान अध्यक्ष द्वारा शब्द "खराब और रद्द किया गया" अंकित किया जायेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा।

**37. मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में मतदान अध्यक्ष का प्रवेश करना**—(1) यदि मतदान अध्यक्ष को यह सन्देह करने का कारण हो कि कोई निर्वाचक तो मतदान कोष्ठ में गया है, मतदान कोष्ठ में अनुचित देरी तक रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकता है और ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो मतदान की निर्विघ्न और सत्वर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों

(2) जब कभी मतदान अध्यक्ष इस नियम के अधीन मतदान कोष्ठ में प्रवेश करे तो उसके साथ निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके अभिकर्त्ता जो ऐसा करना चाहें, होंगे

**38. मतपेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र**–यदि कोई मतपत्र जो किसी निर्वाचक को जारी किया गया हो, उसके द्वारा मतपेटी में न डाला जाय, और यह मतदान स्थल में या उसके निकट पाया जाये तो उसे रद्द कर दिया जायेगा और उसके सम्बन्ध में नियम 36 में दी गई रीति से कार्यवाही की जायेगी।

**39. निविदत्त मत**–(1) यदि कोई व्यक्ति अपने को निर्वाचक विशेष के रूप में प्रदर्शित करते हुए ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात्, मतपत्र के लिए आवेदन करे तो उसे अपनी पहचान के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानपूर्वक उत्तर देने के पश्चात् जैसा कि मतदान अध्यक्ष पूछे, मतपत्र दिया जायेगा जिसके दूसरी ओर मतदान अध्यक्ष स्वयं शब्द "निविदत्त मतपत्र" लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र दिये जाने के पूर्व निर्दिष्ट प्रपत्र की सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा।

(3) तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति यथासम्भव नियम 34 के उपबन्धों के अनुसार निविदत्त मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा, किन्तु अपना मतपत्र मतपेटी में नहीं डालेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा निविदत्त पत्र मतदान अध्यक्ष को दिया जायेगा, जो उसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में तुरन्त रखेगा। ऐसे मतों की गणना निर्वाचक अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी।

**40. मतदान के पश्चात् मतपेटियों आदि का मुहरबन्द किया जाना**–(1) मतदान समाप्त होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के छेद को बन्द कर देगा और जहां पेटी में छेद करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति नहीं है जहां उस छेद पर मुहर लगायेगा और किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता को जो उपस्थित हों, उस पर मुहर लगाने की अनुमति देगा।

(2) तत्पश्चात् सभी मतपेटियों पर विनिर्दिष्ट रीति से मुहर लगाई जायेगी और उन्हें सुनिश्चित रूप से बन्द किया जायेगा।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष निम्नलिखित का अलग–अलग पैकिट बनायेगा–

(क) एक लिफाफे में निविदत्त मतपत्र,

(ख) रद्द किये गये मतपत्र,

(ग) निर्वाचक नामावली की चिह्नित सूची,

(घ) उपयोग में न लाये गये मतपत्र, और

(ङ) ऐसा कोई अन्य पत्र जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी ने मुहर बन्द पैकेट में रखने का निर्देश दिया हो

(4) प्रत्येक ऐसे पैकेट पर मतदान अध्यक्ष और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्त्ताओं द्वारा मुहर लगाई जायेगी, जो उन पर अपनी मुहर लगाना चाहें।

**41. मतपत्रों का लेखा**–मतदान अध्यक्ष मतदान के बन्द होने पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतपत्र लेखा तैयार करेगा।

**42. मतपेटियों आदि का निर्वाचन अधिकारी को प्रेषण**–नियम 40 के अनुसार मतपेटियों और पैकेटों को मुहरबन्द कर दिये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र मतदान अध्यक्ष ऐसे स्थान पर जैसा निर्वाचन अधिकारी निदेश दे–

(क) मतपेटियां;

(ख) नियम 40 में निर्दिष्ट पैकेट;

(ग) मतदान लेखा; और

(घ) मतदान में उपयोग में लाए गये सभी अन्य पत्र निर्वाचन अधिकारी को सुपुर्द करेगा या करवायेगा।

**43. मतपेटियों और पैकेटों का परिवहन और उनकी अभिरक्षा**–निर्वाचन अधिकारी नियम 42 में निर्दिष्ट सभी मतपेटियों, पैकेटों और अन्य पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारम्भ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध करेगा।

**44. आपात स्थितियों में मतदान का स्थगन**–(1) यदि किसी निर्वाचन में मतदान स्थल पर कार्यवाहियों में किसी बल्वा या हिंसा द्वारा अवरोध किया जाये या बाधा डाली जाय या किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना सम्भव न हो, तो ऐसे मतदान स्थल का मतदान अध्यक्ष किसी ऐसे दिनांक तक जो बाद में अधिसूचित किया जायेगा, मतदान स्थगित किये जाने की घोषणा करेगा और जहां मतदान इस प्रकार स्थगित किया जाय, मतदान अध्यक्ष इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त देगा।

(2) जब कभी उपनियम (2) के अधीन मतदान स्थगित किया जाय तो निर्वाचन अधिकारी उप परिस्थितियों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त देगा और उसके पूर्वानुमोदन से यथाशक्यशीघ्र नया मतदान कराने के लिए कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहां पर यथा समय जिसके दौरान नया मतदान कराया जायेगा, नियत करेगा और उसे ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसा मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें

(3) यथा उपर्युक्त प्रत्येक ऐसे मामले में मतदान अध्यक्ष नया मतदान करायेगा और इस अध्याय के उपबन्ध नये मतदान के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हों।

**45. मतपेटियों के नष्ट कर दिये जाने, आदि की दशा में नया मतदान**–(1) यदि किसी निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी या किसी मतदान अध्यक्ष की अभिरक्षा से कोई मतपेटी अवैध रूप से ले जायी जाय अथवा किसी प्रकार से वह बिगाड़ दी जाय या दुर्घटनावश अथवा साशय नष्ट कर दिया जाय या खो जाय तो ऐसे मतदान स्थल जिससे सम्बन्धित वह मतपेटी हो, के सम्बन्ध में मतदान अमान्य होगा।

(2) जब कभी मतदान उपनियम (1) के अधीन अमान्य हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे अमान्यीकरण कार्य या घटना करने वाले की जानकारी होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से मामले की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसके पूर्वानुमोदन से नए मतदान कराने के लिए कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहां पर और वह समय जिसके दौरान मतदान कराया जायेगा, निश्चित करेगा और उसे ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें

(3) यथा उपर्युक्त प्रत्येक ऐसे मामलों में मतदान अध्यक्ष नया मतदान कराएगा और इस अध्याय के उपबंध नए मतदान के सम्बन्ध में उस प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हो।

**46. गणना के लिए समय, स्थान नियत करना**–(1) निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना के लिए कोई दिनांक नियत करेगा जो मतदान के पूरा होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से होगा और वह स्थान तथा समय निश्चित करेगा जहां पर मतों की गणना की जायेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं को ऐसे दिनांक, समय और स्थान की सूचना देगा।

(3) यदि मतों की गणना के लिए इस प्रकार नियत समय पर मतपेटियां, जिनमें मतों की गणना किए जाने के लिए मत हों निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त न हों या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से वह गणना की कार्यवाही करने में असमर्थ हों तो वह दूसरे दिनांक के लिए गणना को स्थगित कर सकता है और इसके लिए समय और स्थान निश्चित कर सकता है और उसकी सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं को देगा।

**47. गणना अभिकर्त्ता**–(1) कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता मतों की गणना के समय अपने गणना अभिकर्त्ता के रूप में उपस्थिति रहने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है

(2) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति गणना प्रारम्भ होने के पूर्व लिखित रूप में की जायेगी।

(3) किसी गणना अभिकर्त्ता को गणना के लिए निश्चित स्थान के भीतर तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जब तक कि वह उपनियम (2) के अधीन अपनी नियुक्ति का पत्र निर्वाचन अधिकारी को न दे दें

**48. व्यक्ति जो गणना के समय उपस्थित रह सकते हो**–(1) निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना के समय किसी व्यक्ति को, सिवाय ऐसे व्यक्तियों के जिन्हें गणना करने में अपनी और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार, उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता और अपने गणना अभिकर्त्ता की सहायता के लिए नियुक्त करे, उपस्थिति रहने की अनुमति नहीं देगा।

(2) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचन मेंया उसके सम्बन्ध में उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से सेवायोजित किया गया हो और अन्यथा उसके लिए कार्य कर रहा हो, मतों की गणना करने में निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो मतों की गणना के दौरान स्वयं दुराचरण करे या निर्वाचन अधिकारी के विधिपूर्ण निदेशों का पालन करने में असफल रहें तो उसे उस स्थान से जहां पर मतों की गणना की जा रही हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा या ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा।

**49. मतगणना के समय प्रक्रिया**–नियम 46 के अधीन नियत दिनांक और समय और स्थान पर निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही करेगा :

(क) निर्वाचन अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि मतदान में प्रयुक्त सभी मतपेटियां और जिनकी उस स्थान पर गणना की जानी हो, प्राप्त हो गयी हो और उनका लेखा दे दिया गया है

(ख) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी गणना के समय उपस्थित उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता और गणना अभिकर्त्ताओं को अपना यह समाधान करने के लिए कि मतपेटियां और मुहरें ठीक दशा में हो, उनका निरीक्षण करने का अवसर देगा।

(ग) निर्वाचन अधिकारी अपना यह भी समाधान करेगा कि पेटियों में से किसी भी पेटी को वस्तुतः बिगाड़ा नहीं गया है यदि कोई पेटी बिगाड़ी गयी या नष्ट की गयी या खो गयी पायी जाये तो निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना करने की कार्यवाही न करेगा और नियम 45 के उपबन्ध लागू होंगे

(घ) यदि निर्वाचन अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि ये सभी मत पेटियां जिनकी उस स्थान पर मतगणना की जानी हो, प्राप्त हो गयी हो और वे ठीक दशा में हो तो वह मतपेटियों में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना प्रारम्भ करेगा। मतदान स्थल पर प्रयुक्त सभी मतपेटियों को खोला जायेगा और उन पेटियों में प्राप्त मतपत्रों की गणना राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार उसी समय की जायेगी।

(ङ) मतदान स्थल की पेटियों में पाए गए मतपत्रों का लेखा, विवरण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अभिलिखित किया जायेगा।

(च) निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं और गणना अभिकर्त्ताओं को, जो उपस्थिति हों, ऐसे सभी मतपत्रों का, जो निर्वाचन अधिकारी की राय में अस्वीकृत किए जाने योग्य हों, निरीक्षण करने का उचित अवसर देगा किन्तु उन्हें इन मतपत्रों या किसी अन्य पत्र को छूने(Handle) की अनुमति नहीं देगा। निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रत्येक मतपत्र पर जो अस्वीकृत कर दिया जाये हिन्दी में देवनागरी लिपि में अस्वीकृति पृष्ठांकित करेगा। यदि कोई उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता किसी मतपत्र के अस्वीकार किए जाने की यथार्थता पर आपत्ति करे तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतपत्रों पर, उसे अपने अस्वीकार करने के कारण संक्षिप्त रूप में अभिलिखित करेगा।

(छ) मतदान स्थल की मतपेटियों में अन्तर्विष्ट सभी मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी ऐसे सभी मतपत्रों को एक पृथक् पैकेट में रखवायेगा जिस पर ऐसे ब्यौरे अंकित होंगे जिससे मतदान स्थल, ग्राम पंचायत का नाम और निर्वाचन क्षेत्र जिससे वह सम्बन्धित मतपत्र हों, की पहचान हो सकें

**50. मतपत्रों को अस्वीकार किये जाने के आधार**–(1) निर्वाचन अधिकारी कोई मतपत्र अस्वीकृत कर देगा–

(क) यदि उस पर कोई ऐसा चिह्न या लेख है जिससे मतदाता पहचाना जा सकता हो, या

(ख) यदि वह अप्रमाणिक मतपत्र हो, या

(ग) यदि वह इस प्रकार क्षत या विक्षित किया गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान सिद्ध नहीं की जा सकती हो, या

(घ) यदि उस पर उस विशिष्ट मतदान स्थल में प्रयोग के लिए अधिकृत मतपत्र की यथास्थिति क्रम–संख्या या डिजाइन से भिन्न क्रम–संख्या या डिजाइन हो, या

(ङ) यदि उस पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरे जाने के लिए अपेक्षित स्थानों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों को मत दिया जाय, या

(च) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित न हों

(2) किसी मतपत्र पर अभिलिखित मत अस्वीकृत कर दिया जायेगा यदि मतपत्र पर मत दिये जाने को इंगित करने वाला चिह्न ऐसी रीति से लगाया गया हो जिससे यह सन्देहपूर्ण हो कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि मतपत्र केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि मत इंगित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या कि विशिष्ट उम्मीदवार के नाम के सामने से एक से अधिक बार लगाया गया है

यदि मतपत्र पर जिस ढंग से चिह्न लगाया गया हो उससे स्पष्टतया यह आशय निकलता हो कि वह मत किसी विशिष्ट उम्मीदवार के लिये दिया गया है

(3) किसी मतपत्र की या किसी ऐसे मतपत्र पर दिये गये मत की वैधता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी का निर्णय किसी निर्वाचन याचिका के जिसमें निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो परीक्षण पर दिए गए किसी प्रतिकूल निर्णय के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

**51. मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखों का सत्यापन** – निर्वाचन अधिकारी निविदत्त मतपत्रों या निर्वाचक नामावली के चिह्नित प्राप्त मुहरबन्द पैकेटों को नहीं खोलेगा। वह नियम 41 के अधीन मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र का सत्यापन, गणना किये गये मतों और अस्वीकृत मतपत्रों, अपने पास के अप्रयुक्त या खराब मतपत्रों की संख्या को और निविदत्त मतों की सूची से मिलान करके करेगा। तत्पश्चात् यह प्रत्येक ऐसे पैकेट को जिसे उसने खोला हो, फिर से बन्द करेगा और फिर से मुहर लगायेगा और प्रत्येक पैकेट पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का विवरण ग्राम पंचायत का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का विवरण और निर्वाचन का दिनांक जिसके सम्बन्ध में वह हो, अभिलिखित करेगा।

**52. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन विवरणी**–तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी तैयार प्रमाणित करेगा जिसमें निम्नलिखित का वर्णन करेगा :

(क) ऐसे उम्मीदवारों के नाम, जिसके लिए वैध मत दिए गए हों,

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गये वैध मतों की संख्या,

(ग) वैध मततत्रों की कुल संख्या,

(घ) अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या,

(ङ) विनिदत्त मतपत्रों की संख्या, और

(च) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम।

तत्पश्चात् वह किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणना अभिकर्त्ता को ऐसी विवरणी की प्रतिलिपि या उद्धरण लेने की अनुमति देगा।

**53. परिणाम की घोषणा**–निर्वाचन अधिकारी अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

**54. मतों की समता**–यदि मतों की गणना के समाप्त होने के पश्चात् किन्हीं उम्मीदवारों के बीच मतों की समता हो और मतों में एक मत जोड़ दिए जाने से उन उम्मीदवारों में कोई एक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए हकदार हो जाये तो निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच पर्ची डालकर तत्काल निश्चय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा मानो जिस उम्मीदवार के नाम पर्ची निकले उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ हो

**55. परिणाम की सूचना**–परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र निर्वाचन अधिकारी परिणाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को भी देगा। जिला मजिस्ट्रेट परिणाम की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

**56. निर्वाचन से सम्बन्धित विवरणी और मतपत्रों तथा अन्य पत्रों की अभिरक्षा**—(1) निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्वाचन से सम्बन्धित मतपत्रों के पैकेटो तथा अन्य पत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विवरणी भेजेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्वाचन से सम्बन्धित मतपत्रों के पैकेटों तथा अन्य पत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये भेजेगा।

**57. निर्वाचन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और निरीक्षण**—(1) जब जिला पंचायत राज अधिकारी की अभिरक्षा में मतपत्रों में चाहे वे वैध, अस्वीकृत या निविदत्त हों और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के पैकेट हों तो वे तब तक न तो खोले जायेंगे, न उनका किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा और न उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जब तक कि निर्वाचन याचिका की सुनवाई करने वाला कोई सक्षम न्यायालय या कोई जिला जज आदेश न दें जब निरीक्षण का आदेश दिया जाये तो उसके लिए दो रुपये प्रति दिन, जिस दिन निरीक्षण किया जाय, के हिसाब से शुल्क दिया जायेगा।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य सभी पत्रों का निरीक्षण जनता द्वारा ऐसी शर्तो के अधीन यदि कोई हो जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा और उसके लिए बीस रुपए प्रतिदिन जिस दिन निरीक्षण किया जाय, के हिसाब से शुल्क दिया जायेगा।

(3) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा नियम 56 के उपनियम (1) के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित विवरणियों की प्रतिलिपियां बीस रुपए प्रतिलिपि के हिसाब से शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी।

(4) ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, जिनका उपनियम (2) के अधीन निरीक्षण करने की अनुमति हो, उनके लिए आवेदन पत्र देने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर जिस दर पर राज्य में किसी राजस्व अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश की एक प्रतिलिपि के लिए शुल्क लिया जाता हो, शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी। पत्रों की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र सादे कागज पर प्रस्तुत किया जा सकते हो और उस पर कोई न्यायिक स्टाम्प लगाना आवश्यक न होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट किसी पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी और उसके कार्यालय से जारी की जायेगी।

**58. ग्राम पंचायत का संगठन**—(1) जैसे ही ग्राम पंचायत के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई स्थान और प्रधान का पद भर जाय जिला मजिस्ट्रेट यह विज्ञापित करेगा कि ग्राम पंचायत यथाविधि संगठित की गई है

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना में सदस्यों और प्रधान के नाम होंगे इसकी एक प्रतिलिपि को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में चिकाकर इसे प्रकाशित किया जायेगा। एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को भेजी जायेगी।

**59. उप निर्वाचन**—जहां ग्राम पंचायत के किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग—पत्र दिये जाने, हटाये जाने, निर्वाचन के अभाव्य (Void) किये जाने या ग्राम पंचायत के किसी सदस्य की अधिनियम की धारा 43 के अधीन न्याय पंचायत का पंच नियुक्त किये जाने के कारण कोई स्थान रिक्त हो तो जिला मजिस्ट्रेट सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे दिनांक से पूर्व जो उसके द्वारा निश्चित किया जाय, ग्राम पंचायत के लिए सदस्य का निर्वाचन करने के लिए कहेगा और नियम 14 के उपबन्धों के अनुसार उप निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा और इस अध्याय के उपबन्ध यथासंभव ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे

**60. न भरे गये स्थानों के लिए निर्वाचन**—(1) किसी स्थान के रिक्त बने रहने की सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट यथाशक्य शीघ्र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा निश्चित किया जाय ग्राम पंचायत के लिए सदस्य का निर्वाचन करने के लिए कहेगा और नियम 14 के उपनियम (2) में उल्लिखित प्रत्येक मद के नया दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा और इस अध्याय के उपबन्ध यथासंभव ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे

(2) यदि फिर भी निर्वाचन क्षेत्र में उपनियम (1) के अधीन हुए निर्वाचन में सदस्य निर्वाचित न किया जा सके तो जिला मजिस्ट्रेट इस तथ्य की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

**61. शास्तियां**–किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो–

(क) नियमों का उल्लंघन कर निर्वाचक नामावली या उसकी प्रति या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन या गडबड़ करे, या

(ख) इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए नियुक्ति या सेवायोजित किसी अधिकारी या सेवक को अपने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाले या हस्तक्षेप करे, या

(ग) किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्य स्थान पर चिपकाये गये या अन्यथा प्रकाशित किसी प्रतिलिपि, नोटिस या अन्य दस्तावेज को विरूपित करे, क्षति पहुँचाये, उलट–पुलट करे या हटाये तो वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है

**62. निर्वाचन पत्रों का निस्तारण**–(1) निर्वाचन विवरणी और क्रमशः नियम 52 और नियम 55 में उल्लिखित रिपोर्ट तत्सम्बन्धी पद के आगामी सामान्य निर्वाचन की समाप्ति तक रखे जायेंगे तत्पश्चात् उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या किसी प्राधिकारी द्वारा जो निर्वाचन याचिका की सुनवाई करता हो, दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुए नष्ट कर दिया जाएगा।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त अन्य पत्रादि एक वर्ष की अवधि के लिए रखे जायेंगे और तत्पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या किसी प्राधिकारी द्वारा जो निर्वाचन याचिका की सुनवाई करता हो, दिए गए किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुए नष्ट कर दिया जायेंगे।

## अध्याय–तीन

## प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन

**63. निर्वाचन**–(1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस अध्याय में,–

(क) "निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार" का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है जिसका नाम नियम 71 के अधीन तैयार की गयी, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित हो;

(ख) "निर्वाचन" का तात्पर्य ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिए निर्वाचन से है

(2) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में जो कि अपना नाम न लिख सकता हो इन नियमों में,अन्यथा स्पष्टया उपबन्धित के सिवाय, यह माना जायेगा कि उसने किसी लिखित या अन्य पत्र पर हस्ताक्षर किये हो, यदि–

(क) उसने निर्वाचन अधिकारी या मतदान अध्यक्ष की उपस्थिति में ऐसे लिखतों या अन्य पत्र पर अपने अंगूठे का चिन्ह लगा दिया है, और

(ख) ऐसे अधिकारी या अध्यक्ष उसकी पहिचान की संस्तुष्टि करके उस व्यक्ति के अंगुष्ठ चिन्ह को प्रमाणित कर दिया है, कि उक्त चिन्ह उसी व्यक्ति का अंगुष्ठ चिन्ह है

(3) अध्याय 2 के नियम 2 के उपबन्ध उपनियम (1) के खण्ड (ख), (ग), (ज), (झ) के सिवाय यथावश्यक परिवर्तनोकृ के साथ इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन निर्वाचनों और निर्वाचन पर लागू होंगे

**64. कतिपय उपबन्धों का लागू होना–** अध्याय 2 के नियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ इस अध्याय के अधीन निर्वाचनों पर भी लागू होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 4 और 5 के अधीन नियुक्त निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए क्रमशः निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन होंगे, और यह आवश्यक न होगा कि अलग से कोई नियुक्ति की जाय:

प्रतिबन्ध यह भी है कि निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थान पर मत डालने से उससे मतदान बूथ (चवससपदह इवबजी) सत्यापित कर सकता है, जितने कि वे मतदान की सुविधा के लिए आवश्यक समझें।

**65. प्रधान का सामान्य (जनरल) निर्वाचन–** ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिये सामान्य निर्वाचन इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

**66. प्रतीकों की सूची–** राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन में प्रयोग किये जाने के लिए प्रतीक नियत करेगा।

**67. नाम निर्देशन पत्रों का मुद्रण और उनकी पूर्ति–** जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अधीन नाम निर्देशन पत्रों का मुद्रण और पूर्ति उम्मीदवारों को करने की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र का मूल्य जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निश्चित किया जाये, इस प्रकार से होगा कि वह 25 रूपये से अधिक न हों

**68. निर्वाचन सूचना और दिनांक का नियत किया जाना–** जब कभी किसी नई ग्राम पंचायत के संघटन के लिए सामान्य निर्वाचन करना हो जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीनकृग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से साथ–साथ यह अपेक्षा करेगा कि वे उस दिनांक से पहले जो राज्य निर्वाचन आयोग नियत करें, प्रधान का भी निर्वाचन करें:

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले में समस्त ग्राम पंचायतों या ग्राम पंचायतों के समूह को एक ही आदेश जारी करने से निवारित नहीं करेगी।

(2) अध्याय 2 के नियम 14 के उपनियम (2) से (4) तक के उपबन्ध जहां तक हो सके इस अध्याय के अधीन निर्वाचन पर भी लागू होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त सम्बन्ध में प्रारम्भिक नाम वापसी के प्रति निर्देश का अर्थ यह लिया जायेगा कि वह नाम वापसी के प्रति निर्देश हैं

**69. नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना –** (1) ऐसा सदस्य जो निर्वाचन के लिए नाम निर्देशित होना चाहता हो स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचन अधिकारी को ऐसे दिनांक, स्थान और समय पर जो कि नियम 68 के अधीन नियत किये जायें, के पूर्व नाम निर्देशन पत्र जो कि निर्धारित प्रपत्र में होगा प्रस्तुत करेगा।

(2) उन नियमों में दी गयी किसी बात से कोई उम्मीदवार इसके लिए बाध्य न होगा कि वह एक निर्वाचन में कई नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्देशित न किया जाय।

(3) कोई नाम निर्देशन पत्र जो कि उस दिनांक पर जो कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत किया गया हो, नियत समय के समाप्त होने से पहले प्रस्तुत न किया जाय, निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) यदि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को उस समय से पहले जो कि इस सम्बन्ध में निश्चित किया गया हो, कोई भी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत न किया गया हो, तो निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

**70. नाम निर्देशन पत्र की नोटिस, उसकी जांच और उम्मीदवारों से नाम वापसी–** अध्याय 2 के नियम 16, 17 और 18 के उपबन्ध जहां तक हो सके इस अध्याय के अधीन निर्वाचन पर भी लागू होंगे

**71. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आवंटन**–(1) उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के दिनांक के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची विनिर्दिष्ट प्रपत्र में तैयार करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची के साथ ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन जो कि इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किये में प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार को एक भिन्न प्रतीक देगा।

(3) किसी उम्मीदवार को किसी प्रतीक का आवंटन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा और वह अन्तिम होगा उस दशा के सिवाय जब कि वह राज्य निर्वाचन आयोग के इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों से असंगत हों। ऐसी दशा में राज्य निर्वाचन आयोग उस रीति में जो कि वह उचित समझे फिर से प्रतीक आवंटित कर सकता है

(4) प्रत्येक उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता तुरन्त उस प्रतीक से सूचित किया जायेगा जो कि नियत उम्मीदवार को आवंटित किया जाये और निर्वाचन अधिकारी उक्त प्रतीक का उसको नमूना भी देगा।

(5) निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों की सूची में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णमाला में उनके नाम निर्देशन पत्र में दिये गये नामों के अनुसार लिखे जायेंगे उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के सन्दर्भ से वर्णमाला क्रम अवधारित किया जायेगा।

**72. कुछ दशाओं में निर्वाचन परिणामों की घोषणा**–(1) जहां नियम 71 के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह देखें कि केवल एक ही चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है तो वह तुरन्त उसको निर्वाचित घोषित कर देगा और निर्वाचित उम्मीदवार के नाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

**73. सविरोध निर्वाचन–** जब नियम 71 के अधीन सूची तैयार हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी यह देखें कि केवल एक ही चुनाव निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार है तो वह तुरन्त उसको निर्वाचित घोषित कर देगा और निर्वाचित उम्मीदवार के नाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

(2) यदि सब उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया हो तो निर्वाचन अधिकारी इस बात की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

**74. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु–** यदि किसी उम्मीदवार की, जो यथाविधि नाम निर्देशित हो चुका है और जिसने अपना नाम वापस न लिया हो, मृत्यु हो जाय और उसकी मृत्यु की सूचना मतदान होने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार की मृत्यु के सम्बन्ध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान रद्द कर देगा और निर्वाचन की सभी कार्यवाही इस प्रकार से उसी तरह नये सिरे से प्रारम्भ की जायगी मानों कोई नया निर्वाचन किया जा रहा है:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका नाम निर्देशन मतदान रद्द किये जाने के समय वैध रहा हो पुनः नाम निर्देशन आवश्यक न होगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान रद्द किये जाने के पूर्व नियम 70 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने का नोटिस दिया हो, इस प्रकार से मतदान रद्द किये जाने के पश्चात् नाम निर्देशित किये जाने के निमित्त पात्र न होगा।

**75. निर्वाचन से नाम वापस लेना**–(1) जब एक के अतिरिक्त समस्त उम्मीदवार निर्वाचन से अपना नाम वापस लेना चाहे तो वे सब इस सम्बन्ध में एक संयुक्त प्रार्थना–पत्र इस बीच में जो कि आगे दी गयी है दे सकते हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रार्थना–पत्र निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार स्वयं या अपने अभिकर्त्ताओं द्वारा निम्नलिखित रीति से प्रस्तुत कर सकते हो :

(क) निर्वाचन अधिकारी को मतदान के दिनांक से कम से कम तीन दिन पहले, या

(ख) मतदान अध्यक्ष को मतदान के निश्चित दिनांक पर तुरन्त मतदान आरम्भ होने से पहलें

(3) प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर मतदान अध्यक्ष मतदान की कार्यवाही नहीं करेगा और प्रार्थना–पत्र को निर्वाचन अधिकारी के पास भेज देगा।

(4) प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी नियम 72 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा और उसके परिणाम की तद्नुसार घोषणा करेगा।

**76. मतदान स्थल में प्रवेश–** मतदान अध्यक्ष, मतदान स्थल में निर्वाचकों के प्रवेश को विनियमित करेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को वहां से बाहर रखेगा :

(क) मतदान अधिकारी,

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार, उसका निर्वाचित अभिकर्त्ता और उसका मतदान अभिकर्त्ता,

(ग) कर्त्तव्यरूढ़ता पुलिस अधिकारी और अन्य लोकसेवक,

(घ) निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा,

(ङ) अंध या अशक्त निर्वाचक, जो सहायता के बिना चल फिर नहीं सकता हो, के साथ का व्यक्ति, और

(च) ऐसे अन्य व्यक्ति जिनको मतदान अध्यक्ष, मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय–समय पर आने दें।

(2) मतदान अध्यक्ष, नियम 114 के उपनियम (2) के अधीन मतदान बन्द करने के लिए निश्चित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश न करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सभी निर्वाचक जो मतदान केन्द्र के भीतर उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व उपस्थित हो अपने मत अभिलिखित कराने के हकदार होंगे

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक को उपनियम (2) के प्रतिबन्धात्मक दण्ड के प्रयोजनों के लिए मतदान स्थल बन्द किये जाने से पूर्व वहां पर उपस्थित समझा जाय या नहीं तो उसे मतदान अध्यक्ष किसी निर्णय के लिए अभिदिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

**77. मतदान की कार्यवाही**–इस अध्याय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतपत्र पर निशान लगाने की पद्धति अपनाई जायेगी और मत प्रतिनिधि के द्वारा (PROXY) नहीं दिया जायेगा।

**78. मतपत्र**–प्रत्येक मतपत्र उस प्रपत्र और डिजाइन की होगी जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दिया हों

**79. मतपेटिका**–(1) प्रत्येक मतपेटी उस डिजाइन व रंग की होगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) यह पेटियां इस प्रकार बनी होंगी कि मतपत्र केवल मतदान के समय उसमें डाले जा सके लेकिन ताला खोले या मुहर तोड़े उससे निकाले न जा सकते हों।

**80. मतदान के स्थान पर सूचनायें**–मतदान स्थान और मत डालने का कक्ष (booth), यदि कोई हो, के अन्दर और बाहर निम्नलिखित सूचनायें सुस्पष्ट रूप से लगा दी जायेंगी :

(क) निर्वाचन क्षेत्र जिसके मतदाता उस स्थल या मतदान कक्ष पर, जैसी दशा हो, अपने मत डालने के अधिकारी हों, और

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति जो कि नियम 71 के अधीन तैयार की गयी हों

**81. मतदान को गुप्त रखने का प्रबन्ध**–निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल पर इतने अलग–अलग कोष्ठ बनायेगा जितने कि वह आवश्यक समझे जहां से बाहर के असदसी मतदाताओं को मत डालते समय न देख सकें।

**82. मतदान स्थल पर मतपत्र तथा अन्य सामग्रियों की व्यवस्था**–निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल पर निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा :

(क) उतनी मतपेटियां कि जितनी आवश्यक हों;

(ख) पर्याप्त संख्या में मतपत्रों और उस निर्वाचन क्षेत्र के जहां के निर्वाचक मतदान स्थल पर मत देने के लिए हकदार हों, निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त सामग्री जिससे कि निर्वाचक मतपत्रों पर चिह्न लगा सके।

**83. मतदान के लिए मतपेटियों को तैयार किया**–(1) मतदान आरम्भ होने के ठीक पहले मतदान अध्यक्ष निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके अभिकर्त्ताओं को जो उस स्थान पर उपस्थित हों, वे अवसर देगा कि वह प्रत्येक उन मतपेटीयों का परीक्षा कर लें जो उस मतदान में प्रयोग में लायी जायेगी और उनको यह भी दिखला देगा कि वे पेटियां खाली हो।

(2) प्रत्येक मतपेटी या उसका कोई भाग या कोई वस्तु जो उससे संलग्न हो, पर ऐसा सुभेदक चिन्ह (distinguishing mark) डाल दिया जायेगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें।

(3) जब पेटियों को सुरक्षित करने के लिए कागज की मुहर लगाना आवश्यक हो तो मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के लिए कागज की मोहर पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस पर ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर या उनकी मोहर करायेगा जो वहां उपस्थित हों और जो उस पर अपने हस्ताक्षर या मोहर करना चाहें।

(4) इसके पश्चात् मतदान अध्यक्ष, इस प्रकार हस्ताक्षर की हुयी या मुहर लगायी हुयी कागज की मोहर को मतदान पेटी पर उस स्थान पर चिपका देगा जो कि उसके लिए निश्चित की गयी हो, और उसके पश्चात् मतदान पेटी को उनकी उपस्थिति में इस प्रकार बन्द कर देगा और उस पर मुहर लगा देगा कि मतपत्र डालने की झिर्री खुली रहें।

(5) जब पेटियों को सुरक्षित रूप से बन्द करने के लिए कागज की मुहर लगाना आवश्यक न हो तो मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी को इस प्रकार बन्द करेगा और उस पर मोहर लगायेगा कि मतपत्र डालने की झिर्री खुली रहें और उम्मीदवारों तथा उनके अभिकर्त्ता (Agents) को जो वहां उपस्थित हो इस बात की अनुमति देगा कि यदि वे चाहें तो उस पर अपनी भी मुहर लगा दें।

(6) मुहर जो पेटियों को सुरक्षित रूप से बन्द करने के लिए प्रयोग में लाई जाय इस प्रकार लगायी जायेगी कि बिना मोहर तोड़े मतदान पेटी न खुल सकें।

**84. मतपत्रों को डालने के लिए मतपेटीयों का रखा जाना**–मतपत्र डालने के लिए प्रत्येक मतपेटी इस प्रकार रखी जायेगी कि वह मतदान अध्यक्ष निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों व उनके अभिकर्त्ताओं को भी दिखती रहे।

**85. निर्वाचकों की पहचान**–(1) मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल पर ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह निर्वाचकों की मदद करके या मतदान कराने में अपनी सहायता करने के लिए उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है

(2) जैसे ही कोई निर्वाचक मतदान स्थल में प्रवेश करे वैसे ही मतदान अध्यक्ष, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृति मतदान अधिकारी, निर्वाचक का नाम तथा अन्य विवरण की जांच निर्वाचक नामावली में संगत प्रविष्टि से

करेगा और तब निर्वाचक की क्रम-संख्या, नाम और अन्य विवरण पुकारेगा।

(3) निर्वाचन लड़ने वाला कोई भी उम्मीदवार या उसका अभिकर्त्ता विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की पहचान के प्रति आपत्ति कर सकता है और जब ऐसी आपत्ति की जाय तो मतदान अध्यक्ष इस आपत्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त जांच करेगा और इस प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगा कि आपत्तिकर्त्ता अपनी आपत्ति को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे और आपत्तिकृत व्यक्ति अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करें।

(4) यदि ऐसी जांच के पश्चात् मतदान अध्यक्ष की राय हो तो आपत्ति सत्य सिद्ध नहीं की गई है तो वह आपत्ति व्यक्ति को मतदान देने की अनुमति देगा।

(5) मतपत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के अधिकार को निश्चित करने के लिए मतदान अध्यक्ष, निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि की केवल लिपिकीय या छपाई सम्बन्धी भूल पर ध्यान न देगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा व्यक्ति उस निर्वाचन के समरूप है जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बन्धित है

**86. मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखना और मतदान की प्रक्रिया**—(1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे इस नियमावली के नियम 33 के अधीन या किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मतपत्र दिया गया हो, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् निर्धारित मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) निर्वाचक मतपत्र प्राप्त होने पर तत्काल—

(क) मतदान कोष्ठों में से एक में जायेगा,

(ख) वहां उस उम्मीदवारों के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिये वह मतदान करना चाहता हो, मतपत्र में उस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण से चिह्न बनायेगा;

(ग) मतपत्र को इस प्रकार मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाय;

(घ) यदि अपेक्षित हो तो मतपत्र पर लगाया गया सुभेदक चिह्न (distinguishing mark) मतदान अध्यक्ष को दिखलायेगा;

(ङ) मुड़े मतपत्रों को मतपेटी में डालेगा; और

(च) मतदान स्थल से बाहर चला जायेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक असम्यक विलम्ब के बिना मतपत्र देगा।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक हो तब किसी अन्य निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने दिया जायेगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र दे दिया गया हो, मतदान अध्यक्ष द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी उपनियम (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो मतदान अध्यक्ष या मतदान अध्यक्ष के निदेशाधीन मतदान अधिकारी उन्हें दिये गये मतपत्र को चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं वापस ले लेगा।

(6) मतपत्र वापस लिये जाने के पश्चात् मतदान अध्यक्ष उसके पृष्ठ भाग पर शब्द "रद्द किया गया, मतदानपत्र प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित करेगा और उन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सभी मतपत्र, जिस पर शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" लिखे होंगे एक अलग लिफाफे में रखे जायेंगे जिसके ऊपर शब्द "मतपत्र, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" लिखे होंगे

(8) किसी ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा निर्वाचक जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस लिया गया हो, जिम्मेदार हो, ऐसे मतपत्र पर अभिलिखित मत, यदि कोई हो, की गणना नहीं की जायेगी।

**87. मतदाताओं को मतपत्रों का दिया जाना**—(1) मतदाता की पहचान हो जाने के पश्चात् उसको मतपत्र दे दिया जायेगा।

(2) मतदाता को दिये जाने के पहले प्रत्येक मतपत्र पर ऐसा सुभेदक चिह्न (distinguishing mark) लगा दिया जायेगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किया हों

(3) मतदाता को मतपत्र जारी करते समय, मतदान अध्यक्ष, उस रीति से जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे, इस प्रयोजन के लिए अलग रखी गयी निर्वाचक नामावली जिसे इस नियमावली में इसके पश्चात् "निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति" कहा गया है की प्रति में निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने उसकी क्रम–संख्या लिखेगा।

**88. मतदान**–मतपत्र प्राप्त होने पर मतदाता तुरन्त मतदान कोष्ठ में जायेगा और मतपत्र पर उस उम्मीदवार के प्रतीक पर या प्रतीक के निकट जिसको वह मत देना चाहता हो, निदेशों के अनुसार जिसे इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग जारी करें, चिह्न लगा देगा और उसे इस तरह मोड़ देगा कि उसका मत दिखाई न दे और मतपत्र पर सुभेदक चिह्न (distinguishing mark) को मतदान अध्यक्ष को दिखा कर इस प्रकार मोड़े गये मतपत्र को मतदान अध्यक्ष की उपस्थिति में मतपेटी में डाल देगा।

(2) प्रत्येक मतदाता असम्यक् विलम्ब के बगैर मतदान करेगा और अपना मतपत्र मतपेटी में डालते ही उस डालने के कमरे से बाहर आ जायेगा।

(3) किसी मतदाता को उस समय मतदान कोष्ठ में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जब कोई अन्य मतदाता उसके भीतर हों

**89. मतदान अध्यक्ष द्वारा जबकि उससे इसके लिए प्रार्थना की जा, मतदान के निर्देशों को समझाया जाना**–जब कोई मतदाता मतदान अध्यक्ष से प्रार्थना करे, मतदान अध्यक्ष उसको मतदान के सम्बन्ध में वे निर्देश समझायेगा, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये हों।

**90. अन्धे या अशक्त निर्वाचकों के मतों का अभिलेखन**–(1) यदि मतदान अध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि कोई निर्वाचक अन्धेपन या अन्य शासरिक अशक्तता के कारण बिना सहायता के मतपत्र में प्रतीकों को पहचानने या उन पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अध्यक्ष निर्वाचक को अपने साथ कम से कम 18 वर्ष की आयु का एक साथी, उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार, मतपत्र पर मत अभिलिखित करने के लिए तथा यदि आवश्यक हो, तो मतपत्र मोड़ने, जिससे मत छिप जाय और उसे मत पेटी में डालने के लिए, मतदान कोष्ठक में ले जाने की अनुमति देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व उस व्यक्ति से इस बात की घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को गोपनीय रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है

(2) मतदान अध्यक्ष, इस नियम के अधीन सभी मामलों का एक अभिलेख रखेगा।

(3) मतदान केन्द्र पर मतदान अध्यक्ष, किसी उससे कोई निर्वाचक इसका अनुरोध करें, उसे मतों को अभिलिखित करने के लिए मतपत्र के साथ दिये गये अनुदेशों को स्पष्ट करेगा।

**91. मतदाता द्वारा मतपत्र वापस किया जाना**–(1) यदि मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसका उपयोग न करना चाहे तो उसे मतदान अध्यक्ष को वापिस कर देगा।

(2) प्रत्येक ऐसे मतपत्र पर शब्द "रद्द" लिख दिया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए रखे गये लिफाफे में रख दिया जायेगा और मतदान अध्यक्ष, ऐसे समस्त मतपत्रों का लेखा रखेगा।

**92. मतदान के समय मतदान अध्यक्ष का मत कोष्ठक**–(1) यदि मतदान अध्यक्ष को यह सन्देह करने का कारण हो कि किसी मतदाता ने, जिसने मत कोष्ठ में प्रवेश किया है, मत कोष्ठ में असम्यक् देर की है तो वह मत कोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे आवश्यक उपाय करेगा जिससे कि मतदान का कार्य सुगमता और शीघ्रता के साथ होता रहें

(2) जब कभी इस नियम के अधीन मतदान अध्यक्ष, मत कोष्ठ में प्रवेश करे, तो उसके साथ निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके अभिकर्त्ता जो जाना चाहें, जा सकते हो।

**93. मतपत्रों का मतपेटियों से बाहर पाया जाना**–यदि कोई मतपत्र जो किसी मतदाता को दिया गया हो, उसके द्वारा मतपेटी में न डाला बया हो, और वह मतदान स्थल में या उसके निकट पायी जाय तो वह "रद्द" कर दिया जायेगा और उसके सम्बन्ध में नियम 91 में निर्धारित रीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

**94. निविदत्त मत**–(1) यदि कोई व्यक्ति अपने को निर्वाचक विशेष के रूप में प्रदर्शित करते हुए ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले ही मत देने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करे तो उसे अपनी पहचान के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानपूर्वक उत्तर देने के पश्चात् जैसा कि मतदान अध्यक्ष, पूछें, मतपत्र दिया जायेगा। इसके दूसरी ओर स्वयं मतदान अध्यक्ष, शब्द "निविदत्त मतपत्र" लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति निविदत्त मतपत्र दिये जाने के पहले विनिर्दिष्ट प्रपत्र में तैयार की हुयी सूची में अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करेगा।

(3) इसके पश्चात् उपर्युक्त व्यक्ति निविदत्त मतपत्र पर जहां तक सम्भव हो नियम 88 के उपबन्धों के अनुसार अपना मत देगा परन्तु वह उस मतपत्र को मतदान पेटी में नहीं डालेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा निविदत्त मतपत्र मतदान अध्यक्ष को दिया जायेगा जो तुरन्त उसे इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा। ऐसे मतों की गणना निर्वाचक अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी।

**95. मतदान के पश्चात् बक्सों, आदि का मुहरबन्द किया जाना**–(1) मतदान समाप्त होने पर यथाशक्य शीघ्र मतदान अध्यक्ष, प्रत्येक बाक्स के छेद को बन्द कर देगा और जहां बाक्स में छेद को बन्द करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति नहीं है जहां उस छेद पर मुहर बन्द करेगा और किसी निर्वाचन करने वाले उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता को जो उपस्थित हों उस पर मुहर लगाने की अनुमति देगा।

(2) तदपश्चात् सभी मत पेटियों पर विनिर्दिष्ट रीति से मुहरबन्द करेगा और उन्हें सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष, निम्नलिखित का अलग–अलग पैकिट बनायेगा :

(क) एक लिफाफे में निविदत्त मतपत्र,

(ख) रद्द किये गये मतपत्र,

(ग) निर्वाचक नामावली की चिह्नित सूची,

(घ) उपयोग में न लाये गये मतपत्र, और

(ङ) ऐसे कोई अन्य पत्र जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी ने मुहरबन्द पैकेट में रखने का निर्देश दिया हों

(4) प्रत्येक ऐसे पैकेट पर मतदान अध्यक्ष और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्त्ताओं द्वारा मुहर लगायी जायेगी जो उन पर अपनी मुहर लगाना चाहें।

**96. मतपत्रों का लेखा**–मतदान अध्यक्ष, मतदान समाप्त होने के पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतपत्रों का एक लेखा तैयार करेगा।

**97. मतपेटियों, आदि का निर्वाचन अधिकारी के पास भेजा जाना**–नियम 95 के अनुसार मतपेटियों और पैकेटों पर मुहर लगाये जाने के पश्चात् जितना शीघ्र सम्भव हो, मतदान अध्यक्ष ऐसे स्थान पर जो कि निर्वाचन अधिकारी निर्देश दें, निर्वाचन अधिकारी के सुपुर्द कर देगा या सुपुर्द करवायेगा।

(क) मतपेटियां;

(ख) नियम 95 में विनिर्दिष्ट पैकेट;

(ग) मतपत्रों का लेखा; और

(घ) अन्य ऐसे पत्र जो कि मतदान कार्य में उपयोग में लाए गये हों।

**98. मतपेटियों और पैकेटों का भेजा जाना और उनकी अभिरक्षा**–निर्वाचन अधिकारी जब तक कि मतपत्रों की बिनती प्रारम्भ न हो जाय, मतपेटियों और पैकेटों और अन्य पत्रों को जो नियम 97 में विनिर्दिष्ट किये गये हो, भेजे जाने और उनको अभिरक्षा में रखे जाने का पूरा प्रबन्ध करेगा।

**99. आकस्मिक घटना की दशा में मतदान का स्थगित किया जाना**–यदि किसी मतदान स्थल पर मतदान की कार्यवाही किसी बलवे या हिंसा के कारण रुक जाय या उसमें बाधा पड़ जाय या किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान की कार्यवाही सम्भव न हो तो उस मतदान स्थल का मतदान अध्यक्ष, मतदान की कार्यवाही को ऐसे दिनांक लिए, जो कि बाद में अधिसूचित किया जायेगा, स्थगित किये जाने की घोषणा करेगा। वहां मतदान की कार्यवाही को इस प्रकार स्थगित कर दिया जाय, मतदान अध्यक्ष, उसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को देगा।

(2) जब कभी उपनियम (1) के अधीन कोई मतदान कार्यवाही स्थगित कर दी जाय तो निर्वाचन अधिकारी उप परिस्थितियों की सूचना तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसकी पूर्व सूचित जहां तक सम्भव हो शीघ्र नये सिरे से मतदान के लिए दिनांक नियत करेगा और नये मतदान का स्थान और समय नियत करेगा और उनको इस प्रकार अधिसूचित करेगा जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें

(3) इस प्रकार के प्रत्येक यथा उपरोक्त मामलों में मतदान अध्यक्ष, नये सिरे से मतदान की कार्यवाही करेगा और इस अध्याय के उपबन्ध, नये मतदान की कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे मूल मतदान की कार्यवाही पर लागू थे

**100. मतपेटियों, आदि नष्ट किये जाने की दशा में एक नये सिरे से मतदान**–(1) यदि किसी निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी या मतदान अध्यक्ष के अधिकार में से अवैध रूप से मतपेटी छीन ली जाय या उसमें किसी अन्य प्रकार से गड़बड़ कर दी जाय या दुर्घटनावश साशय नष्ट कर दी जाय या खो जाये तो वह निर्वाचन जिसके सम्बन्ध में मतपेटी हो अमान्य हो जायेगी।

(2) जब उपनियम (1) के अधीन मतदान अमान्य हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी उस कार्य या घटना की सूचना देने के पश्चात् जिससे मतदान अमान्य हुआ है, जहां तक सम्भव हो शीघ्र इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसकी पूर्व स्वीकृति से नये सिरे से मतदान के लिए दिनांक नियत करेगा और वह स्थान और समय नियत करेगा जिस पर मतदान किया जायेगा और उसको उसी रीति में अधिसूचित करेगा, जो कि उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट निर्धारित करें

(3) इस प्रकार के प्रत्येक उपर्युक्त मामलों में मतदान अध्यक्ष, नये सिरे से मतदान करायेगा और इस अध्याय के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे नये मतदान पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे मूल मतदान पर लागू थे

**101. मतपत्रों की गणना के लिए समय, स्थान और दिनांक का नियत किया जाना**–(1) निर्वाचन अधिकारी मतपत्रों की गिनती के लिए एक दिनांक नियत करेगा जो मतदान की कार्यवाही होने के पश्चात् जहां तक सम्भव हो शीघ्र होगा और समय और ऐसा स्थान नियत करेगा जहां और सब मतपत्र गिने जायेंगे

(2) निर्वाचन अधिकारी, ऐसे दिनांक, स्थान और समय की सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं को देगा।

(3) यदि मतदान पत्रों को गिनने से नियत समय पर निर्वाचन अधिकारी को मतपत्रों की पेटिका प्राप्त न हो तक गिनती अपरिहार्य या दूसरे कारणों से व मतपत्रों की गिनती का कार्य न करा सके तो वह गिनती का कार्य दूसरे दिनांक के लिए स्थगित कर देगा और उसके लिए समय और स्थान नियत करेगा उसकी सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निश्चित अभिकर्त्ताओं को देगा।

**102. गणना अभिकर्त्ता**–(1) कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता मतों की गिनती के समय उपस्थित रहने के लिए एक गणना अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है

(2) ऐसी प्रत्येक नियुक्ति विविध रूप में की जायेगी।

(3) गिनती के समय उपस्थित रहने वाला गणना अभिकर्त्ता उस समय तक उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकेगा, जहां मतों की गिनती हो रही हो, जब तक कि वह उपनियम (2) के अधीन की गई अपनी नियुक्ति का पत्र निर्वाचन अधिकारी को न दें

**103. व्यक्ति जो कि गिनती के समय उपस्थित रह सकते हो**–(1) निर्वाचन लड़ने उम्मीदवारों, उनके अभिकर्त्ताओं, गणना अभिकर्त्ताओं और ऐसे व्यक्तियों के सिवाय जिनका निर्वाचन अधिकारी मतों की गिनती में अपनी

सहायता देने के लिए नियुक्त करें, निर्वाचन अधिकारी अन्य किसी व्यक्ति को मत गिनने के समय उपस्थित रहने की अनुमति नहीं देगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसको उम्मीदवार ने या उसकी ओर से या किसी और ने निर्वाचन के कार्य के लिए रखा हो या जो किसी और तरह से किसी किसी उम्मीदवार की ओर से निर्वाचन में कार्य कर रहा हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा मत गिनने के काम में सहायता देने के लिए रखा जायेगा।

**104. मत गिनने की प्रक्रिया**–उस दिनांक, समय और स्थान पर जो कि नियम 101 के अधीन नियत किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :

(क) निर्वाचन अधिकारी अपनी इस बात का समाधान करेगा कि सब मत पेटियां जो कि मतदान में प्रयोग में लाई गयी थीं और जो उस स्थान पर गिनी जानी है उसको प्राप्त हो गयी हो और उन सबका लेखा हो गया है

(ख) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवार उसके अभिकर्ताओं और गणना अभिकर्त्ताओं को जो गिनती के समय उपस्थित हों यह अवसर देगा कि मत पेटियों व उनकी मुहरों को अपनी यह संतुष्टि करने के लिए देख लें, कि वे ठीक हो।

(ग) निर्वाचन अधिकारी अपनी यह भी सुतुष्टि करेगा कि किसी मतदान पेटी में वास्तव में कोई गड़बड़ तो नहीं की गई है वह यह देखें कि किसी मतदान पेटी में गड़बड़ की गई है या वह नष्ट कर दी गई है या खो गई है तो निर्वाचन अधिकारी मतों की गिनती की कार्यवाही आगे नहीं करेगा और इस सम्बन्ध में नियम 100 के उपबन्ध लागू होंगे

(घ) यदि निर्वाचन अधिकारी संतुष्टि हो जाय कि वे सब मत पेटियां जिनकी उस स्थान पर गिनती की जानी है, प्राप्त हो गई हो और ठीक हो तो वह मत पेटियों में डाले गये मतपत्रों के गिनने की कार्यवाही आरम्भ करेगा। समस्त मत पेटियां जो कि मतदान स्थल पर प्रयोग में लाई गई हों खोली जायेंगी और तब मतपत्रों की गिनती का काम राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार जो कि उन मत पेटियों में हो उसी समय आरम्भ कर दी जायेगी।

(ङ) उन सब मतपत्रों का लेखा, जो कि उस स्थान की मतदान पेटियों में हो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में रखा जायेगा।

(च) निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं, गणना अभिकर्त्ताओं को, जो वहां उपस्थिति हों, इस बात का उचित अवसर देगा के वे उन मत पत्रों की जांच कर लें जो निर्वाचन अधिकारी की सम्मति से अस्वीकृत करने योग्य हों, परन्तु उन्हें उन मतपत्रों या अन्य मतपत्र को छूने की अनुमति नहीं देगा। निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतपत्र जो कि अस्वीकृत की जाय, हिन्दी में "अस्वीकृति" पृष्ठांकित कर देगा। यदि कोई उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता किसी मतपत्र के सम्बन्ध में उसके अस्वीकार किये जाने पर आपत्ति करता है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतपत्र पर संक्षिप्त रूप से उस मतपत्र के अस्वीकार करने के कारण भी लिखेगा।

(छ) मतदान स्थल की मत पेटियों के मत पत्रों की गिनती किये जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी ऐसे समस्त मतपत्रों को एक अलग पैकेट में रखवायेगा और उनमें ऐसे ब्योरे लिखे जायेंगे जिनसे यह ज्ञात हो सके कि ये किस ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में हो।

**105. मतपत्रों को अस्वीकार किये जाने के कारण**–(1) निर्वाचन अधिकारी कोई मत पत्र अस्वीकृत कर देगा यदि–

(क) उस पर कोई ऐसा चिह्न या लेख है जिससे निर्वाचक पहचाना जा सकता हो, या

(ख) वह बनावटी मतपत्र हो, या

(ग) इस प्रकार क्षत या विक्षत किया गया हो कि वास्तविक मत पत्र के रूप में उसका तादात्म्य स्थापित नहीं किया जा सकता हो, या

(घ) यदि उस पर उस विशिष्ट मतदान स्थल में प्रयोग के लिए प्राधिकृत मतपत्र की यथा स्थिति क्रम-संख्या या डिजाइन से भिन्न क्रम-संख्या या डिजाइन हो, या

(ङ) यदि उस पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरे जाने के लिए अपेक्षित स्थानों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में मत दिया जाय, या

(च) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाय।

(2) किसी मतपत्र पर अभिलिखित मत अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यदि मतपत्र पर मत दिये जाने को इंगित करने वाला चिह्न ऐसी रीति से लगाया गया हो जिससे यह सन्देहपूर्ण हो कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई मतपत्र केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि मत इंगित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या कि विशिष्ट उम्मीदवार के नाम के सामने से एक से अधिक बार लगाया गया है यदि मतपत्र पर जिस ढंग से चिह्न लगाया गया हो उससे स्पष्टतया यह प्रकट हो कि वह मत किसी विशिष्ट उम्मीदवार के लिए दिया गया है

(3) किसी मतपत्र की या किसी ऐसे मत पत्र पर दिये गये मत की वैधता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी का निर्णय किसी निर्वाचन याचिका के जिसमें निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो परीक्षण कर दिये गये किसी प्रतिकूल निर्णय के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

**106. मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखों का सत्यापन**—निर्वाचन अधिकारी निविदत्त मत पत्रों या निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के मुहरबन्द पैकेटों को नहीं खोलेगा। वह नियम 96 के अधीन मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र का सत्यापन, गणना किये गये मतों और अस्वीकृत मतपत्रों, अपने पास के अप्रयुक्त या खराब मतपत्रों की संख्या से और निविदत्त मतों की सूची से मिलान करके करेगा। तत्पश्चात् वह प्रत्येक ऐसे पैकेट को जिसे उसने खोला हो, फिर से बन्द करेगा और फिर से मुहर लगायेगा और प्रत्येक पैकेट पर उसकी अन्त वस्तुओं का ब्यौरा, ग्राम पंचायत का नाम, और निर्वाचन का दिनांक जिसके सम्बन्ध में वह हो, अभिलिखित करेगा।

**107. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन विवरण का तैयार किया जाना**—इसके पश्चात् निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विवरणी तैयार प्रमाणित करेगा और उसको निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित करेगा और उसमें निम्नलिखित ब्यौरे लिखेगा :

(क) उन उम्मीदवारों के नाम जिनको वैध मत दिये गये हों,

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये वैध मतों की संख्या,

(ग) वैध मततत्रों की संख्याओं का योग,

(घ) अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या,

(ङ) विनिदत्त मतपत्रों की संख्या, और

(च) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम।

निर्वाचन अधिकारी किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार, उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणना अभिकर्ता इस बात की अनुमति देगा कि वह निर्वाचन विवरण की प्रतिलिपि या उसका कोई उद्धरण ले लें

**108. मतों के बराबर होने की दशा**—मतों की पूरी गणना होने के पश्चात् यदि कई उम्मीदवारों के मतों की संख्यायें बराबर हों और उनमें एक मत अधिक बढ़ा देने से कोई एक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए जाने का अधिकारी हो जायेगा तो निर्वाचन अधिकारी तुरन्त उनके बीच पर्ची (लाटरी) डालेगा और इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो कि उस उम्मीदवार के जिसके हक में पर्ची निकली है एक और मत प्राप्त कर लिया है

**109. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा—मतदान** पेटियों में डाली गई मतदान पर्चियों की गिनती पूरी कर ली जाय, तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार को जिसको सबसे अधिक मत मिले हों निर्वाचित घोषित करेगा।

**110. निर्वाचन की सूचना और अधिसूचना**—नियम 109 के अधीन परिणाम की घोषणा के पश्चात् जितना शीघ्र सम्भव हो निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन परिणाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और ग्राम पंचायत सैक्रेटरी को भी उसकी सूचना देगा। जिला मजिस्ट्रेट परिणाम की सूचना राज्य निर्वाचन अधिकारी को देगा।

111. **निर्वाचन विवरणी मतपत्रों और निर्वाचन सम्बन्धी पत्रों की अभिरक्षा**–(1) निर्वाचन अधिकारी नियम 110 के अधीन निर्वाचन परिणाम की सूचना देने के पश्चात् निर्वाचन विवरणी को जिला पंचायत राज अधिकारी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए भेज देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मत पत्रों के पैकेटों और निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त अन्य पत्रों को भी जिला पंचायत राज अधिकारी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए भेज देगा।

112. **निर्वाचन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और निरीक्षण**–(1) जिला पंचायत राज अधिकारी की अभिरक्षा में मतपत्रों में चाहे वे वैध, अस्वीकृत या निविदत्त हों, और निर्वाचक नामांकन की चिह्नित प्रति के पैकेट हों तो किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो उनका निरीक्षण किया जायेगा और न तो उनका निरीक्षण किया जायेगा और न उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जब तक कि निर्वाचन याचिका की सुनवाई करने वाला कोई सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी आदेश न दें

(2) नियम 111 के उपनियम (1) के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अग्रसारित निर्वाचन विवरणियों की प्रतिलिपियां जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बारह रूपये प्रत्येक प्रति के हिसाब से फीस का भुगतान करने पर दी जायेगी।

(3) निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य सभी पत्रों का निरीक्षण जनता द्वारा ऐसी शर्तों के और ऐसी फीस का भुगतान करने के अधीन रहते हुए जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, किया जा सकेगा।

113. **निर्वाचन पत्रों का निस्तारण**–(1) निर्वाचन विवरणी जिसका उल्लेख क्रमशः नियम 109 और 110 में किया गया है उस सम्बन्धित पद के आगामी सामान्य निर्वाचन समाप्त होने तक रक्खी जायेगी और उसके पश्चात् ऐसे आदेशों के अधीन जो कि राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय या निर्वाचन याचिका सुनने वाला अधिकारी इसके विपरीत है, नष्ट कर दी जायेगी।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धी अन्य एक वर्ष की अवधि के लिए रक्खे जायेंगे और इसके पश्चात् ऐसे आदेशों के अधीन जो कि राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय या निर्वाचन याचिका सुनने वाला कोई अधिकारी इसके विपरीत दे, नष्ट कर दिये जायेंगे

114. **अपराध**–किसी भी व्यक्ति को जो–

(क) नियमों का उल्लंघन कर निर्वाचक नामावली या उसकी प्रति या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन करे या गड़बड़ करे, या

(ख) इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए नियुक्त या सेवायोजित किसी अधिकारी या सेवक को अपने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाले या हस्तक्षेप करे, या

(ग) किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्य स्थान पर चिपकाये गये या अन्यथा प्रकाशित किसी प्रतिलिपि, नोटिस या अन्य दस्तावेजों को विरूपित करे, क्षति पहुँचाये, उलट-पलट करे या हटाये तो वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है

115. **उप निर्वाचन**–यदि किसी प्रधान के पद पर आकस्मिक रिक्ति उसकी मृत्यु होने, त्याग–पत्र देने, हटाए जाने, उसके प्रधान की निर्वाचन से परिवर्जन से या अन्यथा किसी प्रकार से रिक्त हो जाये तो जिला मजिस्ट्रेट रिक्त स्थान की सूचना मिलने पर यथासम्भव शीघ्र नियम 14 के अनुसार उप निर्वाचन की भिन्न–भिन्न अवस्थाओं के लिए दिनांक, समय और स्थान नियुक्त करेगा और इस अध्याय में दिये गये नियम जहां तक सम्भव हो, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रधान के उपर्युक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

116. **प्रधान को निर्वाचित करने में असफलता**–(1) यदि नियम 67 के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रधान को निर्वाचित करने में असफल रहे, तो जिला मजिस्ट्रेट यथाशक्य शीघ्र, एक बार फिर उस दिनांक से पूर्व जो वह निश्चित करें प्रधान निर्वाचित करने की अपेक्षा करेगा और नियम 114 के उपनियम (2) में दिये गये प्रत्येक मद के लिये नया दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा और इस अध्याय के उपबन्ध उपरोक्तानुसार प्रधान के निर्वाचन के सम्बन्ध में यथासम्भव लागू होंगे

**117. उप प्रधान का निर्वाचन**–(1) ग्राम पंचायत के संगठन से सम्बन्धित अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र प्रधान या किसी कारणवश उसकी अक्षमता की दशा में या बैठक न बुलाने के कारण सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) उप प्रधान के निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा।

(2) प्रधान के निर्वाचन के लिए इस अध्याय में दिये गये नियम उप–प्रधान के निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि "निर्वाचन सूची", "निर्वाचन अधिकारी" के प्रति निर्देश जहां भी आए हों, क्रमशः ग्राम पंचायत के सदस्यों की सूची, और प्रधान या सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) यथास्थिति के प्रति निर्देश समझे जायेंगे

**118. निर्वाचन पत्रों का निस्तारण**–(1) प्रधान व उप प्रधान के निर्वाचन सम्बन्धी सभी पत्र, सिवाय निर्वाचन विवरणी के, ऐसे अन्य निर्देशों के अधीन जो कि राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिया गया है, चुनाव परिणाम घोषित हो जाने के दिनांक से एक वर्ष पश्चात् नष्ट कर दिये जायेंगे निर्वाचन विवरणी आगामी सामान्य निर्वाचन समाप्त होने तक रक्खी जायेगी और राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण द्वारा इसके विपरीत दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुए तत्पश्चात् नष्ट कर दी जायेगी।

**119. अधिनियम की धारा 11 घ के अधीन पद का रिक्त होना**–(1) जब कोई व्यक्ति ऐसे दो पदों पर निर्वाचित हो जाय, जिसे अधिनियम की धारा 11–घ के अधीन एक साथ धारण नहीं कर सकता है, तो उसके लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने निर्वाचन की घोषणा होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर एक पद के अतिरिक्त अपने सब पदों से त्याग–पत्र दे दे या यदि उक्त दो या अधिक पदों के निर्वाचन की घोषणा भिन्न–भिन्न दिनांकों पर हुई है, तो वह अन्तिम घोषणा के दिनांक से तीस दिन के भीतर त्याग–पत्र दे दें

(2) किसी ऐसे व्यक्ति के जो किसी ग्राम पंचायत का प्रधान और सदस्य या किसी न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित किया गया हो उपनियम (1) के उपबन्ध के अनुसार पद त्याग न करने की दशा में ग्राम पंचायत के सदस्य अथवा न्याय पंचायत के पंच के रूप में उसका स्थान रिक्त समझा जायेगा।(3) उपनियम (1) या (2) के अधीन रिक्त होने वाले पद या स्थान को इस प्रकार भरा जायेगा माना वह आकस्मिक रिक्ति हो।

# उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994[1]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 264–ख के साथ सपठित धारा 237 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषायें**–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है;

(ख) "निर्वाचन क्षेत्र" का तात्पर्य किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति में अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, और किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति में अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है;

(ग) "निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार" का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है, जिसका नाम नियम 20 के अधीन तैयार की गयी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित है;

(घ) "निर्वाचन" का तात्पर्य यथास्थिति, किसी क्षेत्र पंचायत या किसी जिला पंचायत में किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचन से है;

(ङ) "निर्वाचन विवरण" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी से है;

(च) "निर्वाचक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9 के अधीन किसी ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीत है, जो यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है;

(छ) "मतदान विवरणी" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतदान विवरणी से है;

(ज) "स्थान" का तात्पर्य यथास्थिति, किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचन के लिए किसी क्षेत्र को आबंटित स्थान से है

**3. प्रपत्र, आदि की भाषा**–इस नियमावली के अधीन तैयार किए गए या जारी प्रपत्र, सूचनाएँ, सूचियां और आदेश हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगे

**4. निर्वाचन का संचालन**–(1) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अधिनियम की धारा 6 या धारा 18 के अधीन सामान्य निर्वाचन का संचालन इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा–अपेक्षित, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए सभी निर्वाचनों के संचालन से सम्बन्धित सभी कृत्यों का सम्पादन करेगा।

**5. निर्वाचन अधिकारी**–(1) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सम्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित कृत्यों का सम्पादन करेगा और किसी निर्वाचन में उसका यह सामान्य कर्त्तव्य होगा कि यह ऐसे कार्य और बातें करे जो अधिनियम, नियमावली और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों द्वारा उपबन्धित रीति में निर्वाचन के प्रभावी ढंग से संचालन के लिए आवश्यक हों।

(3) उपनियम (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य निर्वाचन आयोग, यदि ऐसा करना समीचीन समझे, आदेश द्वारा, निदेश दे सकता है कि इस नियमावली के अधीन निर्वाचन अधिकारी को ऐसी शक्तियों, कर्त्तव्यों और कृत्यों का, जो उसके द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया जायेगा।

**6. सहायक निर्वाचन अधिकारी**–(1) जिला मजिस्ट्रेट किसी निर्वाचन अधिकारी को उसके कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है

(2) प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन, निर्वाचन अधिकारी के सभी या किन्हीं का सम्पादन करने के लिए सक्षम होगा।

(3) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में निर्वाचन अधिकारी के प्रति निर्देश में वह सहायक निर्वाचन अधिकारी भी सम्मिलित समझा जायेगा जो ऐसे किसी का सम्पादन कर रहा है, जिसे सम्पादित करने के लिए वह इस नियम के अधीन प्राधिकृत हो।

**7. मतदान स्थल**–निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पूर्वानुमोदन से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन स्थलों को विनिर्दिष्ट करेगा।

**8. मतदान अध्यक्ष**–(1) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) नियुक्त करेगा और उसी व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थलों के लिए मतदान अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है

(2) मतदान अध्यक्ष इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा सम्पादित किये जाने के लिए अपेक्षित कृत्यों का सम्पादन करेगा और उसका यह सामान्य कर्त्तव्य होगा कि वह मतदान स्थल पर शान्ति बनाये रखें और यह देखें कि मतदान सुचारू रूप से हो रहा है

(3) यदि मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल से स्वयं को अनुपस्थित होने के लिए बाध्य हो जाए तो उसके कृत्यों का सम्पादन ऐसा मतदान अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए पहले से प्राधिकृत किया गया हो

(4) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में मतदान अध्यक्ष के प्रति निर्देश में वह व्यक्ति भी सम्मिलित समझा जाएगा जो कि मतदान अध्यक्ष के ऐसे किसी कृत्य का सम्पादन कर रहा है, जिसे सम्पादित करने के लिए वह उपनियम (2) के अधीन प्राधिकृत है

**9. मतदान अधिकारी**–(1) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए इतने मतदान अधिकारी (पोलिंग आफीसर) या अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जितने वह मतदान अध्यक्ष के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने में, और ऐसे अन्य कार्य करने के लिए जो इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, आवश्यक समझें

(2) यदि कोई मतदान अधिकारी मतदान स्थल से अनुपस्थित हो, तो मतदान अध्यक्ष मतदान स्थाल पर उपस्थित उस व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को जो निर्वाचन में निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी उम्मीदवार द्वारा या उसकी तरफ से नियोजित किया गया हो या उसके लिए अन्यथा कार्य कर रहा हो, पूर्वतः अधिकारी की अनुपस्थित के दौरान मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है, और ऐसी नियुक्ति की सूचना तद्नुसार निर्वाचन अधिकारी को देगा।

**10. साथ–साथ निर्वाचन**–यदि क्षेत्र पंचायतों या जिला पंचायतों के निर्वाचन ग्राम पंचातों के निर्वाचनों के साथ–साथ होते हो तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज(सदस्यों, प्रधानों और उपप्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अधीन इस रूप में नियुक्त मतदान अध्यक्ष और मतदान अधिकारी इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए भी मतदान अध्यक्ष और मतदान अधिकारी होंगे

**11. निर्वाचन अभिकर्त्ता**–(1) किसी निर्वाचन के लिए कोई उम्मीदवार यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के किसी निर्वाचक को लिखित रूप में अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति की सूचना निर्वाचन अधिकारी को देगा।

(2) निर्वाचन अभिकर्त्ता निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन कर सकता है जिसके सम्पादन के लिए निर्वाचन अभिकर्त्ता इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत है

**12. मतदान अभिकर्त्ता**–(1) निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचकों में से किसी एक अन्य व्यक्ति को मतदान स्थल पर उस उम्मीदवार के मतदान अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है

(2) नियुक्ति एक लिखित पत्र द्वारा की जायेगी जिसे मतदान अध्यक्ष को मतदान आरम्भ होने से पूर्व दे दिया जायेगा।

**13. नाम निर्देशन पत्रों का मुद्रण और मूल्य**–जिला मजिस्ट्रेट नाम निर्देशन पत्रों के मुद्रण की और उम्मीदवारों को उनकी पूर्ति की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र का मूल्य क्षेत्र पंचायत के लिए निर्वाचन हेतु, एक सौ रुपये से अनधिक, और जिला पंचायत के लिए निर्वाचन हेतु एक सौ पचास रुपये से अनधिक उतना होगा जितना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया जाय।

**14. प्रतीकों की सूची**–राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले प्रतीकों को विनिर्दिष्ट करेगा।

**15. निर्वाचन की सूचना और दिनांक का निर्धारण**–(1) जब कभी सामान्य निर्वाचन होने वाला हो तो जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन, यथास्थिति क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा वे ऐसे दिनांक से पूर्व जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया जाए, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन करे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले की सभी क्षेत्र पंचायतों के लिए एक ही सूचना जारी करने से नहीं रोकेगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे निर्देशों के, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जायें, अधीन रहते हुए–

(क) नाम–निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिनांक, स्थान और समय;

(ख) नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने के लिए दिनांक, समय और स्थान;

(ग) उम्मीदवारी वापस लेने के लिए दिनांक, स्थान और समय; और

(घ) दिनांक या दिनांकों को जब और समय जिसके बीच, यदि आवश्यक हो, मतदान होगा, भी नियत करेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी ऐसी रीति में जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपनियम (1) व (2) के अधीन नियत दिनांकों, स्थानों और समय की सार्वजनिक सूचना देगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (3) के अधीन सूचना में नियम 7 में के अधीन नियत मतदान स्थल को भी विनिर्दिष्ट करेगा।

**16. नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना**–(1) किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किये जाने का इच्छुक व्यक्ति, निर्वाचन अधिकारी को स्वयं या अपने प्रस्तावक द्वारा नियम 15 के उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए नियत दिनांक और स्थान और समय के दौरान, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्ण किये गये नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान पर निर्वाचन लडना चाहता है तो नाम निर्देशन पत्र के साथ जनजाति या जाति विशेष जिसका वह हो, विनिर्दिष्ट करते हुए उसके द्वारा दी गयी घोषणा होगी कि वह यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों का सदस्य है

(3) कोई भी नाम निर्देशन पत्र, जो नाम निर्देशन पत्र भरे जाने के लिए नियत दिनांक को उस निमित्त नियत समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त नहीं होता है, निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) इन नियमों में दी गयी कोई बात, कोई उम्मीदवार को निर्वाचन के लिए उसी निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र द्वारा नाम निर्देशित किये जाने से निवारित नहीं करेगी।

(5) यदि कोई नाम निर्देशन पत्रों के प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत दिनांक को इस निमित्त नियत समय की समाप्ति के पूर्व, कोई नाम निर्देशन पत्र प्राप्त न हो तो निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

**17. नाम निर्देशन पत्रों की सूचना**–नियम 16 के अधीन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को नाम निर्देशनों की जांच के लिए नियत दिनांक, समय और स्थान की सूचना देगा, और नाम निर्देशन पत्र पर उसकी क्रम–संख्या डालेगा और अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाण–पत्र अंकित करेगा कि किस दिनांक और किस समय उसको नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की एक सूची भी तैयार करेगा और इस प्रकार नाम निर्देशित व्यक्तियों के नामों की घोषणा करेगा।

**18. नाम निर्देशनों की जांच**–नाम निर्देशन की जांच करने के लिए नियत दिनांक, समय और स्थान पर निर्वाचन अधिकारी ऐसे नाम निर्देशन पत्रों की जो नियम 16 के उप नियम (3) के अधीन पहले से ही अस्वीकृत न किये गए हों, उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं, यदि कोई हो, की उपस्थिति में उनको नाम निर्देशन पत्रों की परीक्षा के लिए युक्तियुक्त सुविधाएँ देने के पश्चात्, जांच करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी किसी नाम निर्देशन पत्र को निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधारों पर अस्वीकृत कर सकता है–

(क) उम्मीदवार अधिनियम के अधीन स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिए अर्ह नहीं है

(ख) कि उम्मीदवार अधिनियम की धारा 13 या धारा 26 के अधीन स्थान की पूर्ति के लिए चुने जाने के लिए अनर्हित हो,

(ग) कि नियम 16 के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया है, या

(घ) कि अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक का हस्ताक्षर प्रामाणिक नहीं है या कपट द्वारा प्राप्त किये गए हो।

निर्वाचन अधिकारी किसी नाम निर्देशन पत्र को, किसी तकनीकी दोष या अन्य त्रुटि के कारण जो सारवान न हो अस्वीकृत नहीं करेगा और किसी ऐसे दोष या त्रुटि को दूर करने के प्रयोजन से नाम निर्देशन पत्र में किसी प्रविष्टि को ठीक करने की अनुमति दे सकता है

(3) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसको स्वीकार या अस्वीकृत किये जाने के अपने निर्णय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत किया गया हो तो ऐसी अस्वीकृति के उसके कारणों का संक्षिप्त विवरण भी लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

(4) नाम निर्देशन पत्रों की जांच समाप्त होने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के नाम घोषण करेगा जिनके नाम निर्देशन उसने स्वीकार किया है और इस ऐसे उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा जिसमें उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णमालानुक्रम में उनके नाम निर्देशन पत्रों में दिये गये विवरणों के साथ होंगे

(5) यदि समस्त नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार कर दिये गए हों तो निर्वाचन अधिकारी उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

**19. उम्मीदवारों की वापसी**–कोई भी उम्मीदवार लिखित सूचना द्वारा, जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगी और जो स्वयं उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचन अधिकारी को नियम 15 के अधीन वापसी के लिये नियत दिनांक को और समय के भीतर दी जायेगी, अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है एक बार दी गई सूचना वापस नहीं ली जा सकती और वह अन्तिम होगी।

**20. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आबंटन**–(1) नियम 15 के अधीन उम्मीदवारी के लिये नियत दिनांक की समाप्ति के ठीक पश्चात् निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला के क्रम में उसी प्रकार दिये जायेंगे जैसे वे उनके नाम, नाम निर्देशन पत्रों में दिये गये हों। वर्णमाला के क्रम का अवधारण उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के अनुसार किया जायेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के साथ–साथ निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए अलग–अलग प्रतीक आवंटित करेगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को कोई प्रतीक आवंटित किया जाना अंतिम होगा, सिवाय उस दशा में जब यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं निदेशों से असंगत हों और उस दशा में राज्य निर्वाचन आयोग आबंटन को ऐसी रीति से संशोधित कर सकता है जैसा यह उचित समझें

(5) प्रत्येक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता को उम्मीदवार को आवंटित प्रतीक की सूचना तुरन्त दी जायेगी और उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका एक नमूना दिया जायेगा।

**21. निर्विरोध निर्वाचन**–(1) जहां नियम 20 के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वालों में सम्यक् रूप से उम्मीदवार केवल एक ही है, तो वह ऐसे उम्मीदवार को तुरन्त निर्विरोध घोषित कर देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी इस नियम के अधीन निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के नामों और स्थानों के प्रकार उनके (आरक्षित या अनारक्षित) जिन पर वे निर्वाचित हुए थे और रिक्त रह गये दोनों प्रकार की स्थानों की संख्या की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

**22. सविरोध निर्वाचन**–जहां नियम 20 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाता है कि किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है तो वह तुरन्त सूची को उस रीति में प्रकाशित करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट विनिर्दिष्ट करे और इस बात की भी घोषणा करेगा कि मतदान उस दिनांक को और उस स्थान पर और समय के भीतर किया जायेगा जो इसके लिए नियत किये जायें

**23. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु**–यदि किसी उम्मीदवार की जिसका नाम निर्देशन नियम 18 के अधीन वैध पाया गया हो और जिसने नियम 19 के अधीन अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, मृत्यु हो जाय और निर्वाचन अधिकारी को उसकी मृत्यु की सूचना मतदान आरम्भ होने से पहले प्राप्त हों जाय तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार की मृत्यु के सम्बन्ध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और निर्वाचन से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियां हर प्रकार से उसी तरह नये सिरे से आरम्भ की जायेंगी मानों कोई नया निर्वाचन किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका नाम निर्देशन मतदान को प्रत्यादिष्ट किये जाने के समय वैध रहा हो, नाम निर्देशन आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह और कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी उम्मीदवारी की वापसी की नोटिस मतदान प्रत्यादिष्ट किये जाने से पूर्व दिया हो, मतदान के इस प्रकार प्रत्यादिष्ट किये जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिये नाम निर्देशित किये जाने के लिए पात्र न होगा।

**24. मतदान स्थल में प्रवेश**–(1) मतदान अध्यक्ष, मतदान स्थल में निर्वाचकों के प्रवेश को विनियमित करेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर, अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर रखेगा–

(क) मतदान अधिकारी,

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता और उसका मतदान अभिकर्त्ता,

(ग) ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और अन्य लोक सेवक,

(घ) निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा,

(ङ) अन्धे या अशक्त निर्वाचक जो सहायता के बिना चल फिर न सकते होकृ, के साथ का व्यक्ति, और

(च) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदान अध्यक्ष, मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये समय–समय पर आने दें

(2) मतदान अध्यक्ष नियम 15 के उपनियम (1) के अधीन मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय–स्थल को बन्द कर देगा और उस समय के बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश न करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि सभी निर्वाचक जो मतदान केन्द्र के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व, उपस्थित हों, अपने मत अभिलिखित करने के हकदार होंगे

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक को उपनियम (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रयोजनों के लिए मतदान स्थल बन्द किए जाने के पूर्व वहां पर उपस्थित समझा जाय या नहीं तो मतदान अध्यक्ष के निर्णय के लिये अभिदिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

**25. मतदान की प्रक्रिया**–इस नियमावली के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मत पत्र पर चिह्न लगा कर मतदान करने की रीति का अनुसरण किया जायेगा और परोक्षी द्वारा कोई मत स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**26. मतपत्र**–(1) प्रत्येक मत–पत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसी डिजाइन का होगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(2) किसी निर्वाचक को मतपत्र जारी करने के पूर्व उस पर ऐसे सुभेदक चिह्न की मुहर लगाई जा सकती है जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें।

**27. मत पेटियां**–(1) प्रत्येक मतपेटी ऐसी डिजाइन और रंग की होगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(2) यह इस प्रकार से बनायी जायेगी कि मतदान के समय उसमें मतपत्र डाला जा सके किन्तु पेटी को खोले बिना या मुहर को तोड़े बिना निकाला न जा सके

(3) प्रत्येक मतपेटी या उसके किसी संघटक भाग अथवा उससे सम्बद्ध किसी चीज पर भी ऐसा अन्य सुभेदक चिह्न लगाया जाय जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें।

**28. मतदान की नोटिस**–मतदान स्थल और मतदान केन्द्र के बाहर–भीतर सुप्रकट रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित किया जायेगा–

(क) एक नोटिस जिसमें ऐसा मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट होगा जिसके निर्वाचकों का उस मतदान स्थल या मतदान केन्द्र पर यथास्थित मत देना हो, और

(ख) नियम 20 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की प्रतिलिपि।

**29. मतदान की गोपनीयता के लिए प्रबन्ध**–मतदान स्थल पर मतदान कोष्ठाकृ जहां पर निर्वाचक अपने मत, औरों की दृष्टि से बचा कर, अभिलिखित कर सके की संख्या उतनी होगी जैसा निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझों

**30. मतदान स्थल पर उपलब्ध कराये जाने वाले मतपत्र तथा अन्य सामग्रियां**–निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल पर निम्नलिखित उपलब्ध करायेगा–

(क) उतनी मतपेटियां जितनी आवश्यक हों,

(ख) पर्याप्त संख्या में मतपत्र और उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदान क्षेत्र जहां के निर्वाचक उस मतदान स्थल पर मत देने के लिए हकदार हों, से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां, और

(ग) अन्य सज्जा और उपसाधन जो मतदान कराने के लिए अपेक्षित हों

**31. मतदान के लिए मतपेटी तैयार करना**–(1) मतदान अध्यक्ष, मतदान आरम्भ होने के ठीक पूर्व निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों और उनके अभिकर्त्ताओं को जो ऐसे स्थल पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयुक्त की जाने वाले प्रत्येक मत पेटी का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और उनको यह दिखलायेगा कि वे खाली हो।

(2) तत्पश्चात् उपर्युक्त व्यक्तियों की उपस्थिति में मतपेटियां बन्द कर दी जायेगी, और जहां मतपेटियों की सुरक्षा के लिए कागज की मुहरों का प्रयोग करना आवश्यक हो वहां मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के लिए कागज की मोहर पर अपना हस्ताक्षर करेगा और उस पर ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर लेगा या उनकी मुहरें लगवायेगा, जो उपस्थित हों और जो उन्हें लगाने के इच्छुक हों।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष इस प्रकार हस्ताक्षरित या मुहर लगी हुई कागज की मुहर को मतपेटी में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में लगायेगा और तत्पश्चात् उम्मीदवारों या उनके अभिकर्त्ताओं के सामने, जो उपस्थित

हों, ऐसी रीति से प्रत्येक मतपेटी को सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा और मुहर लगायेगा कि उसमें मतपत्र डालने के लिये छिद्र खुला रहें

(4) जहां मतपेटियों की सुनिश्चित रूप से बन्द करने के लिए कागज की मुहरों का उपयोग किये जाने की आवश्यक न हो, वहां मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी को इस रीति से सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा और मुहर लगायेगा कि मतपत्र को डालने के लिये छिद्र खुला रहे और उम्मीदवारों या उनके अभिकर्त्ताओं को जो उपस्थित हों और यदि वे चाहें, अपनी मुहरें लगाने की अनुमति देगा।

**32. मतपत्रों को डालने के लिए मतपेटियों का रखा जाना**—मतपत्रों को डालने के लिए मतपेटी मतदान अध्यक्ष, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके अभिकर्त्ताओं के सामने रखी जायेगी।

**33. निर्वाचकों की पहचान**—(1) मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल पर ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह निर्वाचकों की पहचान करने में मदद करने या मतदान कराने में अपनी अन्यथा सहायता के लिए उपयुक्त समझे, सेवायोजित कर सकता है

(2) जैसे ही कोई निर्वाचक मतदान स्थल में प्रवेश करे वैसे ही मतदान अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृति मतदान अधिकारी निर्वाचक का नाम तथा अन्य विवरणों की जांच निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि से करेगा और वह निर्वाचक की क्रम–संख्या, नाम और विवरणों को पुकारेगा।

(3) कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका अभिकर्त्ता निर्वाचक होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की पहचान के प्रति आपत्ति कर सकता है और जब ऐसी आपत्ति की जाय तो मतदान अध्यक्ष उस आपत्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा करेगा कि आपत्तिकर्त्ता अपनी आपत्ति को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे और आपत्तिकृत व्यक्ति भी अपनी पहचान को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करें।

(4) यदि ऐसी जांच के पश्चात् मतदान अध्यक्ष की यह राय हो कि आपत्ति सत्य सिद्ध नहीं की गई तो वह आपत्तिकृत व्यक्ति को मत देने की अनुमति देगा।

(5) मतपत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के अधिकार को निश्चित करने के लिए मतदान अध्यक्ष निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि की केवल लिपिकीय या छपाई की ओर ध्यान नहीं देगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका यह समाधान हो जाय कि उक्त प्रविष्टि ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में है

**34. निर्वाचकों को मतपत्रों को दिया जाना**—(1) किसी मतदाता की पहचान हो जाने के पश्चात् उसे एक मतपत्र दिया जायेगा।

(2) किसी निर्वाचक को मतपत्र देने के समय अध्यक्ष ऐसी रीति से जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दे, उसकी क्रम–संख्या, उस प्रयोजन के लिए अलग रखी गई निर्वाचक नामावली की प्रति में जिसे इसके पश्चात् इस नामावली में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के रूप में उल्लिखित किया गया है, उस निर्वाचक सम्बन्धी प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा।

**35. मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखना और मतदान की प्रक्रिया**—(1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे इस नियमावली के नियम 34 के अधीन या किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मतपत्र दिया गया हो, केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिनपश्चात् निर्धारित मतदान की प्रक्रिया का पालन करेगा:

(2) निर्वाचक मत पत्र प्राप्त होने पर तत्काल–

(क) मतदान कोष्ठाकृ में से किसी एक में जायेगा,

(ख) वहां उस उम्मीदवार के प्रतीक पर या उसके निकट जिसके लिये वह मतदान करना चाहता हो, मतपत्र में उस प्रयोजन के लिए दिये उपकरण से चिह्न लगायेगा,

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाय,

(घ) यदि अपेक्षा की जाय तो मतपत्र पर किया गया सुभेदक चिह्न मतदान अध्यक्ष को दिखायेगा,

(ङ) मुड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डालेगा, और

(च) मतदान स्थल से बाहर चला जायेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के मत देगा।

(4) मतदान कोष्ठ में किसी निर्वाचक के मौजूद होने पर किसी अन्य निर्वाचक को प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र दे दिया गया हो, मतदान अध्यक्ष द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी, उपनियम (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो उसके दिये मतपत्र को चाहे उस पर मत अभिलिखित किया हो या नहीं, मतदान अध्यक्ष या मतदान अध्यक्ष के निर्देशाधीन मतदान अधिकारी द्वारा उससे वापस ले लिया जायेगा।

(6) मतपत्र वापस ले लिये जाने के पश्चात् मतदान अध्यक्ष उसकी दूसरी ओर शब्द "रद्द किया गया मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित करेगा और इन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सभी मतपत्र, जिन पर शब्द "रद्द किया गया मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित हो, एक पृथक लिफाफे में रखे जायेंगे, जिसके ऊपर शब्द मतपत्र "(मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन)" लिखा होगा।

(8) किसी ऐसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए ऐसा निर्वाचक जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस लिया गया है, भागी हो, यदि मतपत्र पर कोई मत अभिलिखित किया गया हो तो उसकी गणना नहीं की जायेगी।

**36. अन्धे या अशक्त निर्वाचकों के मतों का अभिलेख**–(1) यदि मतदान अध्यक्ष का यह समाधान हो जाये कि कोई निर्वाचक अन्धेपन या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण मतपत्र के प्रतीकों के सहायता के बिना पहचानने या उन पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अध्यक्ष निर्वाचक को अपने साथ कम से कम अठ्ठारह वर्ष का एक साथी उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र मोड़ने जिससे मत छिप जाय और उसे मत पेटी में डालने के लिए मतदान कोष्ठक में ले जाने की अनुमति देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

यह और कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व उस व्यक्ति से इस बात की घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को गोपनीय रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है

(2) मतदान अध्यक्ष इस विषय के अधीन सभी मामलों का एक अभिलेख रखेगा।

(3) किसी मतदान केन्द्र पर मतदान अध्यक्ष निर्वाचक के अनुरोध करने पर उसे मतों को अभिलिखित करने के लिए मतपत्र के साथ दिये गये अनुदेशों को स्पष्ट कर देगा :

**37. निर्वाचक द्वारा मतपत्रों का लौटाया जाना**–(1) यदि कोई निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसे प्रयोग में न लाने का निश्चय करे तो उसे मतदान अध्यक्ष को लौटा देगा।

(2) प्रत्येक ऐसे मतपत्र पर शब्द "रद्द किया गया लौटाया गया" अंकित किया जायेगा और उक्त प्रयोजन के लिए अलग रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा और मतदान अध्यक्ष ऐसे सभी मतपत्रों का एक अभिलेख रखेगा।

(3) यदि किसी निर्वाचक ने असावधानी के कारण अपने मतपत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मतपत्र के रूप में सुविधापूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो मतदान अध्यक्ष को मतपत्र लौटाने पर और असावधानी के बारे में उसका समाधान कर देने पर उसे दूसरा मतपत्र दिया जा सकता है और इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर मतदान अध्यक्ष द्वारा शब्द "खराब और रद्द किया गया" अंकित किया जायेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा।

**38. मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में मतदान अध्यक्ष का प्रवेश**–(1) यदि मतदान अध्यक्ष को यह सन्देह करने का कारण हो कि कोई निर्वाचक तो मतदान कोष्ठ में गया है, मतदान कोष्ठ में अनावश्यक विलम्ब कर रहा

है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकता है और ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो मतदान की निर्विघ्न और त्वरित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों

(2) जब कभी मतदान अध्यक्ष इस नियम के अधीन मतदान कोष्ठ में प्रवेश करे तो उसके साथ निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवार या उनके अभिकर्त्ता जो प्रवेश करना चाहें, प्रवेश कर सकेंगे

**39. मत पेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र**–यदि कोई मतपत्र जो किसी निर्वाचक को दिया गया हो, उसके द्वारा मत पेटी में न डाला जाय, और वह मतदान स्थल में या उसके निकट पाया जाये तो उसे रद्द कर दिया जायेगा और उसके सम्बन्ध में नियम 37 में निर्धारित रीति से कार्यवाही की जायेगी।

**40. निविदत्त मत**–(1) यदि कोई व्यक्ति अपने को यह प्रदर्शित करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करे तो उसे अपनी पहचान के बारे में उन प्रश्नों के सन्तोषजनक उत्तर देने के पश्चात् जैसा कि मतदान अध्यक्ष पूछे, मतपत्र दिया जायेगा जिसके दूसरी ओर स्वयं मतदान अध्यक्ष शब्द "निविदत्त मतपत्र" लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र दिये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र की सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा।

(3) तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति यथासम्भव नियम 35 के उपबन्धों के अनुसार निविदत्त मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा, किन्तु अपना मतपत्र मतपेटी में नहीं डालेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा निविदत्त पत्र मतदान अध्यक्ष को दिया जायेगा, जो उसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में तुरन्त रखेगा। ऐसे मतों की गणना निर्वाचक अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी।

**41. मतदान के पश्चात् मत पेटियां आदि का मुहरबन्द किया जाना**–(1) मतदान समाप्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र पश्चात् मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के छिद्र को बन्द कर देगा और जहां पेटी में छिद्र को बन्द करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति नहीं है वहां उस छिद्र पर मुहर लगायेगा और किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता को जो उपस्थित हों, उस पर मुहर लगाने की अनुमति देगा।

(2) तत्पश्चात् सभी मत पेटियों पर विनिर्दिष्ट रीति से मुहर लगायी जायेगी और उन्हें सुनिश्चित रूप से बन्द किया जायेगा।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष निम्नलिखित का अलग–अलग पैकिट बनायेगा :

(क) एक लिफाफे में निविदत्त मतपत्र,
(ख) रद्द किये गये मतपत्र,
(ग) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति,
(घ) उपयोग में न लाये गये मतपत्र, और
(ङ) ऐसा कोई अन्य पत्र जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी ने मुहर बन्द पैकेट में रखने का निर्देश दिया हों

(4) प्रत्येक ऐसे पैकेट पर मतदान अध्यक्ष और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्त्ताओं द्वारा भी मुहर लगायी जायेगी, जो उन पर अपनी मुहर लगाना चाहें।

**42. मतपत्रों का लेखा**–मतदान अध्यक्ष मतदान के बन्द होने पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतपत्रों का लेखा तैयार करेगा।

**43. मत पेटियों, आदि का निर्वाचन अधिकारी को प्रेषण**–नियम 41 के अनुसार मत पेटियों और पैकेट को मुहरबन्द कर दिये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र मतदान अध्यक्ष निर्वाचन अधिकारी को उसके द्वारा निर्देशित स्थान पर–

(क) मतपेटियां,
(ख) नियम 41 में निर्दिष्ट पैकेट,
(ग) मतपत्र लेखा, और
(घ) मतदान में उपयोग में लाए गये सभी अन्य पत्र, भेजे गा या भिजवायेगा।

**44. मत पेटियों और पैकेटों का परिवहन और उनकी अभिरक्षा**–निर्वाचन अधिकारी नियम 43 में निर्दिष्ट सभी मत पेटियों, पैकेटों और अन्य पत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारम्भ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उचित प्रबंध करेगा।

**45. आपात स्थिति में मतदान का स्थगन**–(1) यदि किसी निर्वाचन में मतदान स्थल पर कार्यवाहियों में किसी बल्वे या हिंसा के कारण बाधा पड़ जाये या किसी प्राकृतिक आपात के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना सम्भव न हो, तो ऐसे मतदान स्थल का मतदान अध्यक्ष किसी ऐसे दिनांक तक जो बाद में अधिसूचित किया जायेगा, मतदान स्थगित किये जाने की घोषणा करेगा और जहां मतदान इस प्रकार स्थगित किया जाय, मतदान अध्यक्ष इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त देगा।

(2) जब कभी उपनियम (2) के अधीन मतदान स्थगित किया जाय तो निर्वाचन अधिकारी उप परिस्थितियों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त देगा और उसके पूर्वानुमोदन से यथाशक्यशीघ्र नया मतदान कराने के लिए कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहां पर तथा समय जिसके दौरान नया मतदान कराया जायेगा, नियत करेगा और उसे उसी रीति से अधिसूचित करेगा जैसा मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) उपर्युक्त प्रत्येक ऐसे मामले में मतदान अध्यक्ष पुनः नया मतदान करायेगा और इस नियमावली के उपबन्ध नये मतदान के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हों।

**46. मत पेटियों के नष्ट आदि कर दिये जाने की दशा में नया मतदान**–(1) यदि किसी निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी या किसी मतदान अध्यक्ष की अभिरक्षा से कोई मत पेटी अवैध रूप से निकाल ली जाय अथवा किसी प्रकार से दुर्घटनावश या जानबूझ कर नष्ट कर दी जाये या खो जाये तो ऐसे मतदान स्थल जहां पर वह मतपेटी हो के सम्बन्ध में मतदान अमान्य होगा।

(2) जब कभी मतदान उपनियम (1) के अधीन अमान्य हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी ऐसा कार्य या ऐसी घटना की जिसके कारण हिंसा हुई हो जानकारी होने के पश्चात् यथाशाक्यशीघ्र उक्त मामले की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसके पूर्वानुमोदन से नये मतदान कराने के लिए कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहां पर और वह समय जिसके दौरान मतदान कराया जायेगा, निश्चित करेगा और उसे ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें

(3) उपर्युक्त प्रत्येक मामले में मतदान अध्यक्ष नया मतदान करायेगा और इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे मतदान के सम्बन्ध में उस प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हो।

**47. गणना के लिए समय, स्थान और दिनांक का नियत किया जाना**–(1) निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना के लिए एक दिनांक नियत करेगा जो मतदान पूरा होने के यथासाध्यशीघ्र पश्चात् होगा और समय और स्थान निश्चित करेगा, जहां मतों की गणना की जायेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी ऐसे दिनांक, समय और स्थान की सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं को देगा।

(3) यदि मतों की गणना के लिए ऐसे नियत समय पर निर्वाचन अधिकारी को गणना किए जाने वाली मतों की मतपेटियां प्राप्त न हों या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से वह गणना की कार्यवाही करने में असमर्थ हों तो वह गणना किसी दूसरे दिनांक के लिए स्थगित कर सकता है और इसके लिए स्थान और समय नियत करेगा और उसकी सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं को देगा।

**48. गणना अभिकर्त्ता**–(1) निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता मतों की गणना पर एक व्यक्ति को अपना गणना अभिकर्त्ता के रूप में उपस्थिति रहने के लिए नियुक्त कर सकता है

(2) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति लिखित रूप में, गणना के प्रारम्भ होने के पूर्व, की जायेगी।

(3) किसी भी गणना अभिकर्त्ता को गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश तब तक नहीं करने दिया जायेगा जब तक कि उसने निर्वाचन अधिकारी को उपनियम (2) के अधीन अपनी नियुक्ति का पत्र नहीं दे दिया है

**49. व्यक्ति, जो गणना के समय उपस्थित रह सकते हो**–(1) प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता और उसका गणना अभिकर्त्ता और ऐसे व्यक्तियों के अतिरिक्त जिन्हें निर्वाचन अधिकारी

मतों की गणना करने में अपनी सहायता देने के लिए नियुक्त करें, उनिर्वाचन अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को मतों की गणना के समय उपस्थिति रहने की अनुमति नहीं देगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसको किसी उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या जो निर्वाचन में या निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी उम्मीदवार के लिए अन्यथा कार्य कर रहा है, मतों की गणना में निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) किसी व्यक्ति को, जिसने मतों की गणना के दौरान दुराचरण किया है या जो निर्वाचन अधिकारी के विधि पूर्ण आदेशों को मानने में विफल रहा हो, निर्वाचन अधिकारी या ड्यूटी कर रहे किसी पुलिस अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा तो उस स्थान से जहां मतों की गणना की जा रही है, हटाया जा सकता है

**50. गणना की प्रक्रिया**– निर्वाचन अधिकारी, नियम 47 के अधीन नियत दिनांक, समय और स्थान पर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :

(क) निर्वाचन अधिकारी अपना समाधान कर लेगा कि मतदान के लिए प्रयोग की गयी सभी मतपेटियां और जिनकी उस स्थान पर गणना की जायेगी, प्राप्त कर ली गयी हो और उनका लेखा जोखा हो गया है

(ख) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी गणना के समय उपस्थित उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता और गणना अभिकर्त्ताओं को गणना के समय उपस्थित होने और मतपेटियों और मुहरों का निरीक्षण करने का और अपना यह समाधान करने के लिए मतपेटियां और मुहरें ठीक हो, उनका निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

(ग) निर्वाचन अधिकारी अपना यह भी समाधान करेगा कि किसी पेटी में कोई गड़बड़ नहीं की गयी है यदि वह यह पाये कि किसी मतपेटी में कोई गड़बड़ की गयी है या कोई मतपेटी नष्ट कर दी गयी या खो गयी है तो निर्वाचन अधिकारी गणना की कार्यवाही नहीं करेगा और नियम 46 के उपबन्ध लागू होंगे

(घ) यदि निर्वाचन अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वे सभी मतपेटियां जिनकी ऐसे स्थान पर गणना की जानी है, प्राप्त हो गयी हो और ठीक हो तो वह मतपेटियों में डाले गये मतपत्रों की गणना आरम्भ करेगा। मतदान स्थल पर प्रयोग में लायी गयी सभी मतपेटियां खोली जायेंगी, और उन पेटियों में पाये गये मतपत्रों की गणना की कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार उसी समय आरम्भ कर दी जायेगी।

(ङ) मतदान स्थल की मतपेटियों में पाये गये मतपत्रों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में, एक विवरणी में अभिलिखित किया जायेगा।

(च) निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवारों को, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं और गणना अभिकर्त्ताओं को, जो कि उपस्थिति हों, यह युक्तियुक्त अवसर देगा कि वे उन सभी मतपत्रों की जांच कर लें जो निर्वाचन अधिकारी की राय में अस्वीकार करने योग्य हों, किन्तु उन्हें इन पत्रों या किसी अन्य पत्रों को छूने की अनुमति नहीं देगा। निर्वाचन अधिकारी उन सभी मतपत्रों पर जिन्हें अस्वीकार किया जाय, हिन्दी में देवनागरी लिपि में, "अस्वीकृति" पृष्ठांकित करेगा। यदि कोई उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता किसी मतपत्र के अस्वीकार किये जाने पर आपत्ति करता है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतपत्र पर, संक्षेप में, उसके अस्वीकार करने का कारण अभिलिखित करेगा।

(छ) मतदान स्थल की सभी मतपेटियों के मतपत्रों की गणना करने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी सभी मतपत्रों को एक अलग पैकेट में रखेगा जिस पर ऐसे विवरण लिखे जायेंगे जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि सम्बन्धित मतपत्र किस मतदान स्थल, क्षेत्र पंचायत, या यथास्थिति जिला पंचायत, और निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हो।

**51. मतपत्रों को अस्वीकार करने का आधार**–(1) निर्वाचन अधिकारी किसी मतपत्र को अस्वीकृत कर देगा–

(क) यदि उस पर कोई ऐसा चिह्न या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती हो; या

(ख) यदि वह नकली मतपत्र हो; या

(ग) यदि वह इस प्रकार क्षत या विक्षित किया गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसका तादाम्य स्थापित नहीं किया जा सकता हो; या

(घ) यदि, उस पर उस विशिष्ट मतदान स्थल के प्रयोग के लिए प्राधिकृत मतपत्रों की, यथास्थिति, क्रम–संख्या या डिजाइन से भिन्न क्रम–संख्या या डिजाइन हो; या

(ङ) यदि, उस पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरे जाने के लिए अपेक्षित स्थानों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों को मत दिया जाय; या

(च) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है

(2) किसी मतपत्र पर अभिलिखित मत को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यदि मतपत्र पर मत देने के चिह्न इस रूप में अंकित किया गया हो कि वह सन्देहपूर्ण हो कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी मतपत्र को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि मत इंगित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या कि विशिष्ट उम्मीदवार के नाम के सामने से एक से अधिक बार चिह्न अंकित किया गया है, यदि मतपत्र पर जिस तरीके से चिह्न लगाया गया है, उससे यह स्पष्ट यह आशय निकलता हो कि वह मत किस विशिष्ट उम्मीदवार के लिये दिया गया है

(3) किसी मतपत्र या ऐसे किसी मतपत्र पर दिये गये मत की वैधता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी का निर्णय किसी निर्वाचन याचिका, जिसमें निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो के परीक्षण पर दिये गये किसी प्रतिकूल निर्णय के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

**52. मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखों का सत्यापन**–निर्वाचन अधिकारी निविदत्त मतपत्रों या निर्वाचक नामावली के चिह्नित मुहरबन्द पैकेटों को नहीं खोलेगा। वह नियम 42 के अधीन मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत विवरण का सत्यापन, गणना किये गये मतों और अस्वीकृत मतपत्रों, अपने पास के अप्रयुक्त या खराब मतपत्रों की संख्या से और निविदत्त मतों की सूची से मिलान करके करेगा। तत्पश्चात् वह प्रत्येक ऐसे पैकेट को, जिसे उसने खोला हो, फिर से बन्द करेगा और फिर से मुहर लगायेगा और प्रत्येक पैकेट पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का विवरण क्षेत्र पंचायत या यथास्थिति जिला पंचायत का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का विवरण और निर्वाचन का दिनांक जिसके सम्बन्ध में वह हो, अभिलिखित करेगा।

**53. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन विवरणी**–तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी तैयार प्रमाणित करेगा जिसमें निम्नलिखित उल्लिखित करेगा:

(क) ऐसे उम्मीदवारों के नाम जिन्हें वैध मत दिए गये हों;

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गये वैध मतों की संख्या;

(ग) वैध मततत्रों की कुल संख्या;

(घ) अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या;

(ङ) विनिदत्त मतपत्रों की संख्या; और

(च) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम।

तत्पश्चात् वह किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणना अभिकर्त्ता को ऐसी विवरणी की प्रतिलिपि या उद्धरण लेने की अनुमति देगा।

**54. परिणाम की घोषणा**–निर्वाचन अधिकारी अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम संख्या में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

**55. मतों की समता**–यदि मतों की गणना के पूरा होने के पश्चात् किन्हीं उम्मीदवारों के बीच मतों की समता पायी जाये और मतों में एक मत जोड़ दिए जाने से उन उम्मीदवारों में कोई एक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए हकदार न हो जायेगा तो निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच पर्ची डालकर तत्काल निश्चय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा मानो जिस उम्मीदवार के नाम पर्ची निकले उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ हो

**56. परिणाम की सूचना**–परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र निर्वाचन अधिकारी परिणाम की सूचना यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्र पंचायत के खण्ड विकास अधिकारी या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भी देगा। जिला मजिस्ट्रेट परिणाम की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

**57. निर्वाचन से सम्बन्धित विवरणी और मतपत्रों तथा अन्य पत्रों की अभिरक्षा**–(1) निर्वाचन अधिकारी नियम 56 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की सूचना देने के पश्चात् विवरणी जिला पंचायत राज अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए भेजेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, मतपत्रों के पैकेटों और निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य पत्रों को भी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पंचायत राज अधिकारी को भेजेगा।

**58. निर्वाचन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और निरीक्षण**–जब जिला पंचायत राज अधिकारी की अभिरक्षा में मतपत्रों में चाहे वे वैध, अस्वीकृत या निविदत्त हों और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के पैकेट हों तो सिवाय निर्वाचन याचिका की सुनवाई करने वाले किसी सक्षम न्यायालय या किसी जिला जज के आदेश के उन्हें न तो खोला जायेगा न उनका किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा और न उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जब निरीक्षण का आदेश दिया जाये तो उसके लिए दो रुपये प्रति दिन, जिस दिन निरीक्षण किया जाय, की दर से फीस भुगतान करने के अधीन रहते हुए लिया जायेगा।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य सभी पत्रों का निरीक्षण जनता द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा और उसके लिए बीस रुपए प्रतिदिन जिस दिन निरीक्षण किया जाये, के हिसाब से फीस दी जायेगी।

(3) नियम 57 के उपनियम (1) के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अग्रसारित विवरणियों की प्रतिलिपियां प्रत्येक प्रति के लिए बीस रुपए की फीस का भुगतान करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दी जायेगी।

(4) ऐसे पत्रों की प्रतिलिपि या जिनका उपनियम (2) के अधीन निरीक्षण करने की अनुमति हो, उनके लिए, आवेदन-पत्र देने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर जिस दर पर राज्य में किसी राजस्व अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश की एक प्रति के लिए फीस ली जाती हो, फीस का भुगतान करने पर दी जायेगी। पत्रों की प्रतिलिपि के लिए आवेदन–पत्र सादे कागज पर दिए जा सकते हो और उस पर कोई न्यायिक स्टाम्प लगाना आवश्यक न होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट किसी पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी और उसके कार्यालय से जारी की जायेगी।

**59. न भरे गये स्थानों के लिए निर्वाचन**–(1) किसी स्थान के रिक्त रहने की सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट यथाशक्यशीघ्र राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा निश्चित किया जाये, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत के लिये या जिला पंचायत के लिए किसी सदस्य का निर्वाचित करने की अपेक्षा करेगा और नियम (5) के उपनियम (2) में उल्लिखित प्रत्येक मद के लिये नया दिनांक, समय और स्थान नियत करेगा और इस नियमावली के उपबन्ध यथाशक्य ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(2) यदि फिर भी निर्वाचन क्षेत्र में उपनियम (1) के अधीन हुए निर्वाचन में किसी सदस्य का निर्वाचन करने में विफल रहता है तो जिला मजिस्ट्रेट इस तथ्य की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

**60. शास्तियां**–कोई व्यक्ति जो–

(क) नियमों का उल्लंघन कर निर्वाचक नामावली या उसकी प्रति या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन या गडबड करता है; या

(ख) इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए नियुक्त या सेवायोजित किसी अधिकारी या सेवक को उसने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाले या हस्तक्षेप करे; या

(ग) किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्य स्थान पर चिपकाए गये या अन्यथा प्रकाशित किसी

प्रतिलिपि, नोटिस या अन्य दस्तावेज को विरूपित करे, क्षति पहुँचाए, उलट पलट करे या हटाये, तो वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो 1,000 रुपये तक हो सकेगा।

**61. उप निर्वाचन**–यदि क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित किसी सदस्य का पद या जिला पंचायत के निर्वाचित किसी सदस्य का पद मृत्यु के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, ऐसे दिनांक से पूर्व जो उसके द्वारा नियत की जाय, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के लिये किसी सदस्य का निर्वाचन करने की अपेक्षा करेगा और नियम 15 के उपबन्धों के अनुसार उप– निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के दिनांक, समय और स्थान नियत करेगा और इस नियमावली के उपबन्ध यथाशक्य ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

**62. निर्वाचन पत्रों का निस्तारण**–निर्वाचन विवरणियों के सिवाय क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी पत्र निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिये गये किन्हीं प्रतिकूल निर्देशों के अधीन रहते हुए, नष्ट कर दिये जायेंगे। निर्वाचन विवरणियां निर्वाचनों की समाप्ति तक रखी जायेंगी और उसके पश्चात् किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये किन्हीं प्रतिकूल निर्देशों के अधीन रहते हुए नष्ट कर दी जायेंगी।

# उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप–प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन–विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994[1]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 264–ख के साथ सपठित धारा 237 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुख तथा उप–प्रमुख के निर्वाचन और निर्वाचन–विवादों के निपटारे की) नियमावली, 1962 को अतिक्रमित करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

## अध्याय 1
## प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत(प्रमुख तथा उप–प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन–विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषायें**–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है,

(ख) "निर्वाचन" का तात्पर्य किसी क्षेत्र पंचायत के, यथास्थिति, प्रमुख या उप–प्रमुख पद के लिए निर्वाचन से है,

(ग) "सदस्य" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य से है,

(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली की अनुसूची 1 में दिये गये प्रपत्र से है,

(ङ) "पंचायत" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत से है, और

(च) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली की किसी अनुसूची से है

**3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)**–राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अपेक्षित, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचनों के संचालन से संबंधित सभी कृत्यों का सम्पादन करेगा।

**4. निर्वाचन अधिकारी**–जिला मजिस्ट्रेट इस नियमावली के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी होगा।

**5. सहायक निर्वाचन अधिकारी**–निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है

## अध्याय 2
## प्रमुख के निर्वाचन का संचालन
*नाम–निर्देशन*

**6. नाम निर्देशन आदि के लिए दिनांकों का निश्चित किया जाना**–(1) जब कभी अधिनियम के अधीन क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के पद के लिये निर्वाचन कराना अपेक्षित हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना द्वारा, निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित बातें करेगा–

(क) नाम–निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जांच करने के लिये दिनांक जो अधिसूचना के दिनांक से कम से कम दो दिन पश्चात् का दिनांक होगा,

(ख) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का दिनांक और समय, जो नाम–निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जांच के लिये नियत दिनांक के बाद का सामान्यतः अगला दिन होगा, और

(ग) वह दिनांक, जब और वे घंटे जिनके दौरान मतदान, यदि आवश्यक हो, कराया जायेगा। यह दिनांक खंड (ख) में नियत दिनांक के बाद सामान्यतः अगला दिन होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना जारी हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना प्रपत्र में हिन्दी में नोटिस की एक प्रति अपने कार्यालय में और दूसरी खंड के मुख्यालय में ऐसे प्रमुख स्थान पर चिपकवाकर तथा ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, देगा जिसे वह उचित समझे, और प्रत्येक सदस्य के अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस की एक प्रति प्रमाणित डाक द्वारा भिजवायेगा।

**7. सदस्यों की सूची**–(1) नियम 6 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व, निर्वाचन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करायेगा जो क्षेत्र पंचायत के तत्समय सदस्य हों और सूची की एक प्रमाणिक प्रति अपने कार्यालय, ज़िला मजिस्ट्रेट के कार्यालय और क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय में ऐसे अन्य सहजदृश्य स्थानों पर जिन्हें वह उचित समझे, चिपकवाकर उसकी सार्वजनिक सूचना देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय सूची में ऐसी शुद्धियां कर सकता है जो सदस्यता में कोई परिवर्तन होने या सूची में कोई त्रुटि मालूम होने के कारण आवश्यक हो जाय चाहे वह किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी दावा या आपत्ति पर विचार करने पर मालूम हुई या अन्य किसी प्रकार से:

प्रतिबंध यह है कि सूची में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति के नाम उसमें से तब तक न निकाला जायेगा जब तक कि नाम निकाले जाने के प्रस्ताव की पूर्व सूचना उस व्यक्ति को न दे दी गई हो और उसे नाम निकाले जाने के प्रस्ताव के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हों

**8. नाम–निर्देशन**–(1) कोई व्यक्ति जो पंचायत के प्रमुख के पद के लिये होने वाले निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अपना नाम–निर्देशन चाहता हो, स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रपत्र 2 में यथाविधि भरा हुआ नाम–निर्देशन पत्र 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच, नियम 6 के अधीन नोटिस में उल्लिखित दिनांक को और स्थान पर देगा।

(2) उम्मीदवार नाम–निर्देशन पत्र पर नाम–निर्देशन के लिये सम्मति देने के प्रतीक–स्वरूप स्वयं हस्ताक्षर करेगा और प्रस्तावक के रूप में एक सदस्य और अनुमोदक के रूप में दूसरा सदस्य भी उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) जहां कोई उम्मीदवार अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह नाम–निर्देशन पत्र के साथ इस आशय का एक घोषणा–पत्र देगा कि वह यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है और अपनी विशिष्ट जनजाति या जाति भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) उपनियम (1) में उल्लिखित अन्तिम समय के पश्चात् प्रस्तुत किया गया नाम–निर्देशन–पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा तुरन्त ही अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

**9. जमा**–(1) कोई उम्मीदवार तब तक, यथाविधि नाम–निर्दिष्ट नहीं समझा जायेगा तब तक कि वह प्रतिभूति के रूप में एक रूपये जमा न करे, या करवाये:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उम्मीदवार उसी निर्वाचन के लिये एक से अधिक नाम–निर्देशन–पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट कर दिया गया हो तो इस उपनियम के अधीन उसे उक्त धनराशि एक ही बार जमा करनी होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उम्मीदवार उसी निर्वाचन के लिये एक से अधिक नाम–निर्देशन–पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट कर दिया गया हो तो इस उपनियम के अधीन उसे उक्त धनराशि एक ही बार जमा करनी होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन जिस धनराशि का जमा किया जाना अपेक्षित है उसके बारे में तब तक यह नहीं माना जायेगा कि वह उक्त उपनियम के अधीन जमा की जा चुकी है जब तक कि नियम 8 के अधीन नाम–निर्देशन–पत्र देने के समय उम्मीदवार ने निर्वाचन अधिकारी के पास उक्त धनराशि नकदी में जमा न कर दी हो या जमा न करा दी हो या नाम–निर्देशन–पत्र के साथ ऐसी रसीद नत्थी न कर दी हो जिससे यह मालूम हो कि उक्त धनराशि उसके द्वारा या उसकी ओर से सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा की जा चुकी है

**10. नाम–निर्देशन–पत्रों के प्रस्तुत किये जाने पर प्रक्रिया**–निर्वाचन अधिकारी नियम 8 के अधीन नाम–निर्देशन–पत्र प्राप्त होने पर, उस पर उसकी क्रम–संख्या दर्ज करेगा और यह भी लिखेगा कि उसे नाम–निर्देशन–पत्र किस दिनांक को और कितने बजे दिया गया। उसके पश्चात् यथाशक्यशीघ्र वह प्रपत्र 3 में नाम–निर्देशन की एक ऐसी सूचना अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकवा देगा जिसमें उम्मीदवारों का और उन व्यक्तियों का जिन्होंने नाम–निर्देशन–पत्रों पर प्रस्तावकों और अनुमोदकों के रूप में हस्ताक्षर किये हों, वैसा ही उल्लेख होगा जैसा कि नाम–निर्देशन पत्र में दिया होगा।

**11. नाम–निर्देशन–पत्रों की जांच**–(1) नाम–निर्देशन–पत्रों की जांच के समय उम्मीदवार, उनके प्रस्तावक और अनुमोदक उपस्थित हो सकते हो, किन्तु अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता। निर्वाचन अधिकारी उन्हें यथाविधि प्राप्त हुए नाम–निर्देशन–पत्रों का परीक्षण करने के लिये सभी युक्तियुक्त सुविधायें प्रदान करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी नाम–निर्देशन–पत्रों की जांच करेगा और उन सभी आपत्तियों पर, जो किसी नाम–निर्देशन के सम्बन्ध में की जायें, अपना निर्णय देगा और या तो इस प्रकार की गई आपत्ति पर या स्वतः ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात् यदि कोई की जाय, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी नाम–निर्देशन को निम्नलिखित किसी भी आधार पर अस्वीकृत कर सकता है:

(क) उम्मीदवार पद के लिये अधिनियम के अधीन चुने जाने के निमित्त अर्ह नहीं है,
(ख) उम्मीदवार पद के निमित्त अधिनियम के अधीन चुने जाने के लिये अनर्ह है,
(ग) नियम 8 और 9 के किन्हीं उपबन्धों के पालन में विफलता हुई है,
(घ) उम्मीदवार का या प्रस्तावक या अनुमोदक का हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है या उसे धोखे से प्राप्त किया गया है, या
(ङ) उम्मीदवार सदस्य नहीं है,
(च) प्रस्तावक या अनुमोदक सदस्य नहीं है,
(छ) उम्मीदवार उस जनजाति या जाति या वर्ग या लिंग का नहीं है जिसके लिए पद इस प्रकार आरक्षित है

(3) यदि उम्मीदवार किसी ऐसे अन्य नाम–निर्देशन–पत्र द्वारा यथाविधि नाम निर्दिष्ट हो जाय जिसके सम्बन्ध में कोई अनियमितता न हुई हो तो उपनियम (2) के खण्ड (ग), (घ) या (ङ), (च) या (छ) में दी हुई किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी अन्य नाम–निर्देशन–पत्र के सम्बन्ध में हुई किसी अनियमितता के आधार पर उम्मीदवार के नाम–निर्देशन को अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त हो गया है

(4) निर्वाचन अधिकारी किसी नाम–निर्देशन पत्र को किसी ऐसे तकनीकी दोष या अन्य त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नहीं करेगा, जो सारवान न हो और वह ऐसे किसी दोष या त्रुटि के दूर किये जाने के निमित्त नाम–निर्देशन पत्र की किसी भी प्रविष्टि को, जिसमें निर्वाचक नामावली में नाम या संख्या से सम्बद्ध प्रविष्टि भी सम्मिलित है, शुद्ध किये जाने की अनुमति दे सकता है

(5) उपनियम (4) के अधीन शुद्धि करने के निमित्त दिया गया निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी।

(6) निर्वाचन अधिकारी नियम 6 के अधीन जांच के लिये नियत दिनांक और समय पर जांच करेगा और कार्यवाही को किसी भी प्रकार स्थगित न होने देगा सिवाय उस दशा के जब उक्त कार्यवाही में ऐसे कारणों से रूकावट या बाधा पड़ रही हो जो उसके वश के बाहर हों

(7) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम–निर्देशन–पत्र पर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अपना निर्णय लिखेगा और यदि नाम–निर्देशन–पत्र अस्वीकृत किया गया हो तो वह ऐसी अस्वीकृति के लिये अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखेगा।

(8) इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियम 7 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची में किसी व्यक्ति का नाम होना इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वह अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए अर्ह है

(9) सभी नाम–निर्देशन–पत्रों की जांच और उसको अस्वीकृत करने के विनिश्चयों के अभिलिखित हो जाने के पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र 3–क में विधिमान्य पाए गय हो और इसे अपने सूचना पट्ट पर चिपकाएगा।

**12. उम्मीदवारी से नाम वापस लेना**–(1) कोई भी उम्मीदवार प्रपत्र 4 में लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है इस नोटिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और वह निर्वाचन अधिकारी को उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा, जिसे ऐसे उम्मीदवार ने लिखित रूप से तदर्थ प्राधिकृत किया हो, नियम 6 के अधीन नियत दिनांक और घंटों के बीच दिया जायेगा।

(2) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसने उप–नियम (1) के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने का नोटिस दिया हो, उक्त नोटिस रद्द न करने दिया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उस पर उसके दिये जाने का दिनांक और समय उस व्यक्ति का नाम लिखेगा जिसके द्वारा यह दिया गया हों

(4) यदि उम्मीदवार उम्मीदवारी से अपना नाम नियम 6 के अधीन विहित अवधि के भीतर वापस ले लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की धनराशि लौटा दी जायेगी।

(5) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन नाम वापस लेने की सूचना प्राप्त होने और नाम वापस लेने वाली सूचना और सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान की यथार्थता के सम्बन्ध में समाधान होने के पश्चात्, प्रपत्र 5 में नाम वापस लेने की सूचना तैयार करवाएगा और अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकवाएगा।

(6) उपनियम (1) में वर्णित दिन और समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली नाम वापस लेने की नोटिस पर निर्वाचन अधिकारी ध्यान नहीं देगा, किन्तु यदि मतदान प्रारम्भ होने से पहले किसी समय नियम 13 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में प्रविष्ट, एक को छोड़कर सभी उम्मीदवारों से नाम वापस लेने की नोटिस प्राप्त हो जाय तो रिटर्निंग अधिकारी आदेश देगा कि मतदान नहीं कराया जाये और उस स्थिति में नियम 14 के अधीन कार्यवाही करेगा।

**13. वैध नाम–निर्देशन की सूची और उसका प्रकाशन**–(1) यदि नियम 12 के उपनियम (1) के अधीन नामों की वापसी, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले दो या अधिक उम्मीदवार होकृ तो रिटर्निंग अधिकारी प्रपत्र 6 में निर्वाचन लड़ने उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना–पट्ट पर और एक प्रति क्षेत्र पंचायत के कार्यालय पर चिपकवाकर उसे प्रकाशित करायेगा।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में तैयार की जायेगी और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में उनके पते के साथ, जैसा नाम–निर्देशन–पत्र में दिये गये हों, दिये जायेगे।।

**14. निर्विरोध निर्वाचन और परिणाम की घोषणा**–यदि नियम 11 के उप–नियम (9) के अधीन केवल एक उम्मीदवार वैध रूप से नाम–निर्दिष्ट हो या यदि नियम 12 के अधीन नाम वापस लेने के परिणामस्वरूप केवल एक ही उम्मीदवार रह गया हो तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवार को तुरन्त प्रमुख के पद पर विधितः निर्वाचित घोषित करेगा और ऐसी घोषणा की एक प्रति क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर ऐसे सहजदृश्य स्थान पर चिपकवायेगा

जिसे वह उचित समझे और परिणाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट और राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजेगा।

**15. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु**–यदि किसी उम्मीदवार की, जिसका नाम–निर्देशन नियम 11 के अधीन जांच करने पर वैध पाया गया हो और जिसने नियम 12 के अधीन अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, मृत्यु हो जाती है और निर्वाचन अधिकारी को उसकी मृत्यु की सूचना नियम 13 के उप–नियम (1) के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन से पहले प्राप्त हो जाय या यदि निर्वाचन लड़ने वाले किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु की सूचना निर्वाचन अधिकारी को मतदान प्रारम्भ होने से पहले प्राप्त हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार की मृत्यु के संबध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान रद्द कर देगा और इस निर्वाचन की सभी कार्यवाहियां हर प्रकार से उसी तरह नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी माना कोई नया निर्वाचन किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी उम्मीदवार के मामले में, जिसका नाम–निर्देशन मतदान के रद्द किए जाने के समय वैध रहा हो, पुनः नाम–निर्देशन आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसने नियम 12 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने की नोटिस मतदान रद्द किए जाने से पूर्व दिया हो, मतदान के इस प्रकार रद्द किए जाने बाद निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम–निर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र न होगा।

**16. उम्मीदवारी के लिए नाम न होना**–यदि कोई भी व्यक्ति यथाविधि नाम निर्दिष्ट न हुआ हो या यथाविधि नाम–निर्दिष्ट सभी व्यक्ति नियम 12 के अधीन अपनी–अपनी उम्मीदवारी वापस ले लें तो कार्यवाहियां नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी मानों वे किसी नये निर्वाचन के लिये हों।

---

*मतदान*

**17. मतदान की रीति**–निर्वाचन, अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली (System of proportional representation) के अनुसार एक संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान (Secret ballot) द्वारा होगा। मत मतदाताओं द्वारा स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधिक (Proxy) मतदान द्वारा नहीं स्वीकार किया जायेगा।

**18. मतदान का स्थान और समय**–मतदान खण्ड के मुख्यालय में ऐसे प्रमुख स्थान पर होगा जिसे निर्वाचन अधिकारी निश्चित करें, और नियम 6 के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट घंटों के भीतर होगा।

**19. मतपत्र और मतपेटी**–(1) निर्वाचन में उपयोग किये जाने वाले मतपत्र प्रपत्र–7 में हों और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के नाम हिन्दी में, उसी क्रम में दिये हुए होंगे जिस क्रम में वे नियम 13 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में हों।

(2) मतदान में उपयोग की जाने वाली मतपेटी ऐसे किसी प्रकार की होगी, जिसका अनुमोदन राज्य निर्वाचन आयोग ने किया हो

**20. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व की प्रक्रिया**–(1) मतदान प्रारम्भ होने के ठीक पहले निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को जो मतदान के स्थान पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयोग में लाई जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण करने देगा।

(2) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी मतपेटी को इस प्रकार सुरक्षित और मुहरबन्द करेगा कि मत–पत्र डालने का छेद खुला रहे

**21. मतदान–स्थल में प्रवेश**–(1) निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों को मतदान स्थल से बाहर रखेगा–

(क) उम्मीदवार,

(ख) सदस्य, और

(ग) अन्य ऐसे व्यक्ति, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये समय–समय पर आने दें।

(2) निर्वाचन अधिकारी नियम 6 के अधीन निर्धारित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद वहां किसी भी सदस्य को प्रवेश न करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि सभी सदस्यों को जो उस स्थल के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व, उपस्थित हों अपना मत अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

**22. मत–पत्र देने की प्रक्रिया**–(1) निर्वाचन अधिकारी अपने समक्ष नियम 7 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची रखेगा।

(2) किसी सदस्य को मत–पत्र दिये जाने के ठीक पहले उस सूची में उसके नाम के सामने एक चिह्न बना दिया जायेगा और सदस्य का नाम, जैसा कि उस सूची में दिया गया हो, मत–पत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज कर दिया जायेगा।

(3) मत–पत्र की प्राप्ति के प्रतीक–स्वरूप सदस्य सूची में हस्ताक्षर करेगा।

(4) किसी सदस्य को मत–पत्र दिये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी उस सदस्य की पहचान (Identity) के बारे में अपना समाधान कर लेगा और इस प्रयोजन के लिये वह ऐसे व्यक्तियों की सहायता ले सकता है जिन्हें वह ठीक समझें

(5) यदि किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में निर्वाचन अधिकारी का समाधान न हुआ हो, तो वह उन परिस्थितियों की संक्षिप्त टिप्पणी अभिलिखित करने के उपरान्त जिनमें मत–पत्र देने से इंकार किया गया हो, उसे मत–पत्र देने से इन्कार कर सकता है

(6) जैसे ही मत–पत्रों का दिया जाना समाप्त हो जाय, निर्वाचन अधिकारी मत–पत्रों के प्रतिपर्णों को एक लिफाफे में रखेगा, उसे बन्द करेगा तथा उस पर मुहर लगायेगा। न्यायालय या ऐसे निर्वाचनों से संबंधित कि

विवाद का निर्णय करने वाले अन्य प्राधिकारी के आदेश के बिना लिफाफा नहीं खोला जायेगा।

**23. कुछ परिस्थितियों में नये मत–पत्र का दिया जाना**–(1) यदि किसी सदस्य ने असावधानी (Inadvertantly) के कारण अपने मत–पत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मत–पत्र के रूप में सुविधापूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो वह उसे निर्वाचन अधिकारी को देने पर और असावधानी के बारे में उसका समाधान कर देने पर इस प्रकार वापस किये गये मत–पत्र के स्थान पर दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकेगा और वापस किये गये मत–पत्र तथा उनके प्रतिपर्ण पर निर्वाचन अधिकारी वापस किया गया और रद्द किया गया लिख देगा।

(2) इस प्रकार रद्द किया गया मत–पत्र उस प्रयोजन के लिये पृथक रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा।

**24. सदस्यों द्वारा अप्रयुक्त मतपत्रों का वापस किया जाना**–यदि कोई सदस्य अपना मत अंकित करने के प्रयोजन से मत–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसका प्रयोग न करने का निश्चय करे तो वह उस मत–पत्र को निर्वाचन अधिकारी को बाध्य कर देगा जो उस पर वापस किया गया तथा रद्द किया गया करार देगा और उसे नियम 23 के उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए पृथक रखे गये लिफाफे में रखेगा।

**25. मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान एवं मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता को बनाए रखना**–(1) प्रत्येक सदस्य जिसे नियम 22 के अधीन या इस आदेश के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मत–पत्र जारी किया गया हो, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् दी गयी मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) प्रत्येक सदस्य को उतने अधिमान (preferences) प्राप्तहोंगे जितने उम्मीदवार होंगे किन्तु कोई भी मत–पत्र केवल इस कारण से अवैध नहीं माना जायेगा कि ऐसे सभी अधिमान चिह्नित नहीं किये गये हो।

(3) मत–पत्र प्राप्त करने के पश्चात्, सदस्य तत्काल–

(क) मतदान स्थल पर बने और बाहर से न दिखने वाले मतदान कक्ष में जायेगा,

(ख) अपने मत–पत्र में उस उम्मीदवार के नाम के सामने दिये गये स्थान पर जिसे वह अपना प्रथम अधिमान (First preference) देने के लिए चुने, संख्या लिखेगा,

(ग) अपने मत–पत्र में अन्य उम्मीदवारों के नामों के सामने दिये गये स्थान पर, अधिमान के क्रमानुसार संख्या 2, 3, 4 आदि लिखकर जितने पश्चातवर्ती अधिमान चाहे अंकित करेगा,

(घ) अपने मत को छिपाने के लिए मत–पत्र को मोड़ लेगा,

(ङ) मुड़े हुए मत–पत्रों को मतपेटी में इस प्रयोजन के लिए बने छेद से डाल देगा,

(च) तत्पश्चात् मतदान स्थल छोड़ देगा।

(4) प्रत्येक सदस्य बिना अनावश्यक विलम्ब के मतदान करेगा।

(5) किसी अन्य निर्वाचक के मतदान कक्ष के भीतर मौजूद रहने की स्थिति में किसी अन्य सदस्य को उसके अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(6) किसी सदस्य के द्वारा अनुरोध किये जाने पर निर्वाचन अधिकारी मत अंकित करने के लिए मतपत्र में दिये गये अनुदेशों को उसे समझायेगा।

(7) यदि कोई निर्वाचक निरक्षरता, अंधेपन या किसी अन्य अशक्तता के कारण मत–पत्र को पढ़ने या उस पर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो निर्वाचन अधिकारी ऐसी निरक्षरता, अंधता या अशक्तता के संबंध में समाधान कर लेने के पश्चात् निर्वाचक को अपने साथ एक ऐसे साथ जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो और जो मत–पत्र को पढ़ सकने, उस पर निर्वाचक की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने, और यदि आवश्यक हो, तो मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोड़ने और उसे मतपेटी में डालने में समर्थ हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी मतदान केन्द्र पर एक ही दिन एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह और कि इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने से पूर्व, उससे यह घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्वाचक की ओर से अभिलिखित किये गये मत को गोपनीय रखेगा और उसने उस दिन इसके पूर्व किसी अन्य निर्वाचक के

साथी के रूप में कार्य नहीं किया है निर्वाचन अधिकारी उस उपनियम के अधीन सभी मामलों का प्रपत्र 7–क में एक अभिलेख रखेगा।

(8) यदि कोई ऐसा सदस्य जिसे मत पत्र जारी किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् ऊपर दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन करने से इन्कार करता है, तो उसे जारी किया गया मत–पत्र, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, उससे निर्वाचन अधिकारी द्वारा वापस ले लिया जायेगा।

(9) मत–पत्र वापस लिये जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी उसके पीछे शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित कर देगा और उन शब्दों के नीचे अपना हस्ताक्षर और दिनांक अंकित करेगा।

(10) ऐसे सभी मत–पत्रों को जिन पर शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित किया गया हो, एक पृथक आवरण जिसके ऊपर शब्द "मत–पत्र, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" लिखा होगा, में रख दिया जायेगा।

(11) इस प्रकार के मत–पत्र पर अंकित किये गये इन मतों की गणना नहीं की जायेगी।

**28. मतगणना के समय प्रक्रिया**–(1) मतदान बन्द होते ही निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उन सदस्यों की उपस्थिति में, जो उपस्थित हों, मतों की गणना प्रारम्भ करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतपेटी खोलेगा, और–

(क) उसमें से निकाले गये मत–पत्रों को गिनेगा और उनकी संख्या एक विवरण–पत्र में लिख लेगा,

(ख) मत–पत्रों की जांच करेगा तथा उनमें से ऐसे मत–पत्रों को, जो उसकी राय में वैध हों, ऐसे मत–पत्रों से जो उसकी राय में अवैध हों और जिन पर वह शब्द "अस्वीकृत" तथा अस्वीकृति के आधार लिखेगा, अलग रखेगा– और

(ग) प्रत्येक उम्मीदवार के लिये अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार सभी वैध मत–पत्रों को पुंजों में रखेगा।

(3) ऐसा मत–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा जिस पर–

(क) संख्या 1 अंकित न हो, या

(ख) संख्या 1, एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने अंकित हो या इस प्रकार अंकित हो कि उससे यह संदेह उत्पन्न होता हो कि किस उम्मीदवार के लिए उसका प्रयोग अभिप्रेत है, या

(ग) संख्या 1 और कोई अन्य संख्या एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित हो, या

(घ) कोई ऐसा चिह्न बनाया गया हो जिसके द्वारा मतदाता बाद में पहचाना जा सके

**27. निर्वाचन फल का अवधारण**–प्रत्येक उम्मीदवार के लिये अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार सभी वैध मत–पत्रों को पुंजों (parcels) में रखने के बाद निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली की अनुसूची 2 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार मतदान का परिणाम अवधारित करने की कार्यवाही करेगा।

**28. पुनः गणना करना**–निर्वाचन अधिकारी, यदि वह पहले की गयी गणना के संबंध में संतुष्ट न हों तो, स्वतः या किसी उम्मीदवार के अनुरोध पर, मतों की पुनः एक या एक से अधिक बार कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यहां दी गई किसी बात से निर्वाचन अधिकारी किन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनः गणना करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

**29. निर्वाचन की घोषणा**–मतगणना समाप्त हो जाने और मतदान परिणाम अवधारित हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी तुरन्त–

(क) उपस्थित लोगों के समक्ष निर्वाचन परिणाम की घोषणा कर देगा;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकार को निर्वाचन परिणाम की सूचना देगा;

(ग) प्रपत्र 8 में निर्वाचन की एक विवरणी तैयार करेगा और उसे प्रमाणित करेगा; और

(घ) वैध मत–पत्रों तथा अस्वीकृत मत–पत्रों को अलग–अलग पैकटों में रख कर मुहर बंद करेगा और ऐसे प्रत्येक पैकेट के ऊपर यह लिखेगा कि उनमें किस प्रकार के मत–पत्र हो।

30. **उम्मीदवार के निर्वाचन का दिनांक**–वह दिनांक जिस पर कोई उम्मीदवार नियम 14 या 29 के प्रतिबन्धों के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किया जाए, उस उम्मीदवार के निर्वाचन का दिनांक होगा।

31. **निर्वाचन पत्रों की अभिरक्षा, निरीक्षण तथा निस्तारण**–(1) रिटर्निंग अधिकारी नियम 29 के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचन परिणाम की सूचना देने के पश्चात् पूर्वगत नियमों में निर्दिष्ट मुहरबंद लिफाफों और पैकेटों, नियम 23 के उपनियम (7) में निर्दिष्ट अभिलेखों, नियम 29 के खण्ड (ग) के अधीन तैयार की गई निर्वाचन की वितरण को मुहरबंद अलग–अलग लिफाफे में रख कर जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा। प्रत्येक लिफाफे या पैकेट के ऊपर यह लिखा होगा कि उसमें क्या रखा है

(2) मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में रखे गये मत–पत्रों के पैकेट चाहे वें अप्रयुक्त, रद्द किये गये, वैध या अस्वीकृत मत–पत्रों के पैकेट हों, और मत–पत्रों को जारी करते समय प्रयुक्त सदस्यों की सूची सक्षम न्यायालय की आज्ञा के बिना न खोला जायेगा और उसकी अन्तर्वस्तु का (contents) का किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो निरीक्षण किया जायेगा और न उक्त अन्तर्वस्तुत उनके समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। अन्य कागज–पत्रों का निरीक्षण करने की आज्ञा जिला मजिस्ट्रेट ऐसे घंटों के बीच जो वह इस प्रयोजन के लिए नियत करे, किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो।

(3) निर्वाचन पत्रों का निरीक्षण, चाहे उसकी अनुमति उपनियम (2) के अधीन सक्षम न्यायालय ने दी हो या जिला मजिस्ट्रेट ने, प्रति दिन ही के लिये, जब निरीक्षण किया जाय, दस रुपये की फीस का भुगतान करने पर ही किया जा सकेगा, और नियम 29 के खण्ड (ग) के अधीन तैयार की गई विवरणी की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को दी जायेगी जो प्रत्येक प्रति के लिये दस रुपये की फीस का भुगतान करने पर उसे मांगे।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट निर्वाचन–पत्र एक वर्ष की अवधि के लिये रखे जायेंगे और तत्पश्चात्, राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निदेश के अधीन रहते हुए, नष्ट कर दिये जायेंगे।

32. **जमा की गई धनराशि की वापसी और जब्ती**–(1) यदि किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जाये तो वह नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि उम्मीदवार या उस व्यक्ति को जिसने उसे जमा किया हो, वापस करने का आदेश देगा।

(2) यदि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो जाये तो नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को वापस दी जायेगी और यदि उसके द्वारा जमा न की गई हो तो उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी जिसके द्वारा वह जमा की गई हों

(3) यदि निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार निर्वाचित न हो और प्रथम अधिमान के रूप में उसे मिले हुए मतों की संख्या, दिये कुल मतों की संख्या के सातवंे भाग से अधिक न हो, तो नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि राज्य सरकार के प्रति जब्त कर ली जायेगी। जमा की गई धनराशि को इस प्रकार जब्त करने का आदेश रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पश्चात् दिया जायेगा।

**स्पष्टीकरण**–इस उपनियम के प्रयोजन के लिये, मतदान में दिये मतों की संख्या का निर्देश मतदान में दिये गये केवल वैध मतपत्र की संख्या से है

(4) उन मामलों में जो पूर्वगामी उपनियमों तथा नियम 12 के अन्तर्गत नहीं आते नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि, गजट में निर्वाचन परिणाम प्रकाशित होने के बाद जितना शीघ्र व्यवहार्य हो उम्मीदवार को या उस व्यक्ति को जिसने जमा की हो लौटा दी जायेगी।

33. **आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया**–प्रमुख के पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, यथासम्भव, वही होगी जो पूर्वगामी नियमों में निर्धारित है

## अध्याय 3
## उप–प्रमुख के निर्वाचन का संचालन

**34. उप–प्रमुख का निर्वाचन**–क्षेत्र पंचायत के एक ज्येष्ठ उप–प्रमुख और एक कनिष्ठ उप–प्रमुख के निर्वाचन के मामले में नियम 3 से 33 तक और प्रपत्र 1 से 7 आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे और उस प्रयोजन के लिये वे अवसर के समुपयुक्त शीर्षकों, प्रोद्धरणों (citations), अभिदेशों और प्रविष्टियों के संबंध में, सभी अपेक्षित अनुकूलनों के साथ समझे तथा प्रयोग किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह प्रमुख, ज्येष्ठ उप–प्रमुख और कनिष्ठ उप–प्रमुख के पदों, या उनमें से किसी के पद, के लिये पृथक रूप से या साथ–साथ निर्वाचन किये जाने का प्रतिषेध करती है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त पदों में से एक से अधिक पदों का निर्वाचन एक साथ हो, तो ऐसे प्रत्येक पद के निर्वाचन के संबंध में सभी प्रक्रिया पृथक–पृथक की जायेगी सिवाय केवल इसके कि ऐसे सभी निर्वाचनों के लिये नियम 22 के अधीन पृथक मत–पत्र एक साथ जारी किये जा सकते हो और अंकित किए जाने के पश्चात् वे नियम 25 के अधीन एक ही मतदान बक्से में रखे जा सकते हो।

## अध्याय 4
## प्रमुखों और उप–प्रमुख के निर्वाचन संबंधी विवाद

**35. याचिकाएं प्रस्तुत करने का समय और रीति**–(1) प्रमुख या उप–प्रमुख के निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिए याचिका नियम 14 या नियम 29 के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, निर्वाचन परिणाम घोषित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय न्यायाधीश को प्रस्तुत की जा सकती है

(2) वह प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत की जायेगी या यदि प्रार्थी एक से अधिक हों, तो उनमें से किसी एक या अधिक प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

**36. याचिका का प्रपत्र आदि**–(1) निर्वाचन याचिका में उम्मीदवार ऐसा आधार या ऐसे आधार विनिर्दिष्ट किये जायेंगे, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के संबंध में आपत्ति की गई हो और उसमें उन परिस्थितियों का सारांश दिया जायेगा जिनके कारण उन आधारों पर निर्वाचन पर आपत्ति करना उचित बताया गया हों

(2) वह व्यक्ति, जिसके निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो और यदि प्रार्थी यह दावा करे कि उक्त व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होगा तो प्रत्येक असफल उम्मीदवार अभ्यर्थी याचिका में प्रत्यर्थी (respondent) बनाया जायेगा।

**37. अनुतोष (Relief) जिसके लिये याची दावा कर सकता है**–याची निम्नलिखित घोषणाओं में से किसी के लिये भी दावा कर सकता है–

(क) निर्वाचित का निर्वाचन शून्य है,

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है और वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है

**38. प्रतिभूति**–निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करते समय याची उसके साथ इस आशय की एक रसीद संलग्न करेगा कि उसके द्वारा या उस की ओर से सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में, याचिका के वाद–वयय की प्रतिभूति के रूप में, पांच सौ रुपये जमा कर दिये गये हो।

(2) निर्वाचन याचिका पर न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में नियत न्यायालय फीस या यदि उस अधिनियम में ऐसा कोई न्यायालय फीस नियत न हो, तो न्यायालय फीस स्टाम्पाकृ में एक सौ रुपये की फीस दी जायेगी।

**39. स्थान के लिए दावा करने में पारस्परिक दोषारोपण**–जब किसी निर्वाचन याचिका में इस घोषणा के लिये दावा किया गया हो कि निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार यथाविधि सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है, तो निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य पक्ष इस बात को सिद्ध करने के लिये साक्ष्य दे सकता है कि ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन, यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिये याचिका प्रस्तुत की गई होती तो शून्य हो गया होता।

**40. प्रक्रिया**–(1) जहां तक अधिनियम द्वारा या इस नियमावली में व्यवस्था की गई हो उसे छोड़कर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में वादों के संबंध में दी गई प्रक्रिया का, जहां तक वह अधिनियम या इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों से असंगत न हो और जहां तक वह प्रवृत्त की जा सकती हो, निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई में अनुसरण किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) एक ही व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में एक या अधिक निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई एक साथ ही की जा सकती है,

(ख) न्यायाधीश के लिये साक्ष्य को पूर्णरूप से अभिलिखित करना या कराना अपेक्षित न होगा परन्तु वह साक्ष्य का ऐसा ज्ञापन (memorandum) तैयार करेगा जो उसकी राय में मामले का निर्णय करने के लिये पर्याप्त हो,

(ग) न्यायाधीश, कार्यवाही के बीच किसी भी समय, याची से, किसी प्रत्यर्थी (Respondent) द्वारा किये गये या किये जाने वाले सम्भावित वाद–व्यय के भुगतान के लिये, अतिरिक्त नकद प्रतिभूति मांग सकता है,

(घ) किसी विवाद्यक (Issue) का निर्णय करने के लिये न्यायाधीश से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह केवल उतना मौखिक या लिखित साक्ष्य, जितना वह आवश्यक समझें, प्रस्तुत करने या लेने की आज्ञा दें,

(ङ) न्यायाधीश के किसी निर्णय के विरुद्ध तथ्य या विधि के प्रश्न पर कोई अपील या पुनरीक्षण (revision) न किया जा सकेगा,

(च) न्यायाधीश किसी ऐसे व्यक्ति के, जो यह समझता है कि वह उसके निर्णय से क्षुब्ध है प्रार्थना–पत्र पर, जो निर्णय के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर दिया गया हो, किसी भी प्रश्न के संबंध में अपने निर्णय का पुनर्विलोकन (review) कर सकता है,

(छ) किसी साक्षी या अन्य व्यक्ति से यह बताने की अपेक्षा न की जायेगी कि उसने निर्वाचन में अपना मत किसे दिया है

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) के उपबन्ध सभी प्रकार से निर्वाचन याचिका के विचारण (trial) में लागू समझे जायेंगे।

(3) निर्वाचन याचिका की सुनवाई प्रारम्भ होने के पूर्व, या अन्तिम सुनवाई होने के पूर्व, यथास्थिति, याची या याचियों द्वारा, न्यायाधीश के पास याचिका वापस लेने के लिये प्रार्थना–पत्र देकर याचिका वापस ली जा सकती है, और ऐसा प्रार्थना–पत्र दिया जाने पर याचिका वापस ली गई समझी जायेगी और उसके विचारण के लिये आगे कोई कार्यवाही न की जायेगी।

**41. याचिका का उपशमन** (Abatement)–(1) निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर नियम 37 के खंड (क) में उल्लिखित घोषणा का दावा करने के लिए प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका उपशमित हो जायेगी।

(2) यदि याची एक ही है तो उसकी और यदि अनेक हो तो उन सभी की मृत्यु हो जाने की दशा में निर्वाचन याचिका उपशमित हो जायेगी।

(3) यदि निर्वाचन याचिका में नियम 37 के खंड (ख) में उल्लिखित घोषणा का दावा किया गया हो और निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाय, तो न्यायाधीश गजट में इस घटना की सूचना प्रकाशित करायेगा और उसके उपरान्त कोई भी व्यक्ति, जो याची हो सकता था, उक्त प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर, याचिका का विरोध करने के लिये निर्वाचित अभ्यर्थी के स्थान पर अपना नाम रखे जाने के लिये प्रार्थना–पत्र दे सकता है और उसे उन शर्तों पर जिसे न्यायाधीश ठीक समझें कार्यवाहियों को जारी रखने का हक होगा।

**42. न्यायाधीश की शक्ति**–(1) यदि याचिका तुच्छ (frivolous) पाई जाय तो न्यायाधीश यह आदेश दे सकता है कि प्रतिभूति या उसका कोई भी भाग राज्य सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगा।

(2) न्यायाधीश द्वारा वाद–व्यय के लिये दिया गया आदेश इस निमित्त प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा उसी रीति से और उसी प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जायेगा मानों वह किसी वाद में धनराशि के भुगतान के लिये उसी के द्वारा दी गई कोई डिक्री हो।

**43. न्यायाधीश के निष्कर्ष**–(1) यदि न्यायाधीश ऐसी जांच के बाद जिसे वह उचित समझे किसी व्यक्ति के संबंध में, जिसके निर्वाचन पर याचिका द्वारा आपत्ति की गई है, इस निर्णय पर पहुंचता है कि उसका निर्वाचन वैध है, तो वह उक्त व्यक्ति के विरुद्ध निर्वाचन याचिका खारिज कर देगा और स्वविवेकानुसार वाद–व्यय दिलायेगा।

(2) यदि न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुंचता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध है तो वह या तो

(क) यह घोषित करेगा कि एक आकस्मिक रिक्ति हो गई है, या

(ख) यह घोषित करेगा कि दूसरा उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है और इनमें से किसी भी दशा में स्वविवेकानुसार वाद–व्यय दिलवा सकता है

**44. आधार, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है**–यदि कोई व्यक्ति, जिसने निर्वाचन–याचिका प्रस्तुत की हो, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन पर आपत्ति करने के साथ–साथ इस घोषणा की अभियाचना करे कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है और न्यायाधीश का मत हो कि वास्तव में याची या ऐसे अन्य उम्मीदवार को वैध मतों में से अधिकांश मत प्राप्त हुए हो, तो न्यायाधीश, निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोषित करने के बाद, यह घोषित करेगा कि यथास्थिति याची, या उक्त अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि याची या ऐसे अन्य उम्मीदवार को यथाविधि निर्वाचित घोषित नहीं किया जायेगा यदि यह प्रमाणित हो जाय कि ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होता, यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिये याचिका प्रस्तुत की गई होती।

**45. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया**–यदि निर्वाचन–याचिका के विचारण के समय यह प्रतीत हो कि निर्वाचन में उम्मीदवारों को बराबर–बराबर मत प्राप्त हुए हो और इनमें से किसी एक को हटाना है, तो–

(क) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्णय, जहां तक वह उन उम्मीदवारों के बीच प्रश्न को अवधारित करता हो, याचिका के प्रयोजनों के लिये भी प्रभावी होगा, और

(ख) जहां तक उक्त प्रश्न ऐसे निर्णय द्वारा अवधारित न किया गया हो, न्यायाधीश उनके बीच इस नियमावली की अनुसूची 2 के अनुदेशों के उपबन्धों के अनुसार निर्णय करेगा।

**46. न्यायाधीश के आदेश का प्रभावी होना**–नियम 43 के उप–नियम (2) के अधीन न्यायाधीश का आदेश, आदेश के दिनांक से प्रभावी होगा।

**47. आदेश की सूचना और अभिलेख का भेजा जाना**–नियम 43 के अधीन न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश के घोषित करने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र वह उसकी एक–एक प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

**48. जमा की गई प्रतिभूति का निस्तारण और वाद व्यय की वसूली**–(1) नियम 42 के उप–नियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वाद–व्यय, यदि कोई हो, जो न्यायाधीश द्वारा किसी प्रत्यर्थी को दिलाया गया हो, नियम 38 और 40 के अधीन जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल किया जा सकेगा और जमा की गई प्रतिभूति का शेष रुपया, यदि कोई हो, याची को वापस कर दिया जायेगा।

(2) वाद–व्यय या उसका कोई भाग, जो किसी प्रत्यर्थी को दिलाया गया हो और जो उप–नियम (1) में निर्दिष्ट जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल न किया गया हो, और किसी प्रत्यर्थी द्वारा याची को देय वाद–व्यय, नियम 42 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किया जा सकेगा।

(3) नियम 43 के अधीन आदेश देते समय न्यायाधीश इस नियम के उपबन्धों के अनुसार वाद–व्यय की वसूली और जमा की गई प्रतिभूति की वापसी के संबंध में भी आदेश देगा और न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश की एक प्रति नियम 47 के अधीन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट तद्नुसार उक्त आदेश को कार्यान्वित करेगा।

**49. न्यायाधीश के आदेश के विरूद्ध अपील**–(1) नियम 43 के अधीन न्यायाधीश द्वारा दिये गये प्रत्येक आदेश के विरूद्ध अपील, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय में की जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उच्च न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलकर्त्ता के पास ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपनियम (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करे, अपील के ज्ञापन के साथ सरकारी कोषागार की एक रसीद संलग्न करेगा, जिससे यह प्रकट होगा कि उसके द्वारा उच्च न्यायालय के पक्ष में सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में अपील व्यय के लिए प्रतिभूति के रूप में पांच सौ रुपये जमा कर दिये गये हो।

# अनुसूची 2

(नियम 27)

## निर्वाचन परिणाम के अवधारण के लिए अनुदेश

1– इस अनुसूची में–

(1) पद "अविरत उम्मीदवार" का तात्पर्य किसी ऐसे उम्मीदवार से है, जो उस समय तक न तो निर्वाचित हुआ और न मतदान से अपवर्जित हुआ हो य

(2) पद "प्रथम अधिमान" का तात्पर्य किसी उम्मीदवार के नाम के सामने लिखी गई संख्या 1 से है, इसी प्रकार पद "द्वितीय अधिमान" का तात्पर्य संख्या 2 से है, पद "तृतीय अधिमान" का तात्पर्य संख्या 3 से है और इसी प्रकार आगे के अधिमानों का अर्थ लगाया जायेगा य

(3) पद "प्राप्त अन्यतम अधिमान" का तात्पर्य किसी अविरत उम्मीदवार के लिए अभिलिखित द्वितीय बाद के ऐसे अधिमान से है जिसकी संख्या गिने जा चुके अधिमान के ठीक आगे की हो, किन्तु इसमें पहले अपवर्जित उम्मीदवार के लिए अभिलिखित अधिमानों पर विचार नहीं किया जायेगा य

(4) पद "असमाप्त–पत्र" का तात्पर्य ऐसे मत–पत्र से है जिस पर किसी अविरत उम्मीदवार के लिए और अधिमान अभिलिखित किया गया हो य

(5) पद "समाप्त–पत्र" का तात्पर्य ऐसे मत–पत्र से है, जिस पर किसी अविरत उम्मीदवार के लिए कोई अधिमान अभिलिखित न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह पत्र समाप्त समझा जायेगा जिसमें :

**(क)** दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नामों के आगे, चाहे वे अविरत हों या न हों, एक ही संख्या अंकित हो, और वह संख्या गिने जा चुके अधिमान के ठीक आगे की हो य अथवा

**(ख)** जिस उम्मीदवार के लिए अन्यतम अधिमान व्यक्त किया गया हो, उसके नाम के आगे चाहे वह अविरत हो या नहीं, ऐसी संख्या अंकित हो जो मत–पत्र पर लिखित किसी अन्य संख्या के ठीक आगे की न हो, या कोई दो या अधिक संख्यायें अंकित हों।

2– प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या निश्चित करें और उस संख्या को उसके नाम में लिख दें।

3– सभी उम्मीदवारों के नामों में लिखी हुई ऐसी संख्याओं को जोड़ें, और इस योग को दो से विभाजित करें और शेष का कोई विचार न करके भजनफल में एक जोड़ दें। इस प्रकार प्राप्त संख्या किसी उम्मीदवार के निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त अभ्यंश होगी।

4–(1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले केवल दो उम्मीदवार हों, तो–

**(क)** यदि एक उम्मीदवार दूसरे से अधिक संख्या में प्रथम अधिमान मत प्राप्त करे, तो पहले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें, या

**(ख)** यदि दोनों उम्मीदवार बराबर संख्या में प्रथम अधिमान मत प्राप्त करें, तो पर्ची डालकर निर्वाचन परिणाम अवधारित करें। उस उम्मीदवार को अपवर्जित करें जिसके नाम पर्ची पड़े तथा दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें।

(2) यदि दो से अधिक उम्मीदवार हों और–

**(क)** उनमें से एक के संबंध में यह पाया जाय कि उसने अनुदेश संख्या 3 के अधीन अवधारित अभ्यंश (quota) के बराबर या उससे अधिक प्रथम अधिमान मत प्राप्त किये हो तो उसे निर्वाचित घोषित करें, या

**(ख)** उनमें से किसी पूर्वोक्त अभ्यंश के बराबर या उससे अधिक प्रथम अधिमान मत प्राप्त न किये हों तो द्वितीय और अनुवर्ती अधिमानों को यथावश्यकता, ध्यान में रखते हुए आगे दिये हुए अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही करें।

5– यदि प्रथम, अथवा किसी बाद की, गणना के अन्त में किसी उम्मीदवार के नाम में लिखे गये कुल मतों की संख्या अभ्यंश के बराबर या उससे अधिक हो, या केवल एक ही अविरत उम्मीदवार शेष हो, तो वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

6– यदि किसी गणना की समाप्ति पर कोई, कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित न किया जा सके तो–

**(क)** उस उम्मीदवार को अपवर्जित कर दें जिसके नाम उस समय तक सबसे कम मत लिखे गये हों य

**(ख)** उसके पार्सल अथवा लघुपार्सल (Sub-Parcel) के सभी मत–पत्रों की जांच करें। लघु पार्सलों की असमाप्त पत्रों को अविरत उम्मीदवारों के लिए उनमें अभिलिखित प्राप्त अधिमानों के अनुसार क्रमबद्ध करें, ऐसे प्रत्येक लघु पार्सल के मतों की संख्या गिनें और उन्हें उस उम्मीदवार के नाम में लिखें जिसके लिए ऐसे अधिमान अभिलिखित किये गये हों। वह लघु पार्सल उस उम्मीदवार को संक्रमित कर दें और सभी समाप्त–पत्रों का एक अलग लघु पार्सल बनायें य और

**(ग)** यह देखें कि ऐसे संक्रमण तथा नाम में लिखने के पश्चात् किसी अविरत उम्मीदवार ने अभ्यंश प्राप्त किया है या नहीं य

उस दशा में जब उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन किसी उम्मीदवार को अपवर्जित करना हो और दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नामों में बराबर संख्या में मत लिखे गये हों तथा उन्हें सबसे कम मत प्राप्त हुए हों, तो उस उम्मीदवार को अपवर्जित करें जिसने सबसे कम प्रथम अधिमान मत प्राप्त किये हों और यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की वह संख्या भी बराबर हो तो पर्ची डालकर यह निर्णय करें कि उनमें से किसे अपवर्जित किया जाय।

उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित समाप्त–पत्रों के सभी लघु पार्सल अंतिम रूप से निस्तारित होकर पृथक कर दिये जायेंगे और उनमें अभिलिखित मतों पर तत्पश्चात् विचार न किया जायेगा।

**दृष्टान्त**– मान लीजिए कि क, ख, ग, और घ चार उम्मीदवार हो और उन्हें प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या निम्नलिखित है–

| | |
|---|---|
| क | 12 |
| ख | 11 |
| ग | 7 |
| घ | 5 |
| योग | 35 |

अभ्यंश 35/2+1=18 होगा।

पहली गणना में से किसी भी उम्मीदवार ने अभ्यंश के बराबर अथवा उससे अधिक मत प्राप्त नहीं किये, इसीलिये न्यूनतम मत पाने वाले उम्मीदवार, अर्थात घ को अपवर्जित कर दिया जायेगा।

मान लीजिए कि घ के पार्सल में निम्नलिखित प्रकार से केवल चार मत–पत्रों पर द्वितीय अधिमान अंकित हो:

| | |
|---|---|
| क | 2 |
| ख | 2 |

पांचवां मत–पत्र समाप्त–पत्रों के लघु पार्सल में रख दिया जायेगा तथा दो–दो पत्र जिसमें क और ख के लिए द्वितीय अधिमान अभिलिखित हो क और ख के लिए अलग–अलग लघु पार्सलों में रख दिये जायेंगे और उनमें से प्रत्येक के नाम के दो मत और लिख दिये जायेंगे अब क, ख और ग के मत निम्नांकित होंगे:

| | |
|---|---|
| क | 12 + 2 |
| ख | 11 + 2 |
| ग | 7 |

क्योंकि द्वितीय गणना की समाप्ति पर कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता इसलिए अब तीनों अविरत उम्मीदवारों में से न्यूनतम मत पाने वाला उम्मीदवार अपवर्जित कर दिया जायेगा और उसके मत दूसरे अविरत उम्मीदवार क और ख को संक्रमित कर दिये जायेंगे

मान लीजिये कि ग के पार्सल में सभी मत–पत्रों द्वितीय अधिमान अभिलिखित हो और वे निम्नलिखित प्रकार से हो:

क .....4

ख .....3

क और ख के नाम में इन अतिरिक्त मतों के लिखने पर क को 18 मत प्राप्त हो जायेंगे जो कि अभ्यंश के बराबर हो जायेंगे और ख के 16 मत हो जायेंगे अतः क निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

# उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन–विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994[1]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और धारा 264–ख के साथ पठित उक्त अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 237 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन और निर्वाचन–विवादों के निपटारे की) नियमावली, 1963 का अतिक्रमित करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हो:

## अध्याय 1
## प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन–विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषायें**–जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है;

(ख) "निर्वाचन" का तात्पर्य किसी जिला पंचायत के, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन से है;

(ग) "सदस्य" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट जिला पंचायत के सदस्य से है;

(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली की अनुसूची एक में दिये गये प्रपत्र से है;

(ङ) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली की किसी अनुसूची से है

**3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और निर्वाचन अधिकारी**–(1) राज्य निर्वाचन आयोग की अपेक्षानुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचनों के संचालन से संबंधित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट इस नियमावली के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी होगा।

**4. सहायक निर्वाचन अधिकारी**–(1) निर्वाचन अधिकारी, इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है

(2) प्रत्येक सहायक निर्वाचन/निर्वाचन अधिकारी, अधिकारी के कृत्यों सभी या किसी कृत्य को करने के लिये सक्षम होगा;

(3) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन संचालित करने के लिए, जिला पंचायत के अधिकारियों और सेवकों से ऐसी सहायता ले सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे;

(4) निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी अपने कृत्यों का सम्पादन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन करेंगे

## अध्याय 2

## अध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन, नाम निर्देशन

**5. नाम निर्देशन, आदि के लिए दिनांकों का निश्चित किया जाना**–(1) जब कभी अधिनियम के अधीन किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद का निर्वाचन कराना अपेक्षित हो, राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना द्वारा निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित बातें निर्धारित करेगा–

(क) नाम–निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जॉच करने के लिए दिनांक, जो अधिसूचना के दिनांक से कम से कम दस दिन पश्चात् का दिनांक होगा;

(ख) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का दिनांक और समय, जो नाम–निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जांच के लिये निर्धारित दिनांक के पश्चात् का सामान्यतः तीसरा दिन होगा; और

(ग) वह दिनांक जो खण्ड (ख) के अधीन निर्धारित दिनांक के पश्चात् का तीसरे दिन से पहले का न होगा, समय और घंटे, जिनके दौरान मतदान, यदि आवश्यक हो, कराया जायेगा;

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र–एक में सार्वजनिक सूचना हिन्दी में, एक प्रति अपने कार्यालय पर और दूसरी प्रति जिले के मुख्यालय पर ऐसे सहजदृश्य स्थान पर चिपकवा कर तथा ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, देगा जैसा वह उचित समझे, देगा और प्रत्येक सदस्य के अन्तिम ज्ञात पते पर सूचना की एक प्रति डाक द्वारा डाक में डाले जाने के प्रमाण–पत्र के अधीन भिजवायेगा।

**6. सदस्यों की सूची**–(1) नियम 5 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करायेगा जो जिला पंचायत के तत्समय सदस्य हों और सूची की एक प्रमाणिक प्रति अपने कार्यालय पर, जिला पंचायत के सूचना पट्ट पर या उसकी सार्वजनिक सूचना देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय सूची में ऐसी शुद्धियां कर सकता है, जो सदस्यता में कोई परिवर्तन होने या सूची में कोई त्रुटि चाहे वह किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी दावा या आपत्ति पर विचार करने पर या अन्य किसी प्रकार से ज्ञात हुई हो, मालूम होने के कारण आवश्यक हो जाये:

प्रतिबंध यह है कि सूची में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति का नाम उसमें से तब तक नहीं निकाला जायेगा जब तक कि नाम निकाले जाने के प्रस्ताव की पूर्व सूचना उस व्यक्ति को न दे दी गई हो और उसे नाम निकाले जाने के प्रस्ताव के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हों

**7. नाम–निर्देशन**–(1) कोई व्यक्ति जो जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद के निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अपना नाम–निर्देशन चाहता हो, स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से नमा–निर्देशन पत्र सम्यक् रूप से पूर्ण किये गये प्रपत्र 2 में नियम 5 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक और स्थान पर 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच निर्वाचन अधिकारी को देगा।

(2) उम्मीदवार द्वारा नाम–निर्देशन पत्र पर, नाम–निर्देशन के लिये सम्मति के रूप में स्वयं हस्ताक्षर किया जायेगा और प्रस्तावक के रूप में एक सदस्य और अनुमोदक के रूप में एक अन्य सदस्य द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

(3) यदि कोई उम्मीदवार, अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह नाम–निर्देशन पत्र के साथ इस आशय का एक घोषणा पत्र देगा कि वह यथास्थिति, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है और अपनी जाति विशेष भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) उपनियम (1) में उल्लिखित अन्तिम समय के पश्चात् प्रस्तुत किया गया नाम–निर्देशन–पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा तुरन्त ही अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

**8. धनराशियों का जमा किया जाना**–(1) कोई उम्मीदवार तब तक सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जायेगा जब तक कि वह प्रतिभूति के रूप में एक सौ रूपया जमा न करे या जमा नहीं नहीं करवा देता है:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पर उम्मीदवार उसी निर्वाचन के लिये एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो, तो वहां इस उपनियम के अधीन उससे एक से अधिक धनराशि जमा करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन जमा करने के लिये अपेक्षित धनराशि उक्त उपनियम के अधीन तब तक जमा की गई नहीं समझी जायेगी जब तक कि नियम 7 के अधीन नाम–निर्देशन–पत्र देते समय उम्मीदवार ने निर्वाचन अधिकारी के पास उतनी राशि नकद जमा न कर दी हो या नाम–निर्देशन–पत्र के साथ ऐसी रसीद संलग्न न कर दी हो, जिससे यह प्रदर्शित हो कि उक्त धनराशि उसके द्वारा या उसकी ओर से राजकीय कोषागार में या भारतीय स्टेट बैंक में जमा की जा चुकी है

**9. नाम–निर्देशन–पत्रों को दाखिल किये जाने पर प्रक्रिया**–नियम 7 के अधीन नाम–निर्देशन–पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी, उस पर उसकी क्रम–संख्या और दिनांक और समय जब उसे नमां निर्देशन–पत्र दिया गया हो, दर्ज करेगा और तत्पश्चात् यथासंभव शीघ्र प्रपत्र–3 में नाम–निर्देशन की सूचना, जिसमें नाम निर्देशन–पत्र में दिये गये विवरण के तत्यसमान उम्मीदवार और नाम–निर्देशन–पत्र में प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का विवरण होगा, अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकवा कर देगा।

**10. नाम–निर्देशन पत्रों की संवीक्षा जांच**–(1) नाम–निर्देशन पत्रों की जांच में उम्मीदवार, प्रस्तावक और समर्थक उपस्थित हो सकते हो, किन्तु अन्य कोई व्यक्ति नहीं। निर्वाचन अधिकारी सम्यक् रूप से प्राप्त नाम–निर्देशन–पत्रों का परीक्षण करने के लिये सभी युक्तियुक्त सुविधायें करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी नाम–निर्देशन–पत्रों की परीक्षण करेगा और उन सभी आपत्तियों पर, जो किसी नाम–निर्देशन के सम्बन्ध में की जाय, विनिश्चय देगा और या तो इस प्रकार की गयी आपत्ति पर या स्वतः ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी नाम–निर्देशन–पत्र को निम्नलिखित किसी भी आधार पर अस्वीकृत कर सकता है:

(क) कि उम्मीदवार अधिनियम के अधीन पद पर चुने जाने के लिए अर्ह नहीं है;
(ख) कि उम्मीदवार अधिनियम के अधीन चुने जाने के लिये अनर्ह है;
(ग) कि नियम 7 और 8 के किन्हीं उपबन्धों के पालन में कोई चूक हुई है;
(घ) कि उम्मीदवार या प्रस्तावक या अनुमोदक का हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है या उसे कपट से प्राप्त किया गया है;
(ङ) कि उम्मीदवार जिला पंचायत का सदस्य नहीं है;
(च) कि प्रस्तावक या अनुमोदक सदस्य नहीं है;

(3) खण्ड (ग), (घ) या (ङ) या (च) में दी गई किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह नाम–निर्देशन–पत्र के सम्बन्ध में किसी अनियमितता के आधार पर किसी उम्मीदवार के नाम–निर्देशन–पत्र यदि ऐसे उम्मीदवार किसी अन्य ऐसे नाम–निर्देशन–पत्र के द्वारा जिसके सम्बन्ध में कोई अनियमितता की हुई हो, सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट किया जा चुका हो, अस्वीकृत करने के लिए अधिकृत करता है

(4) निर्वाचन अधिकारी किसी नाम–निर्देशन–पत्र को किसी ऐसे तकनीकी त्रुटि या अन्य गलती के आधार पर अस्वीकृत नहीं करेगा, जो सारवान प्रवृत्ति की न हो और वह ऐसी किसी त्रुटि या गलती को दूर किये जाने के निमित्त नाम–निर्देशन पत्र की कसी भी प्रविष्टि को, जिसमें निर्वाचक नामावली में नाम या संख्या से संबंधित प्रविष्टि भी सम्मिलित है, शुद्ध किये जाने की अनुमति दे सकता है

(5) उपनियम (4) के अधीन शुद्धि करने के निमित्त दिया गया निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(6) निर्वाचन अधिकारी नियम 5 के अधीन जॉच के लिये नियत दिनांक और समय पर जॉच करेगा और कार्यवाही को जब तक ऐसी कार्यवाही में ऐसे व्यवधान या रूकावट ऐसे कारण से न हो जाय जो उसके नियंत्रण से परे हो, किसी भी प्रकार स्थगित नहीं होने देगा

(7) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम–निर्देशन–पत्र पर स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अपना निर्णय पृष्ठांकित करेगा और यदि नाम–निर्देशन–पत्र अस्वीकृत किया गया हो तो वह ऐसी अस्वीकृति के लिये अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखेगा।

(8) इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियम 6 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची में किसी व्यक्ति का नाम होना इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वह अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए अर्ह है

**11. उम्मीदवारी से नाम वापस लेना**–(1) कोई भी उम्मीदवार प्रपत्र 4 में लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है इस नोटिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और वह निर्वाचन अधिकारी को उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा जिसे ऐसे उम्मीदवार ने लिखित रूप से तदर्थ प्राधिकृत किया हो, नियम 5 के अधीन नियत दिनांक और घंटों के बीच दिया जायेगा।

(2) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसने उपनियम (1) के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने का नोटिस दिया हो, उक्त नोटिस रद्द न करने दिया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उस पर यह लिखेगा कि उसने नोटिस अमुक दिनांक तथा समय पर दिया गया।

(4) यदि उम्मीदवार, उम्मीदवारी से अपना नाम नियम 5 के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस ले लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की धनराशि लौटा दी जायेगी।

(5) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (1) के अधीन नाम वापस लेने का नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र प्रपत्र 5 में नाम वापस लेने का नोटिस तैयार करायेगा और उसे अपने कार्यालय में सहज दृश्य स्थान पर और जिला पंचायत के सूचना पट्ट पर चिपकवायेगा।

**12. वैध नाम–निर्देशन की सूची और उसका प्रकाशन**–(1) यदि नियम 11 के उपनियम (1) के अधीन नामों की वापसी के पश्चात् यदि कोई हो, निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र 6 में निर्वाचन लड़ने वाले यथाविधि नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति अपने कार्यालय में और दूसरी जिला पंचायत के सूचना–पट्ट पर चिपकवाकर उसे प्रकाशित करवायेगा।

(2) वैध नाम–निर्देशनों की सूची हिन्दी में तैयार की जायेगी और विधिवत् रूप से नाम–निर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला के क्रमानुसार, पते सहित जैसे कि वे नाम–निर्देशन–पत्रों में दिये हों, दिये जायेंगे। वर्णमाला के क्र का अवधारण अन्य उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के अनुसार किया जायेगा।

**13. निर्विरोध उम्मीदवार के निर्वाचित होने की घोषणा करना**–यदि विधिवत् रूप से नाम–निर्दिष्ट उम्मीदवार केवल एक ही हो तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवार को तुरन्त अध्यक्ष के पद के लिये यथाविधि निर्वाचित घोषित करेगा और इस घोषणा की एक प्रति जिला पंचायत के सूचना पट्ट पर चिपकवायेगा और निर्वाचन परिणाम की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

**14. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु**–यदि किसी उम्मीदवार की, जो यथाविधि नाम–निर्दिष्ट हो और जिसने नाम वापस न लिया हो, मृत्यु हो जाय और निर्वाचन अधिकारी को उसकी मृत्यु की सूचना मतदान प्रारम्भ होने से पहले प्राप्त हो जाय, तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार की मृत्यु के संबध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान रद्द कर देगा और इस निर्वाचन की सभी कार्यवाहियां हर प्रकार से उसी तरह नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी मानो कोई नया निर्वाचन किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए, जिसका नाम–निर्देशन मतदान के रद्द किये जाने के समय वैध रहा हो, पुनः नाम–निर्देशन आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने नियम 11 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने की नोटिस मतदान रद्द किए जाने से पूर्व दिया हो, मतदान के इस प्रकार रद्द किये जाने बाद निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम–निर्दिष्ट किये जाने के लिए पात्र न होगा।

**15. उम्मीदवारी के लिए नाम न होना**–यदि कोई भी व्यक्ति यथाविधि नाम निर्दिष्ट न हुआ हो, या यथाविधि नाम–निर्दिष्ट सभी व्यक्ति नियम 11 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लें तो कार्यवाहियाँ इस प्रकार नये सिरे से प्रारम्भ किया जायेगा, मानों वे किसी नये निर्वाचन के लिये हों।

## मतदान

**16. मतदान की रीति**–निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली (System of proportional representation) के अनुसार एक संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। मत, मतदाताओं द्वारा स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (Poll) द्वारा नहीं स्वीकार किया जायेगा।

**17. मतदान का स्थान और समय**–मतदान जिले के मुख्यालय में ऐसे प्रमुख स्थान पर होगा, जिसे निर्वाचन अधिकारी निश्चित करें, और नियम 5 के अधीन नोटिस में उल्लिखित घंटों के भीतर होगा।

**18. मतपत्र (ballot Paper) तथा मतपेटी**–(1) निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मत–पत्र प्रपत्र–7 में होंगे तथा विधिवत् रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में हिन्दी में उसी क्रम में दिये हुए होंगे जिस क्रम में वे नियम 12 के अधीन प्रकाशित वैध नाम निर्देशनों की सूची में हों।

(2) मतदान में प्रयोग में लायी जाने वाली मतपेटी ऐसे किसी प्रकार की होगी, जिसका अनुमोदन राज्य निर्वाचन आयोग ने किया हों

**19. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व की प्रक्रिया**–(1) मतदान प्रारम्भ होने के ठीक पहले निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को, जो मतदान के स्थान पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयोग में लाई जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण करने देगा।

(2) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी मतपेटी को इस प्रकार सुरक्षित और मुहरबन्द करेगा कि मत–पत्र डालने का छेद खुला रहें

**20. मतदान स्थल में प्रवेश**–(1) निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों को मतदान स्थल से बाहर रखेगा–

(क) उम्मीदवार,
(ख) सदस्य, और
(ग) अन्य ऐसे व्यक्ति, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये समय–समय पर आने दें।

(2) निर्वाचन अधिकारी नियम 5 के अधीन निर्धारित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद वहां किसी भी सदस्य को प्रवेश न करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि सभी सदस्यों को, जो उस स्थल के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व, उपस्थित हों, अपना मत अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

**21. मत–पत्र देने की प्रक्रिया**–(1) निर्वाचन अधिकारी अपने समक्ष नियम 6 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची रखेगा।

(2) किसी सदस्य को मत–पत्र दिये जाने के ठीक पहले उस सूची में उसके नाम के सामने एक चिह्न बना दिया जायेगा।

(3) मत–पत्र की प्राप्ति के प्रतीक–स्वरूप सदस्य सूची में हस्ताक्षर करेगा।

(4) किसी सदस्य को मत–पत्र दिये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी उस सदस्य की पहचान (identity) के बारे में अपना समाधान कर लेगा और इस प्रयोजन के लिये वह ऐसे व्यक्तियों की सहायता ले सकता है जिन्हें वह ठीक समझें

(5) यदि किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में निर्वाचन अधिकारी का समाधान न हुआ हो तो वह उन परिस्थितियों की संक्षिप्त टिप्पणी अभिलिखित करने के उपरान्त, जिनमें मत–पत्र देने से इंकार किया गया हो, उसे मत–पत्र देने से इन्कार कर सकता है

(6) जैसे ही मत–पत्रों का दिया जाना समाप्त हो जाय, निर्वाचन अधिकारी मत–पत्रों के प्रतिपर्णों को एक लिफाफे में रखेगा, उसे बन्द करेगा तथा उस पर मुहर लगायेगा। लिफाफा, न्यायालय या ऐसे निर्वाचनों से सम्बद्ध किसी विवाद का निर्णय करने वाले अन्य प्राधिकारी की आज्ञा के बिना न खोला जायेगा।

**22. कुछ परिस्थितियों में नये मत–पत्र का दिया जाना**–(1) यदि किसी सदस्य ने असावधानी के कारण (Inadvertantly) अपने मत–पत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मत–पत्र के रूप में सुविधापूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो वह उसे निर्वाचन अधिकारी को देने पर और असावधानी के बारे में उसका समाधान कर देने पर इस प्रकार वापस किये गये मत–पत्र के स्थान पर दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकेगा और वापस किये गये मत–पत्र तथा उनके प्रतिपर्ण पर निर्वाचन अधिकारी "वापस किया गया और रद्द किया गया" लिख देगा।

(2) इस प्रकार रद्द किया गया मत–पत्र इस प्रयोजन के लिये पृथक रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा।

**23. सदस्यों द्वारा अप्रयुक्त मत–पत्रों का वापस किया जाना**–यदि कोई सदस्य अपना मत अभिलिखित करने के प्रयोजन से मत–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसका प्रयोग न करने का निश्चय करे तो वह उस मत–पत्र को निर्वाचन अधिकारी को वापस कर देगा, जो उस पर "वापस किया गया तथा रद्द किया गया" लिख देगा और उसे नियम 22 के उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए पृथक रखे गये लिफाफे में रखेगा।

**24. मत अभिलिखित करने की रीति**–(1) प्रत्येक सदस्य को उतने अधिमान (preferences) प्राप्त होंगे जितने उम्मीदवार होंगे, किन्तु कोई भी मत–पत्र केवल इस कारण से अवैध नहीं माना जायेगा कि ऐसे सभी अधिमान अंकित नहीं किये गये हो।

(2) सदस्य अपना मत देने में–

(क) अपने मत–पत्र में उस उम्मीदवार के नाम के सामने दिये गये स्थान पर, जिसे वह अपना प्रथम अधिमान (First preference) देने के लिए चुने, संख्या 1 लिखेगा, और

(ख) इसके अतिरिक्त अपने मत–पत्र में अन्य उम्मीदवारों के नामों के सामने दिये गये स्थान पर अधिमान के क्रमानुसार संख्या 2, 3, 4 आदि लिखकर जितने अनुवर्ती अधिमान वह चाहे, अंकित कर सकता है

(3) यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे तो निर्वाचन अधिकारी उसे मत अभिलिखित करने के लिए मत–पत्र में दिये हुए अनुदेशों को समझायेगा।

(4) अपना अधिमान अंकित करने के लिए सदस्य मतदान स्थल पर बने और बाहर से न दिखने वाले मतदान कक्ष में जायेगा।

(5) अधिमान अंकित कर लेने के बाद सदस्य मत–पत्र को मोड़कर उसे मतपेटी में इस प्रयोजन के लिए बने हुए छेद में डाल देगा।

(6) यदि कोई निर्वाचक निरक्षरता, अन्धता या अन्य अशक्तता के कारण मत–पत्र को पढ़ सकने या उस पर अपना मत अभिलिखित कर सकने में असमर्थ हो, तो निर्वाचन अधिकारी ऐसी निरक्षरता, अन्धता या अशक्तता के संबंध में समाधान कर लेने के पश्चात् निर्वाचक को अपने साथ एक ऐसे साथी को ले जाने की अनुमति दे देगा जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो और जो मत–पत्र पढ़ सकने और उस पर सदस्य की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने और यदि आवश्यक हो तो मत को छिपाने के लिए मत–पत्र को मोड़ने और उसे मतपेटी में डालने में समर्थ हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को उसी दिन के मतदान में एक से अधिक सदस्य के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को किसी सदस्य के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति दिए जाने के पूर्व उससे यह घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह उक्त सदस्य की ओर से अभिलिखित किये गये मत को गोपनीय रखेगा और उसने इसके पूर्व उस दिन के मतदान में किसी अन्य सदस्य के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है निर्वाचन अधिकारी इस उपनियम के अधीन सभी मामलों का प्रपत्र 7–क में एक अभिलेख रखेगा।

## मतगणना

**25. मतगणना के समय प्रक्रिया**–(1) मतदान बन्द होते ही निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उन सदस्यों की उपस्थिति में, जो उपस्थित हों, मतों की गणना प्रारम्भ करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतपेटी खोलेगा, और–

(क) उसमें से निकाले गये मत–पत्रों को गिनेगा और उनकी संख्या एक विवरण–पत्र में लिख लेगा;

(ख) मत–पत्रों की जाँच संवीक्षा करेगा, और उनमें से ऐसे मत–पत्रों को, जो उसकी राय में वैध हों, ऐसे मत–पत्रों से, जो उसकी राय में अवैध हों, उन पर वह शब्द "अस्वीकृत" तथा अस्वीकृति के आधार लिखते हुए अलग रखेगा; और

(ग) प्रत्येक उम्मीदवार के लिये अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार सभी वैध मत–पत्रों को पुंजी (Parceles) में रखेगा।

(3) ऐसा मत–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा, जिस पर–

(क) संख्या 1 अंकित न हो, या

(ख) संख्या 1, एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने अंकित हो या इस प्रकार अंकित हो कि उससे यह संदेह उत्पन्न होता हो कि किस उम्मीदवार के लिए उसका प्रयोग अभिप्रेत है, या

(ग) संख्या 1 और कोई अन्य संख्या एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित हो, या

(घ) कोई ऐसा चिह्न बनाया गया हो जिसके द्वारा मतदाता बाद में पहचाना जा सके

**26. निर्वाचन परिणाम का अवधारण**–प्रत्येक उम्मीदवार के लिये अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार सभी वैध मत–पत्रों को पुंजी (parcels) में रखने के बाद निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली की अनुसूची 2 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार मतदान का परिणाम अवधारण करने की कार्यवाही करेगा।

**27. पुनर्गणना**–निर्वाचन अधिकारी, यदि वह पहले की गई गणना की शुद्धता से संतुष्ट न हो तो, स्वतः यह किसी उम्मीदवार के अनुरोध पर मतों की पुनर्नगणना एक या एक से अधिक बार कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यहां दी गई किसी बात से निर्वाचन अधिकारी किन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनर्गणना कराने के लिए बाध्य नहीं होगा।

**28. निर्वाचन परिणाम की घोषणा**–गणना समाप्त हो जाने और मतदान का परिणाम अवधारित हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तत्प्रतिकूल किसी निदेश के अभाव में तुरन्त–

(क) उपस्थित लोगों के सामने निर्वाचन परिणाम की घोषणा कर देगा;

(ख) राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को निर्वाचन परिणाम की सूचना देगा;

(ग) प्रपत्र 8 में निर्वाचन की एक विवरणी तैयार करेगा और उसे प्रमाणित करेगा; और

(घ) वैध मत–पत्रों तथा अस्वीकृत मत–पत्रों को अलग–अलग पैकटों में रख कर मुहर बंद करेगा और ऐसे प्रत्येक पैकेट के ऊपर यह लिखेगा कि उनमें किस प्रकार के मत–पत्र हो।

**29. निर्वाचन पत्रों की अभिरक्षा, निरीक्षण तथा निस्तारण**–(1) निर्वाचन अधिकारी नियम 28 के उप–नियम (ख) के अधीन निर्वाचन परिणाम की सूचना देने के पश्चात् पूर्वगत नियमों में निर्दिष्ट मुहरबंद लिफाफों और पैकेटों, नियम 24 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट अभिलेखों, नियम 28 के उपनियम (ग) के अधीन तैयार किये गये निर्वाचन का विवरण को मुहरबंद अलग–अलग लिफाफे में रखकर जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजेगा। प्रत्येक लिफाफे या पैकेट के ऊपर यह लिखा होगा कि उसमें क्या रखा है

(2) जिला पंचायत राज अधिकारी की अभिरक्षा में रखे गये मत–पत्रों के पैकेट चाहे प्रयुक्त, रद्द किये गये, वैध या अस्वीकृत मत–पत्रों के पैकेट हों, और मत–पत्र जारी करते समय प्रयुक्त सदस्यों की सूची सक्षम न्यायालय की आज्ञा के बिना न खोली जायेगी और उनकी अन्तर्वस्तु (content) का किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो निरीक्षण किया जायेगा और न उक्त अन्तर्वस्तुत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। अन्य कागज पत्रों का

निरीक्षण करने की अनुमति जिला पंचायत राज अधिकारी ऐसे घंटों के बीच, जो वह इस प्रयोजन के लिए नियत करे, किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो।

(3) निर्वाचन–पत्रों का निरीक्षण, चाहे उसकी अनुमति उपनियम (2) के अधीन सक्षम न्यायालय ने दी हो या जिला पंचायत राज अधिकारी ने प्रतिदिन ही के लिये, जिस दिन निरीक्षण किया जाय, 18 रुपये की फीस का भुगतान करने पर ही किया जा सकेगा, और नियम 28 के उपनियम (ग) के अधीन तैयार की गई विवरणी की प्रतियां जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को दी जायेगी जो प्रत्येक प्रति के लिये दस रुपये की फीस का भुगतान करने पर उसे मांगे

(4) उप नियम (1) में निर्दिष्ट निर्वाचन–पत्र एक वर्ष की अवधि के लिये रोके जायेंगे और तत्पश्चात्, राज्य निर्वचन आयोग या सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निदेश के अधीन रहते हुए नष्ट कर दिये जायेंगे

**30. जमा की गई धनराशि की वापसी और जब्ती**–(1) यदि किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जाय तो वह नियम 8 के अधीन जमा की गई धनराशि उम्मीदवार या उस व्यक्ति को, जिसने उसे जमा किया हो, वापस करने का आज्ञा देगा।

(2) यदि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो जाये तो नियम 8 के अधीन जमा की गई धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को वापस कर दी जायेगी और यदि उसके द्वारा जमा न की गई हो तो उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी जिसके द्वारा वह जमा की गई हों

(3) यदि निर्वाचन के लिये नाम निर्दिष्ट उम्मीदवार निर्वाचित न हो और प्रथम अधिमान के रूप में उसे मिले हुए मतों की संख्या, दिये गये कुल मतों की संख्या के एक चौथाई भाग से अधिक न हो, तो नियम 8 के अधीन जमा की गई धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

**स्पष्टीकरण**–इस उपनियम के प्रयोजन के लिये, मतदान में दिये मतों की संख्या का निर्देश मतदान में दिये गये केवल वैध मतपत्र की संख्या से है

(4) इन मामलों में, जो पूर्वगामी उपनियमों तथा नियम 11 के अन्तर्गत नहीं आते नियम 8 के अधीन जमा की गई प्रत्येक धनराशि गजट में निर्वाचन परिणाम के प्रकाशित होने के बाद उम्मीदवार को लौटा दी जायेगी।

**31. आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया**–अध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया यथासंभव वही होगी, जो पूर्वगामी नियमों में निर्धारित है

## अध्याय 3
## उपाध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन

**32. उपाध्यक्ष का निर्वाचन**–जिला परिषद् के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में नियम 3 से 31 तक और प्रपत्र 1 से 8 तक आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे और उस प्रयोजनार्थ वे अवसर के समुपयुक्त शीर्षकों, प्रोद्धरणों (Citations), संदर्भार्क और प्रविष्टियों के संबंध में सभी अपेक्षित अनुकूलनों के साथ समझे तथा प्रयोग किये जायेंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिये पृथक रूप से या साथ–साथ निर्वाचन किये जाने का प्रतिषेध करती है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का निर्वाचन साथ–साथ हो, तो ऐसे प्रत्येक पद के निर्वाचन के संबंध में सभी प्रक्रिया पृथक् की जायेगी, सिवाय केवल इसके कि ऐसे सभी निर्वाचनों के लिये नियम 21 के अधीन पृथक मत–पत्र साथ जारी किये जा सकते हो और अंकित किए जाने के पश्चात् वे नियम 24 के अधीन एक ही मतपेटी में डाले जा सकते हो।

## अध्याय 4
## अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद

**33. याचिकायें प्रस्तुत करने का समय और रीति**–(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन पर आपत्ति करने की निर्वाचन याचिका नियम 13, नियम 28 के अधीन जैसी भी स्थिति हो, निर्वाचन परिणाम घोषित होने के दिनांक से बीस दिन के भीतर किसी भी समय न्यायाधीश को प्रस्तुत की जा सकती है

(2) वह प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत की जायेगी या यदि प्रार्थी एक से अधिक हों, तो उनमें से किसी एक या अधिक प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

**34. याचिका का प्रपत्र आदि**–(1) निर्वाचन याचिका में ऐसा आधार या ऐसे आधार विनिर्दिष्ट किये जायेंगे, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के संबंध में आपत्ति की गई हो और उसमें उन परिस्थितियों का सारांश दिया जायेगा जिनके कारण उन आधारों पर निर्वाचन पर आपत्ति करना उचित बताया गया हो

(2) वह व्यक्ति, जिसके निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो और यदि याची ने यह दावा किया हो कि उक्त व्यक्ति के स्थान पर दूसरा उम्मीदवार घोषित होगा तो प्रत्येक असफल उम्मीदवार याचिका में प्रत्यर्थी (respondent) बनाया जायेगा।

**35. अनुतोष (Relief) जिसके लिये याची दावा कर सकता है**–याची निम्नलिखित घोषणाओं में से किसी के लिये भी दावा कर सकता है–

(क) कि निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है,

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है और वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है

**36. प्रतिभूति**–(1) निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करते समय याची उसके साथ इसकी एक रसीद संलग्न करेगा कि उसके द्वारा या उसकी ओर से सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में, याचिका के वाद–व्यय की प्रतिभूति के रूप में, दो सौ पचास रुपये जमा कर दिये गये हो।

(2) निर्वाचन याचिका पर न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में विहित न्यायालय फीस का भुगतान किया जायेगा और यदि उक्त अधिनियम में कोई न्यायालय फीस नियत न हो तो न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में 125 रु0 की फीस दी जायेगी।

**37. स्थान के लिए दावा करने में पारस्परिक दोषारोपण**–जब किसी निर्वाचन याचिका में इस घोषणा के लिए दावा किया गया हो कि निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है, तो निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य पक्ष इस बात को सिद्ध करने के लिये साक्ष्य दे सकता है कि उक्त उम्मीदवार

(13)

का निर्वाचन यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता तो शून्य हो गया होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिये याचिका प्रस्तुत की गयी होती।

**38. प्रक्रिया**—(1) जहां तक अधिनियम द्वारा या इस नियमावली में व्यवस्था की गई हो उसे छोड़कर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में वादों के संबंध में दी गई प्रक्रिया का जहां तक वह अधिनियम या इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों से असंगत न हो और जहां तक वह लागू की जा सकती हो, निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई में लागू की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) एक ही व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में दो या अधिक निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई एक साथ ही की जा सकती है;

(ख) न्यायाधीश के लिये साक्ष्य को पूर्ण रूप से अभिलिखित करना या कराना अपेक्षित न होगा परन्तु वह साक्ष्य का ऐसा ज्ञापन (memorandum) तैयार करेगा जो उसके मत में मामले का निर्णय करने के लिये पर्याप्त हो;

(ग) न्यायाधीश कार्यवाही के बीच किसी भी समय, याची से किसी प्रत्यर्थी (respondent) द्वारा किये गये या किये जाने वाले सम्भावित वाद–व्यय के भुगतान के लिये अतिरिक्त नकद प्रतिभूति माँग सकता है;

(घ) किसी विवाद्यक (issue) का निर्णय करने के लिये न्यायाधीश के वाद–विषय में यह अपेक्षा की जायेगी कि वह केवल उतना मौखिक या लिखित साक्ष्य जितना वह आवश्यक समझे प्रस्तुत करने या प्राप्त किये जाने की आज्ञा दे;

(ङ) न्यायाधीश के किसी निर्णय के विरूद्ध तथ्य या विधि के प्रश्न पर कोई अपील या पुनरीक्षण (revision) न किया जा सकेगा;

(च) न्यायाधीश किसी ऐसे व्यक्ति के, जो यह समझता है कि वह निर्णय से व्यथित है, प्रार्थना–पत्र पर, जो निर्णय के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर दिया गया हो, किसी भी प्रश्न के संबंध में अपने निर्णय का पुनर्विलोकन (review) कर सकता है;

(छ) किसी साक्षी या अन्य व्यक्ति से यह बताने की अपेक्षा न की जायेगी कि उसने निर्वाचन में अपना मत किसे दिया है

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) के उपबन्ध सभी प्रकार से निर्वाचन याचिका के विचारण (trial) में लागू समझे जायेंगे

(3) निर्वाचन याचिका की सुनवाई प्रारम्भ होने के पूर्व या अन्तिम निर्णय होने के पूर्व यथास्थिति याची या याचियों द्वारा न्यायाधीश के पास याचिका वापस लेने के लिये प्रार्थना–पत्र देकर याचिका वापस ली जा सकती है और ऐसा प्रार्थना–पत्र दिया जाने पर याचिका वापस ली गई समझी जायेगी और उसके विचारण के लिये आगे कोई कार्यवाही न की जायेगी।

**39. याचिका का उपशमन**—(1) निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर नियम 35 के खण्ड (क) में उल्लिखित घोषणा का दावा करने के लिए प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका उपशमित हो जायेगी।

(2) एकमात्र याची या सभी याचिकों की मृत्यु हो जाने की दशा में निर्वाचन याचिका उपशमित हो जायेगी।

(3) यदि निर्वाचन याचिका में नियम 35 के खण्ड (ख) में उल्लिखित घोषणा का दावा किया गया हो और निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाय तो न्यायाधीश गजट में इस घटना की सूचना प्रकाशित करायेगा और उसके उपरान्त कोई भी व्यक्ति जो याची हो सकता था, उक्त प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर याचिका का विरोध करने के लिये निर्वाचित व्यक्ति के स्थान पर अपना विकल्प रखे जाने के लिये प्रार्थना–पत्र दे सकता है और उसे उन शर्तों पर, जिसे न्यायाधीश ठीक समझे, कार्यवाहियों को जारी रखने का हक होगा।

**40. न्यायाधीश की आज्ञायें**–(1) यदि ऐसी जांच के बाद, जिसे वह उचित समझने किसी व्यक्ति के संबंध में जिसके निर्वाचन पर याचिका द्वारा आपत्ति की गयी हो, इस निर्णय पर पहुँचता है कि उसका निर्वाचन वैध है तो उस व्यक्ति के विरूद्ध निर्वाचन याचिका खारिज कर देगा और स्वविवेकानुसार वाद व्यय दिलायेगा।

(2) यदि न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुंचता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध है तो वह तो :

(क) यह घोषित करेगा कि एक आकस्मिक रिक्ति हो गई है; या

(ख) यह घोषित करेगा कि दूसरा उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है और इनमें से किसी भी दशा में स्वविवेकानुसार वाद–व्यय दिलवा सकता है

**41. न्यायाधीश की शक्तियां**–(1) यदि याचिका तुच्छ (frivoloust) पाई जाय तो न्यायाधीश यह आदेश दे सकता है कि प्रतिभूति या उसका कोई भी अंश राज्य सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगी।

(2) न्यायाधीश द्वारा वाद–व्यय के लिये दी गई, आज्ञा इस निमित्त प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा उसी रीति से और उसी प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित की जायेगी मानों वह किसी वाद में धनराशि के भुगतान के लिए उसी के द्वारा दी गई कोई डिक्री हो।

**42. आधार, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है**–यदि कोई व्यक्ति, जिसने निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की हो, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन पर आपत्ति करने के साथ–साथ इस घोषणा की अभियाचना करेगा कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है और न्यायाधीश का मत हो कि वास्तव में याची या ऐसे अन्य उम्मीदवार को वैध मतों में से अधिकांश मत प्राप्त हुए हो, तो न्यायाधीश, निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोषित करने के बाद यह घोषित करेगा कि यथास्थिति याची या उक्त अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि याची या उक्त अन्य उम्मीदवार को यथाविधि निर्वाचित घोषित नहीं किया जायेगा, यदि यह प्रमाणित हो जाय कि ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होता यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिये याचिका प्रस्तुत की गयी होती।

**43. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया**–यदि निर्वाचन याचिका के विचारण के समय यह प्रतीत हो कि निर्वाचन में उम्मीदवारों को बराबर–बराबर मत प्राप्त हुए हो और इनमें से किसी एक को हटाना है, तो–

(क) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्णय, जहां तक वह उन उम्मीदवारों के बीच प्रश्न को अवधारित करता हो, याचिका के प्रयोजनों के लिये भी प्रभावी होगा; और

(ख) जहां तक उक्त प्रश्न ऐसे निर्णय द्वारा अवधारित न किया गया हो,

न्यायाधीश उनके बीच इस नियमावली की अनुसूची 2 के अनुदेशों के उपबन्धों के अनुसार निर्णय करेगा।

**44. न्यायाधीश के आज्ञाओं का प्रभावी होना**–नियम 40 के उपनियम (2) के अधीन न्यायाधीश का आज्ञा, आज्ञा के दिनांक से प्रभावी होगा।

**45. आदेश की सूचना और अभिलेख का भेजा जाना**–नियम 40 के अधीन न्यायाधीश द्वारा दी गयी आज्ञा घोषित होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र वह उसकी एक–एक प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

**46. जमा की गयी प्रतिभूति का निस्तारण और वाद–व्यय की वसूली**–(1) नियम 41 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वाद–व्यय, यदि कोई हो, जो न्यायाधीश द्वारा किसी प्रत्यर्थी को दिलाया गया है, नियम 36 और 38 के अधीन जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल किया जा सकेगा और जमा की गयी प्रतिभूति का शेष रुपया, यदि कोई हो, याची को वापस कर दिया जायेगा।

(2) वाद–व्यय या उसका कोई भाग, जो किसी प्रत्यर्थी को दिलाया गया है और जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल न किया गया हो, और किसी प्रत्यर्थी द्वारा याची को देय वाद–व्यय, नियम 41 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किया जा सकेगा।

(3) नियम 40 के अधीन आदेश देते समय न्यायाधीश इस नियम के उपबन्धों के अनुसार वाद–व्यय की वसूली और जमा की गयी प्रतिभूति की वापसी के संबंध में भी आदेश देगा और न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश की एक प्रति नियम 45 के अधीन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट तद्नुसार उक्त आदेश को कार्यान्वित करेगा।

**47. न्यायाधीश के आदेश के विरूद्ध अपील**–(1) नियम 40 के अधीन न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेशों के विरूद्ध अपील, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को की जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उच्च न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अपीलकर्त्ता पर्याप्त कारणों से उक्त अवधि के भीतर अपील न कर सका।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपनियम (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करे अपील के ज्ञापन के साथ सरकारी कोषागार की इस आशय की एक रसीद संलग्न करेगा कि उसने उच्च न्यायालय के पक्ष में अपील के वाद–व्यय को प्रतिभूति के रूप में पांच सौ रुपये सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा कर दिया है

## अध्याय 5

**48. धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन विवादों को उठाने की रीति**–(1) यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा 19 के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिए अनर्ह हो गया है या नहीं तो उक्त मामले ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के रूप में पंजीकृत हो, लिखित याचिका देकर उक्त अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी स्थिति हो, के चालू कार्यकाल की अवधि में किसी समय न्यायाधीश को अभिदिष्ट किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक याचिका, याची द्वारा स्वयं या यदि याचिका पर हस्ताक्षर करने वाले एक से अधिक व्यक्ति हों तो उनमें से किसी एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

**49. याचिका का प्रपत्र आदि**–(1) नियम 48 के अधीन प्रस्तुत की गई याचिका में उन आधारों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिन पर उस व्यक्ति के सम्बन्ध में यह अभिकथित हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिए अनर्ह हो गया है और उसमें उन परिस्थितियों का सारांश दिया जायेगा जिनके सम्बन्ध में यह अभिकथन किया गया हो कि विवाद को ऐसे आधारों पर उठाना उचित है

(2) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसके विरूद्ध विवाद उठाया गया हो, याचिका में प्रतिवादी ;त्मेचबदकमदजद्ध बनाया जायेगा।

**50. प्रतिभूति**–नियम 48 के अधीन याचिका प्रस्तुत करते समय याची उसके साथ एक रसीद संलग्न करेगा, जिसमें यह प्रदर्शित हो कि उसके द्वारा या उसकी ओर से सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में याचिका के वाद–व्यय की प्रतिभूति के रूप में, दो सौ रुपये जमा कर दिए गए हो।

**51. न्यायाधीश के आदेश**–यदि न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुँचता है कि वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध नियम 48 के अधीन याचिका प्रस्तुत की गई है, धारा 19 के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिए अनर्ह हो गया है तो वह यह घोषित करेगा कि उक्त पद में एक आकस्मिक रिक्ति हो गई है

**52. अन्य प्रक्रिया आदि**–नियम 36 (2), 38, 39 (2), 41, 44, 45 और 46 के उपबन्ध यथासम्भव, नियम 48 के अधीन उठाये गये विवादों पर लागू होंगे

# अनुसूची 2

(नियम 26)

**निर्वाचन परिणाम के अवधारण के लिए अनुदेश**

1– इस अनुसूची में–

(1) पद "अविरत उम्मीदवार" का तात्पर्य किसी ऐसे उम्मीदवार से है, जो उस समय तक न तो निर्वाचित हुआ और न मतदान से अपवर्जित हुआ हो य

(2) पद "प्रथम अधिमान" का तात्पर्य किसी उम्मीदवार के नाम के सामने लिखी गई संख्या 1 से है, इसी प्रकार पद "द्वितीय अधिमान" का तात्पर्य संख्या 2 से है, पद "तृतीय अधिमान" का तात्पर्य संख्या 3 से है और इसी प्रकार आगे के अधिमानों का अर्थ लगाया जायेगा य

(3) पद "प्राप्त अन्यतम अधिमान" का तात्पर्य किसी अविरत उम्मीदवार के लिए अभिलिखित द्वितीय अथवा बाद के ऐसे अधिमान से है जिसकी संख्या गिने जा चुके अधिमान के ठीक आगे की हो, किन्तु इसमें पहले अपवर्जित उम्मीदवारों के लिए अभिलिखित अधिमानों पर विचार नहीं किया जायेगा य

(4) पद "असमाप्त–पत्र" का तात्पर्य ऐसे मत–पत्र से है जिस पर किसी अविरत उम्मीदवार के लिए और अधिमान अभिलिखित किया गया हो य

(5) पद "समाप्त–पत्र" का तात्पर्य ऐसे मत–पत्र से है, जिस पर किसी अविरत उम्मीदवार के लिए कोई अधिमान अभिलिखित न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह पत्र समाप्त समझा जायेगा जिसमें

**(क)** दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नामों के आगे, चाहे वे अविरत हों या न हों, एक ही संख्या/अंकित हो, और वह संख्या गिने जा चुके अधिमान के ठीक आगे की हो य अथवा

**(ख)** जिस उम्मीदवार के लिए अन्यतम अधिमान व्यक्त किया गया हो, उसके नाम के आगे, चाहे वह अविरत हो अथवा नहीं, ऐसी संख्या अंकित हो, जो मत–पत्र पर लिखित किसी अन्य संख्या के ठीक आगे की न हो, अथवा कोई दो अथवा अधिक संख्यायें अंकित हों।

2– प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या निश्चित करें और उस संख्या को उसके नाम में लिख दें।

3– सभी उम्मीदवारों के नामों में लिखी हुई ऐसी संख्याओं को जोड़ें, और इस योग को दो से विभाजित करें और शेष का कोई विचार न करके भजनफल में एक जोड़ दें। इस प्रकार प्राप्त संख्या किसी उम्मीदवार के निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त अभ्यंश होगी।

4–(1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले केवल दो उम्मीदवार हों, तो–

**(क)** यदि एक उम्मीदवार दूसरे से अधिक संख्या में प्रथम अधिमान मत प्राप्त करे, तो पहले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें, अथवा

**(ख)** यदि दोनों उम्मीदवार बराबर संख्या में प्रथम अधिमान मत प्राप्त करें, तो पर्ची डाल कर निर्वाचन परिणाम अवधारित करें; उस उम्मीदवार को अपवर्जित करें, जिसके नाम पर्ची खुले तथा दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें।

(2) यदि दो से अधिक उम्मीदवार हों और–

**(क)** उनमें से एक के संबंध में यह पाया जाय कि उसने अनुदेश संख्या 3 के अधीन अवधारित अभ्यंश (quota), के बराबर अथवा उससे अधिक प्रथम अधिमान मत प्राप्त किये हो तो उसे निर्वाचित घोषित करें, अथवा

**(ख)** उनमें से किसी ने भी पूर्वोक्त अभ्यंश के बराबर या उससे अधिक प्रथम अधिमान मत प्राप्त न किये हों तो द्वितीय और अनुवर्ती अधिमानों को, यथावश्यकता, ध्यान में रखते हुए आगे दिये हुए अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही करें।

5– यदि प्रथम, अथवा किसी बाद की, गणना के अन्त में किसी उम्मीदवार के नाम में लिखे गये कुल मतों की संख्या अभ्यंश के बराबर या उससे अधिक हो, अथवा केवल एक ही अविरत उम्मीदवार शेष हो, तो वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

6– यदि किसी गणना की समाप्ति पर कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित न किया जा सके तो–

**(क)** उस उम्मीदवार को अपवर्जित कर दें, जिसके नाम उस समय तक सबसे कम मत लिखे गये हों य

**(ख)** उसके पार्सल अथवा लघुपार्सल (Sub-Parcel) के सभी मत–पत्रों की जांच करें। लघु पार्सलों की असमाप्त पत्रों को अविरत उम्मीदवारों के लिए उनमें अभिलिखित प्राप्त अन्यतम अधिमानों के अनुसार क्रमबद्ध करें, ऐसे प्रत्येक लघु पार्सल के मतों की संख्या गिनें और उन्हें उस उम्मीदवार के नाम में लिखें, जिसके लिए ऐसे अधिमान अभिलिखित किये गये हों। वह लघु पार्सल उस उम्मीदवार को संक्रमित कर दें और सभी समाप्त–पत्रों का एक अलग लघु पार्सल बनायें य तथा

**(ग)** यह देखें कि ऐसे संक्रमण तथा नाम में लिखने के पश्चात् किसी अविरत उम्मीदवार ने अभ्यंश प्राप्त किया है या नहीं।

उस दशा में जब उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन किसी उम्मीदवार को अपवर्जित करना हो और दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नामों में बराबर संख्या में मत लिखे गये हों तथा उन्हें सबसे कम मत प्राप्त हुए हों, तो उस उम्मीदवार को अपवर्जित करें जिसने सबसे कम प्रथम अधिमान मत प्राप्त किये हों और यदि वह संख्या भी दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की बराबर हो तो पर्ची से यह निर्णय करें कि उनमें से किसे अपवर्जित किया जाय।

उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित समाप्त–पत्रों के सभी लघु पार्सल अंतिम रूप से निस्तारित होकर पृथक कर दिये जायेंगे और उनमें अभिलिखित मतों पर तत्पश्चात् विचार न किया जायेगा।

**दृष्टान्त–** मान लीजिए कि क, ख, ग, और घ चार उम्मीदवार हो और उन्हें प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या निम्नलिखित है–

| | |
|---|---|
| क | 12 |
| ख | 11 |
| ग | 7 |
| घ | 5 |
| योग | 35 |

अभ्यंश 35/2+1=18 होगा।

पहली गणना में से किसी भी उम्मीदवार ने अभ्यंश के बराबर अथवा उससे अधिक मत प्राप्त नहीं किया। इसीलिये न्यूनतम मत पाने वाले उम्मीदवार, अर्थात घ को अपवर्जित कर दिया जायेगा।

मान लीजिए कि घ के पार्सल में निम्नलिखित प्रकार से केवल चार मत–पत्रों पर द्वितीय अधिमान अंकित है:

| | |
|---|---|
| क | 2 |
| ख | 2 |

पांचवां मत–पत्र समाप्त–पत्रों के लघु पार्सल में रख दिया जायेगा तथा दो–दो पत्र जिसमें क और ख के लिए द्वितीय अधिमान अभिलिखित हो क और ख के लिए अलग–अलग लघु पार्सलों में रख दिये जायेंगे और उनमें से प्रत्येक के नाम के दो मत और लिख दिये जायेंगे अब क, ख और ग के मत निम्नांकित होंगे:

| | |
|---|---|
| क | 12 + 2 |
| ख | 11 + 2 |
| ग | 7 |

क्योंकि द्वितीय गणना की समाप्ति पर कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता इसलिए अब तीनों अविरत उम्मीदवारों में से न्यूनतम मत पाने वाला उम्मीदवार अपवर्जित कर दिया जायेगा और उसके मत दूसरे अविरत उम्मीदवार क और ख को संक्रमित कर दिये जायेंगे

मान लीजिये कि ग के पार्सल में सभी मत-पत्रों द्वितीय अधिमान अभिलिखित हो और वे निम्नलिखित प्रकार से हो:

क .....4

ख .....3

क और ख के नाम में इन अतिरिक्त मतों के लिखने पर क को 18 मत प्राप्त हो जायेंगे जो कि अभ्यंश के बराबर हो जायेंगे और ख के 16 मत हो जायेंगे अतः क निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

---

Mail/Speed Post

निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 1117 / रा.नि.आ.-3/1453/2013

दिनांक 09/3/2018

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

रोशन लाल,
सचिव

सेवा में,

जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी(स्था0नि0)
देहरादून।

विषय:- **उम्मीदवारों को अनर्हता के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0) / प्रभारी अधिकारी पंचायतनि चुनावालय देहरादून के पत्र संख्या 312 / ना0नि0निर्वा0 / 2018 दिनांक 23.01.2018 के संबंध मे अवगत कराना है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट संख्या–846 / रा0नि0आ0 / लेखा अनु0 / 55 / 2002 दिनांक 01 जनवरी 2003 के नियम 4–(1) में किसी त्रिस्तरीय पंचायत अथवा नागर निकाय के निर्वाचन में मतगणना की दिनांक से 30 दिन के भीतर अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति जमा करने का प्राविधान है। साथ ही उक्त गजट को प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर (2) में यह आदेश दिया गया है कि "यह आदेश सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के ग्रामीण एवं नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में लागू होगा"। जिसमें दोनो इकाईयों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आच्छादित होते हैं।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर स्थानीय निकायों के परिसीमन में किन्हीं ग्राम पंचायतों को नागर निकायों में विलय किये जाने पर विलय हुए ग्राम पंचायत के उम्मीदवार जो त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन–2014 एवं इसके पश्चात हुए निर्वाचनों / उप निर्वाचनों में अपना निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने में असफल रहने पर निर्वाचन लड़ने हेतु अनर्ह हुए हों, ऐसे ग्राम पंचायतों के अनर्ह हुए उम्मीदवार विलय हुए निकाय मे भी आगामी नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन हेतु अनर्ह माने जायेंगे।

भवदीय
09/3/18
(रोशन लाल)
सचिव।

संख्या /रा.नि.आ.–03 / 1453 / 2013 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त, जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2– समस्त,प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
3– अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0) / प्रभारी अधिकारी पंचास्थानि देहरादून को उक्त संवर्भित पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रोशन लाल)
सचिव।

...वन भवन, ग्राम लाडपुर
दूरभाष : 0135 - 2670457 , 2670998
टेलीफैक्स : 0135 - 2670920 , 2678945
... sec.uttarakhand@gmail.com

(124)

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन सदन, लाडपुर, गन्नी माईथल, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या:2869 / रा0नि0आ0 / अनु02 / 1378 / 2019 देहरादून: दिनांक 24 अक्टूबर, 2019

## आदेश

त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों को स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिये यह आवश्यक है कि निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का आयोग द्वारा निर्वाचन हेतु किये जाने वाले व्यय के विषय में समुचित आदेश दिये जायें।

2. इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आदेश संख्या–846 / रा0नि0आ0 / लेखा अनु0 / 55 / 2002 दिनांक 01, जनवरी, 2003 द्वारा "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश, 2003 जारी किया गया था। अब राज्य में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम–2016 लागू हो गया है जिसकी धारा–131(4) (ट) (1) में प्रावधान है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल उम्मीदवारों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–10 क, के अन्तर्गत अनर्ह किया जायेगा। अतः पूर्व में जारी आदेश को अवक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम–2016 की धारा–131(4) (ट) (1)के अर्धीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन हेतु धनराशि व्यय करने के सम्बन्ध में आदेश दिया जाता है कि:–

(1) यह आदेश "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश,2019" कहा जायेगा।

(2) यह आदेश सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु लागू होगा।

(3) यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

3. अधिकतम निर्वाचन व्यय इस आदेश के **अनुलग्नक–1** के स्तम्भ–2 में वर्णित पदों के उम्मीदवारों द्वारा स्तम्भ–3 में उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं किया जायेगा।

4. (1) त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में स्वयं उम्मीदवार (निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार सहित) द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किये गये या प्राधिकृत कर कराये गये सम्पूर्ण व्ययों का प्रथम शुद्ध लेखा स्वयं उम्मीदवार द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा रखा जायेगा। यह लेखा नामांकन के दिनांक तथा उसके परिणाम घोषित होने के दिनांक के मध्य (दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुये) किये जाने वाले व्ययों का होगा। निर्वाचन से सम्बन्धित यह लेखा विवरण इस आदेश में दिये गये **अनुलग्नक–2** (दिन–प्रतिदिन का लेखा) तथा **अनुलग्नक–3** (मदवार व्यय का विवरण) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार रखा जायेगा। इसमें दिन–प्रतिदिन के व्यय के हर एक मद के विषय में निम्नलिखित विवरण होंगे:–

(क) वह दिनांक जिसको व्यय किया गया या प्राधिकृत किया गया।

(ख) व्यय की प्रकृति (उदाहरण के लिये यात्रा, डाक या मुद्रण और अन्य इसी प्रकार का व्यय)

क्रमशः.....2

(ग) व्यय की धनराशि

(अ) भुगतान की गयी धनराशि

(ब) अवशेष धनराशि

(घ) भुगतान का दिनांक,

(ङ) पाने वाले का नाम व पता,

(च) भुगतान की गई धनराशि की दशा में वाउचरों का क्रम–संख्यांक,

(छ) अवशेष धनराशि की दशा में बिल संख्या, यदि कोई हो,

(ज) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसको अवशेष धनराशि देय हो।

(2) व्यय की हर मद के लिये वाउचर प्राप्त किया जायेगा सिवाय तब जबकि डाक व्यय या रेल द्वारा या उसी तरह के मामलों में जिसमें मामले की प्रकृति के कारण वाउचर प्राप्त करना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है।

(3) समस्त वाउचर उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा भुगतान के दिनांक के क्रम में रखे जायेगें और क्रम संख्याकित किये जायेगें तथा निर्वाचन व्ययों के लेखे के साथ दाखिल किये जायेगें और ऐसे क्रम संख्याकन उप प्रस्तर (1) में उल्लिखित लेखे के मद (च) के अन्तर्गत दर्ज किये जायेगें।

(4) उप प्रस्तर (1) की मद (ङ) में वर्णित विशिष्टियॉं/विवरण व्यय की उन मदों की बाबत देनी आवश्यक न होगी जिनके उप प्रस्तर (2) के अधीन वाउचर प्राप्त नहीं किये गये हैं।

5. लेखाओं के निरीक्षण के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना– जिला निर्वाचन अधिकारी उस दिनांक से जिसको निम्नांकित व्ययों का लेखा उम्मीदवार द्वारा दाखिल किया गया है, दो दिन के भीतर एक सूचना जिसमें :–

(क) वह दिनांक जिसमें लेखा दाखिल किया गया है,

(ख) उम्मीदवार का नाम, तथा

(ग) वह समय और स्थान, जिसमें ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकेगा।

विनिर्दिष्ट हो, अपने सूचनापट्ट पर लगायेगें।

6. लेखाओं का निरीक्षण और उनकी प्रतियॉं प्राप्त करना– कोई व्यक्ति दस रूपये की फीस का भुगतान करके ऐसे किसी लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा और ऐसी फीस के भुगतान पर, जैसा निर्वाचन आयोग नियत करे, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रतियॉं प्राप्त करने का हकदार होगा।

7. (1) किसी निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों के लेखाओं के दाखिल के लिये चुनाव परिणाम की घोषणा के इस आदेश के प्रस्तर–8 में निर्धारित समय की समाप्ति के तुरन्त बाद जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) एक रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देगा, जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा:–

(क) हर एक निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम,

(ख) उम्मीदवार ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है या नहीं और यदि कर दिया है तो उसका दिनांक,

(ग) लेखा निर्धारित समय के अन्दर और निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार दाखिल किया गया है या नहीं ?

क्रमशः.....3

(2) जहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की यह राय है कि किसी उम्मीदवार का निर्वाचन व्ययों का लेखा इन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल नहीं किया गया है वहाँ वह ऐसी प्रत्येक आख्या के साथ उस उम्मीदवार के निर्वाचन व्ययों के लेखों और उसके साथ दाखिल वाउचरों को निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) उप प्रस्तर-(1) में निर्दिष्ट आख्या प्रेषित करने के तत्काल पश्चात् उसकी प्रति अपने सूचनापट्ट पर लगाकर उसका प्रकाशन करेगा।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग उप प्रस्तर-(1) में निर्दिष्ट आख्या की प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार(निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार सहित) व्ययों का लेखा उस समय के अन्दर और उसी रीति में, जो कि इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा या नहीं।

(5) जहाँ कि राज्य निर्वाचन आयोग यह विनिश्चित करता है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा उस समय के अन्दर और उस रीति में, जो इस आदेश द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, वहाँ वह उस उम्मीदवार को लिखित कारण बताओ नोटिस देगा कि क्यों न इस असफलता पर उसे अनर्ह कर दिया जाय।

(6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार जिसे उप प्रस्तर (5) के अधीन कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उस नोटिस की प्राप्ति के 20 दिन के भीतर इस विषय में लिखित आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को दे सकता है और उस आवेदन की एक प्रति और निर्वाचन व्ययों का पूरा लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को भी प्रेषित करेगा।

(7) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) उस आवेदन की प्राप्ति के पाँच दिन के अन्दर आवेदन की प्रति और यदि कोई लेखा हो तो ऐसा लेखा अपनी टिप्पणियों सहित राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा।

(8) यदि उम्मीदवार द्वारा प्रेषित किये गये आवेदन पर और जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, राज्य निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि उम्मीदवार के पास अपना लेखा दाखिल करने में असफलता के लिये कोई उचयुक्त कारण या न्यायिक औचित्य नहीं है तब वह उस उम्मीदवार को आदेश के दिनांक से **तीन (03) वर्ष** के लिये अनर्ह घोषित करेगा और आदेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करवायेगा।

8. (1) प्रत्येक उम्मीदवार अपने परिणाम घोषित होने के तीस (30) दिन के भीतर या यदि वह एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ रहा है तो उनमें अन्तिम निर्वाचन परिणाम

क्रमशः.....4

की घोषणा की दिनांक से तीस (30) दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत करेगा। निर्वाचन व्ययों का यह ब्योरा निर्वाचन व्ययों की सत्यापित प्रति होगी जो कि उसने स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा रखी गयी है।

(2) प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करते समय एक शपथ–पत्र, जैसा **अनुलग्नक–4** में दिया गया है, भी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। शपथ–पत्र में वह यह स्पष्ट उल्लेख करेगा कि प्रारूप के भाग–3 में सूचीबद्ध मदों में दर्शाया गया व्यय शून्य है, यदि उसमें कोई रिक्ति है, शपथ–पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि उससे सम्बन्धित सूचीबद्ध मदों में सम्पूर्ण निर्वाचन व्यय को उक्त विवरण में पूर्णतः और स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया गया है और निर्वाचन में किया गया कोई व्यय छिपाया नहीं गया है।

9. प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत व्यय की विवरणी में "समस्त" निर्वाचन व्ययों का सही लेखा दिखाना है, इसलिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) व्यय विवरणी निर्धारित रीति के अनुसार होने पर उम्मीदवार का लेखा स्वीकार करने से पूर्व उसकी ऐसी जाँच करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) यथापेक्षित अपनी सूचना आयोग को देते समय यह सत्यापित करेगा कि लेखा विवरण रीति में है। यह उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत एवं सत्यापित विवरण तथा दस्तावेजों को आयोग के निमित्त प्रमाणित करके भेजेगा।

10. आयोग उपर्युक्त प्रक्रिया से प्रस्तुत किये गये विवरणों की प्रमाणिकता की जाँच करा सकता है और उम्मीदवार की किसी चूक या गलत सूचना के लिये उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरा सकता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

( चन्द्रशेखर भट्ट )
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या:–2869(1)/रा0नि0आ0/अनु–2/ 1378/2019/तद्दिनांक

**प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1– सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6– समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उत्तराखण्ड।
7– समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
9– समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (पं0) उत्तराखण्ड।
10–समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।

क्रमशः.....5

11–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस आदेश को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

12– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय फोटो लिथो प्रेस रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित की वे कृपया आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 25 प्रतियाँ आयोग को उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13– आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

14– गार्ड फाइल।

( चन्द्रशेखर भट्ट )
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

# त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण।

| क्र० सं० | पदनाम/ उम्मीदवार | नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य | | जमानत की धनराशि | | निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा (रू०) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रू०) | अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रू०) | सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रू०) | अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रू०) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | सदस्य ग्राम पंचायत | 150 | 75 | 300 | 150 | 10,000.00 |
| 2 | उपप्रधान ग्राम पंचायत | 210 | 105 | 750 | 375 | 15,000.00 |
| 3 | प्रधान ग्राम पंचायत | 300 | 150 | 1500 | 750 | 50,000.00 |
| 4 | सदस्य क्षेत्र पंचायत | 300 | 150 | 1500 | 750 | 50,000.00 |
| 5 | सदस्य जिला पंचायत | 450 | 225 | 3000 | 1500 | 1,40,000.00 |
| 6 | कनिष्ठ उपप्रमुख | 450 | 225 | 4500 | 2250 | 50,000.00 |
| 7 | ज्येष्ठ उपप्रमुख | 450 | 225 | 4500 | 2250 | 60,000.00 |
| 8 | प्रमुख क्षेत्र पंचायत | 600 | 300 | 6000 | 3000 | 1,40,,000.00 |
| 9 | उपाध्यक्ष जिला पंचायत | 750 | 375 | 6000 | 3000 | 2,50,000.00 |
| 10 | अध्यक्ष जिला पंचायत | 1500 | 750 | 12000 | 6000 | 3,50,000.00 |

130


# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, सिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011 2671671 टेलीफैक्स : 0135–2670998, 2678946 E-Mail : [illegible]


संख्या– [illegible]/रा0नि0आ0अनु0–2/2622/2019 देहरादून: दिनांक: 18.06.2019

जनपद हरिद्वार के सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप–निर्वाचन।

## अधिसूचना

सचिव, पंचायती राज अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–615/XII(1)–2019–86(87)/2017 दिनांक 17 जून, 2019 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद–243 ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्द्वारा जनपद हरिद्वार की त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के पद पर अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश देता हूँ–

| नाम निर्देशन पत्र जमा करने का दिनांक व समय | नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय | नाम वापसी हेतु दिनांक व समय | निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय | मतदान का दिनांक व समय | मतगणना का दिनांक व समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24.06.2019 एवं 25.06.2019 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक) | 26.06.2019 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 27.06.2019 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक) | 27.06.2019 (अपराह्न 01.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 04.07.2019 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक) | 06.07.2019 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) |

2 जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार अपने जिले की ग्राम पंचायतों के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त पदों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 19.06.2019 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुए उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांव में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना–पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

क्रमशः—2

3. उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम, 2016 की धारा–194 (2) के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत एवं यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप–प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत एवं यथासंशोधित) के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

1156
संख्या– /रा0नि0आ0अनु0–2/2622/2019 तद्दिनांक (फैक्स)

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचास्थानी), हरिद्वार।
13. मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचास्थानी), हरिद्वार।
14. जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार।
15. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार।
16. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।
17. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।
18. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

132

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी डाईवर्जन, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष 0135-2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135-2673998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या– 1567/रा0नि0आ0–2/2652/2019 देहरादून: दिनांक: 27 अगस्त, 2019

जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों के
रिक्त पदों पर उप निर्वाचन।

## अधिसूचना

सचिव(प्रभारी) पंचायती राज अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–964/XII(1)–2019–86(87)/2017 दिनांक 26 अगस्त 2019 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद–243 ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्द्वारा जनपद हरिद्वार में उप प्रधान, ग्राम पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक किसी प्रकार से रिक्त हुए पदों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश देता हूँ:–

| नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय | नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय | नाम वापसी हेतु दिनांक व समय | निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय | मतदान का दिनांक व समय | मतगणना का दिनांक व समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03.09.2019 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक) | 03.09.2019 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक) | 03.09.2019 (दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक) | 03.09.2019 (अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 13.00 बजे तक) | 03.09.2019 (अपराह्न 13.30 बजे से अपराह्न 15.30 बजे तक) | 03.09.2019 (अपराह्न 16.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) |

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार जिले की ग्राम पंचायतों में उप प्रधान के रिक्त पदों पर निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 28.08.2019 को जारी करेंगे, जिसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ भेजेंगे और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, को तत्काल प्रेषित करेंगे। उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सूचना–पटों पर यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह (प्रतीक) आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी। शासनादेश संख्या 827/XII(1)/2019–86(15)/2013–TC दिनांक 29.07.2019 के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में लागू) के नियम 117(1) में

क्रमशः .........2

(133)



दी गई व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के उप निर्वाचन के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिसूचना में मतदान हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक बुलायी जायेगी। निर्वाचन के उपरान्त निर्वाचन सम्पन्न होने की सूचना तत्काल आयोग को प्रेषित की जायेगी।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या– 1567 / रा0नि0आ0अनु0–2 / 2652 / 2019 तद्दिनांक। (फैक्स / ई0मेल)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी(प0), हरिद्वार।
13. मुख्य विकास अधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी(प0), हरिद्वार।
14. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे राज्य समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी / दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
15. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ / अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार।
17. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायतीने चुनावालय, हरिद्वार।
18. आयोग के समस्त अधिकारी / अनुभाग।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

(134)

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671871 टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या- 1808 / रा0नि0आ0अनु0-2 / 2668 / 2019

देहरादून: दिनांक 13 सितम्बर, 2019(अपराह्न)

## अधिसूचना

सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या [illegible], XII(1)-2019-84(09)/2019 दिनांक 13 सितम्बर, 2019 के क्रम में मैं चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के 12 (बारह) जनपदों (**जनपद हरिद्वार को छोड़कर**) की समस्त **ग्राम पंचायतों के सदस्यों**, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, **क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के** सदस्यों के निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे-

| निर्वाचन चक्र | नामांकन की तिथियां | नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां | नाम वापसी हेतु तिथि | निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि | मतदान की तिथियां | मतगणना एवं परिणामों की घोषणा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| प्रथम चक्र | 20 सितम्बर, 2019 से 24 सितम्बर, 2019 तक (दिनांक 22 सितम्बर, 2019 को छोड़कर) (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक) | 25 सितम्बर, 2019 से 27 सितम्बर, 2019 तक (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 28 सितम्बर, 2019 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक) | 29 सितम्बर, 2019 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 06 अक्टूबर, 2019 (पूर्वाह्न 08:00 से अपराह्न 05:00 बजे तक) | 21 अक्टूबर, 2019 (पूर्वाह्न 08:00 से कार्य की समाप्ति तक) |
| द्वितीय चक्र | —तदैव— | —तदैव— | —तदैव— | 04 अक्टूबर, 2019 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 11 अक्टूबर, 2019 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक) | —तदैव— |
| तृतीय चक्र | —तदैव— | —तदैव— | —तदैव— | 09 अक्टूबर, 2019 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 16 अक्टूबर, 2019 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक) | —तदैव— |

2. निर्वाचन कार्यक्रम तीन चक्रों में होंगे। चक्रवार विकास खण्डों का निर्धारण परिशिष्ट-क संलग्न है।

क्रमशः .....2

3. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण (समस्त पदों/स्थानों के आरक्षण सहित) विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना **दिनांक 16.09.2019** को जारी करते हुये उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुये उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना–पटों में भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

4. सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की उपर्युक्त सूचना के अधीन उपजिला निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (समस्त पदों/स्थानों का आरक्षण सहित) पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तत्काल प्रेषित करेंगे।

5. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम–निर्देशन–पत्रों को ब्लॉक सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम–निर्देशन पत्रों को जिला पंचायत मुख्यालय पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से (अर्थात् दिनांक 16.09.2019 से दिनांक 23.09.2019 तक) कार्यालय समय में तथा **दिनांक 24.09.2019** को **अपराह्न 3.00 बजे** तक निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

6. इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन पद्धति अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय पर की जायेगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किया जायेगा।

7. सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जायेंगे।

संलग्नक–परिशिष्ट–क

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या– 1808/रा0नि0आ0अनु0–2/2668/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (फैक्स/ई.मेल)

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

क्रमश .....3

8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
13. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), उत्तराखण्ड(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
15. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
16. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
17. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
18. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
19. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायती चुनावालय उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
20. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
21. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
22. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
23. सूचना–पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

(सन्दीप कुमार भटट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

137

निर्वाचन आवश्यक / / ई0मेल


# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com


संख्या:– 2914 / रा0नि0आ0–2 / 2736 / 2019

देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर, 2019(अपराह्न)

## अधिसूचना

सचिव(प्रभारी), पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या–1300 / XII(1)–2019 / 84/001/2019 दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद – 243–ट के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं [illegible], राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि [illegible] समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे:–

| नामांकन का दिनांक व समय | नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय | नामांकन वापसी हेतु दिनांक व समय | मतदान का दिनांक व समय | मतगणना का दिनांक व समय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02.11.2019 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक) | 02.11.2019 (अपराह्न 03.30 [illegible] समाप्त [illegible]) | 04.11.2019 (पूर्वाह्न 11.00 [illegible] बजे तक) | 06.11.2019 (पूर्वाह्न 10.00 [illegible]) | 06.11.2019 [illegible] |

2. यह निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित 2019) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अनुसार होंगे और इन निर्वाचनों में नयी प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

3. जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग अधिकारी) अपने जनपद की क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से नियमावली के नियम–6(2) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना दिनांक 31.10.2019 को जारी करेंगे और तद्क्रम में निर्वाचन अधिकारी नियमावली में निर्धारित प्रपत्र–1 में हिन्दी में नोटिस प्रस्तरित करेंगे। उक्त नोटिस जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत कार्यालयों के सूचना पट्टों में प्रकाशित किया जायेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक [illegible] को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर प्रमाणित डाक द्वारा / अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भेजी जायेगी।

4. यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल [illegible] द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले [illegible] नियमावली [illegible]

क्रमशः.....2

प्रपत्र–7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में (हिन्दी में) होंगे और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में इसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में वह नियम–13 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में हों। उपरोक्तानुसार निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी और मतदान के पश्चात् मतगणना कराकर निर्वाचन परिणाम निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer)द्वारा यथाशीघ्र घोषित किये जायेंगे।

5. उपरोक्त निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी होंगे। निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये उक्त नियमावली के नियम–5 के अनुसार एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या– 2914/रा0नि0आ0–2/2736/2019 तद्दिनांक। (फैक्स/ई0मेल)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (फैक्स/ई.मेल)

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कमिश्नर मण्डल, नैनीताल।
12. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।
14. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
15. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
16. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(सं)(हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
17. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, (हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
18. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत (हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
19. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, कोटा लिथो प्रेस, रुड़की को इस आदेश के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत निर्वाचन खण्डवालय (हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
21. आयोग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी।
22. सूचना–गार्ड, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

139


# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com


संख्या– 2913/रा0नि0आ0–2/2737/2019

देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर, 2019(अपराह्न)

## अधिसूचना

सचिव(प्रभारी), पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून [illegible] अधिसूचना संख्या–1301/XII(1)–2019–84(09)/2019 दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 के [illegible] चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड भारत का संविधान के अनुच्छेद [illegible] में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड [illegible] जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। [illegible] निर्वाचन प्रक्रिया जिला पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी–

| नामांकन का दिनांक व समय | नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय | नामांकन वापसी हेतु दिनांक व समय | मतदान का दिनांक व समय | मतगणना का दिनांक व समय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02.11.2019 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक) | 02.11.2019 अपराह्न 03.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 04.11.2019 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक) | 07.11.2019 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक) | 07.11.2019 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद) |

2. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) उपरोक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष [illegible] का निर्वाचन और निर्वाचन [illegible] निपटारा) नियमावली 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त), के नियम–5(2) के अन्तर्गत नियमावली में निर्धारित प्रपत्र–1 में सार्वजनिक नोटिस हिन्दी में अपने स्तर से दिनांक 31.10.2019 को जारी करेंगे तथा उसकी प्रति डाक द्वारा डाक में डाले जाने के प्रमाण पत्र के अधीन (अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट/पंजीकृत डाक) द्वारा सभी जिला पंचायत सदस्यों के अन्तिम ज्ञात पते पर [illegible] निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में [illegible] जायेगा। [illegible] पंचायतों के मुख्यालय, जिला पंचायत [illegible] तहसील [illegible] के सूचना पट्टों पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त नियमावली के नियम–3(2) के अनुसार इस निर्वाचन के लिए जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) [illegible]

3. उक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष [illegible] का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त), के अनुसार सम्पन्न होगा। यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन में

[illegible] .....2

प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त निर्धारावली के साथ संलग्न प्रपत्र–7 के अनुसार हाथ द्वारा विधिवत रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि (हिन्दी) में उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में वह नियम–12 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिये गये हैं। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेक्षक के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त यथाशीघ्र परिणाम घोषित किया जायेगा और सूचना तत्काल आयोग को प्रेषित की जायेगी।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः – 2913/रा0नि0आ0–2/2737/2019 तद्दिनांक । (फैक्स/ई0मेल)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (फैक्स/ई.मेल)

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
12. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
14. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(प0)(हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
15. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
16. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(प0)(हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
17. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, (हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
18. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत (हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
19. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, कोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायतीराज चुनावालय (हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
21. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
22. सूचना–पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

141

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671 टेलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या- 3262/रा0नि0आ0अनु0-2/2812/2019
देहरादून: दिनांक: 03 दिसम्बर, 2019(अपराह्न)

**उत्तराखण्ड राज्य समस्त जनपदों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप-निर्वाचन।**

## अधिसूचना

सचिव, पंचायती राज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1469/XII(1)-2019-86(87)/2017 दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों की त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के पदों/स्थानों पर अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश देता हूँ:-

| नाम निर्देशन पत्र जमा करने का दिनांक व समय | नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय | नाम वापसी हेतु दिनांक व समय | निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय | मतदान का दिनांक व समय | मतगणना का दिनांक व समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09.12.2019 एवं 10.12.2019 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक) | 11.12.2019 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 12.12.2019 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक) | 12.12.2019 (अपराह्न 01.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 19.12.2019 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक) | 21.12.2019 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) |

2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) अपने जिले की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के रिक्त स्थानों, जिन पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त पदों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 04.12.2019 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुए उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा यथोचित माध्यम से डुगडुगी द्वारा सर्वसाधारण की [illegible] ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

क्रमशः—2

3. उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित 2019) के अधीन रहते हुए उ0प्र0 पंचायत राज(सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन), नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) तथा रिट याचिका संख्या 2302(एम0/एस0)/2019 श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

4. जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य संबंधित जिला पंचायत के मुख्यालय पर होगा, किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जायेंगे।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या– 3262/रा0नि0आ0अनु0–2/2812/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (ई.मेल)

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
12. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), उत्तराखण्ड।
14. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
15. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी(पं0), उत्तराखण्ड।
16. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
18. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
19. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह इस अधिसूचना का सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों का प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
20. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
21. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
22. सूचना–पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

143

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671 टेलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945 E-Mail : sec.utarakhand@gmail.com

संख्या:-1329/सा0नि0आ0अनु0-2/2813/2019
देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2019(अपराह्न)

## अधिसूचना

सचिव(प्रभारी), पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-1509/XII(1)-2019-86(87)/2017 दिनांक 09 दिसम्बर, 2019(पूर्वाह्न) के क्रम में **जनपद हरिद्वार** के **जिला पंचायत के अध्यक्ष** का पद, जो उत्तराखण्ड शासन के विज्ञप्ति/कार्यालय-आदेश संख्या 618/XII(2)/2019-90(09)/2017 टी0ई0 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा रिक्त घोषित किया गया है, पर उप निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है।

2. अतः "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-243-ट तथा उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016(यथासंशोधित, 2019) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, **चन्द्रशेखर भट्ट**, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि उक्त प्रकार से रिक्त जनपद हरिद्वार के जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का उप निर्वाचन निम्नांकित निर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराया जावेगा-

| नामांकन का दिनांक व समय | नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय | नाम वापसी हेतु दिनांक व समय | मतदान का दिनांक व समय | मतगणना का दिनांक व समय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **12.12.2019** (1100 बजे से 1500 बजे तक) | **12.12.2019** (1530 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | **13.12.2019** (1000 बजे से 1400 बजे तक) | **16.12.2019** (0900 बजे से 1400 बजे तक) | 16.12.2019 (1500 बजे से मतगणना की समाप्ति तक) |

2. यह उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016(यथासंशोधित, 2019) के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अनुसार होगा और इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो उपयोग द्वारा निर्धारित व निर्देशित है।

3. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा जिला पंचायत, हरिद्वार के अध्यक्ष के रिक्त पद के उप निर्वाचन हेतु पूर्ण वितरण देते हुए अपने स्तर से नियमावली के नियम-5(2)

क्रमशः...2

के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना दिनांक 10.12.2019 को जारी करेंगे और तत्क्रम में निर्वाचन अधिकारी नियमावली में निर्धारित प्रपत्र–1 में हिन्दी में नोटिस प्रसारित करेंगे। उक्त नोटिस जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत कार्यालयों के सूचना पटों में प्रकाशित किया जायेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर प्रमाणित डाक द्वारा/अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भेजी जायेगी और उप निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में भी व्यापक प्रचार किया जायेगा।

4. यह उप निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष के उप निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–7 के अनुसार होंगे तथा विधिवत् रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में हिन्दी में उसी क्रम में दिये हुए होंगे जिस क्रम में वह नियम–12 के अधीन प्रकाशित वैध नाम निर्देशनों की सूची में हों। उपरोक्तानुसार उप निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया जिला पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी और मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग की अनुमति से यथाशीघ्र परिणाम घोषित किया जायेगा।

5. उपरोक्त उप निर्वाचन के संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी होंगे। निर्वाचन अधिकारी(Returning Officer) अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये उक्त नियमावली के नियम–4 के अनुसार एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या: 3238 /रा0नि0आ0अनु0–2/2813/2019 तद्दिनांक । (ई0मेल)

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
10. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
11. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत), हरिद्वार।
12. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
13. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
14. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।

क्रमशः....3

परिशिष्ट–5

# उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम (सन् 1959 ई0) उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत एवं के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उद्धरण

## नगर प्रमुख तथा उपनगर प्रमुख

10. उपनगर प्रमुख–

(1) प्रत्येक निगम के लिए एक उपनगर प्रमुख होगा।

(2) यदि कभी नगर प्रमुख किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो अथवा नगर प्रमुख का पद रिक्त हुआ हो, इस पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति नगर–प्रमुख के पुनः कार्यभार सम्भालने अथवा रिक्त स्थानों की पूर्ति होने तक, उपनगर प्रमुख करेगा।

11. नगर–प्रमुख तथा उपनगर–प्रमुख के पद के लिए निर्वाचन की अर्हताएँ–

(1) कोई भी व्यक्ति नगर–प्रमुख के पद पर निर्वाचन के लिए अर्ह न होगा–

(क) यदि वह नगर में निर्वाचक नहीं है;

(ख) यदि उसकी आयु तीस वर्ष की नहीं हो गई है;

(ग) यदि वह धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सभासद के रूप में निर्वाचित होने के निमित्त अनर्ह है; अथवा

(घ) यदि वह सभासद के किसी स्थान के लिए निर्वाचन में हार चुका हो और उस निर्वाचन का फल घोषित होने के पश्चात् छः महीने व्यतीत न हो गये हों।

(2) कोई व्यक्ति, जो निगम का सभासद नहीं है, उपनगर–प्रमुख के पद पर निर्वाचन के लिए पात्र न होगा।

11–क. नगर–प्रमुख का निर्वाचन–

(1) नगर प्रमुख का निर्वाचन, नगर में निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

(2) धारा 16 में यथा उपबन्धित के सिवाय अपने पद से हटने वाला नगर–प्रमुख पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(3) किसी सभासद के निर्वाचन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से सम्बन्धित विवाद भी है) नगर–प्रमुख के निर्वाचन के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति, नगर–प्रमुख और सभासद दोनों रूप में या किसी उप चुनाव के सभासद के रूप में या किसी उप चुनाव में सभासद के रूप में होने पर नगर–प्रमुख निर्वाचित होता है, तो वह नगर–प्रमुख के रूप में अपने निर्वाचन के दिनाँक से सभासद नहीं रह जायेगा।

23. सभासदों पर प्रयोज्य कतिपय उपबन्ध नाम–निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होने–

धारा 24, 25, 26, 28, 29, 30–क, 81,82, 83, 85, 87, 538, 565, 570 और 572 के उपबन्ध जैसे सभासदों पर लागू होते हैं, वैसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

24. सभासद के निर्वाचन के लिए अर्हताएँ–

कोई व्यक्ति, सभासद के रूप में चुने जाने के लिए और सभासद होने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा, जब तक कि वह–

(क) नगर का निर्वाचक न हो;

(ख) 21 वर्ष की आयु प्राप्त न कर चुका हो; तथा

(ग) स्थान के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या स्त्रियों के लिए आरक्षित होने की दशा में, जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित श्रेणी का नहीं है;

(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी न हो।

25. सभासदों की अनर्हताएँ–

(1) कोई भी व्यक्ति, इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है, सभासद चुने जाने तथा होने के लिए अनर्ह होगा, यदि–

(क) उसे इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व अथवा पश्चात् भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया गया हो तथा उसे दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया गया हो, जब तक कि उसके छूटने के दिनाँक से पाँच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि, जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे, व्यतीत न हो गई हो;

(ख) वह, अनुन्मुक्त दिवालिया हो;

(ग) वह, निगम में लाभ के किसी पद पर हो;

(घ) वह, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो अथवा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट अथवा अतिरिक्त या सहायक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट कौंसिल अथवा अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा अवैतनिक मुन्सिफ या अवैतनिक असिस्टेंट कलेक्टर हो;

(ङ) वह, चाहे स्वयं, चाहे उसके लिए न्यासी के रूप में अथवा उसके लाभ के लिए या के लेखे में किसी व्यक्ति द्वारा निगम को माल सम्भरित करने के लिए या किसी निर्माण-कार्य के निष्पादन के लिए किन्हीं सेवाओं को, जिनका भार निगम ने अपने ऊपर लिया हो, सम्पन्न करने के लिए किये गये किसी संविदे में कोई हिस्सा (share) या हित (interest) रखता हो,

(च) वह, निगम को देय कर के, जिन पर धारा 504 लागू होती है अथवा ऐसे मूल्य के, जो निगम द्वारा दिये गये पानी के लिए देय हो, एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार हो;

(छ) यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण करके, भ्रष्टाचार अथवा राज्यद्रोह के लिए पदच्युत हो चुका हो, जब तक कि उसके पदच्युत होने के दिनाँक से छः वर्ष की अवधि न व्यतीत हो गई हो;

(ज) वह, किसी सक्षम प्राधिकारी के आज्ञा से वकालत करने के लिए विवर्जित कर दिया गया है;

(झ) वह, इस अधिनियम की धारा 80 तथा 83 के अधीन निगम का सदस्य होने के लिए अनर्ह है;

(ञ) वह, किसी ऐसे संसर्गजन्य रोगों में से किसी से ग्रस्त है, जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अन्यून पद के किसी चिकित्साधिकारी (Medical Officer) ने उस रोग को असाध्य (incurable) घोषित कर दिया है;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (च) की दशा में बकाया अदा कर देने पर तुरन्त अनर्हता समाप्त हो जायेगी;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी कर अथवा पानी के मूल्य का बकाया, जो उस क्षेत्र, जिसको अब नगर अधिसूचित कर दिया गया है, में क्षेत्राधिकारी रखने वाली नगरपालिका परिषद् अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय, उसको निगम का बकाया समझा जायेगा।

(ट) राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अनर्ह हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

(2) तथा (3) निकाला गया।

(4) कोई व्यक्ति सभासद चुन लिये जाने पर सभासद बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह–

(1) स्वयं अथवा किसी ऐसे फर्म के नाम से, जिससे साझीदार है अथवा जिसके साथ वह वृत्तिक हैसियत से लगा हुआ है, किसी ऐसे वाद या कार्यवाही से सिलसिले में, जिसमें निगम अथवा मुख्य नगराधिकारी का कोई हित या सम्बन्ध है (interested or concerned), वह वृत्तिक हैसियत (professional capacity) से रोक रखा जाता है अथवा नियोजित किया जाता है; अथवा

(2) बीमारी अथवा निगम द्वारा स्वीकृत अन्य किसी कारण से अनुपस्थिति को छोड़कर निगम के अधिवेशनों में लगातार छः महीने तक अनुपस्थित रहता है।

(5) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिए अनर्ह हुआ न समझा जायेगा कि वह–

(1) कोई पेंशन पाता है;

(2) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख या सभासद के रूप में काम करते हुए, कोई भत्ता या सुविधा पाता है।

(6) उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिए अनर्ह हुआ न समझा जायेगा कि उसका निम्नलिखित में कोई हिस्सा या हित है–

(1) कोई सम्भार समवाय (Joint Stock Company) अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन पंजीकृत अथवा पंजीकृत समझी गयी कोई समिति, जिससे निगम की ओर से मुख्य नगराधिकारी संविदा करेगा अथवा जिसे वह नियोजित करेगा;

(2) निगम के लिए मुख्य नगराधिकारी को बेची जाने वाली किसी ऐसी वस्तु के प्रायिक (occasional) विक्रय में जिसमें वह किसी कलेण्डर वर्ष में कुल मिलाकर ₹ 2000 से अनधिक मूल्य का नियमित रूप से व्यापार करता है।

(7) कोई व्यक्ति जो समासद के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात् इस धारा के अधीन अनर्ह हो जाय, समासद नहीं रह जायेगा और उसका स्थान ऐसी अनर्हता होने के दिनाँक से रिक्त हो जायेगा।

धारा 25(1) का संशोधन अध्यादेश संख्या 224, दिनाँक 02.07.2002 व अधिनियम अधिसूचना संख्या 458, दिनाँक 21.12.2002

(ठ) उसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात् हुआ है; या

(ड) महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध हुआ है; या

(ढ) किसी ऐसे समाचार–पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है; या

(ण) किसी ऐसी संस्था जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है; या

(त) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगरपालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है; या

(थ) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है; या

(द) नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियाँ, विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगरपालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो।

42. मत देने का अधिकार—

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, उस कक्ष में मत देने का अधिकारी नहीं होगा तथा इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से उपबन्धित दशा को छोड़कर प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, उस कक्ष में मत देने का अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी कक्ष के किसी निर्वाचन में मत नहीं दे सकेगा, यदि वह धारा 37 में उल्लिखित अनर्हताओं में से किसी के अधीन है।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी सामान्य निर्वाचन में (निगम) के एक से अधिक कक्षों में मतदान नहीं करेगा और यदि वह उक्त किसी एक से अधिक कक्षों में मतदान करता है तो सभी कक्षों में उसके मत शून्य हो जायेंगे।

(4) इस बात के होते हुए भी किसी निर्वाचक का नाम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार दर्ज हो गया है, वह व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा और यदि वह मतदान करता है तो उस कक्ष में उसके सभी मत शून्य हो जायेंगे।

(5) यदि कोई व्यक्ति कारावास की, निर्वासन की अथवा अन्य किसी प्रकार का दंडाज्ञा के अधीन किसी कारावास में बन्द है अथवा पुलिस की वैध अभिरक्षा (Lawful custody) में है, तो वह मतदान नहीं करेगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में कोई बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जो तत्समय प्रवलित किसी विधि के अन्तर्गत निवारक निरोध (preventive detention) के अधीन हो।

धारा–44 का संशोधन

**44. मतदान की रीति–**

किसी कक्ष के प्रत्येक निर्वाचन में, जहाँ मतदान लिया जाय, मत गूढ़ शलाका (secret ballot) अथवा वोटिंग मशीन द्वारा दिये जायेंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (proxy) द्वारा नहीं लिया जायेगा।

**45. निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण आदि–**

(1) निगम के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सभासदों के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, धारा 39 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) निगम के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सभासदों के निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

मूल अधिनियम की धारा 45 में निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जायेगी:–

धारा–44 में एवं नई उपधारा (3) का बढ़ाया जाना

"(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाओं जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिए खण्ड (ग) या (ङ) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा:–

(क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया है? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व, क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है, जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है एवं मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो? का विवरण;

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैंक बैलेंस आदि सम्बन्धित पूर्ण सूचनाएँ;

(घ) उस पर देनदारियों, विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण;

(ङ) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान में मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण;

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित;

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय विवरण;

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि–भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण; और

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण।

परिशिष्ट–4

# उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं संशोधित के महत्वपूर्ण प्राविधानों का उद्धरण

13–ख. निर्वाचनों के संचालन का–अधीक्षण इत्यादि–

(1) नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए उपधारा 12(ख) की उपधारा (2–क) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) नगरपालिकाओं के सामान्य निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग, सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में, निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाएँ जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिए खण्ड (ग) तथा (ङ) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा:–

(क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया है? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ है? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है, जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है एवं मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो? का विवरण;

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैंक बैलेंस आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचनाएँ;

(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण;

(ङ) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण;

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित;

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण;

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि–भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण; और

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण।

13–ग. सदस्यता के लिए अर्हतायें–

कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिए अर्ह नहीं होगा, जब तक कि–

(क) वह नगरपालिका में किसी कक्ष के लिए निर्वाचक न हो;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, वह यथास्थिति, उक्त श्रेणी का व्यक्ति न हो;

(ग) उसने २१ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो;

(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी न हो।

13–घ. सदस्यता के लिए अनर्हतायें–

कोई भी व्यक्ति, इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है, किसी नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि–

(क) वह किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई पदच्युत सेवक हो और उसके अधीन पुनः सेवायोजन के लिए विवर्जित किया गया हो; या

(ककक) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किया हो और भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, जब तक कि उसकी पदच्युत से छः वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो; या

(ख) वह किसी प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि–व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विवर्जित किया गया हो; या

(ग) वह नगरपालिका दान के स्वरूप या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद धारण करता हो; या

(घ) वह धारा 27 या 41 के अधीन अनर्ह हो; या

धारा–13घ का संशोधन अध्यादेश संख्या 225, दिनांक 02.07.2002 व अधिनियम अधिसूचना संख्या 458 दिनांक 21.12.2002

(ङ) उसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात् हुआ है; या

(च) वह राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, या जिला सरकारी काउन्सेल या अपर सहायक जिला सरकारी काउन्सेल या अवैधानिक मजिस्ट्रेट या अवैतनिक मुन्सिफ या कोई अवैतनिक सहायक कलेक्टर हो; या

(छ) उस पर एक वर्ष से अधिक की माँग के नगरपालिका कर या अन्य देयों का, जिन पर धारा 166 लागू होती है, भुगतान बकाया हो; या

(ज) महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है; या

(झ) वह अनुमोचित दिवालिया हो; या

(झझ) वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171–ङ के अधीन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध अथवा धारा 171–च के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो; या

(ञ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 या उत्तर प्रदेश आपूर्ति नियंत्रण (अस्थायी शक्ति) अधिनियम, 1947 जैसा कि उत्तर प्रदेश आपूर्ति नियंत्रण (अस्थायी शक्ति) अधिनियम, 1953 द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिये या किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसे राज्य सरकार ने यह घोषित किया हो कि उसमें ऐसी नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, जिससे वह सदस्य होने के लिये अयोग्य कर दिया गया हो, कारावास का दण्डादेश दिया गया हो या उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1873 की धारा 109 या 110 के अधीन की गई कार्यवाहियों के फलस्वरूप सदाचार के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो और ऐसा दण्डादेश बाद में परिवर्तित न कर दिया गया हो;

परन्तु (क) और (ख) की दशा में उक्त अनर्हता राज्य सरकार के इस निमित्त दिये गये आदेश द्वारा दूर की जा सकती है।

परन्तु यह और कि (छ) की दशा में बकाया भुगतान करने पर यथाशीघ्र अनर्हता समाप्त हो जायेगी।

परन्तु यह और भी कि (ञ) की दशा में–

(1) यथास्थिति उसके कारावास से निर्मुक्त होने के दिनाँक से पाँच वर्ष की समाप्ति पर या उस अवधि, जिसके लिए उससे सदाचार बनाये रखने के लिये बन्ध–पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई हो, की समाप्ति के दिनाँक से अनर्हता नहीं रह जायेगी; और

(2) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अनर्हता के दिनाँक को नगरपालिका का सदस्य हो, अनर्हता तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ऐसी अनर्हता के दिनाँक से तीन मास तक

न बीत गये हों, या यदि उक्त तीन मास के भीतर सिद्ध दोष ठहराने या आदेश के सम्बन्ध में पुनरीक्षण के लिए कोई अपील या याचिका प्रस्तुत की गई हो तो जब ऐसी अपील या विस्तारण न कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण–खण्ड (च) के अर्थ में, कोई सरकारी कोषाध्यक्ष राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा में नहीं समझा जायेगा।

(ट) वह राज्य के विधान मण्डल के निर्वाचनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया जाता है–

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इस आधार पर अनर्ह नहीं किया जायेगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है।"

(ठ) किसी ऐसे समाचार–पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है; या

(ड) किसी ऐसी संस्था, जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है; या

(ढ) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगरपालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है; या

(ण) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है; या

(त) नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियाँ, विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगरपालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो।"

13–ड. मत देने का अधिकार–

(1) कोई व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट न हो, उस कक्ष में मत देने का हकदार न होगा और जैसा कि इस अधिनियम में स्पष्टतः उपबन्धित है, उसके सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट हो, उस कक्ष में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई व्यक्ति, किसी कक्ष में निर्वाचन में मत नहीं देगा, यदि वह धारा 12–घ में निर्दिष्ट किसी अनर्हता के अधीन है।

(3) कोई व्यक्ति, किसी साधारण निर्वाचन में एक से अधिक कक्षों में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसे एक से अधिक कक्षों में मत देता है तो ऐसे सभी कक्षों में उसके दिये हुए मत शून्य हो जायेंगे।

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही कक्ष में एक से अधिक बार मत नहीं देगा भले ही उस कक्ष की निर्वाचक नामावली में उसका नाम एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किया गया हो और यदि वह इस प्रकार मत देता है तो उस कक्ष में उसके दिये हुए सभी मत शून्य हो जायेंगे।

(5) कोई व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा, यदि वह कारागार में, चाहे कारावास के या निर्वासन के दण्डादेश के अधीन या अन्य प्रकार से परिरुद्ध हो, या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हो

परन्तु उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू न होगी, जिसको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध किया गया हो।

13–च. मतदान की रीति–

किसी वार्ड के प्रत्येक निर्वाचन में जहाँ मतदान लिया जाय, मत गूढ़ शलाका या वोटिंग मशीन द्वारा दिये जायेंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा नहीं लिया जायेगा।

43. अध्यक्ष का निर्वाचन–

(1) अध्यक्ष, नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचक द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायेगा।

(2) बहिर्गामी अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(3) किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन और निर्वाचन अपराध के सम्बन्धित विवाद भी है), इस अधिनियम के उपबन्ध और तद्धीन बनाये गये नियम अध्यक्ष को निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति, नगरपालिका के सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाये, या नगरपालिका सदस्य होते हुए किसी उप निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित हो जाये, तो वह धारा 49 में यथा उपबन्धित के सिवाय, अध्यक्ष निर्वाचित होने के दिनाँक से सदस्य न रह जायेगा।

43–क. भिन्न–भिन्न स्थानीय प्राधिकारियों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद एक साथ धारण करने के सम्बन्ध में रोक–

कोई व्यक्ति नगरपालिका और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी दोनों का एक ही समय में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न होगा;

परन्तु यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के किसी ऐसे या इसी तरह के किसी पद पर निर्वाचित हो जाय तो वह अपने विकल्प से एक स्थानीय प्राधिकारी के पदधारणकर्ता रहेगा और अन्य प्राधिकारियों में विहित अवधि के भीतर, त्याग–पत्र दे देगा।

43.–कक अध्यक्ष पद के लिए अर्हताएँ–

(1) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का अध्यक्ष चुने जाने के लिए अर्ह न होगा, तब तक कि वह–

(क) सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्र में किसी कक्ष का निर्वाचक न हो; और

(ख) अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किये जाने के लिये उम्मीदवार के रूप में अपने नाम–निर्देशन के दिनाँक को तीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

(2) कोई भी व्यक्ति नगरपालिका का अध्यक्ष चुने जाने या होने के लिये अनर्ह होगा, यदि वह–

(क) धारा 13 के घ के [खण्ड (क) से (त) तक में उल्लिखित] किसी अनर्हता के कारण अनर्ह हो या हो गया हो और ऐसी अनर्हता उक्त धारा के अधीन न हो तो समाप्त हुई हो और न हटाई गई हो।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

ए संख्या–105

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 16 जुलाई, 2007 ई0
आषाढ़ 25, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1110/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007
देहरादून, 16 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड जिला योजना समिति विधेयक, 2007 पर दिनांक 13 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04, सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007
(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04, वर्ष 2007)

जिला स्तर पर पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं के समेकन हेतु जिला योजना समिति का गठन करने और सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना तैयार करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में–

(क) "विधान सभा की निर्वाचक नामावली" से राज्य विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की ऐसी निर्वाचक नामावली अभिप्रेत है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबन्धों के अनुसार और उसके अधीन तैयार की गई हो;

(ख) "समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला योजना समिति अभिप्रेत है;

(ग) "जिला स्तरीय अधिकारी" से जिले के ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(घ) "क्षेत्र पंचायत" से "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961" (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत अभिप्रेत है;

(ङ) "मंत्री" से उत्तराखण्ड सरकार की मंत्रि-परिषद् के सदस्य अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत राज्य मंत्री और उपमंत्री भी सम्मिलित हैं;

(च) "नगर पालिका" से यथास्थिति उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन गठित किसी नगर निगम, किसी नगर पालिका परिषद् या किसी नगर पंचायत अभिप्रेत है;

(छ) "जनसंख्या" से ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हों;

(ज) "ग्रामीण क्षेत्र" से नगरीय क्षेत्र से भिन्न कार्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

(झ) "नगरीय क्षेत्र" से यथास्थिति किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(ञ) "जिला पंचायत" से "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961" (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 17 के अधीन स्थापित कोई जिला पंचायत अभिप्रेत है।

जिला योजना समिति का गठन

3. (1) प्रत्येक जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं के समेकन और सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु एक जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति विकास योजना का प्रारूप तैयार करने में–

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी–

(एक) पंचायतों और नगर पालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अन्तर्गत स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(दो) उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

जिला योजना समिति का संरचना

[redacted] के समिति सदस्यों की ऐसी संख्या से संरचित होगी जैसी विहित की जाए: परन्तु यह कि सदस्यों की संख्या पन्द्रह से कम और चालीस से अधिक नहीं होगी।

(2) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के चार बटा पाँच से अन्यून सदस्य जिला पंचायत और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विहित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे।

(3) जहाँ जिले के नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक नगर पालिका समाविष्ट हों, वहाँ ऐसी नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से समिति के सदस्यों की संख्या जो ऐसी नगर पालिकाओं में ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, वितरित किया जायेगा।

(4) समिति के शेष अधिकतम एक बटा पाँच सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक मंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा,

(ख) अध्यक्ष, जिला पंचायत,

(ग) जिला मजिस्ट्रेट–पदेन सदस्य

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की संख्या, समिति के कुल सदस्यों के एक बटा पाँच भाग से अधिक न होगी, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये।

(5) उपधारा (4) खण्ड (घ) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

(6) समिति का कोई सदस्य, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट नहीं करेगा।

(7) यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथास्थिति नगर पालिका या जिला पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है, तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(8) यदि समिति के किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य का पद त्यागपत्र, त्याग-पत्र या अन्य कारण से रिक्त होता है तो रिक्ति को उपधारा (2) के अधीन उपबन्धित रीति से [redacted] के लिए भरा जायेगा।

रिक्तियाँ इत्यादि समिति की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेंगी

5. समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या समिति के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा।

समिति के स्थायी आमंत्रित

6. (1) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट हैं, समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।

(2) राज्य सभा के सदस्य भी जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।

(3) राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्य जो राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किये गये हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।

(4) ऐसी नगर पालिकाओं का, जो जिले के मुख्यालय पर स्थित हों, यथास्थिति नगर प्रमुख या अध्यक्ष, समिति के स्थायी आमंत्रित होंगे।

(5) कोई भी स्थायी आमंत्रित, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट नहीं करेगा:

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या उत्तराखण्ड सरकार की मंत्रि-परिषद् का सदस्य न हो, दो या अधिक जिलों में एक ही दिन ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो, वहाँ वह उस जिले को, जिसमें वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है, समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

परन्तु यह और कि जहाँ ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या उत्तराखण्ड सरकार की मंत्रि-परिषद् का सदस्य हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो और वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में न हो, वहाँ वह समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

समिति का सचिव

7. (1) मुख्य विकास अधिकारी समिति का सचिव होगा और वह समिति के अभिलेखों का अनुरक्षण करने, समिति की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करने और विनिश्चयों और अन्य आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों की संसूचना देने के लिए उत्तरदायी होगा और समिति को ऐसी सहायता उपलब्ध करायेगा जो उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद "मुख्य विकास अधिकारी" के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी सम्मिलित है।

(2) जिले का अपर संख्या अधिकारी, समिति का ऐसी रीति से, जैसी समिति द्वारा निर्देशित की जाए, समिति की सहायता करने के लिए पदेन संयुक्त सचिव होगा।

[redacted] का निर्वाचन

[redacted] निर्वाचन के [redacted]

समिति के कृत्य

9. समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात:–

(क) राष्ट्रीय और राज्य योजना के उद्देश्यों के ढाँचे के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों का अभिज्ञान करना;

(ख) विकेन्द्रीकृत योजना के लिए और जिला और ब्लॉक संसाधन की पार्श्विका तैयार करने के लिए आंकड़ों का ठोस आधार तैयार करने हेतु जिले की प्राकृतिक और मानव संसाधन से सम्बन्धित सूचना को एकत्र, संकलित और अद्यतन करना;

(ग) ग्राम, ब्लॉक, और जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना और उनका मानचित्रण करना;

(घ) उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों के अधिकतम और न्यायसम्मत उपयोग और समुपयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को अवधारित करना;

(ङ) ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए तैयार की गयी पंचवर्षीय या वार्षिक विकास योजना के प्रारूप को, समग्र योजना के उद्देश्यों और रणनीतियों को दृष्टिगत रखते हुए उपान्तरित या संशोधित और समेकित करना;

(च) राज्य सरकार को विकास योजना ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, प्रस्तुत करना;

(छ) जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना;

(ज) जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन तैयार करना;

(झ) जिला विकास योजना की समग्र रूपरेखा के भीतर सेक्टर और सब–सेक्टर के परिव्ययों का आवंटन करना;

(अ) जिले में विकेन्द्रीकृत योजना की रूपरेखा के अधीन कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सेक्टर और केन्द्र पुरोधिधानित योजनायें और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों और विधान सभा-निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनायें भी हैं, के अधीन प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन और समीक्षा करना,

(ट) जिला योजना में सम्मिलित की गयी योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

(ठ) ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिज्ञान करना जिनके लिए संस्थागत वित्त की आवश्यकता हो और योजना के साथ पश्चात्गामी और अग्रवर्ती संयोजन का समुचित उपाय करना और ऐसे निवेश के अपेक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करना,

(ड) समग्र विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग सुनिश्चित करना,

(ढ) राज्य सरकार को, ऐसी राज्य क्षेत्रीय योजनाओं के सम्बन्ध में जिनका जिले के विकास की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण सम्बन्ध हो, सुझाव और संस्तुतियां देना,

(ण) विभिन्न कार्यों और योजनाओं के लिए चयन को अन्तिम रूप देना,

(त) कोई अन्य कृत्य, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें।

जिला योजना का कार्यक्षेत्र

10. (1) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे, जो यथास्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों, के लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) और उत्तर प्रदेश, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) में आगणित किये गये हों।

(2) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे मामले भी आ सकेंगे जिन्हें समिति द्वारा आवश्यक समझा जाय या राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेशित करे।

जिला योजना की अधिकतम सीमा

11. (1) राज्य सरकार, जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का पता लगायेगी और उनका प्राक्कलन करेगी तथा तद्नुसार जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा का विनिश्चय करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियत की गयी जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पुनरीक्षित या परिवर्तित की जा सकेगी।

जिला योजना का अन्तिम रूप दिया जाना

12. समिति जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देगी।

जिलों को धन का आवंटन

13. (1) जिला योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में जिलों के लिए धन के लिए उपबन्ध कर सकेगी और उसके सम्यक् विनियोग के पश्चात् एकमुश्त धनराशि जिलों को आवंटित करेगी।

(2) राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट को धारा 12 के अधीन अन्तिम रूप से स्वीकृत जिला योजना के लिए वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, समिति योजनाओं और कार्यक्रमों के परिव्यय को परिवर्तित, पुनरीक्षित या उपान्तरित कर सकेगी और जिला मजिस्ट्रेट धन का पुनः आवंटन विहित रीति से करेगा।

विवाद का संकल्प

14. यदि समिति के कृत्यों, उसकी शक्ति या अधिकारिता के सम्बन्ध में या किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता है, तो विवाद या प्रश्न को राज्य योजना आयोग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

समिति की बैठक

15. (1) समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय पर ऐसे दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किये जायें।

(2) समिति उसकी बैठक में उपस्थित होने के लिए विशेषज्ञों को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जो विहित किये जायें, आमंत्रित कर सकेगी।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, समिति का ऐसा अन्य सदस्य जिसे बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाए, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

उप-समितियां

16. समिति इस अधिनियम के अधीन उसके किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए उप-समितियों का गठन कर सकेगी।

समिति को कृत्य समनुदेशित करने की राज्य सरकार की शक्ति

17. राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिला योजना समन्वय और अनुश्रवण से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों जिनसे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप आच्छादित होते हों और जो आवश्यक समझे जायं, समिति को समनुदेशित कर सकेगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

18. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

19. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

समिति उसकी प्रक्रिया को विनियमित करेगी

20. राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम के अध्यधीन रहते हुए, समिति उसकी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करेगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

21. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उस प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते।

अध्यारोही प्रभाव

22. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध समिति के गठन और उसके सदस्यों के चयन, योजना की संरचना और उसके आनुषंगिक या परिणामिक अन्य मामलों के सम्मिलित करते हुए, सभी मामलों में लागू होंगे।

निरसन और अपवाद

23. (1) उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 19[illegible] (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, वर्ष 1999) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) विनिर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनि[illegible] के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी जो इस अधिनियम के उपबन्ध सारदान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

167

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई०

अग्रहायण 09, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 154/XXXVI(3)/2016/69(1)/2015

देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

### अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2016" पर दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 81, वर्ष 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

168

धारा 6 का संशोधन।

धारा 7 का प्रतिस्थापन।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र खुल्बे

प्रमुख सचिव।

[illegible]

## कारण एवं उद्देश्य

[illegible] पंचायतों [illegible] पंचायतों [illegible] सम्पत्ति [illegible] 2007 [illegible] है।

2. [illegible] अधिनियम की कतिपय व्यवस्थाओं [illegible] समिति में प्रतिष्ठित करने [illegible] समिति की बैठकों में प्रथम [illegible] संख्या के 1/2 [illegible] हिन्दी [illegible] व्यवस्था की जाय।

उक्त उद्देश्यों की प्रति हेतु प्रस्तावित संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

प्रीतम सिंह
मंत्री

पा०एस०यू० (आर०ई०) 35 विधायी / 590-2016-100+500 (कम्प्यूटर / गोजिया)

# उत्तर प्रदेश नगर निगम ( निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण ) नियमावली, 1994[1]

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल नियमावली बनायी जाय:

अतएव, अब उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 39 के साथ पठित 1959 के उक्त अधिनियम की धारा 540 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:—

## प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन और प्रारम्भ**— ( 1 ) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश में समस्त नगर निगमों पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषायें**—इस नियमावली में,—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1959 से है,

(ख) "1950 का अधिनियम" का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है,

(ग) "विधान सभा" का तात्पर्य राज्य विधान सभा से है,

(घ) "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य राज्य में अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावली के तैयार करने और पुनरीक्षण के पर्यवेक्षण के लिये अधिनियम की धारा 39 के अधीन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) से है,

(ङ) "आयोग" का तात्पर्य निर्वाचन आयोग से है,

(च) "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य निगम में किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली को तैयार करने उसको प्रकाशित और पुनरीक्षित करने के लिये आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट अधिकारी से है,

(छ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्रों से है,

(ज) "नामावली" का तात्पर्य निर्वाचक नामावली से है।

**3. नगरपालिका द्वारा व्यय का वहन किया जाना**—किसी नगर निगम क्षेत्र में नामावली तैयार, प्रकाशित और पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में उपगत व्यय राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय संबंधित नगर निगम पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी गयी रीति से और उस सीमा तक भारित होंगे और उससे वसूली योग्य होंगे।

**4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता**—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आयोग द्वारा इस निमित्त किये गये किसी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, वार्ड के लिये निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिये ऐसे व्यक्तियों को, जैसे वह उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है।

---

1. अधिसूचना सं० 3796ए-9-71994 दिनांक 14-11-1994 जो कि उ० प्र० सरकारी गजट असाधारण भाग-4 (ख) दिनांक 14-11-94 को प्रकाशित हुआ।

## नामावली का तैयार किया जाना और प्रकाशन

**5. नामावली का प्रारूप और भाषा**—किसी वार्ड की नामावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में उस प्रारूप में तैयार की जायेगी जिसमें नामावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये 1950 के अधिनियम के अधीन तैयार की जाती है।

**6. नामावली का तैयार किया जाना**—(1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए किसी निगम में प्रत्येक वार्ड के लिये नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, 1950 के अधिनियम के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली को, जहाँ तक उसका संबंध उस वार्ड के क्षेत्र से हो, अंगीकार करते हुए तैयार की जायेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वार्ड के लिए नामावली में ऐसे वार्ड के निर्वाचन के लिए नाम, निर्देशन करने के लिए अन्तिम दिनांक के पश्चात् और ऐसे निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व कोई परिवर्तन, संशोधन या शुद्धि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मुहर लगायेगा।

**7. नामावली के आलेख का प्रकाशन**—(1) जैसे ही किसी वार्ड के लिये नामावली तैयार हो जाये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसके आलेख को नगर निगम के कार्यालय पर चिपका कर और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराके प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वार्ड के क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन वाले किसी हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करके इस तथ्य को अधिसूचित करेगा कि वार्ड के लिये नामावली प्रकाशित कर दी गयी है और उसकी प्रति का निःशुल्क निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान नगर निगम कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट नामावली की प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिये कार्यालय समय के दौरान उपनियम (1) के अधीन इसके प्रकाशन के दिनांक से सात दिन की अवधि तक उपलब्ध कराई जाएगी।

**8. वार्ड की नामावली में नामों को सम्मिलित किये जाने के दावे**—कोई व्यक्ति—

(क) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित हो किन्तु वार्ड की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है, या

(ख) जिसका नाम गलती से किसी अन्य वार्ड की नामावली में सम्मिलित कर लिया गया है, या

(ग) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में या वार्ड की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु जो उक्त वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह है, या

(घ) जिसका नाम किसी अनर्हता के कारण वार्ड की नामावली से काट दिया गया है किन्तु जो यह दावा करता है कि उसकी अनर्हता को अब दूर हो गई है अपना नाम वार्ड की नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन दे सकता है;

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन के दिनांक से सात दिन के पश्चात् दिये गये आवेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय, विचार नहीं किया जायेगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् इस नियम के अधीन किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

**9. वार्ड की नामावली में प्रविष्टियों पर आपत्तियाँ**—कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी वार्ड की नामावली में अंकित है, और—

(क) जो ऐसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में अपने बारे में किसी ब्यौरे पर आपत्ति करना चाहता हो और उसकी शुद्धि चाहता हो, या

(ख) जो वार्ड की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि वार्ड के क्षेत्र से सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है, या

(ग) जो वार्ड की नामावली में किसी नाम को रखने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि प्रश्नगत व्यक्ति वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अधिनियम की धारा 37 के अधीन अनर्ह हो गया है, नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशित होने के दिनांक से सात दिन के भीतर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रविष्टि के ब्यौरे की शुद्धि के लिये या नाम को हटा देने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है:

**10. दावों और आपत्तियों के सम्बन्ध में ब्यौरे**—(1) नियम 8 के अधीन प्रत्येक दावा या आवेदन प्रपत्र 1-क में होगा जिसे यथास्थिति, दावेदार या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही वार्ड की नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसमें दावेदार अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक है और उसे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त पदाभिहित करे, प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उक्त दावे में जहाँ आवश्यक हो, अर्हताओं सहित वे आधार जिन पर नाम को सम्मिलित किये जाने की माँग की गई है, दिये जायेंगे।

(3) नियम 9 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र 1-ख में होगी और उसे उप-नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जायेगा। नियम 9 के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन प्रत्येक आपत्ति, यथास्थिति क्रमशः प्रपत्र 1-ग या 1-घ में होगी और उसे उप-नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रपत्र 1-ग या 1-घ में आपत्ति दो प्रतियों में दी जायेगी, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी, जिसके विरुद्ध आपत्ति की जाय।

(4) आपत्ति में उस व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में वह आपत्ति है, या ब्यौरों को जिनकी शुद्धि चाही गई है, नामावली में दर्ज सभी ब्यौरे और उन आधारों को, जिन पर आपत्ति की गई है, उल्लिखित किया जायेगा।

**11. पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रक्रिया**—नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन पदाभिहित प्रत्येक अधिकारी नियम 8 और 9 में निर्दिष्ट आवेदन पत्रों की एक सूची रखेगा और आवेदन-पत्रों को ऐसी अभ्युक्तियों के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

**12. कतिपय दावों और आपत्तियों का अस्वीकृत किया जाना**—नियम 8 या 9 के अधीन कोई आवेदन-पत्र जो इस नियमावली में विहित समय के भीतर या प्रपत्र में या रीति में न दिया गया हो, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

**13. नोटिस और उसकी तामीली**—(1) उन मामलों के सिवाय, जिनमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति की ग्राह्यता से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसका दावा या आपत्ति प्राप्त की गयी हो या दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाले उसके अधिकर्ताओं पर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है, प्रपत्र-1 में एक नोटिस तामील की जायेगी, जिसमें वह स्थान व समय विनिर्दिष्ट होगा जहाँ और जब दावे या आपत्ति की सुनवाई की जायेगी और उसे या उसके अधिकर्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो, उपस्थित होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति दी जायेगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन नोटिस, यदि सम्भव हो वैयक्तिक रूप में तामील की जायेगी और वैयक्तिक रूप से तामील न होने पर वार्ड के भीतर सम्बन्धित व्यक्ति के निवास स्थान पर या अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर तामील की जायेगी।

(4) वैयक्तिक या अन्यथा तामीली का प्रमाण-पत्र ऐसी तामील के तथ्य का निश्चायक प्रमाण-पत्र समझा जायेगा।

**14. दावे और आपत्तियाँ**—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे या आपत्ति की, जिसके संबंध में नोटिस दी गई हो संक्षिप्त जाँच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और अपने विनिश्चय के अनुसार वार्ड की नामावली में कोई वृद्धि, शुद्धि या लोप का आदेश देगा और ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप तदनुसार किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड में निर्वाचन के लिये नाम-निर्देशन किये जाने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति के पूर्व ऐसी कोई वृद्धि, शुद्धि या लोप नहीं किया जायेगा।

(2) सुनवाई में उस व्यक्ति को जिसे ऐसी नोटिस जारी की गयी हो और किसी अन्य व्यक्ति को, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसकी सहायता कर सकता है, उपस्थित होने और सुने जाने का हकदार होगा।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विवेकानुसार—

(क) किसी व्यक्ति से जिसे ऐसी नोटिस जारी की गई है, अपने समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है,

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा शपथ पर साक्ष्य देने की अपेक्षा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये शपथ दिला सकता है,

टिप्पणी—जाँच के प्रयोजनों के लिये नियम 7 के अधीन प्रकाशित नामावली को शुद्ध माना जायेगा।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र-2 में दावों और आपत्तियों की एक सूची रखी जायेगी।

**15. वार्ड के लिये नामावली का अन्तिम प्रकाशन**—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तद्पश्चात नियम 14 के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ उसकी प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों की सूची के साथ पठित नामावली, वार्ड की निर्वाचक नामावली होगी।

**16. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संशोधन**—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समय-समय पर अनुपालन करेगा। अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं को।

(2) आयोग के किसी निदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय नामावली में किसी लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि को शुद्ध करने और दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तदनुसार ऐसी शुद्धि या निकालने की कार्यवाही की जायेगी।

**17. संशोधनों आदि को किस प्रकार किया जायेगा**—अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन किसी वार्ड की नामावली में शुद्धि उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से 1950 के अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों में शुद्धियाँ की जाती हैं।

(2) मतदान के लिए अनर्ह व्यक्तियों के नामों का काटा जाना और अधिनियम की धारा 37 के अधीन ऐसी अनर्हता समाप्त होने के पश्चात् ऐसे नामों का पुन: स्थापन यथा सम्भव उस रीति से किया जायेगा जो 1950 के अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन नामों को काटने और पुन: स्थापन के लिये विहित किया जाय।

(3) नियम 14 और नियम 16 के उप-नियम (2) के अधीन आदेशित संशोधनों को इस निमित्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के किसी सामान्य निदेश के अधीन रहते हुए वार्ड की नामावली और संशोधनों की सूची यदि कोई हो, जो उक्त नामावली का भाग हो, में किया जायेगा।

(4) यदि नियम 8 के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह उस व्यक्ति का नाम अन्य वार्ड की नामावली से तत्काल हटा देगा या हटवा देगा।

**18. वार्डों की पुनः परिसीमन पर नामावली की तैयारी के लिए विशेष उपबन्ध**—यदि विधि के अनुसार किसी वार्ड का नवीन परिसीमन किया जाये और यदि ऐसे वार्ड की नामावली तैयार किए जाने की आत्यधिक आवश्यकता हो, तो मुख्य निर्वाचक अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि उसे निम्नलिखित प्रकार से तैयार किया जायेगा—

(क) ऐसे वर्तमान वार्डों या उनके भागों को जो नये वार्ड के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट हों, की नामावलियों को मिलाकर और

(ख) इस प्रकार पूरी की गयी नामावली की व्यवस्था क्रम-संख्या और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करके।

(2) इस प्रकार तैयार की गई नामावली को नियम 7 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन पर यह नये वार्ड की नामावली होगी।

**19. वार्ड की नामावली का पुनरीक्षण**—(1) किसी वार्ड की नामावली अधिनियम की धारा 40 के अधीन या तो विस्तारपूर्वक या संक्षिप्ततः या अंशतः विस्तारपूर्वक और अंशतः या संक्षिप्ततः जैसा आयोग निर्दिष्ट करे, पुनरीक्षित की जायेगी।

(2) जहाँ किसी वर्ष में ऐसी नामावली विस्तारपूर्वक पुनरीक्षित की जानी हो वहाँ वह नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 16 तक उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(3) जहाँ किसी वर्ष में, ऐसी नामावली संक्षिप्ततः पुनरीक्षित की जानी हो वहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे सूचना के आधार पर जो सुगमता से उपबन्ध हो, नामावली के सुसंगत भाग के लिये संशोधनों की एक सूची तैयार करवायेगा और संशोधनों की सूची के साथ नामावली के आलेख को प्रकाशित करवायेगा और नियम 6 से 16 तक के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(4) जब उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के आलेख के या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के प्रकाशन और उपर्युक्त उपनियम (2) या (3) के साथ पठित नियम 15 के अधीन उनके अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी वार्ड की नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निदेश दिया जाय, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जब तक उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने में कोई विधिमान्य आपत्ति न हो, वार्ड की पुनरीक्षित नामावली में उन नामों को सम्मिलित करवायेगा।

**20. आदेशों के विरुद्ध अपील**—(1) नियम 13, 14 या 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ अपील करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषयवस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का लाभ नहीं उठाया है, वहाँ अपील नहीं की जा सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील—

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी,

(ख) विनिश्चय के दिनांक से सात दिन के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी,

(ग) आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध की जाय और पाँच रुपये शुल्क के साथ, जो--

(एक) न्यायिकेतर स्टाम्प द्वारा, या

(दो) राजकीय कोषागार में जमा करके और ऐसी जमा की रसीद संलग्न करके, या

(तीन) ऐसी अन्य रीति से जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाय, प्रस्तुत की जायेगी।

(3) इस नियम के अधीन केवल अपील प्रस्तुत किए जाने का यह प्रभाव न होगा कि कोई ऐसा कार्य रोक दिया जाए या स्थगित कर दिया जाए जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 15 के अधीन किया जाता है।

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु जहाँ तक वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय को उलटता है या उपान्तरित करता है वहाँ तक वह अपील में विनिश्चय के दिनांक से ही प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियमों के अधीन रहते हुये, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करवायेगा जैसे इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चय को प्रभावी करने के लिये आवश्यक हो।

**21. नामावलियों की अवधि**—नियम-6 के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी किसी वार्ड की नामावली नियम 15 के अधीन उसके प्रकाशित होने पर और नियम 16, 18 और 19 के अधीन उसके किये गये संशोधनों, पुनरीक्षणों आदि के अधीन रहते हुए तुरन्त रहेगी जब तक वार्ड के लिए तत्पश्चात् तैयार की गयी नामावली प्रवृत्त न हो जाय।

**22. नामावली आदि की अभिरक्षा और परिक्षण**—(1) नियम 8 के अधीन किये गये सभी दावे और नियम 9 के अधीन की गयी सभी आपत्तियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर अभिलिखित निश्चयों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय वार्ड की नामावली के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गई नामावली के प्रवृत्त होने तक, जो भी पहले हो, रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड की नामावली के अतिरिक्त उसकी प्रतियाँ उतनी संख्या में जितनी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और नगर निगम के कार्यालय में रखी जायेगी इन प्रक्रियाओं को मूल नामावली के किये गये संशोधनों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जायेगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रतियों को जमा करने के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधि-प्रमाणित किया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट निर्वाचन-पत्रों का निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रतियाँ ऐसी फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का अधिकार होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(5) प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली की मुद्रित प्रतियाँ वार्ड की अगली नामावली के प्रकाशन तक जनता को विक्रय के लिए ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) किसी वार्ड की नामावली के प्रकाशन पर नयी नामावली के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली को उतने वर्ष के लिए जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संबंधित नगर निगम के अभिलेखों में जमा रखा जायेगा।

**प्रपत्र—1**

**नोटिस**

(नियम 13 देखिये)

सेवा में,

*दावेदार/दावेदार का अधिकर्ता*
*आपत्तिकर्ता/ आपत्तिकर्ता का अधिकर्ता*

.....

*विरोधी पक्षकार*

.....

.....

.....

नोटिस दी जाती है कि नगर निगम के वार्ड.....की नामावली के सम्बन्ध में, आपके द्वारा आपके नाम को सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्तुत दावे/आपत्ति की सुनवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष दिनांक.....को.....स्थान (समय) पर होगी, आपको निदेश दिया जाता है कि आप सुनवाई के समय, ऐसे साक्ष्य के साथ जिसे आप प्रस्तुत करना चाहें, उपस्थित हों।

* निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित किये जाने पर जो आपत्ति की गई है उसकी एक प्रति साथ में भेजी जाती है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

---

नोटिस मिली

* आपत्ति की प्रति प्राप्त हुई

जिस व्यक्ति पर नोटिस तामील की जायेगी उसके हस्ताक्षर

* यदि नोटिस दावेदार या आपत्तिकर्ता या इनमें से किसी के अधिकर्ता पर तामील की जाय, तो इसे काट दिया जाये।

तामील करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट.....

.....

(नियम 8 और 10 देखिए)

**नाम सम्मिलित किये जाने के लिए दावा/आवेदन-पत्र**

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

वार्ड

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम उपर्युक्त वार्ड के भाग संख्या में सम्मिलित किया जाए।

से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली

मेरा नाम (पूरा) .....

मेरे पिता/माता/पति का नाम.....

मेरे निवास स्थान का ब्यौरा निम्नलिखित है—

मकान संख्या.....

मार्ग/मुहल्ला.....

वार्ड.....

नगर.....

मैं एतद् द्वारा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ कि—

(एक) मैं भारत का नागरिक हूँ.....

(दो) मेरी आयु गत पहली जनवरी को.....वर्ष और.....मास थी।

(तीन) मैं ऊपर दिये गये पते पर मामूली तौर से निवासी हूँ।

(चार) मैंने किसी अन्य वार्ड की नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन नहीं किया है।

(पाँच) मेरा नाम इस या किसी अन्य वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है।

मेरा नाम.....वार्ड की निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित पते के अधीन सम्मिलित किया गया होगा और यदि ऐसा ही है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको उक्त निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाये।

स्थान..... .....

दिनांक..... .....

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

मैं निर्वाचक नामावली के उस भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिसमें दावेदार ने अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन किया है अर्थात्.....से सम्बन्धित भाग संख्या.....जिसमें मेरी क्रम-संख्या.....है। मैं इस दावे का समर्थन करता हूँ और इस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

## प्रपत्र 1-ख

(नियम 9 और 10 देखिये)

**किसी प्रविष्टि में दिये गये ब्यौरे पर आपत्ति**

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.....वार्ड

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे संबंधित प्रविष्टि जो वार्ड संख्या.....की नामावली के भाग .....में क्रम-संख्या.....पर.....इस रूप में है, शुद्ध नहीं है। इसे शुद्ध किया जाय जिससे ब्यौरे निम्न प्रकार से पढ़े जायें—

.....

.....

स्थान.....

दिनांक.....

निर्वाचक का हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान

(180)



**प्रपत्र 1-ग**

(नियम 9 और 10 देखिये)

**नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति**

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.....वार्ड

महोदय,

वार्ड संख्या.....की नामावली के भाग.....में क्रम-संख्या .....पर श्री.....के नाम को सम्मिलित किये जाने पर निम्नलिखित कारण/कारणों से आपत्ति करता हूँ:—

.....

.....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

इस वार्ड के लिये नामावली में मेरा नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है:—

पूरा नाम.....

पिता/पति/माता का नाम.....

क्रम-संख्या.....

भाग संख्या.....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

डाक का पता.....

.....

दिनांक 19.....

मैं वार्ड संख्या.....की नामावली के उसी भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिसमें आपत्तिजनक नाम विद्यमान है वह नाम—

अर्थात्.....से सम्बन्धित.....भाग संख्या .....जिसमें मेरी क्रम-संख्या .....है। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूँ और इस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

**प्रपत्र 1-घ**

(नियम 9 और 10 देखिये)

**नाम के रखने पर आपत्ति**

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.....वार्ड

महोदय,

वार्ड संख्या.....की नामावली के भाग.....में क्रम-संख्या.....के नाम को रखने पर मैं इस आधार पर आपत्ति करता हूँ कि वह अधिनियम की धारा 12-घ के अधीन उस वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये निम्नलिखित कारण/कारणों से अनर्ह हो गया है:—

.....

.....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। उस वार्ड के लिये नामावली में मेरा नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है:

पूरा नाम.....

पिता/पति/माता का नाम.....

क्रम-संख्या.....

भाग संख्या.....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

डाक का पता.....

दिनांक.....

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं वार्ड संख्या.....की नामावली के भाग संख्या .....में क्रम-संख्या.....पर नामांकित किया गया एक निर्वाचक हूँ। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूँ और उस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पूरा नाम .....

दिनांक.....

[नियम 14 (4) देखिये]

**दावों और आपत्तियों की सूची के लिये प्रपत्र**

नगर निगम.....

वार्ड.....

**दावों और आपत्तियों की सूची**

| दावा/आपत्ति की क्रम-संख्या | प्रस्तुत करने का दिनांक | दावेदार/आपत्तिकर्ता का नाम | विनिश्चय का दिनांक | परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

# उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994[1]

## अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हो जिनके कारण उसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल नियम बनाये जायें।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका, अधिनियम, 1916 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम, संख्या 1 सन् 1916) की धारा 12–ख की उपधारा (2) के साथ पठित 1916 के उक्त अधिनियम की धारा 296 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हो, अर्थात्–

## प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 कही जायेगी,

(2) यह उत्तर प्रदेश में सम्पन्न नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषायें**–इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका, अधिनियम, 1916 से है;

(ख) '1950 का अधिनियम' का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है;

(ग) 'विधानसभा' का तात्पर्य राज्य विधान सभा से है;

(घ) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जिसे आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य में निर्वाचन नामावली के तैयार किये जाने, पुनरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के रूप में पदाभिहित किया गया हो;

(ङ) 'आयोग' का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग से है;

(च) 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी अधिकारी से है जिसे आयोग, ने राज्य सरकार के परामर्श से, जिले में वार्ड की निर्वाचक नामावली को तैयार करने, पुनरीक्षण और प्रकाशन के लिये नाम निर्दिष्ट या पदाभिहित किया हो,

(छ) 'आकार पत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न आकार पत्रों से है,

(ज) 'नामावली' का तात्पर्य निर्वाचक नामावली से है

3. **नगरपालिका द्वारा व्यय का वहन किया जाना**–किसी नगरपालिका क्षेत्र में नामावली के तैयार किये जाने और पुरीक्षण के संबंध में उपगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निदेशित के सिवाय नगरपालिका–पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दी गयी रीति से और उस सीमा तक भारित होंगे और उसे वसूलीय होंगे

4. **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता**–निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आयोग द्वारा इस निमित्त किये गये किसी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, बोर्ड के लिये निर्वाचक नामावली के तैयार किये जाने और पुनरीक्षण के लिये व्यक्तियों को जैसा वह उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है

5. **नामावली का स्वरूप और भाषा**–किसी वार्ड की नामावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में उस प्रपत्र में जिसमें नामावली विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र के लिये 1950 के अधिनियम के अधीन तैयार की जाती है, तैयार की जायेगी।

6. **नामावली का तैयार किया जाना**–(1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रत्येक बोर्ड के लिए प्रथम नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, 1950 के अधिनियम के अधीन उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली को, जहां तक उसका संबंध उक्त बोर्ड के क्षेत्र से हो, अंगीकार करते हुए तैयार की जायेगी–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे बोर्ड के लिये नामावली में ऐसे वार्ड के निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन करने के लिये अन्तिम दिनांक के पश्चात् और ऐसे निर्वाचन के पूरा हो जाने के पूर्व कोई परिवर्तन, संशोधन या शुद्धि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपनी मुहर लगायेगा।

**7. नामावली का प्रारूप में प्रकाशन**–(1) किसी वार्ड के लिये नामावली के तैयार हो जाने पर, यथाशीघ्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसकी एक प्रति प्रारूप में नगरपालिका के कार्यालय पर चिपका कर और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराकर प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वार्ड के क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन वाले किसी हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित करके इस तथ्य को अधिसूचित करेगा कि वार्ड के लिये नामावली प्रकाशित कर दी गई है और उसकी प्रति का निःशुल्क निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान नगरपालिका कार्यालय में किया जा सकता है

(3) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट नामावली की प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिये कार्यालय समय के दौरान प्रकाशन के दिनांक से सात दिन की अवधि तक उपलब्ध रहेगी–

## *नामावली का पुनरीक्षण*

**8. किसी वार्ड की नामावली में नामों को सम्मिलित किये जाने के दावे**–कोई व्यक्ति

(क) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित हो किन्तु वार्ड की नामावली में सम्मिलित न किया गया हो, या

(ख) जिसका नाम गलती से किसी अन्य वार्ड की नामावली में सम्मिलित कर दिया गया हो, या

(ग) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में या वार्ड की नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह हो, या

(घ) जिसका नाम किसी अनर्हता के कारण वार्ड की नामावली से काट दिया गया हो, किन्तु जो यह दावा करे कि उसकी अनर्हता को अब दूर कर दिया गया है, अपना नाम वार्ड की नामावली में सम्मिलित कराने के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन दे सकता है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि आवेदन पर नियम–7 के उप–नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन होने की दिनांक से सात दिन के पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय, विचार नहीं किया जायेगा–

किन्तु अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् इस नियम के अधीन किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

**9. वार्ड की नामावली में प्रविष्टियों पर आपत्तियां**–कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी वार्ड की नामावली में अंकित है, और–

(क) जो ऐसी प्रविष्टि के संबंध में किसी ब्यौरे पर आपत्ति करना चाहता हो और उसकी शुद्धि चाहता हो, या

(ख) जो वार्ड की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि वार्ड से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है, या

(ग) जो वार्ड की नामावली में किसी नाम को रखने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि प्रश्नगत व्यक्ति वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अधिनियम की धारा 12–घ के अधीन अनर्ह हो गया है,

नियम–7 के उप नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन होने के दिनांक से सात दिन के भीतर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रविष्टि के ब्यौरे की शुद्धि के लिये या नाम को हटा देने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है–

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन जो अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

**10. दावों और आपत्तियों के सम्बन्ध में ब्यौरे**–(1) नियम–8 के अधीन प्रत्येक दावा या आवेदन प्रपत्र 1–क में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे यथास्थिति, दावेदार या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही वार्ड की नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसमें दावेदार अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक हैं और उसे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त पदाभिहित, प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) उक्त दावे में जहां आवश्यक हो, अर्हताओं सहित वे आधार, जिन पर नाम को सम्मिलित किये जाने की मांग की गई है, दिए जायेंगे

(3) नियम 9 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र–1–ख में की जायेगी और उसे उप–नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जायेगा। नियम 9 के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन प्रत्येक आपत्ति यथास्थिति आकार

पत्र 1–ग या 1–घ में की जायेगी और उसे उप–नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित, प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रपत्र 1–ग या 1–घ में आपत्ति दो प्रतियों में की जायेगी, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी जिसके विरूद्ध आपत्ति की जायें

(4) आपत्ति में उस व्यक्ति में जिसका नाम सम्मिलित किए जाने का उससे संबंध है या ब्यौरों को, जिसकी शुद्धि चाही गई है, नामावली में दर्ज सभी ब्यौरे और उन आधारों को, जिस पर आपत्ति की गई है, उल्लिखित किया जायेगा।

11. **पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रक्रिया**–नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन पदाभिहित प्रत्येक अधिकारी नियम 8 और 9 में निर्दिष्ट पत्रों की एक सूची रखेगा और आवेदन पत्रों को ऐसी अभ्युक्तियों के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

12. **कतिपय दावों और आपत्तियों का निरस्त किया जाना**–नियम 8 या 9 के अधीन कोई आवेदन पत्र जो इस नियमावली में विहित समय के भीतर या प्रारूप पर या रीति में न दिया गया हो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

13. **नोटिस और उसकी तामीली**–(1) उन मामलों के सिवाय जिनमें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति को ग्राह्यता से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसके दावे आपत्ति प्राप्त की गयी हों, अथवा दावे या आपत्ति प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ता और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति की गयी है, आकार पत्र 1 में एक नोटिस तामील की जायेगी, जिसमें स्थान व समय विनिर्दिष्ट अभिकर्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो, उपस्थिति होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करने के संबंध में आपत्ति की गयी है, नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति दी जायेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन नोटिस, यदि संभव हो व्यक्तिगत रूप में तामील की जायेगी और व्यक्तिगत रूप से तामील न होने पर वार्ड के भीतर संबंधित व्यक्ति के निवास स्थान या अन्तिम निवास स्थान पर चस्पा करे तामील की जायेगी।

(4) व्यक्तिगत या अन्यथा तामील का प्रमाण–पत्र, ऐसी तामील के तथ्य का निश्चायक प्रमाण समझा जायेगा।

14. **दावों और आपत्तियों की जांच**–(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे या आपत्ति की; जिसके संबंध में नोटिस दिया गया हो, संक्षिप्त जांच करेगा और उस पर अपना विनिश्चिय अभिलिखित करेगा और अपने विनिश्चय के अनुसार नामावली में कोई वृद्धि शुद्धि या लोप का आदेश देगा और ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप तदनुसार की जायेगी–

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड में, निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन किये जाने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति के पूर्व किसी प्रकार की ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप नहीं की जायेगी।

(2) सुनवाई में उस व्यक्ति को जिसको ऐसा नोटिस जारी किया गया हो और किसी अन्य व्यक्ति को जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसके लिये सहायक हो सकता है उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विवक में,–

(क) किसी व्यक्ति से जिसको नोटिस दिया गया हो, अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा शपथ पर साक्ष्य देने और इस प्रयोजन के लिये शपथ दिलाने की अपेक्षा कर सकता है

**टिप्पणी**–जांच के प्रयोजन के लिये नियम 7 के अधीन प्रकाशित नामावली को शुद्ध माना जायेगा।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र–2 में दावों और आपत्तियों की एक सूची रखी जायेगी।

**15. वार्ड के नामावली का अन्तिम प्रकाशन**–(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तद्पश्चात् नियम 14 के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ उसकी प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों की सूची के साथ गठित नामावली, वार्ड की निर्वाचक नामावली होगी।

**16. त्रुटियों की शुद्धि**–आयोग के किसी निदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय नामावली में किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि को शुद्ध करने और दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तदनुसार ऐसी शुद्धि या निकालने की कार्यवाही की जायेगी।

**17. संशोधनों आदि को किस प्रकार किया जायेगा**–(1) अधिनियम की धारा 12–च के अधीन किसी वार्ड की नामावली में शुद्धि उस रीति से की जायेगी जिस रीति से 1950 के अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों में की जाती है.

(2) मतदान के लिए अनर्ह व्यक्तियों के नामों का काटा जाना और अधिनियम की धारा 12–घ अधीन ऐसी अनर्हता के हटाये जाने के पश्चात् ऐसे नामों का पुनःस्थापन यथासंभव उस रीति से किया जायेगा जैसी 1950 के अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन नामों को काटने और पुनःस्थापन के लिये विहित की जायें

(3) नियम 14 और नियम 16 के उप–नियम (2) के अधीन आदेशित संशोधनों को, इस निमित्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के किसी सामान्य निदेश के अधीन रहते हुए, वार्ड की नामावली और संशोधनों की सूची, यदि कोई हो, जो व्यक्ति नामावली का भाग हो में, किया जायेगा।

(4) जहां नियम 8 के खंड (ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम उस वार्ड की नामावली से तत्काल हटा देगा या हटवा देगा।

**18. वार्डों के पुनः परिसीमन पर नामावली की तैयारी के लिये विशेष उपबन्ध**–(1) यदि विधि के अनुसार किसी वार्ड का नवीन परिसीमन किया जाय और यदि ऐसे वार्ड को नामावली की शीघ्र तैयारी आवश्यक हो तो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि उसे निम्नलिखित प्रकार से तैयार किया जायेगा–

(क) ऐसे वर्तमान वार्डों या उनके भागों जैसे नये वार्ड के क्षेत्र के भीतर सम्मिलित हों, की नामावली को साथ–साथ रखकर, और,

(ख) इस प्रकार पूरी की गयी नामावली की व्यवस्था क्रम संख्या और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करके

(2) इस प्रकार तैयार की गयी नयी नामावली के नियम 7 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जायेगा और नये प्रकाशन पर यह नये वार्ड की नामावली होगी।

**19. अधिनियम की नामावली का पुनरीक्षण**–(1) अधिनियम की धारा 12–छ के अधीन किसी वार्ड के लिये नामावली का पुनरीक्षण या तो गहन रूप से या संक्षिप्त रूप से या अंशतः गहन रूप से और अंशतः नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हो।

(2) जहां किसी वर्ष में ऐसी नामावली गहन रूप से पुनरीक्षित की जानी हो, वहां वह नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 16 लागू होंगे जैसे कि वे वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हो।

(3) जहां किसी वर्ष में, ऐसी नामावली संक्षिप्त रूप से तैयार की जानी हो वहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर, जैसी सुगमता से उपलब्ध हो नामावली के सुसंगत भाग के लिये संशोधनों की एक सूची तैयार करवायेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ प्रारूप में छपवायेगा और नियम 6 से 16 के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे के वे किसी वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हो।

(4) जब अधिनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के प्रारूप में या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के प्रकाशन और उपर्युक्त उपनियम (2) या (3) के साथ पठित नियम 15 के अधीन उनके

अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी वार्ड की नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निदेश दिया जाय, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जब तक उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने में कोई विधिमान्य आपत्ति न हो वार्ड की पुनरीक्षित नामावली में नामों को सम्मिलित करवायेगा।

**20. आदेशों के विरूद्ध अपील**–(1) नियम 13, 14 या 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगी–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां अपील करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने अपने उन मामलों पर जो अपील की विषयवस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसकी अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का प्रयोग न किया हो वहां अपील नहीं की जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील–

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मेमोरेण्डल के प्रारूप में होगी;

(ख) विनिश्चय के दिनांक के सात दिन के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी;

(ग) आदेश की प्रति जिसके विरूद्ध अपील की जाय, और पांच रूपये शुल्क के साथ, जो–

(i) नान जुडीशियल स्टैम्प द्वारा, या

(ii) राजकीय कोषागार में जमा करके ऐसी जमा की रसीद के संलग्न करके, या

(iii) ऐसी अन्य रीति में जैसी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाये प्रस्तुत की जायेगी।

(3) इस नियम के अधीन केवल अपील का प्रस्तुत किया जाना नियम 15 दो के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कृत्यों को रोकने या स्थगित करने का प्रभाव नहीं रहेगा।

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु जहां तक वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय को उलटता या उपान्तरित करता हो, वह अपील में विनिश्चय के दिनांक से प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियमों के अधीन रहते हुये, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करवायेगा जैसे कि इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चय को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों

## प्रकीर्ण

**21. नामावलियों की अवधि**–नियम–6 के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी किसी वार्ड की नामावली नियम 7 के अधीन उसके प्रकाशित होने पर और नियम 14, 16 और 18 के अधीन उसमें किये गये संशोधनों, पुनरीक्षणों आदि के अधीन रहते हुये तुरन्त प्रवृत्त होगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक वार्ड के लिये तत्पश्चात् तैयार की गयी नामावली प्रवृत्त न हो जायें

**22. नामावली आदि की अभिरक्षा और परीक्षण**–(1) नियम–8 के अधीन किये गये सभी दावे और नियम–9 के अधीन की गयी सभी आपत्तियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर अभिलिखित स्थान जैसा मुख्यनिर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान, जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्ड के नामावली के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गयी नामावली के प्रवृत्त होने तक जो भी पहले हो रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड की नामावली के अतिरिक्त उसकी प्रतियां उतनी संख्या में जितनी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और नगरपालिका कार्यालय में रखी जायेगी। इन प्रतियों को मूल नामावली में किये गये संशोधनों के अनुसार समय–समय पर संशोधित किया जायेगा।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट प्रतियों को जमा करने के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधि–प्रमाणित किया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को उप–नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट निर्वाचन पत्रों का निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रतियां, ऐसी फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का अधिकारी होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें

(5) प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली की मुद्रित प्रतियां वार्ड की अगली नियमावली के प्रकाशन तक जनता को विक्रय के लिये ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) किसी वार्ड की नामावली के प्रकाशन पर नयी नामावली के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली को उतने वर्ष के लिये जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संबंधित नगरपालिका के अभिलेखों में रखा जायेगा।

———————

(189)

# उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994[1]

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हो जिनके कारण उसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल नियमावली बनायी जाय;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और उत्तर प्रदेश नगर अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 2 सन् 1959) की धारा 39 के साथ पठित 1959 के उक्त अधिनियम की धारा 540 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हो, अर्थात्–

## *प्रारम्भिक*

**1. संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन और प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश में सम्पन्न नगर निगमों पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषायें**–इस नियमावली में,–

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है;

(2) "1950 का अधिनियम" का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है;

(3) "विधानसभा" का तात्पर्य राज्य विधान सभा से है;

(4) "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार में अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावली तैयार करने, पुनरीक्षण के पर्यवेक्षण के लिये अधिनियम की धारा 39 के अधीन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) से है;

(5) "आयोग" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग से है;

(6) "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य निगम में किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली तैयार करने उसको प्रकाशित और पुनरीक्षित करने के लिये आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट अधिकारी से है,

(7) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्रों से है,

(8) "नामावली" का तात्पर्य निर्वाचक नामावली से है

**3. नगरपालिका द्वारा व्यय का वहन किया जाना**–किसी नगर निगम क्षेत्र में नामावली के तैयार, प्रकाशित और पुरीक्षित किये जाने के संबंध में उपगत व्यय राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय सम्बन्धित नगर निगम पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दी गयी रीति से और उस सीमा तक भारित होंगे और उससे वसूली योग्य होंगे

**4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता**–निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आयोग द्वारा इस निमित्त किये गये किसी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, बोर्ड के लिये निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिये ऐसे व्यक्तियों को, जैसे वह उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है

## *नामावली का तैयार किया जाना और प्रकाशन*

**5. नामावली का प्रारूप और भाषा**–किसी वार्ड की नामावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में उस प्रारूप में तैयार की जायगी जिसमें नामावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये 1950 के अधिनियम के अधीन तैयार की जाती है

**6. नामावली का तैयार किया जाना**–(1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए किसी निगम में प्रत्येक वार्ड के लिए नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, 1950 के अधिनियम के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली को, जहां तक उसका संबंध उस वार्ड के क्षेत्र से हो, अंगीकार करते हुए तैयार की जायेगी.

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वार्ड के लिए नामावली में ऐसे वार्ड के निर्वाचन के लिये नाम–निर्देशन करने के लिए अन्तिम दिनांक के पश्चात् और ऐसे निर्वाचन के पूरा हो जाने के पूर्व कोई परिवर्तन, संशोधन या शुद्धि सम्मिलित नहीं की जायगी।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मुहर लगायें

**7. नामावली के आलेख का प्रकाशन**–(1) जैसे ही किसी वार्ड के लिये नामावली तैयार हो जाये, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसके आलेख को नगर निगम के कार्यालय पर चिपका कर और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराके प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वार्ड के क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन वाले किसी हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित करके इस तथ्य को अधिसूचित करेगा कि वार्ड के लिये नामावली प्रकाशित कर दी गयी है और उसकी प्रति का निःशुल्क निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान नगर निगम कार्यालय में किया जा सकता है

(3) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट नामावली की प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिये कार्यालय समय के दौरान उपनियम (1) के अधीन इसके प्रकाशन के दिनांक से सात दिन की अवधि तक उपलब्ध कराई जाएगी।

## *नामावली का पुनरीक्षण*

**8. वार्ड की नामावली में नामों को सम्मिलित किये जाने के दावे**–कोई व्यक्ति–

(क) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित हो किन्तु वार्ड की नामावली में सम्मिलित न किया गया है, या

(ख) जिसका नाम गलती से किसी अन्य वार्ड की नामावली में सम्मिलित कर लिया गया है, या

(ग) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में या वार्ड की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु जो उक्त वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह है, या

(घ) जिसका नाम किसी अनर्हता के कारण वार्ड की नामावली से काट दिया गया है किन्तु जो यह दावा करता है कि उसकी अनर्हता को, अब दूर हो गई है, अपना नाम वार्ड की नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन दे सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि नियम–7 के उप–नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन के दिनांक से सात दिन के पश्चात् दिये गये आवेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय, विचार नहीं किया जायेगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् इस नियम के अधीन किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

**9. वार्ड की नामावली में प्रविष्टियों पर आपत्तियां**–

(क) जो, ऐसी प्रविष्टि के संबंध में अपने बारे में किसी ब्यौरे पर आपत्ति करना चाहता हो और उसकी शुद्धि चाहता हो, या

(ख) जो वार्ड की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है, या

(ग) जो वार्ड की नामावली में किसी नाम को रखने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि प्रश्नगत व्यक्ति वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अधिनियम की धारा 37 के अधीन अनर्ह हो गया है,

नियम–7 के उप–नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशित होने के दिनांक से सात दिन के भीतर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रविष्टि के ब्यौरे की शुद्धि के लिये या नाम को हटा देने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

**10. दावों और आपत्तियों के सम्बन्ध में ब्यौरे**–(1) नियम 8 के अधीन प्रत्येक दावा या आवेदन प्रपत्र 1–क में होगा जिसे यथास्थिति, दावेदार या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही वार्ड की नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसमें दावेदार अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक है और उसे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त पदाभिहित करे प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उक्त दावे में जहां आवश्यक हो, अर्हताओं सहित वे आधार जिन पर नाम को सम्मिलित किये जाने की मांग की गई है, दिये जायेंगे

(3) नियम 9 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र 1–ख में होगी और उसे उप–नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जायेगा। नियम 9 के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन प्रत्येक आपत्ति, यथास्थिति क्रमशः आकार पत्र 1–ग या 1–घ में होगी और उसे उप–नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित, प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रपत्र 1–ग या 1–घ में आपत्ति दो प्रतियों में दी जायेगी, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी, जिसके विरूद्ध आपत्ति की जाय।

(4) आपत्ति में उस व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में वह आपत्ति ले, या ब्यौरों को, जिनकी शुद्धि चाही गई है, नामावली में दर्ज सभी ब्यौरे और उन आधारों को, जिन पर आपत्ति की गई है, उल्लिखित किया जायेगा।

**11. पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रक्रिया**–नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन पदाभिहित प्रत्येक अधिकारी नियम 8 और 9 में निर्दिष्ट आवेदन–पत्रों की एक सूची रखेगा और आवेदन पत्रों को ऐसी अभ्युक्तियों के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

**12. कतिपय दावों और आपत्तियों का अस्वीकृत किया जाना**–नियम 8 या 9 के अधीन कोई आवेदन–पत्र जो इस नियमावली में विहित समय के भीतर या प्रारूप में या रीति में न दिया गया हो, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

**13. नोटिस और उसकी तामीली**–(1) उन मामलों के सिवाय जिनमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति को ग्राह्यता से प्रथमदृष्टया संतुष्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसका दावा या आपत्ति प्राप्त की गयी हो या दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ताओं पर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति की गयी है, प्रपत्र–1 में एक नोटिस तामील की जायेगी, जिसमें स्थान व समय विनिर्दिष्ट होगा जहां जब दावे या आपत्ति की सुनवाई की जायेगी और उसे या उसके अभिकर्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो, उपस्थिति होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करने के संबंध में आपत्ति की गयी है नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति दी जायेगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन नोटिस, यदि सम्भव हो, वैयक्तिक रूप में तामील की जायेगी और वैयक्तिक रूप से तामील न होने पर वार्ड के भीतर संबंधित व्यक्ति के निवास स्थान या अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर तामील की जायेगी।

(4) वैयक्तिक या अन्यथा तामीली का प्रमाण–पत्र, ऐसी तामील के तथ्य का निश्चायक प्रमाण समझा जायेगा।

**14. दावे और आपत्तियां**–(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे या आपत्ति की, जिसके संबंध में नोटिस दी गई हो, संक्षिप्त जांच करेगा और उस पर अपना विनिश्चिय अभिलिखित करेगा और अपने विनिश्चय के अनुसार वार्ड की नामावली में कोई वृद्धि शुद्धि या लोप का आदेश देगा और ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप तदनुसार किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड में निर्वाचन के लिये नाम–निर्देशन किये जाने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति के पूर्व ऐसी कोई वृद्धि, शुद्धि या लोप नहीं किया जायेगा।

(2) सुनवाई में उस व्यक्ति को जिसको ऐसी नोटिस जारी की गयी हो और किसी अन्य व्यक्ति को, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसकी सहायता कर सकता है, उपस्थित होने और सुने जाने का हकदार होगा।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विवेकानुसार में,–

(क) किसी व्यक्ति से जिसे नोटिस जारी की गई है, अपने समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है,

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा शपथ पर साक्ष्य देने की अपेक्षा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये शपथ दिला सकता है

**टिप्पणी**–जांच के प्रयोजनों के लिये नियम 7 के अधीन प्रकाशित नामावली को शुद्ध माना जायेगा।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र–2 में दावों और आपत्तियों की एक सूची रखी जायेगी।

**15. वार्ड के नामावली का अन्तिम प्रकाशन**–(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तदपश्चात् नियम 14 के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ उसकी प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों की सूची के साथ पठित नामावली, वार्ड की निर्वाचक नामावली होगी।

**16. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संशोधन**–(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समय–समय पर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(2) आयोग के किसी निदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय नामावली में किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि को शुद्ध करने और दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तदनुसार ऐसी शुद्धि या निकालने की कार्यवाही की जायेगी।

**17. संशोधनों आदि को किस प्रकार किया जायेगा**–(1) अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन किसी वार्ड की नामावली में शुद्धि उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से 1950 के अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों शुद्धियां की जाती है

(2) मतदान के लिए अनर्ह व्यक्तियों के नामों का काटा जाना और अधिनियम की धारा 37 अधीन ऐसी अनर्हता के समाप्त होने के पश्चात् ऐसे नामों का पुनःस्थापन यथासंभव उस रीति से किया जायेगा जो 1950 के अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन नामों को काटने और पुनःस्थापन के लिये विहित किया जाय।

(3) नियम 14 और नियम 16 के उप–नियम (2) के अधीन आदेशित संशोधनों को इस निमित्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के किसी सामान्य निदेश के अधीन रहते हुए, वार्ड की नामावली और संशोधनों की सूची, यदि कोई हो, जो उक्त नामावली का भाग हो, में किया जायेगा।

(4) जहां नियम 8 के खंड (ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह उस व्यक्ति का नाम उस अन्य वार्ड की नामावली से तत्काल हटा देगा या हटवा देगा।

**18. वार्डों के पुनः परिसीमन पर नामावली की तैयारी के लिये विशेष उपबन्ध**–(1) यदि विधि के अनुसार किसी वार्ड का नवीन परिसीमन किया जाय और यदि ऐसे वार्ड की नामावली तैयार किए जाने की अत्याधिक आवश्यकता हो, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि उसे निम्नलिखित प्रकार से तैयार किया जायेगा–

(क) ऐसे वर्तमान वार्डों या उनके भागों, जैसे नये वार्ड के क्षेत्र के भीतर सम्मिलित हों, की नामावली को मिलाकर, और,

(ख) इस प्रकार पूरी की गयी नामावली की व्यवस्था, क्रम–संख्या और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करके

(2) इस प्रकार तैयार की गयी नयी नामावली को नियम 7 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जायेगा और ऐसे प्रकाशन पर यह नये वार्ड की नामावली होगी।

**19. वार्ड की नामावली का पुनरीक्षण**–(1) किसी वार्ड की नामावली अधिनियम की धारा 40 के अधीन या तो विस्तारपूर्वक या संक्षिप्ततः या अंशतः विस्तारपूर्वक और अंशतः या संक्षिप्ततः, जैसा आयोग निर्दिष्ट करे, पुनरीक्षित करेगा।

(2) जहां किसी वर्ष में ऐसी नामावली विस्तारपूर्वक पुनरीक्षित की जानी हो वहां वह नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 16 तक उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हो।

(3) जहां किसी वर्ष में, ऐसी नामावली संक्षिप्ततः पुनरीक्षित की जानी हो वहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर जो सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भाग के लिये संशोधनों की एक सूची तैयार करवायेगा और संशोधनों की सूची के साथ नामावली के आलेख को प्रकाशित करवायेगा और नियम 6 से 16 तक के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हो।

(4) जब अधिनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के आलेख के या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के प्रकाशन और उपर्युक्त उपनियम (2) या (3) के साथ पठित नियम 15 के अधीन उनके अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी वार्ड की नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निदेश दिया जाय, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जब तक उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने में कोई विधिमान्य आपत्ति न हो, वार्ड की पुनरीक्षित नामावली में नामों को सम्मिलित करवायेगा।

**20. आदेशों के विरूद्ध अपील**–(1) नियम 13, 14 या 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां अपील करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषयवस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का लाभ नहीं उठाया है, वहां अपील नहीं की जा सकेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील–

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी,

(ख) विनिश्चय के दिनांक से सात दिन के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी,

(ग) आदेश की प्रति जिसके विरूद्ध अपील की जाय और पांच रूपये शुल्क के साथ, जो–

(एक) न्यायिकेतर स्टाम्प द्वारा, या

(दो) राजकीय कोषागार में जमा करके और ऐसी जमा की रसीद संलग्न करके, या

(तीन) ऐसी अन्य रीति से जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाय, प्रस्तुत की जायेगी।

(3) इस नियम के अधीन केवल अपील प्रस्तुत किए जाने का यह प्रभाव न होगा कि ऐसा कोई कार्य रोक दिया जाए या स्थगित कर दिया जाए जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 15 के अधीन किया जाता है

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु जहां तक वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय को उलटता है या उपान्तरित करता है, वहां तक वह अपील में विनिश्चय के दिनांक से प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियमों के अधीन रहते हुये, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करेगा जैसा इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चय को प्रभावी करने के लिये आवश्यक हो

## प्रकीर्ण

**21. नामावलियों की अवधि**—नियम 6 के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी किसी वार्ड की नामावली नियम 15 के अधीन उसके प्रकाशित होने पर और नियम 16, 18 और 19 के अधीन उसमें किये गये संशोधनों, पुनरीक्षणों आदि के अधीन रहते हुये तुरन्त प्रवृत्त होगी और तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक वार्ड के लिये तत्पश्चात् तैयार की गयी नामावली प्रवृत्त न हो जाय।

**22. नामावली आदि की अभिरक्षा और परिरक्षण**—(1) नियम 8 के अधीन किये गये सभी दावे और नियम 9 के अधीन की गयी सभी आपत्तियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर अभिलिखित निश्चयों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान, जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्ड की नामावली के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गई नामावली के प्रवृत्त होने तक, जो भी पहले हो, रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड की नामावली के अतिरिक्त उसकी प्रतियां उतनी संख्या में जितनी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और नगर निगम के कार्यालय में रखी जायेगी। इन प्रक्रियाओं को मूल नामावली में किये गये संशोधनों के अनुसार समय–समय पर संशोधित किया जायेगा।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट प्रतियों को जमा करने के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट निर्वाचन–पत्रों का निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रतियाँ, ऐसी फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का अधिकार होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(5) प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली की मुद्रित प्रतियां वार्ड की अगली नियमावली के प्रकाशन तक जनता को विक्रय के लिये ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) किसी वार्ड की नामावली के प्रकाशन पर नयी नामावली के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली को उतने वर्ष के लिये जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संबंधित नगर निगम के अभिलेखों में जमा रखा जायेगा।

———————

195

**राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश**
**(पंचायत एवं स्थानीय निकाय)**
**23–सी गोखले मार्ग, लखनऊ।**

**संख्या–1052/रा0नि0आ0अनु0–5/99**
**लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर, 1999**

**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 41 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 12–ज में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश नागर निकायों के मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण एवं मतदाता सूची तैयार करने सम्बन्धी आदेश संख्या 924/रा0नि0आ0/अनु0–5/98 दिनांक 22 दिसम्बर, 1998 को अतिक्रमित करते हुए निम्नलिखित आदेश बनाते हो:–

**[1][नागर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण)**
**पूरक उपबन्ध आदेश, 1999**

1. (1) यह आदेश (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999 कहा जायेगा।
   (2) यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।
   (3) यह आदेश नगर पालिका निर्वाचनों को लागू होगा।
   (4) यह आदेश नामावली के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् और अधिनियम के अधीन नामावली का पुनरीक्षण किये जाने तक की अवधि में प्रवृत्त रहेगा।

2. **परिभाषाएं**–इस आदेश में,
   (क) "आयोग" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग से है,
   (ख) "अधिनियम" का तात्पर्य नगर निगम के मामले में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से, और नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत के मामले में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है,
   (ग) "1950 का अधिनियम" का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है,
   (घ) "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य आयोग द्वारा अधिनियम के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट अधिकारी से है,
   (ङ) "नगर पालिका" का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–त के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट स्वायत्त शासन की किसी संस्था से है,
   (च) "निर्वाचक" का तात्पर्य किसी कक्ष के सम्बन्ध में उस व्यक्ति से है जिसका नाम तत्समय उस कक्ष की निर्वाचक सूची में दर्ज हो,
   (छ) "निर्वाचन" का तात्पर्य नगर पालिका में किसी पद या स्थान के लिए किसी निर्वाचन से है और इसके अन्तर्गत कोई उप निर्वाचन भी है,
   (ज) "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य नगर पालिका के किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली को तैयार करने, प्रकाशित और पुनरीक्षित करने के लिये अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट अधिकारी से है,
   (झ) "विहित प्रपत्र" का तात्पर्य नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 या, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 से संलग्न सुसंगत प्रपत्र से है,

(ट) "नामावली" का तात्पर्य किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली से है

**3. नामावली में नाम सम्मिलित किया जाना और वर्तमान प्रविष्टि को शुद्ध किया जाना:–**

कोई व्यक्ति अपना नाम नामावली में सम्मिलित किए जाने या उसमें किसी प्रविष्टि को ठीक किए जाने के लिए विहित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है जो आवेदन–पत्र प्राप्त करने की पावती देगा और अपने कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा जिस पर कोई आपत्ति एक सप्ताह के भीतर उसको दी जा सकेगी और वह आवेदन तथा आपत्ति यदि कोई हो, की जांच करके अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आयोग को भेजेगा, और उस पर आयोग के निर्देशानुसार नामावली में नाम सम्मिलित करने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

परन्तु नामावली में ऐसे नाम सम्मिलित करने या प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्यवाही कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात और पूरा होने के पूर्व नहीं की जायेगी।

**4. नामावली में लिपिकीय या मुद्रण की त्रुटि ठीक करना:–**

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में लिपिकीय या मुद्रण की किसी त्रुटि का आवेदन से या अन्यथा पता चलने पर उसे ठीक कर सकता है परन्तु ऐसी प्रविष्टि कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व ठीक नहीं की जायेगी।

उदाहरण–(एक) नामावली में क्रम–संख्या 452 पर नाम "रमोश चन्द पुत्र श्री सीताराम" दर्ज है और प्रार्थी अपने प्रार्थना–पत्र में अपना नाम "रमेश चन्द्र" बताता है यह मुद्रण की त्रुटि है और इसे ठीक किया जा सकता है

(दो) नामावली में क्रम–संख्या 775 पर निर्वाचक का नाम "कृष्ण कान्त" पुत्र श्री "रमोश चन्द्र" दर्ज है और प्रार्थी अपने प्रार्थना–पत्र में पिता का नाम "रमेश चन्द्र" बताता है यह मुद्रण की त्रुटि है और उसे ठीक किया जा सकता है

**5. नामावली में छूटे नाम सम्मिलित किया जाना:–**

यदि किसी नामावली में बहुत से निर्वाचकों के नाम छूट जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से जांच करायेंगे यदि नामावली की शिकायत सत्य पायी जाती है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट और संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आयोग को भेजकृगे और यदि आयोग ऐसा आदेश दे तो नामावली में ऐसे निर्वाचकों के नाम सम्मिलित किये जायेंगे

परन्तु ऐसा कोई भी नाम कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व सम्मिलित नहीं की जायेगा।

**6. नामावली से नाम हटाया जाना:–**

कोई व्यक्ति नामावली से ऐसे किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए विहित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है जो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्ह या हकदार नहीं है और निर्वाचक अधिकारी सम्बन्धित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आयोग को प्रेषित करेगा और यदि आयोग द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम नामावली से हटा दिया जायेगा।

परन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं हटाया जायेगा।

परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्ह नहीं है तो उसका नाम तुरन्त हटा दिया जायेगा।

**7. नामावली में सम्मिलित किए गये और हटाये गए नामों और शुद्ध की गई प्रविष्टियों की सूची:–**

नामावली में सम्मिलित किये गये नामों, हटाये गए नामों और शुद्ध की गई प्रविष्टियों की एक सूची तैयार की जायेगी जो मूल नामावली के साथ संलग्न कर दी जायेगी। यह सूची सम्बन्धित नगर पालिका के सूचना पट पर तुरन्त प्रदर्शित की जाएगी और इस सूची की किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में अपील की जा सकेगी और ऐसी अपील के सम्बन्ध में नियमावली में अपील सम्बन्धी उपबन्ध यथा–आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे

**8. नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने, नाम हटाये जाने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध किए जाने के आवेदन के लिए शुल्क:–**

नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने या हटाए जाने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए दिये जाने वाले आवेदन–पत्र पर एक रूपये प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क देय होगा। शुल्क प्राप्ति की रसीद जारी की जाएगी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त शुल्क का ब्यौरा एक पंजिका में रखेगा और प्रतिदिन प्राप्त हुए शुल्क की धनराशि अगले दिन आयोग के लेखा शीर्षक–0515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायत राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां–03– स्थानीय निकायों के निर्वाचन से प्राप्तियां में अनिवार्य रूप से जमा की जायेगी।

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

198

संख्याः– 3067 /रा0नि0आ0–3/2763/2019 देहरादूनः दिनांकः 05 नवम्बर,2019

## आदेश

नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों को स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आदेश संख्या–846/रा0नि0आ0/लेखा अनु0/55/2002 दिनांक 01, जनवरी, 2003 द्वारा "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश, 2003" जारी किया गया था जिसे अवक्रमित करते हुए "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243 य क तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 13–छ के खण्ड (थ) एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 46 के खण्ड (न) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन हेतु धनराशि व्यय करने के सम्बन्ध में आदेश दिया जाता है कि:–

(1) यह आदेश "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश, 2019" कहा जायेगा।

(2) यह आदेश सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु लागू होगा।

(3) यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

2. अधिकतम निर्वाचन व्यय इस आदेश के **अनुलग्नक–1** के स्तम्भ–2 में वर्णित पदों के उम्मीदवारों द्वारा स्तम्भ–3 में उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं किया जायेगा।

3. (1) नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में स्वयं उम्मीदवार (निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार सहित) द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किये गये या प्राधिकृत कर कराये गये सम्पूर्ण व्ययों का प्रथम शुद्ध लेखा स्वयं उम्मीदवार द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा रखा जायेगा। यह लेखा नामांकन के दिनांक तथा उसके परिणाम घोषित होने के दिनांक के मध्य (दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुये) किये जाने वाले व्ययों का होगा। निर्वाचन से सम्बन्धित यह लेखा विवरण इस आदेश में दिये गये **अनुलग्नक–2** (दिन–प्रतिदिन का लेखा) तथा **अनुलग्नक–3** (मदवार व्यय का विवरण) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार रखा जायेगा। इसमें दिन–प्रतिदिन के व्यय के हर एक मद के विषय में निम्नलिखित विवरण होंगे:–

(क) वह दिनांक जिसको व्यय किया गया या प्राधिकृत किया गया।

(ख) व्यय की प्रकृति (उदाहरण के लिये यात्रा, डाक या मुद्रण और अन्य इसी प्रकार का व्यय)

क्रमशः.....2

(ग) व्यय की धनराशि
(अ) भुगतान की गयी धनराशि
(ब) अवशेष धनराशि
(घ) भुगतान का दिनांक,
(ङ) पाने वाले का नाम व पता,
(च) भुगतान की गई धनराशि की दशा में वाउचरों का क्रम–संख्यांक,
(छ) अवशेष धनराशि की दशा में बिल संख्या, यदि कोई हो,
(ज) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसको अवशेष धनराशि देय हो।

(2) व्यय की हर मद के लिये वाउचर प्राप्त किया जायेगा सिवाय तब जबकि डाक व्यय या रेल द्वारा या उसी तरह के मामलों में जिसमें मामले की प्रकृति के कारण वाउचर प्राप्त करना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है।

(3) समस्त वाउचर उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा भुगतान के दिनांक के क्रम में रखे जायेगें और क्रम संख्याकित किये जायेगें तथा निर्वाचन व्ययों के लेखे के साथ दाखिल किये जायेगें और ऐसे क्रम संख्याकन उप प्रस्तर (1) में उल्लिखित लेखे के मद (च) के अन्तर्गत दर्ज किये जायेगें।

(4) उप प्रस्तर (1) की मद (ङ) में वर्णित विशिष्टियॉं/विवरण व्यय की उन मदों की बाबत देनी आवश्यक न होंगी जिनके उप प्रस्तर (2) के अधीन वाउचर प्राप्त नहीं किये गये हैं।

4. लेखाओं के निरीक्षण के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना–जिला निर्वाचन अधिकारी उस दिनांक से जिसको निम्नांकित व्ययों का लेखा उम्मीदवार द्वारा दाखिल किया गया है, दो दिन के भीतर एक सूचना जिसमें :–

(क) वह दिनांक जिसमें लेखा दाखिल किया गया है,
(ख) उम्मीदवार का नाम, तथा
(ग) वह समय और स्थान, जिसमें ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकेगा।

विनिर्दिष्ट हो, अपने सूचनापट्ट पर लगायेगें।

5. लेखाओं का निरीक्षण और उनकी प्रतियॉं प्राप्त करना– कोई व्यक्ति दस रूपये की फीस का भुगतान करके ऐसे किसी लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा और ऐसी फीस के भुगतान पर, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग नियत करे, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रतियॉं प्राप्त करने का हकदार होगा।

6. (1) किसी निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों के लेखाओं के दाखिल के लिये चुनाव परिणाम की घोषणा के इस आदेश के प्रस्तर–7 में निर्धारित समय की समाप्ति के तुरन्त बाद जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) एक रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देगा, जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा:–

(क) हर एक निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम,
(ख) उम्मीदवार ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है या नहीं और यदि कर दिया है तो उसका दिनांक,
(ग) लेखा निर्धारित समय के अन्दर और निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार दाखिल किया गया है या नहीं ?

क्रमशः.....3

(2) जहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) की यह राय है कि किसी उम्मीदवार का निर्वाचन व्ययों का लेखा इन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल नहीं किया गया है वहाँ वह ऐसी प्रत्येक आख्या के साथ उस उम्मीदवार के निर्वाचन व्ययों के लेखों और उसके साथ दाखिल वाउचरों को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) उप प्रस्तर–(1) में निर्दिष्ट आख्या प्रेषित करने के तत्काल पश्चात् उसकी प्रति अपने सूचनापट्ट पर लगाकर उसका प्रकाशन करेगा।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग उप प्रस्तर–(1) में निर्दिष्ट आख्या की प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार(निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार सहित) व्ययों का लेखा उस समय के अन्दर और उसी रीति में, जो कि इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा या नहीं।

(5) जहाँ कि राज्य निर्वाचन आयोग यह विनिश्चित करता है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा उस समय के अन्दर और उस रीति में, जो इस आदेश द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, वहाँ वह उस उम्मीदवार को लिखित कारण बताओ नोटिस देगा कि क्यों न इस असफलता पर उसे अनर्ह कर दिया जाय।

(6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार जिसे उप प्रस्तर (5) के अधीन कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उस नोटिस की प्राप्ति के 20 दिन के भीतर इस विषय में लिखित आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को दे सकता है और उस आवेदन की एक प्रति और निर्वाचन व्ययों का पूरा लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को भी प्रेषित करेगा।

(7) जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) उस आवेदन की प्राप्ति के पाँच दिन के अन्दर आवेदन की प्रति और यदि कोई लेखा हो तो ऐसा लेखा अपनी टिप्पणियों सहित राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा।

(8) यदि उम्मीदवार द्वारा प्रेषित किये गये आवेदन पर और जिला निर्वाचन अधिकारी(नागर स्थानीय निकाय)द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, राज्य निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि उम्मीदवार के पास अपना लेखा दाखिल करने में असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायिक औचित्य नहीं है तब वह उस उम्मीदवार को आदेश के दिनांक से <u>तीन (03) वर्ष</u> के लिये अनर्ह घोषित करेगा और आदेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करवायेगा।

7. (1) प्रत्येक उम्मीदवार अपने परिणाम घोषित होने के तीस (30) दिन के भीतर या यदि वह एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ रहा है तो उनमें अन्तिम निर्वाचन परिणाम

क्रमशः.....4

की घोषणा की दिनांक से तीस (30) दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) को प्रस्तुत करेगा। निर्वाचन व्ययों का यह ब्योरा निर्वाचन व्ययों की सत्यापित प्रति होगी जो कि उसने स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा रखी गयी है।

(2) प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करते समय एक शपथ–पत्र, जैसा अनुलग्नक–4 में दिया गया है, भी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। शपथ–पत्र में वह यह स्पष्ट उल्लेख करेगा कि प्रारूप के भाग–3 में सूचीबद्ध मदों में दर्शाया गया व्यय शून्य है, यदि उसमें कोई रिक्ति है, शपथ–पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि उससे सम्बन्धित सूचीबद्ध मदों में सम्पूर्ण निर्वाचन व्यय को उक्त विवरण में पूर्णतः और स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया गया है और निर्वाचन में किया गया कोई व्यय छिपाया नही गया है।

8. प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत व्यय की विवरणी में "समस्त" निर्वाचन व्ययों का सही लेखा दिखाना है, इसलिये जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) व्यय विवरणी निर्धारित रीति के अनुसार होने पर उम्मीदवार का लेखा स्वीकार करने से पूर्व उसकी ऐसी जॉच करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) यथापेक्षित अपनी सूचना आयोग को देते समय यह सत्यापित करेगा कि लेखा विवरण रीति में है। यह उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत एवं सत्यापित विवरण तथा दस्तावेजों को आयोग के निमित प्रमाणित करके भेजेगा।

9. आयोग उपर्युक्त प्रक्रिया से प्रस्तुत किये गये विवरणों की प्रमाणिकता की जॉच करा सकता है और उम्मीदवार की किसी चूक या गलत सूचना के लिये उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरा सकता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

( चन्द्रशेखर भट्ट )
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः– 3567 (1)/रा0नि0आ0–3/ 2763/2019/तद्दिनांक (ई–मेल)

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1– सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6– समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय), उत्तराखण्ड।
7– समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
9– समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (नागर स्थानीय निकाय), उत्तराखण्ड।
10–समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।

क्रमशः.....5

202



11–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस आदेश को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

12– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय फोटो लिथो प्रेस रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 25 प्रतियाँ आयोग को उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13– आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

14– गार्ड फाइल।

( चन्द्रशेखर भट्ट )
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण।

| क्र0 सं0 | पदनाम/ उम्मीदवार | नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य | | जमानत की धनराशि | | निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा (रू0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रू0) | अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रू0) | सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रू0) | अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रू0) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नगर प्रमुख, नगर निगम | 800 | 400 | 12,000 | 6,000 | 16,00,000 |
| 2 | उप नगर प्रमुख,नगर निगम | 400 | 200 | 5,000 | 2,500 | 2,00,000 |
| 3 | सभासद, नगर निगम | 400 | 200 | 4,000 | 2,000 | 2,00,000 |
| 4 | अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद | 500 | 250 | 6,000 | 3,000 | 10 वार्ड तक 4,00,000 तथा 10 वार्ड से अधिक 6,00,000 |
| 5 | सदस्य, नगर पालिका परिषद | 200 | 100 | 1,500 | 750 | 60,000 |
| 6 | अध्यक्ष, नगर पंचायत | 200 | 100 | 3,000 | 1,500 | 2,00,000 |
| 7 | सदस्य, नगर पंचायत | 100 | 50 | 600 | 300 | 30,000 |

204

उत्तराखण्ड शासन
पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–1
संख्या– /XII/92(5)/2007/2010,
देहरादून: दिनांक 03 मार्च, 2010

अधिसूचना

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1110/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007 दिनांक 16 जुलाई, 2007 को जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 जारी कर दिया गया है। उक्त अधिनियम की धारा–19 के अन्तर्गत अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार जिला योजना समिति नियमावली 2010 में मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर उक्त अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार जिला योजना समिति के गठन करने एवं उसके सफल संचालन हेतु जिला योजना समिति नियमावली, 2010 जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या–161 (1)/XII/92(5)/2007/2010,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लीथोप्रेस रूड़की हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया संलग्न जिला योजना समिति नियमावली,2010 की अधिसूचना की 1000 प्रतियों असाधारण राजपत्र के प्रकाशित कर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या–161 (2)/XII/92(5)/2007/2010,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2– राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3– प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संलग्नार्थ।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त मण्डलायुक्त कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, पंचायतीराज उत्तराखण्ड।
8– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Received on 3.3.2010

(205)

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग
संख्या 160/XII/2010/97(05)/2007
देहरादून: दिनांक 03 मार्च 2010

अधिसूचना

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम,2007 (अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2007) की धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

[redacted] नियमावली 2010

अध्याय–एक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 है।
(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. इस नियमावली में जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,–
(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है;
(ख) "समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला योजना समिति अभिप्रेत है;
(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
(घ) "नगर निकाय" से यथा स्थिति उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन गठित कोई नगर निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत अभिप्रेत है;
(ङ) "निर्वाचन" से किसी जिला योजना समिति के यथास्थिति निर्वाचन होने वाले सदस्य पद के लिये निर्वाचन अभिप्रेत है;
(च) "सदस्य" से अधिनियम में निर्दिष्ट जिला

योजना समिति का सदस्य अभिप्रेत है ;

(छ) "प्रपत्र" से इस नियमावली की अनुसूची में दिये गये प्रपत्र अभिप्रेत है ;

(ज) "मतपत्र" से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मतपत्र अभिप्रेत है ;

(झ) "जिलाधिकारी" से उत्तर प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1951 (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त, अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 14 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) "जिला मजिस्ट्रेट" से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ट) "मुख्य विकास अधिकारी" से जिले में नियुक्त मुख्य विकास अधिकारी अभिप्रेत है;

(ठ) "जिला निर्वाचन अधिकारी" से किसी जिले का जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग समय-समय पर समिति के निर्वाचन हेतु नियुक्त करे ;

(ड) "रिटर्निंग आफीसर" से जिला योजना समिति के किसी निर्वाचन के निमित्त समय-समय पर नियुक्त रिटर्निंग आफीसर अभिप्रेत है;

(ढ) "सचिव" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त सचिव अभिप्रेत है ;

जिला योजना समिति का गठन

3. (1) प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा, जो जिले में पंचायतों तथा नगर निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करेगी तथा सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी ।

(2) विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय समिति निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी :--

(क) पंचायतों तथा नगर निकायों के विषय, जिसके अन्तर्गत स्थानीय योजना जल और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बटाना, अवस्थापना का एकीकृत विकास तथा पर्यावरण संरक्षण शामिल होगा ;

(ख) विकास की योजना का प्रारूप तैयार करने में समिति पर्यावरण संरक्षण एवं विकास तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपायों; तथा

(ग) वित्तीय तथा अन्य संसाधन जो तात्कालिक रूप से उपलब्ध है अथवा उपलब्ध हो सकते हैं।

(3) विकास योजना का प्रारूप तैयार करने में समिति ऐसी संस्थाओं एवं संगठनों से परामर्श कर सकेगी, जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

जिला योजना समिति की संरचना

(1) प्रत्येक जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या उतनी होगी, जितनी निर्धारित की जाय :

परन्तु यह कि सदस्यों की संख्या न्यूनतम 15 तथा अधिकतम 40 होगी ।

(2) राज्य के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलें में समिति की सदस्यों की संख्या 15 होगी और अधिकतम जनसंख्या वाले जिलों में यह संख्या 40 होगी ।

(3) उपनियम (2) में उल्लिखित अधिकतम तथा न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के मध्यवर्ती जनसंख्या के जनपदों में समिति के सदस्यों का निर्धारण उपनियम (4) में उपबन्धित रीति से किया जायेगा।।

(4) (क) अधिकतम जनसंख्या वाले जिलें की जनसंख्या में से न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलें की जनसंख्या को घटाकर प्राप्त शेष में अधिकतम तथा न्यूनतम विहित सदस्य संख्या के अंतर का भाग दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त लब्धि वह जनसंख्या होगी, जिस पर समिति का एक सदस्य होगा।

(ख) जिलें की सदस्य संख्या के निर्धारण के लिए उस जिलें की जनसंख्या में से न्यूनतम जनसंख्या के जनपद की जनसंख्या को घटाया जायेगा। प्राप्त शेष को उपरोक्त खण्ड (क) में प्राप्त संख्या से विभाजित किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त लब्धि को न्यूनतम जनसंख्या के जिलें की सदस्य संख्या।

अर्थात 15 में जोड़ दिया जायेगा। यह संख्या जिले की समिति की सदस्य संख्या होगी।

(ग) भाग देने की दशा में यदि शेष भाजक के आधे या उससे अधिक हो, तो उसे अगला पूर्णांक मान लिया जायेगा और यदि अवशेष भाजक से आधे से कम हो उसे छोड़ दिया जायेगा ।

(5) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 4/5 से अन्यून सदस्य जिला पंचायत और जिले की नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जायेंगे ।

जिला पंचायत के सदस्यों तथा नगर निकायों के [illegible] समिति के सदस्यों का कुल

निर्वाचित सदस्यों के साथ वही अनुपात होगा जो यथास्थिति जिले की ग्रामीण जनसंख्या तथा जिले की नगरीय जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है।

(7) समिति के शेष अधिकतम 1/5 सदस्य निम्नलिखित होंगे :–

(1)(क) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई एक मंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा :–

(ख) अध्यक्ष, जिला पंचायत ।

(ग) जिला मजिस्ट्रेट–पदेन

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करेगी कि इस उपनियम के अन्तर्गत सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या के 1/5 से अधिक नहीं होगी।

(2) समिति के सदस्य निम्नांकित क्रम में नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे :–

(क) अनुसूचित जनजाति का कोई और गैर सरकारी सदस्य जो ग्रामीण अथवा नगरीय नियोजन में शिक्षित हो अथवा जिसे न्यूनतम 10 वर्ष का ऐसे नियोजन का अनुभव हो।

(ख) अनुसूचित जाति का ऐसा और सरकारी सदस्य जो ग्रामीण अथवा नगरीय नियोजन में शिक्षित हो अथवा जिसे न्यूनतम 10 वर्ष का ऐसे नियोजन का अनुभव हो।

(ग) ग्रामीण अथवा नगरीय नियोजन में 10 वर्ष तक की अनुभव की धारक महिला ।

(घ) ग्रामीण नियोजन का कोई विशेषज्ञ ।

(ङ) नगरीय नियोजन का कोई विशेषज्ञ ।

(3) खण्ड (1)(घ) के अन्तर्गत नामित सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

(4) यदि समिति का कोई सदस्य यथास्थिति जिला पंचायत अथवा नगर पालिका का सदस्य नहीं रह जाता है, तो वह समिति का सदस्य भी नहीं रहेगा।

(5) समिति के किसी सदस्य का पद उसके निधन, त्याग पत्र, अथवा अन्य कारणों से यदि रिक्त होता है, तो ऐसी रिक्ति के लिए निर्वाचन विहित रीति से किया जायेगा और निर्वाचित सदस्य वह कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा।

(10) समिति का कोई सदस्य बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकेगा।

समिति के स्थायी आमंत्रित— 5. (1) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य, जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट हैं, समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।

(2) राज्य सभा के सदस्य जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।

(3) राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्य जो राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किये गये हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।

(4) ऐसी नगर पालिकाओं का, जो जिले के मुख्यालय पर स्थित हों, यथास्थिति नगर प्रमुख या अध्यक्ष समिति के स्थायी आमंत्रित होंगे।

(5) कोई भी स्थायी आमंत्रित, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट नहीं करेगा;

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार की मंत्रि-परिषद का सदस्य न हो, दो या अधिक जिलों में एक ही दिन ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो, वहाँ वह उस जिले को, जिसमें वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है, समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट कर सकेगा;

परन्तु यह और कि जहाँ ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार की मंत्रि-परिषद का सदस्य हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो और वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में न हो, वहाँ वह समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

परन्तु अग्रत्तर यह कि ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति किसी भी दशा में मतदान में भाग नहीं ले सकेगा।

## अध्याय-2

## [illegible] का निर्वाचन

जिला निर्वाचन अधिकारी

6. (1) जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्त सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचन के संचालनों से सम्बन्धित सभी कृत्यों का सम्पादन करेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग / सहायक रिटर्निंग आफिसर:—

7. (1) जिला निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन हेतु अपनी सहायता के लिये एक या उससे अधिक अधिकारियों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन को संचालित करने के लिये रिटर्निंग ऑफीसर होगा तथा आवश्यकतानुसार सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त कर सकेगा ।

(3) रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर कृत्यों का सम्पादन [illegible] के अधीक्षण [illegible] नियंत्रण के अधीन होंगे।

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण

8. (1) जिला योजना समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

(2) निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि ग्रामीण क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या एक समान हो;

किन्तु इस निमित जिला पंचायत सदस्य के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित नहीं किया जायेगा ।

(3) नगर क्षेत्रों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथाशक्ति समान हो ;

किन्तु इस निमित्त नगर निकायों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित नहीं किया जायेगा और न ही किसी नगर क्षेत्र को विभाजित किया जायेगा ।

(4) पर्याप्त कारण होने पर राज्य सरकार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निधारण कर सकेगी ।

निर्वाचक नामावली

9. (1) राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करेगा।

(2) नामावली देवनागरी लिपि में हिन्दी में तैयार की जायेगी।

नाम निर्देशन आदि के लिए दिनांको का निश्चित किया जाना

10. (1) जिला योजना समिति के सदस्य के लिए निर्वाचन यथास्थिति जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन तथा नगर निकाय के सामान्य निर्वाचन के उपरान्त उन रिक्तियों के

लिए कराया जायेगा, जो ऐसे पूर्ववर्ती निकाय के कार्यकाल समाप्त होने पर रिक्त हो गई हो किन्तु अन्यथा हुई रिक्तियों के लिए निर्वाचन रिक्ति के 6 माह के अंदर कराया जायेगा ।

(2) जब अधिनियम के अधीन जिला योजना समिति के सदस्य के पद के लिये निर्वाचन कराना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित के संबन्ध में निर्देश देगा :–

(क) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उनकी जाँच करने के लिए तारीख जो अधिसूचना की तारीख से कम से कम 7 दिन के पश्चात की तारीख होगा।

(ख) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की तारीख जो सामान्यतः नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जाँच के लिए निर्धारित तारीख का अगला दिन होगा।

(ग) वह तारीख जिसके दौरान यदि मतदान आवश्यक हो, कराया जायेगा सामान्यतया नाम वापस लेने की तारीख का अगला दिन होगा ।

(घ) मतगणना की तारीख मतदान की तारीख होगी।

(3) उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना देवनागरी लिपि में अपने कार्यालय में प्रदर्शित करेगा तथा जिला पंचायत मुख्यालय, तथा जिले के अन्तर्गत आने वाले नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम तथा ऐसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्शन हेतु उसकी प्रति भिजवायेगा।

सदस्यों की सूची का प्रकाशन 11 (1) नियम 4 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफीसर नियम 10 के उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार निर्वाचक नामावली जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय और जिला पंचायत के मुख्यालय में प्रदर्शित करेगा तथा सभी नगरीय स्थानीय निकायों के मुख्यालयों में प्रदर्शन हेतु भेजेगा ।

(2) रिटर्निंग आफीसर नियम 10 के उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार सूची सभी मतदाताओं को भेजेगा ।

नाम निर्देशन—

12. (1) कोई व्यक्ति, जो जिला योजना समिति के सदस्य पद के लिये होने वाले निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अपना नाम निर्देशन चाहता हो, स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रपत्र में यथाविधि भरा हुआ नाम निर्देशन पत्र तारीख, समय और स्थान सहित प्रस्तुत करेगा।

(2) उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र पर नाम निर्देशन के लिये सहमति देने के प्रतीक स्वरूप स्वयं हस्ताक्षर करेगा और प्रस्तावक तथा अनुमोदक के रूप में अलग-अलग सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।

नाम निर्देशन पत्रों के प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया

13. (1) निर्वाचन अधिकारी, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने पर उस पर क्रमांक, तारीख एवं समय अंकित करेगा तथा यथासमय नाम निर्देशन की एक ऐसी सूचना अपने कार्यालय के किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा देगा।

नाम निर्देशन पत्रों की जॉच

14. (1) नाम निर्देशन पत्रों की जॉच के समय उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक एवं अनुमोदक उपस्थित हो सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी, उन्हें यथाविधि प्राप्त हुए नाम निर्देशन पत्रों का निरीक्षण करने के लिये सभी युक्ति-युक्त सुविधाए प्रदान करेगा। यदि उचित समझे तो नाम निर्देशन पत्र को निम्नलिखित आधार पर अस्वीकृत कर सकता है। पद के लिये उम्मीदवार, प्रस्तावक एवं अनुमोदक का हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है या उसे धोखे से प्राप्त किया गया है या उम्मीदवार जिला पंचायत अथवा जिले के सम्बन्धित नगर निकाय का विधितः निर्वाचित सदस्य नहीं है।

उम्मीदवारी से नाम वापस लेना एवं निर्विरोध निर्वाचन

15. (1) कोई उम्मीदवार लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है लेकिन शर्त यह है कि वह स्वयं निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लिखित रूप से निर्धारित तारीख एवं समय पर उपस्थित हो।

(2) जहॉ उम्मीदवारी के नाम वापसी होने के उपरान्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी

यह देखें कि केवल एक ही चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है तो वह तुरन्त उसको निर्वाचित घोषित कर देगा, और निर्वाचित उम्मीदवार के नाम की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा।

वैध नाम निर्देशन पत्रों की सूची और उनका प्रकाशन

16. 1. उम्मीदवार के नामों की वापसी यदि कोई हो; के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले दो या अधिक उम्मीदवार हों, तो निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और उसकी सूचना कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकायेगा।

2. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची देवनागरी लिपि में तैयार की जायेगी और उसमें निर्वाचन लड़ने वालों के नाम देवनागरी वर्णमाला क्रम में उनके पते के साथ दिये जायेंगे।

मतदान की रीति

17. (1) निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। मत मतदाताओं द्वारा स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधित्व मतदान द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

मतदान का स्थान एवं समय

18. (1) मतदान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय तथा स्थान पर होगा ;

परन्तु यह कि यदि मतदाता निरक्षरता अथवा अन्य कारण से स्वयं मत देने में अशक्त हो तो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अशक्तता के पुष्ट प्रमाण होने की दशा में सहायक दिया जा सकेगा, किन्तु एक ही व्यक्ति एकाधिक मतदाताओं के लिए सहायक नहीं बन सकेगा ।

निर्वाचन सामग्री

19. (1) राज्य निर्वाचन आयोग आवश्यकता पड़ने पर निर्वाचन/उपनिर्वाचन में चुनाव सम्पन्न कराने हेतु मतदान में उपयोग की जाने वाली सामग्री, लेखन सामग्री (स्टेशनरी) निर्धारित करेगा और निर्वाचन हेतु आपूर्ति व्यवस्थित करेगा।

मतपत्र तथा मतपेटी

20. 1 निर्वाचन में उपयोग किये जाने वाले मतपत्र का आकार और उसमें प्रयुक्त प्रपत्र राज्य निर्वाचन आयोग निश्चित करेगा और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम देवनागिरी लिपि में उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में हों। मतदान में उपयोग की जाने वाली मतपेटी ऐसे किसी प्रकार की होगी, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित करे ।

मतगणना की प्रक्रिया

21. (1) मतदान समाप्त होते ही निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उपस्थित सदस्यों के समक्ष मतों की गणना प्रारम्भ करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतपेटी खोलेगा। मतों को निकालकर मतपत्रों को गिनेगा, उनका विवरण तैयार करेगा, मतपत्रों की जाँच करते हुए ऐसे मतपत्रों को जो प्रथम दृष्टया वैध/अवैध हों, को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर दोनों को अलग- अलग रखेगा और यह निर्धारित करेगा कि किस उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ कुल मत पत्र जो अस्वीकृत किये गये हों, उनको अलग-अलग लिफाफों में सुरक्षित करेगा।

परिणाम की घोषणा

22. मतगणना समाप्त हो जाने और मतदान परिणाम अवधारित हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी तुरन्त उपस्थित लोगों के समक्ष निर्वाचन परिणाम की घोषणा कर देगा और राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकार को निर्वाचन परिणाम की सूचना देगा।

निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा

23. निर्वाचन संबंधी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

समिति के कृत्य

24. समिति धारा 9 के खण्ड (त) के अन्तर्गत ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायेंगे ।

## अध्याय-तीन
## जिला योजना समिति का कार्य क्षेत्र तथा बैठकें-

जिला योजना की अधिकतम सीमा

25. (1) राज्य सरकार, जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का पता लगायेगी और उनका प्राक्कलन

करेगी तथा तद्नुसार जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा का विनिश्चय करेगी।

(2) उपधारा(1) के अधीन नियत की गयी जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पुनरीक्षित या परिवर्तित की जा सकेगी।

(3) पंचायतों और नगर निकायों द्वारा योजना निर्माण की प्रक्रिया में वार्षिक योजना निर्माण के पूर्व यथा ग्राम पंचायतें क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें तथा नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम अपने विभिन्न विषयों पर संदर्भ/प्रस्ताव जिला योजना समिति को प्रस्तुत करेंगे;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पंचायतें तथा नगर निकाय अपनी समितियों से प्रस्ताव तैयार करवाकर स्वीकृति प्रदान कर जिला योजना समिति को सीधे प्रस्तुत करेंगे।

(4) पंचायतें तथा नगर निकाय ऐसे स्वीकृत संदर्भ एवं प्रस्ताव जिला योजना समिति के समक्ष माह मई तक प्रस्तुत कर देंगें।

जिला योजना को अंतिम रूप दिया जाना

26. समिति जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देगी।

अध्याय–4

बैठकें

कार्य सूची

27. (क) अंतिम बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि;

(ख) बैठक के दौरान पटल पर पत्र आदि की सूचना के लिए रखा जाना;

(ग) जिला योजना समिति द्वारा कोई निर्वाचन;

(घ) सरकार या उसके किसी अधिकारी से प्राप्त पत्रों पर विचार करना;

(ड़) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गयी सूचना, को, यदि कोई हो, तो पढ़ा जाना;

(च) कार्यक्रम के परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव;

(छ) शासकीय कार्य से सम्बद्ध विषय;

(ज) उप समितियों की कार्यवाहियाँ;

(झ) प्रश्न;

(ञ) ऐसे अशासकीय संकल्प जिनकी सूचना सदस्यों से प्राप्त हुई हो और बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित हो।

(ट) अन्य शासकीय कार्य;

बैठकों का दिनांक, समय और स्थान

28. 1. जिला योजना समिति की बैठक यथा व्यवस्थित रूप से बुलाई जा सकती है;

परन्तु यह कि बैठक प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम एक बार जिला मुख्यालय पर होगी, जिसके लिये तारीख और समय अध्यक्ष, द्वारा नियत किया जाएगा ।

2. प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान की सूचना मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सचिव, जिला योजना समिति द्वारा प्रत्येक सदस्य को प्रेषण प्रमाण पत्र के अधीन उसके अन्तिम ज्ञात पते पर, बैठक के दिनांक से कम से कम 15 दिन पूर्व भेजी जायेगी या भिजवाई जायेगी;

परन्तु यह कि आपात बैठक के लिए 10 दिन से कम अवधि की सूचना दी जा सकती है।

गणपूर्ति

29. (1) जिला योजना समिति की बैठक में कोई कार्य तब तक सम्पादित नही किया जायेगा, जब तक तत्समय कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/2 सदस्य उपस्थित न हों।

(2)–यदि कोई बैठक, गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित कर दी जाय, तो स्थगित बैठक के लिये कम से कम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

बैठक का अध्यक्ष,

30. (1) बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री जो जिला योजना समिति के अध्यक्ष होंगे या उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस निमित्त चयन किये गये किसी सदस्य द्वारा की जायेगी ।

बैठक की सूचना

31. (1) जिला योजना समिति की बैठक में निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ 1/5 सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, के अलावा स्थायी आमंत्रित सदस्यों को उपस्थित होने हेतु उनके स्थायी पते पर सूचना भेजी जायेगी और उनके स्तर से संकल्प भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2)- बैठक में भाग लेने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से सम्बन्धित नियुक्त समस्त अधिकारी भी अपेक्षित होने पर उपस्थित होंगे।

व्यवस्था बनाये रखने का अधिकार

32. (1) यदि जिला योजना समिति की किसी बैठक में कोई सदस्य या व्यक्ति अध्यक्ष के किसी ऐसे निर्देश का अनुपालन करने से इन्कार करता है, जिसमें किसी कार्य, चर्चा या विषय को नियम बाह्य करने या अन्यथा सदस्यों के आचरण या किसी के संचालन को नियमित करने की व्यवस्था की गयी हो या यदि कोई सदस्य अथवा व्यक्ति बैठक में जानबूझकर बाधा डालता है, तो अध्यक्ष उस सदस्य से बैठक से चले जाने की अपेक्षा कर सकता है और अनुपालन न करने की दशा में हटाने या अपवर्जित करने की कार्यवाही कर सकता है।

अध्यक्ष के कर्त्तव्य

33. (1) जिला योजना समिति तथा उसकी उप समितियों की जो तदर्थ नियत की जाय, सभी बैठकों को बुलाये और उनकी अध्यक्षता करे।

(2)- जिला योजना समिति की सभी बैठकों में कार्य के सम्पादन को तदर्थ बनाये गये किसी भी नियम के अनुसार अन्यथा नियंत्रित करें।

(क) जिला योजना समिति के वित्तीय कार्यक्रमों पर दृष्टि रखे तथा नियंत्रण और अधीक्षण में यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करें।

(ख) किन्हीं ऐसे कार्यों का सम्पादन करे, जिसका दायित्व अधिनियम अथवा इस नियमावली द्वारा उसे सौंपा गया हो।

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण समिति

34 (1) समिति किसी विभाग, विषय, योजना, स्कीम, परियोजना में किसी समाधान हेतु जिला स्तरीय अधिकारी, जो समिति के नियंत्रणाधीन है, को तकनीकी प्रकोष्ठ तैयार कर जॉच/निरीक्षण हेतु आवश्यक निर्देश दे सकती है।

(2) कार्यदल (टास्क फोर्स ) तकनीकी प्रकोष्ठ का यह दायित्व होगा कि वह समिति द्वारा निर्धारित किये गये समय में अपनी रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करे।

## अध्याय–5
## निर्वचन

निर्वचन

35 इस नियमावली के उपबन्धों के कार्यान्वयन में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है,तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
सचिव

220

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्याः– 1112/रा0नि0आ0–3/2634/2019 दिनांक 14 जून, 2019

## अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–यक तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 50 की उपधारा (4) एवं 46 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1246/iV(3)2019-01(03-निर्वा0) 19 दिनांक 14 जून, 2019 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के नगर निगम देहरादून के रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड संख्या–61 आमवाला तरला, आरक्षित (अनुसूचित जाति महिला) एवं नगर निगम ऋषिकेश के वार्ड संख्या–03 दुर्गा मन्दिर आरक्षित (पिछड़ी जाति महिला) के रिक्त सभासद पद/स्थान का उप निर्वाचन निम्नलिखित विर्निदिष्ट समय–सारिणी के अनुसार मतपत्रों (गूढ़शलाका) द्वारा कराये जाने के निर्देश देता हूँ।

2. इस उप निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

| नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की तिथि व समय | नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय | नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय | निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय | मतदान की तिथि व समय | गतगणना की तिथि व समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 जून, 2019 से 19 जून, 2019 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक) | 20 जून, 2019 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 21 जून, 2019 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक) | 22 जून, 2019 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 08 जुलाई, 2019 (पूर्वान्ह 8.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक) | 10 जुलाई, 2019 (पूर्वान्ह 8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) |

3. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून संबंधित नगर निगम के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित किये गये आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 15 जून, 2019 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित प्रादेशक निर्वाचन क्षेत्र में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी।

4. नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा नाम निर्देशन पत्रों की वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा नगर निगम मुख्यालय पर अथवा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

क्रमशः–2

5. जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उनके द्वारा पदाभिहीत किये गये संबंधित निकाय के निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त कार्यक्रम का संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

6. उक्त समय–सारणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

(चन्द्रशेखर गर्ट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 1112 /रा0नि0आ0–3/2634/2019 तद्दिनांक (फैक्स)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. सचिव सामान्य प्रशासन, विभागउत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त उप निर्वाचन हेतु नगर निगम देहरादून के वार्ड संख्या–61 आमवाला तरला एवं नगर निगम ऋषिकेश के वार्ड संख्या–03 दुर्गा मन्दिर में निवास करने वाले राजकीय कार्यालय/शैक्षिणिक संस्थानों/अर्द्धनिकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस दिनांक 08 जुलाई, 2019 को अवकाश घोषित करने का कष्ट करें।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
11. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(स्था0नि0), देहरादून।
12. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
14. उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
15. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
16. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करा दें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को भी प्रसारण हेतु भेज दें।
17. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय फोटोलिथो प्रेस, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को दिनांक 14 जून, 2019 के असाधारण गजट में प्रकाशित कर 10 (दस) प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
18. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
19. आयोग के सूचना पट्ट पर रखने हेतु।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(रोशन लाल)
सचिव।

222

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135--2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या– 1167 /रा0नि0आ0–3 / 1379 / 2013 / देहरादून, दिनांक 14.06.2019

## अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–यक तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1245/IV(3)/2019–01(3निर्वा0)/2019 देहरादून दिनॉक 14 जून, 2019 के क्रम में एतद्द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद पौड़ी गढ़वाल की नगर पालिका परिषद श्रीनगर एवं जनपद ऊधमसिंह नगर की नगर पालिका परिषद बाजपुर के संदस्यों तथा अध्यक्षों का सामान्य निर्वाचन निम्नलिखित विवरणानुसार एवं विर्निदिष्ट समय–सारिणी के अनुसार मतपत्रों (गूढ़शलाका) द्वारा कराये जाने का निर्देश देता हूँ।

2. यदि उक्त निकायों के संबंध में मा0 न्यायालयों के कोई अन्यथा आदेश हों तो तद्नुसार मा0 न्यायालयों के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

| नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की तिथि व समय | नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय | नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय | निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय | मतदान की तिथि व समय | मतगणना की तिथि व समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 जून, 2019 से 19 जून, 2019 ( पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न) 05:00 बजे तक) | 20 जून, 2019 ( पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 21 जून, 2019 ( पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक) | 22 जून , 2019 ( पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 08 जुलाई, 2019 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजेतक) | 10 जुलाई, 2019 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) |

4. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल एवं ऊधमसिंह नगर अपने जिले की संबंधित नागर स्थानीय निकाय के पद/स्थानों पर सामान्य निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 15 जून, 2019 को जारी करेंगे और

(क्रमशः–2 पर)

223



उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा।

5. नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा नाम निर्देशन पत्रों की वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स) /सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा सम्बन्धित नगर पालिका परिषदों के मुख्यालय तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी। उक्त नगर पालिका परिषदों की मतगणना संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उनके द्वारा पदाभिहीत किये गये उक्त निकायों के संबंधित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त कार्यक्रम का अपने जिले तथा निकायों के क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करायेगें तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

7. उक्त समय-सारणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 1107/रा0नि0आ0-3/1379/2013 तद्दिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सामान्य निर्वाचन हेतु संबंधित निकायों में निवास करने वाले राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों/ अर्द्धनिकायों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मिकों/कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस दिनांक 08.07.2019 को अवकाश घोषित करने का कष्ट करें।

(क्रमशः-3 पर)

8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तराखण्ड।
10. आयुक्त, कुमांयूँ मण्डल नैनीताल/ गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
11. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय) पौड़ी गढ़वाल एवं ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।
12. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल एवं ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0), पौड़ी गढ़वाल एवं ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
16. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
17. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को दिनांक–14 जून, 2019 के असाधारण गजट में प्रकाशित कर 25 (पच्चीस) प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
18. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
20. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( रोशन लाल )
सचिव।

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

225

संख्या–279 /रा0नि0आ0–3/2655/2019/देहरादून, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019

## अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–यक तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2385 (1) /IV(3)/2019–11(03–निर्वा0)/2017 देहरादून दिनॉक 21 अक्टूबर, 2019 के क्रम में एतद्द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की नगर निगम रुड़की, जनपद हरिद्वार के नगर प्रमुख एवं सभासदों का सामान्य निर्वाचन निम्नलिखित विर्निदिष्ट समय–सारिणी के अनुसार मतपत्रों (गूढ़शलाका) द्वारा कराये जाने का निर्देश देता हूँ।

2. इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

| नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की तिथि व समय | नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय | नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय | निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय | मतदान की तिथि व समय | मतगणना की तिथि व समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 नवम्बर, 2019 व 02 नवम्बर, 2019 ( पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक) | 04 नवम्बर, 2019 व 05 नवम्बर, 2019 ( पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 06 नवम्बर, 2019 ( पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक) | 07 नवम्बर, 2019 ( पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 22 नवम्बर, 2019 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00बजे तक) | 24 नवम्बर 2019 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) |

3. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार नगर निगम रुड़की के वार्ड/स्थानों पर सामान्य निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित

(क्रमशः–2 पर

करेगें तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा।

4. नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा नाम निर्देशन पत्रों की वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स) /सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा सम्बन्धित नगर निगम के मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी। उक्त नगर निगम की मतगणना संबंधित नगर निगम मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

5. जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार तथा उनके द्वारा पदाभिहीत किये गये उक्त निकाय के संबंधित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त कार्यक्रम का अपने जिले तथा निकाय के क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करायेगें तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालय तथा निकाय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या /रा0नि0आ0–3/2655/2019 तद्दिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सामान्य निर्वाचन हेतु नगर निगम रुड़की में निवास करने वाले राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों/ अर्द्धनिकायों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को अवकाश घोषित करने का कष्ट करें।

(क्रमशः–3 पर)

227



8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तराखण्ड।
10. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
11. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय) हरिद्वार।
12. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0), हरिद्वार।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
16. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
17. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के असाधारण गजट में प्रकाशित कर 25 (पच्चीस) प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
18. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
19. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( रोशन लाल )
सचिव।

# आदर्श आचरण संहिता

भारत का संविधान के 73 व 74वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों एवं नागर निकायों को न केवल संवैधानिक इकाई बनाया गया है, बल्कि प्रत्येक पांच वर्ष में इनके निर्वाचन अनिवार्य कर दिये गये हैं। उक्त संशोधनों द्वारा इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति के अलावा महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी है जो पंचायतों को प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–ट तथा 243–य–क के अन्तर्गत पंचायतों एवं नागर निकायों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। अतः इन निर्वाचनों को सही ढंग से सम्पादित कराने हेतु "आचरण संहिता" की परम आवश्यकता है, ताकि निर्वाचनों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता निरन्तर बनी रहे। अतः राज्य पंचायतों व नागर निकायों के निर्वाचनों को पूर्णतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक आचरण संहिता तैयार की गयी है जो कि इन निर्वाचनों के दौरान सभी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों, मतदाताओं, शासकीय विभागों और चुनाव प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होगी।

आदर्श आरण संहिता के अधिकांश प्राविधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1980 ई0 में पूर्व से ही निहित है, अर्थात् इस संहिता के उल्लंघन करने वालों को उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दंड दिया जा सकता है इसके अलावा उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र का निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द भी किया जा सकता है

अतः संविधान के अनुच्छेद 243–ट तथा 243–य–क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947, (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत एवं यथासंशोधित), एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961, (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत एवं यथासंशोधित), एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916, (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत एवं यथासंशोधित), तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत एवं यथासंशोधित), के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड निम्नलिखित **"आदर्श आचार संहिता"** राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू करने की उद्घोषणा करता है:

**1. सामान्य आचरण संहिता :**

1. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे कि किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो, या उनमें तनाव की मनःस्थिति उत्पन्न करने की सम्भावना हो।
2. मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लेना चाहिए।
3. पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा का उपयोग निर्वाचन अभियानों में नहीं करना चाहिए।
4. किसी भी उम्मीदवार को ऐसे कार्यों से ईमानदारी के साथ परहेज करना चाहिए जो कि निर्वाचन विधि के अन्तर्गत 'भ्रष्ट आचरण' और अपराध माने गये हैं। जैसे :–
   - (क) मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा करना।
   - (ख) किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या करवाना।
   - (ग) मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा–धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करने का प्रयास करना।
   - (घ) मतदाताओं का प्रतिरूपण कर अर्थात् गलत नाम से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से प्रोत्साहित करना या मदद करना।
   - (ङ) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या मतदान केन्द्र से जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना।

(च) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना।

(छ) मतदान केन्द्र में या उसके आस–पास आपत्तिजनक अथवा अशोभनीय आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना।

(ज) मतदान केन्द्रों में कब्जा करना अथवा मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने से रोकना या मतदेय स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करना।

(झ) आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करना या उनमें अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करना।

5. मतदान के दो दिन पहले से मतदान के अन्तिम समय तक उम्मीदवार न तो मादक वस्तुएं खरीदें न ही वह उन्हें किसी व्यक्ति को सेवन या वितरण के लिए दें। इतना ही नहीं, वह अपने चुनाव कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी ऐसा न करने दें।
6. निर्वाचन कार्य में तैनात अधिकारियों के साथ प्रत्येक उम्मीदवार व उसके कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों द्वारा पूरा सहयोग करना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार की अपनी यह नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारी है।
7. मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए, जिनमें मतदाता का नाम, उनके पिता/पति का नाम, ग्राम, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके अनुक्रमांक के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।
8. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिनका उसके सार्वजनिक जीवन या क्रिया–कलापों से कोई सम्बन्ध नहीं हो, और न ही ऐसे आरोप लगाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।
9. किसी भी उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थकों का पुतले लेकर चलने, उनके सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इस प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए।
10. किसी भी उम्मीदवार को सत्ताधारी दल से चाहे वह केन्द्र का हो या राज्य का, किसी भी तरह से अपने चुनाव प्रचार तथा अपने पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सहायता नहीं लेनी चाहिए।
11. शासन के विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किसी भी उम्मीदवार को नहीं करना चाहिए।

**2. चुनाव प्रचार :**

1. प्रत्येक उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने चुनाव प्रचार हेतु किसी सरकारी भवन, कार्यालय एवं किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लगवाने तथा संदेश या नारे लिखने जैसे काम उस सम्पत्ति के स्वामी तथा उसमें अध्यासित व्यक्ति के बिना न करें और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं को ऐसा करने दें।
2. किसी भी उम्मीदवार द्वारा दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में लगाये गये झंडे या पोस्टरों को नहीं हटाना चाहिए।
3. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों द्वारा किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न न की जाय। उन्हें न तो अपने समर्थक में निकाले तुजूस, उस रास्ते से या स्थान में ले जाने और आयोजित करने चाहिए, जहां दूसरा कोई उम्मीदवार अपने समर्थन में जुलूस या सभा आयोजित कर रहा है।

**3. सभाएं एवं जुलूस :**

1. सार्वजनिक सभा या रैली के आयोजनार्थ प्रस्तावित स्थान तथा समय की सूचना उम्मीदवार को स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहले से ही उपयुक्त समय पर दे देनी चाहिए ताकि यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सकें।

2. किसी हाट/बाजार या सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा या रैली के आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से पूर्वानुमति ली जानी चाहिए।
3. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस स्थान पर उसका या उसके समर्थकों का, उसकी उम्मीदवारी के पक्ष में सभा या रैली करने का प्रस्ताव है, वहां कोई निषेधात्मक या प्रतिबन्धात्मक आदेश तो शासन अथवा न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, यदि ऐसा आदेश लागू हो, तो उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, यदि ऐसे आदेशों से छूट का प्रावधान हो तो उसके लिए समय से आवेदन कर छूट की आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए।
4. उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्हीं मार्गों से ले जायें, जिन मार्गों के लिए कि उसे पूर्वानुमति मिली हो और उसमें कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिए।
5. उम्मीदवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके जुलूसों या सार्वजनिक सभाओं या रैलियों के कारण यातायात में कोई बाधा न पड़े। ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए।
6. उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके जुलूसों और सभाओं या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलने में प्रतिबन्ध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता है
7. यदि किसी प्रस्तावित सभा या रैली के सम्बन्ध में लाउडस्पीकर के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो, तो उम्मीदवार को सम्बन्धित जिला अधिकारी से पर्याप्त समय पूर्व आवेदन के द्वारा प्राप्त कर लेनी चाहिए।
8. उम्मीदवार और उनकी सभा या रैली के आयोजकों का यह नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वे सभा या रैली में विघ्न डालने वालों से या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने के प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की मदद लें, न कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने लगे।

**4. मतदान दिवस पर उम्मीदवार से अपेक्षा :**

1. निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान शान्तिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो और मतदाताओं को इस बात की स्वतंत्रता हो कि बिना किसी परेशानी, बाधा एवं दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
2. अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान–पत्र समय से दें।
3. इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को दी गयी पहचान पर्चियां सादे कागज पर हों और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार के नाम न हो।
4. मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये शिविरों के आस–पास अनावश्यक भीड़ न होने दें ताकि उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच आपस में मुठभेड़ या तनाव होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
5. यह सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार के उक्त शिविर साधारण हों और उन पर से किसी भी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में स्पष्ट अथवा सांकेतिक चुनाव प्रचार न हो और उनमें कोई खाद्य एवं पेय पदार्थ न दिये जायें और नही वहां भीड़ लगने दी जाय।
6. मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगायी जाने वाली पाबन्दियों का पालन करने में अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
7. मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई दिये गये अनुमति–पत्र (पास) के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

**5. सत्ताधारी दल हेतु अपेक्षित आचरण एवं व्यवहार :**

1. सत्ताधारी दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दल को यह शिकायत का मौका न मिले कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिए अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है,

**और विशेष रूप से–**

(क) माननीय मंत्रियो को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार कार्य से नहीं जोड़ना चाहिए और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए शासकीय तंत्र अथवा कर्मियों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए।

(ख) सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी और अर्ध–सरकारी वाहनों, तंत्र और कर्मियों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा।

2. सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि, पर निर्वाचन सभाएं आयोजित करने और निर्वाचन के सम्बन्ध में हवाई उड़ानों के लिए हैलीपैड़ों के इस्तेमाल करने के लिए अपना एकाधिकार न जमाएं। ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और उम्मीदवारों को भी उन्हीं शर्तो पर करने दिया जाय, जिन शर्तो पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है

**6. शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिए :**

1. शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि वह किसी को यह महसूस न होने दें कि वे निष्पक्ष नहीं हैं। जनता को उनके निष्पक्षता पर विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि किसी उम्मीदवार की मदद/विरोध कर रहे हो।
2. चुनाव के दौरे के समय यदि कोई भी मा0 मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें, तो किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण–पत्र प्राप्त हो तो उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।
3. साधारणतया चुनाव के समय जो आम सभा सभा आयोजित की जाती है, उसे चुनाव सम्बन्धी सभा मानना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं होना चाहिए। अतः चुनाव के दौरान चुनाव क्षेत्र में असामान्य निर्माण या किसी परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए।
4. उन अधिकारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिए या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, दूसरे अधिकारियों को ऐसी सभा या आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए।
5. यदि कोई मा0 मंत्री चुनाव के काम के लिए चुनाव क्षेत्र में जाये तो शासकीय कर्मचारियों को उनके साथ नहीं जाना चाहिए।
6. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवार या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन में कोई उम्मीदवार या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों, तो उस उम्मीदवार या दल को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसने सबसे पहले आवेदन–पत्र दिया हो।

**7. निर्वाचन घोषणा के दिनांक से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के दिनांक तक–**

(क) नगरपालिकाओं/निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं शासकीय उपक्रमों, प्राधिकरणों/निकायों, जिला पंचायतों एवं अन्य सरकारी वाहनों के उपयोग की अनुमति मा0 मंत्रीगणों, सांसदों एवं विधान मण्डल सदस्यों, पंचायतों एवं नागर निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों अथवा उम्मीदवारों को नहीं दी जानी चाहिए। मा0 मंत्रीगण चुनाव अवधि तक शासकीय साधनों से अशासकीय यात्रायें न करें। व्यक्तिगत यात्राओं के लिए शासकीय साधनों एवं सरकारी तंत्र का प्रयोग न किया जाय और न ही सरकारी तंत्र से किसी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा की जानी चाहिए।

(ख) मा० मंत्रीगणों, पंचायतों एवं नागर निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा जन–सम्पर्क राशि या विवेकाधीन राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए।

निर्वाचन प्रक्रिया की सम्पूर्ण अवधि में सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में सांसद निधि, विधायक निधि व अन्य किसी शासकीय निधि से नये निर्माण कार्य न तो स्वीकृत किये जाय, न तो क्रियान्वित किये जाय और न ही उनकी घोषणा की जानी चाहिए। अर्थात यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी नये निर्माण कार्य शुरू नहीं किये जायेंगे और न ही उक्तार्थ धनराशि स्वीकृत की जायेगी। ऐसे कार्यों को करने हेतु निविदायें, विज्ञापन आदि भी प्रकाशित स्वीकृत की जायेगी। ऐसे कार्यों को करने हेतु निविदायें, विज्ञापन आदि भी धनराशि स्वीकृत की जायेगी। ऐसे कार्यों को करने हेतु निविदायें, विज्ञापन आदि भी प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा ऐसी निविदायें जो आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी होने के पूर्व आमंत्रित की जा चुकी हो उन पर भी अग्रेतर कोई भी कार्यवाही/निर्णय आदर्श आचार संहिता के निष्प्रभावी होने के बाद ही की जाय (निर्वाचन प्रक्रिया की अधिसूचना से पूर्व तक जो भी निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुके तथा निर्माणाधीन थे, उन कार्यो पर रोक नहीं होगी। अपितु नये निर्माण कार्यों जिनसे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं उन पर पूर्णतः रोक रहेगी) ऐसे सतत चलने वाले विकास/निर्माण कार्य जो वर्ष–प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य सरकार की आय–व्ययक में पहले से प्रावधानित हो उन पर कोई रोक नहीं होगी।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रभावी क्षेत्रों की जनता की सुरक्षा एवं सहायता के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्राविधानों में शिथिलीकरण किया जा सकता है।

नई योजनाओं की शुरूआत, शिलान्यास, उद्घाटन आदि नहीं किये जायेंगे। तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मतदाता पर प्रभाव पड़ने की आशंका हो।

(ग) शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विभागों या संस्थाओं द्वारा ऐसे विज्ञापन समाचार–पत्रों अथवा अन्य प्रचार माध्यमों से नहीं दिये जायं जो सत्तारूढ़ दल के शासन अथवा विभाग या संस्थाओं की उल्लेखनीय प्रगति, भावी योजनाओं या आश्वासनों को रेखांकित करते हों।

(घ) निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि के दौरान आदर्श आचरण संहिता लागू रहते हुए विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा नई नियुक्तियों/भर्ती आदि नहीं की जायेगी। यह प्रतिबंध कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन से संबंधित आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, पी०सी०एस० एवं पी०पी०एस० संवर्ग के अधिकारियों पर भी लागू रहेगा।

उक्त के अतिरिक्त निर्वाचन सम्पन्न होने तक निम्न कार्यो के क्रियान्वयन पर भी प्रभावी रोक रहेगी:–

(I) आग्नेयास्त्रों के एवं उनके व्यवसायों हेतु नये लाईसेंस जारी किया जाना।

(II) पंचायतीराज एवं नागर स्थानीय निकाय संस्थाओं द्वारा भूमि, दुकान, भवन आदि के आवंटन पट्टे की कार्यवाही किया जाना।

(III) पंचायत एवं नागर निकायों की चल–अचल संपत्ति का स्थानान्तरण किया जाना।

(IV) पंचायत एवं नागर स्थानीय निकायों संस्थाओं से संबंधित मामलों में नीलामी, ठेके, तहबाजारी की कार्यवाही किया जाना।

(V) पंचायत एवं नागर निकाय क्षेत्रों में सरकारी सस्ते–गल्ले की दुकानों के लाईसेंस प्रदान करना।

(VI) पंचायत एवं नागर निकाय द्वारा नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं उनके लिये धनावंटन तथा नये निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।

निर्वाचन अवधि के दौरान मतदाताओं को निर्भीकता पूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए शासन/प्रशासन द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय:–

(अ) निर्वाचन अवधि के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की लाईसेंसधारियों के आग्नेयास्त्रों को जमा कराये जाय तथा शस्त्र लेकर चलने पर रोक लगायी जाये।

(ब) निर्वाचन कार्यो में गडबड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

(स) मतदान केन्द्रों/स्थलों तथा मतगणना केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। ताकि बलपूर्वक मतदान एवं बूथ कैप्चरिंग की घटनायें घटित न हो तथा दलित/निर्बल वर्ग के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से न रोका जाय।

(द) मतदान एवं मतगणना की तिथियों पर शराब/भांग और अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगायी जाय।

(य) मतदान एवं मतगणना की तिथि पर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

(र) मतदान की तिथि पर राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं स्थानीय निकायों में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाय।

(ल) मतदान की तिथि पर कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत कारीगरों/मजदूरों को अवकाश दिया जाय।

उक्त के आलेक में यदि आदर्श आचरण संहिता का कोई उल्लंघन प्रकाश में आये तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाय।

आदर्श आचरण संहिता के तहत उल्लिखित व्यवस्थाओं से अवगत होते हुए संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों, आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिला अधिकारियों तथा कार्यालयाध्यक्षों द्वारा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

ह0 सुबर्द्धन
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

# मैनुअल–6

## कार्यालय में अनुभागवार पत्रावलियों का विवरणः–

## अधिष्ठान संबंधी पत्रावलियों की सूची

| क्र.सं. | पत्रावली/पंजिका का नाम | फाईल संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आयोग में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति पत्रावली | 01/2001 |
| 2. | जिला कार्यालयों हेतु अधिष्ठान/पदों की स्वीकृति | 05/2001 |
| 3. | कार्यालय आदेश पत्रावली | 173/2001 |
| 4. | प्रोटोकॉल | 286/2002 |
| 5. | कार्यालय भवन व्यवस्था | 10/2001 |
| 6. | अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्य विभाजन | 75/2001 |
| 7. | आहरण/वितरण अधिकारी | 34/2001 |
| 8. | अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा विवरण | 95/2001 |
| 9. | पंचास्थानि चुनावालयों में संविदा पर अनुबंधित | 447/2003 |
| 10. | संविदा पत्रावली | 43/2003 |
| 11. | अन्य राज्य निर्वाचन आयोगों से पत्र व्यवहार | |
| 12. | राज्य निर्वाचन आयोग में पदों की स्वीकृति/ढांचा पत्रावली | 38/2001 |
| 13. | सेवा नियमावली समूह–ग एव ख | 556/2005 |
| 14. | सेवा नियमावली समूह–ख | 555/2005 |
| 15. | निर्वाचनों के दौरान नियंत्रण कक्ष स्थापना | 345/2003 |
| 16. | प्रेस विज्ञप्ति पत्रावली | 358/2003 |
| 17. | शासन को भेजी जाने वाली सूचना पत्रावली | 306/2002 |
| 18. | अधिष्ठान के अन्तर्गत आरक्षण पत्रावली | 315/2002 |
| 19. | स्थानान्तरण पत्रावली (जिला स्तर) | 479/2003 |
| 20. | भारत निर्वाचन आयोग, देहरादून से पत्राचार पत्रावली | 335/2002 |
| 21. | मा0 मंत्रियों/सांसदों के पत्रों का प्रत्युत्तर पत्रावली | 205/2002 |
| 22. | मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के मध्य लम्बित प्रकरणों पर उच्चस्तरीय बैठक पत्रावली | 292/2002 |
| 23. | आयोग में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण | 44/2002 |
| 24. | राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल में नियमित/प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां | ––– |
| 25. | राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल के नियंत्रणाधीन पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत नियमित अधिकारियों/ कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां | ––– |
| 26. | कोर्ट केस संबंधी पत्रावली | 737/2004 |
| 27. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 | 606/2005 |
| 28. | सूचना एंव लोक सम्पर्क विभाग से संबंधित पत्राचार | 607/2005 |
| 29. | सराहनीय कार्य हेतु प्रशंसा–पत्र | 611/2005 |
| 30. | संयुक्त सचिव कैम्प कार्यालय से संबंधित पत्रावली | 620/2005 |
| 31. | आदेश पत्रावली स्टोर | 621/2005 |
| 32. | सूचना अनुभाग, उत्तराखंड शासन। | 622/2005 |
| 33. | राज्य निर्वाचन आयोग, पांडिचेरी | 623/2005 |
| 34. | वाहन चालकों की नियुक्ति संबंधित | 624/2005 |
| 35. | श्री राजवंश दूबे, स.जि.नि.अधि. की व्यक्तिगत पत्रावली | 625/2005 |

| | | |
|---|---|---|
| 36. | कार्यभार/चार्ज हस्तांतरण संबंधी सूचियां | 626/2005 |
| 37. | राज्य निर्वाचन आयोग में पी.आर.डी. की तैनाती टी.सी. | 627/2005 |
| 38. | अधिकारियों/कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारण | 628/2005 |
| 39. | समीक्षा बैठक कार्यवाही. | 630/2005 |
| 40. | समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापन हेतु | 637/2005 |
| 41. | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों के वेतनमान पुनरीक्षण | 638/2005 |
| 42. | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं उधमसिंहनगर के पेंशन गणना विषयक | 639/2005 |
| 43. | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रेषकों का निस्तारण | 640/2005 |
| 44. | राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति/पुर्ननियुक्ति | 641/2005 |
| 45. | पंचास्थानि चुनावालयों/जनपद से संबंधित आदेश/कार्यालय ज्ञाप संबंधी पत्रावली | 643/2005 |
| 46. | आकस्मिक अवकाश स्वीकृति | 644/2005 |
| 47. | संविदाकर्मियों से स्पष्टीकरण विषयक | 645/2005 |
| 48. | संविदाकर्मियों/पी.आर.डी. कर्मियों की उपस्थिति सूचना | 650/2005 |
| 49. | आकस्मिक आवेदन पत्र एवं स्वीकृतियां–2006 | 651/2006 |
| 50. | रिक्त पदों की सूचना | 652/2006 |
| 51. | राज्य निर्वाचन आयोग में रिक्त पदों पर प्रोन्नति विषयक कार्यवाही | 653/2006 |
| 52. | अधिकारियों/कार्मिकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण | 654/2006 |
| 53. | सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति | 656/2006 |
| 54. | राज्य सूचना आयोग, उत्तराखंड को भेजी जाने वाली मासिक रिर्पोट | 658/2006 |
| 55. | राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाशर्तें | 659/2006 |
| 56. | उत्तराखंड शासन/प्रशासनिक विभागों से प्राप्त महत्वपूर्ण निर्देश/कार्यवाही | 663/2006 |
| 57. | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण | 664/2006 |
| 58. | आयोग मुख्यालय में अधिकारियों/कार्मिकों का कार्यपटल परिवर्तन | 665/2006 |
| 59. | अधिकारियों/कार्मिकों का भ्रमण कार्यक्रम | 691/2006 |
| 60. | निरीक्षण परिपालन | 693/2006 |
| 61. | पंचास्थानि चुनावालय में रिक्त पदों पर भर्ती | 694/2006 |
| 62. | पंचास्थानि चुनावालया में नियुक्त छंटनीशुदा कर्मचारियों की पूर्वसेवाओं को पेंशनदेयता हेतु सम्मिलित किया जाना | 701/2006 |
| 63. | व्यक्तिगत पत्रावली श्री यशवंत लाल कपूर | 702/2006 |
| 64. | पंचास्थानि चुनावालयों के कार्यालय भवन (स्थाई) स्टोर की व्यवस्था हेतु भूमि/भवन निर्माण संबंधी प्रस्ताव/अभिलेख | 698/2006 |
| 65. | रिट पीटीशन संख्या–1610(एस.एस) 2005 श्री अतुल भट्ट एवं अन्य बनाम राज्य निर्वाचन आयोग | 710/2006 |
| 66. | रिट पीटीशन संख्या–1611(एस.एस) 2005 श्री सत्यानंद बडोनी एवं अन्य बनाम राज्य निर्वाचन आयोग | 711/2006 |
| 67. | लोक प्रशासन में विशिष्ट एवं अनुकरणीय कार्य करने वाले लोक सेवकों को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया जाना। | 713/2006 |
| 68. | जलकर भुगतान संबंधी | 714/2006 |
| 69. | सिटीजन चार्टर का प्रभावी क्रियान्वयन | 722/2006 |
| 70. | दिनांक 25.11.2006 को राजपुर में आहूत मा. राज्य निर्वाचन आयुक्तों की बैठक हेतु सूचना। | 720/2006 |
| 71. | शासनादेश/राजाज्ञाएं प्राप्ति एवं कार्यवाही | 731/2007 |
| 72. | आयोग कार्यालय–सुरक्षा व्यवस्था | 732/2007 |
| 73. | अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण विषयक पत्रावली | 735/2007 |

| | | |
|---|---|---|
| 74. | सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग को वार्षिक प्रतिवेदन भेजने विषयक। | 736/2007 |
| 75. | मा. राज्य निर्वाचन आयुक्तों का सम्मेलन/कार्यवृत्त | 739/2007 |
| 76. | मा. राज्य निर्वाचन आयुक्तगणों के सातवें सम्मेलन विषयक पत्राचार | 741/2007 |
| 77. | राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया | 753/2007 |
| 78. | मॉडल पंचायत निर्वाचन बिल एव मॉडल राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवाशर्तें) | 754/2007 |
| 79. | अभिलेखों के वीडिंग एवं कनसाईनमेंट संबंधित निर्देश एवं कार्यवाही | 763/2007 |
| 80. | विविध पत्राचार | 764/2007 |
| 81. | पदनाम परिवर्तन/संशोधन संबंधी | 765/2007 |
| 82. | विधानसभा/लोकसभा प्रश्नोत्तर | 759/2007 |
| 83. | मा. राज्य निर्वाचन आयुक्त का दिनांक 19.11.2007 को उड़ीसा में होने वाला 8वें सम्मेलन के संबंध में। | 773/2007 |
| 84. | न्यायालयों से संबंधित संदर्भों पर कार्यवाही | 774/2007 |
| 85. | राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य कलाप विषयक | 775/2007 |
| 86. | सूचना का अधि. अधि. 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रेषण | 776/2007 |
| 87. | निर्वाचन हेतु कर्मियों की तैनाती | 777/2007 |
| 88. | सीधी भर्ती/पदोन्नति पर आरक्षण का रोस्टर | 778/2007 |
| 89. | व्यक्तिग पत्रावली श्री एम.एस. राणा, उप सचिव | 783/2007 |
| 90. | व्यक्ति पत्रावली श्री आर.सी. जोशी. प्र.स. प्रतिनियुक्ति, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तरकाशी | 784/2007 |
| 91. | रिट पिटीशन संख्या–1382/2008 श्री हरजिंदर सिंह बनाम जागीर सिंह, उधमसिंहनगर | 906/2008 |
| 92. | रिट पिटीशन संख्या–1323/2008 श्रीमती गुडी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड | 907/2008 |
| 93. | रिट पिटीशन संख्या–1316/2008 श्री मेघनाथ सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग | 908/2008 |
| 94. | रिट पिटीशन संख्या–816/2008 श्री रमेश चन्द्र कांडपाल एवं अन्य बनाम राज्य निर्वाचन आयोग | 909/2008 |
| 95. | श्री शकील अहमद ग्राम प्रधान ग्राम बढेड़ी राजपुताना, रुड़की हरिद्वार | 910/2008 |
| 96. | रिट पीटीशन संख्या–...2007 सुन्दर लाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड | 792/2007 |
| 97. | रिट पिटीशन संख्या–1319/2007 उत्तराखण्ड ग्राम प्रधान संस्थान बनाम उत्तराखंड राज्य अन्य | 795/2008 |
| 98. | व्यक्तिगत पत्रावली श्री आर.गुसांई, वरिष्ठ लिपिक, चमोली | 796/2008 |
| 99. | रिट पिटीशन संख्या–223/2008 एम.एस. दीप शर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य | 797/2008 |
| 100. | रिट पिटीशन संख्या–220/2008 हामिद अली बनाम राज्य सरकार एवं अन्य | 798/2008 |
| 101. | रिट पिटीशन संख्या–230/2008 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य | 799/2008 |
| 102. | रिट पिटीशन संख्या–229/2008 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य | 800/2008 |
| 103. | रिट पिटीशन संख्या–127/2008 उत्तराखंड क्रांति दल व अन्य विपरीत परिसीमन आयोग एवं अन्य | 801/2008 |
| 104. | रिट पिटीशन संख्या–444/2008 जीवन सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड राज्य एवं अन्य | 802/2008 |
| 105. | नागर स्थानीय के सामान्य निर्वाचन–2008 की शिकायतों का निस्तारण | 810/2008 |
| 106. | रिट पिटीशन संख्या–559/2008 रामेश्वर दयाल बनाम उत्तराखंड राज्य | 811/2008 |
| 107. | रिट पिटीशन संख्या–280/2008 उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य | 814/2008 |

| | | |
|---|---|---|
| 108. | पदों पर प्रतिनियुक्ति | 833/2008 |
| 109. | त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन–2008 प्रेक्षकों की नियुक्ति | 834/2008 |
| 110. | सुनीता देवी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य | 835/2008 |
| 111. | 53/2008 सुभाष इस्सर बनाम सुरेन्द्र सिंह कुकरेजा, देहरादून | 836/2008 |
| 112. | 54/2008 संजय कुमार बनाम सचिव गुप्ता | 837/2008 |
| 113. | 52/2008 रमेशचन्द्र नैथानीय बनाम सी.एम. नेगी | 838/2008 |
| 114. | रिट संख्या–47/2008 शबनम बनाम श्रीमति प्रेमलता आदि | 842/2008 |
| 115. | रिट संख्या–58/2008 दीप बोहरा बनाम मोहन जोशी | 843/2008 |
| 116. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत नागर स्थानीय निर्वाचन–2008 से संबंधित सूचनाओं का प्रेषण | 847/2008 |
| 117. | पंचास्थानि चुनावालयों में कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति | 848/2008 |
| 118. | रिट पिटीशन संख्या–312/2008 उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य | 855/2008 |
| 119. | रिट पिटीशन संख्या–60/2008 श्री रूप सिंह बनाम श्रीमती जसवीबर कौर एवं अन्य | 856/2008 |
| 120. | रिट पिटीशन संख्या–59/2008 श्री विपुल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड | 857/2008 |
| 121. | रिट पिटीशन संख्या–48/2008 श्री पंकज गौड बनाम जयप्रकाश गौड | 859/2008 |
| 122. | रिट पिटीशन संख्या–64/2008 श्री राकेश मंजखोला बनाम सोहन लाल मंजखोला | 860/2008 |
| 123. | रिट पिटीशन संख्या–66/2008 श्रीमती किशन देई चौहान बनाम श्रीमती कमली भट्ट | 862/2008 |
| 124. | रिट पिटीशन संख्या–69/2008 श्री रामसुख बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य | 863/2008 |
| 125. | दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को अनुभागवार सृजित पदों का विवरण उपलब्ध कराना। | 864/2008 |
| 126. | न्यायालय प्रकरण से संबंधित पत्र का व्यवहार/कार्यवाही | 865/2008 |
| 127. | व्यक्तिगत पत्रावली श्री उम्मेद सिंह बिष्ट, वरिष्ठ सहायक, पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी गढ़वाल | 867/2008 |
| 128. | रिट पिटीशन संख्या–63/2008 श्री नन्दनी शर्मा बनाम मोहन जोशी एवं अन्य | 869/2008 |
| 129. | रिट पिटीशन संख्या–68/2008 श्री राजपाल बनाम जगदीश धीमान एवं अन्य | 870/2008 |
| 130. | रिट पिटीशन संख्या–71/2008 श्री मुकेश सोनकर बनाम अजय सोनकर एवं अन्य | 871/2008 |
| 131. | रिट पिटीशन संख्या–72/2008 श्री मकबूल हसन अंसारी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य | 872/2008 |
| 132. | रिट पिटीशन संख्या–67/2008 श्री राकेश लखेड़ा आदि श्री गणेश डंगवाल | 873/2008 |
| 133. | रिट पिटीशन संख्या–73/2008 श्री दिलराम रतूड़ी बनाम दीपशर्मा आदि | 874/2008 |
| 134. | रिट पिटीशन संख्या–74/2008 श्री स्वामी दयाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड आदि | 875/2008 |
| 135. | श्री बिपिन चन्द्र चन्दोला, मा. राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखंड की व्यक्तिगत पत्रावली | 876/2008 |
| 136. | कार्यालय का पता/अधिकारियों की योगदान सूचनाएं व दूरभाष संख्या | 878/2008 |
| 137. | रिट पिटीशन संख्या–473/2008 श्री सतेन्द्र कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डियन एवं अन्य | 879/2008 |
| 138. | व्यक्तिगत पत्रावली श्री विजेन्द्र सिंह बर्त्वाल, वाहन चालक (प्रतिनियुक्ति) | 880/2008 |
| 139. | श्री योगेश कुमार पंत, अनुभाग अधिकारी की स्वेच्छा सेवानिवृत्ति प्रकरण | 881/2008 |
| 140. | रिट पिटीशन संख्या–7/2008 श्री हाजी अब्दुल सत्तार बनाम उत्तराखंड राज्य आदि | 886/2008 |

| | | |
|---|---|---|
| 141. | रिट पिटीशन संख्या–8/2008 श्री मीनादेवी बनाम जै लाल उर्फ जैवन्ती लाल आदि | 887/2008 |
| 142. | त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन–2008 हेतु तत्कालिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं | 888/2008 |
| 143. | 80 सीपीसी नोटिस द्वारा श्री ए. महरोत्रा, वकील मसूरी | 889/2008 |
| 144. | रिट पिटीशन संख्या–489/2008 श्री इन्दसिंह बरगाली बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य नैनीताल | 890/2008 |
| 145. | रिट पिटीशन संख्या–536/2008 श्री राजपाल सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य | 894/2008 |
| 146. | निर्वाचन/अधिष्ठान विविध | 896/2008 |
| 147. | रिट पिटीशन संख्या–1429/2008 श्री गंगा राम बनाम राज्य निर्वाचन आयोग | 912/2008 |
| 148. | आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा पंचायत निर्वाचन संबंधी शिकायत | 913/2008 |
| 149. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, श्री संतोष नेगी, गौतम विहार पदमपुर सुखरौ, कोटद्वार | 914/2008 |
| 150. | रिट पिटीशन संख्या–1462/2008 श्री रमेश कुमार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग | 915/2008 |
| 151. | छठा केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतयों के दृष्टिगत मितव्ययिता लिया जाना | 924/2008 |
| 152. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री दयाल सिंह रावत प्रत्याशी प्रधान, बंजारावाला, रायपुर, देहरादून। | 929/2008 |
| 153. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री मुकेश ढोडियाल, पौड़ी गढ़वाल | 930/2008 |
| 154. | निर्वाचन अवधि में अनुमति/स्वीकृतियां | 931/2008 |
| 155. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री यशवंत चौहान सिविल कोर्ट कम्पाउंड, उधमसिंहनगर | 932/2008 |
| 156. | श्रीमती सीता देवी चमोला, यमकेश्वर, पौड़ी | 933/2008 |
| 157. | क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख आदि एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष आदि पदों का निर्वाचन/प्रेक्षकों की तैनाती। | 934/2008 |
| 158. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री शावेजखान, तेग बहादुर रोड़, देहरादून | 935/2008 |
| 159. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री बलजीत सिंह, ग्राम पोस्ट साहिया, देहरादून | 936/2008 |
| 160. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्रीमती हंसीदेवी, ग्राम तोलकाण्डे, अल्मोड़ा | 937/2008 |
| 161. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्रीमति सरोज पत्नी श्री सुरेश नेगी, देहरादून | 938/2008 |
| 162. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री रविन्द्र सिंह रावत, पौड़ी | 939/2008 |
| 163. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 विभा देवी, ऋषिकेश | 940/2008 |
| 164. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री नरेन्द्र प्रसाद नौटियाल, ग्राम प्रधान, ऋषिकेश | 941/2008 |
| 165. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 बी.देवी, ऋषिकेश | 945/2008 |
| 166. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री पनीराम पुत्र श्री गंजराम, अल्मोड़ा | 947/2008 |
| 167. | रिट पिटीशन संख्या–8/2008 श्री अजय कुमार बनाम श्री किरण सिंह राना व अन्य | 948/2008 |
| 168. | रिट पिटीशन संख्या–134/2008 श्री मंगतराम बनाम श्री शिवराजपाल व अन्य | 949/2008 |
| 169. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, जिलाध्यक्ष, मैदान क्रांति दल, देहरादून | 950/2008 |
| 170. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्रीमती दर्शनी देवी, रुद्रप्रयाग | 951/2008 |
| 171. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री जितेन्द्र सागर पुत्र श्री वंशीधर सागर, लक्सर, हरिद्वार | 952/2008 |
| 172. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री अरूण भदौरिया, एडवोकेट, हरिद्वार | 954/2008 |
| 173. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री देव सिंह नेगी, चमोली | 961/2008 |

| | | |
|---|---|---|
| 174. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री सुरेन्द्र सिंह कठैत, देहरादून | 962/2008 |
| 175. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री देवेन्द्र काण्डवाल सकलानी, ऋषिकेश | 963/2008 |
| 176. | श्री राज्यपाल के अभिभाषक उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम सत्र हेतु वार्षिक | 964/2008 |
| 177. | रिट पिटीशन संख्या–1258/2008 श्री विनोद लाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य | 965/2008 |
| 178. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री विनोद डोभाल, डिफेंस कालोनी, देहरादून | 967/2008 |
| 179. | व्यक्तिगत पत्रावली श्री रमेश चन्द्र कांडपाल, कनिष्ठ लिपिक | 970/2009 |
| 180. | व्यक्तिगत पत्रावली श्री मोहन चंद्र जोशी, कनिष्ठ लिपिक | 971/2009 |
| 181. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री आदेश कुमार सैनी, एडवोकेट, भगवानपुर, हरिद्वार | 972/2009 |
| 182. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 कल्याण खाल सामाजिक विकास समिति, दिल्ली | 974/2009 |
| 183. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 आयोग मुख्यालय में विभिन्न अनुभागों में प्राप्त अनुरोध पत्रों की प्राप्ति/निस्तारण की सूचना | 975/2009 |
| 184. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 कांतिराम नौटियाल, ग्राम मेहूंवाला, खालसा, देहरादून | 976/2009 |
| 185. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री प्रीतम सिह वार्ड संख्या–08 उधमसिंहनगर | 977/2009 |
| 186. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री जी.एल. शर्मा, 17–संजय कालोनी, इंदर रोड, देहरादून | 978/2009 |
| 187. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 सुश्री नीलम बेबी/श्री मगन सिंह बिष्ट, पौड़ी गढ़वाल | 979/2009 |
| 188. | श्री जयप्रकाश कोठारी, ऋषिकेश | 980/2009 |
| 189. | श्री सुरजी देवी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पौड़ी गढ़वाल | 981/2009 |
| 190. | श्री सतीश कश्यप, नई सब्जी मंडी, देहरादून | 982/2009 |
| 191. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्रीमती गीता देवी, पत्नी स्व. श्री हरीश राम, अल्मोड़ा | 983/2009 |
| 192. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री विहार ध्रुव, पुना | 984/2009 |
| 193. | श्री नारायण सिंह रावत, ग्राम जौंक, ऋषिकेश | 985/2009 |
| 194. | रिट पिटीशन संख्या–201/2009 नंदन सिंह नयाल एवं अन्य | 986/2009 |
| 195. | श्री विपिन कुमार एडवोकेट, सिविल कोर्ट काशीपुर, उधमसिंहनगर. | 987/2009 |
| 196. | श्री दीपक रतूडी, 93 सालावाला, हाथीबडकला, देहरादून | 990/2009 |
| 197. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री शब्बन खान (गुल), विशेष संवाददाता, हरिद्वार रोड़, देहरादून | 991/2009 |
| 198. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 आर.टी.आई. मास्टर ट्रेनर्स विकसित करने के संबंध में | 992/2009 |
| 199. | राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की बैठक | 993/2009 |
| 200. | व्य. पत्रा. श्रीमती कंवरजीत कौर, संविदा, देहरादून | 676/2006 |
| 201. | विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी | 678/2006 |
| 202. | राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों का विनियमितीकरण | 689/2006 |
| 203. | 44, 45, 46/2008 अमरीन खान बनाम, रिट आयोग, सुनीता देवी बनाम आयोग, मुकेश चन्द बनाम आर.ओ. | 830/2008 |
| 204. | उत्तर प्रदेश से आये कर्मचारियों विषयक | 973/2009 |

| | | |
|---|---|---|
| 205. | निर्वाचन ड्यूटी में लगे मतदान कर्मचारियों के विश्राम अवकाश पत्रावली | 616/2005 |
| 206. | राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की बैठक | 993/2009 |
| 207. | राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराये जाने वाले निर्वाचन तथा तत्सम्बन्धी अधिनियम/नियम नियमावलियां/आदेश | 1006/2009 |
| 208. | राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड मुख्यालय हेतु अधिकारियों की तैनाती | 1009/2009 |
| 209. | व्यक्तिगत पत्रावली श्रीमती उषा असवाल, कनिष्ठ लिपिक | 1018/2009 |
| 210. | रिट याचिका सं0 494/2009 श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल एवं श्री मोहन चन्द्र क0लि0 राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड | 1024/2009 |
| 211. | श्री एम0एस0 कुटियाल, संयुक्त सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग व्यक्तिगत पत्रावली | 1026/2009 |
| 212. | मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित जनहित याचिकाएं पीआईएल–127/2008 उत्तराखण्ड क्रान्ति दल बनाम परिसीमन आयोग एवं अन्य | 1027/2009 |
| 213. | रिट संख्या–642 (एस/एस)/2009 शिवजी त्रिपाठी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 1033/2009 |
| 214. | व्यक्तिगत पत्रावली कु0 नमिता शर्मा तृतीय श्रेणी संविदा | 1034/2009 |
| 215. | व्यक्तिगत पत्रावली श्री लोकश रावत, च0श्रेणी संविदा | 1035/2009 |
| 216. | व्यक्तिगत पत्रावली श्री सत्यानन्द बडोनी लोकश रावत, च0श्रेणी संविदा | 1036/2009 |
| 217. | आरटीआई–2005 श्री लक्ष्मी दत्त सती पुत्र श्री भवानी दत्त ग्राम वेतनधार पो0ओ0देघाट त0भिक्यासैन जिला अल्मोड़ा | 1008/2009 |
| 218. | आरटीआई–2005 श्री सुन्दर सिंह कुवाखा ग्राम कुन्स्यारी, पो0 खलका त0द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा | 1009/2009 |
| 219. | आरटीआई–2005 श्री रमाकान्त श्रीवास्तव प्रदेश उपाध्यक्ष, उ0शिक्षक कर्मचारी डी. ए.वी इण्टर कालेज, देहरादूनलक्ष्मी दत्त सती पुत्र श्री भवानी दत्त ग्राम वेतनधार पो0ओ0देघाट त0द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा | 1013/2009 |
| 220. | आरटीआई–2005 के सफल कियान्वयल हेतु वाह्य समीक्षा समिति द्वारा किये जाने वाली समीक्षा विषयक | 1019/2009 |
| 221. | आरटीआई–2005 श्री रमेश चन्द्र कांडपाल , क0लि0, रा0नि0आ0, उत्तराखण्ड | 1022/2009 |
| 222. | आरटीआई–2005 श्री तरूण कुमार बाबा मार्फत अनीता पैथोलाजी 7 –न्यू रोड देहरादून। | 1023/2009 |
| 223. | आरटीआई–2005 श्री सुरेश वीरपुर खुर्द, पो0पशुलोक, जिला देहरादून। | 1025/2009 |
| 224. | आरटीआई–2005 श्री सुधीर गोयल, सी–21 नेहरू कलोनी, देहरादून। | 1032/2009 |
| 225. | आरटीआई–2005 श्री एस0एस0 तोमर संयुक्त निदेशक, ग्राम्य विकास एफआरडीसी, शाखा सचिवालय, देहरादून। | 10337/2009 |
| 226. | आरटीआई–2005 श्री संजय भट्ट 95 इन्दिरा मार्केट एमडीडीए काम्प्लेक्स, देहरादून। देहरादून। | 1032/2009 |
| 227. | आरटीआई–2005 श्री अनील लेखाल एसोसियेशन फार डेमोक्रेटिव कॉसएी 1/6 हॉज खास न्यू दिल्ली। | 1032/2009 |
| 228. | राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड–अधिष्ठान से सम्बन्धित सूचनाऐं। | 1045/2009 |
| 229. | बीस सूत्री कार्यक्रमों–2006 के अन्तर्गत किये जाने वाली अनुश्रवण संबंधी सूत्रों के संबंध में | 1050/2009 |
| 210. | रा0निर्वा0आयोग, उत्तराखण्ड मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण। | 1051/2009 |
| 211. | अन्य राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोगों से पत्राचार पत्रावली। | 1060/2009 |
| 212. | श्री विरेन्द्र सिंह चौहान व0लि0, पंचास्थानि चुनावालय की व्यक्तिगत पत्रावली। | 1062/2009 |
| 213. | राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की वेवसाईड हेतु सूचना। | 1070/2010 |
| 214. | श्री वी0सी0 श्रीवास्तव, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय। | 1071/2010 |
| 215. | अनुभाग–1 में शासन/आयोग स्तर पर लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में। | 1072/2010 |

| | | |
|---|---|---|
| 216. | राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्ति और सेवा शर्तें नियमावली के सम्बन्ध में। | 1078/2010 |
| 217. | श्री एस0बी0थपलियाल, संयुक्त सचिव, रा0निर्वा0आ0, उत्तराखण्ड की व्यक्तिगत पत्रावली। | 1083/2010 |
| 218. | समीक्षा अधिकारी से लेखाकार के पद पर पद परिवर्तन विषयक। | 1085/2010 |
| 219. | पंचास्थानि चुनावालयों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों का वेतन निर्धारण विषयक। | 1098/2010 |
| 220. | श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे, तृतीय श्रेणी संविदा कर्मी की व्यक्तिगत पत्रावली। | |
| 221. | श्री ऋषिराम थपलियाल, प्रवर सहायक, पंचास्थानि चुनावालय की व्यक्तिगत पत्रावली। | 1107/2010 |
| 222. | श्री हरिश्चन्द्र जोशी, मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त की व्यक्तिगत पत्रावली। | 1109/2010 |
| 223. | श्री कैलाश चन्द्र नौटियाल, वित्त एवं लेखाधिकारी, व्यक्तिगत पत्रावली। | 1130/2010 |
| 224. | राज्य निर्वाचन आयोग तथा पंचा0 चुनावालय में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति की विज्ञप्ति। | 1141/2010 |
| 225. | प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों के लिए हेल्प स्मार्ट कार्ड योजना लागू करने विषयक। | 1147/2010 |
| 226. | पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही/अनियमितता आदि की जांच विषयक। | 1150/2010 |
| 227. | रा0निर्वा0आ0 में समूह ख, ग एवं घ पर संविलियन एवं पदोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में। | 1162/2011 |
| 228. | जनपद हरिद्वार की त्रि0पंचा0सा0निर्वा0–2011 हेतु कन्ट्रोल रूम में सूचना प्राप्त करने विषयक। | 1163/2011 |
| 229. | पृथक राज्य गठन के बाद स्थानीय निकाय निर्वाचन में उकान्द की भूमिका का विवरण दिसम्बर, 2010 की स्थिति। | 1170/2011 |
| 230. | राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत कार्मिकों की ए0सी0पी0 के प्रत्यावेदनों का निस्तारण। | 1172/2011 |
| 231. | पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत कार्मिकों की ए0सी0पी0 के प्रत्यावेदनों का निस्तारण। | 1173/2011 |
| 232. | अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्तगणों के सम्मेलन के प्रयोजनार्थ common वेबसाईट खोलने के सम्बन्ध में। | 1202/2011 |
| 233. | जनपदों की निर्वाचनक नामावली का सॉफ्टवेयर डाटा के सम्बन्ध में। | 1203/2011 |
| 234. | रिट याचिका संख्या–1836/2011 श्रीमती सुमन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1238/2011 |
| 235. | रिट याचिका संख्या–1876/2011 | 1239/2011 |
| 236. | संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण विषयक। | 1251/2011 |
| 237. | श्री कुलदीप सिंह, तृतीय श्रेणी संविदाकर्मी की व्यक्तिगत पत्रावली। | 1265/2012 |
| 238. | आयोग मुख्यालय में एवं पंचास्थानि चुनावालयों में तैनात कार्मिकों का वेतन निर्धारण। | 1278/2012 |
| 239. | श्री नन्दन सिंह नयाल, कनिष्ठ सहायक की व्यक्तिगत पत्रावली | 1304/2012 |
| 240. | श्री जगदीश नाथ महंत अर्दली की व्यक्तिगत पत्रावली | 1305/2012 |
| 241. | श्री संजय सिंह, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, उधमसिंहनगर | 1306/2012 |
| 242. | श्री संजीव प्रकाश सिंह रावत, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत | 1307/2012 |
| 243. | सुश्री ममता जोशी, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, उधमसिंहनगर | 1308/2012 |
| 244. | श्री प्रकाश चन्द्र जोशी, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, पिथौरागढ़ | 1309/2012 |
| 245. | श्री दिनेश चन्द्र उप्रेती, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा | 1310/2012 |
| 246. | श्री कैलाश चन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, नैनीताल | 1311/2012 |
| 247. | श्री संतोष सिंह बोरा, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, पिथौरागढ़ | 1312/2012 |

| | | |
|---|---|---|
| 248. | श्री सुशील नौटियाल, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, उत्तरकाशी | 1313/2012 |
| 249. | श्री सचिन कुमार वर्मा, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत | 1314/2012 |
| 250. | श्री विजयपाल सिंह बिष्ट, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, टिहरीगढ़वाल | 1315/2012 |
| 251. | श्री विजेन्द्र सिंह कैन्तुरा, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, टिहरीगढ़वाल | 1316/2012 |
| 252. | श्री शेखर चन्द्र पाण्डे, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, बागेश्वर | 1317/2012 |
| 253. | श्री राजेन्द्र सिंह पाठक, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, नैनीताल | 1318/2012 |
| 254. | श्री अतुल भट्ट, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, पौडीगढ़वाल | 1319/2012 |
| 255. | श्री हेम चन्द्र पाण्डे, अनुसेवक पंचास्थानि चुनावालय, बागेश्वर | 1320/2012 |
| 256. | श्री जयराम, अनुसेवक पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत | 1321/2012 |
| 257. | श्री राजेन्द्र बिष्ट, अनुसेवक पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा | 1322/2012 |
| 258. | श्री संतोष सिंह बिष्ट, अनुसेवक पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा | 1323/2012 |
| 259. | श्री मोहन सिंह, अनुसेवक पंचास्थानि चुनावालय, नैनीताल | 1324/2012 |
| 260. | श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट, अनुसेवक पंचास्थानि चुनावालय, बागेश्वर | 1325/2012 |
| 261. | श्री समूह (घ) कर्मचारियों हेतु वर्दी पत्रावली | 1326/2012 |
| 262. | श्री अरूण कुमार तिवारी, प्रवर सहायक पंचास्थानि चुनावालय पिथौरागढ | 1346/2012 |
| 263. | श्री मनोज तिवारी, 1/7695 गली न0–3 ईस्ट गोरखापार्क शाहदरा दिल्ली | 1347/2012 |
| 264. | श्री अनिल कुमार गुप्ता, 89/1 चन्द्रशेखर मार्ग मायाकुण्ड ऋषिकेश | 1349/2012 |
| 265. | श्री सोवन सिंह रावत, सी0–41 ई0सी0 रोड़ देहरादून | 1350/2012 |
| 266. | समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति विषयक | 1352/2012 |
| 267. | क्रिमिनल रिट पिटीशन सं–636 वर्ष 2012 रीमती प्रिया बनाम राज्य व अन्य। | 1354/2012 |
| 268. | समाचार पत्रों की कटिंग विज्ञप्ति/सूचना | 1377/2013 |
| 269. | रिट पिटीशन श्रीमती बीना देवी बनाम श्रीमती मीना बिष्ट आदि देहरादून। | 1467/2013 |
| 270. | श्री बालादत्त पाण्डेय, उप सचिव, व्यक्तिगत पत्रावली | 1478/2013 |
| 271. | जनपदं के पंचा0चुना0 में कार्यरत सहा0जि0नि0अधि0, की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां | 1492/2013 |
| 272. | व्यक्तिगत पत्रावली श्री सुबर्द्धन, मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड | 1506/2013 |
| 273. | पंचास्थानि चुनावालयों में तैनात कार्मिकों का वेतन निर्धारण विषयक | 1519/2013 |
| 274. | रा0 निर्वाचन आयोग में सृजित सहाय0आयुक्त एवं उपायुक्त के पद पर पदोन्नित विषयक | 1522/2013 |
| 275. | श्री जगत सिंह चौहान, वित्त नियंत्रक, रा0नि0आ0, व्यक्तिगत पत्रावली | 1537/2013 |
| 276. | श्री एम0एस0 कुण्डरा, की आयोग में समन्वयक के पद पर तैनाती | 1548/2013 |
| 277. | आयोग में संयुक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति | 1550/2013 |
| 278. | आयोग में वैयक्तिक सहायक/अपर निजी सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति | 1554/2013 |
| 279. | आयोग में समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पद पर प्रतिनियुक्ति | 1555/2013 |
| 280. | आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति | 1556/2013 |
| 281. | डा0 आर0एस0 पोखरिया, संयुक्त सचिव की व्यक्तिगत पत्रावली | 1558/2013 |
| 282. | श्री आशाराम कुमेड़ी, समीक्षा अधिकारी (लेखा) की व्यक्तिगत पत्रावली | 1570/2013 |
| 283. | शासनादेश संख्या–298 दिनांक 30.12.2013 के द्वारा संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण | 1574/2014 |
| 284. | पत्र प्रेषण एवं प्राप्ति विषयक | 1578/2014 |
| 285. | विविध (शिकायतें) | 1686/2014 |
| 287. | श्री भूपाल सिंह पंचोली, अनुसेवक, पिथौरागढ़। | 1637/2014 |
| 288. | श्री दिनेश सिंह, कनिष्ठ सहायक, रा0नि0आ0, उत्तराखण्ड। | 1640/2014 |
| 289. | पुनर्नियुक्ति संबंधी पत्रावली | 1661/2014 |
| 290. | स्थानान्तरण हेतु प्राप्त विकल्प पत्रावली | 1662/2014 |
| 291. | शोक संदेश पत्रावली | 1711/2014 |

| | | |
|---|---|---|
| 292. | श्री कुलवन्त सिंह, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत पत्रावली | 1814 / 2014 |
| 293. | राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत कर्मचारी–अधि0कल्याण परिषद गठन सम्बन्धी पत्रावली | 1818 / 2014 |
| 294. | श्री हरिदत्त जोशी, विशेष कार्याधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग व्यक्तिगत पत्रावली | 1857 / 2014 |
| 295. | संयुक्त सचिव प्रतिनियुक्ति पत्रावली | 1858 / 2014 |
| 296. | श्री हुकम सिंह भण्डारी, कनिष्ठ सहायक, चमोली व्यक्तिगत पत्रावली | 1871 / 2014 |
| 297. | चतुर्थ श्रेणी कर्मी के कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति पत्रावली | 1882 / 2015 |
| 298. | रिक्त पदों / सीटों की सूचना माह अप्रैल / मई, 2015 | 1909 / 2015 |
| 299. | श्री विनोद लाल, डाटा इन्ट्री आपरेटर उपनल से अनुबंधित | 1910 / 2015 |
| 300. | पंचास्थानि चुनावालयों में तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों का अधिष्ठान संबंधी विवरण | 1919 / 2015 |
| 301. | रिट याचिका संख्या–774(एस / एस)2015 भूपाल चन्द्र पंचोली बनाम रा0नि0आ0 एवं अन्य | 1922 / 2015 |
| 302. | स्थापना से संबंधित विविध प्रकरण विषयक | 1932 / 2015 |
| 303. | रिट याचिका संख्या 1347 / 2015(एस / एस)2015 भूपाल चन्द्र पंचोली बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य | 1943 / 2015 |
| 304. | तदर्थ नियुक्ति नियमित किये जाना पत्रावली | 1944 / 2015 |
| 305. | श्री राकेश कुमार एडवोकेट रजि0 नं0 यू0पी07738 / 02, यू0के0 4795 / 04 अधिवक्ता चैम्बर नं0 51, सिविल कोर्ट, जनपद हरिद्वार | 1950 / 2015 |
| 306. | सुश्री निधि रावत, सहायक आयुक्त, प्रतिनियुक्ति की पत्रावली | 1985 / 2015 |
| 307. | आयोग मुख्यालय में कार्यरत नियमित / प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की गोपनीय प्रविष्टियां–14 पत्रावली | 2019 / 2016 |
| 308. | शासकीय कार्यों में राजभाषा हिन्दी के पूर्णतः प्रयोग हेतु विभाग में नोडल अधिकारी नामित किये जाने विषयक | 2031 / 2016 |
| 309. | कनिष्ठ सहायकों की सीधी भर्ती संबंधी पत्रावली–2016 | 2080 / 2016 |
| 310. | लोक सेवा आयोग को सीधी भर्ती का अधियाचन | 2082 / 2016 |
| 311. | रिट सं–1145 एम0एस0 2016 विक्रम सिंह कार्की बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2085 / 2016 |
| 312. | रिट सं0–1469 विक्रम सिंह कार्की बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2094 / 2016 |
| 313. | श्रीमती सरिता बागड़ी, प्रतिनियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड। | 2106 / 2016 |
| 314. | श्री रोशन लाल, अपर आयुक्त प्रतिनियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड। | 2113 / 2016 |
| 315. | उपनल से संविदा पर तैनात कार्मिको से सम्बन्धित | 2131 / 2017 |
| 316. | श्री जय प्रकाश नौटियाल, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार | 2177 / 2017 |
| 317. | रिट याचिका संख्या–1258 / 2008 श्री विनोद लाल पुत्र स्व0 श्री रिख्वा लाल, ग्राम / पो0–बावई जिला–रूद्रप्रयाग बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2200 / 2017 |
| | रिट याचिका संख्या–2490 / 2017(एस0 / एस0) मदन लाल बनाम मा0राज्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य | 2210 / 2017 |
| 318. | श्री मनीष तिवारी, तृतीय श्रेणी, पंचास्थानि चुनावालय, देहरादून। | 2211 / 2017 |
| 319. | श्री विजय लाल, चतुर्थ श्रेणी, पंचास्थानि चुनावालय, पौड़ी गढवाल | 2221 / 2017 |
| 320. | रिट याचिका संख्या–2756 एम0एस0 / 2017 श्री मदन लाल बनाम आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य। | 2224 / 2017 |
| | जनपद स्तर पर सफाई कर्मियों के मानदेय / पारिश्रमिक विषयक | 2256 / 2018 |
| 321. | श्री मदन लाल शाह (सविदा पर तैनात किये जाने के संबंध में) | 2288 / 2018 |
| 322. | उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 | 2408 / 2018 |
| 323. | श्रीमती हिमाली जोशी पेटवाल, उप सचिव रा0नि0आ0 प्रतिनियुक्ति व्यक्तिगत पत्रावली | 2458 / 2018 |
| 324 | श्री शिवजी त्रिपाठी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, रिट संख्या–1028 / 2019 | 2623 / 2019 |

# अनुभाग–1 सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 से सम्बन्धित पत्रावलियां

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री सुन्दर सिंह कुवारवी ग्राम कुन्स्यारी पो0 खलवा तहसील द्वाराहाट अल्मोड़ा | 1008 / 2009 |
| 2. | श्री रामाकान्त श्री वास्तव प्रदेश उपाध्यक्ष (ABVP) एवं 30 शिक्षक कर्मचारी डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, देहरादून । | 1013 / 2009 |
| 3. | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सफल क्रियान्वयन हेतु वाहय् समीक्षा समिति द्वारा किये जाने वाली समीक्षा विषयक | 1019 / 2009 |
| 4. | श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल क0लि0 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड | 1022 / 2009 |
| 5. | श्री तरूण कुमार बाबा द्वारा अनीता पैथोलाजी 1 न्यू रोड, देहरादून | 1023 / 2009 |
| 6. | श्री सुरेश वीरपुर खुर्द पो0ओ0 पशुलाक जिला देहरादून | 1025 / 2009 |
| 7. | श्री सुधीर गोयल सी–212 नेहरू कालोनी, देहरादून | 1032 / 2009 |
| 8. | श्री एस0एस0 तोमर सुयुक्त निदेशक, ग्राम्य विकास (FRDC) शाख सचिवालय, देहरादून | 1037 / 2009 |
| 9. | श्री संजय भट्ट 95 इन्दिरा मार्केट (MDDA) कोम्पलेक्स निकट प्वेलियन ग्राउन्ड, दे0दून | 1038 / 2009 |
| 10. | श्री अनील बरवाल एसोसियन फार डेमोकेटिव रिफार्मस 131 / 6 हॉजखास न्यू दिल्ली | 1039 / 2009 |
| 11. | श्री कमल किशोर कण्डवाल द्वारा सकलानी न्यूज ऐजेन्सी पोस्ट ओ0 मुनीकीरेती कैलाश गेट ऋषिकेष, देहरादून। | 1040 / 2009 |
| 12. | श्री कुलभूषण गुसाई ऐडवोकेट, सी0जी0एम0 कोर्ट कम्पांड, देहरादून | 1041 / 2009 |
| 13. | श्री उस्मान सैफी पुत्र श्री अखलाख हुसैन जानवरों वाले अस्पताल के सामने कालाढूंगी रोड़ हल्द्वानी, नैनीताल पिन–263139. | 1042 / 2009 |
| 14. | श्री मुजाहिद हुसैन ब्लाक अध्यक्ष रा0भ0 उन्नमूलन अर्गनाईजेशन मो0 नेतानगर सुल्तानपुर पट्टी जिला उधमसिंहनगर | 1044 / 2009 |
| 15. | श्री भूनेन्द्र कुकरेती (एडवोकेट)कोर्ट कम्पांउण्ड ऋषिकश, देहरादून | 1046 / 2009 |
| 16. | श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0श्रीलक्ष्मणदास गुप्ता निवासी 4 ए चकराता रोड़, देहरादून | 1052 / 2009 |
| 17. | श्री ऐ0के0 बादरानी डी0–4 प्रेमनगर बाजार किराडी–सुल्तानपुरी दिल्ली–86 दूरभाष संख्या–9210727459, | 1053 / 2009 |
| 18. | श्री बद्रीनाथ में अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन के सम्बन्ध में | 1054 / 2009 |
| 19. | श्री राजेन्द्र निवासी ग्राम बन्नाखेडा ब्लाक एवं तहसील बाजपुर उधमसिंहनगर | 1056 / 2009 |
| 20. | श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह ग्राम नजीमाबाद पो0 सूर्यनगर तहसील किच्छा जिला उधमसिंहनगर | 1057 / 2009 |
| 21. | श्री भवानी दत्त जोशी भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, धमपुर हरिद्वार रोड़ पो0बाक्स–07 देहरादून 248001 | 1058 / 2009 |
| 22. | श्री राजेश कुमार पुत्रश्रीराम निवासी ग्राम स्यासू पो0 स्यासूपट्टी गोसाई तहसील नई टिहरी टिहरीगढ़वाल | 1059 / 2009 |
| 23. | अन्य राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग से पत्राचार पत्रावली | 1060 / 20099 |
| 24. | श्री अनिल कुमार 89 / 1 चन्द्रशेखर मार्ग मायाकुंड ऋशिकेष | 1061 / 2009 |
| 25. | श्री बिरेन्द्र सिंह चौहान व0लि0 पंचास्थानि चुनावालय की व्यय पत्रावली | 1062 / 2009 |
| 26. | श्री संतोष सिंह नेगी गोतम बिहार पदमपुर सुखरो कोटद्वार गढवाल | 1063 / 2009 |
| 27. | श्री सुनील कुमार, वुडलेण्ड स्टेट लंढौरा बाजार, मंसूरी, देहरादून | 1064 / 2009 |
| 28. | श्री किरण डालाकोटी ग्राम खेड़ा तहसील गोलापार (हल्द्वानी) जिला नैनीताल | 1068 / 2010 |
| 29. | डा0 सत्यनारायण शर्मा निवासी 57 गौसांई गली भीमगोड़ा हरिद्वार | 1069 / 2010 |
| 30. | श्री मोनू पाण्डे द्वारा श्री नवीनचन्द्र गुप्ता म0न0–47 आकाशपुरम पीलीभीत बाईपास रोड बरेली, उत्तर प्रदेश | 1073 / 2010 |
| 31. | श्री पंकज गुप्ता 33 हीरालाल मार्ग ऋषिकेश | 1074 / 2010 |
| 32. | श्री जीवन सिंह भन्डारी ग्राम छत्यानी पो.ओ. रतिसेरा बाया डंगोली जनपद बागेश्वर | 1075 / 2010 |
| 33. | श्री धर्मानन्द जोषी मनोनीत (सभासद) नगर पंचायत भीमताल, उत्तराखण्ड देहरादून | 1076 / 2010 |

| | | |
|---|---|---|
| 34. | श्री ईश कुमार शर्मा शारदा भवन हिलवाई पास रोड खडखडी हरिद्वार | 1077/2010 |
| 35. | श्री जोधसिंह बोरा पुत्र स्व श्री लाल सिंह बोरा ग्राम व पो0 घमस्यारी तहसील डीडीहाट जिला पिथौरागढ़ | 1079/2010 |
| 36. | श्री रमेश चन्द्र सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून | 1080/2010 |
| 37. | कु0 कुसुम निवासी म0 न0–13 आर के पुरम तरला अधोईवाला पो0 ओ0 डालनवाला, देहरादून | 1081/2010 |
| 38. | कैप्टन दीवान सिंह बिष्ट उड्डीवाला कौलागढ़ पो0ओ0 क0 डी0एम0आई0 पी0ई0 देहरादून –248165 | 1082/2010 |
| 39. | श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव पुत्रश्रीयु0के0 श्रीवास्तव लीगल हैड मैग्माफिन कार्य0 लि0 176 पटेलनगर, देहरादून | 1084/2010 |
| 40. | श्रीमती अनीता रानी निवासी भनियावाला पो0 भानियावाला देहरादून | 1086/2010 |
| 41. | श्रीरामसिंह रावत, एडवोकेट चेम्बर –न022 सी0जे0एम0कोर्ट कम्पाउ, देहरादून | 1087/2010 |
| 42. | श्री कैलाष चन्द्र तेवाडी, कार्यवेक्षक/वेतन अनुभाग फील्डगन फैक्टरी काल्पी रोड़ कानपुर | 1088/2010 |
| 43. | अषुंल श्रीकुंज, सम्पादक मिषन एक्सप्रेस झारान ज्वालापुर हरिद्वार | 1089/2010 |
| 44. | श्री भगवान सिंह रावत अमृत निवास गनहिल रोड मसूरी, उत्तराखण्ड | 1090/2010 |
| 45. | श्री इन्द्रजीत सिंह , 2 ईश्ट रेस्टकैम्प त्यागी रोड देहरादून | 1091/2010 |
| 46. | श्री सोनू पुत्रश्री सुमेर चन्द्र 5 परसोलीवाला हाथीबडकला कैन्ट रोड दे0दून0 | 1092/2010 |
| 47. | श्री किशन बहादूर थापा ग्राम 0 व पो0 बंजरावाला, देहरादून | 1093/2010 |
| 48. | श्रीमती पुश्पादेवी पत्नीश्री उमेदसिंह बिष्ट निवासी स्व0 माधोसिंह बालविद्या भवन इन्द्रनगर विन्दुखलाता लालकुंआ, नैनीताल | 1099/2010 |
| 49. | श्री अमर सिंह नेगी सेवा निवृत्त ज्येष्ट प्रशानिक अधिकारी चमोली हाल निवास आई0टी0आई गोपेश्वर पो0ओ0 देवर खडोर जनपद चमोली | 1100/2010 |
| 50. | श्री राकेश खण्डूडी पुत्र श्री चन्द्र दत्त खडूडी समाचार सम्पादक नूतन सवेरा 10/1 चकराता रोड़ पेरामेडिकल के पीछे महन्त क्वाटर्स जनपद देहरादून | 1102/2010 |
| 51. | श्री जयपाल सिं संपादक हिन्दुस्तान बोल रहा है पत्रिका पुत्र श्री वेदपाल चौधरी निवासी 31 कर्जन रोड़, देहरादून | 1103/2010 |
| 52. | श्री शैलेन्द्र थपलियाल संपादक गढवार्ता ग्राम. आबई, पो0 चमकोटखल, वाया भुगुखाल यमकेश्वर पौड़ीगढ़वाल | 1104/2010 |
| 53. | श्री सुलेख चन्द्र पुत्र श्री फलचन्द्र ग्राम मानक माजरा पो हाल्तू माजरा त0 रूडकी जिला हरिद्वार | 1106/2010 |
| 54. | डा0 रवि रस्तोगी संपादक एवं प्रकाषक हिमालय और हिन्दुस्तान राष्ट्रीय पाक्षिक बीरभद्र (ऋषिकेश) देहरादून | 1108/2010 |
| 55. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत विविध पत्रावली | 1110/2010 |
| 56. | श्री आषुतोश कुमार यादव श्री गॉधी आश्रम, 102 चन्द्रनगर, देहरादून | 1111/2010 |
| 57. | श्रीमती हीरा पंचाल पत्नी श्री खेलराम पंचाल गॉव मोखातारा पो0 सेवडा त0रानीवाडा जिला जालोर पिन–343040 | 1114/2010 |
| 58. | श्री एस0सी पाल पुलिस अपाधिक (से0नि0) आर्यनगर ज्वालापुर हरिद्वार | 1120/2010 |
| 59. | श्री जयप्रकाश कोठारी भारतीय जनता पार्टी टिहरीगढ़वाल | 1121/2010 |
| 60. | श्री आर0पी0 अग्रवाल एस–4 शिवालिक लगजरी एपार्टमैंट कर्जन रोड़ देहरादून | 1129/2010 |
| 61. | श्री संजय कुमार एडवोकेट जजीकोर्ट कम्पान्ड हल्द्वानी जिला नैनीताल | 1145/2010 |
| 62. | श्री राव खालिद अली ऐडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायाल रोशनाबाद हरिद्वार. | 1146/2010 |
| 63. | श्री कमल कुमार निवासी औखला सुन्दरवाला रायपुर, देहरादून | 1148/2010 |
| 64. | श्रीमती रचना गर्ग (पत्रकार) 104, ईष्वर बिहार फेज–2 रायपुर रोड़ देहरादून | 1149/2010 |
| 65. | श्री कुला नन्द गोस्वामी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत गौरीकुड जनपद रूद्रप्रयाग | 1154/2011 |

| | | |
|---|---|---|
| 66. | श्री उसमान सैफी पुत्र श्री अखलाख हुसैन सैफी जी0पी0रोड़ हार्डवेयर निकट आयुष चिकित्सालय कालाढूगी रोड हल्द्वानी नैनीताल | 1155/2011 |
| 67. | श्री पंकज शर्मा पुत्रश्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा– छाया फोटो स्टूडियों मौ0 शेखपुरा कुम्हार गढा कनखल हरिद्वार | 1156/2011 |
| 68. | श्री मांगेराम कश्यप पुत्र श्री जयप्रकाश निवासी 459/1, मौहल्ला सरवत (बसंत बिहार) पो0 मुज्जफरनगर जिला मुज्जफरनगर | 1159/2011 |
| 69. | श्री अजय सिंह कालरा पुत्रश्री भगवान दास निवासी ग्राम सैदपुरा पो0 मंगलौर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार | 1161/2011 |
| 70. | श्री महेन्द्र सिह पुत्र स्व0 श्रीबुद्धसिंह निवासी ग्राम मियांवाला पो0 हर्रावाला जिला देहरादून | 1164/2011 |
| 71. | श्री हरीश सिंह अधिकारी पूर्व ग्राम प्रधान वेलवाखल ज्योलिकोट नैनीताल | 1165/2011 |
| 72. | श्री भंवर सिंह पुश्री मानसिंह रविदास बस्ती कनखल हरिद्वार | 1166/2011 |
| 73. | श्री धर्मेन्द्र कुमार 4–ई इन्द्रर रोड, डालनवाला देहरादून | 1168/2011 |
| 74. | श्रीमती फरमाना पत्नी श्री फरीद निवासी ग्राम महाराजपुर खुर्द त0 लक्सर डा0 महाराजपुर कला हरिद्वार | 1169/2011 |
| 75. | श्री विजय सक्सैना, अधिवक्ता, चेम्बर न0121, जिला एवं सत्र न्यायालय, रोशनाबाद हरिद्वार | 1170/2011 |
| 76. | श्री कमल पनेरू पुत्रश्री मोतीराम मारफत विनोद दानी, दानी जनरल स्टोर अमरावती कालौनी द्वितीय तल्ली बमौरी हल्द्वानी नैनीताल | 1181/2011 |
| 77. | श्री एम0जकरिया दूकान न0सी–15 नई सब्जीमण्डी निरंजनपुर देहरादून | 1182/2011 |
| 78. | श्री विकास अग्रवाल प्रदेश महासचिव षिव सेना, उत्तराखण्ड अलकनन्दा बिहार कुमायूं कालोनी निकट रेलवे फाटक रामनगर रोड़ काशीपुर, उधमसिंहनगर | 1183/2011 |
| 79. | श्री जगजीवन चौहान एडवोकेट द्वारा के0एस0 रावत मकान न010 लेन नम्बर–6 सजवाण खेडा तपोवन इनक्लेव आमवाला पो0ओ0 रायपुर देहरादून | 1184/2011 |
| 80. | श्री सत्यपाल पुत्रश्री मुकन्दराम निवासी ग्राम बहादरपुर सैनी वि0 ख0 रूडकी, हरिद्वार | 1185/2011 |
| 81. | श्रीराकेश कुमार ग्राम डुगरपुर पो0ओ0 हल्दूचौड़ा जिला नैनीताल | |
| 82. | श्री सईद उर रहमान खॉ द्वारा सैयद जफरअली एडवोकेट चैम्बर न–82 जिला कचहरी रामपुर उ0प्र0 पि कोड न0–244901 | 1189/2011 |
| 83. | श्री बिजेन्द्र दत्त सकलानी ग्राम व पो रूद्रपुर वाया सहसपुर विकास नगर देहरादून | 1190/2011 |
| 84. | श्री प्रदीप भन्डारी नानपारा हाउस लण्ढौर मसूरी | 1191/2011 |
| 85. | श्री बी0एस0 बिष्ट III/58 नार्थ वेस्ट मोतीबाग नई दिल्ली–110021 | 1192/2011 |
| 86. | श्री जगमोहन गुरूग पुत्र स्व0श्री आर0गुरूंग निवासी ग्राम हरिपुर पो0ओ0 नवादा जिला देहरादून | 1194/2011 |
| 87. | श्री जीतपाल चन्द्र रमोला ग्राम बटवाल गॉव व पो0छाम जिला टिहरी गढ़वाल | 1195/2011 |
| 88. | श्री जुबेर पुत्र श्री मुनस्सब ग्राम मिर्जापुर मुस्तफाबाद पो0 मरगूबपुर विकास खण्ड रूडकी जिला हरिद्वार | 1196/2011 |
| 89. | श्रीमती सुदेशना पत्नी श्री अरूण कुमार निवासी भगवतीपुरम पो0 कनखल जिला हरिद्वार | 1197/2011 |
| 90. | श्री मोहिन्द्रर सिंह बिष्ट अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायाल नैनीताल | 1198/2011 |
| 91. | श्री कमलेष तिवारी अधिवक्ता चेम्बर न0–62 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल | 1199/2011 |
| 92. | सुश्री अरूणा रावत संपादिका हिसाब टाईम्स 30/2 राहुल मार्केट झण्डा बाजार, देहरादून | 1200/2011 |
| 93. | श्री सईद अली पुत्र श्री रफीक अली, ग्राम डाडा जलालपुर पो हल्लू मजरा जिला हरिद्वार | 1201/2011 |
| 94. | श्री आदेश कुमार पुत्र री तेजपाल सिं निवासी ग्राम व पो0झाझरा देहरादून | 1205/2011 |
| 95. | श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट देवभूमि निवास ग्राम व पो नेहरूग्राम देहरादून | 1206/2011 |

| | | |
|---|---|---|
| 96. | श्री भुल्लन सिंह पुत्रश्री रूपराम ग्राम शेरपुर डा0 ढडेडी खवाजगीपुर जिला हरिद्वार | 1207 / 2011 |
| 97. | श्री बिरेन्द्र पाल गुप्ता (राष्ट्रीय महासचिव यूथ) राष्ट्रीयवादी जनता पार्टी दिल्ली | 1209 / 2011 |
| 98. | डा0 गोपीचन्द्र बर्मन, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय फाउन्डेशन मुख्यालय: आशा भवन बशीवाला डा0 झाझरा देहरादून | 12010 / 2011 |
| 99. | श्रीमती बबीता बिष्ट देवभूमि निवास ग्राम व पो0 देहरुग्राम देहरादून | 1215 / 2011 |
| 100. | श्री साहब सिंह पुण्डीर द्वारा नेचूरल हर्बल निकट टेलीफोन एक्सचेन्ज राजपुर रोड़ लाड़पुर देहरादून | 1216 / 2011 |
| 101. | श्री रामसंवारे पुत्र स्व0 श्री गंगाराम ग्राम कुण्डेष्वर हेमपुर स्माईल तहसील काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर पिन–244713 | 1218 / 2011 |
| 102. | श्री ब्रहमपाल सिंह पुत्र श्री मामराज गोरधनपुर रोड वार्ड न09 लक्सर हरिद्वार | 1219 / 2011 |
| 103. | श्री योगेश विद्यार्थी पुत्र श्री जगवीर सिंह उत्तराखण्ड परिवहन निगम कोटद्वार डिपो पौड़ीगढ़वाल | 1224 / 2011 |
| 104. | श्री जोधसिंह बिष्ट ग्राम पूर्वी घोड़ानाला (बिन्दुखत्ता)पो0 लालकुआं जिला नैनीताल उत्तराखण्ड | 1225 / 2011 |
| 105. | देवीदत्त पनेरू पुत्र स्व0 श्रीमती रेवती देवी पनेरू एवं स्व0श्री हीराबल्लभ पनेरू ग्राम राभा ढालकान्डिया (ढालकन्या) विकास क्षेत्र ओखलकांडा जिला नैनीताल अस्थायी पता अशोक बिहार तीनपानी (हल्द्वानी) जिला नैनीताल | 1226 / 2011 |
| 106. | श्री मनुज प्रकाश ओ0एन0जी0सी0 तेल भवन (CM Ltd) 6th फलोर (इम्पोकॉम डिपा) देहरादून–248001 | 1227 / 2011 |
| 107. | श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाष निवासी ग्राम औदली ग्राम पंचायत भरौनी पो0ओ0 लाभाखेड़ा तहसील व विकास खण्ड सितारंगज उधमसिंहनगर | 1228 / 2011 |
| 108. | श्री हरपाल सिंह पुत्रस्व0श्री करम सिंह ग्राम दूधलादयालवाला पो0 श्यामपुर हरिद्वार | 1229 / 2011 |
| 109. | श्री रामू यादव पुत्र श्री गुमानी सिंह सैक्टर प्रभारी बी0एस0पी0 वार्ड नम्बन–4 भदई पुरा रूद्रपुर उधमसिंहनगर | 1230 / 2011 |
| 110. | श्री राधाकृष्ण गैरोला, ग्राम बद्री बिहार चौक (झिवरहेडी) पो कारबारी ग्राम शिमला | 1231 / 2011 |
| 111. | श्री चरण पाल सिंह पुत्रस्व0श्री परसराम नि0 ग्राम व पो झाझरा देहरादून | 1232 / 2011 |
| 112. | श्री गजरामसिह चौहान मकान न0–793 कुसुम कुंज धर्मपुर वाईपास रोड मीनाक्षी बैंडिंग प्वाईन्ट के सामने देहरादून | 1233 / 2011 |
| 113. | श्री दान सिंह बिष्ट पुत्रस्व0 श्री जीवन सिंह बिष्ट ग्राम बहरो पो0ओ0 मंगडोली (शेर) वि0 ख0 ताडीखेत जिला अल्मोड़ा | 1234 / 2011 |
| 114. | श्री मैरामसिंह सूबेदान मेजन (अ0प्रा9) 25 टयूबवेल रोड श्यामपुर पो अम्बीवाला प्रेमनगर देहरादून। | 1235 / 2011 |
| 115. | श्री बी0देवीनामदेव, कबीर आश्रम, ऋषिकश जिला देहरादून | 1236 / 2011 |
| 116. | रिटयाचिकाा संख्या–1836(एम0 / एस0)2011श्रीमती सुमन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1238 / 2011 |
| 117. | रिटयाचिका संख्या–1876(एम0 / एस0) | 1239 / 2011 |
| 118. | श्री संजय चौधरी, मण्डल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन ग्राम नगला सलारू (मंगलैर) हरिद्वार | 1241 / 2011 |
| 119. | श्री आशीष डोभाल कोषाध्यक्ष, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, देहरादून शाखा, 36 ए इ0सी0 रोड़ देहरादून | 1243 / 2011 |
| 120. | श्री एस00सी0 पाल डिप्टी एस0पी0(सेवा निवृत्त) 1085 पीरवाली गली आर्यनगर, पो0 ज्वालापुर हरिद्वार | 1244 / 2011 |
| 121. | श्रीमती मीना नेगी, दैनिक प्रभात 10 इ0सी0 रोड, मीडिया सेन्टर के पीछे देहरादून | 1245 / 2011 |
| 122. | श्रीएस0.एस0 रावत, अध्यक्ष भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी उत्तराखण्ड दे0दून केन्द्रीय कार्यालय एकता बिहार लेन न0–1 पो0 कण्डोली सहस्त्रधारा रोड देहरादून | 1246 / 2011 |
| 123. | श्रीसतीश कुमार शुक्ल, लो0सू0आ0 सहायक पुलिस महानिरीक्षण (पी0एम0)उत्तराखण्ड मुख्यालय देहरादून | 1247 / 2011 |
| 124. | श्री अवनेश गुप्ता,माल्यान मौ0 देहरादून | 1248 / 2011 |
| 125. | श्री दीपक जोशी, महामंत्री उधोग व्यापार मण्डल पाटी पो0पार्टी, चम्पावत | 1249 / 2011 |
| 126. | श्रीनरायण सिंह रावत वास्ते स्व0श्री मंगल सिंह, ग्राम भीताकोटमल्ला पो0 गढकोट, | 1250 / 2011 |

| | | |
|---|---|---|
| | तह0सल्ट जिला अल्मोड़ा | |
| 27. | श्रीमती श्वेता झा, मार्डन स्कूल के सामने मौ0 लकडहारन, सर्राफ बाजार ज्वालापुर हरिद्वार | 1253/2011 |
| 128. | श्री प्रियांक अग्रवाल, प्रियांग अग्रवाल, नवीन मण्डी स्थल मुरादाबाद रोड़ काशी पुर उधमसिंहनगर | 1254/2011 |
| 129 | श्री मौ0 इसरार पुत्र स्वश्री मौ0 इकबाल, ग्राम व पो0ढकरानी, देहरादून | 1255/2011 |
| 130. | श्री मुनीश कुमार (सम्पादक) नागरिक (पाक्षिक समाचार पत्र) पैठ पडाव रामनगर नैनीताल | 1257/2011 |
| 131. | श्री कैलाश चन्द्र पाण्डे 151 खडी बाजार, रानीखेत, अल्मोड़ा | 1262/2011 |
| 132. | श्रीमती संतोष सक्सैना भाजपा जिला महामंत्री जिला काशीपुर | 1263/2011 |
| 133. | डा0 दिनेश प्रताप सिंह 74/3 सालावाला देहरादून | 1264/2011 |
| 134. | श्री एम0अतीक सूट स–27 आफिसर्स हास्टल सिविल लाईन मेरठ उ0प्र0 | 1266/2011 |
| 135. | श्री कुमुद सिंह विकास नगर मेनबाजार विकास नगर स्कूल वाली गली दे0दून | 1268/2011 |
| 136. | श्री अजय प्रसाद उनियाल, सतातन धर्म मन्दिर लण्ढौर बाजार मसूरी दे0दून | 1269/2011 |
| 137. | श्री मनीष तिवारी कनिष्ट सहायक सं कार्या0 पंचास्थानी चुनावालय कचहरी दे0दून | 1270/2012 |
| 138. | श्री प्रदीप वर्मा आर्दश कालोनी, मेन बाजार लक्सर जनपद हरिद्वार | 1271/2012 |
| 139. | श्रीमती बिन्दिया अधिकारी पत्नी श्री मनीष अधिकारी, ग्राम व पो0 रायपुर दे0दून | 1272/2012 |
| 140. | श्री राजीव गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनसहायय दल 112ए न्यू क्नाट प्लैस देहरादून | 1275/2012 |
| 141. | श्री इरफान हुसैन सैफी पुत्रश्री अखलाख हुसैन सैफी उजाला नगर निकट नमरा मस्जिद बरेली रोड हल्द्वानी नैनीताल | 1276/2012 |
| 142. | श्री सुबोध गोयल, समाजिक कार्यकर्ता शिवपुरी कालोनी डाकपत्थर देहरादून | 1279/2012 |
| 143. | श्री विपिन कुमार पाण्डेय, श्री गॉधी आश्रम जसपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड | 1281/2012 |
| 144. | श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, श्री गॉधी आश्रम जसपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड | 1286/2012 |
| 145. | श्री मनोज ओली, एडवोकेट भाटकोटी रोड पिथौरागढ़ | 1288/2012 |
| 146. | श्री सुरेन्द्र अग्रवाल/सुश्री रचना गर्ग (प्रदेश प्रवक्ता) मिशन उत्तराखण्ड | 1290/2012 |
| 147. | श्री धर्मवीर सैनी कनखल हरिद्वार | 1291/2012 |
| 148. | श्री भीमसिंह पुत्रश्री नाथीराम सिंह नि0–79 लोअर नत्थन पुर जागीवाल पो0 नेहरूग्राम निकट भवानी प्रोपर्टीज मसूरी रिंग रोड़ देहरादून | 1292/2012 |
| 149. | श्री विकास त्यागी पुत्रश्री चन्द्र प्रकाश त्यागी निवासी एस–10 रघुकूल आर्केड निकट नन्दन सिनेमा गढरोड़, थाना नौचन्दी मेरठ उ0प्र0 | 1293/2012 |
| 150. | श्री दिनेश चन्द्र जोशी, जून स्टेट भीमताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड | 1300/2012 |
| 151. | श्री राजेश शर्मा, 21 सेवक आश्रम रोड़, देहरादून–248001 | 1302/2012 |
| 152. | श्री. गोविन्द सिंह, सेना वायु रक्षा महानिदेशालय, सेवा वायु रक्षा (विधिक) एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय भरत सरकार कमरा न0–602 डी0–1 बिग छठा तल सेना भवन नई दिल्ली–110011 | 1303/2012 |
| 153. | श्री अनिल कुमार, ग्राम केहड़ा, पो0ओ0 लक्सर जनपद हरिद्वार | 1328/2012 |
| 154. | श्री कृष्ण कुमार शुक्ला, मनासा भवन, अपर सुन्दरवाला, रायपुर रोड, देहरादून | 1329/2012 |
| 155. | श्री सी0पी0 सिंह, 8–चिराग विला, शिवपुरी कालोनी, जगजीतपुर, कनखल हरिद्वार | 1330/2012 |
| 156. | श्री ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, 166, इन्दिरानगर कालोनी, देहरादून | 1331/2012 |
| 157. | श्री नारायण सिंह, विंग नं0–4/2/12 प्रेमनगर, देहरादून | 1332/2012 |
| 158. | शहाना परवीन पुत्री श्री याकूब अहमद 4/5, मुस्लिम कालोनी, रीठा मण्डी, देहरादून | 1233/2012 |
| 159. | लोक सूचना अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (कु0क्षे0) लो0नि0वि0, अल्मोड़ा | 1334/2012 |
| 159. | श्री अजय नेगी, (सम्पादक) रणजीत स्वर (साप्ताहिक) 20/3 भण्डारी बाग, देहरादून | 1336/2012 |
| 160. | श्री गौरव मल्होत्रा पुत्र स्व0श्री सुभाश चन्द्र मल्होत्रा सुगर मिल रोड, डोईवाला–248140 मो09997961023 | 1337/2012 |
| 161. | श्री सुशील खरे, समाचार प्लस 20 औल्ड सर्वे रोड देहरादून | 1338/2012 |
| 162. | श्री रघुबीर प्रसाद जैन, 314 डी मास्ट्रा गली चाहबाई बरेली (उ0प्र0) | 1341/2012 |
| 163. | श्री चमन लाल पुत्रश्री कुन्दन लाल ग्राम नन्हेडा आनन्दपुर हरिद्वार | 1342/2012 |

| | | |
|---|---|---|
| 164. | श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री बनवारी लाल अग्रवाल ग्राम चौमू तहसील चैमू जयपुर | 1343 / 2012 |
| 165. | श्री कुंवरदीप नरायण, असिस्टेट प्रोफेसर एम0सी0ए0 जी0वी0पंत इन्जिनीयरिंग कालेज घुड़दौड़ी पौड़ीगढ़वाल | 1344 / 2012 |
| 166. | श्री संजय थपलियाल पंत मौहल्ला डाडा लखौड पो गुजराड़ा निकट निदेशालय पंचायतीराज आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून | 1345 / 2012 |
| 167. | श्री मनोज तिवारी, 1 / 7695 गली न0–3 ईस्ट गोरखापार्क शाहदरा दिल्ली | 1347 / 2012 |
| 168. | श्री अनिल कुमार गुप्ता, 89 / 1 चन्द्रशेखर मार्ग मायाकुण्ड ऋषिकेश | 1349 / 2012 |
| 169. | श्री सोवन सिंह रावत, सी0–41 ई0सी0 रोड़ देहरादून | 1350 / 2012 |
| 170. | डा0 जगदीश चन्द्र जय प्रकाश सेंट्रल, फोरेस्ट्री सेंट्रल सोसाइल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 218 कालागढ रोड देहरादून | 1351 / 2012 |
| 171. | श्री राजेन्द्र प्रसाद सक्सेना, रिटायर्ट सर्व कानूनगो कस्बा मिल्क मोहल्ला असदुल्लापुर मुक्त कालोनी पो0 मिल्क जिला रामपुर, उ0प्र0 | 1353 / 2012 |
| 172. | श्री हरीश चन्द्र खर्कवाल, जनसंपर्क अधिकारी, मा0 नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उत्तराखण्ड, देहरादून। | 1356 / 2012 |
| 173. | श्री कुलवन्त सिंह सलूजा, बरपाली चौक चम्पा, छत्तीसगढ | 1357 / 2012 |
| 174. | श्री शकील सिद्दकी, प्रवक्ता वाणिज्य इण्टर कालेज, कमलेश्वर, पिथौरागढ | 1358 / 2012 |
| 175. | श्री सुजायत नवी द्वारा रिफाकत नवी खां, निवासी क्वाटर नं0–58 टाईप द्वितीय रिजर्व पुलिस लाईन, रूद्रपुर जनपद उ0नगर | 1361 / 2012 |
| 176. | श्री बृजमोहन सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री पप्पू सिंह चौहान, 115 वाणी विहार, अधोईवाला रायपुर रोड, देहरादून | 1362 / 2012 |
| 177. | श्री राकेश अग्रवाल, सदस्य आर0टी0आई0 क्लब, उत्तराखण्ड, कौशिक कार्टेज बी0 कैमल्स बैंक रोड मसूरी, देहरादून | 1363 / 2012 |
| 178. | श्री चंचल पुत्र श्री होशियार सिंह, ग्राम दूनाकोट, पो0 नाछर, तहसील डीडीहाट, पिथौरागढ | 1364 / 2012 |
| 179. | कु0 हेमा आर्य पुत्री श्री लछी राम द्वारा खीम राम व्हाईट हाउस क्लब, मल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड | 1365 / 2012 |
| 180. | श्री प्रभात कुमार, 179 करनपुर, देहरादून | 1367 / 2012 |
| 181. | श्री संजय सुब्बा शांति विहार कालोनी, पो0 मांजरा, देहरादून | 1370 / 2012 |
| 182. | श्री सूरत सिंह रौतेला, एडवोकेट, चैम्बर नं0–4, कोट कम्पाउण्ड ऋषिकेश | 1371 / 2012 |
| 183. | श्री देवेन्द्र प्रसार, म0नं0–159, मिल्क कालोनी, धनास चण्डीगढ | 1372 / 2012 |
| 184. | श्री हयात सिंह अधिकारी, ग्राम व पोस्ट सिमलखेत, तह0 पाटी, चम्पावत | 1373 / 2012 |
| 185. | श्रीकान्त राठौर पुत्र श्री बालक राम राठौर, नई बस्ती सुनहरी, वार्ड नं0–6 किच्छा, उ0नगर | 1374 / 2012 |
| 186. | श्री जीतपाल चन्द रमोला, ग्राम धारवाल, गांव व तहसील कण्डीसौड, टिहरी गढ़वाल | 1375 / 2013 |
| 187. | श्री प्रदीप भण्डारी, सामाजिक कार्यकर्ता नानपारा हाउस लण्ढौर मसूरी | 1380 / 2013 |
| 188. | श्री सुशील कुमार भट्टनागर, सुशील मेडिकल स्टोर चीमा चौराह, काशीपुर वार्ड नं0–18, उ0नगर | 1381 / 2013 |
| 189. | श्री अवनीश कुमार, खबाददाता हिन्दुस्तान समाचार, पटेल मार्ग निकट पूर्ति कार्यालय, कोटद्वार गढ़वाल | 1383 / 2013 |
| 190. | श्री सुनील कुमार बाल्मिकि पुत्री स्व0 श्री मनफूल 218 काश्मीर हाउस, क्लेमनटाउन, देहरादून | 1384 / 2013 |
| 191. | श्री दीनदयाल राजभर पुत्र श्री रविन्द्र सिंह, 124 चन्द्रेश्वर नगर, चन्द्रभागा ऋषिकेश, देहरादून | 1386 / 2013 |
| 192. | श्री लक्ष्मण सिंह रावत पुत्र श्री नाथसिंह रावत, 5059 जज फार्म, हल्द्वानी नैनीताल | 1387 / 2013 |
| 193. | श्री सुनील दत्त सरमैन्स, पण्डितवाडी पोस्ट प्रेमनगर, देहरादून | 1389 / 2013 |
| 194. | श्री कृष्ण अवतार पुत्र स्व0 श्री रामकिशन मौ0 पक्काकोट निकट नागनाथ मन्दिर कांशीपुर, उ0नगर | 1392 / 2013 |
| 195. | श्री कृपाल सिंह मेहरा ग्राम दलीपपुर लोक मण्डीपुर कोटद्वार, गढ़वाल | 1393 / 2013 |
| 196. | श्री नीरज तिवारी पुत्र श्री रूद्रप्रसाद तिवारी, वार्ड नं0–11 किच्छा उ0नगर | 1394 / 2013 |
| 197. | श्री नवीन चन्द्र पनेरू, चैतन्य लोक अमरावती कालोनी, तल्लीबमौरी, हल्द्वानी, | 1396 / 2013 |

| | | |
|---|---|---|
| | नैनीताल। | |
| 198. | श्री विप्पिन लखेडा द्वारा उमाकान्त लखेडा, 511 ई0 सेक्टर 17–ई कोकर इन्क्लेव, वसुन्धरा गाजियाबाद, उ0प्र0 | 1397 / 2013 |
| 199. | श्री शकील अहमद सलमानी पुत्र श्री लईक अहमद इन्द्रानगर वार्ड नं0–21 हल्द्वानी, नैनीताल। | 1398 / 2013 |
| 200. | श्री राजेश अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत , देवप्रयाग टिहरीगढ़वाल बाह बाजार देवप्रयाग गढ़वाल । | 1399 / 2013 |
| 201. | श्री विजय सिंह रावत, पुत्रश्री गोपाल सिंह रावत, बद्रपुर हल्द्वानी नैनीताल | 1400 / 2013 |
| 203. | प्रो0 सुबोध कुमार श्रीवास्तव प्राध्यापक (भौतिकी) आवास पटोटिया बाजार तहसील धूकोट पौड़ीगढवाल | 1401 / 2013 |
| 204. | श्री अशोक सडाना ऋषि टावर , गली न–2 आशुतोशनगर ऋषिकेश जनपद , देहरादून | 1405 / 2013 |
| 205. | फतीमा रहमान 136 / 8 चर्च रोड़ विष्णुपुरी अलींगंज लखनउ–22602 | 1407 / 2013 |
| 206. | श्री विजय सिंह पुत्रस्व0श्री शिवचरण सिंह, डिग्री कालेज रोड़ जौनपुर पो आ0 कोटद्वार पौड़ीगढवाल | 1409 / 2013 |
| 207. | श्री धनबीर सिंह कुंमई जफर हाल कुलड़ी बाजार मंसूरी | 1412 / 2013 |
| 208. | श्री विनोद कुमार पुत्रस्व0श्री देवराम ग्राम सैजतल्ला पोओ0 डाडामण्डी जिला पौड़ीगढवाल | 1413 / 2013 |
| 209. | श्री हाजीमुकीम खान पुत्र श्री मुन्ने खान वार्ड–5 टनकपुर चम्पावत | 1422 / 2013 |
| 210. | श्री राजेश रूडोला, पुत्रश्री के0वी0 रूडोला, रूडोला भवन वार्ड–सात श्रीनगर गढवाल | 1423 / 2013 |
| 211. | श्रीभाष्कर चन्द्र, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दौलनकारी 6 / 130 तल्ली बमौरी नवानी रोड़ नैनीताल | 1441 / 2013 |
| 212. | श्री श्याम सुन्दर भूमा निकेतन, सप्त सरोवर भूमतवाला हरिद्वार | 1445 / 2013 |
| 213. | श्री रईस अहमद पुत्रश्री खलील अहमद सिद्दकी बर्फ कारखाने के सामने मौ0 उलतीखॉ काशीपुर उधमसिंहनगर | 1446 / 2013 |
| 214. | श्री सुरेश जोशी, एडवोकेट, सी0जे0एम कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून | 1449 / 2013 |
| 215. | श्री अरूण उनियाल पुत्र श्री सुन्दर लाल उनियाल, अजबपुर खुर्द, देहरादून | 1450 / 2013 |
| 216. | श्री नन्दन सिंह चौहान पुत्र श्री चंचल सिंह चौहान, निवासी वेणी रामेश्वर ट्रस्ट पाण्डे गार्डन मंगलपडाव हल्द्वानी, नैनीताल | 1454 / 2013 |
| 217. | श्री विजय बहादुर सहानी ग्राम तिलियापुर पोस्ट शक्तिफार्म जिला उ0नगर | 1455 / 2013 |
| 218. | श्री राजेश चौहान पुत्र श्री एस0एस0 चौहान ग्राम सिनौला, देहरादून | 1456 / 2013 |
| 219. | श्री गौरव शर्मा, एडवोकेट कार्यालय चैम्बर नं0–3 ब्लॉक नं0–6, रामेश्वर ब्लॉक नं0–6, रामेश्वर ब्लॉक सी0जे0एम0कोर्ट कम्पाउण्ड देहरादून | 1459 / 2013 |
| 220. | श्री महेश कुमार उभान, एडवोकेअ, अजबपुर खुर्द, देहरादून | 1460 / 2013 |
| 221. | श्री बजरंग अग्रवाल, उपप्रधान, भारूवालाग्रांट पोस्ट क्लेमनटाउन दे0दून | 1461 / 2013 |
| 222. | श्री बंजरंग अग्रवाल, पुरीस्टाम पोस्ट क्लेमनटाउन दे0दून | 1462 / 2013 |
| 223. | श्री राजेश कुमार 239 ई0 पॉकेट–1 मंयूर विहार फेस–1 दिल्ली | 1463 / 2013 |
| 224. | श्री देव हर्षवाल म0नं0–159 मिल्क कालोनी धनारा, चण्डीगढ | 1464 / 2013 |
| 225. | श्री भगवान सिंह रमोला पुत्र श्री तोता सिंह रमोला, श्री गणेशपुर पोस्ट कारवारी (निकट मानकसिद्ध) शिमला बाई पास रोड देहरादून | 1465 / 2013 |
| 226. | श्री लक्ष्मण सिंह, जी0–56 नरोजी नगर, नई दिल्ली | 1466 / 2013 |
| 227. | श्री विजय महर , उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी, शिवपुरी कालोनी, डाकपत्थर देहरादून। | 1468 / 2013 |
| 228. | श्री विनोद चन्द्र, प्रान्तीय संगठन, सचिव (कु0) उ0वि0ई0 संघ, लोक निर्माण विभाग, शक्तिसदन, लोअर माल रोड, अल्मोडा | 1469 / 2013 |
| 229. | श्री खेम सिंह बिष्ट, ग्राम स्वाला, पो0 स्वाला, विकासखण्ड / जिला चम्पावत | 1472 / 2013 |
| 230. | श्री आर0एस0नेगी, महासचिव, राजपूताना सेवा समिति, उततराखण्ड प्रदेश, केन्द्रीय कार्यालय, झण्डीचौड पूर्वी कोटद्वार, पौडी गढवाल | 1473 / 2013 |
| 231. | श्री चन्दन कुमार सोनी, मार्फत आर0पी0वर्मा, एक्साईज इंस्पेक्टर म0नं0–10 / 35 बब्बननिलियम, रामगुलामटोला सिटि एण्ड पोस्ट आफिस देवरिया, जिला देवरिया, | 1474 / 2013 |

| | उ0प्र0 | |
|---|---|---|
| 232. | श्री रघुनाथ सिंह भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड, हास्पिटल रोड विकासनगर रोड देहरादून | 1475/2013 |
| 233. | श्री रविन्द्र पंवार पुत्र श्री कुँवर सिंह, ग्राम व पोस्ट कडियालगांव, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल | 1479/2013 |
| 234. | श्री सुयश कुकरेती, एडवोकेट, चैम्बर नं0–49 द्वितीय फ्लोर, न्यू बिल्डिंग बार भवन के पीछे कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून | 1483/2013 |
| 235. | श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा लक्ष्मी बुक डिपो, पो0ओ0 के सामने लालकुआँ, पोस्ट लालकुआँ, नैनीताल | 1484/2013 |
| 236. | श्री संजय कुमार, एडवोकेट सिविल कोर्ट परिसर, काशीपुर, उ0नगर | 1486/2013 |
| 237. | श्री असरार अहमद, एडवोकेट, पार्क रोड, प्रथमतल होटल पार्क व्यू के सामने, काशीपुर, उ0नगर | 1487/2013 |
| 238. | श्री रमेश सिंह, ग्राम कण्डई गॉव पोस्ट आपिफस पौड़ी,जिला पौड़ी गढ़वाल | 1488/2013 |
| 239. | श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, स0समीक्षा अधिकारी, रा0नि0आ0, उत्तराखण्ड | 1489/2013 |
| 240. | कु0 कमला आर्या, महरा स्टेट महरागॉव, ग्राम व पो0 महरागॉव, जिला–नैनीताल | 1490/2013 |
| 241. | श्री प्रकाश त्रिपाठी, देवकी भवन, रानी गली, गली न0–05 भूपतवाला हरिद्वार | 1494/2013 |
| 242. | श्री सुयश कुकरेती अधिवक्ता, चैम्बर न0–19 द्वितीय तल, नई बिल्डिंग कोर्ट कम्पाउन्ड, देहरादून | 1495/2013 |
| 243. | श्री दीपचन्द्र माता मन्दिर मार्ग, बटोली की गली न0–2, अजबपुर कला, देहरादून | 1497/2013 |
| 244. | श्री जोध सिंह बोरा पुत्र श्री लाल सिंह, ग्राम व पो0 पमस्यारी, त0 डीडीहाट, पिथौरागढ़ | 1498/2013 |
| 245. | श्री सुनील कुमार गोयल पुत्र श्री दर्शन लाल, निवासी–321, पुरानी तह0 रूड़की हरिद्वार | 1499/2013 |
| 246. | श्री प्रभु दयाल शर्मा, 448/5, गली न0–7, हनुमन्तपुरम– गंगानगर, ऋषिकेश, देहरादून | 1500/2013 |
| 247. | श्री मोहन चन्द्र जोशी, लेन न0–3 गढ़वाली, कालोनी, देहरादून | 1502/2013 |
| 248. | श्री दिगपाल सिंह पटवाल, रा0जू0हा0 स्वीत/रा0इ0का स्वीत, पो0स्वीत, पौड़ीगढ़वाल | 1503/2013 |
| 249. | श्री मोहन सिंह, 100ई, सेक्टर–4, बी.के.एल, मार्ग, नई दिल्ली | 1504/2013 |
| 250. | श्री महेश चन्द्र आर्य पुत्र श्री किशन राम आर्य, ग्राम–ईडा, पो0 इडा, बाशखाम, वि0ख0 द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा | 1505/2013 |
| 251. | श्री राजेश चौबे पुत्र श्री बलदेवराज चौबे, ग्राम सूई, पो0गलचौड़ा, वि0ख0 लोहाघाट | 1508/2013 |
| 252. | श्री सियासत पुत्र श्री यासीन निवासी ग्राम बोडाहेडी, पो0 नगरबपुर, हरिद्वार | 1509/2013 |
| 253. | श्री अयाज अहमद, 16–बी शिमला इनकलेव, माजरा, देहरादून | 1510/2013 |
| 254. | श्री टिकेश कुमार पुत्र श्री हरिराम 193, टिबड़ी रानीपुरमोड़ हरिद्वार | 1511/2013 |
| 255. | श्री जितेनद्र सिंह रावत पुत्र श्री लखपत सिंह, जिला कारागार, नई टिहरी | 1513/2013 |
| 256. | श्री सूरत सिंह रोतेला, एडवोकेट, चैम्बर न–4 कोर्ट कम्पाउन्ड ऋषिकेश, देहरादून | 1514/2013 |
| 257. | श्री गुरविन्दर सिंह चढढा, गोविन्दपुरा, हल्द्वानी | 1515/2013 |
| 258. | ई0 अमरजीत सिंह खोखर, केन्द्रीय अध्यक्ष, 220, के0वी0, रामनगर, रूड़की | 1516/2013 |
| 259. | श्री उस्मान सैफी पुत्र श्री अखलाख हुसैन सैफी उजाला नगर, निकट नमरा, मस्जिद बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। | 1517/2013 |
| 260. | श्री राजेश मुंजाल पुत्र श्री तीरथ मुंजाल, आस्था कालोनी, लालपुर, पो0 लालपुर, त0 किच्छा, उधमसिंहनगर | 1520/2013 |
| 261. | श्री काका पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम माजरी, जिला–देहरादून | 1524/2013 |
| 262. | श्री संजीव राणा, ग्राम–लोली, पो0नीलकण्ड, पौड़ी गढ़वाल | 1525/2013 |
| 263. | श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव, जिला प्रमुख, शिवसेना, केशवनगर, वार्ड न–6, नहरपारा सितारगंज, उधमसिंहनगर | 1526/2013 |

| | | |
|---|---|---|
| 264. | श्री भारतभूषण जगूड़ी, जगूड़ी कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर मेन बाजार चिन्यालीसौड़, जिला उत्तरकाशी | 1527 / 2013 |
| 265. | श्री आशीष चन्द्र ढौंडियाल, आंवलाकोट, पोस्ट, कोटाबाग, जनपद–नैनीताल | 1528 / 2013 |
| 266. | श्री पूरननाथ पुत्र श्री रामनाथ, ग्राम–देवलातल्ला, पो0 कुंवरपुर, नैनीताल | 1529 / 2013 |
| 267. | श्री दर्शनसिंह, ग्राम–बैना, पो0 ताड़ीखेत, जिला– अल्मोड़ा | 1530 / 2013 |
| 268. | श्री रामबाबू पूर्व सभासद पुत्र श्री रामपाल, नि0 नईबस्ती, भूतबंगला, वार्ड न0–6, रूद्रपुर, जिला–उधमसिंहनगर | 1531 / 2013 |
| 269. | श्री महावीर सिंह खरोला, निकट स्वामी विवेकानन्द, जू0हाई स्कूल, 14 बीघा, ग्राम ढालवाला, पो0ओ0 मुनिकीरेती, टिहरीगढ़वाल। | 1532 / 2013 |
| 270. | श्री ई0 अरूण कुमार जैन, आपिफस सकेटी, 11 अशोक रोड, नई दिल्ली | 1533 / 2013 |
| 271. | श्री ललित मोहन सिंह नेगी पुत्र श्री पाल सिंह नेगी, आर0के0 टेन्ट हाउस मानस विहार कुसुमखेड़ा, हलद्वानी | 1534 / 2013 |
| 272. | श्री ओंकार दीप सिंह पुत्र श्री इकबाल सिंह, वीडियोकोन के सामने मुरादाबाद रोड, काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर | 1535 / 2013 |
| 273. | श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री गोवर्धन पाण्डेय ग्राम–खेतीगैर, पो0 चरचालीखान पुनवानौला अल्मोड़ा | 1538 / 2013 |
| 274. | श्री विनोद कुमार कनौजिया, अधिवक्ता, आर0टी0आई0 कार्यकर्ता, निवासी–194, गुरूद्वारा कालोनी, वलेमनटाउन, देहरादून | 1539 / 2013 |
| 275. | श्री देवेन्द्र सिंह फर्त्याल, चम्पानौला, निकट, जलनिगम कालोनी लोअर माल रोड, अल्मोड़ा | 1540 / 2013 |
| 276. | श्री विवेक अग्रवाल, बंगला न0–35 चकराता, जिला देहरादून | 1543 / 2013 |
| 277. | श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री शिवानन्द शर्मा, निवासी–ब्रह्म निवास, अजबपुर, देहरादून | 1544 / 2013 |
| 278. | श्री रविराणा पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम– डन्ढेरा तह0 रूड़की, हरिद्वार | 1545 / 2013 |
| 279. | श्री उमेद सिंह विष्ट नियर माधोसिंह बिन्दुखाता लालकुआँ, नैनीताल | 1546 / 2013 |
| 280. | श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह ग्राम–जवाड़ी, पो0ओ0 माई की मण्डी जिला–रूद्रप्रयाग | 1547 / 2013 |
| 281. | श्री हन्नी अग्रवाल, रानीगली, भूपतवाला, हरिद्वार उत्तराखण्ड | 1551 / 2013 |
| 282. | श्री विजय कुमार शर्मा मार्फत री एम0पी0 नौटियाल 73, ऋषिलोक कालोनी आशुतोषनगर ऋषिकेश | 1552 / 2013 |
| 283. | श्री हरीश आर्य पूत्र श्री प्रेमलाल निवासी मार्फत सोनिया गुप्ता 1/1 बंगाली लाइब्रेरी रोड करनेपुर, देहरादून | 1553 / 2013 |
| 284. | श्री मनीष कुमार धीमान कार्यालय कश्मीरी कालोनी, डोईवाला, देहरादून | 1557 / 2013 |
| 285. | श्री बचन सिंह रावत पुत्र श्री जुपल सिंह ग्राम व पोस्ट ओडाड, वि0ख0 नरेन्द्रनगर टिहरीगढ़वाल | 1559 / 2013 |
| 286. | श्री राकेश सिंह चौहान पुत्र श्री गोविन्द सिंह चौहान, ग्राम उदयपुरी चोपड़ा, पो0पीअमदारा, तह0 रामनगर, नैनीताल | 1560 / 2013 |
| 287. | श्री बजरंग अग्रवाल, उप प्रधान निवासी–कुन्छल निवास सोसाइटी एंरिया, क्लेमेंट टाउन, देहरादून | 1561 / 2013 |
| 288. | श्री हीराराम आर्य पुत्र श्री फकीरराम आर्य सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम–जसीनीवार, पो0 ईडा बाराखाम वि0ख0 द्वाराहाट, अल्मोड़ा | 1562 / 2013 |
| 289. | श्री कृपाल सिंह मेहरा, ग्राम दलीपपुर, पो0 लोकमणीपुर कोटद्वार गढ़वाल | 1564 / 2013 |
| 290. | श्री तुलसीराम, कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, अभियन्त्रण औरैया मण्डी समिति के सामने औरैया | 1565 / 2013 |
| 291. | श्री मौ0 आवेश पुत्र श्री असगर अली, अध्यक्ष क्षेत्रीय युवक समिति, रूड़की एवं युवक मंगलदल पाडली | 1566 / 2013 |
| 293. | श्री करण सिंह कैन्तुरा पुत्र श्री जमनसिंह निवासी ग्राम डुंग, पट्टी गयारहगांव, पो0 बजियालगांव तह0 घनसाली, जिला टिहरीगढ़वाल | 1567 / 2013 |
| 294. | सुश्री कुसुम लता, अनुसचिव जाति वस्ती, ग्रामवासी, छतौड़, ग्राम पंचायत चौथला, तह0 व जिला रूद्रप्रयाग | 1568 / 2013 |

| | | |
|---|---|---|
| 295. | श्री आर0एल0 उत्तरांचली, उत्तरांचल भवन स्वारी, पो0 धिमतोली, जिला रूद्रप्रयाग | 1569 / 2013 |
| 296. | श्री बलबीर सिंह नेगी, ग्राम पोखरी पो0 मसाणगॉव, पट्टी सितोवस्यूं, जिला पौड़ी गढ़वाल | 1571 / 2013 |
| 297. | श्री इदुल जौहर, अध्यक्ष विकलांग संघ, जाखणीधार, ग्राम मोली पो0 अन्जनीसैंण, टिहरी गढ़वाल | 1572 / 2014 |
| 298. | श्री हयातसिंह अधिकारी, ग्राम–पाटनपुल, पो0ओ0–लोहाघाट, जिला–चम्पावत | 1573 / 2014 |
| 299. | श्री विनोद पाण्डे, ग्राम देवराड़ा, पो0 तुगेश्वर, जिला–चमोली | 1576 / 2014 |
| 300. | श्री रामगोपाल गुप्ता हाल नि0 गुघालरोड, पाण्डेवाल, ज्वालापुर, हरिद्वार | 1577 / 2014 |
| 301. | श्री राजपाल थापा पुत्र स्व0 श्री चतरसिंह थापा, नि0 छांडी, रानीपोखरी तह0 ऋषिकेश, देहरादून | 1580 / 2014 |
| 302. | श्री राजेन्द्र कुमार व्यास, नि0 वार्ड न0–4, गदरपुर, पो0 व तह0गदरपुर, जि0 उधमसिंहनगर | 1581 / 2014 |
| 304. | श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री गोपालसिंह ग्राम–मोहनी रावत, पो0ओ0 मवासी, जिला–पौड़ीगढ़वाल | 1582 / 2014 |
| 305. | श्री मुजीब नैथानी, चौहान काम्पलैक्स, ढालवाल, ऋषिकेश | 1583 / 2014 |
| 306. | श्री कपिल कुमार अग्रवाल, एडवोकेट जानकी नगर कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल | 1584 / 2014 |
| 307. | श्री नितिन रावत ग्राम व पो0 बड़ासी वाया रायपुर, देहरादून | 1585 / 2014 |
| 308. | श्री देवीदत्त पनेरू, अशोक विहार तीनपानी डाकघर अर्जुनपुर, हल्द्वानी, नैनीताल | 1588 / 2014 |
| 309. | श्री कुबेर सिंह तडियाल पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम–सौनजाला, पो0 कोटाबाग, जिला–नैनीताल | 1589 / 2014 |
| 310. | श्री हेम पाण्डे पुत्र प्रेमप्रकाश, ग्राम–ढुंगसिल, पो0भीमताल, तहसील व जिला–नैनीताल | 1590 / 2014 |
| 311. | श्री रमेश चन्द्र पुत्र खीमानन्द, ग्राम–सिलौरी पंत, पो0 भीमताल तह0 व जि0 नैनीताल | 1591 / 2014 |
| 312. | डा0 दिनेश ग्वाड़ी मार्फत रमेशचन्द्र नौटियाल, लेन न0–14, अपर नत्थनपुर रिंग रोड,देहरादून | 1592 / 2014 |
| 313. | सुश्री मनिषा परवीन, ग्राम–मोलीमय, अन्जनीसैंण, टिहरी गढ़वाल | 1593 / 2014 |
| 314. | श्री नानक चन्द लोहिया उप प्रधान आर्य दायित्वशी जनमंच आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी | 1594 / 2014 |
| 315. | श्री दिगपालसिंह, ग्राम छिददरवाला, पो0–छिददरवाला जिला–देहरादून | 1596 / 2014 |
| 316. | श्री भूपेन्द्र कुमार, जिलाध्यक्ष, रा0सा0न्या0कृतिमंच, एच–255, नेहररूकालोनी, देहरादून | 1597 / 2014 |
| 317. | सुश्री पूजा शुक्ला, 231 समर विहार, कालोनी, आलमबाग, लखनऊ | 1598 / 2014 |
| 318. | श्री गणेश सिंह पुत्र श्री दीवानसिंह, ग्राम बनकटिया, पो0 श्रीपुरबिचवा तह0 खटीमा, उ0सिं0नगर | 1599 / 2014 |
| 319. | श्री वेदप्रकाश पुत्र शरण गिरि निकट त्रिमूति मन्दिर, पी0ए0सी0 रोड सुभाष नगर ज्वालापुर, हरिद्वार | 1600 / 2014 |
| 320. | श्री शीशपाल सिंह, ग्राम गांधीनगर, पो0ओ0 मालधनचौड़, नैनीताल | 1604 / 2014 |
| 321. | श्री कुलवन्त सिंह सलूजा जर्नलिस्ट, बरपाली चौक चम्पा– छत्तीसगढ़ | 1605 / 2014 |
| 322. | श्री वंशीलाल नौटियाल, जौक, पो0ओ0 स्वर्गाश्रम, वि0ख0 यमकेश्वर, पौडीगढ़वाल | 1608 / 2014 |
| 324. | श्री त्रिभुवन सिंह ग्राम–चुपड़ाखेत, पो0 आदिचौरा, तह0डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़ | 1609 / 2014 |
| 325. | श्री नीनू सहगल, नेताप्रतिपा नगर निगम, देहरादून | 1610 / 2014 |
| 326. | श्री नीरज गुप्ता, एडवोकेट, प्रथमतल, रामस्वीट्स मेन बाजार, काशीपुर उधमसिंहनगर | 1612 / 2014 |
| 327. | श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह द्वारा रविराज सिंह, सी–573 न्यू आवास कालोनी काशीपुर, यू0एस0नगर | 1622 / 2014 |
| 328. | श्री विमल भट्ट, राय स्टेट, रानीखेत, अल्मोड़ा | 1623 / 2014 |
| 329. | श्री हेमचन्द्र कपिल, मुखानी तल्लीबमौरी, हलद्वानी, जिला–नैनीताल | 1624 / 2014 |
| 330. | श्री जावेदखान, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, कम्पाउन्ड, देहरादून | 1625 / 2014 |
| 331. | श्री प्रेमप्रकाश पुत्र श्री रमेश कुशवाह निवासी राघवनगर, पो गोकुलनगर किच्छा, उ0सिं0नगर | 1626 / 2014 |

| | | |
|---|---|---|
| 332. | श्री महेश चन्द्र पन्त दरिया नगर वार्ड–18 रुद्रपुर, उ0सिं0नगर | 1627 / 2014 |
| 334. | श्री पूरन चन्द्र जोशी, तल्ली हल्द्वानी, बरेली रोड हल्द्वानी, जिला–नैनीताल | 1628 / 2014 |
| 335. | श्री दीपक ध्यानी निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष पद, कमलानेहरू मार्ग, दुगड्डा, पौड़ीगढ़वाल | 1629 / 2014 |
| 336. | श्री संजय कुमार, सम्पादक श्रमिक बुलेटिन हिन्दी समाचार पत्र शाखा कार्यालय पो0 भानियवाला, हरिद्वार रोड, जिला देहरादून। | 1630 / 2014 |
| 337. | श्री के0एल0 रोहिला, एडवोकेट, कोर्ट कम्पाउन्ड, देहरादून | 1633 / 2014 |
| 338. | श्री सुनील सिंह, केन्द्रीय भण्डार, लाल बहादुर शा0प्र0अ0, मसूरी | 1634 / 2014 |
| 339. | श्री तरूण कुमार धीमान, उचीपुरा, राजीवजुयाल, मार्ग, पो0ओ0, माजरा, जिला–देहरादून | 1635 / 2014 |
| 340. | श्री संजीव कवि, कवि निवास, निकट किकेग, मसूरी | 1636 / 2014 |
| 341. | श्री डोरीलाल सागर, केन्द्रीय महामंत्री, अ0भा0 अनु0जाति एवं शोषित वर्ग उत्थान समिति, बाजपुर, उधमसिंहनगर | 1638 / 2014 |
| 342. | श्री औतार सिंह पुत्र श्री नन्दराम ग्राम जुड़का न–2 पो0ओ0 कुण्डेश्वरी, काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर | 1639 / 2014 |
| 343. | श्री सुधीर गोयल, सी–21, नेहरूकालोनी, देहरादून | 1642 / 2014 |
| 344 | श्री सुनीली चौहान पुत्र री बलवीर सिं चौहान, ग्राम–पाटा पो0ओ0–पाटा, उत्तरकाशी | 1643 / 2014 |
| 345. | श्री बालवन्तसिंह नेगी ए. 105 द्वितीयतल मेन रोड चन्दर विहार, मण्डावली, दिल्ली | 1658 / 2014 |
| 346. | श्री आर0बी0सिंह, म0न0–3 टाइप–2 कलेक्ट्रेट कालोनी, केदारपुरम, देहरादून | 1660 / 2014 |
| 347. | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, देहरादून | 1663 / 2014 |
| 348. | श्री प्रकाश हर्बोला, हर्बोला हेरिटेज रामपुर रोड, हलद्वानी जिला–नैनीताल | 1668 / 2014 |
| 349. | श्री जीवन सिंह मार्फत बी0एस0 मेहरा आर.जेड.एच. 260 गली न0–8 राजनगर पालम कालोनी, दिल्ली | 1672 / 2014 |
| 350. | श्री रविराज पुत्र स्व0 श्री हरपालसिंह, काशीपुरी कालोनी, रूड़की हरिद्वार | 1673 / 2014 |
| 351. | श्री एस0के0 अवस्थी किशनपुर, किच्छा, यू0एस0नगर | 1674 / 2014 |
| 352. | श्रीमती राजकौर पत्नी सरदार अमर सिंह, ग्राम गोबरा, पो0जोगीपुरा, तह0 बाजपुर, उधमसिंहनगर | 1675 / 2014 |
| 353. | श्री सुधीर जोशी, निवासी ग्राम–बागी, पो0 भोगपुर, देहरादून | 1676 / 2014 |
| 354. | श्रीमती पिंकी देवी, ग्राम–झाझरा, पो0 सुद्दोवाला, देहरादून | 1677 / 2014 |
| 355. | श्री संजय कुमार पुत्र श्री बाबू लाल, ग्राम व पो0 उम्मेदपुर प्रेमनगर देहरादून | 1679 / 2014 |
| 356. | श्री लखवीर सिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह ग्राम ध्यानपुर पोस्ट / थाना नानकमता, उधमसिंहनगर | 1680 / 2014 |
| 357. | श्री सौरभ ममगाई, निकट शिवमन्दिर, रायपुर, देहरादून | 1681 / 2014 |
| 358. | श्री सी0एस0रावत एडवोकेट मा0 उच्च न्यायालय, नेनीताल मार्फत भगत जनरल स्टोर कुमपुर बाजार लालकुर्ती रानीखेत, अल्मोड़ा | 1683 / 2014 |
| 359. | श्री खुशल सिंह अधिकारी पूर्व ब्लाक प्रमुख नजदीक जी0जी0आई0सी0 छतरगियां, लोहाघाट, चम्पावत | 1684 / 2014 |
| 360. | श्री कपिलधर पुत्र श्री केदारनाथधर म0नि0–17, रामपुर, देहरादून | 1685 / 2014 |
| 361. | श्री सुभाष शह पुत्र स्व0 श्री एन0जी0शाह मकान न0–110, ओली मार्ग, माता मन्दिर के पास, रायपुर, देहरादून | 1686 / 2014 |
| 362. | श्री अनुज डिमरी, ग्राम मियांवाला, पोस्ट–हर्रावाला, देहरादून | 1688 / 2014 |
| 363. | श्री संजयकुमार एडवोकेट, मार्फत उत्तम सिंह चैम्बर न0 35 नयी बिल्डिंग 01 फ्लोर बार एसोसियेशन कोर्ट कम्पाउन्ड देहरादून | 1689 / 2014 |
| 364. | श्री अनिल कुमार जैन, ग्राम व पो0 पुरोला तह0 पुरोला, जनपद–उत्तरकाशी | 1690 / 2014 |
| 365. | श्री नेलशन कुमार अरोड़ा, संघ भवन, 105 चन्दर नगर, समीप मु0चि0अ0कार्या0, देहरादून | 1708 / 2014 |
| 366. | श्री कीर्तिपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री भगतसिंह, नि0 गली न0–1 सुमन विहार बापूग्राम तह0 ऋषिकेश, जनपद–देहरादून | 1709 / 2014 |
| 367. | श्री बिजेनद्र सिंह चौहान निवासी बासखेड़ाकला काशीपुर उधमसिंहनगर | 1712 / 2014 |
| 368. | श्री हिरेन्द्र सिंह बाली पुत्र श्री हरदयाल सिंह 123 / 4 डी0एल0रोड वार्ड सं–9 | 1713 / 2014 |

| | देहरादून | |
|---|---|---|
| 369. | श्री पंकजगुप्ता, कार्यालय 33/1 हीरालाल, ऋषिकेश देहरादून | 1714/2014 |
| 370. | श्री बसन्त बल्लभ पुत्र श्री सतीश चन्द्र खर्कवाल, खलकड़िया, चम्पावत | 1720/2014 |
| 371. | श्री विपिन चन्द्र भट्ट, एडवोकेट, मल्लभवन, निसिंहबाडी, अल्मोड़ा | 1721/2014 |
| 372. | श्रीमती शशि सेमवाल, ग्राम–सेमार, पो0ओ0–दैड़ा, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग | 1722/2014 |
| 373. | श्री नदीम उद्दीन एडवोकेट, कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्लीखां, काशीपुर | 1728/2014 |
| 374. | श्री बिष्णु देव पुत्र श्री खुड़बुड़, ग्राम अंजनिया पो0 जमौर, खटीमा, उधमसिंहनगर | 1729/2014 |
| 375. | श्री भरत सिंह गुवाई, ग्राम सभा, मंगरौसिरो, सल्ट, जिला– अल्मोड़ा | 1730/2014 |
| 376. | श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव असिस्टेंट प्रोफेसर, महाविद्यालय, नैनीडांडा, पौड़ीगढ़वाल | 1731/2014 |
| 377. | री भुपेन्द्र कुमार पुत्र श्री लेखराज सिंह मो0 नत्थासिंह, जसपुर, उधमसिंहनगर | 1732/2014 |
| 378. | श्री राजेन्द्र सिंह, नईबस्ती, क्लेमेन्ट टाउन, देहरादून | 1734/2014 |
| 379. | श्री नरेन्द्र सिंह रावत 65 एपी पुलिस लाईन, जिला–रुद्रप्रयाग | 1735/2014 |
| 380. | श्री भारत भूषण कौशल, ब्लाक महामंत्री कांग्रेस कमेटी राजीव नगर वार्ड न–15 डोईवाला, देहरादून | 1737/2014 |
| 381. | श्री धनवीर सिंह, ट्रेवल रेसटोरोन्ट कुलडी बाजार मसूरी | 1738/2014 |
| 382. | श्री भवानी दास पुत्र श्री हुकमदास, ग्राम पुजारागांव, पोसट लम्बगांव, टिहरीगढ़वाल | 1739/2014 |
| 383. | श्री विनोद कुमार कन्नोजिया अधिवक्ता, 194 गुरूद्वारा कालोनी, क्लेमनटाउन, देहरादून | 1740/2014 |
| 384. | श्री भारत ज्योति अध्यक्ष, रा0स0सु0प0, पो0 बाक्स संख्या–82 मुख्य डाकघर, पटना | 1741/2014 |
| 385. | श्री विनोद कुमार, ग्राम फुलसुंगा, पो0 ट्रांजिट कैम्प, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर | 1742/2014 |
| 386. | श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ग्राम व पोस्ट–बक्सीर जनपद–रुद्रप्रयाग | 1743/2014 |
| 387. | श्री शैलेन्द्र थपलियाल, सागर स्टूडियो नटराज चौक ऋषिकेश | 1744/2014 |
| 388. | श्रीमती शशि सेमवाल पत्नी श्री देवेन्द्र प्रसाद सेमवाल मन्दिर मार्ग, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग | 1746/2014 |
| 389. | श्रीमती कान्ता शर्मा पत्नी श्री एम0एल0शर्मा, शिव मन्दिर के सामने हरिद्वार रोड, मोहकमपुर, देहरादून | 1747/2014 |
| 390. | श्री विजय प्रसाद गैरोला, सामाजिक कार्यकता, ग्राम व पो0 गैरोली जिला–चमोली | 1749/2014 |
| 391. | श्री ओम प्रकाश यादव पुत्र श्री शूरसेन यादव शिवालिक गंगाविहार, रोशनाबाद, हरिद्वार | 1750/2014 |
| 392. | श्री गुरमीत सिंह पुत्र हरनामसिंह, ग्राम महोली जंगल, पो0–भजुवानगला ऊधमसिहंनगर | 1751/2014 |
| 394. | श्री डोरी ला सागर, के0महा0, अ0भा0अनु0एवं शे0वर्ग उ0समिति, बाजपुर, उधमसिंहनगर | 1752/2014 |
| 395. | श्री हेम पाण्डे पुत्र श्री प्रेम प्रकाश, ग्राम ढुंगसिल, पो0 भीमताल, जिला–नैनीताल | 1753/2014 |
| 396. | श्रीमती बिष्णु देवी उर्फ शिनी देवी पत्नी गौरीदत्त, ग्राम बच्ची नवांड, पो0–हल्दूचौड़, लालकुआं, जिला–नैनीताल | 1754/2014 |
| 397. | श्री संजय कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, ग्राम व पोस्ट–उम्मेदपुर, प्रेमनगर, देहरादून | 1756/2014 |
| 398. | श्री एस0पी0 नौटियाल, सीनियर सिटिजन काम्पलैक्स, 8–पुरानीरोड, राजपुर, देहरादून | 1757/2014 |
| 399. | श्री महेश चन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान, पुनियाबगड़, पो0 खीड़ा, जिला–अल्मोड़ा | 1758/2014 |
| 400. | श्री कशमीर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह, ग्राम–भव्वा, नगला पो0 ओ0–केलाखेड़ा, जिला–उधमसिंहनगर | 1759/2014 |
| 401. | श्री रघुवीर सिंह चौहान पुत्र श्री परमसिंह चौहान निवासी बी0टी–8, शक्तिपुरम कालोनी, चिन्यालीसौड़, पो0ओ0, चिन्यालीसौड़, जला–उत्तरकाशी | 1760/2014 |
| 402. | श्री अजय कौशिक अध्यक्ष, पुरूष अधिकार संरक्षण 11/10 एजेण्डा बिजनेस सेन्टर निकट डा0 रुक्मणी नसिंग होम राजपुर रोड, देहरादून | 1761/2014 |
| 403. | श्री मेहर चन्द पुत्र श्री अगनूराम, निवासी–राजाकला, तुनवाला रोड, देहरादून | 1763/2014 |
| 405. | श्री बीरसैन पुत्र श्री उमराव सिंह कस्बा बड़ौत, मो0 विजयनगर, गली न0–6, | 1766/2014 |

| | | |
|---|---|---|
| | म0न0–11/1112 गुरानारोड, बड़ौत, जिला– बागपत, उत्तरप्रदेश | |
| 406. | श्री रविकुमार त्यागी, गोसाई गली नई बस्ती, भीमगौड़ा, जनपद–हरिद्वार | 1767/2014 |
| 407. | श्री प्रान्शु गुप्ता पुत्र श्री बृजमोहन गुप्ता डी–1 आशीर्वाद एनकलेव, शकुन्तलापुरी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश | 1768/2014 |
| 408. | श्री गुरूप्रीत सिंह पुत्र श्री सूरजीतसिंह, नियर एल0आई0सी आफिस, डाकपत्थररोड, विकासनगर, देहरादून | 1769/2014 |
| 409. | कु0 कमला आर्या, महरा स्टेट महरागांव, ग्राम व पोस्ट महरागांव, जिला–नैनीताल | 1770/2014 |
| 410. | श्री एस0पी0 नौटियाल, सीनियर सिटिज, काम्पलेक्स, 8–पुरानी मसूरी रोड, राजपुर देहरादून | 1773/2014 |
| 411. | श्री जोईल मसीह डा0 अ0स्मा0ट्र0सो0, कपूर पेट्रोल पम्प बिल्डिंग, सुशील होटल के सामने मुरादाबाद रोड, काशीपुर | 1774/2014 |
| 412. | श्रीमती बीरवती पत्नी श्री बनवारीलाल, साकिन, ग्राम पन्तपुरा, दोपहरिया, पो0ओ0 व तह0 किच्छा, जिला–उधमसिंहनगर | 1776/2014 |
| 413. | श्री सुनील सिंह, हीराडुंगरी, अल्मोड़ा | 1778/2014 |
| 414. | श्री विजय सिंह रावत, आशीर्वाद स्वीटशाप, माजरी माफी चोक, पो0 आई0आई0पी0 देहरादून | 1779/2014 |
| 415. | श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री देवीसिंह, नजीमाबाद, पो0 सूर्यनगर वाया किच्छा, जिला–उधमसिंहनगर | 1780/2014 |
| 416. | डा0 देवराज मिश्रा, असिस्टेंट, प्रोफेसर, राधेहरि, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, जिला–उधमसिंहनग | 1781/2014 |
| 417. | श्री सी0एस0 रावत मा.उच्च न्यालय नैनीताल मार्फत भगत जनरल स्टोर, कुमकुम बाजार, लालकुर्ती रानीखेत, जिला–अल्मोड़ा | 1782/2014 |
| 418. | श्री कशमीर सिंह पुत्र स्व0 श्री बलवन्त सिंह, ग्राम–भव्वा नगला पो0ओ0, केलाखेड़ा, तह0बाजपुर, उधमसिंहनगर | 1783/2014 |
| 419. | सुश्री हसीदा पुत्री अनवर शाह, ग्राम बरी, पो–बरा, तह0 किच्छा,ऊधमसिंहनगर | 1793/2014 |
| 420. | श्री रंजीतसिंह पुत्र कर्मसिंह नि0 ग्राम–पिपलिया विस्तौर, थाना–नानकमत्ता, तह0 सितारगंज, ऊधमसिंहनगर | 1794/2014 |
| 421. | श्री महेश शर्मा, केकेदार सरकारी कैनटीन, तह0 कम्पाउन्ड लक्सर, जिला हरिद्वार | 1795/2014 |
| 422. | श्री संदीप सुखीजा, किशनपुर, ऊधमसिंहनग | 1796/2014 |
| 423. | श्री अनिल मिश्रा पुत्र श्री बृज बिहारी मिश्रा, निवासी, रानीगली भूपतवाला हरिद्वार | 1799/2014 |
| 424. | श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह नेगी ग्राम व पो–गडगु, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग | 1800/2014 |
| 425. | श्रीमती विष्णुदेवी उर्फ विश्नीदेवी पत्नी गौरी दत्त, ग्राम–बच्चीनबाड़, पो0 हल्दूचौड़, लालकुआं, जिला–नैनीताल | 1801/2014 |
| 426. | श्री राजेन्द्र सिंह, फेन्डसकालोनी, तल्ली हल्द्वानी, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल | 1802/2014 |
| 427. | श्री हयातसिंह अधिकारी, ग्राम पाटनपुल पो0ओ0 लोहाघाट, जिला–चम्पावत | 1809/2014 |
| 428. | श्री प्रभात कुमार, गली न0 डी–7, सुभाष नगर पो0 ज्वालापुर, हरिद्वार | 1810/2014 |
| 429. | श्री सुशील कुमार थपलियाल मार्फत श्री ओमप्रकाश जुयाल, गोविन्द नगर, कोटद्वार | 1813/2014 |
| 430. | श्री पूरननाथ पुत्र श्री रामनाथ, ग्राम–देवलातल्ला, पो0ओ0–कुंवरपुर, जिला–नैनीताल | 1815/2014 |
| 431. | श्री पल्टूराम प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज, चाम्यूंसैण, पो0 सौड़खेत, जिला–पौड़ीगढवाल | 1817/2014 |
| 432. | श्री तौकीर पुत्र श्री वहीद हसन, निवासी ग्राम–मेहूवालामाफी, विकास खण्ड–रामपुर, देहरादून | 1819/2014 |
| 433. | श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, ग्राम–भव्वानगला, पो0ओ0–केलाखेड़ा, जिला–ऊधमसिंहनगर | 1820/2014 |
| 434. | श्री वली अहमद पुत्र स्व0 किदाहुसैन, वार्ड न0–8, आजादनगर गदरपुर, तह0 गदरपुर, ऊधमसिंहनगर | 1825/2014 |
| 435. | श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्राम–तौली, पो0–लांघा, वाया–विकासनगर, जनपद–देहरादून | 1827/2014 |

| | | |
|---|---|---|
| 436. | श्री देवीप्रसाद सेमवाल, गली न0–17, प्रेमनगर, दिल्ली नियर | 1830 / 2014 |
| 437. | श्रीमती गणेशी देवी, एफ–202, नानकपुरा, नई दिल्ली | 1831 / 2014 |
| 438. | श्री दयानन्द प्रसाद चन्द्रा पुत्र श्री रामप्रसाद, ग्राम शिवलालपुरपाण्डे, तेलीपुरा रोड, पो0 रामनगर, जिला–नैनीताल | 1832 / 2014 |
| 439. | श्री राकेश देशवाल, एडवोकेट, कोर्ट कम्पाउन्ड, ऋषिकेश, जिला–देहरादून | 1833 / 2014 |
| 440. | श्री सुरेश सिंह महर पुत्र श्री बी0एस0 महर, ग्राम पंचायत– उचौलीगोढ, पो0 टनकपुर, जिला–चम्पावत | 1834 / 2014 |
| 441. | श्री नवीन राणा, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वर्गाश्रम जौंक, पौड़ी गढ़वाल | 1835 / 2014 |
| 442. | श्री प्रकाश सिंह, ग्राम–धूमखेड़ा, पो0 नानकमत्ता, जिला–ऊधमसिंहनगर | 1836 / 2014 |
| 443. | श्री संदीप सुखीजा, किशनपुर किच्छा, ऊधमसिंहनगर | 1838 / 2014 |
| 445. | श्री जगीर चन्द्र, ग्राम–बन्दरजूड़ा, पो0–बेलपोखरा, जिला–नैनीताल | 1840 / 2014 |
| 446. | श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार, गोविन्दपुर, पो0 गूलरभोज, जिला–ऊधमसिंहनगर | 1844 / 2014 |
| 447. | श्री चन्दन सिंह पुत्र धुरसिंह, ग्राम–डांग, पो0ओ0–घट्टी, तहसील–सल्ट, जिला–अल्मोड़ा | 1845 / 2014 |
| 448. | श्री प्रकाश सिंह, ग्राम–धूमखेड़ा, पो0ओ0–नानकमत्ता, जिला–ऊधमसिंहनगर | 1846 / 2014 |
| 449. | श्री विनोद कुमार शर्मा, 2126, लोधीरोड, काम्पलेक्स, नई दिल्ली | 1847 / 2014 |
| 450. | श्री गुरूप्रीतसिंह, नियम एल0आई0सी0 आफिस, डाकपत्थर रोड, विकासनगर, देहरादून | 1849 / 2014 |
| 451. | कु0 रंजना, रमा बिहार कालोनी, निकट धनीराम चक्की, ग्राम–जमालपुरकला, पो0ओ0–ज्वालापुर | 1850 / 2014 |
| 452. | श्री नरेन्द्र पुत्र श्री हरिसिंह, ग्राम–ढन्डेरा, तह0–रूड़ी, जिला–हरिद्वार | 1851 / 2014 |
| 453. | श्री हरिसिंह पुत्र श्री खुशाल सिं, ग्राम व पो0–जालली, तह0 द्वारहाट, जिला–अल्मोड़ा | 1856 / 2014 |
| 454. | श्री पवन कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अ0भा0अ0वि0परिषद, सुक्खूपुरा, सहारनपुर, उ0प्र0 | 1859 / 2014 |
| 455. | श्री सुरेन्द्र सिंह विष्ट, अध्यक्ष 'मृदुल' ग्राम/मोहल्ला पूछड़ी नयी बस्ती, पो0ओ0रामनगर, जिला–नैनीताल | 1860 / 2014 |
| 456. | श्री नारायण दत्त जोशी पुत्र श्री तारादत्त जोशी, ग्राम चकसैदुला, तल्ली पोखरी, तह0धारी जिला–नैनीताल | 1861 / 2014 |
| 457. | श्री योगेश कुमार फेस–दो राजेश्वरी कोलीनी, पो0ओ0–पटेलनगर, देहरादून | 1862 / 2014 |
| 458. | श्री सुरेश प्रजापति, ग्राम–शंकरपुर, पो0 कैंचीवाला, सहसपुर, देहरादून | 1864 / 2014 |
| 459. | श्री युगल किशोर पुत्र श्री खीमानन्द, ग्राम व पो0 पहीं–बबियाड़ धारी, तहसील–धारी, जिला–नैनीताल | 1866 / 2014 |
| 460 | श्री भूपेन्द्र कुमार, जिलाध्यक्ष, देहरादून, ने0ए0फो0फारसो0ज0रा0उपा0ह्यू0रा0फोर0 देहरादून | 1867 / 2014 |
| 461. | श्री नरेश कुमार वर्मा पुत्र स्व0 श्री रोहताश वर्मा, आदर्श कालोनी, लक्सर, हरिद्वार | 1868 / 2014 |
| 462. | श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री शरण गिरि, चैम्बर न0–349 अधिवक्ता कक्ष परिसर जिला एवं सत्र न्यायालय रोनाबाद, जिला–हरिद्वार | 1869 / 2014 |
| 463. | श्री बाबू पुत्र श्री इमामबख्श, ग्राम–बैतवाला, पो0 सूडा, तह0 जसपुर, जनपद–ऊधमसिंहनगर | 1870 / 2014 |
| 464. | श्री अमजद अली, आर0टी0आई0 कार्यकर्ता, लोधामण्डी, ज्वालापुर, हरिद्वार | 1872 / 2015 |
| 465. | श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री बिशनसिंह महर अस्पताल रोड, टनकपुर, जिला–चम्पावत | 1873 / 2015 |
| 466. | श्री गौरव सिंह चौहान, ग्राम–बुडोगी, श्रीकोट, पो0ओ0–पागरखाल, जनपद–टिहरी गढ़वाल | 1874 / 2015 |
| 467. | श्रीमती राधिका देवी पत्नी श्री कृष्णानन्द जोशी, ग्राम–चकसैदला, पो0–तल्ली पोखरी, वि0ख0–ओखलकांडा जिला–नैनीताल | 1875 / 2015 |
| 468. | श्री प्रमोद कुमार डोभाल, प्रवक्ता, आर0टी0आई, क्लब, उत्तराखण्ड "श्यामकुंज" देवऋषि एन्कले, देहराखास, देहरादून। | 1876 / 2015 |
| 469. | श्री योगेशकुमार, राजराजेश्वरी कालोनी, विद्या विहार फेज–दो, पो0ओ0–पटेलनगर, देहरादून | 1877 / 2015 |

| | | |
|---|---|---|
| 470. | श्री डी0एस0 बोरा, पपोल जनरल स्टोर, गोरा पड़ाव, पो0ओ0 अर्जनपुर, हल्द्वानी, नैनीताल | 1878 / 2015 |
| 471. | श्री दलवीर सिंह कनवासी, आर0टी0आई0 कार्यकर्ता, ग्राम बन्दरखण्ड, पो0ओ0 गौचर, जनपद–चमोली | 1879 / 2015 |
| 472. | श्री एस0पी0नौटियाल, सीनियर सिटिजन, काम्पलेक्स, 8–पुरानी मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून | 1880 / 2015 |
| 473. | श्री रघुवीर सिंह नेगी, ग्राम–चरी, पो0ओ0–काण्डई, नन्दप्रयाग, जनपद–चमोली | 1883 / 2015 |
| 475. | सुश्री कमला देवी, प्रधान, ग्राम सभा–नौगॉव, पो0–नोवाडा, तह0 चौखुटिया, जिला–अल्मोड़ा | 1887 / 2015 |
| 476. | श्री संदीप सुखीजा, किशनपुर, किच्छा, ऊधमसिंहनगर | 1888 / 2015 |
| 477. | श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री एस0पी0 शर्मा, मौहल्ला–महलवाला अमरकली बंगला, पोस्ट– हल्दौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश | 1908 / 2015 |
| 478. | श्री मनमोहन सिंह धनई, पार्षद, वार्ड नं0–36, अजबपुर, नगर निगम, देहरादून | 1911 / 2015 |
| 479. | अपील स्थानान्तरण संबंधी पत्रावली | 1912 / 2015 |
| 480. | श्री विनोद कुमार मंगल, दौलताबाद हाउस, लन्ढौर कैन्ट, मंसूरी | 1915 / 2015 |
| 481. | श्री आर0पी0 पैन्यूली, अध्यक्ष, से0नि0 राजकीय पैन्सनर्श संगठन, भिलंगना, पैन्यूली सदन श्रीकोट, पोस्ट–सिल्यारा (घनसाली) | 1916 / 2015 |
| 482. | श्री शशिपाल सिंह, ग्राम व पोस्ट–रुद्रपुर, विकास नगर, देहरादून | 1917 / 2015 |
| 483. | श्री जी0सी0 पडलिया, ग्राम–पाडली, पोस्ट–रातीघाट, जिला नैनीताल | 1920 / 2015 |
| 484. | श्री गिरीश चन्द्र पोखरिया पुत्र श्री जगदीश चन्द्र पोखरिया, ग्राम मल्ली पोखरी, पोस्ट– तल्ली पोखरी, तहसील धारी, वि0ख0 ओखलकॉडा, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड | 1921 / 2015 |
| 485. | श्री डी0पी0एस0 गुसाई, आर0टी0आई0 / सामाजिक कार्यकर्ता, 84 कालिन्दी एन्कलेव, बल्लीवाला चौक, देहरादून | 1923 / 2015 |
| 486. | श्री दुर्गा प्रसाद नौटियाल द्वारा ज्योती प्रसाद, नीलम सदन, 81 निरंजनपुर, पोस्ट–कांवली, देहरादून | 1924 / 2015 |
| 487. | श्रीमती जसबीर कौर, सभासद, न0पा0, मसूरी, राधा भवन इष्टेट स्प्रिंग रोड, मसूरी, जिला देहरादून | 1926 / 2015 |
| 488. | श्री सुरेन्द्र सिंह रावत द्वारा श्री के0एन0 पन्त, म0नं0 2बी, संजय कालोनी, देहरादून | 1927 / 2015 |
| 489. | श्री धीरज वशिष्ठ, बी–26 राज विहार, फेज–1 जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार | 1929 / 2015 |
| 490. | श्री प्रशान्त चौधरी, 308बी राज विहार, फेज–1 जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार | 1930 / 2015 |
| 491. | श्री सुलेख चन्द पुत्र श्री फूल चन्द, ग्राम मानक माजरा, पोस्ट हाल्लू माजरा, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार | 1935 / 2015 |
| 492. | श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री बीरेन्द्र पाल सिंह भण्डारी, निवासी ऐथा, पटवारी क्षेत्र त्रिशूल, तहसील पोखरी, जिला चमोली | 1936 / 2015 |
| 493. | श्री सत्यपाल चढ्ढा, महामंत्री ब्लाक कांग्रेस(इ) चकराता, 158 सदर बाजार, चकराता, देहरादून | 1937 / 2015 |
| 494. | श्री विजेन्द्र दत्त सकलानी ग्राम व पोस्ट रुद्रपुर वाया सहसपुर,तह0 विकासनगर,देहरादून | 1938 / 2015 |
| 495. | श्री अश्वीन कुमार तॉबर पुत्र श्री कुंवर पाल सिंह, ग्राम मथाना, पो0 दाबकी कला, जिला हरिद्वार | 1947 / 2015 |
| 496. | श्री बलबीर सिंह, ए / 5 / 60 सेक्टर 18, रोहिणी दिल्ली | 1948 / 2015 |
| 497. | श्री विक्रम नेगी, 49 साउथ, गणेष नगर, स्ट्रीट नं0–7, पडपड़गंज रोड, दिल्ली | 1949 / 2015 |
| 498. | श्री नन्दन सिंह नयाल, टंकक / डा0ई0आ0, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड | 1951 / 2015 |
| 499. | श्री संजय कुमार बूड़ाकोटी, राज्य आन्दोलनकारी, 218 इन्दिरा नगर, ऋषिकेश | 1952 / 2015 |
| 500. | श्री धीरज कुमार, ग्राम कांवली मस्जिद के पास, देहरादून | 1953 / 2015 |
| 501 | श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री खुशीराम निवासी सेलाकुई (बायॉ खाला), देहरादून | 1958 / 2015 |
| 502. | श्री मोहन सिंह धनई, पार्षद वार्ड सं0–36, अजबपुर कला, देहरादून | 1959 / 2015 |
| 503. | श्री नितिन कुमार चौहान पुत्र श्री अशोक कुमार चौहान, ग्राम अलीपुर, पोस्ट–बहादराबाद, जिला–हरिद्वार, उत्तराखण्ड | 1960 / 2015 |

| | | |
|---|---|---|
| 504. | श्री देवेन्द्र रावत, सी–7 श्री राधा प्लाट–3, सेक्टर–9, द्वारिका, नई दिल्ली | 1964 / 2015 |
| 505. | श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, ग्राम व पोस्ट–चपलोड़ी, वि0ख0–पाबौ, जनपद–पौड़ी गढ़वाल | 1966 / 2015 |
| 506. | श्री इन्द्रमणी बौड़ाई, टाईप–1, म0नं0–2, पी0आर0डी0 कालोनी, तपोवन, देहरादून | 1967 / 2015 |
| 507. | श्री मदन मोहन कंसवाल, एडवोकेट, खैरीखुर्द, श्यामपुर, पो0 सत्यनारायण, ऋषिकेश | 1968 / 2015 |
| 508. | श्री रविन्द्र शर्मा, प्रोफेसर एवं प्रोजेक्ट डारेक्टर, प्रशासनिक विभाग, राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर | 1969 / 2015 |
| 509. | श्री बृजमोहन सिंह चौहान, 115 वाणी विहार, अधोईवाला, रायपुर रोड़, देहरादून | 1970 / 2015 |
| 510. | श्री सन्दीप पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सागर, ग्राम व पो0–नौगवाठग्गू, निकट ममता कालोनी, मुण्डेली चौराहा, तहसील–खटीमा, जिला–उधमसिंहनगर | 1972 / 2015 |
| 511. | श्री एस0के0 पाण्डे, म0नं0–106 / 8, गली नं0–20, मो0 गंगानगर (सोमेश्वर मंदिर प्लाट के पीछे) ऋषिकेश, देहरादून | 1973 / 2015 |
| 512. | ठे0 अतर सिंह चौहान पुत्र श्री जगत सिंह चौहान, पहाड़ी गली, निकट शान्ति धाम, नहर पार जौनसारी कालोनी, विकास नगर, देहरादून | 1974 / 2015 |
| 513. | श्री प्रभाकर पोखरियाल, आर–2–26 पी / 42, गली नं0–40, इन्द्रा पार्क, पालम कालोनी नई दिल्ली–45 | 1979 / 2015 |
| 514. | श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री अशोक पाल सिंह, ग्राम–ढ़न्ढेरा, पोस्ट–मिलापनगर, रूड़की, जनपद हरिद्वार | 1983 / 2015 |
| 515. | श्री राकेश कुमार सेमवाल, समीक्षा अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड | 2006 / 2015 |
| 516. | श्रीमती जशोदा भट्ट, मार्फत रमेश चन्द्र शर्मा, स्टेशन रोड़, नजदीक हनुमान मंदिर, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड | 2007 / 2015 |
| 517. | श्री फईम मियां पुत्र श्री जाहिद मियां, नि0वार्ड नं0–6, इस्लाम नगर, गदरपुर, तहसील–गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर | 2009 / 2015 |
| 518. | श्रीमती सुनीता देवी पत्नी राम प्रसाद, नि0 ग्राम–बैंतवाला, पोस्ट–कुण्डा, तहसील–गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर | 2010 / 2015 |
| 519. | श्री सुलेख चन्द पुत्र श्री फूल चन्द्र, ग्राम मानक माजरा, पो0–हाल्लू माजरा, विकास खण्ड–भगवानपुर, तहसील भगवानपुर, हरिद्वार | 2012 / 2016 |
| 520. | श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री सुनेहरा सिंह, गा0 अजीतपुर, डा0–मिस्सरपुर, हरिद्वार | 2016 / 2016 |
| 521. | श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री बीर सिंह, ग्राम व पोस्ट–शाहपुर, शीतलाखेड़ा, हरिद्वार | 2017 / 2016 |
| 522. | श्री रघुबीर सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री शेर सिंह रावत, ग्राम–हंसूडी, पोस्ट–नैथाना, जनपद–पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड | 2018 / 2016 |
| 523. | श्री राजेन्द्र सिंह, नई बस्ती, आशारोड़ी, पो0–क्लेमेन्ट टाऊन, देहरादून | 2020 / 2016 |
| 524. | श्री विकास भाटिया पुत्र श्री रमेश चन्द्र, नि0मोहल्ला नेचलगढ़, कस्बा–देवबन्द,सहारनपुर | 2022 / 2016 |
| 525. | श्री मो0 मोईन हमीद सिद्दकी पुत्र श्री हमीउद्दीन सिद्दकी, निवासी–178 / 1, नारायण विहार, टी0एच0डी0सी0 कालोनी, फेस–2, कारगी रोड़, देहरादून | 2024 / 2016 |
| 526. | श्री जतन सिंह पंवार, एडवोकेट, चै0नं0 188 सिविल कोर्ट, न्यू रामनगर, रुड़की | 2025 / 2016 |
| 527. | श्री मनीष पाटिल पुत्र स्व0श्री दीपक पाटिल, डी0–146, गली नं0–5, सौरभ विहार, जैतपुर नई दिल्ली | 2027 / 2016 |
| 528. | श्री दीपक ध्यानी, कमला नेहरू मार्ग, दुगड्डा गढ़वाल, जिला–पौड़ी गढ़वाल | 2028 / 2016 |
| 529. | सुश्री गीता तडियाल, पत्नी श्री कुबेर सिंह, ग्राम–सौनजाला, पोस्ट–कोटाबाग, नैनीताल | 2030 / 2016 |
| 530. | श्री यशवन्त सिंह, चै0नं0–8ए व 9ए प्रथम तल, सिविल कोई, रामनगर, रूड़की, हरिद्वार | 2034 / 2016 |
| 531. | श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बाबू राम, क्वाटर नं0–137, आईप–2, सेक्टर–4, बी.एच. ई.एल, | 2036 / 2016 |
| 532. | श्री दीपक प्रताप जाटव, वरिष्ठ सम्पादक, हिन्दुस्तान न्यूज, प्लाट नं0–3, न्यू फैन्ड्स कालोनी, अपोजिट कनिष्क हास्पिटल, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून | 2037 / 2016 |
| 533. | श्री मोहम्मद असफाक हुसैन, शानू इण्टर प्राईजेज, बनबसा, पाटनी तिराहा, चम्पावत | 2039 / 2016 |

| | | |
|---|---|---|
| 534. | श्री मोहम्मद नवी अंसारी पुत्र श्री मोहम्मद अहमद अंसारी, निवासी बनबसा, चम्पावत | 2040 / 2016 |
| 535. | श्री सुभाष गुरर्म, बी–22, सी.बी.आर.आई. कालोनी, रूड़की, हरिद्वार | 2041 / 2016 |
| 536. | श्री यतेन्द्र नवानी पुत्र श्री मोहन लाल नवानी, ग्राम व पत्रा0–गवांणी, पोखड़ा, पौड़ी | 2043 / 2016 |
| 537. | श्रीमती हेमलता देवी पत्नी श्री मदन सिंह, ग्राम व पोस्ट– दुजाना (जाटव मौहल्ला) जनपद गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। | 2048 / 2016 |
| 538. | श्री अमित ब्रहमेश (एड0) सिविल कोर्ट परिसर काशीपुर, जिला–ऊधमसिह नगर | 2049 / 2016 |
| 539. | श्री आशीष किमोठी, पत्रकार लोअर कालाबड, नियर हैप्पी होम स्कूल कोटद्वार, पौडी गढवाल | 2050 / 2016 |
| 540. | चन्द्रमणी पैन्यूली, ग्राम खैरीखुर्द (पाण्डे प्लाट) पो0 सत्यनारायण मन्दिर जिला–देहरादून | 2072 / 2016 |
| 541. | श्री शिवओम कौशिक, 20 चमन विहार, निरंजनपुर, देहरादून | 2075 / 2016 |
| 542. | श्री सुधीर कुमार सुनेहरा कार्यालय अनु0 जाति वि0, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उत्तराखण्ड राजीव भवन, देहरादून | 2077 / 2016 |
| 543. | श्याम लाल पुत्र नकली, निवास ग्राम–गदरजुड्डा, थाना कोतवाली मंगलौर, तहसील रूडकी जनपद हरिद्वार | 2079 / 2016 |
| 544. | श्री तारा दत्त गौड़ बी–1 / 333 न्यू कोण्डली, दिल्ली–96 | 2081 / 2016 |
| 545. | श्री शीशपाल उर्फ छोटा पुत्र स्व0 श्री आशराम, ग्राम–गदरजुड्डा, पो0 मंगलौर जिला हरिद्वार | 2083 / 2016 |
| 546. | भाष्कर नगरकोटी द्वारा श्री सुरेश जोशी, पूर्व माहमंत्री भाजपा एवं वर्तमान आवेदक विधायक भाजपा पिथौरागढ | 2088 / 2016 |
| 547. | श्री रवि प्रकाश सैनी, सिविल कोर्ट परिसर, काशीपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर | 2090 / 2016 |
| 548. | मुमताज पुत्र श्री अजमल, बी0पी0एल0 कार्ड धारक ग्राम मिर्जापुर मुस्ताफाबाद पो0 मरगूबपुर बाया रूडकी जिला हरिद्वार | 2093 / 2016 |
| 549. | जितेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री लखपत सिंह, हाल पता जिला कारागार देहरादून | 2095 / 2016 |
| 550. | संन्दीप कपूर यू 23 / 4 ग्राउन्ड फ्लोर पिंक टाउन हाउस गुडगॉव हरियाणा | 2096 / 2016 |
| 551. | गॉधीवादी गोविन्द गोपाल कौशिक मुख्य कार्यालय न्य आर्दश नगर रूडकी हरिद्वार | 2097 / 2017 |
| 552. | राजेन्द्र कुमार द्वारा अधिवक्ता रविप्रकाश एडवोकेट सिविल कोर्ट परिसर काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर | 2098 / 2016 |
| 553. | श्री शिवलाल रस्तोगी नामित सभासद पूर्व जिलाध्यक्ष उत्तराखण्ड कान्तिदल खटीमा पुरानी सेलटेक्स गली, पंचमुखी मन्दिर वार्ड नं–1 खटीमा ऊधमसिंह नगर | 2100 / 2016 |
| 554. | श्री जुबैर आलम पुत्र मनसब अली, ग्राम मिर्जापुर, मुस्ताफाबाद पो0 मरगूबपुर, तहसील रूडकी जिला हरिद्वार | 2101 / 2016 |
| 555. | संजय मोहन, कमला नेहरू मार्ग दुगड्डा पौड़ी गढवाल | 2102 / 2016 |
| 556. | अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री पहलाद निवासी इन्द्रा कालोनी काठगोदाम जनपद नैनीताल | 2103 / 2016 |
| 557. | संजय कण्डवाल, कमला नेहरू मार्ग दुगड्डा, पौड़ी गढवाल | 2104 / 2016 |
| 558. | रविन्द्र सिंह रावत जी0 / 29 गणेश विहार अजबपुर खुर्द जिला देहरादून | 2105 / 2016 |
| 559. | महेन्द्र सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह निवासी ग्राम बखपुर, पो0 सूर्यनगर तहसील किच्छा ऊधमसिंहनगर | 2107 / 2016 |
| 560. | अकरम खान ग्राम मूड महोलिया निकट जमुना अस्पताल पिलीभीत रोड खटीमा ऊधमसिंहनगर | 2108 / 2016 |
| 561. | राम सुमग सिंह, शान्ताराम हस्पिटल लो0एम0एम0 इण्टर कालेज गेट के सामने रूडकी हरिद्वार | 2110 / 2016 |
| 562. | अपना परिवार सामाजिक संगठन पता डी0ए0वी0 कालेज रोड देहरादून | 2112 / 2016 |

| | | |
|---|---|---|
| 563. | मो0 सलिम पुत्र मो0 शाफीक ला0न0–12 आजाद नगर हल्द्वानी नैनीताल | 2114 / 2016 |
| 564. | लक्ष्मण सिंह रावत से0नि0 वन रेंजर ई0 59 जज फार्म हल्द्वानी नैनीताल | 2116 / 2016 |
| 565. | श्रीमती शशि रावत, सभासद, नगर पालिका परिषद मसूरी | 2118 / 2016 |
| 566. | सरजू प्रसाद त्यागी पिटीशन राईटर चैम्बर न0 9 तहसील परिसर तहसील एवं जिला हरिद्वार | 2120 / 2016 |
| 567. | श्रीमती अनीता बहल पत्नी श्री श्रवण कुमार बहल निवासी आदित्यानन्द मार्ग ऋषिकेश | 2122 / 2016 |
| 568. | विजय नाथ / श्री जगदीश नि0म0स0 163 सपेरा वस्ती नाला पानी रायपुर देहरादून। | 2123 / 2016 |
| 569. | अशोक कुमार मोती बाजार दुगड्डा पौडी गढवाल | 2127 / 2016 |
| 570. | श्री सुरेन्द्र दत्त जोशी, आर0टी0आई0 व समाजिक कार्यकर्ता ग्राम व पोस्ट कालसी बाजार देहरादून। | 2128 / 2016 |
| 571. | प्रतीक भाटिया एडवोकेट पुत्र श्री चन्द्र मोहन भाटिया चैम्बर न0 4 ब्लाक 14 श्री आर0 के0 सिन्हा सिविल कोर्ट कम्पाउन्ड देहरादून। | 2129 / 2016 |
| 572. | संजीव कुमार, दिव्य कुमार ले0न0–02 म0न0 36 लोअर राजीव नगर डाकघर नहेरूग्राम देहरादून | 2130 / 2016 |
| 573. | श्रीमती सवित्री देवी पत्नी स्व0 हिरा सिंह ग्राम व पोस्ट–रूडोली पट्टी बल्ल, चकोट अल्मोडा | 2132 / 2017 |
| 574. | श्री रणजय कुमार सिंह, नेशनल नगर पथरा झारखण्ड। | 2134 / 2016 |
| 575. | श्री विजय सिंह, एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रूद्रपुर ऊधम सिंह नगर | 2135 / 2017 |
| 576. | श्री राहुल कुमार मं0स0'1 / 5913 निकट आई0टी0सी0 गेट सहारनपुर उत्तर प्रदेश | 2137 / 2017 |
| 577. | श्री उमा शंकर पाण्डे पुत्र धर्मराज पाण्डे, सिद्धदोष बन्दी जिला कारागार देहरादून। | 2138 / 2017 |
| 578. | श्री वरूण दत्त पुत्र श्री सुशील कुमार निवास सोसायडी रोड लक्सर हरिद्वार | 2139 / 2017 |
| 579. | श्री विनोद कुमार मौर्य पुत्र श्री सुन्दर लाल ग्राम–गगन पो0–बन्छौली थाना औरास जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश | 2140 / 2017 |
| 580. | श्री यशभूषण शर्मा, सचिव आर0टी0आई क्लब उत्तराखण्ड 827 / सिरमौर मार्ग कौलागढ देहरादून | 2141 / 2017 |
| 581. | श्री सैन सिंह नेगी, कोहिनूर बुल्डिंग लन्दौर बाजार मसूरी देहरादून। | 2142 / 2017 |
| 582. | श्री कपिल कुमार अग्रवाल, एडवोकेट जानकी नगर कोटद्वार पौडी गढवाल | 2143 / 2017 |
| 583. | श्री मोहन नेगी, बी–112 ऋषि विहार, पो0 मेहूवाला माफी देहरादून। | 2144 / 2017 |
| 584. | अनीषा नेगी, बी0–112 ऋषि विहार, पो0 मेहूवाला माफी देहरादून। | 2146 / 2017 |
| 585. | श्री सन्नी सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, निवास मिल्सरवाला, डोईवाला, देहरादून। | 2148 / 2017 |
| 586. | कु0 पूजा पुत्री श्री अनुसया प्रसाद उनियाल, पता– राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय तलवाडी थराली, चमोली | 2149 / 2017 |
| 587 | श्री गुलाब सिंह पुत्री श्री नकलीराम ग्राम छक्कडकला पो0 अम्बूवाला–जनपद–हरिद्वार | 2150 / 2017 |
| 588. | मो0 कासिम पुत्र श्री तालीन अहमद मो0 जमनपुर, सेलाकुंई वि0ख0 सहसपुर त0 विकासनगर देहरादून। | 2151 / 2017 |
| 589. | श्री ए0सी0 जैन, एडवोकेट, 103 पुष्पाजति विकास मार्ग एक्सटेशन दिल्ली–110092 | 2152 / 2017 |
| 590. | श्री बलविन्दर सिंह शोखो, एड0 पुत्र स्व0 वख्शीश सिंह, तीन पानी, किच्छा, बाईपास रोड शुक्ला फार्म रूद्रपुर उधमसिंहनगर। | 2154 / 2017 |
| 591. | श्री सुमित नैथानी, पता– सुन्दरवाला, रायपुर, देहरादून। | 2155 / 2017 |
| 592. | श्री अशोक पाल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह ग्राम– ढन्देरा, पो0–मिलापनगर, तहसील–रूडकी, जनपद–हरिद्वार | 2157 / 2017 |
| 593. | श्री मोबीन हसन पुत्र श्री नूरहसन ग्राम– तेलपुरा, पो0– बिहारीगढ, त0–भगवानपुर, हरिद्वार | 2180 / 2017 |
| 594. | श्री अख्तर अली, द्वारा ताहिर हसन, पूर्व प्रधान ग्राम–टाकी, प्राथमिक स्कूल के सामने पो0–सहसपुर, देहरादून। | 2182 / 2017 |

| | | |
|---|---|---|
| 595. | श्री मनोज कुमार मौर्य पुत्र श्री कुंवरपाल मौर्य, निवासी–मौर्य निवास, संजयनगर, हाथीखाना, पो0– लालकुंआ, जिला–नैनीताल | 2183 / 2017 |
| 596. | श्रीमती सुरेखा पत्नी बाबूराम, निवासी–गदर जूड्डा, पो0–मंगलौर, जनपद–हरिद्वार | 2184 / 2017 |
| 597. | श्री हेम चन्द्र कपिल, मुखानी हल्द्वानी, जिला–नैनीताल | 2185 / 2017 |
| 598. | श्री पवन कुमार, अध्यक्ष, बो0जा0 समिति, निवासी केदारावाला, विकासनगर, देहरादून। | 2186 / 2017 |
| 599. | श्री मदन लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी ग्रा0 / पो0–बहादराबाद, जिला–हरिद्वार। | 2187 / 2017 |
| 600. | श्री वाहिद हुसैन पुत्र श्री जाहिद हुसैन, निवासी– मोहल्ला, महेशपुरा, काशीपुरा, जिला–उधमसिंहनगर। | 2191 / 2017 |
| 601. | श्री गंम्भीर सिंह चौहान, ग्राम–नौटी, त0–पुरोला, जिला–उत्तरकाशी। | 2192 / 2017 |
| 602. | श्री अरूण कुमार वर्मा, ले0न0–06 तपोवन रोड, रायपुर, देहरादून। | 2193 / 2017 |
| 603. | भगवती साणी पुत्री श्री लाल सिंह साणी, ग्राम–खडकतथा, पो0–जयराम बाखल, अल्मोड़ा | 2194 / 2017 |
| 604. | श्री बाबूराम पुत्र श्री आशाराम, ग्राम–गदरजूड्डा, पो0–मंगलौर, जिला–हरिद्वार। | 2195 / 2017 |
| 605. | श्री अनिल, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पो0–अम्बीवाला, प्रेमनगर चायबाग, देहरादून। | 2196 / 2017 |
| 607. | श्रीमती सौम्या वर्मा, डी–205 यूएनईएससीओ अप्राट्मेन्ट 55 आईपी एक्सेटंशन, नई दिल्ली। | 2198 / 2017 |
| 608. | श्री सूरज सिंह रावत, कारगी ग्रान्ट, शिवालिक एन्चलेव लाइन–2 नियर रिलांन्यस टावर, देहरादून। | 2201 / 2017 |
| 609. | श्री मदन लाल, समीक्षा अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड। | 2202 / 2017 |
| 610. | श्री अनुज कुमार गर्ग द्वारा राधाकृष्ण स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेट,28 सिविल लाइन, रूडकी हरिद्वार। | 2203 / 2017 |
| 611. | श्री दीपक कुमार त्यागी, एडवोकेट, 58 लॉ चैम्बर बिल्डिंग सिविल कोर्ट मेरठ। | 2204 / 2017 |
| 612. | श्री प्रकाश पाण्डे पुत्र श्री लक्ष्मी पाण्डे, केन्द्रीय कारागार, सितारगंज, उधमसिंहनगर। | 2205 / 2017 |
| 613. | श्री रविन्द्र कुमार वर्मा पुत्र स्व0 श्री हरपाल सिंह वर्मा, नि0 50 एम0आई0जी, न्यू आवास विकास, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। | 2207 / 2017 |
| 614. | रामचन्द्र सिंह पंवार पूर्व नगर मण्डल अध्यक्ष, भाजपा द्वारा पंवार स्वीट्स शॉप वार्ड नं0–05 नगर पंचायत पुरोला उत्तरकाशी। | 2208 / 2017 |
| 615. | श्री विजयपाल सिंह रावत पूर्व सैनिक जिला संयोजक रूद्रप्रयाग, ग्रा0 ढालवाला, वार्ड नं0 04 पो0–ढालवाला, जिला–टिहरी गढवाल। | 2209 / 2017 |
| 616 | श्रीमती सपना सिंह मं0न0 494, आर्य समाज मन्दिर के पास रामनगर, रूडकी हरिद्वार। | 2213 / 2017 |
| 617 | श्री अजय सिंह, मं0न0 494, आर्य समाज मन्दिर के पास रामनगर, रूडकी हरिद्वार। | 2214 / 2017 |
| 618 | श्री पवन नौटियाल, अध्यक्ष भाजपा नगर मण्डल वार्ड नं0–01 न0पं0 पुरोला, जिला–उत्तरकाशी | 2216 / 2018 |
| 619 | श्री विकास रावत, ग्राम– जगतपुरी पट्टी, पोस्ट– जसपुर, जिला–ऊधमसिंहनगर | 2217 / 2017 |
| 620 | श्री कासिम खान, अलसाबरी बैलफेयर सोसायटी, राष्ट्रीय कार्यालय–अलसाबरी निवास पिरान कलियार शरीफ, रूडकी हरिद्वार। | 2225 / 2017 |
| 621 | श्री श्याम सिंह राजपूत, ग्राम–भानियावाला आरकेडियाग्रान्ट, पो0–बड़ोवाला, देहरादून। | 2226 / 2017 |
| 622 | श्री रामेश्वर प्रसाद लेखाडा, ग्राम व पोस्ट–जाखन पट्टी, बारजूला, त0–कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल। | 2228 / 2017 |
| 623 | श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री झगड़ूराम निवासी वाल्मिकी नगर रेलवे रोड, ऋषिकेश, देहरादून। | 2231 / 2017 |
| 624 | श्री अनिल बहुखण्डी, ढालवाला, टिहरी गढवाल। | 2232 / 2017 |
| 625 | श्री राजपाल गगवार, एडवोकेट चैम्बर नं0–47 ब्लाक–2 चौधरी नैन सिंह बिल्डिंग नियर बार एसोसियन भवन, कोर्ट कम्पाउड, देहरादून। | 2233 / 2017 |
| 626 | श्री मारकन्डेय राम, 234 / 2 चन्देश्वर मार्ग, मायाकुण्ड, ऋषिकेश, देहरादून। | 2235 / 2017 |

| | | |
|---|---|---|
| 627 | श्री कृपाल सिंह मेहरा, ग्रा0–दलीपपुर पो0– लोकमणीपुर, कोटद्वार, गढवाल। | 2236 / 2017 |
| 628 | श्री विनय कुमार सैनी पुत्र श्री चमनलाल, ग्रा0– ज्वाहरखान उर्फ झीबरहैडी, पो0–सुल्तानपुर कुन्हारी, जनपद–हरिद्वार। | 2237 / 2017 |
| 629 | श्री नवीन जुगडी, छात्र संघ अध्यक्ष, ग्राम–पोलगॉव, पो0–बडकोट, त0– बडकोट, ब्लॉक–नौगॉव, उत्तरकाशी। | 2239 / 2017 |
| 630 | श्री मौहम्मद इरफान पुत्र श्री रोहढा, निवासी ग्राम–चौल्ली परगना,तहसील–भगवानपुर, जिला– हरिद्वार। | 2245 / 2017 |
| 631 | श्री अनिल कुमार गुप्ता,89 / 1, चन्द्रेश्वर मार्ग, मायाकुण्ड, ऋशिकेष, जनपद–देहरादून, उत्तराखण्ड। | 2246 / 2017 |
| 632 | श्रीमती माहेश्वरी देवी पत्नी स्व0 श्री धन सिंह चौहान,निवास–नवोदय नगर, शिव गंगा विहार,फेज–3 गली नम्बर–9, रोशनाबाद,जिला– हरिद्वार (उत्तराखण्ड) । | 2247 / 2017 |
| 633 | श्री योगेश शर्मा, ज्योति भवन, 14 मालवीय मार्ग, ऋशिकेश, उत्तराखण्ड | 2248 / 2017 |
| 634 | श्री विजयपाल सिंह मेहरा, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, लोकमणीपुर सिगडडी, तहसील–कोटद्वार,जिला–पौड़ी गढवाल। | 2249 / 2018 |
| 635 | खुशी भारती थापा, (शोध छात्रा) राजनीति विज्ञान, गंगा हायर स्टडी होस्टल, चौरास कैम्पस, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल। | 2253 / 2018 |
| 636 | श्री अशफाक अली खॉ, 5 / 2, मुस्लिम कालोनी, रीठा मंडी, देहरादून। | 2257 / 2018 |
| 637 | श्री यशपाल राजहंस पुत्र श्री चन्द्रपाल, नि0–केशवनगर, वार्ड–6, बाजपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड। | 2258 / 2018 |
| 638. | श्री पुरूषोत्तम कोली पुत्र स्व0 श्री प्रेमशंकर कोली, वार्ड नं0–08, रम्पुरा निकट कटोरी, मन्दिर, रूद्रपुर, जिला– ऊधमसिंहनगर। | 2260 / 2018 |
| 639 | श्री अशोक विष्ट, एडवोकेट, नियर वाटर, विकास मार्ग, पौड़ी जिला–पौड़ी गढवाल। | 2261 / 2018 |
| 640 | श्री गौरव अग्रवाल पुत्र श्री सज्जन कुमार अग्रवाल, 76–देहरादून रोड, ऋशिकेश, जनपद–देहरादून। | 2262 / 2018 |
| 641 | श्रीमती नन्दी राणा पत्नी श्री मुखल्या सिंह राणा, तल्ला नैग्वाड़, निकट लीसा बैंड, गोपेश्वर, जिला–चमोली। | 2263 / 2018 |
| 642 | श्री अनिल उनियाल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद, ग्राम हरभजवाला, पोस्ट–मेहूंवाला, मंशादेवी गली नं0–2, नियर–मस्जिद चौक, जनपद देहरादून। | 2264 / 2018 |
| 643 | श्री त्रिभुवन सिंह चुफाल पुत्र श्री लाल सिंह चुफाल, ग्राम–चुपड़ाखेत, पो0–आदिचौरा, तहसील / वि0ख0–डीडीहाट, जिला–पिथौरागढ। | 2267 / 2018 |
| 644 | श्री हेतराम पुत्र श्री श्योनाथ सिंह, ग्राम–रामनगर, काशीपुर, डाकघर–कुण्डेश्वरी, विकास खण्ड–काशीपुर,जिला–उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड। | 2268 / 2018 |
| 645 | डॉ0 बर्मन पिता श्री सिताराम, निवासी–संत कृपाल नगर, रावली महदूद, पोस्ट–बहादराबाद, जिला– हरिद्वार। | 2269 / 2018 |
| 646 | श्री अजय वर्मा, मेन बाजार, लक्सर, जिला–हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) | 2270 / 2018 |
| 647 | श्री नागेश किशन राव ,निमकर, पता–लोक ईसरा, 1280, गाला नं0–2 एस0आर0आई0 काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्रा। | 2271 / 2018 |
| 648 | श्री नागेश किशन राव निमकर, पता–लोक ईसरा, 1280, गाला नं0–2 एस0आर0आई0 काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्रा। | 2272 / 2018 |
| 649 | श्री नागेश किशन राव निमकर, पता–लोक ईसरा, 1280, गाला नं0–2 एस0आर0आई0 काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्रा। | 2273 / 2018 |
| 650 | श्री नागेश किशन राव निमकर, पता–लोक ईसरा, 1280, गाला नं0–2 एस0आर0आई0 काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्रा। | 2274 / 2018 |
| 651 | श्री नागेश किशन राव निमकर, पता–लोक ईसरा, 1280, गाला नं0–2 एस0आर0आई0 काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्रा। | 2275 / 2018 |

| | | |
|---|---|---|
| 652 | श्री भगवत सिंह पंवार पुत्र श्री कुन्दन सिंह पंवार, ग्रा0पो0–चमियाला, टिहरी गढ़वाल। | 2276 / 2018 |
| 653 | मो0 इरफान, प्रधान पुत्र मो0 इसफाक, ग्राम–बडेपुर, पोस्ट–पिरान कलियार, त0–रूडकी, जिला–हरिद्वार। | 2277 / 2018 |
| 654 | श्री खुशवंत सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, विचारधीन बन्दी, जिला–कारागार, देहरादून। | 2278 / 2018 |
| 655 | श्री सरदार हर किशन, पता– तिरंगा एन्क्लेव सिंह निवास, मं0नं0–19, कैलाशपर, पो0–मेहूवाला माफी, देहरादून। | 2279 / 2018 |
| 656 | श्री भूषण सिह रावत, सचिव, सर्व हिताय संगठन, मंगलौर, जिला–हरिद्वार। | 2281 / 2018 |
| 657 | श्री संजय मोहन कंडवाल, पता–कमला नेहरू मार्ग, दुगड्डा, पौडी गढवाल। | 2282 / 2018 |
| 658 | श्री मनिन्द्र मण्डल पुत्र श्री शिवेन्द्र मण्डल, पिपलिया नं0–1 पो0–प्रेमनगर, तहसील–गदरपुर, जिला–उधमसिंहनगर। | 2284 / 2018 |
| 659 | श्री कृष्णपाल पुत्र श्री प्रेम सिंह निवास ग्राम–रोशनपुरी रावली महमदूद, तहसील व जिला–हरिद्वार। | 2285 / 2018 |
| 660 | श्री विनोद डोभाल, सी–17 सेक्टर–04 डिफैन्स कोलोनी, देहरादून। | 2287 / 2018 |
| 661 | श्रीमती रूचि देवी, पता–कमला नेहरू मार्ग, दुगड्डा, पौडी गढवाल। | 2289 / 2018 |
| 662 | श्री प्रकाश राम टम्टा, ग्राम– खर्कखाकी पोस्ट व जनपद– चम्पावत। | 2290 / 2018 |
| 663 | श्री पवन कुमार पुत्र स्व0 श्री मुख्यतार सिंह, निवासी–चॉदपुर पोस्ट–आर0टी0सी0 हेमपुर, तहसील– काशीपुर, जिला–उधमसिंनगर। | 2291 / 2018 |
| 664 | श्री अमित कुकरेती, रामनगर डांडा, पो0–थानों, जिला–देहरादून। | 2292 / 2018 |
| 665 | श्री स्वर्णिम राज सिंह कण्डारी पुत्र श्री जयराज सिंह कण्डारी, पता–शिवलोक लाडपुर, देहरादून। | 2293 / 2018 |
| 666 | श्री आर0के0गर्ग, अधिवक्ता, चैम्बर नं0–102 जेल रोड कोर्ट कम्पाउन्ड, देहरादून। | 2294 / 2018 |
| 667 | श्री विष्णु प्रसाद रतूडी, नियर ओ0बी0सी0 बैक के पास रायपुर, देहरादून। | 2297 / 2018 |
| 668 | श्री भागवत सिंह, एनएचपीसी, आवसीय परिसर, तपोवन धारचूला, पिथोरागढ। | 2298 / 2018 |
| 669 | श्री जे0एस0 रावत, एडवोकेट, चैम्बर 576–ए / एफ0एफ0 बेस्टन विंग तीस हजारी कोर्ट दिल्ली–54 | 2299 / 2018 |
| 670 | श्री आशीष चौहान, एडवोकेट, नई बिल्डिंग, चैम्बर–05 द्वितीय तल बार भवन के सामने कोर्ट कम्पाउन्ड, देहरादून। | 2300 / 2018 |
| 671 | श्री बादल प्रकाश, सभासद, छावनी परिषद् लण्ढौर, मसूरी, देहरादून। | 2301 / 2018 |
| 672 | सुश्री नीरा तिवाडी मं0नं0–141 पंडित वाडी फेस–2 देहरादून। | 2302 / 2018 |
| 673 | श्रीमती पूजा अरोरा पत्नी श्री आशीष अरोरा, निवासी मो0–शक्तिनगर, काशीपुर, उधमसिंहनगर। | 2303 / 2018 |
| 674 | श्री सत्यपाल गिरि पुत्र श्री चमन गिरि, 1164 शिवनगर रानी गली, भोपतवाला, हरिद्वार। | 2304 / 2018 |
| 675. | श्रीमती राधा राणा पत्नी स्व0 श्री श्याम सिंह राणा, निवासी–बलबीर रोड, देहरादून | 2305 / 2018 |
| 676. | श्री राकेश अधिकारी, शिवनगर वार्ड नं0–02 नियमर चमुन्डा देवी मन्दिर रूद्रपुर उधमसिंहनगर। | 2306 / 2018 |
| 677. | श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री मूलचन्द्र निवासी चन्दपुरी बॉगर, त0–लक्सर, हरिद्वार। | 2307 / 2018 |
| 678. | श्री रधुबीर सिंह रावत पुत्र श्री हुकुम सिंह रावत ग्राम–दिखोल गॉव मनियार पो0–चम्बा, टिहरी गढवाल। | 2309 / 2018 |
| 679. | श्री मुरारी सक्सेना होटल युवराज पैलेस सिडकुल रोड वार्ड नं0–2 सितारगंज उधमसिंहनगर। | 2429 / 2018 |
| 680. | श्री अखिलेख चन्द्र भारद्वाज, समामजिक कार्यकर्ता फ्रेन्डस कालोनी तल्ली हल्द्वानी नैनीताल। | 2431 / 2018 |

| | | |
|---|---|---|
| 681. | श्री राकेश कुमार पारछा, एड0 चैम्बर नं0–23 सिविल कोर्ट कम्पाउन्ड ऋषिकेश देहरादून। | 2433 / 2018 |
| 682. | श्री जहीर अंसारी, आर0टी0आई0 कार्यकर्ता लाईन नं–8 आजादनगर हल्द्वानी नैनीताल। | 2435 / 2018 |
| 683. | श्री पंकज गुप्ता, 547 बनखण्डी ऋषिकेश, उत्तराखण्ड। | 2436 / 2018 |
| 684. | श्री मनीष गुप्ता, सम्पादक राज्य निर्माण समाचार, महामाया ग्रुप जमना पैलेस रानीपुर मोड, हरिद्वार। | 2437 / 2018 |
| 685. | श्री ललित मोहन गोदियाल कनिष्ठ सहायक, पंचास्थानि चुनावालय, पौडी। | 2438 / 2018 |
| 686. | श्री शमसेर सिंह, एडवोकेट दीवान न्यायालय, बाजपुर उधमसिंहनगर। | 2438 / 2018 |
| 687. | श्री देवेन्द्र कुमार एडवोकेट, म0न0 03 / 353 कोहली गार्डन मोहिया पडाव हल्द्वानी नैनीताल। | 2443 / 2018 |
| 688. | श्री राजेन्द्र सिंह राणा ई–30 सुभाष विहार दिल्ली नोर्थ गोन्डा दिल्ली। | 2446 / 2018 |
| 689 | श्री सुमन ढोडियाल, समाजिक कार्यकर्ता ग्राम–सिलेत पो0–सिडियारवाल, पौडी। | 2447 / 2018 |
| 690 | श्री अरूण भदौरिया, एड0 चैम्बर न0–18 जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद, हरिद्वार। | 2448 / 2018 |
| 691 | श्री पुरूषोत्तम डोभाल सुनार गांव पो0–कोटी अतुरवाला, देहरादून। | 2450 / 2018 |
| 692 | श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावाल,देहरादून। | 2453 / 2018 |
| 693. | श्री नसीम अहमद, पुत्र श्री नसीर अहमद, नि0 बन्धारोड़ माहिग्रान, रुड़की, हरिद्वार। | 2454 / 2018 |
| 694 | श्री गोपाल सिंह राणा, आशुलिपिक, कार्यालय–जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला प्रबन्धक, उ0 बहुउददेशीय वित्त एवं विकास निगम, विकास भवन, लदाड़ी, उत्तरकाशी। | 2456 / 2018 |
| 695 | श्री आसिम अजहर, आर.टी.आई. कार्यकर्ता, सम्पादक, क्राइम का शिकंजा, ग्राम–मिस्सरवाला, पो.आ. कुण्डा, तहसील–काशीपुर, ऊधमसिंहनगर। | 2457 / 2018 |
| 696 | श्री राम गोपाल गुप्ता, देवभूमि आर.टी.आई. क्लब, हरिद्वार, गुघाल रोड, पांडेवाला, ज्वालापुर, हरिद्वार। | 2462 / 2018 |
| 697 | श्रीमती सुमन पत्नी श्री श्याम कुमार (संजय) पुत्र श्री राम आसरे, पता–116 / 21, चन्दन नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड। | 2463 / 2018 |
| 698 | एडवोकेट मौहम्मद नासिर, चैम्बर नम्बर–78, सिविल कोर्ट लकसर, जनपद–हरिद्वार। निवास स्थान ग्राम–नेहन्दपुर सुठारी, थाना कोतवाली लक्सर, जिला हरिद्वार | 2464 / 2018 |
| 699 | श्री अनिल चन्द्र बलूनी (आर.टी.आई. कार्यकर्ता), 19–C, सुभाष रोड, निकट डूगा हाउस, देहरादून | 2468 / 2018 |
| 700 | श्री कमल दुबे, प्लॉट नं0–03 न्यू फ्रेन्डस कॉलोनी, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून | 2475 / 2018 |
| 701 | श्री शमशेर अली, एडवोकेट, दीवानी न्यायालय, बाजपुर,जिला– ऊधमसिंहनगर, | 2478 / 2018 |
| 702 | श्री गणेश दत्त डुकलान पुत्र श्री सच्चिदानन्द डुकलान, नई बस्ती दौडवाला, पोस्ट–मोथरोवाला, देहरादून | 2479 / 2018 |
| 703 | श्री आशीष कुमार पिपानिया, 8 / 320, अस्पताल मार्ग, विकासनगर, देहरादून। | 2481 / 2018 |
| 704 | श्री ऋषित कुमार ग्रोवर, एडवोकेट, चैम्बर नं0–37 न्यायालय परिसर, ऋषिकेश, जिला– देहरादून | 2484 / 2018 |
| 705 | श्री संजय राणा, एडवोकेट, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ऑफिस अपोजिट एक्सिस बैंक, डोईवाला, देहरादून | 2488 / 2018 |
| 706 | श्री योगेश कण्डवाल, अधिवक्ता, सी0टी0एम0 कोर्ट कम्पाउण्ड, ब्लॉक–6 प्रथम तल चेम्बर–27, जिला न्यायालय, देहरादून | 2490 / 2018 |

| | | |
|---|---|---|
| 707 | श्री लीलाधर जोशी, पुत्र श्री माधोप्रकाश, ग्राम–बसई, तहसील–रामनगर, नैनीताल। | 2491 / 2018 |
| 708 | श्री अभिषेक रावत, 96 / 1 चुक्खूवाला, देहरादून। | 2493 / 2018 |
| 709 | सीमा कुमारी वर्मा, एडवोकेट, कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून। | 2494 / 2018 |
| 710 | हरमीत सिंह, एफ–318, 2–फ्लोर, पेज–3, सुशांत लोक, सेक्टर–57 गुरूग्राम, हरियाणा। | 2498 / 2018 |
| 711 | सुभागनी जैसवाल, पता– 10 फ्लोर, कोर–2 स्कोप मीनार। | 2499 / 2018 |
| 712 | श्री रवि गुप्ता, 4 / 4, खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून। | 2500 / 2018 |
| 713 | श्री सरदार पाल सिंह रन्धावा, निवासी– मेन बाजार, हरिद्वार रोड़,वार्ड नं0– 7 लक्सर,जनपद–हरिद्वार। | 2501 / 2018 |
| 714 | श्री राजीव गुरूंग, प्रत्याशी वार्ड सं0–2 विजयपुर,पता–जौहरी गॉव, पोस्ट– सिनौला, जनपद– देहरादून। | 2514 / 2018 |
| 715 | सैफअली सिद्धीकी पुत्र श्री नसीम अहमद (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता) गफूर बस्ती वार्ड नं0–24, निकट रेलवे लाईन हल्द्वानी, नैनीताल। | 2515 / 2018 |
| 716 | श्रीमती मंजूशा पोखरियाल, प्रत्याशी वार्ड नं0–15, 11 बंगाली मोहल्ला, देहरादून | 2516 / 2018 |
| 717 | अभिनव सिंह मलिक, हरिश चन्द्र कालोनी खैरीखुर्द, श्यामपुर, पो0–सत्यनारायण मंदिर ऋषिकेश, जनपद–देहरादून, निकट–रूद्र होटल श्यामपुर। | 2521 / 2018 |
| 718 | श्री मनमोहन सिंह जैसवाल, बार्लोगंज बाजार मसूरी, जिला–देहरादून। | 2523 / 2018 |
| 719 | श्री दिनेश केमवाल, वार्ड नं0–63 लाडपुर, देहरादून। | 2524 / 2018 |
| 720 | श्री प्रविन्द्र सिंह तोमर, निवासी–राज राजेश्वरी कालोनी, विद्या विहार फेज–2, देहरलहास, देहरादून। | 2525 / 2018 |
| 721 | श्री कुशाल गुर्सेन, बी–903 सुपर टेच, पालम ग्रीन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। | 2526 / 2018 |
| 722 | श्री दुर्गा दत्त रतूड़ी, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, लघु सिंचाई विभाग, विकास भवन–नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल। | 2527 / 2018 |
| 723 | श्री अनुज कौशल, ग्राम–डांडा खुदाने वाला, (डांडालखौण्ड) पोस्ट–सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। | 2528 / 2018 |
| 724 | श्री मौहम्मद अनीस (एडवोकेट) मौहल्ला–छीपीयान पुराना मछली बाजार जसपुर जनपद–ऊधमसिंहनगर। | 2531 / 2018 |
| 725 | श्री पुनित तलवार, वासुदेवपुरम, छड़ायल नयाबाद हल्द्वानी, जिला–नैनीताल। | 2532 / 2018 |
| 726 | श्री सुबोध सिंह बिष्ट पुत्र श्री मदन सिंह बिष्ट, टकाना लाईन, पिथौरागढ़। | 2533 / 2018 |
| 727 | श्री योगेश डिमरी द्वारा मनीष कुकरेती, कुकरेती जूस कार्नर, कैलाश गेट, मुनीकीरेती, टिहरी गढवाल। | 2534 / 2018 |
| 728 | श्री उमेश करनवाल, 10–बंगाली लायब्रेरी रोड, देहरादून। | 2535 / 2018 |
| 729 | श्री विलियम एस0 सिंह, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय कृति मंच, जनपद–देहरादून पता– केनफिल्ड स्कूल के सामने क्लेमनडाउन, देहरादून | 2537 / 2018 |
| 730 | श्री अजय जैन, पता–108 पार्क रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून | 2538 / 2018 |
| 731 | सुश्री पूनम पुन्डीर, निवासी–88 / 2, कश्मीरी कालोनी, निरंजनपुर, देहरादून। | 2539 / 2018 |
| 732 | श्री संजय कंसवाल, कोर्ट कम्पाउण्ड, शेड नं0–5, ऋषिकेश, जिला–देहरादून | 2540 / 2018 |
| 733 | श्री कृपाल सिंह मेहरा, ग्राम–दलीपपुर, पो0ओ0– लोकमणीपुर, कोटद्वार, जनपद– पौड़ी गढ़वाल। | 2541 / 2018 |

| | | |
|---|---|---|
| 734 | श्री हेमन्त सिंह गौनियाँ, समाज सेवी, आर0टी0आई0 एक्टवीस्ट, हीरा विहार कैनाल रोड, मल्ला गौरखपुर, तिकोलिया, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल | 2543 / 2018 |
| 735 | डॉ0 प्रमोद अग्रवाल गोल्डी,कपिल कालोनी, मुखानी, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल। | 2544 / 2018 |
| 736 | श्री मनप्रीत सिंह रन्धावा, पुत्र श्री सुखविन्दर सिंह, नि0–वार्ड नं0–15, पहाड़गंज, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर। | 2545 / 2018 |
| 737 | श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट, एडवोकेट, चे0नं0–2, जिला न्यायालय भवन, नई टिहरी, टिहरीगढ़वाल। | 2546 / 2018 |
| 738 | श्री अबरार हुसैन, पुत्र श्री फकीर मौहम्मद, नि0–मौ0 नई बस्ती, वार्ड नं0–18, जसपुर, उधमसिंहनगर। | 2547 / 2018 |
| 739 | श्री रामचन्द्र जोशी, सामाजिक एवं आर.टी.आई. कार्यकर्ता,नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक, यमकेश्वर, पोस्ट–स्वर्गाश्रम, गढ़वाल। | 2548 / 2018 |
| 740. | श्री अनूप कुमार, 268 / 618(II) राजपुर रोड, निकट केनरा बैंक राजपुर रोड, देहरादून | 2550 / 2019 |
| 741 | श्री नितिन गोला, एडवोकेट, पूर्व सदस्य, ओ0बी0सी0 आयोग, उत्तराखण्ड सरकार, मिल रोड, डोईवाला, देहरादून। | 2551 / 2019 |
| 742 | श्रीमती जयन्ती पटवाल, मकान नं0–62, वार्ड नं0–9, इन्दिरा उद्यान मार्ग, निकट नगर पालिका ऑफिस, पो0ओ0 विकासनगर, जिला–देहरादून। | 2552 / 2019 |
| 743 | कु0 पूजा भट्ट पुत्री स्व0 श्री रोशन लाल भट्ट, ग्राम केलवाण गॉव, ग्रामसभा मंजगॉव, पट्टी–सकलाना, तहसील–धनोलटी, पो0ऑ0–जाडगॉव, जनपद–टिहरी गढ़वाल। | 2553 / 2019 |
| 744 | श्री सरफराज अली, पुत्र स्व0 श्री रजब अली, ग्राम पंचायत सदस्य ढकरानी, निवासी–वार्ड नं0 8, ग्राम–ढकरानी, पो0ओ0–ढकरानी, जिला देहरादून। | 2558 / 2019 |
| 745 | श्री अशोक बाजपेयी, निवासी– बी–7, मॉ गंगा वाटिका, ऋषिकेश, जिला–देहरादून, उत्तराखण्ड। | 2559 / 2019 |
| 746 | श्री विनय जैसवाल, निकट–श्री गणेश मन्दिर, डॉक्टरगंज(नवाबगढ़), विकासनगर, देहरादून, | 2560 / 2019 |
| 747 | डॉ0 वली अहमद पुत्र स्व0 फिदा हुसैन,वार्ड नं0–10 आजादनगर,तह0 व पो0–गदरपुर,जिला–ऊधमसिंहनगर। | 2561 / 2019 |
| 748 | श्री मनीष कुकरेती, कैलाश गेट, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल। | 2562 / 2019 |
| 749 | श्री नदीम उद्दीन (राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता) पता–कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्लीखां, काशीपुर। | 2563 / 2019 |
| 750 | श्री एस0के0 अवस्थी, किशनपुर (वकील फार्म) किच्छा, ऊधमसिंहनगर। | 2566 / 2019 |
| 751 | श्री योगेन्द्र सैनी, ग्राम व पोस्ट–धनौरी, जिला–हरिद्वार। | 2567 / 2019 |
| 752 | श्री अरविन्द पंवार पुत्र श्री टी0एस0 पंवार, माणाधार, रुद्रप्रयाग, जनपद–रुद्रप्रयाग। | 2569 / 2019 |
| 753 | श्री चरण सिंह सैनी पुत्र श्री समय सिंह,पता–266 / 31, गली नं0–4,खन्नानगर, ज्वालापुर,जिला–हरिद्वार। | 2570 / 2019 |
| 754 | श्री विपुल जैन,पुत्र श्री रविन्द्र जैन, पता–होटल स्वागत के सामने, मुख्य बाजार, विकासनगर, जिला देहरादून। | 2571 / 2019 |
| 755 | श्री त्रिभुवन सिंह चुफाल " अन्वाल",दरियाल निवास, घण्टाकरण, निकट लक्ष्मी नारायण मंन्दिर,जनपद–पिथौरागढ। | 2572 / 2019 |
| 756 | श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामदयाल, ग्राम–कैन्यूरा, पो0–थलीसैण पट्टी चौपडाकोट, जिला–पौडी गढवाल | 2575 / 2019 |
| 757 | सुश्री सुनीता रावत, ग्राम खदरी खडक माफ, पोस्ट सत्य नारायण मंदिर, विकास | 2576 / 2019 |

| | | |
|---|---|---|
| | खण्ड, डोईवाला, ऋषिकेश, जिला देहरादून | |
| 758 | श्री भूपेन्द्र कुमार, एच–255, नेहरू कालोनी, जिला–देहरादून। | 2577 / 2019 |
| 759 | श्री आर.पी. सिंह, 316 / 1, इंदिरा पुरी, कौलागढ़ रोड, देहरादून। | 2579 / 2019 |
| 760 | श्री लखमीर सिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह, गॉव–ध्यानपुर, डाकखाना–नानकमत्ता जिला–ऊधमसिंहनगर। | 2580 / 2019 |
| 761 | श्री अमित कुमार सिंह, पता–कमरा नं0–06 फेज–2, टाइप–3(II), न्यू सचिवालय कॉलोनी, दून यूनिवर्सिटी रोड, केदारपुरम, देहरादून। | 2581 / 2019 |
| 762 | श्री रवीन्द्र सिंह बोरा पुत्र श्री जोध सिंह बोरा, ग्राम व पो0 पमस्यारी, तहसील–डीडीहाट, जिला–पिथौरागढ़। | 2582 / 2019 |
| 763 | श्री जितेन्द्र सिंह,द्वारा श्री लेखराज सिंह,एस–142, फेस–चार, शिवालिक नगर, भेल रानीपुर,जिला हरिद्वार। | 2583 / 2019 |
| 764 | श्री अरविन्द शर्मा, लक्ष्मणपुर चौक, विकासनगर,देहरादून। | 2584 / 2019 |
| 765 | श्री मदन मोहन नेगी, अध्यक्ष, पूर्व सैनिक, पूर्व केन्द्रीय कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, आर0टी0आई0 कार्यकर्ता, 62 संजय कालोनी, मोहनी रोड़, देहरादून। | 2585 / 2019 |
| 766 | श्री मनीष नेगी,पुत्र श्री पिताम्बर सिंह,ग्राम–कोठड़ी, पो0–माण्डूवाला, जिला देहरादून। | 2587 / 2019 |
| 767 | श्री हरीश चन्द्र कुनियाल द्वारा एडवोकेट नवराज, ओपन चैम्बर्स नियर बार भवन, डिस्टिक कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून। | 2588 / 2019 |
| 768 | श्री अब्दुल सत्तार,(RTI & SOCIAL WORKER) मौ0–कस्साबान, ज्वालापुर, हरिद्वार। | 2589 / 2019 |
| 769 | श्री करन सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह, निवासी–तिलक नगर, कुण्डेश्वरी, तह0 काशीपुर, जिला–ऊधमसिंहनगर। | 2591 / 2019 |
| 770. | श्री श्याम दत्त जोशी, 135 / 1 चुक्खुवाला, इन्दिरा कालोनी, देहरादून | 2592 / 2019 |
| 771 | श्री अंकित जोशी, निवासी शिवलोक कालोनी बाबूगढ, विकासनगर, देहरादून | 2593 / 2019 |
| 772 | श्री कंवलजीत सिंह पुत्र अमरजीत, पता–जेल रोड, हल्द्वानी, नैनीताल | 2594 / 2019 |
| 773 | श्री सागर सिंह म0नं0–13 आर0के0 पुरम तरला अधोईवाला डालनवाला देहरादून | 2595 / 2019 |
| 774 | श्री विनोद कुमार कन्नौजिया आर0टी0आई0 कार्यकर्ता। | 2600 / 2019 |
| 775 | श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री किशोरी लाल नि0 ग्राम भीमावलाला, त0 विकासनगर, देहरादून | 2601 / 2019 |
| 776 | श्री अनूप सेमवाल, ग्राम भैतण पो0–फकोट, टिहरी गढवाल। | 2621 / 2019 |
| 778 | श्री नईम अहमद, सिविल कोर्ट परिसर, जसपुर, उधमसिंहनगर। | 2624 / 2019 |
| 779 | श्री जमन सिंह रावत, ग्राम कामोल्डी, पो0– क्वाली, रूद्रप्रयाग। | 2626 / 2019 |
| 780 | श्री संदीप शास्त्री, पूर्व जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी मण्डलीय प्रमुख विधान सभा ऋषिकेश। | 2628 / 2019 |
| 781 | श्री बलबीर सिंह चौहान पुत्र श्री जयसिंह, लेन नं0–1, मकान नं0–1, महिमा एनक्लेव, केहरी गॉव, पो0ओ0–चंदनवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून | 2629 / 2019 |
| 782 | श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, देहरादून। | 2630 / 2019 |
| 783 | श्री अतुल कुमार सिंह(एडवोकेट) चैम्बर सं0–25, कोर्ट कम्पाउण्ड, ऋषिकेश, जिला देहरादून | 2631 / 2019 |
| 784 | श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री बीरू, ग्राम–छरबा, तहसील–विकासनगर, जिला देहरादून | 2632 / 2019 |

| | | |
|---|---|---|
| 785 | श्री रमेश यादव, एडवोकेट, पता–नाथ काम्पलैक्स श्यामपुर, पो0ओ0 सत्यनारायण मन्दिर, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड | 2635 / 2019 |
| 786 | श्री राजपाल सिंह तोमर, कृष्णा विहार, स्मिथनगर, प्रेमनगर, देहरादून | 2636 / 2019 |
| 787 | श्री शिवा वर्मा पुत्र श्री ईश्वर दास, ग्राम–गुडरिच, विकासनगर, जिला–देहरादून | 2637 / 2019 |
| 788 | श्रीमती दीपा पाण्डे पत्नी श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे, ग्राम–खामियां नं0–4, जयग्राम, पोस्ट– शन्तिपुरी नं0–2, तहसील–किच्छा, जिला–उधमसिंहनगर। | 2638 / 2019 |
| 789 | श्री महंत पूरन नाथ पुत्र स्व0 श्री रामनाथ (सामाजिक कार्यकर्ता), ग्राम देवला तल्ला, पो0–कुवरपुर (गौलापार), जिला–नैनीताल। | 2642 / 2019 |
| 790 | श्री लोकेश कुमार, पार्षद, नगर निगम, हरिद्वार, म0नं0–196, अशोक विहार, राजा गार्डन, कनखल, हरिद्वार | 2643 / 2019 |
| 791 | श्री राहुल गोयल पुत्र श्री रात अवतार, पता–C.J.–4, केन्द्रीय कारागार संख्या–4 (तिहाड़), नई दिल्ली। | 2647 / 2019 |
| 792 | श्री मनदीप सिंह पुत्र श्री सन्तोष सिंह, निवासी फतेहपुर टाण्डा, डोईवाला, जिला देहरादून | 2648 / 2019 |
| 793 | श्री वचन सिंह, ग्राम–कसाना पल्ला, पोस्ट–धुमाकोट, पौड़ी गढ़वाल,उत्तराखण्ड। | 2650 / 2019 |
| 794 | श्री देशराज कर्णवाल, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, निवासी 1559 प्रीत विहार, रूड़की, जनपद–हरिद्वार। | 2654 / 2019 |
| 795 | श्री बिनोद सिंह गुसांई,292, सैक्टर–9, आर.के. पुरम, नई दिल्ली। | 2656 / 2019 |
| 796 | कमल किशोर कण्डवाल, सुमन विहार नजदीक मलिक मार्केट बापूग्राम पो0–वीरभद्र ऋषिकेश। | 2657 / 2019 |
| 797 | श्री रवि धीगंड़ा, सी–126, श्री राम नगर, गोल गुरूद्वारा, ज्वालापुर, हरिद्वार, | 2658 / 2019 |
| 798 | श्री अनिल रावत पुत्र स्व0 श्री हरी सिंह रावत, ग्राम–घंडियाल, पोस्ट–नैथाना, जिला पौड़ी गढ़वाल, | 2659 / 2019 |
| 799 | श्री कुलदीप अग्रवाल, एडवोकेट,1568 / 76, बद्रीनाथ मार्ग,कोटद्वार। | 2660 / 2019 |
| 800 | श्री अजय राजभर पुत्र श्री नन्दलाल राजभर 444 / 4 गली नं0–11 / 2 चन्द्रेश्वर नगर धोबीघाट ऋषिकेश। | 2661 / 2019 |
| 801 | श्री मनोरंजन एस0 राय,पोस्ट बॉक्स नं0–8554,जुहू, मुम्बई–400049 | 2662 / 2019 |
| 802 | श्री रमेशचन्द्र सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह,गुसाई भवन, नियर हरिजन छात्रावास,पेट्रोल पम्प, कोटद्वार रोड पौड़ी,जिला–पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड। | 2664 / 2019 |
| 803 | श्री प्रहलाद सिंह पुत्र स्व0 श्री पुष्कर सिंह,तहसील वार्ड, नियर पोस्ट ऑफिस कालोनी,पोस्ट–डीडीहाट, जिला–पिथौरागढ़। | 2673 / 2019 |
| 804 | श्री राजकुमार अग्रवाल, 123 / 1, कुर्मांचल मौ0 खेमानन्द मार्ग गोसई गली भीमगोडा हरिद्वार | 2674 / 2019 |
| 805 | श्री दीपक पन्त पुत्र श्री खुशीराम पन्त,निवासी ग्राम–भानियावाला,तहसील–डोईवाला, जिला–देहरादून। | 2676 / 2019 |
| 806 | श्रीमती सुवा देवी,पत्नी चन्द्रवीर सिंह भा0न0द्या0वि0प्रा0,नारायण विहार, कारगी रोड, देहराखास, देहरादून। 248001 | 2682 / 2019 |
| 807 | श्री सन्दीप सिंह राणा,पुत्र श्री धन सिंह राणा,न्यू डांग, वसन्त विहार, श्रीनगर, गढ़वाल ।पिन | 2683 / 2019 |
| 808 | श्री सतनाम सिंह,पुत्र श्री सरदारा सिंह,निवासी ग्राम बसगर, पो0आ0–शक्तिफार्म, तहसील–सितारगंज,जिला–ऊधमसिंहनगर। | 2686 / 2019 |
| 809 | श्री बनर्जी असिक कुमार,अहमदाबाद मिरर, सेकेण्ड फ्लोर,फडिया चैम्बर्स, आशाराम रोड,अहमदाबाद। | 2687 / 2019 |

| | | |
|---|---|---|
| 810 | श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धन सिंह,ग्राम–चाक, पोस्ट–राममन्दिर, जिला–पिथौरागढ़। | 2689 / 2019 |
| 811 | श्री सत्य साईं हर्ष दत्त, पता–ई–1804, 7–हिल्स अपार्टमेन्ट, पावर वेलफेयर सोसाईटी, नरसिंगी, हैदराबाद, तेलंगाना | 2691 / 2019 |
| 812 | श्री आशीष डोभाल,अपर कालाबड, डिग्री कालेज रोड,निकट–परमिला निर्सिंग होम, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल। | 2695 / 2019 |
| 813 | सुश्री शिवानी चन्देल, एडवोकेट, मार्फत श्री मंजीत सिंह रौथाण, एडवोकेट, निवासी–चम्बर नं0–56, ब्लॉक–6, सी0जे0एम0 कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून | 2696 / 2019 |
| 814 | श्री जतिन दुग्गल, 146, चकराता रोड, एच.डी.एफ.सी. ए.टी.एम. के बाद, निकट किशन नगर क्रसिंग, देहरादून | 2697 / 2019 |
| 815 | श्री जशबीर सिंह पुत्र श्री किशोरी लाल,निवासी–ग्राम भीमावाला, तहसील–विकासनगर,जिला–देहरादून। | 2700 / 2019 |
| 816 | श्रीमती देवकी देवी पत्नी श्री चतुर सिंह, निवासी ग्राम–कनरा, पोस्ट–चायखान, तहसील व जिला–अल्मोड़ा। | 2707 / 2019 |
| 816 | सुश्री आरती देवी, ग्राम–दरमोला, पो0ओ0 माई की मढी, जिला–रुद्रप्रयाग | 2716 / 2019 |
| 817 | श्री सुरेश पुत्र श्री हीरा सिंह ग्राम श्रीपुर पो0–कुमल्दा वाया रायपुर जिला–टिहरी | 2723 / 2019 |
| 818 | श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री अशरफ अली, ग्राम रामजिवा, पोस्ट–बरहापुर, तहसील–नगीना, जिला–बिजनौर, उ0प्र0 | 2724 / 2019 |
| 819 | श्री उत्तम कुमार राय पुत्र श्री गुरदास राय, निवासी–ग्राम मकरन्दपुर, वि0ख0–गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर | 2728 / 2019 |
| 820 | श्रीमती लक्ष्मी देवी,ग्राम–तैड़ी, पोस्ट–किनसुर,पट्टी–बिचला ढ़ॉगू, वाया–सिलोगी,जिला–पौड़ी गढ़वाल। | 2729 / 2019 |
| 821 | श्री विक्रम सिंह जैन्तवाल, ग्राम व पोस्ट–जैंती, जिला–अल्मोड़ा | 2734 / 2019 |
| 822 | श्री भोलानाथ मण्डल पुत्र स्व0 श्री चित्तरंजन मण्डल, निवासी–ग्राम मकरन्दपुर, वि0ख0–गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर | 2735 / 2019 |
| 823 | श्री हेम चन्द्र द्वारा श्री नवीन चन्द्र उप्रेती,कानपुर शू–स्टोर(महिला अस्पताल के सामने),नैनीताल रोड, हल्द्वानी,जिला–नैनीताल। | 2739 / 2019 |
| 824 | श्री राजेन्द्र सिंह रावत, पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह रावत,ग्राम–मोहनी रावत, पत्रालय–भँवासी,जिला–पौड़ी गढ़वाल। | 2747 / 2019 |
| 825 | श्री सूरत सिंह बिष्ट, ग्राम–मोतीचूर, हरिपुर कला, वाया–रायवाला, देहरादून | 2748 / 2019 |
| 826 | श्री राम करन प्रसाद पुत्र स्व0 श्री गोपाल प्रसाद,सी–2 / 5, एफ.एफ., जनक पुरी, नई दिल्ली | 2749 / 2019 |
| 827 | श्री मनोज नेगी पुत्र श्री महीपाल सिंह, उत्तराखण्ड, | 2750 / 2019 |
| 828 | श्री गोविन्द जोशी, फ्लैट नं0–10, तृतीय तल, 102 हुमायूँपुर सफदरजंग एनक्लेव, निकट–एन.सी.सी. आफिस, नई दिल्ली | 2751 / 2019 |
| 829 | श्री उमेश चन्द्र पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र,जी–35, भू–तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली | 2752 / 2019 |
| 830 | श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री सुमन्त सिंह,ग्राम और पोस्ट–लांघा वाया डाक पत्थर, देहरादून। | 2753 / 2019 |
| 831 | श्री हरज्ञान सिंह गहलोत,सी0–1 / 178, जनकपुरी,नई दिल्ली | 2755 / 2019 |
| 832 | श्री कुंवर सिंह, एच0एन0 21, ग्राम–नैकाना, विकासखण्ड–भिकियासैंण, जिला–अल्मोड़ा | 2756 / 2019 |

| | | |
|---|---|---|
| 833 | श्री पवन, ग्राम–सुनाड़ी पोखरी, तहसील–सोमेश्वर, जिला–अल्मोड़ा | 2757 / 2019 |
| 834 | श्री नत्थी सिंह खरोला (सामाजिक एवं पर्यावरण मित्र) आदर्श टिहरी नगर कालोनी नं0–1, पोस्ट–अम्बूवाला, जिला–हरिद्वार | 2758 / 2019 |
| 835 | श्री नन्दन सिंह, ग्राम–बरहेनी, पोस्ट–बरहेनी, तहसील–बाजपुर, जिला–उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड | 2759 / 2019 |
| 836 | श्री वीरेन्द्र प्रसाद उनियाल,राजकीय बालिका इण्टर कालेज,नई टिहरी। | 2764 / 2019 |
| 837 | श्री भुवन चन्द्र पोखरिया, ग्राम–उम्मेदपुर नं0–2,पोस्ट–चोरगलिया, जिला–नैनीताल। | 2765 / 2019 |
| 838 | श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम–पाली, पो0ओ0–देवराजखाल, पट्टी–तलाई, जिला–पौड़ी गढ़वाल, | 2766 / 2019 |
| 839 | श्री भूपेन्द्र सिंह कलूड़ा, खैरीखुर्द, सत्यनारायण मंदिर, 249204 देहरादून | 2767 / 2019 |
| 840 | श्री मोहन मिश्रा, सदस्य, आर0टी0आई0 क्लब, उत्तराखण्ड ग्राम–बंगथल, पो0–रड़ुवा चांदनीखाल, जनपद–चमोली | 2768 / 2019 |
| 841 | श्री अंकित कुमार पुत्र श्री हुकम चंद गुप्ता, निवासी–वार्ड नं0 08 ग्राम–ढकरानी, पोस्ट–हरबर्टपुर, तहसील–विकासनगर, जिला देहरादून | 2772 / 2019 |
| 842 | श्री अनिल कुमार, ग्राम पंचायत व पोस्ट–अम्बाडी, विकासनगर, जिला देहरादून | 2773 / 2019 |
| 843 | श्री शुभम मित्र पुत्र श्री प्रमेन्द्र मित्र सोनकर, निवासी–ग्राम धौलखेड़ा, पोस्ट–अर्जुनपुर, बरेली रोड हल्द्वानी, जिला–नैनीताल। | 2782 / 2019 |
| 844 | श्री मनदीप सिंह पुत्र श्री धरम सिंह, अनमोल फुटवियर बेनी विहार, दुल्हेपुरी, निकट पतंजली स्टोर, पीरूमदारा, रामनगर, नैनीताल। | 2783 / 2019 |
| 845 | सुश्री नर्मदा,पुष्प विहार, लेन नं0–12, निकट शिव मन्दिर नथुवावाल ढांग, रायपुर, देहरादून। | 2784 / 2019 |
| 846 | ठे0 अतर सिंह चौहान, नई जौनसारी कॉलोनी, पहाड़ी गली, निकट शान्ति धाम, नहर पार, विकास नगर, देहरादून, | 2794 / 2019 |
| 847 | श्री जुनैद आलम पुत्र श्री रईस अहमद, निवासी मौहल्ला नई कालोनी, माता वाला बाग, कस्बा लण्ढौरा, जिला हरिद्वार | 2795 / 2019 |
| 848 | श्री राकेश नेगी, म0नं0–142–डी, पाकेट–ए, दिलशाद गार्डन, दिल्ली | 2796 / 2019 |
| 849 | श्री अनुज कुमार पुत्र श्री वेदप्रकाश, निवासी–गंगदासपुर, विकासखण्ड–लक्सर, तहसील–लक्सर, जिला–हरिद्वार | 2798 / 2019 |
| 850 | श्री गौरव सिंह पुत्र स्व0 श्री सुमन्त सिंह, ग्राम–नांगल बुलंदावाला, डोईवाला, देहरादून। | 2799 / 2019 |
| 851 | अभिनव सिंह, एडवोकेट, चेम्बर नं0–20 कोर्ट कम्पाउण्ड, ऋषिकेश, जिला देहरादून | 2800 / 2019 |
| 852 | श्री आशिफ चौधरी पुत्र श्री महरूप अली, निवासी–वार्ड नं0–4, आसनबाग हरबर्टपुर, पोस्ट–हरबर्टपुर, तहसील–विकासनगर, जिला–देहरादून | 2801 / 2019 |
| 853 | श्री दयानंद जोशी पुत्र श्री दयाराम जोशी, निवासी ग्राम–अस्टाड, पोस्ट–कोथी, विकासखण्ड कालसी, तहसील–चकराता, जिला–देहरादून | 2802 / 2019 |
| 854 | अन्य प्राप्त अपीलों से संबंधित पत्रावली। | 2804 / 2019 |
| 855 | श्री अजय कंसवाल,ग्राम व पोस्ट–पिलखी, तहसील–घनसाली,जिला–टिहरी गढ़वाल। | 2805 / 2019 |
| 856 | श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी श्री पलविन्दर सिंह, ग्राम–भघोरा, पोस्ट–सितारगंज, जिला–उधमसिंहनगर, | 2806 / 2019 |

| | | |
|---|---|---|
| 867 | श्रीमती लीला देवी, 6/130 तल्ली बमोरी, नवाबी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल | 2807/2019 |
| 868 | श्री उर्वादत्त भट्ट द्वारा श्री हंसा नेगी,ग्राम–हैड़ागज्जर, पो0–अर्जुनपुर, गोरापड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल। | 2808/2019 |
| 869 | श्रीमती रूचिका तोमर पत्नी श्री दीपक तोमर,निवासी–ग्राम लांघा (पसोली),तहसील –विकासनगर,जिला–देहरादून। | 2809/2019 |
| 870 | श्री खजान सिंह, निवासी ग्राम–ढकरौल, पोस्ट–टिकरी लालूर, तहसील–नैनबाग, जिला– टिहरी गढ़वाल, | 2814/2019 |
| 871 | श्री राकेश कुमार नेगी, ग्राम–पटियाला, पोस्ट–देवीखाल, जिला–पौड़ी गढ़वाल | 2815/2019 |
| 872 | डॉ0 रवि रस्तोगी, संस्थापक एवं केन्द्रीय संयोजक/अध्यक्ष, ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन, हिमालय और हिन्दुस्तान, वीरभद्र, ऋषिकेश। | 2816/2019 |
| 873 | श्री भुवन चन्द्र पाण्डे पुत्र स्व0 श्री देवीदत्त पाण्डे, ग्राम–धुरासंगरौली, पोस्ट–चापखान, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र–कनरा चौखुटिया, वि0खं0/थाना/तह0 लमगड़ा, जिला–अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड। | 2818/2019 |
| 874 | श्री नफीस अली पुत्र श्री अख्तर अली, ग्राम–आमवाला, पोस्ट–घंघोड़ा, जिला–देहरादून, उत्तराखण्ड। | 2822/2019 |
| 875 | श्री सुधीर बिष्ट,पुत्र श्री ज्ञान सिंह बिष्ट,ग्राम व पोस्ट– राझावाला, न्यूकॉलोनी, रायपुर, देहरादून। | 2823/2019 |
| 876 | श्री विकास भारद्वाज, म0स0–69/3, पंडितवाड़ी फेस–2, पोस्ट–प्रेमनगर, देहरादून | 2827/2019 |
| 877 | श्रीमती मीना देवी, ग्राम–डुंगा, पोस्ट–सलूड़ डुंगा, (जोशीमठ) जिला–चमोली | 2828/2019 |
| 878 | श्री राजेन्द्र सिंह राठी, पुत्र श्री ध्यान सिंह सी–2बी/19 सी, जनक पुरी, नई दिल्ली | 2829/2019 |
| 879 | न्यू हरिद्वार इलेक्ट्रिक स्टोर, हाउस नं0–21, शारदा भवन, गंगाधर महादेव नगर, खड़खड़ी, नई बस्ती, रेलवे फाटक, हरिद्वार,उत्तराखण्ड | 2830/2019 |
| 880 | श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री कल्याण सिंह, ग्राम–हरिपुर, ढकरानी, ब्लाक विकास नगर, देहरादून | 2830/2019 |
| 881 | डॉ0 आजाद अहमद, द्वारा बाम्बे चिकन हाउस, बारी चौक, जसपुर, उधमसिंहनगर | 2832/2019 |
| 882 | श्रीमती अनीता नेगी, ग्राम–खैरी मानसिंह, पोस्ट–मालदेवता, रायपुर, देहरादून | 2833/2019 |
| 883 | श्री आलिम हुसैन पुत्र श्री जाहिद हुसैन, निवासी–ग्राम सैजना, विकास खण्ड रूद्रपुर, किच्छा, जिला–उधमसिंहनगर | 2834/2019 |
| 884 | श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री सुमन्त सिंह, ग्राम व पोस्ट–लांघा, बाया डाकपत्थर, जिला–देहरादून, | 2835/2019 |
| 885 | श्री अकबर अली पुत्र श्री शौकत अली, सर्कुलर रोड़, न्यू बस्ती, चन्दर रोड देहरादून | 2840/2019 |
| 886 | श्री किशोर मैठानी,नटराज चौक,ऋषिकेश | 2841/2019 |
| 887 | अब्दुल सत्तार, (सूचनाधिकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता) मौ0–कस्साबान, ज्वालापुर, हरिद्वार | 2844/2020 |
| 888 | डॉ0 ओंकार नाथ कोष्टा,विकासपुरी, गली नं0–02, मल्ला गोरखपुर, हल्द्वानी, नैनीताल। | 2845/2020 |
| 889 | श्री ईश कुमार शर्मा, मकान नं0–21, शारदा भवन, गंगाधर महादेव नगर, निकट रेलवे फाटक, खड़खड़ी, हरिद्वार | 2846/2020 |

| | | |
|---|---|---|
| 889 | श्री ऋषिपाल पुत्र श्री मेहरचन्द, ग्राम–गदरजुड्डा, डाकघर–मंगलौर, जिला–हरिद्वार, | 2847 / 2020 |
| 890 | श्री मोहम्मद रिजवान (एडवोकेट)पुत्र श्री मोहम्मद इदरीस,निवासी मोहल्ला जुलाहान, निकट चंदा हज्जन,जसपुर (उधमसिंहनगर,)उत्तराखण्ड | 2850 / 2020 |
| 891 | श्रीमती मीना रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सलूड़,पो0ऑ0– सलूड–डुंगा,जिला–चमोली | 2851 / 2020 |
| 892 | श्री अशोक सरकार,पुत्र अजामिल सरकार,निवासी:– वार्ड नं0–4, नेताजी सुभाष वार्ड, शक्तिगढ़,पो0–शक्तिफार्म, तहसील–सितारगंज,जनपद–ऊधमसिंह नगर। | 2852 / 2020 |
| 893 | श्री सुधीर बिष्ट,पुत्र श्री ज्ञान सिंह बिष्ट,ग्राम व पोस्ट– रांझावाला,न्यूकॉलोनी, रायपुर, देहरादून। | 2853 / 2020 |
| 894 | श्री राहुल पुत्र नरेश कुमार, निवासी–ग्राम–उदियाबाग, तहसील–विकासनगर, जिला–देहरादून | 2855 / 2020 |
| 895 | मौहम्मद अनीस (एडवोकेट) निवासी–छिपीयान, पुराना मछली बाजार, जसपुर, जिला ऊधमसिंहनगर। | 2856 / 2020 |
| 896 | श्री कमलेश पुरोहित पुत्र श्री देवी प्रसाद, ग्रामसभा–खड़गोली, पो0–कमेड़ा नन्दप्रयाग, चमोली | 2857 / 2020 |
| 897 | श्री नदीम उद्दीन,(राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता) कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्मोड़ा, काशीपुर | 2858 / 2020 |
| 898 | श्री कमल भट्ट,ग्राम–मंजकोट, पो0–पुण्डेर गांव,विकास खण्ड–जयहरीखाल, जनपद–पौड़ी गढ़वाल। | 2860 / 2020 |
| 899 | श्री ललित मोहन,पुत्र स्व0 श्री भैरव दत्त,ग्राम–मैरोली, पो0–गूंठ गरसाडी (खेतीखान) तहसील / जिला–चम्पावत | 2861 / 2020 |
| 900 | श्री गुलफाम अली पुत्र श्री महबूब, निवासी–ग्राम–कुन्जा, पोस्ट–कुल्हाल, तहसील–विकासनगर, जनपद–देहरादून | 2862 / 2020 |
| 901 | श्री राम कृपाल गौतम, (पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश) पता–246 चन्द्रेश्वर मार्ग, ऋषिकेश। | 2864 / 2019 |
| 902 | श्री वी0के0 विश्वकर्मा,सम्पादक, नेशनल गाईडएवं आर0टी0आई0 कार्यकर्ता, 40 / 2 भुईयांराज मोथरोवाला रोड, अजबपुर कलां,देहरादून, | 2865 / 2020 |
| 903 | सहायक निदेशक, परिसीमन, जकात फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया, CISRS House, 14 जंगपुरा–बी, मथुरा रोड, नई दिल्ली | 2867 / 2020 |
| 904 | श्री आत्मा सिंह बिष्ट पुत्र श्री जीत सिंह, पता– म0नं0–3835 ब्लॉक–ए, गली नं0–01 एस0जी0एम0 नगर, फरीदाबाद | 2868 / 2019 |
| 905 | जुनैद आलम पुत्र श्री रईस अहमद,नि0–नई कालोनी कस्बा लण्ढौरा, जिला–हरिद्वार। | 2869 / 2020 |
| 906 | जुनैद आलम पुत्र श्री रईस अहमद,नि0–नई कालोनी कस्बा लण्ढौरा, जिला–हरिद्वार। | 2870 / 2020 |
| 907 | श्री देव सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी–मखवारा, तहसील–सितारगंज, जनपद–ऊधमसिंहनगर | 2871 / 2020 |
| 908 | श्री संजीव कुमार आकाश,पुत्र श्री पोशाकी लाल,निवासी–लॉ पैलेस, गिरीताल मन्दिर के सामने,काशीपुर, जिला –ऊधमसिंह नगर। | 2872 / 2020 |
| 909 | श्री हरज्ञान सिंह गहलोत,C–1 / 178, G. Floor. जनक पुरी, नई दिल्ली | 2873 / 2020 |
| 910 | श्री अरविन्द शर्मा, लक्ष्मण चौक, विकास नगर,जनपद–देहरादून। | 2874 / 2020 |

(275)

# नजारत/स्टोर से संबंधित पत्रावलियों की सूची

| क्र. सं. | पत्रावली/पंजिका का नाम | फाईल संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | विभिन्न सामग्रियों के क्रय संबंधी पत्रावली | 246/2003 |
| 2. | जीप गाड़ी सम्बद्ध करने संबंधी पत्रावली | 27/2001 |
| 3. | कम्प्यूटर क्रय करने संबंधी पत्रावली | 166/2002 |
| 4. | लेखन सामग्री क्रय पत्रावली | 114/2001 |
| 5. | जनरेटर क्रय पत्रावली | 211/2002 |
| 6. | मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त हेतु किराया मुक्त आवास पत्रावली। | 148/2002 |
| 7. | कन्जूमेबिल सामग्री क्रय | 415/2005 |
| 8. | आयोग कार्यालय हेतु किराया भवन पत्रावली | 125/2001 |
| 9. | डीजल क्रय पत्रावली | 287/2002 |
| 10. | पुस्तकालय पत्रावली | 155/2001 |
| 11. | जमानत अभिलेख | 124/2001 |
| 12. | राष्ट्रीय पर्व | 117/2001 |
| 13. | कार्यालय फर्नीचर क्रय | 77/2001 |
| 14. | कार्यालय साज सज्जा पत्रावली | 02/2001 |
| 15. | विज्ञापन संबंधी पत्रावली | 457/2004 |
| 16. | अग्निशमन यंत्र क्रय पत्रावली | 327/2003 |
| 17. | सामान्य पत्र व्यवहार | 156/2001 |
| 18. | पेपरशील/ऐराक्रास मोहर क्रय पत्रावली | 31/2001 |
| 19. | अमिट स्याही क्रय पत्रावली | 80/2001 |
| 20. | टाईपराईटर क्रय पत्रावली | 40/2001 |
| 21. | आयोग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री पत्रावली | 153/2001 |
| 22. | मतपेटी आपूर्ति पत्रावली | 159/2001 |
| 23. | मतपत्रों के मुद्रण पत्रावली | 152/2001 |
| 24. | मतपत्रों की मांग/मुद्रण पत्रावली | 33/2001 |
| 25. | प्रेक्षक किट | 456/2003 |
| 26 | पुस्तकालय पंजिका | 2001 |
| 27. | जनरेटर पंजिका | 2002 |
| 28. | जनरल स्टॉक पंजिका | 2001 |
| 29. | कन्जूमेबिल स्टॉक निर्वाचन सामग्री | 2001 |
| 30. | कन्जूमेबिल स्टॉक पंजिका | 2001 |
| 31. | डैड स्टॉक पंजिका | 2001 |
| 32. | लेखन सामग्री वितरण पंजिका | 2001 |
| 33. | कार्यालय आदेश पंजिका | 2005 |
| 34. | उपस्थित पंजिका | 2005 |
| 35. | अधिष्ठान संबंधी पंजिका | |
| 36. | जनपदों में पंचास्थानि चुनावालयों के कार्यालय भवन एवं स्टोर हेतु भूमि | 618/2005 |
| 37. | जनपदों के स्थाई भण्डार के संबंध में पत्राचार | 655/2006 |
| 38. | आयोग मुख्यालय नये भवन पर स्थापित होने पर पता परिवर्तन संबंधी पत्रावली | 660/2006 |
| 39. | निर्वाचन संबंधी पुस्तिकाओं के वितरण संबंधी पत्राचार | 669/2006 |
| 40. | 42–अन्य व्यय भुगतान पत्रावली 2006–2007 | 677/2006 |
| 41. | आयोग कार्यालय/भवन हेतु भूमि विषयक | 683/2006 |
| 42. | अपर राजीव नगर स्थित आयोग भवन संबंधी पत्राचार | 716/2006 |
| 43. | अन्य राज्य निर्वाचन आयोग से पत्राचार | 717/2006 |
| 44. | जनपदों के पंचास्थानि चुनावालय हेतु किराया भवन स्वीकृति | 718/2006 |
| 45. | प्रोटोकाल के संबंध में। स्टोर | 723/2006 |

| | | |
|---|---|---|
| 46. | वाहन संख्या–यूए.07 एम. 0306 से संबंधित पत्रावली | 725/2006 |
| 47. | वाहन संख्या–यूए.07 एम. 2084 से संबंधित पत्रावली | 726/2006 |
| 48. | राज्य निर्वाचन आयुक्तों का सम्मेलन व्ययवस्था संबंधी। | 727/2006 |
| 49. | कम्प्यूटर कार्टेज क्रय | 740/2007 |
| 50. | भारत निर्वाचन आयोग से मतपेटिकायें स्थानांतरण किये जाने संबंधी | 762/2007 |
| 51. | नागर स्थानीय निर्वाचन–2008 हेतु निर्देश पुस्तिकाओं का मुद्रण | 755/2007 |
| 52. | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन हेतु निर्देश पुस्तिकाओं का मुद्रण | 756/2007 |
| 53. | निर्वाचन संबंधी सामग्री | 772/2007 |
| 54. | भारत निर्वाचन आयोग से ई.वी.एम. मांगने विषयक | 779/2007 |
| 55. | निर्वाचन स्टेशनरी जनपदों में भेजे जाने विषयक | 781/2007 |
| 56. | मुद्रण संबंधी बैठक | 782/2007 |
| 57. | सूचना विभाग से संबंधी पत्राचार | 788/2007 |
| 58. | प्रेक्षकों हेतु वाहन लगाया जाना। | 805/2008 |
| 59. | पंचास्थानि चुनावालय स्टोर में आगजनी घटना | 911/2008 |
| 60. | अन्य राज्यों के रा0नि0आ0 से पत्र व्यवहार पत्रावली | 1020/2009 |
| 61. | पंचास्थानि चुनावालयों से पत्राचार | 1021/2009 |
| 62. | निष्प्रयोज्य वस्तुओं का निस्तारण | 1167/2011 |
| 63. | समूह (घ) कर्मचारियों हेतु वर्दी पत्रावली | 1326/2012 |
| 64. | डाक मतपत्र पत्रावली | 1442/2013 |
| 65. | मतपेटियों को क्रय किये जाने विषयक | 1579/2014 |
| 66. | वाहन क्रय किये जाने के संबंध में | 1587/2014 |
| 67. | पंचास्थानि चुनावालयों हेतु कार्यालय फोटोकापियर, जनरेटर, फैक्स, कम्प्यूटर आदि क्रय किये जाने विषयक | 1595/2014 |
| 68. | क्रय समिति का गठन | 1606/2014 |
| 69. | ए0सी0 क्रय/मरम्मत तथा कूलर क्रय/मरम्मत | 1669/2014 |
| 70. | आयोग मुख्यालय में अधिकारियों/आगन्तुकों/बैठक हेतु जलपान व्यवस्था | 1670/2014 |
| 70. | आयोग मुख्यालय परिसर में फूल–पौधे क्रय एवं रखरखाव हेतु माली विषयक एवं अन्य | 1671/2014 |
| 71. | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2014 सकुशल सम्पन्न कराये जाने पर प्रशस्ति–पत्र दिये जाने विषयक | 1736/2014 |
| 72. | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2014 निर्वाचित पदाधिकारियों का विवरण संबंधी पुस्तिका | 1815/2014 |
| 73. | राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय हेतु साउण्ड सिस्टम क्रय किये जाने विषयक | 1829/2014 |
| 74. | नजारत/स्टोर से सम्बन्धित आवश्यक दिशा–निर्देश | 1842/2014 |
| 75 | जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2016 हेतु निर्वाचन सामग्री की मांग के संबंध में। | 1889/2015 |
| 76. | त्रि0पं0सा0 निर्वा0 2015–16 हेतु पत्राकार बैठक वार्ता में व्यय धनराशि भुगतान | 2013/2016 |
| 77. | पंचास्थानि चुनावालय हेतु कार्यालय/स्टोर भवन किराया | 2033/2016 |
| 78. | राज्य निर्वाचन आयोग के अतिथि के संबंध में | 2044/2016 |
| 79. | साईकिल क्रय एवं मरम्मत | 2073/2016 |
| 80. | सोलर एल0डी0डी0 स्टीट लाईट | 2074/2016 |
| 81. | कम्प्यूटर अनुरक्षण | 2084/2016 |
| 82. | टेलीफोन कनेन्शन/ब्राउबेन्ड संबंधी पत्रावली | 2092/2016 |
| 83. | राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय हेतु 15 के0वी सोलर प्लान्ट संबंधी पत्रावली | 2115/2016 |
| 84. | ई0वी0एम0 से सम्बन्धी बैठक | 2121/2016 |
| 85. | पंचास्थानि चुनावालय देहरादून हेतु शौचालय निर्माण विषयक | 2145/2017 |
| 86 | कार्यालय अनुरक्षण | 2153/2017 |
| | सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हेतु वाहन अनुबन्ध | 2190/2017 |
| 87 | नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन–2018 हेतु निर्वाचक नामावलियों की निर्देश पुस्तिकाओं के मुद्रण सम्बधी पत्रावली। | 2197/2017 |

| | | |
|---|---|---|
| 88 | नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2018 हेतु निर्वाचन सामग्री। | 2220 / 2017 |
| 89 | ई– टेण्डर विषयक पत्रावली। | 2234 / 2017 |
| 90 | ना0नि0 मतपत्रों हेतु ई–टेण्डरिंग विषयक पत्रावली | 2255 / 2018 |
| 91 | आदर्श आचरण संहिता–2018 पुस्तिका मुद्रण | 2259 / 2018 |
| 92. | बायोमेट्रिक मशीन लगाये जाने के संबंध में। | 2432 / 2018 |
| 93. | वर्षा जल संरक्षण पत्रावली। | 2445 / 2018 |
| 94 | राज्य निर्वाचन आयोग में हैल्थ संबंधी सुविधा विषयक पत्रावली। | 2596 / 2019 |
| 95 | विभिन्ना जनपदों को उपलब्ध कराये जाने वाली निर्वाचन सामग्री आवंटन संबंधी | 2671 / 2019 |

| | | |
|---|---|---|
| | **सचिव कैम्प संबंधी पत्रावली** | |
| 1. | सचिव भ्रमण कार्यक्रम (सचिव कैम्प) | 2218 / 2017 |
| | श्री एन0एस0 रावत परियोजना निदेशक, रूद्रप्रयाग संबंधी पत्रावली। | 2639 / 2019 |
| | **उप सचिव कैम्प संबंधी पत्रावली** | |
| 1. | विविध उप सचिव कैम्प कार्यालय | 1991 / 2015 |
| | **सहायक आयुक्त संबंधी पत्रावली** | |
| 1. | चतुर्थ श्रेणी कार्मियों की पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा–2016 | 2091 / 2016 |
| | मुख्यमंत्री हेल्प लाइन शिकायती प्रकोष्ठ लेन नं0–03 | 2863 / 2020 |

| | | |
|---|---|---|
| | **कम्प्यूटर प्रोग्रामर संबंधी पत्रावली** | |
| 1. | एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड | 1956 / 2015 |
| 2. | पंचायत / नागर निकायों की निर्वाचक नामावलियों के एकीकरण के संबंध में | 2078 / 2018 |
| 3. | मुख्यमंत्री हैल्पलाइन योजना के तहत विभागीय आई0डी के संबंध में। | 2762 / 2019 |
| | | |

# निर्वाचन अनुभाग–2 (पंचायत / नागर स्थानीय निकाय)
# पत्रावलियों की सूची

| क्र.सं. | पत्रावली / पंजिका का नाम | फाईल संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | निर्वाचन संबंधी सामान्य निर्देश | 09/2001 |
| 2. | ग्राम पंचायतों के गजट प्रकाशन सूची | 16/2001 |
| 3. | स्थानीय निकाय निर्वाचन हरिद्वार | 17/2001 |
| 4. | उप निर्वाचन पंचायत के कार्यक्रमों की घोषणा | 18/2001 |
| 5. | निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण | 20/2001 |
| 6. | प्रमुख, ज्येष्ठ / कनिष्ठ उप प्रमुख निर्वाचन–2001, हरिद्वार | 21/2001 |
| 7. | मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र की सूचना | 30/2001 |
| 8. | जिलाधिकारी को जि0नि0आ0 / प्र0अ0 नियुक्ति विषयक | 48/2001 |
| 9. | नागर निकाय की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण–2001 | 66/2001 |
| 10. | आयोग में विभिन्न राजनीतिक दलों का पंजीकरण | 68/2001 |
| 11. | त्रि.पं.नि.–2001 हेतु ग्रा.पं. / क्षे.पं. / जि.पं. सदस्यों के चुनाव प्रतीकों का प्रेषण | 77/2001 |
| 12. | त्रि.पं.सा.नि. मतदान स्थल पर सुरक्षा अधिकारी / कर्मचारियों की तैनाती | 79/2001 |
| 13. | त्रि.पं.नि. के अन्तर्गत विभिन्न पुस्तिकाओं का मुद्रण | 81/2001 |
| 14. | पंचायत निर्वाचन में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र लिया जाना | 84/2001 |
| 15. | त्रि.पं.नि.–2001–2002 दिनांक नियत करने हेतु राज्य सरकार को परामर्श / आदर्श आचरण संहिता | 85/2001 |
| 16. | त्रि.पं.सा.नि. में वि.ख. स्तर पर प्रबन्धकीय / संचालन व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण | 91/2001 |
| 17. | त्रि.पं.नि.–2001 में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले घोषणा पत्र / शपथ पत्र हेतु निर्देश | 94/2001 |

| | | |
|---|---|---|
| 18. | माह फरवरी, 2002 में नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन | 98/2001 |
| 19. | राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के व्यय विवरण का भेजा जाना | 99/2001 |
| 20. | पंचायत निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन की सूचना | 107/2001 |
| 21. | त्रि.पं.सा.नि.–2001 में मतदान स्थलों की स्वीकृति | 121/2001 |
| 22. | भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित पत्र–व्यवहार | 126/2001 |
| 23. | निर्वा.नामा. में संशोधन/फर्जी मतदाता सूची में संशोधन | 127/2001 |
| 24. | निर्वाचन से संबंधित विभिन्न निर्देश पुस्तिकाओं की मांग सूची | 128/2001 |
| 25. | त्रि.पं.सा.नि.–2001 में उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य निर्धारण | 137/2001 |
| 26 | त्रि.पं./न.नि.सा.नि.–2001 सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता का निर्धारण | 138/2001 |
| 27. | पं.नि.–2001 में उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा निर्धारण | 139/2001 |
| 28. | त्रि.पं.सा.नि.–2001 में मतदान स्थलों का निर्माण | 141/2001 |
| 29. | त्रि.पं.सा.नि.–2001 में चिकित्सा व्यवस्था | 144/2001 |
| 30. | त्रि.पं.सा.नि.–2001 हेतु जोनल म0/सैक्टर म0 की व्यवस्था | 146/2001 |
| 31. | त्रि.पं.सा.नि.–2001 में प्रेक्षकों की व्यवस्था | 147/2001 |
| 32. | त्रि.पं.सा.नि.–2001 में अ0/कर्मचारियों के लिए हल्का नाश्ता का निर्धारण | 145/2001 |
| 33. | नागर निकायों के निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों का पंजीकरण | 169/2001 |
| 34. | ना.स्था. के सामान्य निर्वाचन–2002 के लिये दिनांक नियत करने हेतु परामर्श | 181/2001 |
| 35. | नागर निकायों की निर्वाचन सामग्री | 183/2002 |
| 36. | आगामी ना.स्था.नि.सा.निर्वा.–2002 हेत नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों से जमानत धनराशि जमा कराया जाना | 184/2002 |
| 37. | ना. निकायों के निर्वा. हेतु नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य निर्धारण | 185/2002 |
| 38. | नागर निकायों के निर्वाचन में विभिन्न पदों हेतु चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा बावत् | 186/2002 |
| 39. | नागर निकायों के निर्वाचन हेतु मुक्त प्रतीक चिह्नों विषयक | 188/2002 |
| 40. | त्रि.पं. की निर्वा.नामा. के पुनरीक्षण के संबंध में | 197/2002 |
| 41. | नागर निकाय की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण–2002 | 198/2002 |
| 42. | ना.स्था.निकाय सामान्य निर्वाचन–2002 हेतु विभिन्न पुस्तिकाओं का मुद्रण | 202/2002 |
| 43. | ना.नि.सा.नि. में मतदान कर्मी/निर्वाचन अभिकर्ता के नियुक्ति विषयक | 207/2002 |
| 44. | जनसमस्यायें/शिकायतों का निस्तारण (कुमायूं मण्डल) | 245/2002 |
| 45. | जनसमस्यायें/शिकायतों का निस्तारण (गढ़वाल मण्डल) | 247/2002 |
| 46. | जनसमस्यायें/शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही विवरण | 249/2002 |
| 47. | शासन को भेजे जाने वाले जनपदों से प्राप्त शिकायतें | 253/2002 |
| 48. | नागर निकाय निर्वाचन–2002/निर्वाचक नामावली/शिकायती पत्रों का निस्तारण | 305/2002 |
| 49. | त्रि.पं.नि. के मतदान केन्द्र/स्थलों की स्वीकृति | 314/2002 |
| 50. | ग्रा.पं.क्षे.पं. तथा जि.पं. के पदों/स्थानों का आरक्षण | 324/2002 |
| 51. | नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाच के मतपत्रों विषयक | 331/2002 |
| 52. | नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के दौरान विशेष परिस्थितियों में स्वीकृति विषयक | 347/2003 |
| 53. | नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन–2003 से संबंधित शिकायती पत्रों पर कार्यवाही | 348/2003 |
| 54. | त्रि.पं.सा.नि.–2003 में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण | 365/2003 |
| 55. | त्रि.पं.सा.नि.–2003 में विभिन्न मामलो में अधिकारियो/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही | 371/2003 |
| 56. | सदस्य जिलापंचायत के पद/स्थानों के निर्वाचित होने की स्वीकृति दिया जाना | 383/2003 |
| 57. | क्षे.पं. के प्रमुख/उप प्रमुखों तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों के पदों पर निर्वाचन–2003 | 398/2003 |
| 58. | क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों/उप प्रमुखों एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों का निर्वाचन–2003 | 401/2003 |
| 59. | उप प्रधान पद का निर्वाचन, परामर्श, निर्देश कार्यवाही | 420/2003 |
| 60. | उप नगर प्रमुख, नगर निगम का निर्वाचन | 422/2003 |

| | | |
|---|---|---|
| 61. | विधान सभा, लोक सभा प्रश्न | 428/2003 |
| 62. | भारत निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दलों का पंजीकरण | 437/2003 |
| 63. | संक्षिप्त पुनरीक्षण–2004 जनपद हरिद्वार | 484/2004 |
| 64. | नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियो का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम–2004 | 488/2004 |
| 65. | पंचायत निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण की 15.5.2004 की सूचनाओं की पत्रावली | 510/2004 |
| 66. | पंचायत उप निर्वाचन–2004 | 513/2004 |
| 67. | त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन–2005 मे जनपद हरिद्वार में मतदान केन्द्र/मतदान स्थल के निर्माण एवं तत्संबंधी निर्देश | 531/2004 |
| 68. | प्रधान उप निर्वाचन–2005 | 541/2005 |
| 69. | नागर निकाय निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित, अपमार्जित एवं संशोधित करने विषयक | 547/2005 |
| 70. | राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता से विधि राय प्राप्त करने विषयक | 551/2005 |
| 71. | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन जनपद हरिद्वार–2005 | 557/2005 |
| 72. | जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत आरक्षण संबंधी | 561/2005 |
| 73. | नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन में इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाना | 564/2005 |
| 74. | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन जनपद हरिद्वार परामर्श/अधिसूचना | 567/2005 |
| 75. | संक्षिप्त पुनरीक्षण त्रिस्तरीय पंचायत–2005 | 575/2005 |
| 76. | संक्षिप्त पुनरीक्षण नागर स्थानीय निकाय–2005 | 576/2005 |
| 77. | जनपद हरिद्वार के पंचायत निर्वाचन में उद्घाटन आदि की स्वीकृति | 590/2005 |
| 78. | जनपद हरिद्वार के पंचायत निर्वाचन–2005 में शिकायती पत्रों के संबंध में | 591/2005 |
| 79. | जनपद हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उका निर्वाचन–2005 | 598/2005 |
| 80. | क्षेत्र पंचायत प्रमुख निर्वाचन हरिद्वार–2005 | 603/2005 |
| 81. | जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु निर्देश हरिद्वार | 604/2005 |
| 82. | मतदान/मतगणना हरिद्वार पत्र–व्यवहार | 605/2005 |
| | **महत्पूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन मतपत्र नमूना एवं टी.पी.** | |
| 83. | सूचना का अधिकार पत्रावली | 608/2005 |
| 84. | रिट.....दिनांक 19.10.2005 उच्च न्यायालय नैनीताल | 609/2005 |
| 85. | उप प्रधान, उप निर्वाचन–2005 | 610/2005 |
| 86. | जिला योजना के सदस्यों का निर्वाचन | 612/2005 |
| 87. | उप प्रधान सामान्य निर्वाचन हरिद्वार | 613/2005 |
| 88. | रिट संख्या–1242 हरिद्वार निर्वाचन–2005 | 617/2005 |
| 89. | त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन | 635/2005 |
| 90. | रिट पिटीशन संख्या–1379 श्रीमती कविता बनाम राज्य बहादराबाद, हरिद्वार | 642/2005 |
| 91. | रिट पिटीशन संख्या–1402 एम./एम. 2005 यामिन बनाम राज्य | 646/2005 |
| 92. | रिट संख्या–1009/एमबी/05 राव इरशाद खां बनाम राज्य व अन्य | 647/2005 |
| 93. | रिट संख्या–मिल/2005एमबी श्रीमती सुनीता देवी बनाम राज्य व अन्य | 648/2005 |
| 94. | मा. राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय की बैठक दिनांक 21 व 22 जनवरी, 2005 | 649/2005 |
| 95. | मा. राज्य निर्वाचन आयुक्तों की बैठक पत्रावली | 657/2006 |
| 96. | पंचायत एवं नागर निकाय निर्वाचन नामावली | 661/2006 |
| 97. | त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन–2006 | 685/2006 |
| 98. | वार्षिक सूचना रिर्पोट वर्ष 2005–2006 | 687/2006 |
| 99. | पंचायत चुनाव हेतु एन.जी.ओ. द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियान | 688/2006 |
| 100. | ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण | 695/2006 |
| 101. | स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण–2006 | 696/2006 |
| 102. | विविध रिटों से पत्राचार | 697/2006 |
| 103. | ग्राम पंचायत, प्रधान क्षेत्र पंचायत का उप निर्वाचन | 712/2006 |
| 104. | साफ्टवेयर/नेट पर राज्य निर्वाचन आयोग की सूचना उपलब्ध कराया जाना। | 715/2006 |

| | | |
|---|---|---|
| 105. | रिट पीटीशन संख्या–1154 2006 एम/बी | 719/2006 |
| 106. | उप प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पद/स्थानों का उपनिर्वाचन | 721/2006 |
| 107. | निर्वाचक नामावलियों में किन्नरों के पंजीकरण/ नामांकन के संबंध में। | 724/2006 |
| 108. | उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नागर निकाय में महिला पदाधिकारियों से संबंधित सूचना। | 729/2006 |
| 109. | शासन को भेजे जाने वाली विगत पांच वर्षों की उपलब्धियां | 730/2007 |
| 110. | त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण–2008 | 733/2007 |
| 111. | नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण–2008 | 734/2007 |
| 112. | त्रिस्तरीय पंचायतों का उप निर्वाचन–2007 | 738/2007 |
| 113. | त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2008 में मतदान केन्द्र/स्थान की स्थापना/निर्देश | 768/2007 |
| 114. | नागर निकाय निर्वाचन 2008 में मतदान केन्द्र/स्थान की स्थापना/निर्देश | 769/2007 |
| 115. | त्रिस्तरीय पंचायतें कमें राज्य के 12 जनपदों के ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन के विवरण संबंधी। | 770/2007 |
| 116. | जनपद हरिद्वार निर्वाचन संबंधित निर्देश के संकलन का मुद्रण | 771/2007 |
| 117. | त्रिस्तरीय पंचायतो के सामान्य निर्वाचन–2008 | 780/2007 |
| 118. | नागर स्थानीय निकाय के सामान्य निर्वाचन–2008 हेतु निर्देश | 785/2007 |
| 119. | त्रिस्तरी पंचायत के सामान्य निर्वाचन–2008 हेतु निर्देश | 786/2007 |
| 120. | ई.वी.एम. से संबंधित निर्देश विषयक | 787/2007 |
| 121. | विधिक प्रकरण नागर निकाय से संबंधित | 789/2007 |
| 122. | पंचायतों के पदों एवं स्थानों के आरक्षण संबंधी | 790/2007 |
| 123. | नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन–2008 हेतु बैठक विषयक | 793/2008 |
| 124. | नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन 2008 | 794/2008 |
| 125. | नागर स्थानीय के सामान्य निर्वाचन–2008 के दौरान विशेष स्वीकृति दिये जाने विषयक। | 803/2008 |
| 126. | नागर स्थानीय के सामान्य निर्वाचन–2008 के शिकायती पत्रों का निस्तारण। | 804/2008 |
| 127. | गतगणना–2008 | 806/2008 |
| 128. | नागर स्थानीय के सामान्य निर्वाचन–2008 के मतदाता सूची में संशोधन | 807/2008 |
| 129. | नाम–निर्देशन पत्र की सूचना विषयक | 812/2008 |
| 130. | मतपत्रों संबंधी निर्देश | 813/2008 |
| 131. | नागर निकायों का गठन एवं विज्ञप्ति | 832/2008 |
| 132. | उप नगर प्रमुख का निर्वाचन | 844/2008 |
| 133. | त्रिस्तरीय पंचायत का परिणाम इंटरनेट पर प्रसारित किया जाना | 858/2008 |
| 134. | शासन स्तर पर लम्बित प्रकरण विषयक संदर्भ | 885/2008 |
| 135. | त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन–2008 से संबंधित शिकायती पत्रों का निस्तारण | 891/2008 |
| 136. | आचार संहिता के दौरान अनुमति विषयक | 892/2008 |
| 137. | त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन–2008 हेतु मतगणना/स्थल का निर्माण | 893/2008 |
| 138. | मतपत्रों से संबंधित भेजे जाने वाले निर्देश | 895/2008 |
| 139. | आचार संहिता में अनुमति/स्वीकृति प्रदान किया जाना | 897/2008 |
| 140. | प्रमुख एवं उप प्रमुखों तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्षों का निर्वाचन | 916/2008 |
| 141. | रिट पिटीशन संख्या–669/2008 श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग | 917/2008 |
| 142. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, श्री आर.पी. जोशी अभिनंदन फर्नीचर, हल्द्वानी नैनीताल | 918/2008 |
| 143. | डा. एस.एल. दीक्षित, कैराना रोड, कांढला मुजफ्फरनगर | 919/2008 |
| 144. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत विभिन्न जिज्ञासाएं/दिशा निर्देश | 920/2008 |
| 145. | रिट पिटीशन संख्या–1476/2008 श्री मंजीत कौर बनाम राज्य निर्वाचन आयोग | 921/2008 |
| 146. | रिट पिटीशन संख्या–02/2008 श्रीमती रिहाना पत्नी श्री वहीद अहमद, लण्डौर रूड़की, हरिद्वार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग | 922/2008 |

| | | |
|---|---|---|
| 147. | ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक कराये जाने के संबंध में | 925/2008 |
| 148. | अध्यक्षों/उपाध्यक्षों, जिला पंचायत का निर्वाचन–2008 | 926/2008 |
| 149. | प्रमुखों एवं उप प्रमुखों क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन–2008 | 927/2008 |
| 150. | जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों का आरक्षण–2008 | 928/2008 |
| 151. | रिट पिटीशन संख्या–132/2008 श्री सुबोध गोयल बनाम विरेन्द्र आदि | 942/2008 |
| 152. | रिट पिटीशन संख्या–129/2008 श्रीमती बीना शर्मा बनाम तारो देवी आदि | 943/2008 |
| 153. | रिट पिटीशन संख्या–1730/2008 श्री अलेल सिंह बनाम जिलाधिकारी टिहरी आदि | 944/2008 |
| 154. | उप प्रधान का सामान्य निर्वाचन–2008 | 946/2008 |
| 155. | रिट पिटीशन संख्या–138/2008 श्रीमति उषा बनाम श्रीमती देवंती देवी व अन्य | 953/2008 |
| 156. | सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव, उधमसिंहनगर | 958/2008 |
| 157. | उपनल कार्मिकों की उपस्थिति सूचना/भुगातन की कार्यवाही | 959/2008 |
| 158. | रिट पिटीशन संख्या–135/2008 श्रीमति प्रतिभा बनाम श्रीमती सुमन व अन्य | 960/2008 |
| 159. | रिट पिटीशन संख्या–04/2008 श्रीमति सत्ता शर्मा बनाम चुनाव आयुक्त व अन्य उधमसिंहनगर | 966/2008 |
| 160. | रिट पिटीशन संख्या–1906/2008 चन्दराम बनाम राज्य राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य | 968/2008 |
| 161. | रिट पिटीशन संख्या–1013/2008 मुकंदगेन बनाम राज्य राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य | 969/2008 |
| 162. | रिट पिटीशन संख्या–201/एम.एस./2009 नियाज अहमद बनाम अब्दुल सत्तार | 988/2009 |
| 163. | त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन–2009 | 989/2009 |
| 164. | जि0पं0नि0–2014 के उपरान्त पुर्नमतगणना सम्बन्धी पत्रावली | 1925/2015 |
| 165. | रिट याचिका संख्या–1009/2015 रूकमा देवी बनाम पुष्पा देवी व अन्य | 1931/2015 |
| 166. | श्री मदन सिह अधिकारी, जल निगम शाखा बैलपंडाव, जनपद हल्द्वानी का लापता विषयक | 1934/2015 |
| 167. | रिट याचिका संख्या–1548/2015 राजेश पोखरियाल बनाम सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, धारी, नैनीताल व अन्य | 1939/2015 |
| 168. | जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पचांयत सामान्य निर्वाचन–2015 हेतु प्रपत्रों/प्रारूपों/ फोलियो बैज मुद्रण सम्बन्धी | 1940/2015 |
| 169. | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2014 के पश्चात् मई–2015 तक हुये उपनिर्वाचना में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों की अनर्हता संबंधी | 1941/2015 |
| 170. | जनपद हरिद्वार सामान्य निर्वाचन–2011 के पश्चात् हुये उप निर्वाचनों में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों की अनर्हता संबंधी | 1942/2015 |
| 171. | जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन–2015 हेतु मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों के सम्बन्ध में निर्धारण/स्वीकृति | 1945/2015 |
| 172. | जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन–2015 हेतु आर0ओ0/ए0आर0ओ0 /सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारियों/कार्मिकों के सम्बन्ध में | 1946/2015 |
| 173. | अपील संख्या–380/2015 सुषमा फर्त्याल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1954/2015 |
| 174. | रिट याचिका संख्या–2354/2014 श्री सोहन सिह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1955/2015 |
| 175. | अपील संख्या–387/2015 लखपत बनाम देवेन्द्र व अन्य | 1957/2015 |
| 176. | रिट याचिका संख्या–2358(एम0एस)/2015 जोध सिह, जनपद हरिद्वार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 1962/2015 |
| 177. | अपील संख्या–2535/2015 भुवन चन्द्र भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | 1971/2015 |
| 178. | रिट याचिका संख्या–183(पी0आई0एल0)/2015 आविद अली, जनपद हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1975/2015 |
| 179. | रिट याचिका संख्या–2768/(एम0एस0)2015 नागेन्द्र सिह बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य | 1976/2015 |
| 180. | अनुभाग–2 के कार्मिकों के मध्य कार्य आंवटन विशयक | 1977/2015 |
| 181. | जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2015 निर्वाचक नामावली | 1978/2015 |

| | में परिवर्द्धन / अपमार्जन / संशोधन विषयक | |
|---|---|---|
| 182. | जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2015 हेतु निर्देश विषयक | 1980 / 2015 |
| 183. | जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पचायत सामान्य निर्वाचन–2015 हेतु प्रेक्षक की नियुक्ति | 1981 / 2015 |
| 184. | जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2015 हेतु निर्वाचन व्यय विवरण | 1982 / 2015 |
| 185. | रिट याचिका संख्या–3030(एम0एस0) / 2015 अजय सिह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1986 / 2015 |
| 186. | रिट याचिका संख्या–198(पी.आई.एल.) / 2015मो0 दानिश बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1987 / 2015 |
| 187. | रिट याचिका सं0–2929(एम0एस0) / 2015श्री रवीन्द्र कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1992 / 2015 |
| 188. | रिट याचिका संख्या–2908(एम0एस0) / 2015 श्री दिनेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1993 / 2015 |
| 189. | रिट याचिका संख्या–2930(एम0एस0) / 2015 श्री शौकीन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1994 / 2015 |
| 190. | रिट याचिका संख्या–2943(एम0एस0) / 2015 श्री संजय कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1995 / 2015 |
| 191. | रिट याचिका संख्या–2951(एम0एस0) / 2015 श्री जावेद अली बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1996 / 2015 |
| 192. | रिट याचिका संख्या–2963(एम0एस0) / 2015 श्री ताज मोहम्मद जनपद हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1997 / 2015 |
| 193. | रिट याचिका संख्या–2964(एम0एस0) / 2015 श्री सोनू बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1998 / 2015 |
| 194. | रिट याचिका संख्या–2912(एम0एस0) / 2015 श्री मो0 मुस्तफा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1999 / 2015 |
| 195. | रिट याचिका संख्या–2950(एम0एस0) / 2015 श्री दिनेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2000 / 2015 |
| 196. | रिट याचिका संख्या–2913(एम0एस0) / 2015 श्री जोगेन्द्र सिह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2001 / 2015 |
| 197. | रिट याचिका संख्या–2959(एम0एस0) / 2015 श्री अनिल कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2002 / 2015 |
| 198. | रिट याचिका संख्या–2917(एम0एस0) / 2015 श्रीमती विमलेष देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2003 / 2015 |
| 199. | रिट याचिका संख्या–2915(एम0एस0) / 2015 श्री रियासत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2004 / 2015 |
| 200. | रिट याचिका संख्या–2937(एम0एस0) / 2015 श्री योगेश कुमार चौहान बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2005 / 2015 |
| 201. | रिट याचिका संख्या–3013(एम0एस0) / 2015 श्री आविद हसन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2008 / 2015 |
| 202. | जनपद हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का सा0निर्वाचन–2016 | 2014 / 2016 |
| 203. | जनपद हरिद्वार में प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख का सा0निर्वाचन–2016 | 2015 / 2016 |
| 204. | रिट याचिका संख्या–166 (एम0एस0) / 2016 श्री अनिल कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2023 / 2016 |
| 205. | रिट याचिका संख्या–3266(एम0एस0) / 2016 श्री तेजपाल चौहान बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी व अन्य | 2026 / 2016 |
| 206. | रिट याचिका संख्या–167(एम0एस0) / 2016 श्री मो0 अनीस बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2029 / 2016 |
| 206. | 12 जनपदों में ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त | 2035 / 2016 |

| | | |
|---|---|---|
| | पुनरीक्षण–2016 | |
| 207. | रिट याचिका संख्या–3183(एम0एस0)/2015 श्रीमती पूनम चौहान जनपद हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2038/2016 |
| 208. | रिट याचिका संख्या–458(एम0एस0)/2016 श्रीमती राशिदा जनपद देहरादून बनाम श्रीमती मनीषा पाल एवं अन्य | 2045/2016 |
| 209. | रिट याचिका संख्या–509 एव 510/2016(एम0एस0)/2015 श्रीमती सुनीता देवी बनाम गिरीश चन्द्र पोखरिया व श्रीमती सुनीता देवी बनाम टीकम चन्द्र व अन्य | 2046/2016 |

## निर्वाचन अनुभाग–2 (पंचायत निवार्चन) में संरक्षित पत्रावलियों की सूची

| | | |
|---|---|---|
| 1. | रिट याचिका संख्या–510 श्रीमती शबनम बनमा प्रेमलता व अन्य | 1010/2009 |
| 2. | रिट याचिका संख्या–1552 श्रीमती सुनीता बनमा उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य प्रेमलता व अन्य | 1011/2009 |
| 3. | रिट याचिका संख्या–588 श्री विद्यासागर नौटियाल बनाम जिला निर्वाचन | 1012/2009 |
| 4. | जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन–2010 | 1014/2009 |
| 5. | जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षणके सम्बन्ध में | 1015/2009 |
| 6. | रिट याचिका संख्या–2259/08 श्री आनन्द प्रसाद गड़िया बनाम राज्य सरकार | 1016/2009 |
| 7. | जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन–2010 हेतु सामान्य निर्देश | 1017/2009 |
| 8. | मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल रिट याचिका संख्या–551/2009 मलकीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एंव अन्य | 1028/2009 |
| 9. | रिट याचिका संख्या–868/2009 नित्यानन्द गड़कोटी, अल्मोड़ा बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड व अन्य | 1029/2009 |
| 10. | रिट याचिका संख्या–602/09 नन्दन सिंह, बागेश्वर बनाम जिला जज बागेश्वर | 1030/2009 |
| 11. | जनपद हरिद्वार के त्रि0पं0निर्वा0–2010 हेतु विस्तृत पुनरीक्षण | 1031/2009 |
| 12. | रिट याचिका संख्या–59/2009 श्री हरीस साहनी बनाम राजकुमार एवं अन्य | 1043/2009 |
| 13. | रिट याचिका संख्या–1210/2009 श्रीमती सावित्री देवी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 1047/2009 |
| 14. | रिट याचिका संख्या–1286/2009 श्रीमती लक्ष्मी नेगी (लक्ष्मी जग्गी) जनपद–रूद्रप्रयाग बनाम सविता देवी भण्डारी, रूद्रप्रयाग व अन्य | 1048/2009 |
| 15. | त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में दो बच्चों से सम्बन्धित प्राविधान के संबंध में | 1067/2009 |
| 16. | रिट याचिका संख्या–753 श्री चरनपाल, देहरादून बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1094/2010 |
| 17. | रिट याचिका संख्या–1419 श्री मन्जीत पाल चन्दी, ऊधमसिंहनगर, बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1095/2010 |
| 18. | रिट याचिका संख्या–1520 श्री मन्जीत पाल चन्दी, ऊधमसिंहनगर, बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1096/2010 |
| 19. | रिट याचिका संख्या–1691 श्रीमती बीना शर्मा, देहरादून बनाम मुख्य निर्वाचनअधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1097/2010 |
| 20. | जनपद हरिद्वार के त्रि0पं0सा0नि0–2010 हेतु मतदान केन्द्र/स्थल | 1105/2010 |
| 21. | जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या–1826, 1828 एवं 1821 मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर। | 1122/2010 |
| 22. | जनपद हरिद्वार के जिला पंचायत निर्वाचन 2010 | 1126/2010 |
| 23. | वाद संख्या–07/2008 बीना देहरादून बनाम बरीसा एवं अन्य | 1133/2010 |
| 24. | वाद संख्या–09/2008 प्रेमलता बनाम श्रीमती शीतल एवं अन्य | 1134/2010 |
| 25. | वाद संख्या–01/2008 सुनीता देहरादून बनाम मीरा देवी एवं अन्य | 1135/2010 |
| 26. | जनपद हरिद्वार के त्रि0पं0सा0नि0हेतु आर0ओ0, ए0आर0ओ0 सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्ति के सम्बन्ध में | 1143/2010 |
| 27. | आदर्श आचरण संहिता के सम्बन्ध में | 1144/2010 |
| 28. | जनपद हरिद्वार के विभिन्न विभागों को अनुमति दिये जाने विषयक | 1152/2011 |

| | | |
|---|---|---|
| 29. | जनपद हरिद्वार के निर्वाचन–2011 हेतु मतगणना केन्द्र/स्ट्रांगरूम के संबंध | 1153/2011 |
| 30. | जनपद हरिद्वार के उप प्रधान का सामान्य निर्वाचन–2011 | 1157/2011 |
| 31. | जनपद हरिद्वार के प्रमुखों का सामान्य निर्वाचन–2011 | 1158/2011 |
| 32. | जनपद हरिद्वार के जि0पं0 सामान्य निर्वाचन–2011 के मतगणना परिमाण के सम्बन्ध में | 1160/2011 |
| 33. | जनपद हरिद्वार के वर्ष 2011 में सम्पन्न हुए त्रि0पं0साम0निर्वा0 के पश्चात प्रथम बैठक | 1174/2011 |
| 34. | रिट संख्या–49/2011 चमन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1175/2011 |
| 35. | रिट संख्या–389/2011 लाजवन्ती बनाम राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड | 1176/2011 |
| 36. | रिट संख्या–144/2011 जगजीवन राम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1177/2011 |
| 37. | रिट संख्या–16/2011 सीमा देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1178/2011 |
| 38. | रिट संख्या–226/2011 रवीन्द्र कुमार त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1179/2011 |
| 39. | रिट संख्या–248/2011 भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1180/2011 |
| 40. | आयुष विभाग के निर्वाचन के सम्बन्ध में | 1204/2011 |
| 41. | रिट याचिका संख्या–692/2011 विजयपाल हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1211/2011 |
| 42. | रिट याचिका संख्या–41/2011 निदोष पंवार हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1212/2011 |
| 43. | रिट याचिका संख्या–86/2011 धर्मपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1213/2011 |
| 44. | रिट याचिका संख्या–2079/2011 लता शर्मा बनाम परगना अधिकारी, उधमसिंह नगर व अन्य | 1214/2011 |
| 45. | निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाभिहित किया जाना | 1221/2011 |
| 46. | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2013 हेतु परिसीमन/आरक्षण सम्बन्धी | 1278/2012 |
| 47. | रिट संख्या–207/2011 बलविन्दर सिंह बनाम रा0नि0आयोग व अन्य | 1294/2012 |
| 48. | रिट संख्या–853/2011 सुषमा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1295/2012 |
| 49. | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2013 के सम्बन्ध में शिकायती प्रकरण | 1335/2012 |
| 50. | रिट संख्या–61/2012 विशन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में | 1155/2012 |
| 51. | उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के त्रि0पं0 सामान्य निर्वाच–2013 हेतु सूचना /प्रपत्र/परिणाम से सम्बन्धित | 1395/2013 |
| 52. | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2015 हेतु मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों के निर्धारण के सम्बन्ध में | 1496/2013 |
| 53. | जनहित याचिका संख्या–140/2013 श्री ललीत मोहन पंत बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य | 1523/2013 |
| 54. | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2014 हेतु निःशक्त एवं विकलांग जनों के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश | 1563/2013 |
| 55. | निर्वाचन के शपथ पत्र और न्यायायिक शपथ पत्र आयुक्तों द्वारा अवैधानिक तरीके से तस्दीक के सम्बन्ध में | 1613/2014 |
| 56. | रिट संख्या–184/2014 श्री किशन सिंह भन्डारी बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य | 1614/2014 |
| 57. | रिट संख्या–157/2014 श्री राजेश व्यास बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य | 1615/2014 |
| 58. | रिट संख्या–154/2014 श्री सतीश रावत बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य | 1616/2014 |
| 59. | रिट संख्या–185/2014 श्रीमुकेश चतुर्वेदी बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य | 1617/2014 |

285

| | | |
|---|---|---|
| 60. | रिट संख्या–164/2014 श्री अशोक कुमार बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य | 1618/2014 |
| 61. | रिट संख्या–2927/2013 श्री महेश पुत्र श्री खुशी राम बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य | 1619/2014 |
| 62. | रिट संख्या–165/2014 श्री पंकज कुमार पुत्र श्री देवी प्रकाश बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य | 1620/2014 |
| 63. | रिट संख्या श्री सरोज कुमार अवस्थी बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य | 1621/2014 |
| 64. | रिट संख्या–49/2014 श्री आशीष वेलवाल बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड व अन्य | 1622/2014 |
| 65. | रिट संख्या–333/2014 श्रीमती गीता राणा बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य के सम्बन्ध में | 1631/2014 |
| 66. | पंचायत चुनाव सुधारों के सम्बन्ध में सुझाव | 1632/2014 |
| 67. | रिट संख्या–284 आगनबाड़ी कार्यकत्र/सेविका कर्मचारी यूनियन बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड व अन्य | 1641/2014 |
| 68. | रिट संख्या–757/2014 तजलीस अहमद बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य | 1664/2014 |
| 69. | रिट संख्या–688/2014 अतुल कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1665/2014 |
| 70. | स्पेशल अपील संख्या–104/2014 मान सिंह सैनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1666/2014 |
| 71. | रिट संख्या–737/2014 प्रमोद कुमार भाटी एवं अन्य बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी व अन्य | 1667/2014 |
| 72. | रिट संख्या–/2014 श्री हयात सिंह अधिकारी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 1682/2014 |
| 73 | रिट संख्या–1232 /2014 श्री गामी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 1691/2014 |
| 74 | रिट संख्या–78/2014 गणेष उपाध्याय बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 1692/2014 |
| 75 | रिट संख्या–1104/2014 कैलाष चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 1693/2014 |
| 76 | रिट संख्या–1044/2014 कर्नल समीत नवानी एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य। | 1695/2014 |
| 77 | रिट संख्या–351/2014 सरस्वती जोषी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 1696/2014 |
| 78 | रिट संख्या–1211/2014 सलीम अहमद बनाम आयोग व अन्य। | 1697/2014 |
| 79 | रिट संख्या–1152/2014 दिलषाह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 1698/2014 |
| 80 | रिट संख्या–...../2014 अयेषा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 1699/2014 |
| 81 | रिट संख्या–1700/2014 कृपाल सिह मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 1700/2014 |
| 82 | रिट संख्या–1171/2014 डब्बल सिह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 1701/2014 |
| 83 | रिट संख्या–1710/2014 बीरेन्द्र सिह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 1702/2014 |
| 84 | रिट संख्या–199/2014 दिलषाह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 1704/2014 |
| 85 | रिट संख्या–197/2014 आगनबाडी कार्यकत्री, सेविका संघ एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 1705/2014 |
| 86 | रिट संख्या–1706/2014 सुरजीत सिह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 1706/2014 |
| 87 | त्रिस्तरीयं पचायत सामान्य निर्वाचन–2008 में प्रतिभाग करने वाले प्रत्याषी जिनके द्वारा व्यय विवरण जमा नही किया आयोग द्वारा 2014 के निर्वाचन उन्हें अनर्ह किया गया। | 1710/2014 |
| 88 | त्रिस्तरीयं पचायत सामान्य निर्वाचन–2014 हेतु प्रमुखों/उपप्रमुखों के निर्वाचन हेतु षासन को भेजे जाने वाला परामर्ष। | 1715/2014 |
| 89 | त्रिस्तरीयं पचायत सामान्य निर्वाचन–2014 हेतु अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचन हेत षासन को भेजे जाने वाला परामर्ष। | 1716/2014 |
| 90 | रिट संख्या–1320/2014 बहादुर बनाम राज्यादि व अन्य। | 1717/2014 |
| 91 | रिट संख्या–1386/2014 किषोरी लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 1718/2014 |
| 92 | रिट संख्या–1394/2014 भूपेन्द्र सिह, नैनीताल बनाम राज्य व अन्य। | 1719/2014 |
| 93 | रिट याचिका संख्या–1378/(एम0एस0)/2014 विश्णु दत्त पाण्डे बनाम आयोग व | 1723/2014 |
| 94 | रिट याचिका संख्या–1383/(एम0एस0)/2014 महेष चन्द्र पाण्डे बनाम आयोग व | 1724/2014 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 | रिट याचिका संख्या–1369(एम0एस0)/2014 हेमलता हलधर बनाम आयोग व अन्य | 1725/2014 |
| 96 | रिट याचिका संख्या–1371(एम0एस0)/2014 मोहन चन्द्र बनाम आयोग व अन्य | 1726/2014 |
| 97 | रिट याचिका संख्या–1375एम0एस0)/2014 हंसा देवी बनाम आयोग व अन्य | 1727/2014 |
| 98 | त्रि0पं0साम0नि0–2014 के निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा विवरण जमा किये जाने विशयक। | 1733/2014 |
| 98 | पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत के प्रतिनिधियों की सूचना के समबन्ध में। | 1745/2014 |
| 99 | 12 जनपदों के त्रिस्तरीयं पचायतों के समान्य निर्वाचन–2014 ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक सम्बन्धी। | 1748/2014 |
| 100 | त्रिस्तरीयं पचायत सामान्य निर्वाचन–2014 न्यायालय प्रकरण, देहरादून। | 1755/2014 |
| 101 | रिट याचिका संख्या–1449(एम0एस0)/2014 रविन्द्र जुगलान पौडी गढवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 1762/2014 |
| 102 | निर्वाचन याचिका संख्या–01/2014 दीपा देवी, जनपद चम्पावत बनाम एवं निर्वाचन अधिकारी व अन्य। | 1764/2014 |
| 103 | निर्वाचन याचिका संख्या–02/2014भावना देवी, जनपद चम्पावत बनाम निर्वाचन [illegible] | 1765/2014 |
| 104 | उत्तराखण्ड राज्य के 12 जनपदों में उपप्रधानों का सामान्य निर्वाचन–2014 | 1775/2014 |
| 105 | क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की प्रथम बैठक पत्रावली | 1776/2014 |
| 106 | रिट याचिका संख्या–1817/2014 गोपाल सिह बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त | 1784/2014 |
| 107 | रिट याचिका संख्या–1818/2014 योगेन्द्र सिह मेहरा बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त | 1785/2014 |
| 108 | रिट याचिका संख्या–1819/2014 श्रीमती गीता बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य | 1786/2014 |
| 109 | रिट याचिका संख्या–1820/2014 लता गोस्वामी बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त | 1787/2014 |
| 110 | रिट याचिका संख्या–1821/2014 गंगा दत्त बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त | 1788/2014 |
| 111 | रिट याचिका संख्या–1822/2014 बनवंत सिह विश्ट बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त | 1789/2014 |
| 112 | रिट याचिका संख्या–1823/2014 आनन्दी देवी बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त | 1790/2014 |
| 113 | रिट याचिका संख्या–1824/2014 भुवन चन्द्र पोखरिया बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त | 1792/2014 |
| 114 | चुनाव याद संख्या–02/2014 श्री गोपाल सिह एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य। | 1804/2014 |
| 115 | रिट याचिका संख्या–1723/2014 श्रीमती मंजूलता बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1805/2014 |
| 116 | रिट याचिका संख्या–11692/2014 श्रीमती सुनीता देवर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व | 1806/2014 |
| 117 | रिट याचिका संख्या–1675/2014 राजेष बलूनी बनाम डिम्पल एवं अन्य | 1807/2014 |
| 118 | रिट याचिका संख्या–1320/2014 आई बहादुर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1808/2014 |
| 119 | रिट याचिका संख्या–1812/2014 विमला नौटियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1821/2014 |
| 120 | रिट याचिका संख्या–1337/2014 लवकुश बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 1822/2014 |
| 121 | चुनाव याचिका संख्या–02/2014 श्री गोबिन्द सिह दानू बनाम हरीष ऐठानी व अन्य | 1841/2014 |
| 122 | त्रिस्तरीयं पचायत निर्वाचन–2014 के पश्चात रिक्त रह गये प्रधान,सदस्य, सदस्य क्षेत्र पचायत एवं जिला पंचायत के पदों/स्थानों का उपनिर्वाचन | 1843/2014 |
| 123 | विधान सभा में उठाये गये प्रष्नों के समबन्ध में। | 1863/2014 |
| 124 | जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन–2016 परिसीमन/आरक्षण सम्बन्धी पत्रावली। | 1881/2015 |
| 125 | रिट याचिका संख्या–03 वर्ष 2015 श्रीमती शान्ति देवी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग | 1885/2015 |
| 126 | जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन–2016 विस्तृत पुनरीक्षण पत्रावली | 1892/2015 |
| 127 | रिक्त पदों/स्थानों की सूचना माह अप्रैल/मई–2015 | 1909/2015 |
| 128. | जनपद हरिद्वार में उप प्रधान, ग्राम पंचायत का सामान्य निर्वाचन–2016 | 2047/2016 |
| 129. | रिट याचिका स0 652 एम0एस0 2016 श्री अरूण कुमार बनाम राज्य निर्वाचन | 2051/2016 |
| 130. | 12 जनपदो के त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पद/स्थानों का उप निर्वाचन माह | 2053/2016 |

| | | |
|---|---|---|
| 131. | रिट याचिका सं0–2669 श्रीमती जषोदा राणा बनाम विमला नौटियाल व अन्य | 2109 / 2016 |
| 132. | समस्त 13 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन विशयक | 2111 / 2016 |
| 133. | निर्वाचन याचिका संख्या–01 / 2014 पीतान्दी बनाम सुलेमान व अन्य | 2117 / 2016 |
| 134. | समस्त जनपदो में उप प्रधान, ग्राम पंचायत का उप निर्वाचन 2018 | 2119 / 2016 |
| 135. | रिट संख्या–205 / 2016 श्री रविन्द्र जुगरान बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त | 2133 / 2016 |
| 136. | दिनांक 25 जनवरी मतदाता जागरूकता दिवस विशयक | 2136 / 2016 |
| 137. | समस्त जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पद / स्थानों पर उप निर्वाचन माह | 2156 / 2017 |
| 138. | जनपद अल्मोड़ा में ग्राम पंचायतों का पनर्गठन एवं उप निर्वाचन | 2158 / 2017 |
| 139. | उप प्रधान का उप निर्वाचन माह जुलाई, 2017 | 2188 / 2017 |
| 140. | रिट याचिका संख्या–703(एम0 / एस0)2017 अरविन्द कुमार बनाम मुख्य निर्वाचन | 2178 / 2017 |
| 141. | रिट याचिका संख्या–1836(एम0 / एस0)2011 श्रीमती सुमन बनाम उत्तराखण्ड राज्य | 2212 / 2017 |
| 142. | रिट याचिका संख्या–91(पी0आई0एल0)2017 धर्मेन्द्र आर्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं | 2215 / 2017 |
| 143. | रिट याचिका संख्या–01 / 2017 कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली | 2219 / 2017 |
| 144. | रिट याचिका संख्या–351(एम0 / एस0)2014 श्रीमती सरस्वती जोषी एवं अन्य बनाम | 2222 / 2017 |
| 145. | रिट याचिका संख्या–2800(एम0 / एस0)2014 चन्दन सिंह बिश्ट एवं अन्य बनाम | 2223 / 2017 |
| 146. | 13 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन माह नवम्बर–दिसम्बर, 2017 | 2229 / 2017 |
| 147. | समस्त जनपदों में उप प्रधान ग्राम पंचायत का उप निर्वाचन माह दिसम्बर, 2017 | 2241 / 2017 |
| 148. | रिट याचिका पत्र पत्रावली 2017 निर्देष पंवार | 2243 / 2017 |
| 149. | प्रमुख एवं उप प्रमुख का उप निर्वाचन | 2286 / 2017 |
| 150 | उत्तराखण्ड राज्य में समस्त जनपदों में विभिन्न प्रकार रिक्त पदो के उप निर्वाचन मई 2018 | 2430 / 208 |
| 151 | त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन की तैयारी। | 2434 / 2018 |
| 152 | उप प्रधान ग्राम पंचायत के उप निर्वाचन जून–2018 | 2442 / 2018 |
| 153 | रिट सं0–1148 एम0एस0 श्रीमती सविता बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य। | 2449 / 2018 |
| 154 | चुनाव याचिका संख्या–86 / 2014 श्री इन्दर सिंह नेगी बनाम श्री राजेश नौटियाल व अन्य | 2459 / 2018 |
| 155 | पुनर्गठित ग्राम पंचायतों के संबंध में कार्यवाही। | 2471 / 2018 |
| 156 | त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पद / स्थानों पर उप निर्वाचन माह नवम्बर–दिसम्बर, 2018 | 2477 / 2018 |
| 157 | पंचायत निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण की कार्यवाही। | 2483 / 2018 |
| 158 | रिट याचिका संख्या–3193 / 2018 श्री अभिषेक पंत बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य। रिट याचिका संख्या–3194 / 2018 बनाम श्री कविन्द्र सेमवाल बनाम रा0नि0आ0 व अन्य। | 2529 / 2018 |
| 159 | उत्तराखण्ड राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों का पुर्नपरीसीमन / पुर्नगठन एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण 2019 | 2564 / 2019 |
| 160 | 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रो / स्थलों की स्थापना। | 2578 / 2019 |
| 161 | रिट याचिका संख्या–513 / 2018 श्री रमेश सिंह भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 2586 / 2019 |
| 162 | जनहित याचिका संख्या–21 / 2019 श्री विपुल जैन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2590 / 2019 |
| 163 | रिट याचिका संख्या–698 / 2019 श्री रविन्द्र जुगरान बनाम राज्य निर्वाचन आयोग। | 2592 / 2019 |

| | | |
|---|---|---|
| 164 | रिट याचिका संख्या–918/2019 श्री दिनेश केमवाल बनाम कविन्द्र सेमवाल व अन्य। | 2593/2019 |
| 165 | रिट याचिका संख्या–857/2019 श्री मनीष वर्मा बनाम भारत निर्वाचन आयोग व अन्य। | 2620/2019 |
| 166 | जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत के उप निर्वाचन–2019 से संबंधित | 2623/2019 |
| 167 | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 हेतु निर्देश प्रपत्रों का मुद्रण का निर्धारण | 2633/2019 |
| 168 | रिट याचिका संख्या–3030/2019 श्री अजय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2644/2019 |
| 169 | रिट याचिका संख्या–1209, 1385, 1571 /2019 श्री प्रकाश चन्द्र नाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2644/2019 |
| 170 | जनपद हरिद्वार उप प्रधानों के निर्वाचन–2019 से संबंधित | 2652/2019 |
| 171 | जनपद हरिद्वार प्रमुख/उप प्रमुखों के निर्वाचन–2019 से संबंधित | 2653/2019 |
| 172 | रिट याचिका संख्या–1960 /2019 (एम0एस0) श्री लखन सिंह नाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2663/2019 |
| 173 | रिट याचिका संख्या–2058 /2019 श्री धमेन्द्र सिंह नाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2665/2019 |
| 174 | रिट याचिका संख्या–1380/2019 दीपिका बोरा बनाम अंजलि राज्य व अन्य | 2666/2019 |
| 175 | रिट याचिका संख्या–1973 /2019 (एम0एस0) श्री अनुज कौशल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2667/2019 |
| 176 | 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन–2019 का परामर्श एवं अधिसूचना एवं कार्यवाही। | 2668/2019 |
| 177 | रिट याचिका संख्या–101 /2019 (एम0एस0) श्री नईम अहमद बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2669/2019 |
| 178 | रिट याचिका संख्या–/2019 (एम0एस0) श्रीमती सुनीता थापा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2670/2019 |
| 179 | रिट याचिका संख्या–31/2019 (एम0एस0) श्रीमती सुनीता रावत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2672/2019 |
| 180 | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 हेतु प्रेक्षक की नियुक्ति। | 2675/2019 |
| 181 | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 हेतु निर्देश। | 2677/2019 |
| 182 | त्रिस्तरीय पंचायत में नाम अपमार्जन/संशोधन/विलोपन के संबंध में। | 2678/2019 |
| 183 | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 हेतु आर0ओ0/ए0आर0ओ/सेक्टर/जोनल प्रभारियों की स्वीकृति के संबंध में। | 2679/2019 |
| 184 | रिट याचिका संख्या–2302/2019 (एम0एस0) श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2680/2019 |
| 185 | रिट याचिका संख्या–2335/2019 (एम0एस0) श्रीमती गौरिया रहमान बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2681/2019 |

| | | |
|---|---|---|
| 186 | रिट याचिका संख्या–2558/2019 (एम0एस0) श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2692/2019 |
| 197 | रिट याचिका संख्या–130/2019 (एम0एस0) श्री लाल बहादुर कुशवाह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2693/2019 |
| 198 | रिट याचिका संख्या–2564/2019 (एम0एस0) श्री अजय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2694/2019 |
| 199 | रिट याचिका संख्या–849/2019 (एम0एस0) श्री प्रेम सिंह नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2698/2019 |
| 200 | रिट याचिका संख्या–2719/2019 (एम0एस0) श्रीमती भगवती देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2699/2019 |
| 201 | रिट याचिका संख्या–2753/2019 (एम0एस0) श्रीमती परवीन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2701/2019 |
| 202 | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 में आदर्श आचरण संहित संबंधी पत्रावली। | 2702/2019 |
| 203 | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य /उप निर्वाचन–2019 संबंधी पत्रावली। | 2703/2019 |
| 204 | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य /उप निर्वाचन–2019 हेतु मतगणना टेबुलों की स्वीकृति संबंधी पत्रावली। | 2704/2019 |
| 205 | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 हेतु संवेदनशील/अति संवेदनशील मतगणना केन्द्रो/स्थलों के संबंध में। | 2708/2019 |
| 206 | रिट याचिका संख्या–/2019 (एम0एस0) श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2709/2019 |
| 207 | रिट याचिका संख्या–2822/2019 (एम0एस0) श्री सतेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2710/2019 |
| 208 | रिट याचिका संख्या–2820/2019 (एम0एस0) श्रीमती वदना आर्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2711/2019 |
| 209 | रिट याचिका संख्या–2843/2019 (एम0एस0) श्रीमती सर्वजीत कौर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2712/2019 |
| 210 | रिट याचिका संख्या–2835/2019 (एम0एस0) श्री सचिन राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2713/2019 |
| 211 | रिट याचिका संख्या–2875/2019 (एम0एस0) श्री रूप सिंह थापा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2714/2019 |
| 212 | रिट याचिका संख्या–2873/2019 (एम0एस0) श्री ज्योति बनाम उत्तराखण्ड् राज्य व अन्य | 2715/2019 |
| 213 | रिट याचिका संख्या–2931/2019 श्री आनन्द बल्लभ जोशी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2717/2019 |
| 214 | रिट याचिका संख्या–2885/2019 श्रीमती शोभा देवी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2718/2019 |
| 215 | रिट याचिका संख्या–2876/2019 श्रीमती आशा विष्ट बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2719/2019 |
| 216 | रिट याचिका संख्या–2888/2019 श्रीमती गायत्री देवी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2720/2019 |

| | | |
|---|---|---|
| 217 | रिट याचिका संख्या–2902/2019 श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2721/2019 |
| 218 | रिट याचिका संख्या–2962/2019 श्रीमती आशा गिरी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2725/2019 |
| 219 | रिट याचिका संख्या–2981/2019 श्रीमती गोदावरी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2726/2019 |
| 220 | रिट याचिका संख्या–2923/2019 श्री मोहन सिंह मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2726/2019 |
| 221 | रिट याचिका संख्या–2955/2019 श्रीमती मधु चौबे, नैनीताल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2730/2019 |
| 222 | रिट याचिका संख्या–3045/2019 श्री धन सिंह धामी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2731/2019 |
| 222 | रिट याचिका संख्या–3001/2019 श्री दिलीप सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2732/2019 |
| 223 | रिट याचिका संख्या–3026/2019 श्री गोपाल राम बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2733/2019 |
| 224 | 12 जनपदों में क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/ज्येष्ठ प्रमुख /कनिष्ठ प्रमुख के सामान्य निर्वाचन–2019 | 2736/2019 |
| 225 | 12 जनपदों अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सामान्य निर्वाचन–2019 | 2737/2019 |
| 226 | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 के पश्चात रिक्त पदों की सूचना। | 2738/2019 |
| 227 | रिट याचिका संख्या–2882, 2693, 2710, 2707, 879/2019 श्री गोपाल राम, मो0 असलम, राजेन्द्र सिंह बिष्ट, आशीष रावत, मो0 असलम बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2740/2019 |
| 228 | रिट याचिका संख्या–2884, 2588, 2654, 2700, 2593, 2586, 2587, 2697, 2867, /2019 श्री सुरेश गंगवार, अनवर अली, रंजीत सिंह, तारक पण्डल, मदन पाल सिंह, रोशन लाल, अशोक कुमार, सौरभ कुमार, मौ0 आरिफ बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2741/2019 |
| 229 | रिट याचिका संख्या–880, 2767/2019 श्री सुदर्शन सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2742/2019 |
| 230 | रिट याचिका संख्या–2754, 2711, 2743, 2662/2019 श्री केसर सिंह, श्री दीपक सिंह, प्रकाश चन्द्र, श्री मनोज सिंह, बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2743/2019 |
| 231 | रिट याचिका संख्या–2937, 2926/2019 श्रीमती मजू देवी, श्री अनिल सिंह शाही बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड राज्य | 2744/2019 |
| 232 | रिट याचिका संख्या–2866, 2892/2019 श्री रूकसार अहमद, श्रीमती जानकी देवी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग बनाम अन्य | 2745/2019 |
| 233 | रिट याचिका संख्या–2683, 2699, 2687, 2673/2019 देवेश नौटियाल, जगदीश पंवार, गोपाल दत्त, दीपक भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2746/2019 |
| 234 | शिकायती प्रकोष्ठ के संबंध में। | 2754/2019 |

| | | |
|---|---|---|
| 235 | रिट याचिका संख्या–3017/2019 श्री देवेन्द्र सिंह पंवार बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2769/2019 |
| 236 | रिट याचिका संख्या–3099/2019 श्री फोजान इलादी बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2770/2019 |
| 237 | रिट याचिका संख्या–3100/2019 श्री देवेन्द्र नौटियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2771/2019 |
| 238 | रिट याचिका संख्या–3193/2019 श्री आनन्द मल बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2773/2019 |
| 239 | रिट याचिका संख्या–3078/2019 श्री विजय कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2774/2019 |
| 240 | रिट याचिका संख्या–3133/2019 वित्त अधिकारी संघ बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2775/2019 |
| 241 | रिट याचिका संख्या–3367/2019 श्री नरेश सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग बनाम अन्य | 2776/2019 |
| 242 | रिट याचिका संख्या–3200/2019 श्री हरपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2777/2019 |
| 243 | रिट याचिका संख्या–1134/2019 श्री प्रदीप सिंह गुसाई बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2778/2019 |
| 244 | रिट याचिका संख्या–3067/2019 श्री केशर सिंह धानी बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2779/2019 |
| 245 | रिट याचिका संख्या–3061/2019 श्री अजय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2780/2019 |
| 246 | रिट याचिका संख्या–3158/2019 श्रीमती अनिता देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2781/2019 |
| 246 | रिट याचिका संख्या–3315/2019 सुरेन्द्र पागती बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2790/2019 |
| 247 | रिट याचिका संख्या–3280/2019 सुमनलता बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2791/2019 |
| 248 | रिट याचिका संख्या–3350/2019 श्री भूपेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2792/2019 |
| 249 | जनहित याचिका संख्या–185/2019 श्री मोहित नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2793/2019 |
| 250 | रिट याचिका संख्या–3369/2019 श्री सुधीर नौटियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2797/2019 |
| 251 | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 व्यय विवरण के संबंध में। | 2803/2019 |

| | | |
|---|---|---|
| 252 | रिट याचिका संख्या–3527/2019 श्री धनपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2810/2019 |
| 253 | रिट याचिका संख्या–3350/2019 श्री भूपेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2811/2019 |
| 254 | उत्तराखण्ड राज्य के समस्त 13 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन माह दिसम्बर, 2019 | 2812/2019 |
| 255 | जनपद हरिद्वार के रिक्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पद का उप निर्वाचन–2019 | 2813/2019 |
| 256 | रिट याचिका संख्या–3030/2019 श्री श्वेता देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2817/2018 |
| 257 | रिट याचिका संख्या–3625/2019 श्रीमती रेखा पुण्डीर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 2819/2019 |
| 258 | रिट याचिका संख्या–3667/2019 श्री योगेन्द्र कुमार सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2820/2019 |
| 259 | विशेष अपील संख्या–1000/2019 कमल जीत कौर बनाम उमा त्रिपाठी व अन्य | 2824/2019 |
| 260 | रिट याचिका संख्या–3171/2019 श्रीमती अनिता विश्वास बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य | 2825/2019 |
| 261 | रिट याचिका संख्या–3332, 3350, 3633, 3333, 3343/2019 श्री मुसाहिर अहमद, अंजू देवी, श्रीमती सुनीता, खुर्शीद अहमद, मौहम्मद आसिफ बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2826/2019 |
| 262 | जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 में परिसीमन के संबंध में। | 2831/2019 |
| 263 | उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में उप प्रधान के सामान्य निर्वाचन के संबंध में। | 2836/2019 |
| 264 | रिट याचिका संख्या–2950, 2951, 3744/2019 श्री अमर सिंह, श्री अशोक कुमार, श्री गुरमीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2837/2019 |
| 265 | रिट याचिका संख्या–3761, 3760, 3387, 3734, 3698/2019 श्रीमती सरोजनी देवी, स्वाती, मनीषा, अंजना, सोनम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2838/2019 |
| 266 | रिट याचिका संख्या–3895/2019 श्रीमती चन्द्र प्रभा देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 2839/2019 |
| 267 | रिट याचिका संख्या–65/2020 दीपक कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2848/2020 |
| 268 | रिट याचिका संख्या–564, 372, 533, 490/2019 श्री बाबूराम, श्री आईसा, श्री सुरेन्द्र सिंह राणा, श्री दर्शनी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2876/2020 |

# निर्वाचन अनुभाग–3 (नागर निकाय/जिला योजना समिति निवार्चन) में संरक्षित पत्रावलियों की सूची

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नागर निकाय उप निर्वाचन | 1049/2009 |
| 2. | नागर स्थानीय निकाय से सम्बन्धित विविध पत्राचार | 1113/2010 |
| 3. | वेवसाईट/इण्टरनेट हेतु नागर निकाय एवं जिला योजना समिति से संबंधित सन्दर्भ/सूचनाएं | 1115/2010 |
| 4. | नागर निकाय/ जिला योजना समिति से संबंधित आर0टी0आई0 विषयक सूचनाएं | 1116/2010 |
| 5. | राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड के शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों की सूचना | 1118/2010 |
| 6. | मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्ण/आदेश | 1131/2010 |
| 7. | वाद संख्या–161/2008 नानक चन्द्र आदि बनाम राज्य एवं अन्य | 1136/2010 |
| 8. | वाद संख्या–185/2008 वहीदुल्ला खान बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | 1137/2010 |
| 9. | वाद संख्या–196/2008 जोध सिंह वोरा बनाम यूनियन ऑफ अण्डिया | 1138/2010 |
| 10. | वाद संख्या–45/2008 सुनीता देवी बनाम रा0नि0आ0 व अन्य | 1139/2010 |
| 11. | वाद संख्या–46/2008 मुकेश चन्द्र आर्य बनाम आर0ओ0 व अन्य | 1140/2010 |
| 12. | नागर स्थानीय निकाय निर्वाचक नामावली/मतदाता सूची का पुनरीक्षण–2011 | 1142/2010 |
| 13. | सोशलिस्ट जनता पार्टी उत्तराखण्ड का पंजीकरण/पत्राचार | 1151/2010 |
| 14. | राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संबंध में जिज्ञासाएं एवं पत्राचार | 1186/2011 |
| 15. | नागर स्थानीय निका/जिला योजना समितियों आदि से संबनिधत शिकायतों का निस्तारण | 1187/2011 |
| 16. | जिला योजना समिति उप निर्वाचन–2011 जनपद–हरिद्वार | 1193/2011 |
| 17. | विभिन्न शिकायती पत्रावली | 1208/2011 |
| 18. | नागर स्थानीय निकाय/जिला योजना निर्वाचन समिति कक्ष–प्रगति प्रतिवेदन एवं मुद्रण | 1217/2011 |
| 19. | नागर निकाय/जिला योजना समिति अनुभाग के कार्यक्रमों के निस्तारण का कलेण्डर | 1220/2011 |
| 20. | नागर स्थानीय निकायों के नक्शे | 1222/2011 |
| 21. | नागर स्थानीय निकायों का परिसीमन/कार्यवाही | 1223/2011 |
| 22. | समाजवादी पार्टी का 'अमान्यता प्राप्त दल' के रूप में पंजीकरण | 1237/2011 |
| 23. | विविध बैठक ना0स्था0नि0निर्वा0 | 1256/2011 |
| 24. | नागर निकाय निर्वाचन–2013 के निर्वाचन हेतु नाम–निर्देशन पत्रों का मूल्य, अधिकतम व्यय सीमा तथा जमानत की धनराशि का निर्धारण | 1258/2011 |
| 25. | नागर स्थानीय निकायों का परिसीमन/आरक्षण निकाय निर्वाचन–2013 हेतु | 1259/2011 |
| 26. | नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण | 1260/2011 |
| 27. | नागर स्थानीय निकायों का निरीक्षण आख्या/परिसीमन | 1267/2011 |
| 28. | नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2013 हेतु निकायों के नजरी नक्शा तैयार किया जाना | 1280/2012 |
| 29. | नागर निकाय उप निर्वाचन–2012 | 1289/2011 |
| 30. | नगर पंचायत मुनिकीरेती के अध्यक्ष पद का उप निर्वाचन–2012 | 1348/2012 |
| 31. | नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों का विवरण | 1376/2013 |
| 32. | भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत दलों की सूचना | 1382/2013 |
| 33. | नागर निकाय निर्वाचन से सम्बन्धित प्रारूपों का मुद्रण/प्रेषण | 1388/2013 |
| 34. | उत्तराखण्ड जन कान्त दल का पंजीकरण | 1390/2013 |
| 35. | नागर निकाय निर्वाचन से सम्बन्धित प्रपत्रों का मुद्रण | 1391/2013 |
| 36. | नागर निकाय निर्वाचन–2013 निर्वाचक नामावली विस्तृत पुनरीक्षण | 1402/2013 |
| 37. | रिट याचिका सं0–261 मनमोहन सिंह धनाई बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य | 1403/2013 |
| 38. | रिट पिटिशन 323/13 संलग्न 261/13 अनुराग सारावत शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | 1406/2013 |

| | | |
|---|---|---|
| 39. | रिट पिटिशन 323/13 श्री महाबीर चौहान तथा अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्श | 1408/2013 |
| 40. | नागर निकाय निर्वाचन–2013 से सम्बन्धित निर्देश एवं कार्यवाही | 1410/2013 |
| 41. | नागर निकाय निर्वाचन–2013 में ई.वी.एम. से संबंधित निर्देश एवं कार्यवाही | 1411/2013 |
| 42. | ई0वी0एम0 से निर्वाचन सम्बन्धी निर्देश–कार्यवाही | 1414/2013 |
| 43. | नि0अ0/स0नि0अ0 तथा जोनल मजिस्ट्रेट का निर्वाचन कार्य हेतु दायित्वों का निर्धारण | 1415/2013 |
| 44. | उत्तराखण्ड क्रान्तिदल का पंजीकरण | 1416/2013 |
| 45. | निर्वाचक नामावली के नाम परिवर्द्धन, विलोपन तथा संशोधन | 1417/2013 |
| 46. | नागर निकाय निर्वाचन–2013 की एन0आई0सी से सम्बन्धित सूचना | 1418/2013 |
| 47. | नागर/स्थानीय निकाय निर्वाचन–2013 से सम्बन्धित शिकायतों के सम्बन्ध में | 1419/2013 |
| 48. | निर्वाचन प्रकिया से संबंधित जिज्ञासा/निस्तारण | 1420/2013 |
| 49. | आचार संहिता प्रभावी के फलस्वरूप स्वीकृतियां | 1421/2013 |
| 50. | रिट याचिका संख्या–789, 802, 807, 808, 810, 812 व 815/2013 | 1424/2013 |
| 51. | नागर निकाय निर्वाचन 2013 हेतु मतगणना केन्द्रों का चिन्हीकरण | 1440/2013 |
| 52. | नगर पंचायत गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रनाथ की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण वर्ष 2013 | 1443/2013 |
| 53. | रिट पिटीशन 783/2013 श्रीमती अनीता आदि बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य | 1444/2013 |
| 54. | नागर निकाय सामान्य निर्वाचन–2013 के निर्वाचन परिणाम/नागर निकाय गठन की अधिसूचना | 1447/2013 |
| 55. | उप नगर प्रमुख, नगर निगम का निर्वाचन | 1450/2013 |
| 56. | जिला योजना समिति का निर्वाचन | 1452/2013 |
| 57. | अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुत ना0नि0निर्वा0–2013 | 1453/2013 |
| 58. | चुनाव याचिका संख्या–83/2013 श्रीमती मुमताज बनाम श्रीमती मीना बिष्ट देहरादून | 1470/2013 |
| 59. | चुनाव याचिका संख्या–84/2013 ब्रज मोहन बनाम कमली भट्ट देहरादून | 1471/2013 |
| 60. | याचिका संख्या–81/2013 अजय तिवारी बनाम राजेश चौधरी देहरादून | 1476/2013 |
| 61. | परामर्श/निर्वाचन–2013 (गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ) | 1477/2013 |
| 62. | निर्वाचन याचिकाए–नागर निकाय निर्वाचन–2013 पंचास्थानि चुनावालय, देहरादून(सं0–75, 71, 83/2013) | 1481/2013 |
| 63. | मा0 उच्च न्यायालय उत्तरखण्ड नैनीताल में दायर याचिकाएं रिट पिटीशन सं0 1468/2011 तथा रिट पिटीशन सं0–1461/2011 आयुष चिकित्सा विभाग | 1468/2013 |
| 64. | निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के नाम परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन करना | 1501/2013 |
| 65. | रिट याचिका संख्या–94/2013 गुरमीतसिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य | 1512/2013 |
| 66. | त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन–2014 से सम्बन्धित शिकायतें | 1601/2014 |
| 67. | त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन–2014 विविध अनुमति | 1602/2014 |
| 68. | नागर निकाय/जिला योजना समिति निर्वाचन (नागर निकाय परिसीमन एवं आरक्षण की कार्यवाही) | 1603/2014 |
| 69. | रिट पिटीशन सं0–263/2014 मोहम्मद परवेज एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | 1610/2014 |

| | | |
|---|---|---|
| 70. | नागर निकाय उप निर्वाचन–2014 | 1824/2014 |
| 71. | रिट पिटीशन सं0–1660/2014 राम बाबू बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | 1826/2014 |
| 72. | श्री हन्नी कुमार कुमार अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | 1828/2014 |
| 73. | नागर निकाय उप निर्वाचन–2015 (सदस्य पद वार्ड सं–2)न0पा0परि0 मसूरी | 1884/2015 |
| 74. | रिट याचिका संख्या–247/2015 कालूराम बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं | 1886/2015 |

| | | |
|---|---|---|
| | अन्य | |
| 75. | नागर स्थानीय निकाय से संबंधित संशोधित आदेश | 1889 / 2015 |
| 76. | रिट याचिका संख्या–1041(एम / एस) / 2015 त्रेपन सिंह एवं अन्य | 1918 / 2015 |
| 77. | नागर निकाय उप निर्वाचन–2015 | 1928 / 2015 |
| 78. | अधिकतम् निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति उप निर्वाचन–2014–2015 | 1933 / 2015 |
| 79. | याचिका संख्या–549 / 2001 सुबोधिनी थपलियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | 1961 / 2015 |
| 80. | श्री हरपाल मौर्य अध्यक्ष / सचिव, भारतीय जनसेवा पार्टी, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार | 1963 / 2015 |
| 81. | नगर निगमों के उप नगर प्रमुख के पद / स्थान का सामान्य निर्वाचन–2015 | 1965 / 2015 |
| 82. | आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी पत्रावली | 1984 / 2015 |
| 83. | रिट याचिका संख्या–133(एम / एस)श्रीमती अनुराधा राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2021 / 2015 |
| 84. | रिट पिटिशन (पी.आई.एल.)नं0–2 ऑफ 2016 नरेन्द्र सिंह राणा बनाम उ0राज्य व अन्य | 2032 / 2015 |
| 85. | रिट पिटिशन (पी.आई.एल.)नं0–12 ऑफ 2016 श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य | 2042 / 2015 |
| 86. | रिट याचिका सं–652 श्री जैनव बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | 2052 / 2016 |
| 87. | मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दि0 10.07.16 के अनुपालन में पत्रावली | 2076 / 2016 |
| 88. | रिट सं0–1431 वर्ष 2016 अनीता बहल बनाम रजनीश सेठी | 2085 / 2016 |
| 89. | जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत राजस्व ग्राम बल्ली का परीसीमन एवं निर्वाचन कराये जाने विषयक | 2099 / 2016 |
| 90 | अनुभाग–3 में तैनात कार्मिकों में कार्य विभाजन संबंधी पत्रावली | 2181 / 2017 |
| 91 | रिट संख्या–1466 / 2017 निखिल कुमार बमान उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 2189 / 2017 |
| 92 | नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन–2018 हेतु विभिन्न निर्देश पुस्तिकाओं का मुद्रण | 2199 / 2017 |
| 93 | आम आदमी पार्टी, उत्तराखण्ड | 2230 / 2017 |
| 94 | नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन–2018 में बैठक संबंधी पत्रावली। | 2238 / 2017 |
| 95 | श्री भगवत प्रसाद नैनीताल, बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 2240 / 2017 |
| 96 | जमानत / नाम निर्देशन सम्बन्धी पत्रावली निकाय सामान्य निर्वाचन–2018 | 2242 / 2017 |
| 97 | विस्तृत पुनरीक्षण नगर पालिका बागेश्वर, जनपद–बागेश्वर। | 2254 / 2018 |
| 98 | नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन–2018 में मतदान केन्द्र / मतदान स्थलों की स्वीकृति पत्रावली | 2265 / 2018 |
| 99 | नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन–2018 हेतु नामांकन पत्र एंव अन्य प्रपत्रों संबंधी पत्रावली | 2266 / 2018 |
| 100 | नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन–2018 से संबंधित परिसीमन की अन्तिम अधिसूचना। | 2280 / 2018 |
| 101 | मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित नागर निर्वाचन / परिसीमन पत्रावली। | 2283 / 2018 |
| 102 | नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन–2018 में प्रेक्षकों की नियुक्ति हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची संबंधी पत्रावली। | 2295 / 2018 |

| | | |
|---|---|---|
| 103 | जनपद टिहरी गढवाल के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन | 2440/2018 |
| 104 | जनपद पिथौरागढ के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन | 2441/2018 |
| 105 | जनपद अल्मोडा के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन | 2444/2018 |
| 106 | जनपद नैनीताल के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन | 2452/2018 |
| 107 | खोई पत्रावलियों के संबंध में अन्य अनुभागों में पत्राचार। | 2460/2018 |
| 108 | नागर निकों के प्रशासक नियुक्ति के संबंध में रिट याचिकायें संबंधी | 2461/2018 |
| 109 | अतारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या--26 संबंधी पत्रावली। | 2465/2018 |
| 110 | जनपद हरिद्वार के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन | 2467/2018 |
| 111 | जनपद चमोली के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन | 2469/2018 |
| 112 | जनपद चम्पावत के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन | 2470/2018 |
| 113 | भारतीय अतिक्रमण पार्टी के संबंध में कार्यवाही पत्रावली | 2471/2018 |
| 114 | रिट याचिका संख्या–2680/एम0एस0/2018 श्री जगदीश सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2473/2018 |
| 115 | नगर निगम रूद्रपुर के पार्षद पदों की अनर्ह के संबंध में। | 2476/2018 |
| 116 | रिट याचिका संख्या–1280/एम0एस0/2018 श्री जयदेव सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2482/2018 |
| 117 | नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2018 में आचार संहिता का अनुपालन एवं स्वीकृति के संबंध में। | 2485/2018 |
| 118 | नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2018 से संबंधित शिकायत पत्रावली। | 2486/2018 |
| 119 | नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2018 के निर्वाचक परिणाम/गठन की पत्रावली। | 2487/2018 |
| 120 | जनपद रूद्रप्रयाग के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन | 2489/2018 |
| 121 | नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2018 से संबंधित जनपदों से प्राप्त मतगणना संबंधी सूचना पत्रावली। | 2492/2018 |
| 122 | रिट याचिका संख्या–3124/एम0एस0/2018 श्री देवेन्द्र कुमार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2502/2018 |
| 123 | रिट याचिका संख्या–3277/एम0एस0/2018 श्रीमती जशोदा राणा बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य | 2504/2018 |
| 124 | रिट याचिका संख्या–3265/एम0एस0/2018 श्री सुगन्ध सैनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2505/2018 |
| 125 | रिट याचिका संख्या–3171/एम0एस0/2018 श्री महेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2506/2018 |
| 126 | रिट याचिका संख्या–3155/एम0एस0/2018 श्री महेन्द्र कुमार चमोली बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2507/2018 |
| 127 | रिट याचिका संख्या–3163/एम0एस0/2018 श्री गौरव खुराना बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2508/2018 |
| 128 | रिट याचिका संख्या–3162/एम0एस0/2018 श्री संदीप अनेजा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2509/2018 |
| 129 | रिट याचिका संख्या–3161/एम0एस0/2018 श्री संजय गुप्ता बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2510/2018 |
| 130 | रिट याचिका संख्या–3147, 195,868/एम0एस0/2018 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2511/2018 |
| 131 | रिट याचिका संख्या–3154/एम0एस0/2018 श्रीमती जसबीर कौर बनाम | 2512/2018 |

| | | |
|---|---|---|
| | उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | |
| 132 | रिट याचिका संख्या–3265/एम0एस0/2018 श्रीमती कंचन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2513/2018 |
| 133 | रिट याचिका संख्या–3173 एवं आदेश दिनांक19.11.2018 की प्रति। | 2517/2018 |
| 134 | रिट याचिका संख्या–3150 एवं आदेश दिनांक19.11.2018 की प्रति। | 2518/2018 |
| 135 | विभिन्न रिटों से संबंधित पत्रावली। | 2519/2018 |
| 136 | विशेष अपील संख्या–909 वर्ष 2018 अजय जयसवाल बनाम रिटर्निंग आफिसर एवं अन्य | 2520/2018 |
| 137 | प्रस्तुति पत्र संबंधी पत्रावली। | 2522/2018 |
| 138 | श्री राजीव गुरुंग पुत्र श्री सुनील गुरुंग निवासी जोहडी गॉव, पो0–सिनौला, देहरादून। | 2530/2018 |
| 139 | राष्ट्रीय विचारक पार्टी पत्रावली। | 2542/2018 |
| 140 | रिट याचिका संख्या–2370/एम0एस0/2018 रियाज कुरैशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2555/2018 |
| 141 | रिट संख्या–2680, 3161, 3351, 883, 3225, 1350, 873 वर्ष 2018 से संबंधित पत्रावली। | 2557/2018 |
| 142 | अधिकतम निर्वाचन व्यय विवरण पत्रावली। | 2556/2018 |
| 143 | नागर निकाय निर्वाचन–2018 में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों का व्यय विवरण संबंधी पत्रावली। | 2565/2018 |
| 144 | रिट याचिका संख्या– 1195 (एम0एस0)/2019 श्री महेन्द्र वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य | 2625/2019 |
| 145 | रिट याचिका संख्या– 735 (एम0एस0)/2019 श्री रामकृपाल गौतम बनाम उत्तराखण्ड राज्य | 2627/2019 |
| 146 | नगर निगम, ऋषिकेश के सभासद पदों के उप निर्वाचन से संबंधित | 2634/2019 |
| 147 | रिट याचिका संख्या– 1557(एम0एस0)/2019 श्री जगदीश प्रसाद बनाम उत्तराखण्ड राज्य | 2640/2019 |
| 148 | रिट याचिका संख्या– 1743(एम0एस0)/2019 श्रीमती रीना गुप्ता बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2641/2019 |
| 149 | रिट याचिका संख्या– 628, 1266,एम0एस0)/2019 श्रीमती जसवीर कौर, श्री जगत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2648/2019 |
| 150 | श्रीमती रीनारानी पत्नी श्री कृष्ण कुमार वार्ड नं0–61 आमवरला तरला जिला–देहरादून। | 2649/2019 |
| 151 | रिट याचिका संख्या– 1337/2019 (एम0एस0 संबंधी पत्रावली। | 2646/2019 |
| 152 | नगर निगम, रूड़की के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश संबंधी पत्रावली। | 2655/2019 |
| 153 | रिट याचिका संख्या–2013/2019 (एम0एस0)एहसान बनाम नगर निगम हरिद्वार व अन्य | 2684/2019 |
| 154 | नागर स्थानीय निकाय–2018 के निर्वाचन से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित। | 2685/2019 |
| 155 | रिट याचिका सख्या–2676/2019 (एम0एस0) श्रीमती गीता देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य | 2722/2019 |
| 156 | नागर स्थानीय निकाय निकायों के निर्वाचनों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वरा निर्वाचन व्यय विवरण के संबंध में। | 2763/2019 |
| 157 | रिट याचिका संख्या–3338/2019 श्री अभिषेक चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 2786/2019 |
| 158 | सी0एम0 हैल्पलाइन शिकायती पत्रावली। | 2821/2019 |
| 159 | उत्तराखण्ड जनराज पार्टी से संबंधित पत्रावली। | 2849/2020 |
| 160 | रिट याचिका संख्या–633/2020 (एम0एस0) श्रीमती मुमताज बेगम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य। | 2875/2020 |

(298)

# राज्य निर्वाचन आयोग के लेखा कक्ष में संरक्षित पत्रावलियों की सूची

| क्र.सं. | पत्रावली/पंजिका का नाम | फाईल संख्या | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | मतपत्रों की छपाई का एग्रीमेंट | 354 | 2001 |
| 2. | कर्मचारियों के वेतन निर्धारण | 262 | " |
| 3. | त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन–2001 में नियमित कर्मियों का दुर्घटना बीमा कराया जाना | 82 | " |
| 4. | कालातीत बिलों की स्वीकृति/कार्यवाही | 293 | " |
| 5. | कुली एवं खचरों की दैनिक मजदूरी दरों का निर्धारण | 133 | " |
| 6. | निर्वाचन नामावलियों की बिक्री आदि से संबंधित पत्र–व्यवहार | 51 | " |
| 7. | नागर निकाय के निर्वाचन हेतु निर्धारित मानकों तथा मदवार स्वीकृत धनराशि विवरण की सूचना। | 55 | " |
| 8. | सामान्य पत्राचार अग्रिम जमानत आदेश संबंधी पत्रावली | 79 | " |
| 9. | राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) के निर्वाचन के लिये कार्यालय व्यय की लघु मदों के लिये स्थायी अग्रिम अग्रदाय लेखा रूपये 5000/– की स्वीकृति। | 135 | " |
| 10. | त्रि.पं. एवं न.नि.निर्वाचनों में प्राप्त धनराशि को जमा करने हेतु लेखा श्रमिक का निर्धारण | 50 | " |
| 11. | नागर निकाय हेतु मतपत्र | 228 | 2002 |
| 12. | सामान्य भविष्य निर्वाह निधि अग्रिम स्वीकृति | 230 | " |
| 13. | विधि कार्यवाही (लेखा) | 276 | " |
| 14. | आयोग में कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियों का वेतन निर्धारण | 231 | " |
| 15. | नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2002 में नियुक्त कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों तथा अन्य कर्मियों का दुघर्टना बीमा प्रीमियम से संबंधी | 196 | " |
| 16. | कालातीत बिलों की लेखा परीक्षण जांच एवं वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृति | 322 | " |
| 17. | नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन/पंचायत सामान्य निर्वाचन–2003 के लिए मानकों का निर्धारण। | 386 | " |
| 18. | निर्वाचन में हल्का नाश्ता/पुलिस कर्मी रिजर्व कर्मी | 193 | " |
| 19. | मतपेटिकाओं की आयलिंग, ग्रीसिंग, मरम्मत | 344 | " |
| 20. | पंचायत नागर निकायों की निर्वाचन नामावली की कम्प्यूटरकृत की कार्यवाही | 312 | " |
| 21. | नामनिर्देशन पत्रों, जमानत एवं अन्य मदों में प्राप्त धनराशि | 343 | " |
| 22. | पंचायत/नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन–2003 में प्रमुख घटनाओं की वीडियो ग्राफी | 352 | " |
| 23. | संविदा कर्मियों की नियुक्ति आदेश | 104 | " |
| 24. | पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत अधिकारियों को मानदेय की स्वीकृति | 282 | " |
| 25. | अनुभागों से प्राप्त पत्रों की प्रतियां वित्त अधिकारी अवलोकनार्थ | 236 | " |
| 26. | जमानत पत्रावली | 291 | " |
| 27. | भवन/मोटर साईकिल अग्रिम | 328 | " |
| 28. | व्यय विवरण बी.एम.–13 वर्ष 2002–03 अनु.सं.–19 लेखाशीर्षक–2515 (07) | 288 | " |
| 29. | व्यय विवरण बी.एम.–13 वर्ष 2002–03 अनु.सं.–19 लेखाशीर्षक–2515 (06) | 260 | " |
| 30. | अनुपूरक बजट की मांग वर्ष 2003–04 | 474 | 2003–04 |
| 31. | आय–व्यय वर्ष 2004–2005 | 475 | " |
| 32. | विभिन्न मानक मदों में जनपदों को भुगतान संबंधी स्वीकृति/निर्देश | 446 | " |
| 33. | राज्य निर्वाचन आयोग में विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्ष से संबंधी | 302 | " |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34. | आयोग में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों का वर्ष 2002–2003 का आयकर भुगतान | 392 | " |
| 35. | बजट आवंटन वर्ष 2003–2004 अनुदान संख्या–19 लेखाशीर्षक–2515 (06) | 387 | " |
| 36. | बजट आवंटन वर्ष 2003–2004 अनुदान संख्या–19 लेखाशीर्षक–2515 (07) | 388 | " |
| 37. | बजट आवंटन वर्ष 2003–2004 अनुदान संख्या–13 लेखाशीर्षक–2217 (03) | 386 | " |
| 38. | निर्वाचन सामग्री वाहन तथा अन्य मदों में अग्रिम की अदायगी | 368 | " |
| 39. | निर्वाचन में वाहन व्यवस्था | 370 | " |
| 40. | आकस्मिकता निधि से धनराशि चाहने बाबत | 341 | " |
| 41. | आकस्मिक चिकित्सा उपचार किट पत्रावली 2002–2003 | 355 | " |
| 42. | जनपद स्तर पर सामग्री क्रय स्वीकृति | 378 | " |
| 43. | राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल वाहन क्रय | 485 | " |
| 44. | नागर निकाय निर्वाचन से संबंधित मदों की फीस के बाबत | 472 | " |
| 45. | जनपदों को मकान किराया स्वीकृति | 377 | " |
| 46. | रा0नि0आ0 में पी0आर0डी0 जवानों की तैनाती विषयक | 342 | " |
| 47. | व्यय विवरण बी.एम.–13 वर्ष 2003–04 अनु.सं.–13 लेखाशीर्षक–2217 (03) | 423 | " |
| 48. | व्यय विवरण बी.एम.–13 वर्ष 2003–04 अनु.सं.–19 लेखाशीर्षक–2515(07) | 424 | " |
| 49. | व्यय विवरण बी.एम.–13 वर्ष 2003–04 अनु.सं.–19 लेखाशीर्षक–2515(06) | 397 | " |
| 50. | प्रत्याशियों की जमानत संबंधी कार्यवाही | 535 | 2004–05 |
| 51. | अन्तिम आधिक्य एवं बचत समर्पण वर्ष 2004–05 अनुदान संख्या–13 लेखाशीर्षक–2217 (03), अनुदान संख्या–19 लेखाशीर्षक–2515 (06) (07) | 543 | " |
| 52. | मानदेय वर्ष 2003–2004/2004–2005 | 486 | " |
| 53. | मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 517 | " |
| 54. | बजट आवंटन वर्ष 2004–2005 अनुदान संख्या–19 लेखाशीर्षक–2515 (06) (07) | 489 | " |
| 55. | बजट आवंटन वर्ष 2004–2005 अनुदान संख्या–13 लेखाशीर्षक–2217 (03) | 490 | " |
| 56. | श्री जगदीश लाल बनाम जि.नि.अ. व अन्य (बीमा कलेम), चमोली | 533 | " |
| 57. | विधि पत्र–व्यवहार (कोर्ट नोटिस) 80 सी.पी.सी. | 500 | " |
| 58. | मुन्तजीरअली होमगार्ड/स्वयं सेवक 4920 कम्पनी नम्बर–10, हरिद्वार निर्वाचन ड्यूटी, बागेश्वर (बीमा कलेम) | 520 | " |
| 59. | आयकर रिटर्न वर्ष 2004–2005 | 552 | " |
| 60. | बजट आवंटन वर्ष 2005–2006 अनुदान संख्या–19 लेखाशीर्षक–2515(06) | 489 | 2005–2006 |
| 61. | बजट आवंटन वर्ष 2005–2006 अनुदान संख्या–19 लेखाशीर्षक–2515(07) | 489 | " |
| 62. | बजट आवंटन (निर्वाचन हरिद्वार) वर्ष 2005 अनुदान संख्या–19 लेखाशीर्षक–2515 (07) | 489 | " |
| 63. | बजट आवंटन अनुदान संख्या–13 लेखाशीर्षक–2217 (03) | 490 | " |
| 64. | बजट प्रस्ताव 2005–06 पुनरीक्षित तथा वर्ष 2006–07 का आय–व्ययक अनुमान एवं नई मांग 2005–06 | 508 | " |
| 65. | बजट प्रस्ताव 2004–05 एवं 2005–06 | 508 | " |
| 66. | विभिन्न भुगतानों से संबंधित स्वीकृतियां/आदेश | 593 | " |
| 67. | निर्वाचन में नियोजित कर्मियों, निजी व्यक्तियों व सुरक्षा कर्मियों का दुर्घटना बीमा | 595 | " |
| 68. | विविध पत्राचार | 572 | " |
| 69. | पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति | 602 | " |
| 70. | महालेखाकार, उत्तरांचल द्वारा सम्प्रेक्षण (जिला स्तरीय) | 584 | " |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 71. | आयकर रिर्टन 2005–2006 | 552 | " |
| 72. | निर्वाचन–2005 हेतु भारत निर्वाचन आयोग की मतपेटियों का किराया भुगतान | 565 | " |
| 73. | त्रिस्तरीय पंचायत–2005 हेतु लेखा संबंधी निर्देश | 585 | " |
| 74. | प्रीऑडिट बिलों/देयकों के सापेक्ष स्वीकृति संबंधी कार्यवाही | 582 | " |
| 75. | महालेखाकार से विभागीय व्यय एवं प्राप्तियों का सत्यापन | 577 | " |
| 76. | अनु0–13 लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 बी.एम.–13 | 506 | " |
| 77. | अनु0–19 लेखाशीर्षक–2515–800 (06) बी.एम.–13 | 506 | " |
| 78. | अनु0–19 लेखाशीर्षक–2515–800 (07) बी.एम.–13 | 424 | " |
| 79. | अनुदान संख्या–19 लेखाशीर्षक–2515–800 (07) आकस्मिकता निधि–201 समेकित निधि को विनियोजन बी.एम.–13 | 588 | " |
| 80. | राज्य सूचना आयोग से संबंधित पत्र व्यवहार | | 614/2005 |
| 81. | कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय | | 615/2005 |
| 82. | मानदेय संबंधी पत्रावली–2005 | | 619/2005 |
| 83. | आयोग वाहन हेतु डीजल क्रय | | 629/2005 |
| 84. | वाहन के इंश्योरेंस संबंधी | | 631/2005 |
| 85. | वित्तीय वर्ष 2006–07 का आय व्ययक लेखा शीर्षक 2515 (06) व (07) | | 632/2005 |
| 86. | वित्तीय वर्ष 2006–07 का आय व्ययक लेखा शीर्षक 2217 (03) | | 633/2005 |
| 87. | बैठक संबंधी लेखा अनुभाग | | 634/2005 |
| 88. | गाड़ियों का अनुरक्षण | | 636/2005 |
| 89. | वेतन मांग पत्र 2006–2007 | | 662/2006 |
| 90. | बजट प्राप्त 2006–07 2515 (06) | | 666/2006 |
| 91. | बजट प्राप्त 2006–07 2515 (07) | | 667/2006 |
| 92. | बजट प्राप्त 2006–07 2217 (03) | | 668/2006 |
| 93. | जनपद स्तर के कार्मिकों की चिकित्सा व्यय की स्वीकृति | | 670/2006 |
| 94. | बी.एम.–13 अनुदान संख्या–13 | | 671/2006 |
| 95. | बी.एम.–13 अनुदान संख्या–19–07 | | 672/2006 |
| 96. | बी.एम.–13 अनुदान संख्या–19–06 | | 673/2006 |
| 97. | आतिथ्य व्यय पत्रावली | | 674/2006 |
| 98. | पी.ओ.एल. भुगतान 2006–2007 | | 675/2006 |
| 99. | सूचना का अधिकार के अन्तर्गत 385 रसीद से प्राप्त धनराशि पत्रावली | | 679/2006 |
| 100. | 16–व्यवसायिक सेवाओं के लिए | | 680/2006 |
| 101. | 27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान | | 681/2006 |
| 102. | 22–आतिथ्य व्यय 2006–2007 | | 682/2006 |
| 103. | कार्यालय व्यय भुगतान 2006–2007 | | 684/2006 |
| 104. | कार्यालय फर्नीचर भुगतान | | 686/2006 |
| 105. | कम्प्यूटर अनुरक्षण पत्रावली | | 690/2006 |
| 106. | विद्युत भुगतान 2006–2007 | | 692/2006 |
| 107. | कम्प्यूटर अनुरक्षण भुगतान पत्रावली | | 699/2006 |
| 108. | फोटोकोपियर टोनर एवं मरम्मत पत्रावली | | 700/2006 |
| 109. | साईकिल मरम्मत पत्रावली वर्ष 2006–2007 | | 703/2006 |
| 110. | सफाई आदि संबंधी सामग्री क्रय | | 704/2006 |
| 111. | बागवानी सबंधी पत्रावली | | 705/2006 |
| 112. | भवन कार्यालय हेतु बजट आदि | | 706/2006 |
| 113. | निर्वाचक नामावलियों का डाटाबेस संबंधी | | 707/2006 |
| 114. | 46–कम्प्यूटर क्रय भुगतान पत्रावली | | 708/2006 |
| 115. | महालेखाकर, उत्तराखंड 2006–2007 | | 709/2006 |
| 116. | आय–व्ययक 2007–08 | | 728/2006 |
| 117. | वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता की सूचना | | 737/2007 |
| 118. | चैक/ड्राफ्ट द्वारा भुगतान/आहरण वितरण संबंधी कार्यवाही | | 742/2007 |

| | | |
|---|---|---|
| 119. | 08–कार्यालय व्यय वाउचर 2007–08 | 743/2007 |
| 120. | 09–विद्युत व्यय वाउचर 2007–08 | 744/2007 |
| 121. | 13–टेलीफोन व्यय वाउचर 2007–08 | 745/2007 |
| 122. | 15–गाडियों का अनुरक्षण पेट्रौल आदि व्यय वाउचर 2007–08 | 746/2007 |
| 123. | 16–व्यवसायिक व्यय वाउचर 2007–08 | 747/2007 |
| 124. | 17–किराया उपशुल्क कर स्वामित्व व्यय वाउचर 2007–08 | 748/2007 |
| 125. | 27–चिकित्सा व्यय वाउचर 2007–08 | 749/2007 |
| 126. | रिकान्साईल शीट का 11–8 मिलान पत्रावली 2007–08 | 750/2007 |
| 127. | 42– अन्य व्यय वाउचर 2007–08 | 751/2007 |
| 128. | 04–यात्रा भत्ता व्यय वाउचर 2007–08 | 752/2007 |
| 129. | 11–लेखन सामग्री प्रपत्र छपाई आदि व्यय वाउचर 2007–08 | 757/2007 |
| 130. | 22–आत्थिय व्यय वाउचर 2007–08 | 758/2007 |
| 131. | जनरेटर हेतु डीजल क्रय | 760/2007 |
| 132. | 10–जलकर/जल प्रभार व्यय वाउचर 2007–08 | 761/2007 |
| 133. | 12–कार्यालय फर्नीचर व्यय वाउचर 2007–08 | 766/2007 |
| 134. | महालेखाकार से आयोग अभिलेखों के त्रिमासिक मिलान पत्रावली | 767/2007 |
| 135. | बजट पत्रावली 2008–2009 | 791/2007 |
| 136. | टेलीफोन व्यय भुगतान पत्रावली 2008–09 | 815/2008 |
| 137. | कार्यालय व्यय भुगतान पत्रावली 2008–09 | 816/2008 |
| 138. | विद्युत व्यय भुगतान पत्रावली 2008–09 | 817/2008 |
| 139. | जलकर व्यय भुगतान पत्रावली 2008–09 | 818/2008 |
| 140. | लेखन सामग्री व्यय भुगतान पत्रावली 2008–09 | 819/2008 |
| 141. | कार्यालय फर्नीचर व्यय भुगतान पत्रावली 2008–09 | 820/2008 |
| 142. | पोलिंग व्यय भुगतान पत्रावली 2008–09 | 821/2008 |
| 143. | व्यवसायिक व्यय भुगतान पत्रावली 2008–09 | 822/2008 |
| 144. | आतिथ्य व्यय भुगतान पत्रावली 2008–09 | 823/2008 |
| 145. | चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय भुगतान पत्रावली 2008–09 | 824/2008 |
| 146. | अन्य व्यय भुगतान पत्रावली 2008–09 | 825/2008 |
| 147. | कम्प्यूटर क्रय व्यय भुगतान पत्रावली 2008–09 | 826/2008 |
| 148. | कम्प्यूटर अनुरक्षण व्यय भुगतान पत्रावली 2008–09 | 827/2008 |
| 149. | किराया व्यय भुगतान पत्रावली 2008–09 | 828/2008 |
| 150. | चालान पत्रावली वित्तीय वर्ष 2008–09 | 829/2008 |
| 151. | स्थायी अग्रिम 2008–09 | 831/2008 |
| 152. | 08–कार्यालय व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008–09 | 839/2008 |
| 153. | 17–किराया उप शुल्क एवं कर स्वामित्व 2008–09 | 840/2008 |
| 154. | 42–अन्य व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008–09 | 841/2008 |
| 155. | राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की मांग 2515 (07) | 845/2008 |
| 156. | राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की मांग 2217 (03) | 846/2008 |
| 157. | 13–टेलीफोन व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008–09 | 849/2008 |
| 158. | 15–गाड़ियों का अनुरक्षण पैट्रोल खरीद आदि व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008–09 | 850/2008 |
| 159. | रिकांसिलेशन सीट का 11सी से मिलान | 851/2008 |
| 160. | मासिक व्यय विवरण 2217 (03) वर्ष 2008–09 बी.एम.–8 एवं बी.एम.–13 | 852/2008 |
| 161. | बी.एम.–8 एवं बी.एम.–13 2515 (07) | 853/2008 |
| 162. | बी.एम.–8 एवं बी.एम.–13 2515 (06) | 854/2008 |
| 163. | मानदेय–2008 | 861/2008 |
| 164. | चैक/ड्राफ्ट द्वारा भुगतान/आहरण वितरण संबंधी कार्यवाही पत्रावली 08–09 | 866/2008 |
| 165. | 16–व्यवसायिक व्यय एवं विशेष सेवाओं के लिए 08–09 वाउचर्स पत्रावली | 868/2008 |
| 166. | 04–यात्रा भत्ता व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008–09 | 877/2008 |
| 167. | 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008–09 | 882/2008 |
| 168. | 47–कम्प्यूटर अनुरक्षण व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008–09 | 883/2008 |

| | | |
|---|---|---|
| 169. | रिट पिटीशन संख्या–57/2008 श्री रामप्रसाद पाण्डेय देहरादन बनाम राकेश मौर्य | 884/2008 |
| 170. | 09–विद्युत व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008–09 | 898/2008 |
| 171. | 27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008–09 | 899/2008 |
| 172. | रिट पिटीशन संख्या–88/2008 श्री आसाभ पंवार बनाम धर्मेन्द्र ठाकुर, देहरादून | 900/2008 |
| 173. | 11–लेखन सामग्री एवं प्रपत्र छपाई व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008–09 | 901/2008 |
| 174. | 22–आतिथ्य व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008–09 | 902/2008 |
| 175. | 15–पोल 2008–09 लेखा | 903/2008 |
| 176. | जमानत अवमुक्त किया जाना | 923/2008 |
| 177. | आय व्यय 2515 (06) 2009–2010 | 955/2008 |
| 178. | आय व्यय 2515 (07) 2009–2010 | 956/2008 |
| 179. | आय व्यय 2217 (03) 2009–2010 | 957/2008 |
| 180. | कार्यालय व्यय पत्रावली | 994/2009 |
| 181. | विद्युत व्यय पत्रावली | 995/2009 |
| 182. | लेखन सामग्री व्यय पत्रावली | 996/2009 |
| 183. | कार्यालय फर्नीचर व्यय पत्रावली | 997/2009 |
| 184. | टेलीफोन व्यय पत्रावली | 998/2009 |
| 185. | पी0ओ0एल0 व्यय पत्रावली | 999/2009 |
| 186. | 16–व्यवसायिक सेवा व्यय पत्रावली | 1000/2009 |
| 187. | 22–आकस्मिक व्यय पत्रावली | 1001/2009 |
| 188. | 20–चिकित्सा व्यय पत्रावली | 1002/2009 |
| 189. | 42–अन्य व्यय पत्रावली | 1003/2009 |
| 190 | 46–कम्प्यूटर कय पत्रावली | 1004/2009 |
| 191. | 47– कम्प्यूटर कय पत्रावली | 1005/2009 |
| 192. | आय–व्ययक 2010–11 पत्रावली | 1065/2009 |
| 193. | आय–व्ययक प्रस्ताव 2011–12 पत्रावली | 1119/2010 |
| 194. | आय–व्ययक 2012–13 पत्रावली | 1242/2011 |
| 195. | अनुरक्षण व्यय की स्वीकृति | 1252/2011 |
| 196. | विद्युत व्यय पत्रावली | 1282/2012 |
| 197. | टेलीफोन व्यय पत्रावली | 1283/2012 |
| 198. | पी0ओ0एल0 स्वीकृति पत्रावली | 1284/2012 |
| 199. | 16–व्यवसायिक सेवायें व्यय पत्रावली | 1285/2012 |
| 200. | चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय स्वीकृति पत्रावली | 1298/2012 |
| 201. | कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली | 1299/2012 |
| 202. | प्रमाण पत्र सम्बन्धी पत्रावली | 1327/2012 |
| 203. | 22–आकस्मिक व्यय स्वीकृति पत्रावली | 1339/2012 |
| 204. | आय–व्ययक 2013–14 पत्रावली | 1351/2012 |
| 205. | आय–व्ययक 2013–14 2515 (07)पत्रावली | 1368/2012 |
| 206. | आय–व्ययक 2013–14 2227 (03)पत्रावली | 1369/2012 |
| 207. | त्रि0 पं0 निर्वा0 में उम्मीदवारों हेतु नाम निर्देश पत्रों/जामनते/अधिकतम व्यय सीमा सम्बन्धी पत्रावली। | 1378/2013 |
| 208. | कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली | 1425/2013 |
| 209. | विद्युत व्यय स्वीकृति पत्रावली | 1426/2013 |
| 210. | लेखन सामग्री व्यय पत्रावली | 1427/2013 |
| 211. | कार्यालय फर्नीचर व्यय पत्रावली | 1428/2013 |
| 212. | टेलीफोन व्यय पत्रावली | 1429/2013 |
| 213. | पी0ओ0एल0 व्यय पत्रावली | 1430/2013 |
| 214. | व्यवसायिक सेवा व्यय पत्रावली | 1431/2013 |
| 215. | आतिथ्य व्यय पत्रावली | 1432/2013 |

| | | |
|---|---|---|
| 216. | मशीनें साज–सज्जा | 1433/2013 |
| 217. | चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति पत्रावली | 1434/2013 |
| 218. | अनुरक्षण व्यय की स्वीकृति | 1435/2013 |
| 219. | अन्य व्यय पत्रावली | 1436/2013 |
| 220. | कम्प्यूटर क्रय पत्रावली | 1437/2013 |
| 221. | कम्प्यूटर क्रय अनुरक्षण | 1438/2013 |
| 222. | रिटपिटीशन सं0–1222–2013 शारदा टेन्ट हाउस हरिद्वार के वेरिकेटिंग देयक भुगतान बावत। | 1480/2013 |
| 223. | आय–व्ययक 2013–15 पत्रावली | 1536/2013 |
| 224. | आय–व्ययक 2013–14 2515 (07)पत्रावली | 1541/2013 |
| 225. | आय–व्ययक 2013–14 2227 (03)पत्रावली | 1542/2013 |
| 226. | कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली | 1644/2014 |
| 227. | विद्युत व्यय स्वीकृति पत्रावली | 1645/2014 |
| 228. | लेखन सामग्री व्यय पत्रावली | 1646/2014 |
| 229. | कार्यालय फर्नीचर व्यय पत्रावली | 1647/2014 |
| 230. | टेलीफोन व्यय पत्रावली | 1648/2014 |
| 231. | पी0ओ0एल0 व्यय पत्रावली | 1649/2014 |
| 232. | व्यवसायिक सेवा व्यय पत्रावली | 1650/2014 |
| 233. | आतिथ्य व्यय पत्रावली | 1651/2014 |
| 234. | मशीनें साज–सज्जा | 1652/2014 |
| 235. | चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति पत्रावली | 1653 / 2014 |
| 236. | अनुरक्षण व्यय की स्वीकृति | 1654 / 2014 |
| 237. | अन्य व्यय पत्रावली | 1655 / 2014 |
| 238. | कम्प्यूटर क्रय पत्रावली | 1656 / 2014 |
| 239. | कम्प्यूटर अनुरक्षण | 1657 / 2014 |
| 240. | राज्य आकस्मिकता निधि पत्रावली | 1678 / 2014 |
| 241. | मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली 2014–15 | 1837 / 2014 |
| 242. | आय–व्ययक 2013–15 2515 (06)पत्रावली | 1853 / 2014 |
| 243. | आय–व्ययक 2013–14 2515 (07)पत्रावली | 1854 / 2014 |
| 244. | आय–व्ययक 2013–14 2227 (03)पत्रावली | 1855 / 2014 |
| 245 | 02–मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1893 / 2015 |
| 246 | 08–कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1894 / 2015 |
| 247 | 09–विद्युत व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1895 / 2015 |
| 248 | 11–लेखन सामग्री वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1896 / 2015 |
| 249 | 12–कार्यालय व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1897 / 2015 |
| 250 | 13–टेलीफोन व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1898 / 2015 |
| 251 | 15–पी0ओ0एल0 वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1899 / 2015 |
| 252 | 16–व्यवसायिक सेवायें वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1900 / 2015 |
| 253 | 22–आतिथ्य व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1901 / 2015 |
| 254 | 26–मशीन क्रय वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1902 / 2015 |
| 255 | 27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1903 / 2015 |
| 256 | 29–अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1904 / 2015 |
| 257 | 42–अन्य व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1905 / 2015 |
| 258 | 46–कम्प्यूटर क्रय वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1906 / 2015 |
| 259 | 47–कम्प्यूटर अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2015–16 | 1907 / 2015 |
| 260 | बी0एम0–08 व 04 (2217) | 1913 / 2015 |
| 261 | बी0एम0–08 व 04 (2515) | 1914 / 2015 |
| 262 | आय–व्ययक 2515(06) वित्तीय वर्ष–2016–17 | 1988 / 2015 |
| 263 | आय–व्ययक 2515(07) वित्तीय वर्ष–2016–17 | 1989 / 2015 |
| 264 | आय–व्ययक 2217(03) वित्तीय वर्ष–2016–17 | 1990 / 2015 |

| | | |
|---|---|---|
| 265 | 04–टी.ए. बिल स्वीकृति पत्रावली | 2011 / 2015 |
| 267. | मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2054 / 2016 |
| 268. | यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2055 / 2016 |
| 269. | स्थानान्तरण यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2056 / 2016 |
| 270. | कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2057 / 2016 |
| 271. | विद्युत व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2058 / 2016 |
| 272. | लेखन सामग्री व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2059 / 2016 |
| 273. | कार्यालय फर्नीचर व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2060 / 2016 |
| 274. | टेलीफोन व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2061 / 2016 |
| 275. | फूल व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2062 / 2017 |
| 276. | व्यवसायिक सेवायें व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2063 / 2017 |
| 277. | विज्ञापन व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2064 / 2016 |
| 278. | अतिरिक्त व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2065 / 2016 |
| 279. | मशीन क्रय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2066 / 2016 |
| 280. | चिकित्सा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2067 / 2016 |
| 281. | अनुरक्षण व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2068 / 2016 |
| 282. | अन्य व्यय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2069 / 2016 |
| 283. | कम्प्यूटर व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2070 / 2016 |
| 284. | कम्प्यूटर अनुरक्षण व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016–17 | 2071 / 2016 |
| 285. | स्व0 श्री जगदीश चन्द्र, नैनीताल हेतु अनुग्रह राशि स्वीकृत | 2086 / 2016 |
| 287. | आय व्ययक वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2124 / 2016 |
| 288. | आय व्ययक 2515 (07)वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2125 / 2016 |
| 289. | आय व्ययक 2517 (03)वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2126 / 2016 |
| 290. | मा0 वित्त मंत्री जी का बजट भाषण पत्रावली | 2147 / 2017 |
| 291 | 02 मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वर्ष–2017–18 | 2159 / 2017 |
| 292 | 04 यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2160 / 2017 |
| 293 | 05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2161 / 2017 |
| 294 | 08–कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2162 / 2017 |
| 295 | 09–विद्युत व्यय वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2163 / 2017 |
| 296 | 11–लेखन सामग्री वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2164 / 2017 |
| 297 | 12–कार्यालय फर्नीचर वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2165 / 2017 |
| 298 | 13–टेलीफोन व्यय वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2166 / 2017 |
| 299 | 15–पी0ओ0एल0 वित्तीय व वर्ष–2017–18 | 2167 / 2017 |
| 300 | 16–व्यवसायिक सेवायें वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2168 / 2017 |
| 301 | 19–विज्ञापन व्यय वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2169 / 2017 |
| 302 | 26–मशीन क्रय वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2170 / 2017 |
| 303 | 27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2171 / 2017 |
| 304 | 29–अनुरक्षण वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2172 / 2017 |
| 305 | 42–अन्य व्यय वित्तीय वर्ष–2017–18 | 2173 / 2017 |
| 306 | 45–अवकाश यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2017–18 | 2174 / 2017 |
| 307 | 46–कम्प्यूटर क्रय वित्तीय वर्ष 2017–18 | 2175 / 2017 |
| 308 | 47–कम्प्यूटर अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2017–18 | 2176 / 2017 |
| 309 | शासन में बैठक संबंधी पत्रावली | 2179 / 2017 |
| 310 | नगर स्थानीय निकाय निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने विषयक | 2227 / 2017 |
| 311 | आय–व्ययक 2217 वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2250 / 2018 |
| 312 | आय–व्ययक 2515(02) वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2251 / 2018 |
| 313 | आय–व्ययक 2515(03) वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2252 / 2018 |
| 314 | 8000– आकस्मिकता निधि पत्रावली | 2296 / 2018 |
| 315 | 02 मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वर्ष–2018–19 | 2410 / 2018 |

| | | |
|---|---|---|
| 316 | 04 यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2411 / 2018 |
| 317 | 05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2412 / 2018 |
| 318 | 08–कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2413 / 2018 |
| 319 | 09–विद्युत व्यय वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2414 / 2018 |
| 320 | 11–लेखन सामग्री वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2415 / 2018 |
| 321 | 12–कार्यालय फर्नीचर वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2416 / 2018 |
| 322 | 13–टेलीफोन व्यय वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2417 / 2018 |
| 323 | 15–पी0ओ0एल0 वित्तीय व वर्ष–2018–19 | 2418 / 2018 |
| 324 | 16–व्यवसायिक सेवायें वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2419 / 2018 |
| 325 | 19–विज्ञापन व्यय वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2420 / 2018 |
| 326 | 26–मशीन क्रय वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2421 / 2018 |
| 327 | 27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2422 / 2018 |
| 328 | 29–अनुरक्षण वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2423 / 2018 |
| 329 | 42–अन्य व्यय वित्तीय वर्ष–2018–19 | 2434 / 2018 |
| 330 | 45–अवकाश यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2018–19 | 2425 / 2018 |
| 331 | 46–कम्प्यूटर क्रय वित्तीय वर्ष 2018–19 | 2426 / 2018 |
| 332 | 47–कम्प्यूटर अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2018–19 | 2427 / 2018 |
| 333 | मानक मद 22 मानेदय व्यय स्वीकृति पत्रावली 2018–19 | 2428 / 2018 |
| 334 | मुख्यमंत्री राहत कोष संबंधी पत्रावली। | 2474 / 2018 |
| 335 | आय–व्ययक 2217 वित्तीय वर्ष–2019–20 | 2495 / 2018 |
| 336 | आय–व्ययक 2515(02) वित्तीय वर्ष–2019–20 | 2496 / 2018 |
| 337 | आय–व्ययक 2515(03) वित्तीय वर्ष–2019–20 | 2497 / 2018 |
| 338 | नियोजन विभाग से संबंधित पत्रावली। | 2554 / 2019 |
| 339 | त्रि0पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 हेतु निर्धारित मानक से संबंधित पत्रावली। | 2568 / 2019 |
| 340 | श्री जे0पी0 शाह, अधिवक्ता से संबंधित पत्रावली। | 2599 / 2019 |
| 341 | 02 मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वर्ष–2019–20 | 2602 / 2019 |
| 342 | 04 यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष–2019–20 | 2603 / 2019 |
| 343 | 05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष–2019–20 | 2604 / 2019 |
| 344 | 08–कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष–2019–20 | 2605 / 2019 |
| 345 | 09–विद्युत व्यय वित्तीय वर्ष–2019–20 | 2606 / 2019 |
| 346 | 11–लेखन सामग्री वित्तीय वर्ष–202019–20 | 2607 / 2019 |
| 347 | 12–कार्यालय फर्नीचर वित्तीय वर्ष–2012019–20 | 2608 / 2019 |
| 348 | 13–टेलीफोन व्यय वित्तीय वर्ष–2019–20 | 2609 / 2019 |
| 349 | 15–पी0ओ0एल0 वित्तीय व वर्ष–2019–20 | 2610 / 2019 |
| 350 | 16–व्यवसायिक सेवायें वित्तीय वर्ष–2019–20 | 2611 / 2019 |
| 351 | 22–आतिथ्य व्यय वित्तीय वर्ष–2019–20 | 2612 / 2019 |
| 325 | 25–उपयोगिता वित्तीय वर्ष–2019–20 | 2613 / 2019 |
| 326 | 27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय वित्तीय वर्ष–2019–20 | 2614 / 2019 |

| | | |
|---|---|---|
| 327 | 29–अनुरक्षण वित्तीय वर्ष–2019–20 | 2615 / 2019 |
| 328 | 42–अन्य व्यय वित्तीय वर्ष–2019–20 | 2616 / 2019 |
| 329 | 45–अवकाश यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2019–20 | 2617 / 2019 |
| 330 | 46–कम्प्यूटर क्रय वित्तीय वर्ष 2019–20 | 2618 / 2019 |
| 331 | 47–कम्प्यूटर अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2019–20 | 2619 / 2019 |
| 332 | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 से संबंधित शिकायती पत्रावली | 2705 / 2019 |
| 333 | जी0एस0टी0 संबंधित पत्रावली। | 2705 / 2019 |
| 334 | आय व्यय मद संख्या–2217 वर्ष 2020–21 | 2787 / 2019 |
| 335 | आय व्यय मद संख्या–2015 (02) वर्ष 2020–21 | 2788 / 2019 |
| 336 | आय व्यय मद संख्या–2015 (03) वर्ष 2020–21 | 2789 / 2019 |
| 337 | विभिन्न देयकों के भुगतान संबंधी पत्रावली। | 2842 / 2020 |
| 338 | त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन–2019 में मृत / अपंग कार्मिकों हेतु अनुग्रह धनराशि | 2843 / 2020 |
| 339 | महालेखाकार द्वारा किये गये दिनांक 03 / 2011 से 20.01.2020 तक आडिट पत्रावली। | 2854 / 2020 |
| 340 | आयकर आगणन–2019–20 | 2859 / 2020 |

## मैनुअल–7

**किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है:–**

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिनियमों/नियमावलियों में उल्लिखित धाराओं/नियमों के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाता है। निर्वाचन कार्य में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

## मैनुअल--8

**ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके मागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी:--**

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड से संबंधित नहीं है।

# मैनुअल–9
## अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

राज्य निर्वाचन आयोग में आयोग मुख्यालय एवं उसके नियंत्रणाधीन जनपदों में स्थित पंचास्थानि चुनावालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका निम्नवत् है:–

| क्र. सं. | अधिकारी/कर्मचारियों का नाम | पदनाम | कार्यालय दूरभाष संख्या | मोबाईल नम्बर | फैक्स नम्बर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | श्री चन्द्रशेखर भट्ट | माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, आई.ए.एस. (से0नि0) | 0135-2671671 | 9410392399 | 0135-2671417 |
| 2. | श्री खजान चन्द्र पाण्डे | उप सचिव (लेखा) | 0135-2670998 | 7534820701 | 0135-2678945 |
| 3. | श्री प्रभात कुमार सिंह | उपायुक्त | 0135-2670998 | 7534820739 | 0135-2678945 |
| 4. | श्रीमती हिमाली जोशी पेटवाल | उप सचिव | 0135-2670998 | 7534820799 | 0135-2678945 |
| 5. | श्री राज कुमार वर्मा | सहायक आयुक्त | 0135-2670998 | 7534820731 | 0135-2678945 |
| 6. | श्री के.सी. चौधरी | निजी सचिव | 0135-2671671 | 7534820777 | 0135-2671417 |
| 7. | श्री यू.एस. रावत | अनुभाग अधिकारी | — | 7534820778 | — |
| 8. | श्री आर.के. सेमवाल | समीक्षा अधिकारी | — | 7534820710 | — |
| 9. | श्री मदन लाल | | — | 7534820711 | — |
| 10. | श्री मोहन चन्द्र | | — | 7534820713 | — |
| 11. | श्री आर.सी. काण्डपाल | | — | 7534820714 | — |
| 12. | श्री एस.सी. पाण्डे | सहायक समीक्षा अधिकारी | — | 7534820715 | — |
| 13. | श्री एन.एस. नयाल | | — | 7534820718 | — |
| 14. | श्रीमती ऊषा अग्रवाल | वरिष्ठ सहायक | — | 7534820765 | — |
| 15. | श्री दिनेश कुण्डरा | टंकक/डाटा इन्ट्री आपरेटर | — | 7534820717 | — |
| 16. | श्री सत्यानन्द बडोनी | अर्दली/चपरासी/ चौकीदार/स्वच्छक | — | — | — |
| 17. | श्री जे.एन. महन्त | | — | — | — |
| 18. | श्री राजीव | | — | — | — |

# पी0आर0डी0 तथा उपनल द्वारा संविदा पर कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की निर्देशिका।

| क्र.सं. | कर्मचारियों का नाम | पदनाम | कार्यालय दूरभाष संख्या | मोबाईल नम्बर | फैक्स नम्बर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | श्री शशांक घिल्डियाल | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | — | 7534820716 | — |
| 2. | श्री गजेन्द्र सिंह | तृतीय श्रेणी/ लिपिकीय | — | 7534820719 | — |
| 3. | श्री विनोद लाल | | — | 7534820720 | — |
| 4. | श्री विकास राज | | — | — | — |
| 5. | श्री अमित कुमार | | — | | — |
| 6. | श्री बलराम थापा | वाहन चालक | — | 7534820721 | — |
| 7. | श्री शैलेश क्षेत्री | | — | 7534820723 | — |
| 8. | श्री सुनील धसमाना | चतुर्थ श्रेणी | — | — | — |
| 9. | श्री शैलेन्द्र सिंह | | — | — | — |
| 10. | श्री राकेश सिंह | | — | 7534820724 | — |
| 11. | श्री हीरा सिंह | सिक्योरिटी गार्ड/ चपरासी | — | — | — |
| 12. | श्री सुरेश सिंह | | — | — | — |
| 13. | श्री महेन्द्र सिंह सजवाण | | — | — | — |
| 14. | श्री कुंवर पाल सिंह | स्वच्छक | — | — | — |

# जिला स्तरीय कार्यालय

| क्र. सं. | अधिकारी/ कर्मचारियों का नाम | पदनाम | कार्यालय दूरभाष संख्या | मोबाईल नम्बर | फैक्स नम्बर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| | | **अल्मोड़ा** | | | |
| 1. | रिक्त | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 232633 | -- | 232828 |
| 2. | श्री सन्तोष सिंह बोरा | वरिष्ठ सहायक | — | 7534820757 | — |
| 3. | श्री विमल रौतेला | कनिष्ठ सहायक | — | 7534820746 | — |
| 4. | श्री सतीश कुमार तिवारी | कनिष्ठ सहायक | — | 7534820747 | — |
| 5. | श्री राजेन्द्र सिंह | चपरासी/चौकीदार | — | — | — |
| 6. | श्री सन्तोष सिंह | | — | — | — |
| | | **उधमसिंहनगर** | | | |
| 1. | रिक्त | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 245783 | — | 245783 |
| 2. | श्री संजय अग्रवाल | वरिष्ठ सहायक | — | 7534820748 | — |
| 3. | सुश्री ममता जोशी | वरिष्ठ सहायक | — | 7534820749 | — |
| | | **चम्पावत** | | | |
| 1. | रिक्त | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 230386 | — | 230386 |
| 2. | श्री संजीव प्रकाश सिंह | वरिष्ठ सहायक | — | 7534820750 | — |
| 3. | श्री सचिन कुमार वर्मा | वरिष्ठ सहायक | — | 7534820751 | — |
| 4. | श्री जयराम | कनिष्ठ सहायक | — | — | — |
| | | **नैनीताल** | | | |
| 1. | रिक्त | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 248436 | -- | 248436 |
| 2. | श्री कैलाश चन्द्र सिंह बोरा | वरिष्ठ सहायक | — | 7534820754 | — |
| 3. | श्री मोहन सिंह | चपरासी/चौकीदार | — | — | — |
| | | **पिथौरागढ़** | | | |
| 1. | श्री महेश चन्द्र कापड़ी | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 225392 | 7534820742 | 225236 |
| 2. | श्री दिनेश चन्द्र उप्रेती | वरिष्ठ सहायक | — | 7534820745 | — |
| 3. | श्री भूपाल सिंह पंचोली | चपरासी/चौकीदार | — | — | — |
| | | **बागेश्वर** | | | |
| 1. | रिक्त | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 221375 | — | 220757 |
| 2. | श्री शेखर चन्द्र पाण्डे | वरिष्ठ सहायक | — | 7534820752 | — |
| 3. | श्री हेम चन्द्र पाठक | वरिष्ठ सहायक | — | 7534820753 | — |
| 4. | श्री हेम चन्द्र पाण्डे | कनिष्ठ सहायक | — | — | — |
| 5. | श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट | चपरासी/चौकीदार | — | — | — |
| | | **उत्तरकाशी** | | | |
| 1. | श्री यशवंत लाल कपूर | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 222613 | 7534820733 | 222613 |
| 2. | श्री कुलवन्त सिंह गुसाईं | कनिष्ठ सहायक | — | 7534820759 | — |
| | | **चमोली** | | | |
| 1. | रिक्त | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 253469 | — | 253469 |
| 2. | श्री हुकम सिंह मण्डारी | कनिष्ठ सहायक | | 7534820760 | |
| 3. | श्री गोपाल दत्त | चपरासी/चौकीदार | — | — | — |
| 4. | श्री सुरेन्द्र दत्त | | — | — | — |
| | | **टिहरी गढ़वाल** | | | |
| 1. | रिक्त | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 232884 | — | 232884 |
| 2. | श्री विजयपाल सिंह बिष्ट | वरिष्ठ सहायक | — | 7534820762 | — |
| 3. | श्री बिजेन्द्र सिंह कैन्तुरा | वरिष्ठ सहायक | — | 7534820763 | — |
| 4. | श्री ओपेन्द्र लाल | चपरासी/चौकीदार | — | — | — |
| 5. | श्री ईलम सिंह | | — | | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **देहरादून** | | | | | |
| 1. | श्री सुशील जोशी | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 2720444 | — | 2726732 |
| 2. | श्री सुनील नौटियाल | वरिष्ठ सहायक | — | 7534820758 | — |
| 3. | श्रीमती कंवरजीत कौर | वरिष्ठ सहायक | — | 7534820765 | — |
| 4. | श्री सुदर्शन सिंह | चपरासी/चौकीदार | — | — | — |
| **पौड़ी गढ़वाल** | | | | | |
| 1. | रिक्त | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 222061 | — | 222061 |
| 2. | श्री ललित मोहन गोदियाल | कनिष्ठ सहायक | — | 7534820761 | — |
| 3. | श्री मनीष तिवारी | कनिष्ठ सहायक | — | 7534820767 | — |
| 4. | श्री विजय लाल | चपरासी/चौकीदार | — | — | — |
| **रुद्रप्रयाग** | | | | | |
| 1. | रिक्त | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 233812 | — | 233812 |
| 2. | श्री अतुल भट्ट | वरिष्ठ सहायक | 23312 | 7534820761 | 233812 |
| 3. | श्री कुलदीप सिंह नेगी | कनिष्ठ सहायक | — | 7534820769 | — |
| **हरिद्वार** | | | | | |
| 1. | श्री ऋषिराम थपलियाल | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 239454 | 7534820732 | 239454 |
| 2. | श्री अनिल कुमार पाल | कनिष्ठ सहायक | — | 7534820770 | — |
| 3. | श्री जयप्रकाश नौटियाल | कनिष्ठ सहायक | 239454 | 7534820764 | 239454 |

**नोट**– वाह्य स्रोत के कर्मियों का विवरण उक्त में सम्मिलित नहीं है।

# मैनुअल–10

**प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।**

राज्य निर्वाचन आयोग में आयोग, मुख्यालय एवं उसके नियंत्रणाधीन जनपदों में स्थित पदस्थापित चुनावालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतनमान उत्तराखण्ड शासन की शासनादेश संख्या–685/XII/2012/92(06)/2005 दिनांक 15 जून, 2012, शासनादेश संख्या–2337/XII/2013/92(06)/2005,टीसी–I/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 तथा शासनादेश संख्या–230एम.एस./33–3–1995 दिनांक 14 फरवरी, 1995, शासनादेश संख्या–605/IV(1)/ 2013–26(NV)/2012 दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 के अनुसार निम्नवत् है:–

## मुख्यालय

| क्र. सं. | पदनाम | वेतनमान | स्वीकृत पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त | 225000-00 (Fixed) | 01 |
| 2. | सचिव | 131100-216600 | 01 |
| 3. | संयुक्त सचिव | 118600-214100 | 01 |
| 4. | उप सचिव | 78800-209200 | 01 |
| 5. | उप सचिव (लेखा) | 78800-209200 | 01 |
| 6. | उपायुक्त | 78800-209200 | 01 |
| 7. | अनु सचिव | 67700-208700 | 01 |
| 8. | सहायक आयुक्त | 56100-177500 | 02 |
| 9. | अनुभाग अधिकारी | 47600-151100 | 03 |
| 10. | निजी सचिव | 47600-151100 | 02 |
| 11. | समीक्षा अधिकारी | 44900-142400 | 06 |
| 12. | समीक्षा अधिकारी (लेखा) | 44900-142400 | 01 |
| 13. | वैयक्तिक सहायक/अपर निजी सचिव | 44900-142400 | 03 |
| 14. | सहायक समीक्षा अधिकारी | 35400-112400 | 03 |
| 15. | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | 35400-112400 | 01 |
| 16. | टंकक/डाटा इन्ट्री आपरेटर | 21700-69100 | 04 |
| 17. | वाहन चालक | 19900-63200 | 02 |
| 18. | अर्दली/चपरासी/चौकीदार/स्वच्छक | 18000-56900 | 10 |
| 19. | स्वच्छक | 18000-56900 | 01 |

## जिला स्तरीय कार्यालय

| क्र.सं. | पदनाम | वेतनमान | स्वीकृत पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 35400-112400 | 13 |
| 2. | वरिष्ठ सहायक | 29200-92300 | 26 |
| 3. | कनिष्ठ सहायक | 21700-69100 | 35 |
| 4. | चपरासी / चौकीदार | 18000-56900 | 35 |

(315)

## मैनुअल–11

**सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताओं पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट–**

उत्तराखण्ड शासन में पंचायती राज विभाग राज्य निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक विभाग है। राज्य निर्वाचन आयोग को मुख्यालय एवं जिला स्तरीय अधिष्ठान हेतु वार्षिक बजट पंचायती राज विभाग तथा नगर विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त होता है।

वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के बजट के नियंत्रण व नियमानुसार व्यय हेतु जांच तथा संस्तुति की जाती है। **वित्तीय वर्ष 2019–20** में शासन के शासनादेश संख्या–492/XII(1)/19–82 (03)/ 2019 दिनांक 01 मई, 2019, शासनादेश संख्या–29/XII(1)/19–82 (03)/2019 दिनांक 06 जनवरी, 2020, शासनादेश संख्या–371/XII(1)/20–82(03)/2019 दिनांक 20 फरवरी, 2020 एवं नगर पंचायतों का चुनाव के अधिष्ठान हेतु शासनादेश संख्या–286/ IV(2)-श0वि0–2019–01 (बजट)18 दिनांक 06 मई, 2019 तथा राज्य आकस्मिकता निधि से शासनादेश संख्या–1167/ XII(1)/19–84(07)/2019 दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 तथा शासनादेश संख्या–977/ IV(2)-श0वि0–2019–02 (38)19 दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के द्वारा बजट प्राप्त हुआ है।

उक्त प्राप्त बजट के सापेक्ष आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तरीय अधिष्ठान हेतु आयोग के पत्र संख्या–819/रा0नि0आ0–ले0/2496/2018 दिनांक 02.05.2019, पत्र संख्या–944/रा0नि0आ0–ले0/2496/2018 दिनांक 30.09.2019, पत्र संख्या–2609/रा0नि0आ0–ले0/2497/2018 दिनांक 11.10.2019, पत्र संख्या–3207/रा0नि0आ0–ले0/2497/2018 दिनांक 21.11.2019, पत्र संख्या–3443/रा0नि0आ0–ले0/ 2497/2018 दिनांक 19.12.2019, पत्र संख्या–3452/रा0नि0आ0–ले0/ 2497/2018 दिनांक 20.12.2019, पत्र संख्या–919/रा0नि0आ0–ले0/2495/ 2018 दिनांक 20.05.2019, पत्र संख्या–1054/ रा0नि0आ0–ले0/ 2495/2018 दिनांक 07.06.2019, पत्र संख्या–3306/रा0नि0आ0–ले0/2495/ 2018 दिनांक 06.12.2019, पत्र संख्या–4315/रा0नि0आ0–ले0/2495/ 2018 दिनांक 17.03.2020 तथा पत्र संख्या–3454/रा0नि0आ0–ले0 /2495/ 2018 दिनांक 20.12.2019 द्वारा आवंटित किया गया।

शासन से उपरोक्त प्राप्त बजट के सपेक्ष राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटन आई.डी. –HS20030050001 दिनांक 31.03.2020, आई.डी.–HS20030050017 दिनांक 31.03.2020, आई.डी. –HS20030050018 दिनांक 31.03.2020, आई.डी.–HS2003PAC0006 दिनांक 31.03.2020, आई.डी. –HS20030130002 दिनांक 31.03.2020, आई.डी.–HS20030130013 दिनांक 31.03.2020 एवं आई.डी. –HS2003PAC0007 दिनांक 31.03.2020 द्वारा बजट समर्पण किया गया है।

(216)

संख्याः 492/XII(1)/19-82(03)/2019

प्रेषक,

**हरि चन्द्र सेमवाल,**
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**आयुक्त,**
**राज्य निर्वाचन आयोग,**
उत्तराखण्ड, देहरादून।

01 मई 2019

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक : ~~अप्रैल, 2019~~

**विषयः–वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 254/3(150)–17/XXVII(1)/2019, दिनॉक 29 मार्च, 2019 **(छायाप्रति संलग्न)** के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्याः 05 के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरण एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की कुल धनराशि रू0 275561 हजार (सत्ताईस करोड पच्चपन लाख इक्कसठ हजार मात्र ) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

229/आ0प्र/19

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक 29 मार्च 2019 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

सचिव

2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

(चन्द्र शेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड

3. उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। अवचनबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

533/5/Acc/19
FC/AR(Acc)

(रोशन लाल)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड 2/5/19

MISHRA BUDGET GO 2019-20

(तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

4. वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जा येगी।

5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान संख्याः 05 के मुख्य लेखाशीर्षक 2015–निर्वाचन–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग एवं उसके अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

6. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2019–20 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी। मानक मद–01–वेतन, 03–महंगाई भत्ता, 06–अन्य भत्ते, 09–विधुत देय तथा 10–जलकर/जलप्रभार में Global Budgeting की व्यवस्था लागू होने से उक्त मदों का आवंटन HOD के द्वारा किया जायेगा एवं आहरण–वितरण अधिकारियों के स्तर पर नहीं किया जायेगा। एरियर के भुगतान हेतु आहरण–वितरण अधिकारी की मांग पर पोर्टल के मैनुअल पे–ऑपशन से भुगतान हेतु बजट आवंटित किया जायेगा।

संलग्नक :– सूची/अलोटमेंट आईडी।

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव

संख्या: (1)/ XII(1) /19-82(03)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6– बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
8– एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बलवन्त सिंह भाकुनी)
अनु सचिव

318

IFMS Uttarakhand

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

## Secretary-Secretary, Panchayati Raj(S034)

HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

(रोशन लाल)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

आवंटन पत्र संख्या -82(03)2019

आवंटन आई डी-S19050050001

अनुदान संख्या-005

आवंटन पत्र दिनांक-01-MAY-2019

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 2015-निर्वाचन | 00-- |
| | 109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार | 02-राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायों आदि हेतु) (Grant 19 2515-00-800-06 से स्थानान्तरित ) |

00-0 Voted

| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 01-वेतन | 0 | 16000000 | 0 | 16000000 |
| 02-मजदूरी | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 03-महंगाई भत्ता | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 |
| 04-यात्रा व्यय | 0 | 30000 | 0 | 30000 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 0 | 25000 | 0 | 25000 |
| 06-अन्य भत्ते | 0 | 1440000 | 0 | 1440000 |
| 08-कार्यालय व्यय | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| 09-विद्युत देय | 0 | 250000 | 0 | 250000 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 0 | 300000 | 0 | 300000 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 0 | 100000 | 0 | 100000 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | 0 | 300000 | 0 | 300000 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 0 | 300000 | 0 | 300000 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 |
| 22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 29-अनुरक्षण | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 42-अन्य व्यय | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 45-अवकाश यात्रा व्यय | 0 | 50000 | 0 | 50000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय | 0 | 150000 | 0 | 150000 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंदी स्टेशनरी का क्रय | 0 | 200000 | 0 | 200000 |
| योग | 0 | 26795000 | 0 | 26795000 |

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,67,95,000.00 (Rupees Two Crores Sixty Seven Lacs Ninety Five Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

320

IFMS Uttarakhand

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2019 - 2020 )

## Secretary-Secretary, Panchayati Raj(S034)

HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

आवंटन पत्र संख्या -82(03)2019
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-S19050050002
आवंटन पत्र दिनांक-01-MAY-2019

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 2015-निर्वाचन | 00-- |
| | 109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार | 03-राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय |
| | 00-0 | Voted |

| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 01-वेतन | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 |
| 02-मजदूरी | 0 | 8000000 | 0 | 8000000 |
| 03-महंगाई भत्ता | 0 | 450000 | 0 | 450000 |
| 04-यात्रा व्यय | 0 | 88000000 | 0 | 88000000 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 0 | 110000 | 0 | 110000 |
| 06-अन्य भत्ते | 0 | 270000 | 0 | 270000 |
| 07-मानदेय | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 |
| 08-कार्यालय व्यय | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |
| 09-विद्युत देय | 0 | 195000 | 0 | 195000 |
| 10-जलकर / जल प्रभार | 0 | 51000 | 0 | 51000 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 0 | 500000 | 0 | 500000 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | 0 | 1050000 | 0 | 1050000 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 0 | 35000000 | 0 | 35000000 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 0 | 18000000 | 0 | 18000000 |
| 27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 0 | 30000 | 0 | 30000 |
| 29-अनुरक्षण | 0 | 800000 | 0 | 800000 |
| 42-अन्य व्यय | 0 | 40000000 | 0 | 40000000 |
| 44-प्रशिक्षण व्यय | 0 | 600000 | 0 | 600000 |
| 46-कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय | 0 | 650000 | 0 | 650000 |
| 47-कंप्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंदी स्टेशनरी का क्रय | 0 | 2060000 | 0 | 2060000 |
| योग | 0 | 248766000 | 0 | 248766000 |

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.24,87,66,000 (Rupees Twenty Four Crores Eighty Seven Lacs Sixty Six Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

IFMS Uttarakhand

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

## Secretary-Secretary, Panchayati Raj(S034)

HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

आवंटन पत्र संख्या -86(26)2003&T.C-II

आवंटन आई डी-S19080050001

अनुदान संख्या-005

आवंटन पत्र दिनांक-06-AUG-2019

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 2015-निर्वाचन | 00-- |
| | 109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार | 02-राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायों आदि हेतु) (Grant 19 2515-00-800-06 से स्थानान्तरित ) |
| | 00-0 | Voted |

| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 25-लघु निर्माण कार्य | 0 | 3279000 | 0 | 3279000 |
| योग | 0 | 3279000 | 0 | 3279000 |

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.32,79,000 (Rupees Thirty Two Lacs Seventy Nine Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

F2/3P40

(रोशन लाल)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड 8/19

Ro(लेखा)
वी
09/8/19

322

संख्याः 29 /XII(1)/19-82(03)/2019

प्रेषक,

**हरबंस सिंह चुघ,**
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**सचिव,**
**राज्य निर्वाचन आयोग,**
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक : ~~दिसम्बर, 2019~~ 06, जनवरी 2020

**विषयः–वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 1034/3(150)–17/XXVII(1)/2019, दिनॉक 23 दिसम्बर, 2019 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्याः 05 के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरण एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार मानक मद संख्या–01, 03 एवं 06 की कुल धनराशि रू0 370 हजार (तीन लाख सत्तर हजार मात्र ) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक 29 मार्च 2019 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक 23 दिसम्बर, 2019 के कम में वित्त विभाग के पूर्व शासनादेश सं0–254 दि0 29.03.2019, शासनादेश सं0–551 दि0 01.08.2019 एवं शासनादेश सं0–560 दि0 02.08.2019 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

3. उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। अवचनबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी



अनुभाग अधिकारी

(हिमाली जोशी पंत्यवाल)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

RO(लेखा)

5/1/2020
(बी० पी० कोठियाल)
अनु सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान संख्याः 05 के मुख्य लेखाशीर्षक 2015–निर्वाचन–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग एवं उसके अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

5. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2019–20 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी। मानक मद–01–वेतन, 03–महंगाई भत्ता, 06–अन्य भत्ते, 09–विधुत देय तथा 10–जलकर/जलप्रभार में Global Budgeting की व्यवस्था लागू होने से उक्त मदों का आवंटन HOD के द्वारा किया जायेगा एवं आहरण–वितरण अधिकारियों के स्तर पर नहीं किया जायेगा। एरियर के भुगतान हेतु आहरण–वितरण अधिकारी की मांग पर पोर्टल के मैनुअल पे–ऑपशन से भुगतान हेतु बजट आवंटित किया जायेगा।

संलग्नक :– सूची/अलोटमेंट आईडी।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव

संख्या: (1)/ XII(1) /19-82(03)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6– बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
8– एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव

324

IFMS Uttarakhand

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

## Secretary-Secretary, Panchayati Raj(S034)

HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-S20010050001

आवंटन पत्र दिनांक-07-JAN-2020

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 2015-निर्वाचन | 00-- |
| | 109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार | 02-राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायों आदि हेतु) (Grant 19 2515-00-800-06 से स्थानान्तरित ) |
| | 00-0 | Voted |

| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 03-महंगाई भत्ता | 2400000 | 120000 | 0 | 2520000 |
| 06-अन्य भत्ते | 1440000 | 250000 | 0 | 1690000 |
| योग | 3840000 | 370000 | 0 | 4210000 |

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.3,70,000 (Rupees Three Lacs Seventy Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(अर्जुन सिंह नपलच्याल)
अनुभाग अधिकारी
पंचायतीराज अनुभाग-1

325

संख्याः 371 /XII(1) /20-82(03)/2019

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 20 फरवरी, 2020

विषयः–वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 1034/3(150)–17/XXVII(1)/2019, दिनॉक 23 दिसम्बर, 2019 एवं पंचायतीराज अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–29/XII(1)/19–82(03)/2019 दिनांक 06 जनवरी, 2020 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मद संख्या–01, 03, एवं 06 की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने के पश्चात अनुदान संख्याः 05 के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरण एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार अन्य मानक मदों की कुल धनराशि रू0 26300 हजार (दो करोड़ तिरेसठ लाख मात्र ) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक 29 मार्च 2019 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक 23 दिसम्बर, 2019 के क्रम में वित्त विभाग के पूर्व शासनादेश सं0–254 दि0 29.03.2019, शासनादेश सं0–551 दि0 01.08.2019 एवं शासनादेश सं0–560 दि0 02.08.2019 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
3. उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। अवचनबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी

शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान संख्याः 05 के मुख्य लेखाशीर्षक 2015–निर्वाचन–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग एवं उसके अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

5. उक्त धनराशि वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0 सं0–138/XXVII-4-2019, दिनांक 19 फरवरी, 2020 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जा रही है।

संलग्नक :– सूची/अलोटमेंट आईडी।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव

संख्या: 371 (1)/ XII(1) /19-82(03)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6– बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
8– एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बलवन्त सिंह भाकुनी)
अनु सचिव

327

IFMS Uttarakhand

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

## Secretary-Secretary, Panchayati Raj(S034)

HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी-S20020050001

अनुदान संख्या-005

आवंटन पत्र दिनांक-24-FEB-2020

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 2015-निर्वाचन | 00-- |
| | 109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार | 02-राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायों आदि हेतु) (Grant 19 2515-00-800-06 से स्थानान्तरित ) |
| | 00-0 | Voted |

| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 4000000 | 600000 | 0 | 4600000 |
| 27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 50000 | 400000 | 0 | 450000 |
| योग | 4050000 | 1000000 | 0 | 5050000 |

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,00,000 (Rupees Ten Lacs Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(बलवन्त सिंह भाकुनी)
अनु सचिव
पंचायती राज विभाग
उत्तराखण्ड शासन

328

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।
दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670898, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक-619 /रा0नि0आ0–लेखा/2496/2018 दिनांक 02/5/19

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक 2015–00–109–02 के अन्तर्गत धनराशि निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रमुख सचिव, पंचायतीराज अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–02–राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकाय आदि हेतु) के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2019–12 हेतु विभिन्न मानक मदों में रू0–267.95 लाख (रू0 दो करोड़, सड़सठ लाख, पिचानब्बे हजार मात्र) की धनराशि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है।

अतः उक्तानुसार विभिन्न मानक मदों में शासन से प्राप्त धनराशि को संलग्न तालिका की अलॉटमेंट आई0डी0–H19050050001 दिनांक 01.05.2019 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के आहरण वितरण अधिकारी कोड–2961 के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्नकः–आई0डी0– H19050050001

भवदीय

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

संख्या-619 /रा0नि0आ0–लेखा/2496/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अलॉटमेंट आई0डी0–H19050050001 दिनांक 01.05.2019 को राज्य निर्वाचन आयोग के आहरण वितरण कोड संख्या 2961 में फीड करने का कष्ट करें।

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

329

IFMS Utterakhand

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

## HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-State Election Commissioner(2961)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-H19050050001
आवंटन पत्र दिनांक-01-MAY-2019

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 2015-निर्वाचन | 00-- |
| | 109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार | 02-राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायों आदि हेतु) (Grant 19 2515-00-800-06 से स्थानान्तरित ) |
| | 00-0 | Voted |

| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 01-वेतन | 0 | 16000000 | 0 | 16000000 |
| 02-मजदूरी | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 03-महंगाई भत्ता | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 |
| 04-यात्रा व्यय | 0 | 30000 | 0 | 30000 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 0 | 25000 | 0 | 25000 |
| 06-अन्य भत्ते | 0 | 1440000 | 0 | 1440000 |
| 08-कार्यालय व्यय | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| 09-विद्युत देय | 0 | 250000 | 0 | 250000 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 0 | 300000 | 0 | 300000 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 0 | 100000 | 0 | 100000 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | 0 | 300000 | 0 | 300000 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 0 | 300000 | 0 | 300000 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 |
| 22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 29-अनुरक्षण | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 42-अन्य व्यय | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 45-अवकाश यात्रा व्यय | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 46-कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय | 0 | 150000 | 0 | 150000 |
| 47-कंप्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंदी स्टेशनरी का क्रय | 0 | 200000 | 0 | 200000 |
| योग | 0 | 26795000 | 0 | 26795000 |

**Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.2,67,95,000.00 (Rupees Two Crores Sixty Seven Lacs Ninety Five Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(तृप्ति श्रीवास्तव)
जिला निर्वाचन अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग

संजय
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com


प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 944 / रा0नि0आ0–ले0 / 2497 / 2018 दिनांक: 23.05.2019

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–492 दिनांक 01.05.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों / स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से प्रत्येक जनपदों की मांग के आधार पर निम्नलिखित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वतन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | अलाटमेंट आई0डी0 संख्या | दिनांक | धनराशि रू0 में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अल्मोड़ा | H19050050031 | 23-05-2019 | 20577000 |
| 2. | उधमसिंह नगर | H19050050032 | 23-05-2019 | 12489000 |
| 3. | चम्पावत | H19050050033 | 23-05-2019 | 7482000 |
| 4. | नैनीताल | H19050050034 | 23-05-2019 | 15201000 |
| 5. | बागेश्वर | H19050050035 | 23-05-2019 | 5592000 |
| 6. | पिथौरागढ़ | H19050050036 | 23-05-2019 | 14424000 |
| 7. | उत्तरकाशी | H19050050037 | 23-05-2019 | 10845000 |
| 8. | चमोली | H19050050038 | 23-05-2019 | 16243000 |
| 9. | रुद्रप्रयाग | H19050050039 | 23-05-2019 | 6155000 |
| 10. | पौड़ी गढ़वाल | H19050050040 | 23-05-2019 | 24057000 |
| 11. | टिहरी | H19050050041 | 23-05-2019 | 16628000 |
| 12. | हरिद्वार | H19050050042 | 23-05-2019 | 362000 |
| 13. | देहरादून | H19050050043 | 23-05-2019 | 10919000 |
| | | योग:– | | **160974000** |

भवदीय

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 944 / रा0नि0आ0–लेखा / 2497 / 2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य / वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

(331)

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

पत्रांक 2394 / दिनांक 30/9/19

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक 2015–00–109–03 के अन्तर्गत धनराशि निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सचिव, पंचायतीराज अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई हैं जिसमें से संलग्न तालिका की अलाटमेंट आई0डी0 संख्या–H19090050014 दिनांक 30.09.2019 के अनुसार रू0–146.1 लाख (रू0 एक करोड़, छियालिस लाख, एक हजार मात्र) राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के आहरण वितरण अधिकारी कोड–2961 के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्नकः–आई0डी0– H19090050014

भवदीय

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

संख्या–2394/रा0नि0आ0–लेखा/2496/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अलॉटमेंट आई0डी0–H19090050014 दिनांक 30.09.2019 को राज्य निर्वाचन आयोग के आहरण वितरण कोड संख्या 2961 में फीड करने का कष्ट करें।

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

332

IFMS Uttarakhand

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

## HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-State Election Commissioner(2961)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-H19090050014
आवंटन पत्र दिनांक-30-SEP-2019

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 2015-निर्वाचन | 00-- |
| | 109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार | 03-राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय (Grant19 2515-00-800-07 से स्थानान्तरित |
| | 00-0 | Voted |

| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 0 | 2361000 | 0 | 2361000 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 0 | 100000 | 0 | 100000 |
| 42-अन्य व्यय | 0 | 8000000 | 0 | 8000000 |
| योग | 0 | 10461000 | 0 | 10461000 |

**Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,04,61,000 (Rupees One Crore Four Lacs Sixty One Thousand Only)**

Batch ID : DIS:2961:2961:1909:0001

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

322

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(जनपद हरिद्वार को छोडकर)
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 2609/रा0नि0आ0–ले0/2497/2018 दिनांक: 11.10.2019

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015– निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से प्रत्येक जनपदों/आयोग की मांग के आधार पर निम्नलिखित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि जनपदों/आयोग के निर्वतन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | अलाटमेंट आई0डी0 संख्या | दिनांक | धनराशि रू0 में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अल्मोड़ा | H19100050003 | 11-10-2019 | 5230000 |
| 2. | उधमसिंह नगर | H19100050004 | 11-10-2019 | 4350000 |
| 3. | चम्पावत | H19100050005 | 11-10-2019 | 3200000 |
| 4. | नैनीताल | H19100050006 | 11-10-2019 | 6495000 |
| 5. | बागेश्वर | H19100050007 | 11-10-2019 | 2680000 |
| 6. | पिथौरागढ़ | H19100050008 | 11-10-2019 | 5995000 |
| 7. | उत्तरकाशी | H19100050009 | 11-10-2019 | 1645000 |
| 8. | चमोली | H19100050010 | 11-10-2019 | 3210000 |
| 9. | रूद्रप्रयाग | H19100050011 | 11-10-2019 | 2180000 |
| 10. | पौड़ी गढ़वाल | H19100050012 | 11-10-2019 | 3350000 |
| 11. | टिहरी | H19100050013 | 11-10-2019 | 210000 |
| 12. | देहरादून | H19100050014 | 11-10-2019 | 3145000 |
| 13. | आयोग मुख्यालय | H19100050015 | 11-10-2019 | 13339000 |
| | | योग:– | | **55029000** |

भवदीया

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 2609/रा0नि0आ0–लेखा/2497/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, (जनपद हरिद्वार को छोडकर), उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, (जनपद हरिद्वार को छोडकर), उत्तराखण्ड।

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670098, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

334

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

जिलाधिकरी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी एवं देहरादून।
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 3207/रा0नि0आ0–ले0/2497/2018 दिनांक: 21.11.2019

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या–006, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से प्रत्येक जनपदों/आयोग की मांग के आधार पर निम्नलिखित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि जनपदों/आयोग के निर्वतन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | अलाटमेंट आई0डी0 संख्या | दिनांक | धनराशि रू0 में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अल्मोड़ा | H19110050020 | 21-11-2019 | 64000 |
| 2. | चम्पावत | H19110050021 | 21-11-2019 | 150000 |
| 3. | बागेश्वर | H19110050022 | 21-11-2019 | 100000 |
| 4. | पिथौरागढ़ | H19110050023 | 21-11-2019 | 100000 |
| 5. | उत्तरकाशी | H19110050024 | 21-11-2019 | 300000 |
| 6. | चमोली | H19110050025 | 21-11-2019 | 400000 |
| 7. | रूद्रप्रयाग | H19110050026 | 21-11-2019 | 150000 |
| 8. | पौड़ी गढ़वाल | H19110050027 | 21-11-2019 | 436000 |
| 9. | टिहरी | H19110050028 | 21-11-2019 | 200000 |
| 10. | देहरादून | H19110050029 | 21-11-2019 | 100000 |
| | | योगः– | | 2000000 |

भवदीया

(तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 3207/रा0नि0आ0–लेखा/2497/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी एवं देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी एवं देहरादून।

(तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।

सत्यमेव जयते

335

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2676945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

सचिव/
आहरण वितरण अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी,
साईबर कोषागार,
देहरादून।

पत्रांक : 3443/रा0नि0आ0–ले0/2497/2016 दिनांक: 19.12.2019

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अपर सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन –00–आयोजनेत्तर 109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से तालिका में अंकित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार 07–मानदेय मद में धनराशि राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्र0सं0 | अलाटमेंट आई0डी0 | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | H19120050001 | 19-12-2019 | 1700000 |

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0 (01)

भवदीय

( रोशन लाल )
सचिव/
आहरण वितरण अधिकारी

संख्या– 3443/रा0नि0आ0–लेखा/2497/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

( रोशन लाल )
सचिव/
आहरण वितरण अधिकारी

336

IFMS Uttarakhand

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

## HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-State Election Commissioner(2961)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-H19120050001
आवंटन पत्र दिनांक-19-DEC-2019

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 2015-निर्वाचन | 00-- |
| | 109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार | 03-राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय (Grant19 2515-00-800-07 से स्थानान्तरित |
| | 00-0 | Voted |

| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 07-मानदेय | 0 | 1700000 | 0 | 1700000 |
| योग | 0 | 1700000 | 0 | 1700000 |

**Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.17,00,000 (Rupees Seventeen Lacs Only)**

Batch ID : DIS:2961:2961:1912:0002
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

(337)

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोडा, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, नैनीताल, बागेश्वर एवं पिथौरागढ।
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 3452/रा0नि0आ0–ले0/2497/2018 दिनांक: 20.12.2019

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अपर सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर 109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से तालिका में अंकित जनपदों को 07–मानदेय मद में धनराशि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | अलाटमैंट आई0डी0 संख्या | दिनांक | धनराशि रू0 में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अल्मोड़ा | H19120050002 | 20-12-2019 | 4200000 |
| 2. | ऊधमसिंह नगर | H19120050003 | 20-12-2019 | 3000000 |
| 3. | चम्पावत | H19120050004 | 20-12-2019 | 1700000 |
| 4. | नैनीताल | H19120050005 | 20-12-2019 | 3000000 |
| 5. | बागेश्वर | H19120050006 | 20-12-2019 | 1500000 |
| 6. | पिथौरागढ | H19120050007 | 20-12-2019 | 2500000 |
| | | योग:– | | 15900000 |

भवदीया

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 3452/रा0नि0आ0–लेखा/2497/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोडा, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, नैनीताल, बागेश्वर एवं पिथौरागढ।
3. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, अल्मोडा, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, नैनीताल, बागेश्वर एवं पिथौरागढ।

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

338

IFMS Uttarakhand

# बजट समर्पण वित्तीय वर्ष (2019 - 2020 )

## HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)

## Secreatary Name-सचिव, पंचायती राज(S034)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-HS20030050001
मांग पत्र दिनांक-31-MAR-2020

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 2015-निर्वाचन | 00-- |
| | 109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार | 02-राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायों आदि हेतु) |
| | 00-0 | Voted |

| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 03-महंगाई भत्ता | - | -1,20,000 | -1,20,000 |
| 04-यात्रा व्यय | - | -10,640 | -,10,640 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | - | -6,428 | -6,428 |
| 06-अन्य भत्ते | - | -2,50,000 | -2,50,000 |
| 08-कार्यालय व्यय | - | -35 | -35 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | - | -428 | -,428 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | - | -998 | -,998 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | - | -41,917 | -,41,917 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | - | -3,680 | -3,680 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | - | -819 | -,819 |
| 22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि | - | -20 | -20 |
| 27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | - | -31,725 | -,31,725 |
| 29-अनुरक्षण | - | -3 | -3 |
| 42-अन्य व्यय | - | -47,260 | -,47,260 |
| 45-अवकाश यात्रा व्यय | - | -50,000 | -,50,000 |
| 46-कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय | - | -91,003 | -,91,003 |
| 47-कंप्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | - | -65,238 | -,65,238 |
| कुल योग | - | 7,20,194 | -7,20,194 |

**Total Surrender By HOD In Above Schemes-Rs.7,20,194**

**नोट - बजट समर्पण की मूल प्रतिलिपि सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे**

Batch ID : SUR:2961:2961:2004:0001
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

339

IFMS Uttarakhand

# बजट समर्पण वित्तीय वर्ष (2019 - 2020 )

## HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)

## Secreatary Name-सचिव, पंचायती राज(S034)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-HS20030050017
मांग पत्र दिनांक-31-MAR-2020

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 2015-निर्वाचन | 00-- |
| | 109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार | 02-राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायों आदि हेतु) |
| | 00-0 | Voted |

| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 01-वेतन | - | -58,828 | -,58,828 |
| 09-विद्युत देय | - | -2,196 | -2,196 |
| कुल योग | - | 61,024 | -,61,024 |

**Total Surrender By HOD In Above Schemes-Rs.61,024**

**नोट - बजट समर्पण की मूल प्रतिलिपि सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे**

Batch ID : SUR:2961:2961:2005:0002
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

340

IFMS Uttarakhand

# बजट समर्पण वित्तीय वर्ष (2019 - 2020 )

## HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)

## Secreatary Name-सचिव, पंचायती राज(S034)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-HS20030050018
मांग पत्र दिनांक-31-MAR-2020

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 2015-निर्वाचन | 00-- |
| | 109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार | 03-राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय |
| | 00-0 | Voted |

| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 01-वेतन | - | -9,64,376 | -9,64,376 |
| 02-मजदूरी | - | -49,28,191 | -,49,28,191 |
| 03-महंगाई भत्ता | - | -1,31,576 | -1,31,576 |
| 04-यात्रा व्यय | - | -2,23,34,006 | -2,23,34,006 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | - | -1,10,000 | -1,10,000 |
| 06-अन्य भत्ते | - | -66,160 | -,66,160 |
| 07-मानदेय | - | -11,07,341 | -,11,07,341 |
| 08-कार्यालय व्यय | - | -32,13,776 | -,32,13,776 |
| 09-विद्युत देय | - | -1,02,748 | -1,02,748 |
| 10-जलकर / जल प्रभार | - | -43,500 | -,43,500 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | - | -10,29,575 | -,10,29,575 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | - | -2,83,811 | -2,83,811 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | - | -9,69,237 | -9,69,237 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | - | -60,16,948 | -,60,16,948 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | - | -1,44,28,649 | -1,44,28,649 |
| 29-अनुरक्षण | - | -8,000 | -8,000 |
| 42-अन्य व्यय | - | -20,08,288 | -,20,08,288 |
| 44-प्रशिक्षण व्यय | - | -1,66,848 | -1,66,848 |
| 46-कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय | - | -5,10,250 | -5,10,250 |
| 47-कंप्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंदी स्टेशनरी का क्रय | - | -11,13,526 | -,11,13,526 |
| कुल योग | - | 5,95,36,806 | -5,95,36,806 |

**Total Surrender By HOD In Above Schemes-Rs.5,95,36,806**

**नोट - बजट समर्पण की मूल प्रतिलिपि सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे**

Batch ID : SUR:2961:2961:2005:0003

(341)

IFMS Uttarakhand

# बजट समर्पण वित्तीय वर्ष (2019 - 2020 )

## HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)

## Secreatary Name-सचिव, पंचायती राज(S034)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-HS2003PAC0006
मांग पत्र दिनांक-31-MAR-2020

लेखा शीर्षक

2015-निर्वाचन
109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार
00-उप

00--
03-राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय

Voted

| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 04-यात्रा व्यय | - | -3,78,94,448 | -3,78,94,448 |
| 07-मानदेय | - | -29,56,183 | -,29,56,183 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | - | -1,16,23,791 | -1,16,23,791 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | - | -9,28,074 | -9,28,074 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | - | -48,45,928 | -,48,45,928 |
| 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | - | -2,53,136 | -2,53,136 |
| 42-अन्य व्यय | - | -40,65,450 | -,40,65,450 |
| कुल योग | - | 6,25,67,010 | -6,25,67,010 |

**Total Surrender By HOD In Above Schemes-Rs.6,25,67,010**

**नोट - बजट समर्पण की मूल प्रतिलिपि सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे**

Batch ID : SUR:2961:2961:2004:0004
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

168
17/5/19 (342) संख्या–286/IV(2)-शविवि–2019-01(बजट)18

प्रेषक,

**शैलेश बगौली,**
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

**सेवा में,**

**आयुक्त,**
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

**शहरी विकास अनुभाग–2** देहरादून : दिनांक 16 मई, 2019

**विषयः वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत नगर पंचायतों का चुनाव के अधिष्ठान व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियन्त्रक, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 602/रा0नि0आ0–ले0/2495/2018 दिनांक 29.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत नगर पंचायतों का चुनाव अधिष्ठान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में प्राविधानित बजट के सापेक्ष संलग्न विवरणानुसार धनराशि **₹ 3,91,46,000/– (₹ तीन करोड़ इक्यानब्बे लाख छियालिस हजार मात्र)** आहरित कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अधार पर किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापित नहीं किया जायेगा एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

(ii) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(iii) इस सम्बन्ध में वित्त विभाग शासनादेश संख्या–254/3(150)2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29.03.2019 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा तथा मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0–08 पर हर माह की 05 तारीख तक शासन को आवश्यक रूप से उपलब्ध करा लिया जायेगा।

आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण, प्रपत्र–10 पर प्रत्येक माह प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः 254/3(150)2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29.03.2019 में प्रदत्त दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

**संलग्नक– एलोटमैण्ट आई0डी0 सं0–** s.19.050.13.0017

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

Letter GO

संख्या– 286/IV(2)- श0वि0-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–1/2 उत्तराखण्ड शासन।
7– संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त शासनादेश को शहरी विकास विभाग के पोर्टल में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0राणा)
उप सचिव

Letter. QQ

344

IFMS Uttarakhand

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

## Secretary-Secretary, Urban Development(S054)

HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

N. 286/IV(2)/2019-01(बजट)2018

आवंटन पत्र संख्या -01(Budget)18

अनुदान संख्या-013

आवंटन आई डी-S19050130017

आवंटन पत्र दिनांक-16-MAY-2019

लेखा शीर्षक 2217-शहरी विकास 001-निदेशन एवं प्रशासन 00-नगर पंचायतों का चुनाव

80-General 03-नगर पंचायतों का चुनाव

Voted

| 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 01-वेतन | 0 | 17206000 | 0 | 17206000 |
| 02-मजदूरी | 0 | 200000 | 0 | 200000 |
| 03-महंगाई भत्ता | 0 | 2581000 | 0 | 2581000 |
| 04-यात्रा व्यय | 0 | 500000 | 0 | 500000 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 0 | 80000 | 0 | 80000 |
| 06-अन्य भत्ते | 0 | 1549000 | 0 | 1549000 |
| 07-मानदेय | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 |
| 08-कार्यालय व्यय | 0 | 600000 | 0 | 600000 |
| 09-विद्युत देय | 0 | 250000 | 0 | 250000 |
| 10-जलकर / जल प्रभार | 0 | 70000 | 0 | 70000 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 0 | 200000 | 0 | 200000 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 0 | 120000 | 0 | 120000 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | 0 | 400000 | 0 | 400000 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 0 | 500000 | 0 | 500000 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 0 | 9800000 | 0 | 9800000 |
| 17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व | 0 | 900000 | 0 | 900000 |
| 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 0 | 80000 | 0 | 80000 |
| 42-अन्य व्यय | 0 | 500000 | 0 | 500000 |
| 46-कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय | 0 | 100000 | 0 | 100000 |
| 47-कंप्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंदी स्टेशनरी का क्रय | 0 | 500000 | 0 | 500000 |
| योग | 0 | 39146000 | 0 | 39146000 |

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.3,91,46,000 (Rupees Three Crores Ninety One Lacs Forty Six Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(345)

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 919 / रा0नि0आ0–ले0 / 2495 / 2018 दिनांक: 20.05.2019

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–20 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–286 दिनांक 16.05.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से प्रत्येक जनपदों की मांग के आधार पर निम्नलिखित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वतन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | अलाटमेंट आई0डी0 संख्या | दिनांक | धनराशि रू0 में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अल्मोड़ा | H19050130020 | 20-05-2019 | 3105000 |
| 2. | उधमसिंह नगर | H19050130028 | 20-05-2019 | 2361000 |
| 3. | चम्पावत | H19050130022 | 20-05-2019 | 2673000 |
| 4. | नैनीताल | H19050130023 | 20-05-2019 | 2340000 |
| 5. | बागेश्वर | H19050130024 | 20-05-2019 | 2513000 |
| 6. | पिथौरागढ़ | H19050130025 | 20-05-2019 | 3480000 |
| 7. | उत्तरकाशी | H19050130029 | 20-05-2019 | 2860000 |
| 8. | चमोली | H19050130027 | 20-05-2019 | 2960000 |
| 9. | रूद्रप्रयाग | H19050130030 | 20-05-2019 | 1300000 |
| 10. | पौड़ी गढ़वाल | H19050130031 | 20-05-2019 | 2460000 |
| 11. | टिहरी | H19050130032 | 20-05-2019 | 2256000 |
| 12. | हरिद्वार | H19050130033 | 20-05-2019 | 3314000 |
| 13. | देहरादून | H19050130034 | 20-05-2019 | 4451000 |
| | | योग:– | | **36073000** |

भवदीया

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 919 / रा0नि0आ0–लेखा / 2495 / 2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य / वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

(346)

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।
दूरभाष : 0135–2673011, 2671871 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2676945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक : 1054/रा0नि0आ0–ले0/2495/2018 दिनांक: 07/06/2019

विषयः– <u>वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत नई अलाटमेंट आई0डी0 निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या–69/पं0चु0/ बजट/2019–20 दिनांक 04.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आयोग के पत्र संख्या–919 दिनांक 20.05.2019 द्वारा अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80– सामान्य–001– निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत पूर्व आवंटित अलाटमेंट आई0डी0 संख्या–H19050130032 दिनांक 20.05.2019 के द्वारा प्राप्त धनराशि कोषागार, टिहरी गढ़वाल में फीड न होने के कारण उक्त आवंटित आई0डी0 को निरस्त करते हुए नई आई0डी0 जारी करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पूर्व में अलाटमेंट आई0डी0 संख्या–H19050130032 दिनांक 20.05.2019 को निरस्त करते हुए नई आई.डी. संख्या–H19060130002 दिनांक 04.06.2019 निर्गत किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

<u>संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0</u>

भवदीया

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

<u>संख्या–1054/रा0नि0आ0–लेखा/2495/2018 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी गढ़वाल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

347

IFMS Uttarakhand

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

## HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

Treasury-New Tehri(6100)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Tehri(2962)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-013

आवंटन आई डी-H19060130002
आवंटन पत्र दिनांक-04-JUN-2019

लेखा शीर्षक

2217-शहरी विकास
001-निदेशन एवं प्रशासन
00-नगर पंचायतों का चुनाव

80-General
03-नगर पंचायतों का चुनाव

Voted

| 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 01-वेतन | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 |
| 02-मजदूरी | 0 | 21000 | 0 | 21000 |
| 03-महंगाई भत्ता | 0 | 65000 | 0 | 65000 |
| 04-यात्रा व्यय | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 06-अन्य भत्ते | 0 | 45000 | 0 | 45000 |
| 07-मानदेय | 0 | 200000 | 0 | 200000 |
| 08-कार्यालय व्यय | 0 | 30000 | 0 | 30000 |
| 09-विद्युत देय | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 10-जलकर / जल प्रभार | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 0 | 20000 | 0 | 20000 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 0 | 250000 | 0 | 250000 |
| 27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 0 | 35000 | 0 | 35000 |
| 42-अन्य व्यय | 0 | 40000 | 0 | 40000 |
| योग | 0 | 2256000 | 0 | 2256000 |

**Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.22,56,000 (Rupees Twenty Two Lacs Fifty Six Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(348)

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।
दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक :3306 /रा0नि0आ0–ले0/2495/2018 दिनांक: 06/12/19

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, ऊधमसिंह नगर का पत्र संख्या–1010/पं0नि0/ना0नि0/बजट/मांग/2019 दिनांक 21.11.2019 के क्रम में नगर पालिका परिषद बाजपुर के सामान्य निर्वाचन 2019 हेतु मुद्रण विभिन्न प्रपत्रों के अवशेष देयक हेतु अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80– सामान्य– 001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत 11–लेखन सामग्री एवं प्रपत्रों की छपाई मद में पूर्व आवंटित धनराशि के अतिरिक्त रू0 3000.00 (रू0 तीन हजार मात्र) का आवंटन संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या–H19120130001 दिनांक 04.12.2019 के अनुसार पंचास्थानि चुनावालय, ऊधमसिंह नगर के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्नक– अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या– H19120130001

भवदीया

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

संख्या-3306 /रा0नि0आ0–लेखा/2495/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, ऊधमसिंह नगर।
3. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

(३५१)

IFMS Uttarakhand

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

## HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

Treasury-U S Nagar(7500)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election U S Nagar(2962)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-013

आवंटन आई डी-H19120130001
आवंटन पत्र दिनांक-04-DEC-2019

लेखा शीर्षक

2217-शहरी विकास
001-निदेशन एवं प्रशासन
00-नगर पंचायतों का चुनाव

80-General
03-नगर पंचायतों का चुनाव

Voted

| 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 20000 | 3000 | 0 | 23000 |
| योग | 20000 | 3000 | 0 | 23000 |

**Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.3,000 (Rupees Three Thousand Only)**

Batch ID : DIS:2961:2961:1912:0001
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर, पौडी गढवाल, हरिद्वार व देहरादून।

पत्रांक : 4315 / रा0नि0आ0–ले0 / 2495 / 2018 दिनांक: 17.03.2020

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से तालिका में अंकित जनपदों हेतु निम्नलिखित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वतन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | अलाटमेंट आई0डी0 संख्या | दिनांक | धनराशि रू0 में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | टिहरी गढवाल | H20030130015 | 17-03-2020 | 435000 |
| 2. | चमोली | H20030130016 | 17-03-2020 | 225000 |
| 3. | देहरादून | H20030130017 | 17-03-2020 | 11000 |
| 4. | हरिद्वार | H20030130018 | 17-03-2020 | 80000 |
| 5. | आयोग मुख्यालय | H20030130019 | 17-03-2020 | 100000 |
| | | योग:– | | 851000 |

भवदीया

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 4315 / रा0नि0आ0–लेखा / 2495 / 2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी, चमोली, देहरादून, हरिद्वार एवं आयोग मुख्यालय।
3. मुख्य / वरिष्ठ, कोषाधिकारी, टिहरी, चमोली, देहरादून, हरिद्वार एवं आयोग मुख्यालय।

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

351

IFMS Uttarakhand

# बजट समर्पण वित्तीय वर्ष (2019 - 2020 )

## HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)

## Secreatary Name-सचिव, शहरी विकास(S054)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-013

आवंटन आई डी-HS20030130002
मांग पत्र दिनांक-31-MAR-2020

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 2217-शहरी विकास | 80-General |
| | 001-निदेशन एवं प्रशासन | 03-नगर पंचायतों का चुनाव |
| | 00-नगर पंचायतों का चुनाव | Voted |

| 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 01-वेतन | - | -12,26,000 | -,12,26,000 |
| 02-मजदूरी | - | -1,13,410 | -1,13,410 |
| 03-महंगाई भत्ता | - | -6,91,000 | -6,91,000 |
| 04-यात्रा व्यय | - | -2,25,167 | -2,25,167 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | - | -40,002 | -,40,002 |
| 06-अन्य भत्ते | - | -41,000 | -,41,000 |
| 07-मानदेय | - | -4,83,559 | -4,83,559 |
| 08-कार्यालय व्यय | - | -1,94,958 | -1,94,958 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | - | -1,42,198 | -1,42,198 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | - | -20,998 | -,20,998 |
| 13-टेलीफोन घर व्यय | - | -2,43,237 | -2,43,237 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | - | -3,19,854 | -3,19,854 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | - | -17,87,112 | -,17,87,112 |
| 17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व | - | -78,348 | -,78,348 |
| 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | - | -10,000 | -,10,000 |
| 27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | - | -49,803 | -,49,803 |
| 42-अन्य व्यय | - | -2,12,815 | -2,12,815 |
| 46-कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय | - | -51,250 | -,51,250 |
| 47-कंप्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंदी स्टेशनरी का क्रय | - | -3,36,966 | -3,36,966 |
| कुल योग | - | 62,67,677 | -,62,67,677 |

**Total Surrender By HOD In Above Schemes-Rs.62,67,677**

**नोट - बजट समर्पण की मूल प्रतिलिपि सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे**

Batch ID : SUR:2961:2961:2004:0003
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

352

IFMS Uttarakhand

# बजट समर्पण वित्तीय वर्ष (2019 - 2020 )

## HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)

## Secreatary Name-सचिव, शहरी विकास(S054)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-013

आवंटन आई डी-HS20030130013
मांग पत्र दिनांक-31-MAR-2020

लेखा शीर्षक

2217-शहरी विकास
001-निदेशन एवं प्रशासन
00-नगर पंचायतों का चुनाव

80-General
03-नगर पंचायतों का चुनाव

Voted

| 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 01-वेतन | - | -17,06,668 | -,17,06,668 |
| 02-मजदूरी | - | -15,000 | -,15,000 |
| 04-यात्रा व्यय | - | -1,068 | -1,068 |
| 06-अन्य भत्ते | - | -4,79,295 | -4,79,295 |
| 08-कार्यालय व्यय | - | -2,600 | -2,600 |
| 09-विद्युत देय | - | -1,37,254 | -1,37,254 |
| 10-जलकर / जल प्रभार | - | -48,757 | -,48,757 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | - | -15,000 | -,15,000 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | - | -24,743 | -,24,743 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | - | -21,448 | -,21,448 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | - | -18,353 | -,18,353 |
| 42-अन्य व्यय | - | -19,951 | -,19,951 |
| 47-कंप्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंदी स्टेशनरी का क्रय | - | -9,800 | -9,800 |
| कुल योग | - | 24,99,937 | -,24,99,937 |

**Total Surrender By HOD In Above Schemes-Rs.24,99,937**

**नोट - बजट समर्पण की मूल प्रतिलिपि सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे**

Batch ID : SUR:2961:2961:2005:0001
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

353

IFMS Uttarakhand

# बजट समर्पण वित्तीय वर्ष (2019 - 2020 )

## HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)

## Secreatary Name-सचिव, शहरी विकास(S054)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-013

आवंटन आई डी-HS2003PAC0007
मांग पत्र दिनांक-31-MAR-2020

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 2217-शहरी विकास | 80-General |
| | 001-निदेशन एवं प्रशासन | 03-नगर पंचायतों का चुनाव |
| | 00-नगर पंचायतों का चुनाव | Voted |

| 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 04-यात्रा व्यय | - | -108 | -,108 |
| 07-मानदेय | - | -1,50,000 | -1,50,000 |
| 08-कार्यालय व्यय | - | -50,000 | -,50,000 |
| 42-अन्य व्यय | - | -3,09,265 | -3,09,265 |
| 47-कंप्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंदी स्टेशनरी का क्रय | - | -30,305 | -,30,305 |
| कुल योग | - | 5,39,678 | -5,39,678 |

**Total Surrender By HOD In Above Schemes-Rs.5,39,678**

**नोट - बजट समर्पण की मूल प्रतिलिपि सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे**

Batch ID : SUR:2961:2961:2004:0005
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

354

संख्याः 1167 XII(1)/19–84(07)/2019

प्रेषक,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(रंजीत सिन्हा)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड।

(ली० कु० सिन्हा)
अनु सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पंचायतीराज अनुभाग–1

देहरादून दिनाँकः 01 सितम्बर, 2019

विषयः राज्य के समस्त जनपदों (जनपद–हरिद्वार को छोड़कर) के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2019 हेतु वर्ष 2019–20 में विभिन्न मदों में आवश्यकतानुसार राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून के पत्र संख्याः 1365/रा०नि०आ०–ले०/2497/2018, दि० 22.07.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के समस्त जनपदों (जनपद–हरिद्वार को छोड़कर) के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019, सम्पन्न कराये जाने हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से रू० 1292 लाख (रूपये बारह करोड़ बयानब्बे लाख मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण किये जाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के साथ आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

| क्र.सं. | मानक मद संख्या | धनराशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|
| | 03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) | |
| 1 | 04–यात्रा भत्ता | 512.00 |
| 2 | 07–मानदेय | 223.00 |
| 3 | 11–लेखन सामग्री एवं प्रपत्रों की छपाई | 252.00 |
| 4 | 15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद | 35.00 |
| 5 | 16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं | 73.00 |
| 6 | 19–विज्ञापन व्यय | 3.00 |
| 5 | 42–अन्य व्यय | 194.00 |
| | योगः– | 1292.00 |

1. उपरोक्तानुसार प्रस्तावित धनराशि का प्रत्येक मदों में वास्तविक आंकलन एवं मितव्ययता सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
2. किसी प्रकरण में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन आवश्यक हो तो व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा तथा जिस प्रयोजन हेतु अवमुक्त की जा रही है उसी में उपभोग किया जायेगा।

4. उक्त आवंटित धनराशि का आगामी वित्तीय वर्ष अथवा अनुपूरक की मांग में प्रावधान कराकर अग्रिम में ली जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति करा लेंगे।
5. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी/जारी होने वाले मितव्यता संबंधी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय।
6. उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र बी०एम०-8 पर प्रत्येक माह की 7वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी। आकस्मिकता निधि से आहरित की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु प्रस्ताव निर्धारित समय पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः 8000-आकस्मिकता निधि-रा०आ०नि० लेखे-201 समेकित निधि को विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्याः 005 के लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव आदि के लिए प्रभार-03-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अंतर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0 सं0-58/XXVII-4-19 दिनांक 30.09.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(डॉ रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव (प्रभारी)।

पत्रांक राज्य आकस्मिकता निधि संख्याः — (1)/ XXVII /रा०आ०नि०/2019, दिनाँकः

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः — (1)/ XII(1)/19-84(07)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, (जनपद-हरिद्वार को छोड़कर) उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी (जनपद-हरिद्वार को छोड़कर) उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी (जनपद-हरिद्वार को छोड़कर) उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-4/वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बलवन्त सिंह भाकुनी)
अनु सचिव।

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com


356

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(जनपद हरिद्वार को छोडकर)
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 2609/रा0नि0आ0–ले0/2497/2018 दिनांक: 11.10.2019

विषयः– <u>वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 8000–आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत आवंटित धनराशि।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव (प्रभारी), पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा 8000–राज्य आकस्मिकता निधि के के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से प्रत्येक जनपदों/आयोग की मांग के आधार पर निम्नलिखित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि जनपदों/आयोग के निर्वतन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | अलाटमेंट आई0डी0 संख्या | दिनांक | धनराशि रू0 में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अल्मोड़ा | H1910PAC0011 | 09-10-2019 | 2870000 |
| 2. | उधमसिंह नगर | H1910PAC0012 | 09-10-2019 | 2000000 |
| 3. | चम्पावत | H1910PAC0013 | 09-10-2019 | 600000 |
| 4. | नैनीताल | H1910PAC0014 | 09-10-2019 | 1500000 |
| 5. | बागेश्वर | H1910PAC0015 | 09-10-2019 | 800000 |
| 6. | पिथौरागढ़ | H1910PAC0016 | 09-10-2019 | 3100000 |
| 7. | उत्तरकाशी | H1910PAC0017 | 09-10-2019 | 3600000 |
| 8. | चमोली | H1910PAC0018 | 09-10-2019 | 9800000 |
| 9. | रूद्रप्रयाग | H1910PAC0019 | 09-10-2019 | 2200000 |
| 10. | पौड़ी गढ़वाल | H1910PAC0020 | 09-10-2019 | 50300000 |
| 11. | टिहरी | H1910PAC0021 | 09-10-2019 | 16500000 |
| 12. | देहरादून | H1910PAC0022 | 09-10-2019 | 8500000 |
| 13. | आयोग मुख्यालय | H1910PAC0023 | 09-10-2019 | 3730000 |
| | | योगः– | | 105500000 |

भवदीया

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

<u>संख्या– 2609/रा0नि0आ0–लेखा/2497/2018 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, (जनपद हरिद्वार को छोडकर), उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, (जनपद हरिद्वार को छोडकर), उत्तराखण्ड।

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

(357)

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2676945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 3207 / रा0नि0आ0–ले0 / 2497 / 2018 दिनांक: 21.11.2019

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 8000–आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर 109–पंचायतों / स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) एवं 8000–राज्य आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से तालिका में अंकित अलाटमैंट आई0डी0 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के आहरण वितरण अधिकारी कोड–2961 हेतु निम्न धनराशि रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्र0सं0 | अलाटमैंट आई0डी0 | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | H1911PAC0028 | 21-11-2019 | 300000 |

2. आवंटित धनराशि के व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–4 एवं बी0एम0–8 पर अनिवार्य रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करा दी जाय। ताकि शासन को बी0एम0–08 आयोग स्तर से माह की 07वीं तारीख तक उपलब्ध कराया जा सके ।

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0 (01)

भवदीया

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 3207 / रा0नि0आ0–लेखा / 2497 / 2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि संलग्न अलॉटमैंट आई0डी0 को राज्य निर्वाचन आयोग के आहरण वितरण कोड 2961 में फीड करने का कष्ट करें।

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

358

IFMS Uttarakhand

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

## HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-State Election Commissioner(2961)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-PAC

आवंटन आई डी-H1911PAC0028
आवंटन पत्र दिनांक-21-NOV-2019

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 8000-आकस्मिकता निधि | 00--- |
| | 201-समेकित निधि से विनियोग | 00-CONTINGENCY FUND |
| | 00-- | Voted |

कनेक्ट अनुदान संख्या-005

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 0 | 300000 | 0 | 300000 |
| योग | 0 | 300000 | 0 | 300000 |

**Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.3,00,000 (Rupees Three Lacs Only)**

Batch ID : DIS:2961:2961:1911:0019
Approval Status : APPROVED BY SUPERVISOR

(तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2676945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com


(359)

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

जिलाधिकरी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी एवं टिहरी।
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 3207/रा0नि0आ0–ले0/2497/2018 दिनांक: 21.11.2019

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 8000–आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत आवंटित धनराशि।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव (प्रभारी), पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा 8000–राज्य आकस्मिकता निधि के के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से प्रत्येक जनपदों/आयोग की मांग के आधार पर निम्नलिखित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि जनपदों/आयोग के निर्वतन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | अलाटमेंट आई0डी0 संख्या | दिनांक | धनराशि रू0 में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अल्मोड़ा | H1911PAC0020 | 21-11-2019 | 170000 |
| 2. | उधमसिंह नगर | H1911PAC0021 | 21-11-2019 | 600000 |
| 3. | चम्पावत | H1911PAC0022 | 21-11-2019 | 100000 |
| 4. | पिथौरागढ़ | H1911PAC0023 | 21-11-2019 | 400000 |
| 5. | उत्तरकाशी | H1911PAC0024 | 21-11-2019 | 800000 |
| 6. | चमोली | H1911PAC0025 | 21-11-2019 | 600000 |
| 7. | पौड़ी गढ़वाल | H1911PAC0026 | 21-11-2019 | 660000 |
| 8. | टिहरी | H1911PAC0027 | 21-11-2019 | 100000 |
| | | योग:– | | 3430000 |

भवदीया

(तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 3207/रा0नि0आ0–लेखा/2497/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभारी अधिकारी, पंचायतीनि चुनावालय, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी एवं टिहरी।
3. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी एवं टिहरी।

(तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।

सत्यमेव जयते

(360)

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी गढ़वाल, टिहरी व देहरादून।
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 3452 / रा0नि0आ0–ले0 / 2497 / 2018 दिनांक: 20.12.2019

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 8000–राज्य आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अपर सचिव (प्रभारी), पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 8000–राज्य आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से तालिका में अंकित जनपदों को 07–मानदेय मद में धनराशि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | अलाटमेंट आई0डी0 संख्या | दिनांक | धनराशि रू0 में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | उत्तरकाशी | H1912PAC0108 | 20-12-2019 | 3200000 |
| 2. | चमोली | H1912PAC0109 | 20-12-2019 | 3700000 |
| 3. | रूद्रप्रयाग | H1912PAC0110 | 20-12-2019 | 1500000 |
| 4. | पौड़ी गढ़वाल | H1912PAC0111 | 20-12-2019 | 7000000 |
| 5. | टिहरी | H1912PAC0112 | 20-12-2019 | 3700000 |
| 6. | देहरादून | H1912PAC0114 | 23-12-2019 | 3200000 |
| | | योगः– | | 22300000 |

भवदीया

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 3452 / रा0नि0आ0–लेखा / 2497 / 2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी गढ़वाल, टिहरी व देहरादून।
3. मुख्य / वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी गढ़वाल, टिहरी व देहरादून।

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

(36)

संख्या–977/IV(2)–शविवि–2019–02(38)19

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 20 नवम्बर,2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में 'राज्य आकस्मिकता निधि' से धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्रांकः–2924/रा0नि0आ0– ले0/2495/2018 दिनांक 30.10.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि ₹84.75 लाख का अतिरिक्त धनावंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अन्तर्गत संगत लेखाशीर्षक की विभिन्न मानक मदों में पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने एवं नगर निगम, रूड़की क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित निर्वाचन के दृष्टिगत मांगी जा रही धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि ₹ 31.00 लाख (₹ इकत्तीस लाख मात्र) 'राज्य आकस्मिकता निधि' से आहरित कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकताओं के आधार पर किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। **उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि में से विभागीय लम्बित देयकों का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाय।**

(ii) राज्य आकस्मिकतस निधि से उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुपूरक मांग अथवा आय–व्ययक 2020–21 में बजट प्राविधान कराये जाने हेतु यथोचित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाना सुश्चित किया जाय।

(iii) धनराशि व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iv) धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों हेतु किया जाय जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(v) धनराशि का दिनांक 31–3–2020 तक पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(vi) उल्लिखित मदों में वास्तविक व्यय के आधार पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए व्यय किया जायेगा।

(रोशन लाल)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

....2/–

3- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रथमतः लेखाशीर्षक "8000-आकस्मिकता निधि-लेखा-201-समेकित निधि" के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत मानक मद-04 यात्रा व्यय के नामे ₹3.0 लाख, 07-मानदेय के नामे ₹10.00 लाख, 08-कार्यालय व्यय के नामे ₹0.50 लाख-42-अन्य व्यय के नामे ₹ 15.00 लाख एवं 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण के नामे ₹2.50 लाख डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-332/XXVII(2)/2018 दिनांकः 25 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः एलोटमेंट आई0डी0स0-S1912PAC0001 ।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव

रा0आ0नि0सं0:- 31/XXVII(1)/2018 दिनांकः 21 नवम्बर, 2019 ।

प्रतिलिपि-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, कौलागढ़, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

आज्ञा से,

हस्ताक्षर अपठनीय
(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव, वित्त

संख्या- /IV(2)- श0वि0-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. स्टॉफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी।
6. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-1/2 उत्तराखण्ड शासन।
10. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त शासनादेश को शहरी विकास विभाग के पोर्टल में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।

363

IFMS Uttarakhand

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

## Secretary-Secretary, Urban Development(S054)

HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

आवंटन पत्र संख्या -977/02(38)19 | आवंटन आई डी-S1912PAC0001

अनुदान संख्या-PAC | आवंटन पत्र दिनांक-02-DEC-2019

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 8000-आकस्मिकता निधि | 00--- |
| | 201-समेकित निधि से विनियोग | 00-CONTINGENCY FUND |
| | 00-- | Voted |

| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 04-यात्रा व्यय | 0 | 300000 | 0 | 300000 |
| 07-मानदेय | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| 08-कार्यालय व्यय | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 42-अन्य व्यय | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 |
| 47-कंप्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंदी स्टेशनरी का क्रय | 0 | 250000 | 0 | 250000 |
| योग | 0 | 3100000 | 0 | 3100000 |

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.31,00,000 (Rupees Thirty One Lacs Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

364

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर, पौडी गढवाल, हरिद्वार व देहरादून।

पत्रांक : 3454/रा0नि0आ0–ले0/2495/2018 दिनांक: 20-12-19 ~~20.05.2019~~

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 8000–आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु 8000–आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से तालिका में अंकित जनपदों हेतु निम्नलिखित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वतन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | अलाटमेंट आई0डी0 संख्या | दिनांक | धनराशि रू0 में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | उधमसिंह नगर | H1912PAC0104 | 20-12-2019 | 675000 |
| 2. | पौड़ी गढ़वाल | H1912PAC0105 | 20-12-2019 | 150000 |
| 3. | हरिद्वार | H1912PAC0106 | 20-12-2019 | 2525000 |
| 4. | देहरादून | H1912PAC0107 | 20-12-2019 | 250000 |
| | | योगः– | | 3100000 |

भवदीया

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 3454/रा0नि0आ0–लेखा/2495/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, ऊधमसिंह नगर, पौडी गढवाल, हरिद्वार व देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, पौडी गढवाल, हरिद्वार व देहरादून।

( तृप्ति श्रीवास्तव )
वित्त नियंत्रक।

## मैनुअल–12

**सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है–**

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड से संबंधित नहीं है।

## मैनुअल–13

**अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्र या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टयां–**

सूचना शून्य।

## मैनुअल–14

**इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उनको उपलब्ध हों या उनके द्वारा धारित हो:–**

राज्य की समस्त नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन–2008, 2013 एवं 2018 तथा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2008 व 2014 व 2019 (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) तथा जिला योजना समिति सामान्य निर्वाचन–2014 के मतगणना परिणाम, जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2010 एवं 2015 के मतगणना परिणाम, निर्वाचक नामावली (नागर स्थानीय निकाय), राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण व राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन पंचास्थानि चुनावालयों के दूरभाष नम्बर तथा अधिसूचनायें आदि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की वेबसाईट sec.uk.gov.in पर जनसाधारण के सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं।

# मैनुअल--15

**सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं--**

1. राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड का मुख्यालय जनसामान्य के लिए प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक सप्ताह में राजकीय अवकाश को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है एवं आयोग के अधिकारी व्यक्तिगत तथा दूरभाष पर इस दौरान उपलब्ध रहते हैं तथा आयोग के नियंत्रणाधीन जनपदों में स्थित पंचास्थानि चुनावालय जनसामान्य के लिए प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक सप्ताह में राजकीय अवकाश को छोड़कर सोमवार से शनिवार तक खुले रहते हैं एवं उनके अधिकारी व्यक्तिगत तथा दूरभाष पर इस दौरान उपलब्ध रहते हैं।

2. प्रमुख सूचनायें राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की वेबसाईट sec.uk.gov.in पर प्रदर्शित की गयी हैं।

# मैनुअल–16

**लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टयां:–**

राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय में **लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी** निम्नवत् नामित है:–

## राज्य स्तर पर (मुख्यालय)

| विभागीय अपीलीय अधिकारी | | लोक सूचना अधिकारी | | सहायक लोक सूचना अधिकारी | |
|---|---|---|---|---|---|
| पदनाम | दूरभाष | पदनाम | दूरभाष | पदनाम | दूरभाष |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| उप सचिव | 0135–2670998<br>7534820799 | सहायक आयुक्त | 0135–2670998<br>7534820731 | अनुभाग अधिकारी | 0135–2670998<br>7534820778 |

## जिलास्तर

जिलास्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन पंचास्थानि चुनावालय स्थापित है अतः दोनो अलग–अलग कार्यालय होने के फलस्वरूप समस्त जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रभारी अधिकारी पदाभिहीत किये गये है। जिला स्तर पर **लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी** निम्नवत् नामित हैं:–

| क्र. सं. | विभागीय अपीलीय अधिकारी | लोक सूचना अधिकारी | सहायक लोक सूचना अधिकारी |
|---|---|---|---|
| | पदनाम | पदनाम | पदनाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी | प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय | सहा. जि. निर्वा. अधि. |

राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन प्रत्येक जनपद में स्थित पंचास्थानि चुनावालयों में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त/तैनात हैं। जिनका विवरण निम्नवत् है:–

| क्र0सं0/जनपद | पदनाम | दूरभाष संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. अल्मोड़ा | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 05962-232828 |
| 2. उधमसिंहनगर | —तदैव— | 05944-245783 |
| 3. चम्पावत | —तदैव— | 05965-230386 |
| 4. नैनीताल | —तदैव— | 05942-248436 |
| 5. पिथौरागढ़ | —तदैव— | 05964-225392, 225236 |
| 6. बागेश्वर | —तदैव— | 05963-221375, 220757 |
| 7. उत्तरकाशी | —तदैव— | 01374-222613 |
| 8. चमोली | —तदैव— | 01372-253469 |
| 9. टिहरी गढ़वाल | —तदैव— | 01376-232884, 232603 |
| 10. देहरादून | —तदैव— | 0135-2726732 |
| 11. पौड़ी गढ़वाल | —तदैव— | 01368-222061, 222454, 223911 |
| 12. रुद्रप्रयाग | —तदैव— | 01364-233812 |
| 13. हरिद्वार | —तदैव— | 01334-239454 |

## मैनुअल–17

### ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय–

1. त्रिस्तरीय पंचायतों में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर )के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के सामान्य निर्वाचन 2019 एवं तदोपरान्त रिक्त पदों के उप निर्वाचन हेतु ~~हेर्तु~~ निर्गत अधिसूचनाएं तथा जनपद हरिद्वार के विभिन्न रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन हेतु समय–समय पर जारी अधिसूचनाऐं।
2. नागर स्थानीय निकायों में रिक्त सभासद पद/स्थानों पर उप निर्वाचन कराये जाने एवं नगर पालिका परिषद, श्रीनगर व नगर पालिका परिषद, बाजपुर तथा नगर निगम रूड़की के नगर प्रमुखों/सभासदों/अध्यक्ष/सदस्य के सामान्य निर्वाचन कराये जाने हेतु जारी अधिसूचनाएं।